(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8) सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का तैंतीसवां दिवस (सख्या 21

शुक्रवार
दिनांक 6 अप्रेल, 1984
विधान सभा की बैठक म. पू.
11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर
में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।
श्री दाऊदयाल जोशी।
श्री हीरालाल आर्य।

आयुर्वेद कालेजों में नियुक्तियां

526. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत 3 वर्षों में राजस्थान के विभिन्न आयुर्वेद कालेजों के स्नातकों के अलावा अन्य किन किन राज्यों के उत्तीर्ण स्नातकों को आयुर्वेद विभाग में नियुक्तियां दी गई ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी) जी हां। राजस्थान राज्य के उन मूल निवासियों को नियुक्तियां दी गई हैं जिन्होंने राजस्थान के अलावा अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्य के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आशार्थी सम्मिलित हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, यह जो नियुक्ति दी गई, नियुक्ति दिये जाने से पूर्व प्रार्थना-पत्र कब आये ? जिस समय प्रार्थना-पत्र आये थे उस समय कितने पद रिक्त थे और कितने लोगों को नियुक्ति दी गई ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, 1981 में एक विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी जिसके माध्यम से विभाग में 50 वैद्य द्वितीय श्रेणी के पद पर भर्ती की जानी थी। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 31-3-1981 थी।

श्री दाऊदयाल जोशी : साथ ही यह भी बतायें कि बाहर के कितने आशार्थी आये थे, उनमें से कितनों को नियुक्ति दी गई ? क्या यह सही नहीं है कि 1981 में भी इन लोगों के प्रार्थना-पत्र आये थे लेकिन तत्कालीन आयुर्वेद राज्य मंत्री, श्री घासी रामजी यादव ने इसलिये रोक लगा दी थी कि वह राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि उनको रोका गया था लेकिन वह राजस्थान के ही निवासी थे। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे। 23 आशार्थियों को मेरिट सूची पर चयन समिति ने

(श्री दिनेश डांगी)

यह निर्णय लिया कि राजस्थान के निवासियों को राज्य सरकार की स्वीकृति आने पर नियुक्ति दी जावे तथा 2 छात्रों को उनकी अधिक आयु के लिये शिथिलता की स्वीकृति प्राप्त कर नियुक्ति दी जावे। उन्होंने बाद में मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र दे दिया। राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण-पत्र देने के बाद ही राज्य सरकार की अनुमति से उनको नियुक्ति दी गई।

जहां तक दूसरे विश्वविद्यालय के स्नातकों को नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न है, राजस्थान विश्वविद्यालय से वह डिग्री मान्यता प्राप्त है। जब यह राजस्थान विश्वविद्यालय से राज्य सरकार के पास जवाब आया तब सरकार ने स्वीकृयि दी।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि इन प्रार्थना-पत्रों के 8 आशार्थी ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान का मूल निवासी होने का नकली प्रमाण-पत्र पेश किया? इनको नियुक्ति दिये जाने से पूर्व चार बार प्रतिनिधि मण्डल आकर भी आपसे मिला था।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं किस आधार पर चैलेन्ज कर सकता हूं। अगर इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह कोर्ट में चैलेन्ज कर सकता है कि गलती है या नहीं है। मेरे पास जो रिकार्ड उपलब्ध है उसके आधार पर यह राजस्थान के मूल निवासी हैं और इनकी परीक्षायें भी राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न और करूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि राजस्थान में जिन लोगों को आपने नियुक्ति दी है उनमे दो व्यक्ति ऐसे थे जो ओवर ऐज हो गये थे? मैं उनके नाम बता देता हूं। एक सुभाष शर्मा, उम्र 36 वर्ष 6 माह और दूसरा व्यक्ति रामकृष्ण तिवाड़ी, उम्र 38 वर्ष। इन दोनों व्यक्तियों को आयुर्वेद विभाग में नियुक्ति किन कारणों से दी गई?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आशार्थी ऐसे थे जिनकी उम्र निकल चुकी थी लेकिन जिस समय उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उस समय उम्र ठीक थी। राजस्थान सरकार से आयु में शिथिलता की स्वीकृति प्राप्त कर ही उनको नियुक्ति दी गई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रमाण-पत्र में एक की ऐज 36 वर्ष और 6 माह थी और दूसरे की ऐज मूल प्रमाण-पत्र में 38 वर्ष थी। माननीय मंत्री महोदय असत्य का सहारा ले रहे हैं। उनके मूल प्रमाण-पत्र करनाल यूनिवर्सिटी के हैं जिसके स्नातकों को राजस्थान सरकार अपने यहां प्रवेश नहीं देती है।

श्री दिनेश डांगी : मेरे पास जो सूची अवेलेबल है उसके आधार पर आपकी

(श्री दिनेश डांगी)

सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें करनाल नहीं है, और कोई भी विद्यार्थी करनाल का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : करनाल का नहीं है ? 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं आपके यहां। मैं आपको पढ़कर बता देता हूं।

श्री दिनेश डांगी : मैं ही आपको पढ़कर सुना देता हूं

इन्दौर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आशार्थी	3
ग्वालियर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आशार्थी	1
बिहार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आशार्थी	1
रोहतक विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आशार्थी	12
विक्रम(मध्य-प्रदेश)विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आशार्थी	1
कानपुर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आशार्थी	1
उज्जैन विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आशार्थी	1

श्री दाऊदयाल जोशी : जो रोहतक के है उनको राज्य सरकार ने मान्यता नहीं दी है।

श्री दिनेश डांगी : मेरे रिकार्ड के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल असत्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा कर....

श्री दिनेश डांगी : आप मुझे लिख कर दे दें, मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मैंने लिख कर दिया है उसका क्या हुआ ?

श्री दिनेश डांगी : आपके पास जो शिकायत है, आप मुझे लिखकर दे दें। मैं उसकी जांच करवा लूंगा। राजस्थान सरकार से भी मान्यता प्राप्त है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी मान्यता प्राप्त है, उन्हीं को नियुक्ति मिली है। मैं जांच करवा लूंगा। आप जो कहेंगे वह कार्यवाही करने के लिए तैयार हूं। आप लिख कर तो दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान सरकार को किन किन स्नातकों को, कौन-कौनसी यूनिवर्सिटी के स्नातक की डिग्री वालों को प्रवेश देना है, यह लिस्ट आपके पास है, मुझे लिखकर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दिनेश डांगी : मान्यता प्राप्त करनाल की मेरे पास नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं करनाल की नहीं रोहतक की बात कर रहा हूं।

श्री दिनेश डांगी : यह मान्यता प्राप्त है ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है कि दूसरे प्रान्त के आशार्थियों का, परीक्षा पास करने वालों का यहां पर पोस्टिंग किया है । राजस्थान यूनिवर्सिटी से परीक्षा पास करने वाले बैठे रहे । 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में उनकी संख्या ज्यादा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दूसरे प्रान्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने यह नियम बना दिया कि अन्य प्रान्तों के स्नातकों का वहां पर पोस्टिंग नहीं किया जायगा, उसी प्रकार क्या राजस्थान सरकार इस प्रकार के नियम बना कर सर्क्यूलर जारी नहीं करना चाहेगी ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी मानता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय से जिन्होंने परीक्षा पास की है अथवा डिप्लोमा लिया है उनको पहले मौका मिलना चाहिए । यह कानूनी मसला है । इसके लिए मैं लिखा-पढ़ी कर रहा हूं । यह कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में पढ़े-लिखे लोग ही लिये जाय ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : 148 व्यक्तियों की एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इन नियुक्तियों में जो गड़बड़ियां हुई हैं......

श्री अध्यक्ष : गड़बड़ियां हुई कि नहीं, अभी तो इस नतीजे पर पहुँचे नहीं ।

श्री यदुनाथ सिंह : मन्त्री महोदय ने कहा कि मैं जांच कराऊंगा । मैंने मन्त्री महोदय को पत्र लिखा है, उसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की ? और नहीं की, तो कब तक करेंगे ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, एक पत्र माननीय सदस्य ने मुझे दिया है पांच-चार दिन पहले । मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि इसमें जांच कराकर सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया कि बाहर के डिग्रीधारियों, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जिन्होंने सर्टिफिकेट बाद में पेश किये, को पहले आपने पोस्टिंग दे दी । अध्यक्ष महोदय, चालीस-चालीस, पचास-पचास हजार रुपये लेकर बाहर के लोगों को पोस्टिंग दे दी और राजस्थान के लोगों को लिया नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि इन आशार्थियों ने राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र और रोहतक की डिग्री फर्जी होने की शिकायत की है, तो फिर स्वयं इसकी जांच क्यों नहीं करवाते ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इसमें लिखकर देने की क्या आवश्यकता है ? मूल निवासी और रोहतक की डिग्री दोनों के फर्जी होने की बातें सामने आई हैं, आप स्वयं इसकी जांच क्यों नहीं कराते ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या सलेक्शन के समय उसके सारे प्रमाण पत्र देखे जाते हैं ? यदि उनको ढंग से देखा गया होता तो प्रारम्भिक क्वालिफिकेशन में वह पकड़ में आ जाते कि यहां के मूल निवासी हैं या नहीं।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, करीब करीब सभी पढ़े-लिखे आदमी जानते हैं कि किसी भी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं तो मूल प्रमाण-पत्र देखे जाते हैं। उसमें क्या कण्डीशन थी, यह मैं बताता हूं। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 31.3.81 थी। उसमें यह लिखा हुआ है कि भिषगाचार्य, राजस्थान या आयुर्वेदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय 6 माह की इन्टर्नशिप सहित या राजस्थान सरकार द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता या आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की आयुर्वेद में उपाधि। नियुक्ति में राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता दी जावेगी। अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को राजस्थान के मूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, इनको आशंका है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : फिर भी गड़बड़ी की है आपने।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। अनुमति नहीं दी जा रही है, माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया कि चालीस हजार रुपये ले लिये, यह भी कोई बात है क्या। कुछ भी कह दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप जांच करवा लीजिये।

श्री दिनेश डांगी : यह तो मैंने कह दिया।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 527

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरूं लाल भारद्वाज।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री बंशीलाल पटवा।

केकड़ी से कांकरोली वाया बनेड़ा सड़क निर्माण

528. श्री बंसीलाल पटवा(भीलवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंसीलाल पटवा)

(1) जिला भीलवाड़ा के केकड़ी ग्राम से कांकरोली सड़क स्टेट हाई वे 8 के नाम से गत फेमिन में स्वीकृत की गई ? क्या इसकी दूरी भीलवाड़ा से शाहपुरा तक 42 किलोमीटर रिकार्ड में अंकित है ? जब यह सड़क भीलवाड़ा से वाया बड़ा महुवा शाहपुरा 42 किलोमीटर की है, तो स्वीकृति के विपरीत वाया बनेड़ा जो 54 किलोमीटर की दूरी बनती है, इस पर कार्य किन कारणों को लेकर कराया गया ?

(2) स्वीकृति के विपरीत कार्य कराने में दोषी कौन हैं ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1 व 2) जिला भीलवाड़ा में केकड़ी एवं कांकरोली कोई गांव चिन्हित नहीं है जहां सड़क निर्माण कार्य हुआ हो और ना ही स्टेट हाई वे नम्बर 8 भीलवाड़ा जिले के किसी हिस्से से निकलती है। अत: वांछित सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो रिप्लाई दिया है वह बिल्कुल मिथ्या है। यह जो सड़क है केकड़ी से कांकरोली रूट पर है और नेशनल हाई वे से जोड़ने के लिए है। यह कहते हैं कि चिन्हित नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. में इसका स्केच होता है, डिजाइन बनती है। वहां इसका प्रपोजल स्वीकार किया गया है। भीलवाड़ा से शाहपुरा होते हुए केकड़ी, यह उसमें मैंने स्वयं देखा है। प्रपोजल स्वीकार किये गये हैं और यह कह रहे हैं कि नहीं है। मैं कहता हूं, राजनीतिक प्रभाव से इस रोड को बनेड़ा होकर निकाला गया है। यह आपने किस स्वीकृति के तहत करवाया ? आप डिजाइन देख लीजिये, सारा स्केच देख लीजिये, 42 किलोमीटर भीलवाड़ा से शाहपुरा अंकित है। वाया बनेड़ा 54 किलोमीटर बनता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वह मिथ्या है।

श्री चेतराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैंने मिथ्या भाषण किया। जो प्रश्न इन्होंने पूछा उसको पढ़ने की कृपा करें। इसमें लिखते हैं, जिला भीलवाड़ा के केकड़ी ग्राम से कांकरोली। जिला भीलवाड़ा में केकड़ी और कांकरोली ग्राम नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, स्टेट हाई वे नम्बर-8 राजस्थान में सीकर-नवलगढ़-झुन्झुनू-चिड़ावा होकर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यह स्टेट हाई वे नहीं है। भीलवाड़ा में ऐसा कोई गांव नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको भी पता नहीं है, स्टेट हाई वे नहीं, नेशनल हाई वे है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बंसीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, यह भाषा का प्रश्न बनाकर मन्त्री महोदय

(श्री बंसीलाल पटवा)

गलत जवाब दे रहे हैं। केकड़ी से कांकरोली वाली सड़क कभी की स्वीकृत होने की बात हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को तोड़-मरोड़ कर जवाब दे रहे हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सड़क नेशनल हाई वे नम्बर-12 है जो जयपुर-डिग्गी-मालपुरा बनेड़ा-भीलवाड़ा है। आपने प्रश्न गलत किया है इसका तो मैं क्या करूं। वह तो नेशनल हाई-वे नम्बर-12 होना चाहिये था।

श्री बंसीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, कांकरोली से केकड़ी सीधा है। आप सरकार चलाते हैं, चरखा चलाते हैं? इतना भी समझ में नहीं आता। जो पूछा उसका तो जवाब दे नहीं रहे।

श्री चेतराम मीणा : आपने ही तो गलत प्रश्न पूछा और मुझे कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

अगला प्रश्न। श्री भरोसीलाल।

कृषि उपज मण्डियों का वर्गीकरण

529. **श्री भरोसीलाल (हिण्डौन)** : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितनी कृषि उपज मण्डियां एवं उप मण्डियां हैं तथा मण्डियों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है?

(2) वर्गीकरण के आधार पर कितनी मण्डियों में सचिव प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं?

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) राजस्थान में 132 मण्डियां एवं 232 गौण मण्डियां हैं। मण्डी समितियों का वर्गीकरण तीन प्रकार का है।

(2) वर्गीकरण के आधार पर सचिवों की प्रतिनियुक्ति अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री भरोसीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि करौली में हिण्डौन कृषि उपज मण्डी गौण मण्डी है उसमें आपने सचिव नियुक्त कर दिया है क्या? क्या आप इसको अलग कृषि उपज मण्डी के आधार पर घोषित करना चाहते हैं?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष ने जो प्रश्न पूछा है इसमें मेरा यह निवेदन है कि अभी वर्गीकरण के हिसाब से सचिवों की नियुक्ति नहीं की हुई है। करौली को हिण्डौन से अलग करने के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि आज माननीय सदस्य डिमाण्ड के वक्त पूछ लें। कहां कहां पर मण्डी सचिवों की नियुक्ति की जावेगी, आज मैं डिमाण्ड का जवाब दूंगा तब जवाब दे दूंगा।

(8)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री महाराम।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण

530. **श्री महाराम चोधरी** (नागौर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, नागौर एवं मूण्डवा की कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण किया गया है ? समितियों का नाम, सहकारी समिति का वर्ग, किलोमीटर में फैलाव व कार्य क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में विलीनीकरण होने से हो गया है ?

(2) ग्राम सेवा सहकारी समिति कांटिया सिघड़ के काश्तकारों को कितना कितना ऋण किस किस साल में विलीनीकरण के वाद दिया गया ?

(3) क्या सरकार विलीनीकरण की गई सहकारी समितियों को अलग करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) पंचायत समिति, नागौर एवं मूण्डवा में क्रमशः 2 व 5 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण किया गया है। सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र की सीमा समिति के मुख्यालय से अधिकतम दूरी पर स्थित ग्राम के फासले के हिसाब से नापी जाती है, वर्ग किलोमीटर में नहीं। जिन समितियों का विलीनीकरण किया गया है उनके नाम, समिति का किलोमीटर में फैलाव व कार्य क्षेत्र किलोमीटर में विलीनीकरण के पश्चात् हुआ, यह परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) विलीनीकरण के बाद कांटिया एवं सिघड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। इन समितियों के विलीनीकरण से पूर्व के कार्य क्षेत्रों में विलीनोकरण के पश्चात् निम्नानुसार ऋण विवरण किया गया :—

क्र.सं.	वर्ष	कांटिया	सिघड
1	1976-80	—	दोनों समितियां निर्जीव अवस्था में थीं।
2	1980-81	—	45,340/-
3	1981-82	—	2,50,732/-
4	1982-83	—	2,42,563/-
5	1983-84 (फरवरी 84)	—	59,336/-

(3) विलीनीकरण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के आधार पर जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप किया गया था। विलीनीकरण की गई सहकारी समितियों को अलग करने की नीति निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन है। निर्णय के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(परिशिष्ट 'ए' के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों का जो विलीनीकरण हुआ है उसमें नीति क्या थी ? उस नीति के पीछे उद्देश्य क्या था ? उस उद्देश्य की पूर्ति में कहां तक सफलता हासिल हुई ?

श्री भैरूं सिंह गुर्जर (खारची) : नीति क्या थी या अनीति क्या थी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं उसमें मेरा यह निवेदन है कि इन सहकारी समितियों के लिये 1975–76 में दांते कमेटी बनी, उसमें जिला स्तर पर जिलों की सहकारी समितियों के फायदे को देखते हुए सहकारी समितियों का विलीनीकरण किया गया। इसमें नीति यह थी कि जिन सहकारी समितियों की क्षमता दो लाख रुपये से कम है उनको स्वतन्त्र नहीं रखा जा सकता। इसी नीति के अनुरूप जिला स्तर पर कमेटी रिकमण्डेशन पर उन सहकारी समितियों का विलीनीकरण किया गया।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा करने से सहकारी समितियां जिस नियम के तहत गठित की गयी थीं उसके उप-नियमों का उल्लघंन नहीं हुआ ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जी नहीं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, शायद मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है, सहकारी समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य को जाने पहचाने। यह मेन उद्देश्य है सहकारी समितियां का। जब एक दूसरे को सदस्य पहचाने ही नहीं तो फिर सहकारी समितियों का गठन करने से क्या फायदा ? ग्राम सेवा सहकारी समिति आकला से कांटिया ग्राम सेवा सहकारी समिति और आखियावास से लूनियावास ग्राम सेवा सहकारी समिति, दोनों ही एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर है। वहां एक समिति के सदस्य दूसरी समिति के सदस्यों को जानते-पहचानते तक नहीं हैं। फिर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ ? मेरा कहने का मतलब यह है कि सहकारी समिति का मेन उद्देश्य यह है कि सदस्य एक दूसरे को आपस में पहचाने। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल को लगातार तीन साल से पूछ रहा हूं और मुझे हर बार ऐसा ही गोल-माल उत्तर दे देते हैं। अलग अलग वक्त पर अलग मन्त्रियों ने मुझे जवाब दिया। एक बार प्रभाकरजी मंत्री थे, उनका ट्रान्सफर हो गया। उसके बाद में श्री रामपाल उपाध्यायजी आये। वह तो सहकारिता के लिये कहते थे कि सहकारिता किसानों के लिए जीवन-दर्शन है, वह भी चले गये। मैंने मन्त्रियों को इसके बारे में समझाया, उनके समझ में कुछ बात आई तो वह बदल गये। मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि उनको अलग अलग करना विचाराधीन है। तो यह विचाराधीन कब से है और कब तक रहेगा ? अब आपको क्या समझाऊं क्योंकि आप तो शहर के हैं। पर माननीय परसरामजी मदेरणा को तो

(श्री महाराम चौधरी)

मालूम है कि गांवों में कितनी दूरी है। वही लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और आपने उन समितियों का विलीनीकरण कर दिया।

एक माननीय सदस्य : अब आपको इन्हें भी समझाना पड़ेगा।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मै इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पंचायत समिति, मून्डवा और पंचायत समिति, नागौर, जो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों को पंचायत समिति स्तर पर अलग किया जाना चाहिये। जब तक एक ही पंचायत समिति के तहत इनका विलीनीकरण नहीं करेंगे तब तक इनका विकास नहीं हो सकेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य, आपने जो दो-तीन मन्त्रियों का ट्रान्सफर करा दिया, मेरा तो ट्रान्सफर कराना मत।

श्री महाराम चौधरी : अगर आप विलीनीकरण सही ढंग से नहीं करेंगे तो आप का भी ट्रान्सफर हो जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अलग अलग जगहों की दूरी के बारे में कहा, उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि यह तो रिजर्व बैंक के नार्म्स के अनुसार राज्य के अन्दर जो सहकारी समितियां हैं उनका विलीनीकरण होता है। मैंने प्रश्न के तीसरे भाग के उत्तर में स्पष्ट कह दिया कि यह मामला केबिनेट के विचाराधीन है। मैं भी यह मानता हूं कि सहकारी समितियों से किसानों को उचित लाभ मिले, उनको सुविधा मिले, यह मामला मन्त्री मण्डल के विचाराधीन है। रिजर्व बैंक से भी इस सम्बन्ध में बात करनी पड़ेगी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो दांते कमेटी बैठी थी उसने तो सिर्फ सहकारी समितियों की सक्षमता का ध्यान रखा। जब अलग अलग जगह पर लोग हैं, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं हैं तो उनको उसका फायदा कैसे मिलेगा ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला आज का नहीं है। दस वर्ष पहले दांते कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सहकारी समितियों का उद्देश्य क्या था ? उस रिपोर्ट से तो सहकारी समितियों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब तक एक ही पंचायत समिति के अधीन सहकारी समितियां नहीं होंगी तब तक इनका पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। इन सहकारी समितियों के माध्यम से लोग चीनी, गेहूं, कैरोसीन, कपड़ा वगैरह लाकर अपना काम चलाते थे। जब यह विलीनीकरण हुआ तब से यह सहकारी समितियां कई जगह पर

(श्री रामसिंह विश्नोई)

निष्क्रिय हो गयी हैं। यह मामला दो-तीन साल से नहीं बल्कि 5–7 साल से केबिनेट के विचाराधीन है। जो प्रभावशाली मन्त्री थे उन्होंने तो अपने एरिया में इन केसेज को रिग्रोपन करा दिया और जो हमारे साथी थे वह पीछे रह गये। इसलिए मंत्री महोदय राजस्थान के अन्दर अलग-अलग गांव पंचायतों में जो सोसायटी वर्क कर रही हैं, एक ही पंचायत में सभी सहकारी समितियों के विलय का उद्देश्य सामने रखकर आप मन्त्रिमण्डल के अन्दर मुख्य मन्त्री का विश्वास प्राप्त करके कब तक इनके विलीनीकरण का माद्दा रखते हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर पूर्व में दे चुका हूं। किसने क्या किया और क्या नहीं किया, मुझे इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। 1976 के अन्दर दांते कमेटी ने रिपोर्ट दी कि कौनसी सोसायटी वायबल हो सकती है, कौनसी नहीं हो सकती है। मैं स्वयं भी वह कठिनाई महसूस करता हूं इसलिए मेरा निवेदन है कि जो मन्त्रिमण्डल के सामने प्रश्न विचाराधीन है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। अगला प्रश्न। श्री सी. पी. जोशी। 531।

अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नतियां

531. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1974 में सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पर पदोन्नति देने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी जिसमें सेवा नियमों के अनुसार वर्ष 1964 से 1974 तक के अधिशासी अभियन्ताओं के खाली पदों हेतु चयन कर लिया गया था? कृपया उस समय चयनित अभियन्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस चयन समिति के निर्णय को वर्ष 1979 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था? इस कारण पुनः वर्ष 1981 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई और उसमें 1964 से 1973 तक खाली पदों हेतु ही चयन किया गया? कृपया चयनित अभियन्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि हां, तो उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद वर्ष 1974 के लिए चयन क्यों नहीं किया गया?

(श्री सी. पी. जोशी)

(4) क्या यह भी सही है कि सेवा नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होनी चाहिए और राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 12-3-74 को एस. बी. सी डब्ल्यू पिटीशन नम्बर 346/1969 रामशरण शर्मा बनाम राज्य में यह स्पष्ट निर्णीत किया है कि डी. पी. सी. की बैठकें प्रतिवर्ष होनी ही चाहिए ?

(5) यदि हां, तो क्या कारण है कि 1974 से अब तक के वर्षों के रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु बैठक नहीं हो रही है और अब यह बैठक कब तक करा दी जायेगी ?

सिचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां। सूची ए सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची "बी" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। पुनरावलोकन बैठक के समय वर्ष 1973 के पश्चात् रिक्त पदों के लिए योग्य व्यक्तियों में आपसी वरिष्ठता एवं पदोन्नति वर्ष आवंटन के मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने व उनमें स्थगन आदेश प्रभाव में होने से आगे चयन नहीं किया गया।

(4) जी हां। सिद्धांततः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष होनी चाहिए।

(5) उच्च यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव में होने के फलस्वरूप सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता एवं पदोन्नति वर्ष आवंटन का निर्धारण नहीं कर पाना ही बैठक नहीं होने का एकमात्र कारण रहा है।

स्थगन आदेश के वैकेट होने या उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो सकेगी।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 1974 से लोगों को कंसीडर नहीं किया, इसका क्या कारण है ? दूसरा प्रश्न, जो हाई कोर्ट का स्टे आया है वह ए. ई एन. से एक्स. ई. एन. के प्रमोशन पर आया है या किसी और का आया है ? तीसरा प्रश्न, 1974 से लेकर 1984 तक 10 साल हो गये हैं, आप डी. पी. सी. नहीं करते हैं तो आपने इसके बारे में क्या व्यवस्था कर रखी है जिसके द्वारा लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं ? क्या डी. पी. सी. नहीं होने के बावजूद ए. ई एन., एक्स. ई. एन. आदि के प्रमोशन हो रहे हैं और इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की सम्भावना ज्यादा बढ़ रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपके प्रश्न के उत्तर में 1973 तक का ही उल्लेख किया गया है। 1974 में प्रमोशन इसलिए नहीं किया कि हाई कोर्ट का स्टे था। वह एक्स

(श्री परसराम मदेरणा)

ई एन., और ए. ई एन. के प्रमोशन पर था। जिन दो व्यक्तियों की 1981 में ईयर वाइज सीनियोरिटी डिटरमिन करने के लिए डी. पी. सी. बैठी तो उसमें लोग प्रभावित हुए। 1974 की सीनियोरिटी डिटरमिन नहीं कर पाये इसलिए डी. पी. सी. ने 1974 का प्रमोशन नहीं किया।

जहां तक प्रश्न है चीफ इंजीनियर का, स्टे आर्डर है वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के प्रमोशन पर भी है, ए. ई एन. के प्रमोशन पर भी है, चीफ इंजीनियर के प्रमोशन पर भी है। इस स्थिति में कैटेगिरी केडर से एपीयर होने के लिए आदेश राज्य सरकार ने दिये हैं। उनकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मूव कर दी है। चीफ इंजीनियर उन लोगों का प्रमोशन करता है। वर्किंग अरेंजमेंट सी. सी. ए. रूल 16 में नहीं कर पा रहे हैं।

जहां तक एक्स. ई एन. के प्रमोशन का प्रश्न है, यह कहते हैं कि नियमों के अन्तर्गत प्रमोट कर सकते हैं। सरकार कहती है कि यदि डी. पी. सी. आदेश नहीं देती है तो नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और लूंगा। मुझे यह निवेदन करना है कि 1974 से सीनियोरिटी डिटरमिने नहीं होने के कारण कंसीडर नहीं किया है इसलिए वह स्टे लेकर आ गये हैं। 1973 के आदमियों का प्रमोशन का डिस्प्यूट नहीं था। हम यह महसूस नहीं करते हैं कि 1974 से लेकर 1984 तक, 10 साल के गैप में कितने ए. ई एन., एक्स. ई एन. काम कर रहे हैं? क्या मंत्री महोदय इस व्यवस्था को उचित समझते हैं? 1974 से जिन लोगों को सफर करना पड़ रहा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिये विभाग किस तारीख तक डी. पी. सी. की मिटिंग की व्यवस्था करेगा?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, डी. पी. सी. तब तक नहीं बैठ सकती जब तक हाई कोर्ट का स्टे वैकेट नहीं हो और फाइनल डिसीजन नहीं हो। मैं स्वयं इस व्यवस्था को ठीक नहीं समझता। जब कोर्ट स्टे दे देता है तो सरकार पर रेस्पोंडेंट के नाते पाबन्दी लगाई जाती है। मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि मैं एड-हॉक व्यवस्था पसन्द नहीं करता। इसलिये मैंने स्वयं यह निर्देश दिये थे विभाग को कि आप एडवोकेट जनरल को कहें कि वह केस में एपियर हो।

जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। अगर सीनियोरिटी का मामला है तो मैं स्वयं इस बात को देखूंगा कि मिसकेरिज आफ जस्टिस नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री कैलाश मेघवाल। 532।

(14)

आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पदों पर नियुक्तियां

532. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में शल्य चिकित्सा के व्याख्याताओं के 15 रिक्त स्थान को भरने हेतु मार्च, 1983 में ली गई लिखित परीक्षा में बुलाये गये 190 अभ्यर्थियों में से 39 उत्तीर्ण हुए थे, जिनमें 4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रथम बार में 11 सामान्य आशार्थियों व एक अनुसूचित जाति के आशार्थी को नियुक्ति दी गई और इसके बाद 6 और पद सामान्य आशार्थियों से भर दिये गये ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति व जन जाति के 3 आशार्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई ? इनके लिए सुरक्षित पदों पर अन्य की नियुक्ति क्यों कर दी गई ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री खेतसिंह राठौड) : (1) राजस्थान के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में शल्य चिकित्सा के 11 रिक्त पदों हेतु राजस्थान सेवा आयोग, अजमेर को 188 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। लिखित परीक्षा हेतु आयोग द्वारा उनमें से 185 अभ्यर्थियों को बुलाया गया जिनमें 6 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के थे। अनुसूचित जन जाति के किसी सदस्य का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। लिखित परीक्षा में कुल 45 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए जिनमें 40 सामान्य एवं 5 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी थे। अन्तिम चयन के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् 10 सामान्य अभ्यर्थी व एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उपयुक्त पाया गया जिनके नाम आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को प्राप्त हुए।

(2) प्रथम बार में 10 सामान्य अभ्यर्थियों व 1 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई है। तत्पश्चात् आयोग से प्राप्त आरक्षित सूची में से 6 अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। इस सूची में अनुसूचित जाति एवं जन जाति का कोई अभ्यर्थी न होने के कारण उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत गम्भीर इसलिए बन जाता है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए जो आरक्षण है, क्या इस आरक्षण को सरकार ठीक ढंग से पूरा करने में विश्वास रखती है ? यह इसलिए पूछ रहा हूं कि एम. एस सी. फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास या एम. बी. बी. एस. पास किया एक अनुसूचित. जाति के विद्यार्थी ने। इन्होंने शल्य चिकित्सा के लेक्चरर के लिए लिखित परीक्षा ली। एक्जामिनेशन में 6 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के बैठे जिनमें चार ने पास कर लिया। उनके पास करने

(श्री कैलाश मेघवाल)

के बाद जो स्थान रिक्त थे उन पर उनमें से केवल एक को नियुक्ति दी और तीन को नहीं दी।

दूसरा, इस तरह से आरक्षित पदों को, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्रीजी ध्यान से सुनें और जवाब दें....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, सुन रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : कार्मिक विभाग ने इस तरह के आदेश दे रखे हैं कि इस तरह के जो आरक्षित पद हैं उनको अनारक्षित करने से पूर्व कार्मिक विभाग की स्वीकृति ली जायेगी। क्या यह जो चार पद आरक्षित थे इसमें उनमें से एक भरा गया और तीन खाली रहे ? क्या इनको अनारक्षित करने की स्वीकृति ली गई ?

तीसरा, 11 के लिए आवंटन आमन्त्रित किये उसमें चार सीटें आरक्षित थीं। 17 के लिए आमन्त्रित किये जाते तो कितनी सीटें रिजर्व रहतीं और उन पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी आ सकते थे या नहीं, यह बता दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अनुसूचित जाति से जरूर हैं लेकिन सिम्पेथी हमको भी अनुसूचित जाति से ज्यादा है....

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो आपके एक्शन से दिख रहा है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो चयन किया है उसको हम चैलेन्ज नहीं कर सकते। हम उनका एक्सप्लेनेशन भी नहीं पूछ सकते। रोस्टर सिस्टम के अनुसार जो इनके पद खाली हैं उनको भरा नहीं गया है। हम चाहते हैं कि अच्छे अभ्यर्थी मिल जायें तो निश्चित तौर पर इन पदों को अनुसूचित जाति के लोगों से ही भरें। इसके अन्दर कोई शक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट ऊपर दे दिया, माननीय सदस्य, चयनित नहीं हुए।

श्री कैलाश मेघवाल : उत्तर स्पष्ट नहीं दिया। मैंने सवाल पूछा है वह साफ पूछा है कि इस तरह के आरक्षित पदों को जब डि-रिजर्व घोषित किया जाता है तो डी. ओ. पी. से स्वीकृति ली जाती है। 6 सीटें और भर दीं। 11 की रिक्ती थी और 11 को भर लिया। उसके बाद 6 और खाली हुईं उनको भी भर लिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और

(श्री कैलाश मेघवाल)

शिड्यूल्ड टाइब्स् के लिए अब खाली पद हैं कहां? डी. ओ. पी. से डी-रिजर्व करने के लिए स्वीकृति नहीं ली, इसका क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शायद पूर्ण जानकारी नहीं है। डी. ओ. पी. से स्वीकृति लेने के पश्चात ही इनको नियुक्ति दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा खनिज नगर योजना की क्रियान्विति

533. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट के प्रावधानों की पालना किये बिना ही खनिज नगर योजना (बालूपुरा) की क्रियान्विति चालू कर दी है? यदि नहीं, तो इस एक्ट की धारा 26 से धारा 36 तक की औपचारिकताओं को कब पूरा किया गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना हेतु नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन् के प्रावधानों से प्रभावित भूमियों को क्रय करने का एग्रीमेन्ट कर क्रय मूल्य पेटे राशि चुकाई गई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली जमीन को इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स तथा सर्वे आफ इण्डिया को आवंटित किया गया है? यदि हां, तो दोनों को कितनी कितनी जमीन आवंटित की गई है और उनसे कितनी कितनी राशि न्यास ने प्राप्त कर ली है तथा कितनी कब तक प्राप्त करना शेष है?

राज्य मन्त्री, नगर आयोजना (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा न्यास अधिनियम की धारा 26 के तहत न्यास बैठक में निर्णय दिनांक 1–6–81 को प्रस्ताव सं. 4 (2) के तहत लिया गया था। अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में दिनांक 1–4–82 में प्रकाशित हुई तथा आपत्तियां धारा 33 के तहत दिनांक 20–4–82 को नोटिस जारी कर आमन्त्रित की गयीं। अधिनियम की धारा 38 व 39 के तहत स्वीकृति प्राप्त किया जाना शेष है।

(2) इस योजना में 23 बीघा 19 बिस्वा भूमि भिन्न भिन्न खातेदारों से न्यास हक में जरिये इकरारनामा क्रय कर कब्जा न्यास हक में प्राप्त किया गया। प्रत्येक भूमिधारी को चुकायी गयी राशि का ब्यौरा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) यह सही है कि इस योजना में क्रय शुदा भूमि में से 20 बीघा भूमि भारतीय खान ब्यूरो विभाग को न्यास निर्णय अनुसार आवंटित कर कब्जा संभलाया जा चुका है। सर्वे आफ इण्डिया विभाग को न्यास द्वारा अब तक कोई भूमि आवंटित नहीं की गई। खान ब्यूरो विभाग से 20 बीघा भूमि का मूल्य 60 रु. प्रति वर्ग गज की दर से 23, 23, 200 रुपये प्राप्त हो चुका है। अब कोई राशि प्राप्त होना शेष नहीं है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आरोप तो मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि लिखित में भी सूचना नहीं दी। नगर सुधार न्यास ने जिस जमीन के 511 लाख रुपये तय किये हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, स्वायत शासन राज्य मंत्री जी बड़ी होशियारी यहां बताते हैं, मैंने दूसरे सवाल में साफ पूछा है कि "क्या यह सही है कि इस योजना हेतु नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन के प्रावधानों से प्रभावित भूमियों को क्रय करने का एग्रीमेंट कर क्रय मूल्य पेटे राशि लगाई गई है ?" माननीय अध्यक्ष महोदय, और वहां अगर यह भूमि सक्षम अधिकारी एक्वायर कर लेता तो अजमेर की रेट के हिसाब से 25 हजार रुपया देना पड़ता। 25 हजार रुपये के बजाय उस विवादग्रस्त जमीन, जो सीलिंग में आई हुई है, जिस पर सीलिंग की कार्यवाही चल रही है, का नगर सुधार न्यास ने 511 लाख रुपया चुकाया है जिसके अध्यक्ष आपके नगर प्रदेश कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री माणकचन्द जी सोगानी हैं। नम्बर एक, आप यह बताइये कि अगर एक्वायर करके यह जमीन सरकार लेती क्योंकि सीलिंग की कार्यवाही चल रही है तो इसका केवल 25 हजार रुपया देना पड़ता या नहीं ?

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 37 के तहत सरकार के सामने योजना आती है तो सरकार को स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने, लौटाने का अधिकार है। यह योजना अभी तैयार नहीं हुई इसलिए मैं माननीय राज्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के द्वारा नोटिफाई करने के पहले इस योजना के लिये जो जमीन है उसका सौदा करने में न्यास ने नियम भंग नहीं किया है ?

तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि जब न्यास के पास टाइटल नहीं है, न्यास से नहीं खरीदी और 90 प्रतिशत एग्रीमेन्ट किया खरीदने का, न्यास के पास जिसका टाइटल नहीं, क्या ऐसी भूमि को न्यास दूसरों को बेच सकता है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन सीलिंग के तहत थी, यह सही है। उसकी काम्पीटेन्ट अथारिटी के यहां कार्यवाही चल रही है लेकिन अभी जो मेन मुद्दा, है अध्यक्ष महोदय, यह है कि यह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जमीन यू०आई०टी० ने लेकर भारत सरकार के वहाँ पर माइन्स ब्यूरो वाले हैं उनको दी। उनको जमीन की आवश्यकता थी, वह आवासीय मकान बनाना चाहते थे और अपनी लेवोरेटरी की स्थापना करना चाहते थे। गवर्नमेन्ट से गवर्नमेन्ट के बीच में एक तरह का ट्रान्जेक्शन हुआ। यह बात सही है जब यह प्रश्न मेरे सामने आया, अलनसवा के तहत जमीन के अन्दर प्रार्सीडिंग्स चल रही थीं तो बिना एग्जेम्प्ट कराये यू.आई.टी. को जमीन नहीं लेनी चाहिए। अब यह जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों के अन्दर, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं कि इस जमीन को यू.आई.टी. ने लिया और लेकर के ब्यूरो आफ माइन्स को संभला दी जो कि भारत सरकार का ही एक महकमा है।

अब जहाँ दफा 38 और 39 यू.आई.टी. एक्ट की प्रोसीडिंग्स का सवाल है। इस योजना की स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं ली गयी थी क्योंकि पूर्व के अन्दर कई नगर सुधार न्यास इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते, एक्स पोस्ट फैक्टो एप्रूवल नहीं लेते, इसके बीसियों उदाहरण मिल जायेंगे। अब आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या यह जमीन अगर अल्लसवा के तहत एक्वायर कर ली जाती तो इतना रुपया मुआवजे के रूप में, खरीदने के रूप में खातेदारों को नहीं देना पड़ता और मुआवजे की राशि काफी कम होती। यह बात सही है, अगर ऐसा होता। लेकिन आज दिन तक स्थिति यह रही है, अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं डिफेण्ड नहीं कर रहा हूं अल्लसवा के तहत जमीन को एक्वायर करने में बहुत लम्बे लिटिगेशन चलते हैं और जमीन एक्वीजीशन के अन्दर आती नहीं है। जमीन आसानी से देते नहीं हैं। यह एक सहकारी महकमे को दी है। भूमिधारियों को 5 लाख रुपया दिया और 23 लाख रुपया भारत सरकार से जमीन के पेटे प्राप्त किया है। अब सवाल जांच का यह रह जाता है अगर अल्लसवा के अन्दर जमीन एक्वायर होती, तो ऐसी क्या परिस्थितियां थीं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी थी कि इतनी जल्दी करते हुए और नियमों की पालना नहीं करते हुए इन्होंने जमीन उनको संभला दी। मैं स्वयं जांच कर रहा हूं। मेरे सामने प्रश्न आया था तो मैंने प्रश्न को देखा। न सरकार से स्वीकृति ली गयी। यू.आई.टी. ने अपने स्तर पर कार्यवाही की है। मैंने जांच के आदेश दिये हैं। पूर्व में भी माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न पूछा था और मैंने उस पर जांच के आदेश दिये हैं। अब तथ्यों के सामने आने के बाद ही कार्यवाही करना सम्भव होगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी।

जैसलमेर बाड़मेर जिलों में नेशनल डेजर्ट पार्क

534. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

क्या यह सही है कि जैसलमेर-बाड़मेर जिलों में स्थापित नेशनल डेजर्ट पार्क की परिधि में आये काश्तकारों की खातेदारी खेतों में वन्य जीवों चिकारा, हिरणों द्वारा फसल को भारी क्षति पहुँचाई गई है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार काश्तकारों को फसल का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): जैसलमेर-बाड़मेर जिलों में स्थापित डेजर्ट नेशनल पार्क की परिधि में आये काश्तकारों के खातेदारी खेतों में वन्य जीवों चिंकारों, हिरणों द्वारा फसल को भारी नुकसान पहुँचाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मना कर दिया गया है और काश्तकारों को यह कहा गया है कि आप नेशनल डेजर्ट पार्क एरिया में आते हैं इसलिये आपकी फसल को वन्य जीव खायेंगे? क्या राज्य सरकार उनकी फसलों को नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो गांव पार्क की परिधि में आते हैं उनमें अभी तक, जैसा आप फरमा रहे हैं, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : अब ही तो फसलें हुई हैं, तीन चार साल तक तो अकाल रहा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : दूसरी बात आपने पूछी कि क्या सरकार कुछ मुआवजा देने का विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अभी नियम तो नहीं है लेकिन जो वन्य जीव सलाहकार समिति है उसमें अवश्य यह विचार दो बार हुआ है कि जहां इस प्रकार से वन्य जीवों द्वारा नुकसान किया जाये वहां पर कार्यवाही की जानी चाहिये। इस संबंध में सरकार के सामने कुछ सुझाव आये हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां और भी जानवर हैं। अध्यक्ष महोदय, वन्य जीवों का खेतों में आना और नुकसान पहुँचाना जो है, वह इसलिये आने लगे हैं कि एक तो उनका जो रहने का वातावरण था वह डिस्टर्ब हुआ है। दूसरा पहले प्रकृति से अपने आप सन्तुलित होते थे। पहले भेड़िये, सियार वगैरह हिरणों के बच्चों को खा जाते थे और उनसे जो कुछ बीमारियां बढ़ती थीं उससे वह और आबादी अपने आप कन्ट्रोल हो जाती थी लेकिन इन दिनों में जो संरक्षण का काम किया गया है उससे कुछ आबादी भी बढ़ी है....

श्री अध्यक्ष : कुछ भेड़िये भी बहुत कम हो गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इस कारण से, अध्यक्ष महोदय, कोशिश यह कर रहे हैं कि उनके लिये उसी तरह का वातावरण तैयार करके उनकी जो खाने की वस्तुएँ है, उनका जो इलाका है, प्रोजेक्ट बना कर के इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनको इलाके से बाहर आकर नुकसान करने की नौबत न आये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अपने इलाके से बाहर आने का प्रश्न ही नहीं था, नेशनल डेजर्ट पार्क 3 हजार वर्ग किलोमीटर की परिधि में है। खातेदारी की उनके पास जमीने हैं। बाहर आने का प्रश्न तो तब होता है जब लिमिटेड एरिया में पार्क हो। यहां तो खातेदारों के खेत उस परिधि के अन्दर हैं। आप स्वयं परिचित है, अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में छोटी छोटी जगहों पर खेत हैं, जब फसल होती है तब इन वन्य जीवों का कन्सेन्ट्रेशन हो जाता है और वह सारी फसलें नष्ट कर जाते हैं। यही नहीं, सारे राजस्थान में नील गायें....

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : नील गाय, अन्य पशु फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यह नेशनल डेजर्ट पार्क आपका क्रियेशन है और जब आपका क्रियेशन है तो आपकी रेस्पांसिबिलिटी है कि उस परिधि में जो काश्तकार आते है, उनकी फसलों को अगर नुकसान पहुँचता है तो उसका मुआवजा सरकार अदा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह जी।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, नील गाय, हिरण के शिकार की सख्त मुमानियत है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, जो विश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, में विश्नोई शिकार नहीं करते। वहां पर हजारों की संख्या में हिरण विचरण करते है। वहां पर वे लोग न शिकार करते हैं, न करने देते हैं। वे तो सहन कर लेते हैं लेकिन जो और गरीब आदमी हैं जिनकी जमीन में वन्य जीव क्षति पहुँचाते हैं, क्या राज्य सरकार या वन विभाग उनके बारे में कोई विचार करेगा? क्या आप इस तरह के नुकसान की पूर्ति के लिये कार्यवाही कर रहे है? तीन चार साल में जाकर फसल होती है। एक-एक गांव में पांच पांच हजार हिरण होते हैं जिस खेत में जाते है भयंकर नुकसान करते हैं। हम तो धर्म बन्धन में हैं, हम तो सहन कर लेते हैं लेकिन हमारे जो दूसरे साथी हैं जिनका नुकसान होता है, क्या सरकार उनके नुकसान की पूर्ति का विचार रखती है? लाखों की संख्या में आज जो हिरण दिखाई देते हैं वह फिर ढूंढने से नहीं मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नील गाय, हिरण के रख-रखाव के लिये क्या आप कोई उचित कदम उठा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री अमराराम बाड़मेर जिले में हजारों वन्य जीव हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं। गेहूं की फसल नील गायों के कारण बिल्कुल नष्ट हो गई। इसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

श्री रामधन (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो हिरण और दूसरे जानवर हैं, जैसा श्री रामसिंहजी ने बताया, जहां विश्नोइयों का बाहुल्य है वहां वे शिकार नहीं करने देते लेकिन नील गाय से राजस्थान में सब जगह बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वन विभाग वाले पौध संरक्षण के लिये तारबन्दी करते हैं उसके साथ इनकी व्यवस्था कर दी जाये, इनके लिये चरागाह बढ़ा दिया जाये तो इनकी व्यवस्था हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में व्यवस्था की जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : इनको पालतू बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, हिरण खेतों को बरबाद करते हैं। यह ऐसी सरकार है जो जानवरों को पालना चाहती है, किसानों को तबाह करना चाहती है। हम इस बात को हर्गिज बरदाश्त नहीं करेंगे, जो भी हिरण या नील गाय हमारे खेत में आयेगी हम उसको मार देंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने नील गाय के सम्बन्ध में एक नयी बात उठाई है। हालांकि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायतें खास तौर से नील गाय के सम्बन्ध में काफी प्राप्त हुई हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार भी चिन्तित है। अभी मुझे कृषि मंत्रीजी की एक चिट्ठी भी मिली है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कर रही है, हमें बताया जाये। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही जटिल प्रश्न है। कई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में हमारे सामने विचाराधीन हैं। माननीय रामसिंहजी, लूणी के विधायक ने यहां एक प्रस्ताव दिया था बैलों की तरह इनसे काम लेने का, इनको पालतू बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा सुझाव है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोशिश की गई है लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली।

इसी सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल किया जा रहा है कि उनको बेहोश कर इन्जेक्शन लगाकर कहीं एक....

(12.00 म.प.)

श्री अध्यक्ष : ताकि बढ़ें नहीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कोशिश की जायगी इस तरह की बात की। इनको

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

पकड़ने के लिये कुछ लोग तैयार हैं। उनको पैसा देंगे ताकि जो गेम्स संक्चुरी हैं वहां उनको ले जायं।

इसके अलावा एक बात और है....

श्री अध्यक्ष : शान्ति से सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इनके शिकार के लिये हम उदारतापूर्वक लाइसेन्स देने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामधन : इनके शिकार की इजाजत नहीं हो सकती है। यह धार्मिक मामला है।

(व्यवधान)

काश्तकारों को मुआवजा देने का प्रश्न है। व्यवस्थित तरीके से, तारबन्दी करके बाड़ा बना दिया जाय और उसमें उनको रख दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, नील गायों को पकड़ने के लिये इन्होंने कहा भी था और अभी, मंत्री महोदय, सांगानेर तहसील में नील गाय को पकड़ भी लिया गया लेकिन उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं की गई। किसान बहुत परेशान हैं। पकड़ लिया तो उनके रखने की कोई व्यवस्था भी करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपकी बात समझ में आ गई।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्टेड प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अभी ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्टेड प्रश्न है। इस पर कब तक विचार होगा? यह निश्चित रूप से सदन को जानकारी दें कि उन काश्तकारों, जिनकी फसलें वन्य जीवों द्वारा नष्ट की जाती हैं, को डी. एन. पी. में खास तौर से मुआवजा दिया जायगा या नहीं? यह पाइन्टेड प्रश्न है।

श्री यदुनाथ सिंह : पण्डित जी, आप भी तो नील गाय हैं, किसान का खेत खा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इनको मुआवजा दिया जायगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, प्रश्नकर्ता यह पूछ रहे हैं कि वन्य जीवों से डेजर्ट नेशनल पार्क में जिन काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुँचा है उनको सरकार कोई मुआवजा देने का विचार रखती है?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री सुरजा राम।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 मार्च, 1984)

कृषि विभाग (सी. ए. डी.) में कृषि पर्यवेक्षक पदों पर पदोन्नतियां

200. **श्री सुरजा राम (नोखा)** : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर खण्ड में कृषि विभाग (सी. ए. डी.) में कितने पर्यवेक्षक हैं ? कृषि पर्यवेक्षक का सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण कोटा निश्चित किया हुआ है ?

(2) बीकानेर खण्ड में सीधी भर्ती म कितने कितने कृषि पर्यवेक्षकों/सहायक कृषि अधिकारियों को रखा गया ? कृपया पिछले पांच सालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु रोस्टर प्रणाली लागू है ? यदि हां, तो कब से ? क्या रोस्टर प्रणाली के अनुसार कर्मचारी पदोन्नत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1982 से जनवरी, 1984 तक साक्षात्कार द्वारा कृषि सुपरवाइजर के कितने कितने पदों की भर्ती की गई ? कुल कितने कितने आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त हुए थे एवं कितने नामों का पैनल जिला नियोजन कार्यालय एवं समाज कल्याण कार्यालय द्वारा प्राप्त हुआ ? कुल पदों की भर्ती में से अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने आशार्थी थे ? कृपया मय विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) :

(1) बीकानेर खण्ड (सी. ए. डी.) के अधीन विभिन्न इकाइयों के अन्तर्गत कृषि पर्यवेक्षकों के 350 पद हैं। कृषि पर्यवेक्षकों से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु साढ़े बारह प्रतिशत कोटा निर्धारित है।

(2) पिछले पांच वर्षों में कृषि पर्यवेक्षकों तथा सहायक कृषि अधिकारियों के पदों पर सीधी की गयी भर्ती का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। वर्ष 1975 से रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही पदोन्नति की जा रही है।

(4) वर्ष 1982 से जनवरी, 1984 तक साक्षात्कार द्वारा कृषि पर्यवेक्षकों के पदों पर 37 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है। उक्त नियुक्ति हेतु 7 आवेदन पत्र सीधे एवं जिला नियोजन कार्यालय से 168 अभ्यर्थियों के नामों की सूची प्राप्त हुई। समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई अलग से पैनल नहीं भेजा गया। कुल नियुक्त किये गये 37 व्यक्तियों में से अनुसूचित जाति के

(श्री देवेन्द्रसिंह)

6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गयी। अनुसूचित जन जाति का कोई भी अभ्यर्थी जिला नियोजन कार्यालय द्वारा या सीधे आवेदन पत्र द्वारा नहीं था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री सुरजा राम : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, एक तो सूची सदन की मेज पर जो रखी गई है वह दिलवावें। नम्बर दो, कृषि पर्यवेक्षकों के जो पद भरे गये हैं 350, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी कितने लिये गये हैं, यह माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं बताया। जो आरक्षण का निर्धारित कोटा है वह 28 प्रतिशत है और वह निर्धारित कोटा भी पूरा नहीं किया गया है। जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें बड़ा ही भेदभाव बरता गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची जो सदन की मेज पर रखी है, हमें दिलवावें।

श्री देवेन्द्र सिंह : अनुसूचित जाति एवं जन जाति का कोटा साढ़े बारह प्रतिशत है इसलिये साढ़े बारह प्रतिशत के हिसाब से 37 पद भरे गये हैं।

श्री सुरजा राम : 16 और 12.28 प्रतिशत होता है।

श्री देवेन्द्र सिंह : उनमें से 6 अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये गये हैं। इसलिये यह कहना कि उनकी पूर्ति नहीं की गई है, बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको इजाजत है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिन नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं आपको, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं व उनकी जांच किसके द्वारा की गई है और उसके नतीजे क्या रहे हैं?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो इस प्रश्न को दूसरी तरह से जोड़ रहे हैं। यह तो सी. ए. डी. का है। सी. ए. डी. से मुझे ट्रान्सफर हुआ है। जितनी भी नियुक्तियां हुईं, सी. ए. डी. डिपार्टमेंट ने बीकानेर खण्ड में की थीं। हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। अगर आई होगी तो सी. ए. डी. डिपार्टमेंट में आई होगी। कृषि विभाग के पास कोई शिकायत नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : नियुक्तियों में जो गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसकी जांच का क्या परिणाम रहा है?

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई शिकायत नहीं है, आई होगी तो सी. ए. डी. डिपार्टमेंट में आई होगी क्योंकि इनकी भर्ती सी. ए. डी. डिपार्टमेंट ने की है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा।

श्री सुरजा राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा, उसका सही उत्तर नहीं आया है। प्रश्न संख्या 200 का जो चौथा भाग है उसमें मैंने यह पूछा है कि उन पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने अभ्यर्थियों को लिया गया? जिला नियोजन कार्यालय से कितने आदमियों के नाम आये थे और समाज कल्याण विभाग से कितने नाम आये थे? यह माननीय मंत्रीजी ने नहीं बताया है।

श्री देवेन्द्र सिंह : 7 प्रार्थना पत्र सीधे आये, जिला नियोजन कार्यालय से 168 अभ्यर्थियों के नाम हमारे पास आये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हंस राज शर्मा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 मार्च, 1984)

वन विभाग, सवाई माधोपुर के क्षेत्रान्तर्गत खनिज खदानें

117. **श्री हंस राज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग के क्षेत्रान्तर्गत कितनी खनिज की खदानें हैं?

(2) उक्त खदानों में से ऐसी कितनी खदानें हैं जिनका स्वामित्व तो वन विभाग के अधीन है किन्तु जिनकी लीज या अलाटमेंट की कार्यवाही खनिज विभाग द्वारा की जाती है? यदि हां तो गत 3 सालों में इस प्रकार की कितनी खदानों का अलाटमेंट किया गया है?

(3) क्या उक्त खदानों का अलाटमेंट करने से पूर्व खनिज विभाग ने वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग के क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 299 खनिज की खदानें हैं।

(2) कुल 299 खदानें जो वन क्षेत्र में है, उनमें से गत तीन सालों में खनिज विभाग द्वारा 152 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं।

(3) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करना नहीं पाया जाता है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा, ये खनन पट्टे जो वन विभाग में देते हैं उस क्षेत्र के निदेशक, सवाई माधोपुर में आरक्षित क्षेत्र टाइगर प्रोजेक्ट, जो वन विभाग के अन्तर्गत आरक्षित प्रोजेक्ट है, में आपके अधिकारियों द्वारा एन. ओ. सी. देने के बाद ही खनिज विभाग पट्टा देता है? एक

26

(श्री हंसराज शर्मा)

बात । क्या यह सही है कि वन विभाग का जो सुरक्षित क्षेत्र है, उसे सुरक्षित क्षेत्र में जब तक एन. ओ. सी. नहीं देते है तब तक खनिज विभाग उसमें काम नहीं करने देता है जो पूर्व में काम करते आ रहे हैं उनको भी ? क्या आपके पास कोई शिकायत है ? यदि है, तो आपने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गोविन्द सिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, रिश्वत लेने की कोई शिकायत तो मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी आयी है ।

श्री गोविन्द सिह गुर्जर : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा था और मैंने इसको स्केच करवाया था क्योंकि मैं खुद इत्मीनान करना चाहता था । इसमें एक केस ऐसा हुआ है जिसमें हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट के, उन्होंने, हालांकि उनको अधिकार नहीं था, खनिज विभाग को एन. ओ. सी. दिया है । एन. ओ. सी. देने की जब सूचना मेरे पास आयी तो मैंने हमारे जो डायरेक्टर हैं विजीलेन्स के, उनको जांच सुपुर्द की । जांच होने के बाद जैसी भी सूचना आयेगी उसके ऊपर कार्यवाही होगी । आपने जो इत्तला दी है वह वास्तव में सही है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें ।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जमुवारामगढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

527. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जमुवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय संचालित हैं और कब से ?

(2) क्या सरकार निम्नलिखित स्थानों पर निकट भविष्य में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

1) बोबाड़ी
2) खवारानी
3) आंधी
4) चावडिया
5) जयचन्दपुरा
6) चन्दवाजी
7) माथासूला
8) धूला

उत्तर

(1) जमुवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में पशु चिकित्सालय न होकर पशु औषधालय मेड़ में वर्ष 1980 से संचालित है ।

(राज्य मंत्री, पशु पालन)

(2) निकट भविष्य वर्ष 84-85 में नये पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

परियोजना मण्डल द्वारा वितरित हाथ कर्घे

654. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल, जयपुर द्वारा कुल कितने हाथ करघे वितरित किये गये हैं और उनके द्वारा मण्डल व उसके 36 प्रोडक्शन व सेल्स डिपो को कितना कपड़ा बुना हुआ वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में दिनांक 29-2-84 तक प्राप्त हुआ ? कृपया मण्डल के शोरूम व सेल्स डिपो. का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 व 1983-84 में दिनांक 29-2-84 तक कुल कितना कपड़ा बेचा गया ? कृपया मण्डल के शोरूम व सेल्स डिपो का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस अवधि में कई सेल्स डिपो को कई अवसरों पर कपड़ा बेचने से मना कर रखा था और वह कपड़ा मण्डल द्वारा मंगा लिया जाता था ?

(4) क्या यह भी सही है कि मण्डल व उसके डिपो द्वारा उत्पादित कपड़े से मण्डल व उसके डिपो द्वारा इस अवधि में बेचा गया कपड़ा अधिक है ? यदि हां, तो यह अधिक कपड़ा कहां से किस आधार पर बेचने हेतु लिया गया और क्या यह हैण्डलूम का कपड़ा ही था ?

उत्तर

(1) राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मण्डल द्वारा अब तक कुल 7486 कर्घे वितरित किये गये हैं। मण्डल के प्रोडक्शन एवं सेल्स डिपो को वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में दिनांक 29-2-84 तक प्राप्त हुए कपड़े की सूचना संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी हां। अस्पतालों को दी जाने वाली बेडशीट बनाने के उपयोग में आने वाले कपड़े को उत्पादन डिपो पर बेचने के लिये मना किया गया था क्योंकि राजकीय अस्पतालों को बेडशीट सप्लाई करनी थी।

(4) जी हां। मण्डल ने हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों तथा इकाइयों को सहायता प्रदान करने तथा उनको विपणन संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था तथा इसी आधार पर हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक इकाइयों से कपड़ा क्रय किया गया। यह कपड़ा हैण्डलूम का ही था।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योगों को स्वीकृत ऋण

655. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वित्त निगम के जिला उद्योग केन्द्र की जयपुर शाखा में वर्ष 1983-84 में किन-किन उद्योगों को कितना-कितना ऋण स्वीकृत किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) राजस्थान वित्त निगम के जिला उद्योग केन्द्र की जयपुर शाखा द्वारा वर्ष 1983-84 में किन-किन उद्योगों को लेथ-मशीनों, हैंड प्रेस, इलेक्ट्रिकल मशीनें, वर्कशाप, आरा मशीन एव चक्कियों पर ऋण स्वीकृत करके भुगतान किये गये ?

(3) निगम की पाली शाखा में 25 हजार तक की राशि के ऋण किन-किन उद्योगों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत करके भुगतान किये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) निगम की पाली शाखा में वर्ष 1982 से फरवरी, 1984 तक 25 हजार तक ऋणों में किन-किन उद्योगों में किस-किस सप्लायर्स से कौन-कौनसी मशीनें खरीदी ? कृपया उद्योगों के नाम व सप्लायर्स की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) निगम की जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर शाखा द्वारा वर्ष 1983-84 (फरवरी, 84 तक) में निम्न उद्योगों को निम्न प्रकार ऋण स्वीकृत कर भुगतान किये गये। सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	उद्योग का प्रकार	स्वीकृत ऋण इकाई	स्वीकृत ऋण राशि	वितरण ऋण राशि
1.	लेथ मशीन	45	9.98	7.79
2.	हैंड प्रेस	—	—	—
3.	इलेक्ट्रिकल मशीनें	2	0 45	0.24
4.	वर्कशाप	28	5.49	3.95
5.	आरा मशीन	26	5.68	3.97
6.	चक्कियां	58	6.81	4.52

(3) सूची "स" सदन के पटल पर रख दी गई।

(4) सूची "द" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

लघु उद्योगों को अनुदान

656. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य सरकार की नीति के अनुसार लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत अनुदान राशि दिये जाने हेतु 1978 से आज तक कितने आवेदन-पत्र जिला उद्योग केन्द्र पाली को प्राप्त हुये व इनमें से कितनों को अनुदान राशि दी गई और कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन पड़े हुये हैं ? कृपया कारण सहित समस्त सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला उद्योग केन्द्र पाली में 15% अनुदान राशि दिये जाने हेतु 1978 से आज तक कुल 90 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। इनमें से 34 लघु उद्योगों को अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है, 9 लघु उद्योग इकाइयां ऐसी हैं जिन्हें अनुदान स्वीकृति दी जा चुकी है किन्तु नियमानुसार वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के अभाव मे भुगतान नहीं किया गया है जो पूर्ति होने पर किया जा सकेगा।

6 लघु उद्योग इकाइयों के आवेदन पत्र अनुदान योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत किये गये।

शेष 41 लघु उद्योग इकाईयों के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। कारण सहित समस्त विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

सवाई माधोपुर का चांदी गलाने का कारखाना

657. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में चांदी गलाने का कारखाना किस फर्म ने लगा रखा है तथा क्या उक्त कारखाने की स्वीकृति उद्योग विभाग या नगरपालिका द्वारा दी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह कारखाना आबादी क्षेत्र में चलने से चांदी के प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और लोगों के बीमार होने की आम शिकायत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारखाने को हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में "मैसर्स चौधरी रिफाइनरी" चांदी गलाने का कारखाना लगा हुआ है। नगर पालिका द्वारा स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग द्वारा नहीं।

(उद्योग मन्त्री)

(2) उक्त कारखाना आबादी क्षेत्र में है। इस कारखाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। किसी के बीमार होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सरकार इस कारखाने को हटाने के लिये विचार रखती है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

स्पेशल ऑडिटर कार्यालय जालौर

658. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर में स्पेशल ऑडिटर का कार्यालय खोलने के आदेश दो बार हुये परन्तु निरस्त कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या जालौर में स्पेशल ऑडिटर का कार्यालय खोलने का राज्य सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। जालौर में विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय खोलने के आदेश दिनांक 15.12.80 को एक बार हुए थे, किन्तु जालौर के मुकाबले टौंक में सहकारी समितियों की संख्या अधिक होने के कारण जालौर के आदेश निरस्त कर टौंक में विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय स्थापित किया गया।

(2) सप्तम पंचवर्षीय योजना में जब नये पद सृजित होंगे तो यहां पर भी कार्यालय खोलने पर विचार किया जावेगा।

केन्द्रीय कारागार बीकानेर में बंदियों के खाने-पीने की व्यवस्था

659. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कारागार, बीकानेर में बंदियों को खाने-पीने के बर्तन आदि की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तथा बंदियों को विभाग द्वारा वितरित एक ही मग में चाय, पानी, सब्जी, नहाने धोने व शौच आदि का कार्य लिया जाता है? क्या सरकार बंदियों के प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग बर्तन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कारागार, बीकानेर में बंदियों के मनोरंजन के लिये रेडियो की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कारागार में किस स्थान पर रेडियो लगा हुआ है?

(3) क्या राज्य सरकार ने बंदियों को खाने-पीने के बर्तन, मनोरंजन के साधन, समाचार पत्र, पुस्तकालय, साबुन, तेल इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध की हुई है? यदि हां, तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें उपलब्ध है?

उत्तर

(1) जी नहीं बन्दियों को राजस्थान प्रीजन्स रूल्स, 1951 के पार्ट 9 सैक्शन 5 के नियम 101 व 128 के अनुसार खाने-पीने के बर्तन सुलभ कराये जाते हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार केन्द्रीय कारागृह बीकानेर पर बन्दियों को खाने-पीने के लिये तामचीनी की प्लेटें, तामचीनी के प्याले तथा तामचीनी के मग अलग अलग सुलभ कराये हुए हैं। तथा नहाने, धोने व शौच कार्य के लिये बन्दियों को अलग से सामूहिक रूप से काम में लेने हेतु तामचीनी के मग सुलभ कराये हुए हैं।

(2) जी हां। केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर पर बन्दियों के मनोरंजन के लिए दो रेडियो सुलभ कराये हुए हैं, जिनमें से एक पुस्तकालय में तथा दूसरा कारापाल (प्रशासक) के के कार्यालय में लगाया हुआ है।

(3) जी हां। केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के पुस्तकालय में वर्तमान में 1213 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

प्रदेश की जेलों से फरार बंदी

660. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982 से जनवरी, 1984 तक राजस्थान की विभिन्न जेलों से कितने बन्दी फरार हुए हैं? कृपया जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मामलों में दोषी कर्मचारी को सजा दी गई? यदि हां, तो किन-किन को क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1984 तक राज्य के विभिन्न कारागृहों एवं उप कारागृहों तथा एक बन्दी खुले शिविर से 14 बन्दी फरार हुए हैं। जेल वार संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, एक कारापाल और एक सहायक कारापाल को परिनिन्दा की सजा दी गई। 2 कारापाल, 1 सहायक कारापाल, 4 मुख्य प्रहरियों एवं 8 प्रहरियों को वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

थाना फागी में दर्ज चोरियां

661. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले के थाना फागी में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पिछले 3 साल में कितनी चोरियां हुईं? कितनी चोरियों में कितनी बरामदगी हुई?

(श्री रामकंवार बैरवा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाने में वाहन की व्यवस्था नहीं होने और अन्य आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण चोरियों का समय पर पता नहीं लग पाता ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न है।

(2) जी नहीं। थाने पर आधुनिक साधन जैसे वायरलैस, टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण थानों में वाहनों की सुविधा योजना अनुसार वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार की जा रही है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

ब्यावर रेडक्रास सोसायटी पाठशाला में कार्यरत श्रीमती घीसीबाई की हत्या

662. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर की रेडक्रास सोसायटी पाठशाला में कार्यरत श्रीमती घीसीबाई की हत्या शाला में की गई ? यदि हां, तो इस केस की जांच अब तक किस-किस पुलिस अधिकारी ने की है ? कृपया जांच रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या पुलिस हत्यारों का पता लगाने में अब तक असमर्थ रही है ?

(3) क्या ऐसी शिकायत है कि रेडक्रास सोसायटी के पदाधिकारी और पुलिस की मिली भगत से मामले को दबा दिया गया ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा इस मामले में आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार इस मामले की सी. बी. आई. से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक थाना प्रबन्धक, ब्यावर सिटी, वृताधिकारी केकड़ी, अपराध शाखा के निरीक्षक एवं वृताधिकारी ब्यावर द्वारा तफतीश की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) प्रयासों के बावजूद भी हत्यारों का पता लगाने में सफलता प्राप्त नहीं हुयी।

(3) जी नहीं। की गई कार्यवाही का विवरण सलग्न रिपोर्ट में अंकित है।

(4) सी.बी.आई. से जांच करवाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

(जांच रिपोर्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

प्रदेश में लड़कियों की बिक्री के प्रकरण

663. **श्री गोपाल पचेरवाल**(पाटन):– क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

प्रदेश में जनवरी, 1980 से जनवरी, 1984 तक लड़कियों की बिक्री के कितने प्रकरण सामने आये? कृपया जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

उक्त अवधि में 11 प्रकरण सामने आये हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

अलवर जिले में डकैतियां

664. **श्री जीतमल जैन (अलवर)**: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में कितनी डकैतियां किन-किन स्थानों पर किस-किस के यहां हुई?

(2) इन डकैतियों में कितना माल गया एवं कितने लोग मारे गये?

(3) उक्त डकैतियों में से कितनी डकैतियां बरामद हुई? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

सांचोर खास में चोरियां

665. **श्री कनकराज मेहता** (सांचोर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 में सांचोर खास में 1) श्री केसरीमल/हेमाजी 2) नगीनदास/भगवानदास 3) खेमचन्द/सागरमल के यहां चोरियां हुई? यदि हां, तो इनमें से कितनी चोरियां पकड़ी गयीं और कितनी बरामदगी हुई? नहीं, तो अभी क्या स्थिति है?

(2) उक्त तीनों मामलों में कितना-कितना माल गया? कृपया विवरण सदन को मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सांचोर में श्री नगीनदास/भगवानदास के यहां यह दूसरी चोरी हुई है? यदि हां, तो पूर्व चोरी में कितना माल गया था? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखे। इस मामले की क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम अंकित मामले में अनुसंधान जारी है। द्वितीय एवं तृतीय घटना से सम्बन्धित अभियोगों में माल मुलजिमान का पता न लगने पर अन्तिम रिपोर्ट अदम पता दे दी गई।

(2) उक्त तीनों मामलों में क्रमशः 2,80,000/-, 55,325/- व 11,040/- रुपये का माल चोरी गया।

(3) जी हां। पूर्व की चोरी में 7,866/-रु० का माल चोरी गया था। माल मुलजिमान का पता न लगने पर एफ. आर. अदम पता दी जा चुकी है।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर में नई नियुक्तियां

667. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के वित्त व्यय-4 विभाग के द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 14-7-1982 की अनुपालना में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा भी नई भर्ती-नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध का आदेश दिनांक 17-8-1982 को जारी किया था जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को पूर्ण-कालिक, सीजनल, वर्कचार्ज पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किये जाने के निर्देश थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके बाद भी संघ में किसी न किसी रूप में नई नियुक्तियां की जाती रही हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश जारी होने के बाद किस किस की कब कब किस-किस पद पर नियुक्ति की गई ? इसके क्या कारण थे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त आदेश जारी होने के बाद जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की जिस जिस समय पर नियुक्ति की गई, कारण सहित विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

कान्या खेड़ी बांध निर्माण कार्य, भीलवाड़ा

668. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा में कान्याखेड़ी बांध के निर्माण कार्य के दौरान

(श्री रंगजी मीणा)

उसकी क्वेलिटी सर्वे में त्रुटि पाई जाने से तत्सम्बन्धी प्रभारी अधिकारी श्री मूलचन्द अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्मिक विभाग में अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है ?

(2) यदि हां, तो यह कार्यवाही कब से लम्बित है और इसमें अब तक निर्णय नहीं लेने के क्या कारण हैं और अब कब निर्णय ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर द्वारा विडियो सेट की खरीद

669. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर द्वारा एक विडियो सेट खरीदा गया है ? यदि हां, तो इसकी खरीद किस प्रयोजन से की गई है और विडियो की खरीद के बाद उस प्रयोजन की पूर्ति किस-किस रूप में हुई है ? कृपया खरीद की तारीख से आज तक का वर्णन सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस विडियो की खरीद में कोई टेण्डर भी आमंत्रित नहीं किये गये ? यदि हां, तो यह विडियो किस प्रक्रिया से किस दुकान से कितनी कीमत में खरीदा गया है ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अजमेर द्वारा कोई विडियो सेट नही खरीदा गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी विभागों में रजत व स्वर्ण जयन्ती

670. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के विभागों की भी रजत या स्वर्ण जयन्तियां मनाने का कोई निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो जयन्तियां किस-किस विभाग की मनाई जा रही हैं ? क्या नियमों में इसके लिए प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि निदेशक, संस्कृत शिक्षा ने अपने विभाग की जयन्ती मनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो इसके लिए अब तक किस-किस मद में कितना-कितना व्यय हो चुका है और कार्य की प्रगति क्या है ?

(श्री यदुनाथ सिंह)

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग अपनी उपलब्धियों के उपलक्ष में कई समारोह आयोजित करते हैं।

(2) जी नहीं। संस्कृत निदेशालय के द्वारा केवल मात्र 25 वर्षों की प्रगति का संकलन किया जा रहा है जिसके लिये यात्रा व्यय में रु० 461.90 पैसे तथा प्रिन्टिंग स्टेशनरी में रु. 18/– व्यय हुये हैं।

"प्रोटोकोल" का निर्धारण

671. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों के पद तथा उनकी गरिमा को देखते हुये कोई "प्रोटोकोल" या "प्रिसीडेन्स" निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वरीयता के अनुसार विधायक तथा जिला प्रमुख का कौनसा स्थान है ?

(3) क्या राजकीय आयोजनों, जैसे 26 जनवरी तथा 15 अगस्त के उत्सवों में बैठने हेतु स्थान सुरक्षित करते समय उक्त वरीयता का ध्यान रखा जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां, वारन्ट आफ प्रिसीडेन्स की प्रति संलग्न है।

(2) वारन्ट आफ प्रिसीडेन्स में विधायकों का स्थान क्र. सं. 27-ए पर है व प्रमुखों का स्थान उनके बाद में है।

(3) राजकीय आयोजना, यथा 26 जनवरी तथा 15 अगस्त के उत्सवों में बैठने हेतु स्थान सुरक्षित किये जाने में वारन्ट आफ प्रिसीडेन्स में अंकित वरीयता के आधार पर स्थान सुरक्षित नहीं किया जाता क्योंकि इतने बड़े समारोहों में यह व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

(वारन्ट आफ प्रिसीडेन्स की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस

672. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) एवं **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में गत तीन वर्षों में ऐसे कितने अधिकारी कितने दिनों तक ठहरे जिनका राजस्थान से दिल्ली स्थानान्तरण हो गया था ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

( ) जन प्रतिनिधियों की भांति क्या अधिकारियों के लिये भी ठहरने के

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

दिनों की सीमा निश्चित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त अवधि में अधिकारियों को राजस्थान सरकार की सेवायें न रहते हुए भी राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा के बारे में प्रवृत्त नियमों में कोई प्रावधान है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

तहसील बेगूं के पेयजल से समस्याग्रस्त गांव

674. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बेगूं में पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त गांव कौन-कौन से थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) समस्याग्रस्त गांवों की सर्वे कब हुई, किन-किन गांवों में हैण्ड पम्प लगे और कितने में बाकी हैं।

(3) हैण्ड पम्प किन-किन गांवों में असफल रहे हैं।

(4) जहां हैण्ड पम्प असफल रहे हैं वहां पेयजल की व्यवस्था के क्या उपाय किये गये हैं ? क्या राज्य सरकार का दुबारा सर्वे कराने का इरादा है ? यदि, हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) जिन गांवों में आज तक सार्वजनिक कुएं नहीं हैं एवम् पेयजल का गंभीर संकट है, राज्य सरकार वहां किन साधनों द्वारा पेयजल उपलब्ध करायेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) समस्याग्रस्त ग्रामों के सर्वे का कार्य वर्ष 1971-72 में करवाया गया था। जिन गांवों में हैण्ड पम्प लगा दिये गये तथा लगाने हैं उनका विवरण प्रश्न एक के उत्तर की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है।

(3) सूचना प्रश्न एक के जवाब की सूची में दे दी गई है।

(4) जिन गांवों में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या से कम हैण्ड पम्प सफल रहे हैं उन गांवों में स्वीकृत संख्या तक सफल हैण्ड पम्प लगाने हेतु भूजल वैज्ञानिक से पुनः राय मांग कर वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार हैण्ड पम्प लगवाने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

(5) राज्य सरकार पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त गांवों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध करवा रही है। यदि गांव में सार्वजनिक कुएं नहीं हैं तो स्रोत का सर्वेक्षण कर नलकूप, जलकूप या हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं अथवा आस पास का गांव जिसमें स्रोत उपलब्ध है, उससे क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भी बनाई जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राम सागर बांध की मुख्य नहर एवं सिगोरई माइनर नहर क्षतिग्रस्त

675. **श्री शिवसिंह रावत** (बाड़ी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राम सागर बांध से निकलने वाली मुख्य नहर एवं सिगोरई माइनर क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कितनी जगह और कहां-कहां पर ?

(2) क्या इस मुख्य नहर की सिगोरई माइनर के आस पास की खड़ी रवी फसल 200-200 मीटर दूरी तक सील व टूट फूट होने से नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो इस फसल को बचाने के लिये सिंचाई विभाग ने क्या उपाय किया है ?

(3) क्या इस माइनर को सरकार पक्का कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो, क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) जी नहीं, नहर में टूट फूट से फसल नष्ट नहीं होती है। किन्तु चैन संख्या 0 से 20, 50 से 75 तथा 98 से 104 के आस पास नहर के दोनों ओर 10 से 50 मीटर दूरी तक का क्षेत्र रिसाव एवं सीलन से प्रभावित होता है। नहर में पक्की लाइनिंग कर इस क्षेत्र को बचाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(3) जी हां, यह कार्य बजट की उपलब्धि पर कराया जा सकेगा।

ग्राम लूणसरा की जल प्रदाय योजना

676. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम लूणसरा तहसील जायल जिला नागौर को जल प्रदाय योजना से लाभान्वित किया गया है ? यदि हां, तो कृपया बतावें कि उक्त गांव की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ ? अब शेष गृह स्वामियों को सरकार कब तक पानी के कनेक्शन देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

जी हां। उक्त जल प्रदाय योजना ग्राम लूणासरा की शत प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहुँचाने हेतु बनाई गई है। योजना के अन्तर्गत अब तक 3 सार्वजनिक नल विभिन्न मोहल्लों में लगा दिये गये हैं तथा तीन सार्वजनिक नल का निर्माण किया जा चुका है, जिनके द्वारा पेयजल का वितरण शीघ्र ही शुरू कर दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त 52 इच्छुक गृह स्वामियों को इस योजना से जल सम्बन्ध दिये जा चुके हैं।

पार्वती परियोजना

677. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पार्वती आधुनिकीकरण परियोजना कितनी धनराशि की बनाई गई है?

(2) यह योजना कब से प्रारम्भ हुई? अब तक इस पर कितनी धनराशि आवंटित की गई? यह योजना कब पूर्ण होनी थी? यह योजना अब कब पूर्ण हो सकेगी?

(3) क्या इस परियोजना पर आवंटित धनराशि में कमी महसूस की जा रही है? यदि हां, तो इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है?

उत्तर

(1) पार्वती आधुनिकीकरण परियोजना की अनुमानित लागत 719.50 लाख रुपये है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत माह जुलाई, 1978 में कार्य प्रारम्भ किया गया था तथा इस योजना हेतु चालू वर्ष सहित 69.50 लाख रु. की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। किन्तु कार्यों का पूर्ण होना धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है अतः अभी इस योजना के पूर्ण होने के बारे में बताना संभव नहीं है।

(3) पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने का राज्य सरकार विचार रखती है।

डग पिड़ावा के लिए सिंचाई योजनाएं

678. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़-डग, पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के लिए सन् 1980 से 83 तक कितनी सिंचाई योजनायें बनीं? उसमें कितना-कितना बजट कहां-कहां की योजनाओं के लिए स्वीकृत हुआ? कितना-कितना बजट

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

किस-किस योजना पर खर्च हो चुका है? कितना बजट इन योजनाओं पर खर्च करने की आगे योजना बनी हुई है?

उत्तर

झालावाड़ जिले में सन् 1980 से 83 तक डग विधान सभा क्षेत्र में बिनायका एवं पिड़ावा क्षेत्र में सामनखेड़ी और अमीनखेड़ी योजनाओं पर कार्य हुआ। इन तीनों योजनाओं पर सन् 1980-83 की अवधि में क्रमश: 31, 42, 14.68 और 3.24 लाख रु. का बजट स्वीकृत हुआ। इन तीनों योजनाओं पर उपरोक्त अवधि में क्रमश: 28.23, 15.78 और 2.83 लाख रु. का खर्चा हुआ। पिड़ावा क्षेत्र की दोनों योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और डग क्षेत्र की विनायका योजना के लिये वर्ष 1984-85 का बजट 1.80 लाख रु. विचाराधीन है।

बाड़मेर जैसलमेर की पेयजल समस्या

679. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती जिले बाड़मेर व जैसलमेर के लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान राजस्थान नहर ही है?

(2) क्या सरकार राजस्थान नहर से इन जिलों के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बना रही है? यदि हां, तो कितने ग्रामों को इसमें सम्मिलित किया गया है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कुछ गांव जिनमें भूजल स्रोत उपलब्ध नहीं है तथा जहां राजस्थान नहर से पानी की योजना बनाना वित्तीय एवम् तकनीकी दृष्टि से सम्भव है, उनके लिये राजस्थान नहर से पेयजल योजनाएं बनाने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। गांवों की सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ग्राम नीमराना हरिजन बस्ती की पेयजल समस्या

680. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नीमराना की जनसंख्या के अनुपात में टंकी की क्षमता कम है और इससे हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है?

(2) क्या सरकार ग्राम नीमराना पंचायत समिति मुख्यालय पर वर्तमान

(श्री सुजानसिंह यादव)

पेयजल टंकी के स्थान पर अधिक क्षमता की टंकी निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां; तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। हरिजन बस्तियों में पेयजल वितरण नियमित व व्यवस्थित है तथा हरिजन बस्ती घानका मोहल्ला में पाइप लाइन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है जिससे जल वितरण में और सुधार होगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान टंकी पर्याप्त क्षमता की है।

ठीकरिया (उनियारा) परियोजना

681. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)**: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ठीकरिया (उनियारा) परियोजना लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक शुरू कर पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, ठीकरिया बांध का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाकर आंकलन तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति तथा बजट की उपलब्धि के अनुसार कार्य को पूर्ण कराना संभव होगा।

नगर परिषद् उदयपुर द्वारा हैण्डपम्पों की खुदाई

682. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)**: क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद्, उदयपुर ने उदयपुर में वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 में हैण्ड पम्प खुदवाये ? यदि हां, तो कब-कब एवं कितने-कितने ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या हैण्ड पम्प खोदने हेतु टेन्डर मांगे गये ? यदि हां, तो कब-कब एवं किस व्यक्ति या संस्था को उक्त कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) वर्ष 81-82 में 32 हैण्ड पम्प जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खुदवाये गये तथा वर्ष 82-83 में 50 हैण्ड पम्प जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एप्रूव्ड रेट पर मै. क्वालिटी ट्यूब वैल तथा ड्रील वैल उदयपुर से एवं 30 हैण्ड पम्प ज्योति एंटरप्राइजेज से दिनांक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

7-3-83 को टेन्डर आमंत्रित कर खुदवाये गये एवं वर्ष 83-84 में 10 हैण्डपम्प टेन्डर आमंत्रित कर मैसर्स यशोदा ड्रिलिंग कम्पनी से खुदवाये गये।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

इन्द्रायणी बांध की डूब में आये मकानों का मुआवजा

683. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उप तहसील इन्द्रगढ़ में बने इन्द्रायणी बांध की डूब में आई भूमि के विस्थपितों को अभी तक मकान का मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार इन मुआवजों का चुकारा कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विवादग्रस्त मामलों को छोड़कर अन्य सभी को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है।

(2) विवादग्रस्त मामलों में निर्णय होने तक चुकारा करना सम्भव नहीं है।

(3) अधिशेष मुआवजों के लिए कार्यवाही की जा रही है और राजस्व विभाग के पास विचाराधीन विवाद सुलझते ही शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

सार्वजनिक चिकित्सालय प्रतापगढ़

684. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सामान्य चिकित्सालयों में चिकित्सकों को यह अधिकार है कि चिकित्सालय में इलाज के लिये आये, चोट खाये घायल व्यक्तियों के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र तैयार करें तथा घायल चोट खाये व्यक्ति को आवश्यक पुलिस कार्यवाही के लिये दें ? यदि हां, तो सार्वजनिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में सेवारत कितने डाक्टरों के विरुद्ध यह शिकायत मिली है कि इन्होंने घायलों से गैर कानूनी रुपया लेकर राज्य सरकार को क्षति पहुँचाई है ? कृपया वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 तक ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक प्राप्त शिकायतों में किस-किस को जांच अधिकारी नियुक्त किया और जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में डा. अशोक कुमार चोपड़ा मेडिकल जूरिस्ट के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जांच डा. पी. सी. जोशी (जूनियर स्पेशलिस्ट द्वारा की गई। गवाहों के बयानों व डा. चोपड़ा मेडिकल जूरिस्ट द्वारा प्रस्तुत बयानों के अनुसार शिकायतें निराधार सिद्ध हुई है।

(2) वर्ष 1983 में केवल उक्त एक शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच के लिये निदेशालय से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेश दिनांक 27-4-83 को दिये गये जिसने डा. पी.सी. जोशी को जांच अधिकारी नियुक्त किया एवं जांच रिपोर्ट 25-5-83 को प्रस्तुत की गई।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी

685. श्री भैरूं सिंह गुर्जर (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून 1980 से दिसम्बर 1983 तक कितने मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, अस्पताल, एड-पोस्ट व उप स्वास्थ्य केन्द्र (सब सेन्टर) खोले गये ?

(2) वर्तमान में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र, सब सेन्टर तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्र किस स्थिति में कार्य कर रहे हैं ?

(3) इन क्षेत्रों में और कौन-कौन से केन्द्र प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) इन पंचायत समितियों में से पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत एक डिस्पेन्सरी जोजावर में वर्ष 80-81 व एक उपकेन्द्र ग्राम मुसालिया में खोला गया है।

(2) सभी संस्थान सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

(3) वर्ष 84-85 के लिये सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण

686. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राज्य कर्मचारियों के वेतन में से कटौती की जाती है ? यदि हां, तो कटौती का समायोजन किस प्रकार किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में सेवा निवृत्त कर्मचारियों/पेन्शनरों को चिकित्सा पुनर्भरण की पूर्ण राशि दी जाती थी जो कि अब बन्द कर रु. 450/- की सीमा तय

(५५).

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर दी गई ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत ? कृपया आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त निर्णय लिये जाने के क्या कारण रहे व इसमें पेन्शनरों को चिकित्सा सेवा प्राप्त करने में या पुनर्भरण में क्या-क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एवं क्या राज्य सरकार पुनः सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व की भांति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पुनर्भरण राशि हेतु सिर्फ निर्धारित रोगों पर ही चिकित्सा राशि भुगतान की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कटौती का समायोजन प्रतिमास सम्बन्धित जिला कोषालयों में राजस्थान पेन्शनर्स चिकित्सा निधि में जमा करके किया जाता है।

(2) जी हां। अब वार्षिक साधारण सीमा रु. 500/- कर दी गई है। इससे अधिक राशि की दवाइयां मेडिकल विशेषज्ञों की राय के बाद ही उपलब्ध हो सकती हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) पेन्शनरों को मुफ्त दवा सुविधा की सीमा नहीं होने से कुछ जिलों में कई पेन्शनरों ने एक माह में एक हजार से भी अधिक राशि की दवाइयां प्राप्त कर लीं। जिले की न्यास निधि इस कारण शीघ्र समाप्त हो गई और अन्य पेन्शनर इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये। राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित औषधि की दुकानों ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा व अलवर शहरों में बिलों का भुगतान समय पर एवं पूर्ण नहीं होने पर पेन्शनरों को मुफ्त दवाई देना बन्द कर दिया। इन कारणों से रु. 500/- की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई। इस सीमा निर्धारण के पश्चात् बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, व अलवर शहरों में पेन्शनरों को दवाइयां पुनः मिलनी आरम्भ हो गई हैं। इस सीमा के कारण से पेन्शनरों को किसी कठिनाई की शिकायत नहीं है। जिलाधीश, मेडिकल विशेषज्ञों की राय पर इस सीमा से अधिक की भी दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। पूर्व की भांति सीमा रहित सुविधा उपलब्ध कराने का विचार नहीं है क्योंकि असीमित सुविधा देने से खर्चा आय से अधिक होने पर यह योजना पहले की तरह कुछ ही समय में कई जिलों में फिर से बन्द हो जावेगी।

(4) जी नहीं।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

भीण्डर (उदयपुर) का रेफरल हास्पिटल

687. श्री कमलेन्द्र सिंह(वल्लभनगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा भीण्डर, जिला उदयपुर में रेफरल हास्पिटल के लिये, हास्पिटल निर्माण समिति ने श्री चतुर्भुज से जमीन खरीदी थी ?

(2) क्या इस जमीन पर हास्पिटल व्यवस्थापक का आज कोई कब्जा है ?

(3) यदि नहीं, तो किसका कब्जा है ?

(4) सरकार ने इस जमीन को लेने की कोई कार्यवाही की हो, तो सदन को अवगत करावें ?

उत्तर

(1) जी नहीं । श्री चतुर्भुज की जमीन श्री शरीफ अली ने वर्ष 1965 में खरीद कर हास्पिटल निर्माण समिति को सुपुर्द की थी ।

(2) इस सारी आराजीयात पर इस समय हास्पिटल भवन निर्माण समिति का आधिपत्य है ।

(3) हास्पिटल भवन निर्माण समिति अधिकार हैं ।

(4) कार्यवाही रेवेन्यू विभाग में चल रही है ।

नगर सुधार न्यास, अजमेर की विभिन्न स्रोतों में आमदनी

689. श्री भगवानदासशास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर सुधार न्यास अजमेर को वित्त वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में किन-किन स्रोतों (स्वयं के स्रोत्र तथा अनुदानों आदि) से कुल कितनी-कितनी आमदनी हुई ? कृपया वर्षवार एव स्रोतों के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त उपलब्ध आमदनी में से किस-किस मद पर कितना कितना खर्च हुआ ? कृपया वर्षवार एवं मद के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) नगर सुधार न्यास, अजमेर के वर्ष 1981-82,1982-83 एवं 1983-84 के पारित आय-व्यय पत्रक की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1981-82, 82-83 एवं 83-84 के माह जनवरी 84 तक की आय का ब्यौरा वर्षवार सदन के पटल पर रख दिया गया है । सूची क, ख, व ग ।

(2) वित्तीय वर्ष 1981-82, 82-83 एवं 83-84 के माह जनवरी 84 तक की मद वार खर्चे का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । सूची घ, व च ।

(राज्य मंत्री, नगर आयोजना)

(3) बजट न्यास बैठक दिनांक 21-3-81,24-4-82व 24-5-83में पारित किया गया था, अतः पारित बजट की प्रतियां सदन की पटल पर रख दी गई हैं। सूची क ख अ ग।

(आय का ब्योरा, खर्च का विवरण एवं बजट की प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

नगर परिषद् सीकर द्वारा खेल स्टेडियम बनाने का विचार

690. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नगर परिषद् सीकर, सीकर में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसे कब प्रारम्भ किया जावेगा तथा इस पर कितना खर्च आयेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । परन्तु अभी भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही हो रही है। भूमि उपलब्ध होने के बाद ही अनुमानित व्यय के बारे में बताया जा सकेगा।

अजमेर के लोगों को आवासीय सुविधा

691. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर नियोजन विभाग द्वारा अजमेर नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टि से एक लाख पन्द्रह हजार लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तैयार योजना के प्रारूप में अजमेर के किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने मकान निर्माण करना प्रस्तावित किया गया था ?

(2) इस योजना का प्रारूप कब बनाया जाकर नगर सुधार न्यास अजमेर को भेजा गया था और उसे कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने के निर्देश दिये गये थे और न्यास ने उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) नगर नियोजन विभाग द्वारा अजमेर मास्टर प्लान के दक्षिणी भाग में जो भूमि आवासीय उपयोग हेतु दर्शायी गई है, उसमें खानपुर डिस्ट्रिक्ट के तीन एरिया प्लान तैयार किये गये हैं जिसमें करीब 1,15,000 से 1,20,000 व्यक्तियों को बसाने का प्रावधान था। इनमें से एक एरिया प्लान नेहरू नगर हाउसिंग स्कीम के नाम से है, जिसका क्षेत्रफल 477 एकड़ है।

(2) इस योजना का प्रारूप नगर नियोजन विभाग ने सन् 1979 में नगर सुधार न्यास अजमेर को भेजा था। न्यास ने पूर्व में नेहरू नगर योजना के नाम से योजना बनाई थी जो न्यास अधिनियम की धारा 32 के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 20 (10) न. आ./ 69 दिनांक 29-12-73 के द्वारा अधि-

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

सूचित की गई थी। उक्त योजना की धारा 33 के तहत आपत्तियां मांगी गई जिनके तहत प्राप्त आपत्तियों पर न्यास की बैठक दिनांक 29-3-76 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को त्याग दिया जाये। तदनुसार योजना त्याग दी गई। वैसे ग्राम खानपुरा के समीप लगभग 440 बीघा क्षेत्र में आवासन बोर्ड की कालोनी के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 26-11-81 को किया जा चुका है।

नगर परिषद् जयपुर द्वारा वसूल की गई चुंगी

692. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा):- क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नगर परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 1-4-83 से दिनांक 29-2-84 तक निम्न वस्तुओं पर किस-किस दर से कितनी-कितनी चुंगी किस-किस महीने में वसूल की गई कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें :—

1. चांदी
2. सोना
3. प्लेटिनम
4. मीना तथा पन्ना, मानक, मोती, नीलम, मूंगा आदि को शामिल करते हुए समस्त बहुमूल्य एवं अर्द्ध बहुमूल्य पत्थर तथा जेवरात तथा इनसे निर्मित आभूषण एवं बहुमूल्य बर्तनों को शामिल करते हुए सभी वस्तुएं।

उत्तर

नगर परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 1-4-83 से 29-2-84 तक चांदी सोना, प्लेटिनम, मीना, पन्ना, मानक, मोती, नीलम, मूंगा आदि बहुमूल्य वस्तुओं पर 0.50 पैसा प्रति सैकड़ा की दर से चुंगी वसूल की गई है। महीने वार चुंगी वसूली का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

अध्यक्ष नगरपालिका जैतारण द्वारा पट्टों का वितरण

693. श्री शिवदानसिंह राठोड़ (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान के समय नगरपालिका, जैतारण में अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा नाजायज पट्टे दिये गये थे ?

(2) क्या उनकी जांच कर एस.डी.ओ. जैतारण ने जिलाधीश, पाली को अध्यक्ष व ई.ओ. द्वारा पद के दुरुपयोग करने व नाजायज पट्टे देने बाबत रिपोर्ट भेजी है ?

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

(3) यदि हां, तो कब व उस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई, तो क्यो व अब कब तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) प्रशासन शहरों की ओर अभियान के समय नगरपालिका जैतारण के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध नियमों के विपरीत कार्यवाही करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(2) अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध कार्यवाही करने की शिकायत की जांच कर रिपोर्ट एस.डी.ओ. जैतारण ने जिलाधीश पाली को भेजी है।

(3) जिलाधीश ने उस रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी जैतारण को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है। कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी के यहां विचाराधीन है।

नगरपालिका सांगानेर में निर्माण कार्य

694. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में नगरपालिका सांगानेर में वार्ड नं. 7 में लगभग 70,000 रु. का निर्माण कार्य किसी अधिकारी द्वारा सिंगल टेण्डर पर ठेके पर दिया गया ?

(2) क्या गत 3 वर्षों में नगरपालिका सांगानेर में अनेकों निर्माण कार्य बिना टेण्डरों अथवा टेण्डर में निर्धारित स्थान से हट कर अन्यत्र कहीं करवाये जाने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व क्या-क्या ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उन शिकायतों की जांच करवाई है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ऐसी शिकायत की जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अगर लिखित में शिकायत होगी तो जांच करवाली जावेगी।

नागौर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य

695. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मघाराम चौधरी)

(1) 1980 से जनवरी 1984 तक नागौर जिले में विभाग द्वारा कितने वृक्ष लगाये जाने का लक्ष्य था तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कितने वृक्ष लगाये गये ?

(2) वर्ष 1980 से जनवरी, 1984 तक जो वृक्ष लगाये गये उन पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) उक्त अवधि में विभाग ने पौधे लगाये उनमें से कितने आज भी हरे हैं तथा कितने नष्ट हो गये ?

उत्तर

(1) 1980 से जनवरी 1984 तक नागौर जिले में वन विभाग द्वारा 11,53,275 पौधे विभागीय तौर पर तथा 5,92,500 पौधे कृषकों के माध्यम से लगाये जाने का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 11,88,775 पौधे विभागीय तौर पर तथा 8,35,775 पौधे कृषकों के माध्यम से लगाये गये।

(2) वर्ष 1980-81 से जनवरी 1984 तक वृक्ष लगाने में कुल 1,74,71,133 रुपये की राशि व्यय की गई।

(3) विभागीय तौर पर लगाये गये पौधों में से 10,46,870 पौधे तथा वर्ष 1980-1981 तथा 1982 में कृषकों के माध्यम से लगाये गये पौधों में से 1,24,866 पौधे जीवित हैं। कृषकों को वर्ष 1983 में वितरित 5,43,575 पौधे में से जीवित पौधे की आंशिक गणना विभाग द्वारा कराई जा रही है।

मारवाड़ जंक्शन-देसूरी में वन विकास एवं सुधार कार्य

696. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन देसूरी व रानी पंचायत समितियों में जून 1980 से दिसम्बर 1983 तक विभिन्न प्रकार के कितने वन विकास एवं वन सुधार कार्य प्रारम्भ किये गये और इन कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

(2) उक्त क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कितने नये पेड़ लगाये गये ?

उत्तर

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व रानी पंचायत समिति में जून, 1980 से दिसम्बर 1983 तक 52 विभिन्न कार्य कराये गये और इन कार्यों पर 35,59,815 रुपये की धन राशि व्यय की गई है।

(2) उक्त क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों में कुल 2.22 लाख पौधे लगाये गये।

50

कोटा भू-संरक्षण परियोजना द्वारा स्वीकृत कार्य

697. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीनोद) एवं **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा स्थित वन एवं भू-संरक्षण परियोजना कार्यालय के तहत वर्ष 1983-84 में स्वीकृत कहां कहां क्या क्या कार्य करवाये गये हैं ? उनमें से गत 10 माह में क्या क्या कार्य कहां कहां सम्पन्न हुए व चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि माउंट आबू पर जहां काफी कार्य स्वीकृत हुए थे गत 8 माह में कोई कार्य नहीं हुए ? क्या कोटा से माउंट आबू को स्टाफ भेजा गया है ? यदि हां, तो किन किन को ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या कोटा व उसके आस पास के जिलों के लिए कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त स्टाफ के आबू चले जाने से उन कार्यों को कौन सम्पन्न करवायेगा ?

उत्तर

(1) कोटा स्थित वन एवं भू-संरक्षण परियोजना कार्यालय के तहत वर्ष 1983-84 में स्वीकृत कार्यालय के तथा माह दिसम्बर 1983 तक प्राप्त लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

नाम परियोजना	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1. चम्बल परियोजना	3160 हैक्टेयर्स भूमि में भू-संरक्षण कार्य तथा 41 स्ट्रक्चर्स का निर्माण	1406 हैक्टेयर्स में भू-संरक्षण कार्य तथा 4 स्ट्रक्चर्स का निर्माण
2. दांतीवाड़ा परियोजना	1120 हैक्टेयर्स में भू-संरक्षण कार्य तथा 20 स्ट्रक्चर्स का निर्माण।	28 हैक्टेयर्स में भू-संरक्षण कार्य एवं मैटीरियल एकत्रीकरण का कार्य
3. कडाना परियोजना	1220 हैक्टेयर्स में भू-संरक्षण कार्य तथा 16 स्ट्रक्चर्स का निर्माण।	300 हैक्टेयर्स में भू-संरक्षण कार्य तथा संधारण कार्य।

ये कार्य विभिन्न जलोतसरण क्षेत्रों में कराये गये हैं।

(राज्य मन्त्री, वन)

(2) माह दिसम्बर, 1983 तक दांतीवाड़ा परियोजना में उपलब्धि काफी न्यून रही है। निदेशक, परियोजना (वन) कोटा द्वारा दांतीवाड़ा परियोजना में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को माउंट आबू जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। कोटा जिले के लिये चम्बल परियोजना के अन्तर्गत 1860 हैक्टेयर्स में भू-संरक्षण कार्यों के लिये 32 स्ट्रक्चर्स के निर्माण तथा पुराने कार्यों के संधारण कार्य स्वीकृत थे। समीपवर्ती जिला चित्तौड़ के लिये भू-संरक्षण अधिकारी बेगूं के अधीन 1300 हैक्टेयर्स में भू-संरक्षण कार्य, 9 स्ट्रक्चर्स के निर्माण कार्य स्वीकृत थे। जिन जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आबूरोड कार्य सम्पादन के लिए भेजा गया है उन्होंने उन्हें आवंटित भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये थे। इसलिये भेजे गये अधिकारियों/कर्मचारियों के आबूरोड जाने से कोई विपरीत प्रभाव कार्यों पर नहीं पड़ा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर (रणथम्भोर)

698. **श्री चुन्नी लाल** (खण्डार) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाघ परियोजना सवाई माधोपुर (रणथम्भोर) के कितने गांवों को विस्थापित किया गया और उनको किस किस स्थान पर बसाया गया ? बसाये गये गांवों में सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य चालू करवाये गये ?

उत्तर

बाघ परियोजना क्षेत्र से ग्यारह गांवों को विस्थापित किया गया है। विस्थापित ग्रामीणों को कैलाशपुरी एवं गोपालपुरा में बसाया गया है। विस्थापित ग्रामों में मन्दिर, स्कूल एवं कुओं का निर्माण कराया गया है।

जंगल में मंगल कार्यक्रम (जैसलमेर) के लिये निर्धारित लक्ष्य

699. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीस सूत्री कार्यक्रम "जंगल में मंगल" के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिये वर्ष 1983-84 में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे व क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की जा चुकी हैं ?

(2) उक्त कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण पर कितनी धनराशि व्यय की गई व लगाये गये पौधों में से कितने प्रतिशत पौधे पनपे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में जैसलमेर जिले में वन विभाग के माध्यम से 50,000 पौधे वितरण तथा 25,000 पौधे रोपण का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरुद्ध 1,09,990 पौधे वितरित तथा 25,000 पौधे रोपित किये गये।

(2) वर्ष 1983-84 में विभागीय तौर पर रोपित उक्त वृक्षारोपण पर 3,37,894-84 रुपये की राशि व्यय की गई। माह नवम्बर की गणना के अनुसार उक्त रोपित 25,000 पौधों में से 82.60 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

आयुर्वेद निदेशालय अजमेर की गायब पत्रावलियां

700. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर की शिकायत शाखा से 17 पत्रावलियां गायब हैं ? यदि हां, तो क्या इन पत्रावलियों में एक पत्रावली शि. (2) 98/71 उप वैद्य पृथ्वीराज द्वारा हाई स्कूल का फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त करने से सम्बन्धित थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रावलियां गायब होने के सन्दर्भ में शिकायत शाखा के तत्कालीन प्रभारी लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को कई बार लिखा गया था ? यदि हां, तो किस प्रकार कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इन पत्रावलियों में संदर्भित पत्रावली भी शामिल हैं।

(2) जी हां। किन्तु जब तक यह निश्चित नहीं हो जावे कि वास्तव में पत्रावलियां उनके द्वारा ही गायब की गयी है, तब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

बांसवाड़ा के आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सा सामग्री

701. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1983-84 में बांसवाड़ा जिले के सभी औषधालयों को कितनी कीमत की चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई गई ?

(2) क्या राज्य सरकार की इस पिछड़े इलाके हेतु चिकित्सा सामग्री (दवाइयां) दिये जाने की कोई विशेष छूट है अथवा नहीं ?

(3) क्या समस्त औषधालयों में वैद्यों की सेवायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में बांसवाड़ा जिले के औषधालयों को 1,35,854-62 रुपये मूल्य की औषधियां तथा गॉज, बैन्डेज, रूई आदि उपलब्ध करायी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वर्तमान में 25 औषधालयों में चिकित्सकों (वैद्यों) के पद रिक्त हैं। इनमें से 4 स्थानों पर नवीन औषधालय खोले जाने से एवं शेष पद सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण से रिक्त हैं।

बांसवाड़ा जिले में खोले गये आयुर्वेदिक औषधालय

702. **श्री फते सिंह (कुशलगढ़)** : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष कितने नये औषधालय खोले गये व कहां कहां ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस जिले में अगले वर्ष राज्य सरकार कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

(4) क्या सभी आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य कार्यरत हैं ? कौन-कौन से औषधालयों में वैद्यों के स्थान रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(5) क्या आयुर्वेदिक औषधालयों में पूरी दवाइयां दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिले में 77 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं। सूची (परिशिष्ट-1) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य में गत वर्ष 1982-83 में कोई नवीन औषधालय नहीं खोले गये हैं।

(3) इस जिले में वर्ष 1983-84 में 6 औषधालय खोले गये हैं।

(4) जी नहीं। 25 आयुर्वेद औषधालयों में वैद्यों के पद रिक्त हैं। सूची (परिशिष्ट-2) सदन के पटल पर रख दी गयी है। रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) औषधालय के स्वीकृत औषध बजट की सीमान्तर्गत उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध औषधियां पूरी-पूरी दी जाती है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

(54)

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी में दुग्ध पदार्थों की जांच

703. **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की जांच के लिये योग्यता प्राप्त केमिस्ट नियुक्त नहीं हैं ?

(2) यदि हां, तो वर्तमान में इन पदार्थों की जांच कौन करते हैं और क्या वे इस जांच को करने के लिये आवश्यक योग्यता सहित सक्षम हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) डेयरी संयंत्रों में दुग्ध पदार्थों की जांच का कार्य गुण नियंत्रण अधिकारी एवं उसके सहयोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जो आवश्यक योग्यता प्राप्त हैं।

प्रदेश के पशु चिकित्सालय

704. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पशु-पालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? कितने चिकित्सालयों में डाक्टर अभी तक भी नहीं लगाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि कितने ही डिग्री होल्डर डाक्टर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? ऐसे डाक्टरों को कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में कुल 383 पशु चिकित्सालय, 120 पशु स्वास्थ्य केन्द्र और 55 चल पशु चिकित्सा इकाई कार्यरत है। इनमें से 55 डाक्टरों के पद रिक्त हैं।

(2) विभाग द्वारा डिग्री होल्डर डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 22-3-84 को अल्प अवधि विज्ञापन जारी किया गया है। नियमानुसार शीघ्र नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी।

माची (सवाईमाधोपुर) सड़क निर्माण की स्वीकृति

705. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर एवं **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिन्डोन-करौली सड़क पर जिला सवाईमाधोपुर में माची के लिये गत वर्ष में सड़क बनाने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो उसकी लम्बाई क्या है तथा उस पर कितना खर्चा किया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़कों को बनाते समय उस क्षेत्र की आबादी का भी ध्यान रखा जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत वर्ष (1982-83) में स्वीकृति नहीं की गई। फरवरी 1984 में ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस 3 कि. मी. लम्बी सड़क पर 3.00 लाख रुपयों की स्वीकृति जारी की गई है।

(2) जी हाँ।

पंचायत समिति सिकराय की सड़कों का मास्टर प्लान

706. **श्री राम किशोर मीणा**(सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सिकराय की सड़कों का मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उसके अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कों को लिया जा रहा है?

(2) क्या बालाहेड़ी से बालाजी मोड़ वाया चांदेरा सड़क भी इसमें शामिल है?

उत्तर

(1 व 2) मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर जिलाधीशों को जन-प्रतिनिधियों के सुझावों हेतु भेजा गया है। वहां से राय आने पर विचार कर अन्तिम रूप दिया जावेगा।

सीकर ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़क से जोड़ना

707. **श्री घनश्याम तिवाड़ी**(सीकर): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 से अब तक सीकर जिले में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों का पक्की सड़क से संबंध जोड़ा गया तथा 1983-84 व 1984-85 में कितने तथा कौन कौन से एवं किस स्थान से पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का विचार है?

उत्तर

वर्ष 1980-81 से अब तक सीकर जिले के 99 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। वर्ष 1984-85 की सड़कों की वार्षिक योजना अभी विचाराधीन है।

सांगानेर व चाकसू में सड़कों की स्वीकृति

708. **श्रीमती विद्या पाठक**(सांगानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(56)

(श्रीमती विद्या पाठक)

(1) तहसील सांगानेर व चाकसू में गत 3 वर्षों में कितनी-कितनी कौन-कौन सी सड़कें किस-किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुईं व कितने कितने अनुमान की ?

(2) उक्त सड़कों से से कौन-कौन सी सड़क कितनी-कितनी बना दी गई ?

(3) उनमें कौन-कौनसी सड़क पर कितने-कितने पुल व कासवे अभी अधूरे हैं ?

(4) अधूरी सड़कें कब तक पूरी करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है ?

उत्तर

(1 से 4) राज्य की योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं परन्तु गत तीन वर्षों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 71.84 लाख रुपयों की लागत के 31 सड़क कार्य स्वीकृत किये गये जिन पर 58 21 लाख रुपये व्यय किये गये। बाढ़ राहत कार्यों के अन्तर्गत 19 कार्यों पर 57.46 लाख रुपये खर्च किये गये। राजस्थान पुल निर्माण निगम द्वारा लगभग 1 करोड़ 15 लाख रु. की लागत से सांगानेर शहर व गोपालपुरा बाईपास पर पुल निर्माण कराये गये। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 12 पर 68.21 लाख रुपये निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये।

भीलवाड़ा कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत सड़कें

709. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में कृषि उपज मण्डियों की ओर से कौन-कौनसी सड़कें गांवों से जोड़ने के अन्तर्गत इस वर्ष स्वीकृत की गईं ?

(2) उक्त सड़कें कितने किलोमीटर कहां से कहां तक कितनी लागत की डामर या मैटल की स्वीकृत हुईं ?

(3) स्वीकृति में मापदण्ड क्या रहे ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष निम्नलिखित सड़कें स्वीकृत की गई हैं :—

1. बड़लियास से हनुमान जी
2. आरजिया से महुआ खुर्द
3. सांखड़ा एप्रोच रोड
4. एप्रोच रोड छापरेल
5. बनका खेड़ा से बड़ला
6. हरणी महादेव से माधोपुर गांव
7. गंगापुर चौराहा से सहाड़ा गांव तक
8. माडल से कोलीखेड़ा सम्पर्क सड़क

(राज्य मन्त्री, कृषि)

(2) प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार से दी गई है :—

	सड़कों का नाम	प्रशा. स्वीकृति (लाखों में)	लम्बाई कि.मी. में	डामर/मैटल
1.	बड़लियास से हनुमानजी	2.50	3.00	डामर/मैटल
2.	आरजिया से महुआ खुर्द	2.25	3.93	डामर
3.	बन का खेड़ा से बड़ला	0.90	2.75	डामर/मैटल
4.	सांखड़ा एप्रोच रोड	0.60	0.88	डामर
5.	एप्रोच रोड छापरेल			
6.	हरणी महादेव से माधोपुर गांव	2.00	2.46	मैटल
7.	माडल से कोलीखेड़ा	2.00	2.17	डामर
8.	गंगापुर चौराहे से सहाड़ा गांव	1.00	0.80	डामर

(3) जिला परिषद द्वारा प्रस्तावित, जन प्रतिनिधियों की मांग एवं मण्डी में माल की आवक को देखते हुये सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पंचायत क्षेत्र (पाली) में कृषि कार्यकर्ता के सृजित

710. **श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) एवं **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली जिले में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक कृषि कार्यकर्ता का पद सृजित है ? यदि हां, तो कृपया कार्यकर्ता का नाम व उसका स्थाई निवास स्थान और कब से एक ही स्थान पर पद-स्थापित है सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। पाली जिले में कुल 242 कृषि कार्यकर्ताओं के पद सृजित हैं जबकि इस ज़िले में 291 पंचायत क्षेत्र हैं। कृषि कार्यकर्ता का नाम, स्थाई निवास स्थान और कब से कार्य कर रहे हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

राजस्थान बीज निगम की स्थापना

711. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान बीज निगम की स्थापना कब हुई ? निगम में इस समय कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अनेक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बना दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक बनाने की योजना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन की स्थापना 28 मार्च, 1978 को हुई। कार्पोरेशन में इस समय 120 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(2) वर्तमान में 7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीड योजना के तहत कृषि विभाग से स्थानान्तरित हुए हैं।

(3) अलग से कोई सेवा नियम नहीं बनाये गये हैं। निगम ने राज्य सेवा नियम अपना रखे हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री भगवानदास शास्त्री एवं छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 4 अप्रेल को बूंदी जिले के मुख्यालय की स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा के एक लाख रुपये की डकैती के विषय में।

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के माहेश्वरी हायर सैकण्डरी स्कूल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को गत 31 मार्च तक मिलने वाली छात्रवृत्ति अभी तक न मिलने के विषय में।

(3) श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 23 मार्च को झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में कुछ गुण्डों द्वारा नारायण प्रसाद पर किये गये प्राणघातक हमले के विषय में।

(4) सर्वश्री रामकंवार बैरवा, मालाराम तथा दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आईडियल डेयरी रानीवाड़ा, जिला जालौर को उसके संचालकों द्वारा अचानक बंद कर देने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सुरसुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर के कुछ निवासियों पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा झूठे मुकदमे बनाने और मार पीट करने से श्री बद्री खटीक द्वारा की गयी आत्महत्या के विषय में।

(6) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक बेरोजगार इंजीनियर द्वारा लगायी गयी फैक्ट्री पर अधिकारियों की तालाबन्दी करने पर न्यायालय से स्टे करने के बावजूद विभाग द्वारा तालाबंदी समाप्त न करने के विषय में।

(7) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर के नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं एक मन्दिर के पास एक शराब की दुकान होने से नागरिकों में असंतोष होने के विषय में।

(8) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट औद्योगिक सहकारी बैंक के विवरणों एवं रिकार्ड में हेरा-फेरी होने की आशंका के विषय में।

(9) सुश्री पुष्पा जैन, श्री रामकिशोर मीणा, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री बंशीलाल पटवा, सर्वश्री कैलाश मेघवाल, यदुनाथसिंह, रघुवीर सिंह कौशल, भूपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कल 5 अप्रेल को खारीग्राम, जिला भीलवाड़ा में एक बैंक डकैती और दो व्यक्तियों की हत्या के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री बंशीलाल पटवा : (i) भीलवाड़ा जिले के मांगरोल ग्राम के पास बनास नदी पर किसानों के विरोध के बावजूद बांध बनाने का निर्णय।

सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक बांध के लिए विस्तृत सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय ही नहीं लिया गया है।

(ii) भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र में फर्जी खनन कार्य।

सरकार ने सूचित किया है कि अनधिकृत खनन कार्यों में विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा समय-समय पर चैकिंग की जाती है और नियमानुसार उन पर कार्यवाही की जाती है।

(iii) भीलवाड़ा शहर में भूमि रूपान्तरण की फीस जमा करने के बाद भी रूपान्तरण की कार्यवाही न होना।

(श्री अध्यक्ष)

सरकार ने सूचित किया है कि नियमों के अन्तर्गत जिन मामलों में रूपान्तरण हो सकता है वह किया जा चुका है, शेष में कार्य प्रगति पर है। लोक हित के प्रयोजन से अवाप्त की गयी भूमि पर रूपान्तरण नहीं हो सकता।

(2) सुश्री पुष्पा जैन : माही परियोजना की दांयी नहर टूटने से नहर में पानी छोड़ना बद होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि नहरों के बचे हुए कार्य को पूरा करने हेतु जन साधारण को सूचना देने के पश्चात् 25-3-84 को नहर बंद की गयी थी।

(3) श्री यदुनाथ सिंह : धौलपुर में लगने वाले थर्मल पावर प्लांट को भीलवाड़ा ले जाने की आशंका के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना का प्रारूप प्रतिवेदन जो कन्सलटेंट्स से प्राप्त हुआ था वह अपूर्ण होने के कारण टाटा कन्सल्टेंट्स को संशोधित प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा गया है। उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जायेगा।

(4) श्री भंवरलाल शर्मा : प्रन्यासों के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त सम्पत्तियों को किराये एवं निष्कासन अधिनियम से मुक्त करने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि सामान्य रूप से ऐसा करना सम्भव नहीं है और यदि विशेष ट्रस्ट की सम्पत्ति के बारे में प्रस्ताव होगा तो छूट देने के विषय पर विचार किया जा सकता है।

(5) श्री रामकिशोर मीणा : तहसील सिकराय के ग्राम गांवड़ी में आवंटित खसरा नम्बर दो से प्रीमीयम वसूल करने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है बकाया की वसूली नियमानुसार करने पर कार्यवाही की गयी और किसी को परेशान या आतंकित करने की कार्यवाही की नहीं गयी है।

(6) श्रीमती उजला अरोड़ा : कच्ची बस्ती ईदगाह जयपुर में आग से क्षति।

सरकार ने सूचित किया है कि फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों में से 6 चालू हालत में हैं और नागरिक सुरक्षा के पास में 10 फायर ब्रिगेड तथा 6 एम्बुलेंस गाड़ियां हैं।

(7) श्री हरीश शर्मा : कारागार विभाग द्वारा साक्षात्कार का एक कथित फर्जी विज्ञापन निकालने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि प्रार्थना पत्र विभाग द्वारा ही मांगे गये थे किन्तु साक्षात्कार की तिथि किसी फर्जी व्यक्ति ने एक अभ्यर्थी को दे दी थी जिस पर स्पष्टीकरण करने हेतु आम सूचना दी गयी।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में जो डकेती हुई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसमें सरकार से जानकारी कर रहे हैं।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, गुलाबपुरा खारीग्राम पर....

सुश्री पुष्पा जैन : इस पर कल हाउस में सूचना दे दी गयी थी....

श्री बंसीलाल पटवा : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। दो व्यक्ति मारे जा चुके हैं और एक घायल हो चुका है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : मैं वक्तव्य देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार पर जनता का कोई भरोसा नहीं है, सरकार के स्टेटमेन्ट पर कतई भरोसा नहीं है। कुछ भी कहते रहो, राजस्थान की जनता को कोई भरोसा नहीं है आपकी बात पर। हंस रहे है, मुख्य मन्त्री हंस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से कुछ कहा जा रहा है। वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : दो-दो बार दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा रहा है। कृपया सुनने का कष्ट करें। सरकार अपनी ओर से कुछ कहने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार को बर्खास्त किया जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था न फैलायें, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें। कृपया बैठ जायें। सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अव्यवस्था हम नहीं फैला रहे हैं, ये अव्यवस्था फैला रहे हैं। यह पुलिस अव्यवस्था फैला रही है। सरकार अव्यवस्था फैला रही है और आप कह रहे हैं कि आप अव्यवस्था फैला रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यह शर्म की बात है। आज के दिन कोई सरकार नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस्तीफा दे और कोई चारा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : आज सारा राजस्थान आतंकवादियों की गतिविधियों से घिरा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अव्यवस्था न फैलायें। सरकार इस सम्बन्ध में कुछ आपसे निवेदन करना चाहती है। कृपया बैठ जावें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जावें....

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार को इस्तीफा देना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी नाराजगी सही है। सभी को चिन्ता है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। सरकार कुछ सूचना उपलब्ध करवाने जा रही है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सरकार की ओर से सूचना दी जा रही है उसके बाद में यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं अवसर दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हमें सूचना नहीं चाहिए, त्याग पत्र दिलवाइये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : गम्भीर मामला है तो सरकार जवाब देने को तैयार है और आप सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यहां लोगों को मारा जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं, कृपया बैठ जावें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। आर्डर प्लीज। शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी है कि इसके ऊपर सरकार से जानकारी मांगी है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद तो सरकार की ओर से कुछ कहा जाना था, वह तो मैं औपचारिक रूप से यही कहता हूं और उसके बाद में माननीय सदस्यों का यदि आग्रह होता है तो तत्काल मैं जवाब दिलवा देता हूं। जो सदैव बात कहता हूं वही बात मैंने आज भी निवेदन की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार वक्तव्य देने को अभी तैयार है, अध्यक्ष महोदय।

श्री यदुनाथ सिंह : वक्तव्य से क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए कहा....

श्री अध्यक्ष : अभी दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां कहा है। वह अभी देगी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आखिर एडजोर्नमेंट मोशन का प्रावधान नियमों में रखा गया है तो केवल इसीलिए नहीं रखा गया है कि उसको हरदम रिजेक्ट किया जावे।

श्री अध्यक्ष : ज्यादातर यही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात भी स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यह निकलता है कि ज्यादातर रिजेक्ट किये जावें और कभी ऐसे मौका आता है कि उसको स्वीकार किया जावे।

श्री अध्यक्ष : बहुत कम। आप बहुत पुराने सदस्य हैं, आप बतायें उदाहरण, जब ऐसा हुआ हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपके इस चार वर्ष के अध्यक्षीय काल में ऐसा समझता हूं कि आपको ऐसा सुनहरी मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : मेरा तो बहुत ही साधारण यह काल रहा है। कोई ऐसी बड़ी बात करने का मेरा इरादा कभी था नहीं और न अब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अगर केवल यह प्रावधान इसी बात के लिए रखा जावे कि इसको आम तौर पर रिजेक्ट किया जावे तो यह प्रावधान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर एडजोर्नमेंट मोशन का कोई प्रावधान नियमों में रखा गया है तो कोई ऐसी स्थिति आ जाय कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस स्थिति के ऊपर सदन को तुरन्त अपनी उस दिन की कार्यवाही को स्थगित करके विचार करने का अवसर मिले तो करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सदन के नेता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले एक महीने से उग्रवादियों की जिस प्रकार से गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्या सरकार को उसका काग्नीजेंस नहीं लेना चाहिए, क्या सदन को उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए ? अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक घटनायें हो रही हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का पैट्रोल पम्प लूटा गया, यह मैं आज कहता हूं कि यह उग्रवादियों की हरकत है और उसी के बाद यह सिलसिला चालू हुआ....

श्री अध्यक्ष : आपने दो-तीन दिन पहले भी कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं। आज भी कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह उसी से एक कड़ी चालू हुई है। यहां से सब लोग कोटा पहुँचे, कोटा में चार आदमियों की हत्या की। दूसरे दिन रंगबाड़ी के अन्दर एक बच्चे की हत्या की, उसके बाद में बूंदी का बैंक लूटा गया और बूंदी के बाद बरूदन में हत्या की गई और कल गुलाबपुरा में जा करके बैंक को लूटा। दो व्यक्तियों की हत्या की और तीसरा, मुझे पता नहीं क्या लेटेस्ट जानकारी है""खतम हो गया।

श्री देवेन्द्र सिंह : बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी बता दो, इसमें कौनसा सीक्रेट है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बच गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बच गये, भगवान उनको ठीक प्रकार से स्वास्थ्य लाभ दे, मेरी यह कामना है। लेकिन इस प्रकार की घटनायें होती जायें और उन घटनाओं के ऊपर चर्चा नहीं हो तो इस एडजोर्नमेंट मोशन का सेंस क्या है-? मन्त्री महोदय वक्तव्य देना चाहते हैं तो क्या माननीय सदस्य अपनी राय प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर विचार किया जावे और विचार करने के बाद माननीय मन्त्री महोदय वक्तव्य दें या पहले वक्तव्य दें उसके बाद में विचार किया जाय, दोनों में से कोई भी व्यवस्था स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी लाभ होगा और जनमानस में भी आज जिस प्रकार का आतंक फैला हुआ है, जनमानस को भी यह विश्वास इस सदन के माध्यम से दिलाया जा सकता है कि सरकार या सरकार के प्रतिनिधि सतर्क हैं, सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं। आज इस बात की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, कि एक तो साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट दूसरा, आतंकवादियों को किस प्रकार से कण्ट्रोल किया जावे इस सम्बन्ध में मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार के हम साथ हैं, जहां तक आतंकवादियों को कण्ट्रोल करने का प्रश्न आता है लेकिन, अध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यदि कमजोरी रही तो उस कमजोरी को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करेंगे इस आधार पर कि सरकार आंतकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्रिय हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसा अवसर नहीं आया इस विधान सभा में कि जिस अवसर में लगातार आंतकवादियों की गतिविधियों के कारण राजस्थान की जनता आतंकित हो जावे और उस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा नहीं करें। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने एडजोनेमेंट मोशन दिया है उस एडजोर्नमेंट मोशन को आज की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा के हेतु प्रस्तुत किया जावे।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कल भी कहा था कि इन गतिविधियों पर सब को चिन्ता है और मैं इसमें विरोध पक्ष और आप सब का सहयोग चाहता हूं। घटना के जो तथ्य मेरे पास थे उसके आधार पर वक्तव्य देने वाली बात हमने स्वीकार की है। जहां तक विस्तृत चर्चा का सवाल है, मैं समझता हूं कि आज के दिन के बाद पहला वर्किंग डे इस सदन का होगा 9 तारीख को, उस दिन पुलिस की डिमाण्ड है, दिन भर आपको मौका मिलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह अलग मसला है।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये।

श्री यदुनाथ सिंह : इसको डिमाण्ड से जोड़ रहे हैं, यह नहीं हो सकता।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, इस मसले पर आप खूब बात कर सकते हैं, खूब अपने सुझाव दे सकते हैं, सरकार की आलोचना करनी हो तो आलोचना कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको दिन भर का मौका मिलेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : 9 तारीख तक तो सारा राजस्थान....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने अपनी बात कही है। माननीय सदस्य, बैठ जावें। कृपया बैठ जावें। कृपया बैठ जावें। जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जावें। मुख्य मंत्रीजी की बात सुन लें उसके बाद में यदि कोई माननीय सदस्य समस्या सामने रखेंगे तो उस पर विचार कर लेंगे। लेकिन धैर्य से सुनिये बात।

श्री शिवचरण माथुर : मेरा निवेदन यह था, अध्यक्ष महोदय, उस दिन दिन भर आप चर्चा कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह पुलिस की डिमाण्ड है, यह मेरा निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : रूल 50 के अन्तर्गत इस सदन के बिजनेस को एडजोर्न करके इस मसले को लिया जाय, यह विपक्ष के नेता महोदय ने पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठाया और आपको प्रार्थना की। उग्रवादियों की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। लोक सभा के सामने इस प्रकार के प्रश्न प्रतिदिन आते हैं। वहां पर भी एडजोर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किया गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : लोक सभा में किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब को अपनी अपनी बात कहने दीजिये, माननीय सदस्य। ग्रार्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे बोलने दीजिये। माननीय सदस्य, आप उग्रवाद का रूख अख्तियार कर रहे हैं। जब होम की डिमाण्ड पर 9 तारीख को चर्चा हो रही है उसका सीधा सम्बन्ध ला एण्ड आर्डर से है और लॉ एण्ड आर्डर एक व्यापक मामला है। इसलिये ऐसी इवेन्ट घटना नहीं है कि आज सदन के बिजनेस को एडजोर्न कर दिया जाय। इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा राजस्थान के पार्लियामेंट्री इतिहास में जहां लॉ एण्ड आर्डर के मामले में ऐसा मोशन स्वीकार किया गया हो और बिजनेस एडजोर्न किया गया हो ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सरकार कोई इस घटना के बारे में वक्तव्य देना चाहती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी, हां।

श्री अध्यक्ष : कृपया मेरा विनम्र निवेदन सुन लीजिये। पहले सरकार की ओर से वक्तव्य होगा उसके बाद 5–5 मिनट में जो माननीय सदस्य कुछ कहना चाहेंगे वह बात सुन लूंगा। उसके बाद सरकार की ओर से फिर उत्तर आ जायेगा। पूर्व निश्चित कार्यक्रम अलग है और उसके ऊपर यह लिया जा रहा है। आर्डर प्लीज। बात वह की वह है इसमें टण्टा काहे का है ?

शासकीय वक्तव्य
खारी ग्राम जिला भीलवाड़ा में बैंक डकैती एवं दो व्यक्तियों की हत्या

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 अप्रेल, 1984 को दोपहर करीब 4,30 बजे 3 सिख युवक खारी ग्राम स्थित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा में घुसे। वे हथियारों से लैस थे। बैंक के कर्मचारियों को पिस्तौलें दिखा कर लुटेरों ने खजान्ची से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चाबी छीन ली। जब वे करीब 20,000) रुपया लूट चुके थे तभी चार अन्य व्यक्ति बैंक पहुंचे। इन्हें देख कर और इन व्यक्तियों में से एक श्री चौधरी के ललकारे जाने पर ये लुटेरे भाग खड़े हुए। लुटेरों ने भागते समय इन व्यक्तियों पर गोली चलाई। फलस्वरूप उसी जगह बैंक के बिल्कुल सामने 2 व्यक्ति सर्व श्री आर. के. चौधरी और जे. सी. लड्ढा घायल हुए। श्री लड्ढा की ही कार में बैठ कर जब ये लुटेरे भागे तो इन चार व्यक्तियों में से एक श्री जे. जैन ने अजमेर भीलवाड़ा रोड पर मिल की तरफ कार को रोकने का प्रयास किया। इस पर लुटेरों ने श्री जैन पर भी गोली चला दी।

लुटेरों द्वारा चलाई गई गोलियों से घायल तीन व्यक्तियों में से सर्व श्री चौधरी और जैन की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। श्री लड्ढा गंभीर रूप से घायल हुए, उनके उपचार का इन्तजाम तुरन्त किया गया। इस वक्त श्री लड्ढा अजमेर अस्पताल में हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

वारदात की सूचना मिलते ही तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा जो उस समय गुलाबपुरा को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल में थे, और एक पुलिस पार्टी घटना स्थल पर पहुंच गयी लेकिन इसके पूर्व ही लुटेरे श्री लड्ढा की कार में बैठ कर भाग चुके थे। यह कार बाद में गुलाबपुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर गुलाबपुरा-भीलवाड़ा रोड पर खाली पड़ी हुई मिली।

घटना के तुरन्त बाद अजमेर से रेन्ज डी. आई. जी. घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने पुलिस दल सहित भीलवाड़ा से रवाना होकर रास्तों पर कड़ी नाकेबन्दी तथा चैकिंग का प्रबन्ध किया। इस वक्त भीलवाड़ा और अन्य निकटवर्ती जिलों में सभी संभावित निकास के रास्तों पर कड़ी नाकेबन्दी कर दी गई है और पुलिस लुटेरों की सरगर्मि से तलाश कर रही है। यह कार्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देख-रेख में व निर्देशानुसार किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा से अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियां भी इस कार्य हेतु उपलब्ध करवा दी गई हैं।

बून्दी तथा खारी ग्राम में पिछले दो दिनों में बैंकों को लूटने की घटनाओं से सम्बन्धित तथ्यों को जोड़ते हुए यह प्रतीत होता है कि ये अपराध एक सुसंगठित गिरोह द्वारा सुनियोजित ढंग से किये गये हैं तथा इस संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि ये लुटेरे उग्रवादी हों।

मृतकों के परिवारों को एवं घायल व्यक्तियों को राज्य सरकार ने उचित और पर्याप्त सहायता देने का निर्णय किया है। इसके अलावा बहादुरी के लिये श्री जैन एवं श्री चौधरी को मरणोपरान्त इनाम भी दिया जायेगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह शासन की मान्यता है कि इस प्रकार के उग्रवादी सुनियोजित अपराधों की रोकथाम व धरपकड़ पूर्ण रूप से जन-सहयोग के द्वारा अधिक कारगर साबित हो सकती है। प्रशासन इस काम में समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक समझता है। अतः लुटेरों को पकड़वाने या उन्हें पकड़वाने में मदद करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को राज्य सरकार से एक लाख रुपये का इनाम दिये जाने का निर्णय भी शासन ने लिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह। मैं एक एक करके माननीय सदस्यों को अवसर दे दूंगा लेकिन कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि यह सुसंगठित गिरोह है जो कोटा और भीलवाड़ा में इस तरह की घटनायें कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बूंदी के बैंक को लूटते समय जो उन लुटेरों ने कहा कि हम भिण्डरावाले के आदमी हैं, यह इस मामले को बहुत गंभीर बना देती है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की हालत देश की बना दी गयी हैं, जिन मांगों और मुद्दों को लेकर पंजाब जल रहा है, उबल रहा है, उन मांगों से हमारा सम्बन्ध है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, अब अकाली आतंकवादी भिण्डरावाले का गिरोह या गैंग राजस्थान की सरकार और राजस्थान की जनता पर यह दबाव डाल रहे हैं कि × × × राजस्थान के मुख्य मन्त्री....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाहर के किसी नेता को इस चर्चा में न जोड़ें। आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : वह जिम्मेदार हैं, अध्यक्ष महोदय, उनमें विल पावर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप राजस्थान की सरकार के कार्यकलापों के बारे में कह सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कारण वही है, कारण सूत्र वहां से है। सूत्र वहां से है तो उसको कैसे अलग करके बात कर सकते हैं इस बारे में। सारा घटनाक्रम वहां से चल रहा है, पंजाब की समस्या का हल नहीं निकल रहा है। डी. आई. जी. मारे जा रहे हैं। यह पुलिस वाले क्या करेंगे? इनकी कोई ताकत और हैसियत नहीं है। आज पंजाब में यह हालत हो रही है कि कोई हथियार लेकर गुजर जाओ, पुलिस रोकती नहीं है। पधारिये साहब, इतना आतंक वहां छा चुका है। वहां पुलिस बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और यह भावना....

श्री मोहन लाल मोदी (नीमका-थाना) : राजस्थान की बात चल रही है।

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां, राजस्थान में भी यही हो रहा है। क्या बात कर रहे

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथ सिंह)

हैं, राजस्थान में भी एग्जेक्ट वही हालत है। कोई ला एण्ड आर्डर है ?

(12.38 म. प.)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : कृपया आपस में बात न करें। कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : तो चुप करिये।

श्री सभापति : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, मुख्य मन्त्री के पैट्रोल पम्प के लुटते समय भी 2-3 दिन पहले विरोधी दल के माननीय नेता के चैम्बर में बैठ कर बात कर रहे थे कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। हमारे भी सोर्स हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं लेकिन जिस प्रकार की घटना बूंदी में हुई, भीलवाड़ा में हुई उसको भिण्डरावाले से जोड़ा जाय। सभापति महोदय, यह गंभीर मसला है और यह सरकार की नाकाबलियत है। मैं मांग करूंगा कि इस तरह की घटना लगातार चलती रहें, कानून और व्यवस्था बिगड़ती रहे, आतंकवादी राजस्थान को भी अपनी गिरफ्त में लेकर उपद्रव करने की कोशिश करें और सरकार अक्षम हो ऐसी सूरत में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। माथुर साहब अक्षम रहे हैं उनको इस्तीफा देकर चला जाना चाहिये, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है।

श्री सभापति : माननयी सदस्यगण, आप सब एक ही साथ खड़े होंगे ? आप लोग एक ही दल के सदस्य हैं। आप में से एक सुश्री पुष्पा जैन।

माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायें। बैठे बैठे न बोलें, माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने तथ्य रखे हैं। उन तथ्यों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे पूछना है, मुख्य मंत्रीजी, आप से, राजस्थान में एक के बाद एक घटना होती जा रही है आपने इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या इन्तजाम किया है ? यह आपने क्यों नहीं बताया इस सदन को ? एक के बाद एक घटनायें हुईं, हर घटना के बाद विरोधी दल की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिये गये, आपको सूचना दी गयी। इन स्थगन प्रस्तावों को क्यों, सभापति महोदय, मुझे नहीं मालूम कि रद्दी की टोकरी में क्यों फेंक दिया जाता है। अगर सरकार सतर्क होती तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकती हूं कि न बूंदी की घटना होती और न गुलाबपुरा की घटना होती। मुख्य मंत्रीजी, उसका क्या गया, उजड़ तो गये वे घर जिनके चिराग हमेशा हमेशा के लिये सो गये। आपको सुन कर दुख होगा, सभापति महोदय, जो व्यक्ति गुलाबपुरा काण्ड में

(सुश्री पुष्पा जैन)

मारा गया है वह राजकुमार चौधरी है। वह सात बहिनों का इकलौता भाई है। कौन तसल्ली देगा उन बहिनों को जिनकी राखी हमेशा हमेशा के लिये उनके हाथ में पड़ी रहेगी। आप मुख्य मंत्री हैं स्टेट के, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो कोई अधिकार नहीं है मुख्य मंत्री बने रहने का। सभापति महोदय, वह व्यक्ति सात बहिनों का भाई है। उसके बाप ने कितनी मेहनत की होगी उस व्यक्ति को पढ़ाने के लिये। दो व्यक्ति जिनकी हत्या हो गयी, दोनों चार्टेड अकाउन्टेन्ट हैं। जिसके एक लड़का हो, जिसकी वाइफ प्रेगनेन्ट हो दूसरा बच्चा आयेगा, उसके आने के पहले उसका पिता हमेशा हमेशा के लिये दुनियां से चला गया।

दूसरा जो जितेन्द्र जैन है, मैं बताना चाहूंगी कि वह भी चार्टेड अकाउन्टैन्ट है। उस व्यक्ति की अभी छः सात महीन पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी का जिन्दगी का सपना देखने के पहले ही मांग का सिन्दूर हमेशा हमेशा के लिये उजड़ गया। कौन जिम्मेदार है? किस को जिम्मेदार ठहराया जायेगा? निश्चित रूप से, मुख्य मंत्रीजी, आप जिम्मेदार हैं। अगर आप सजग होते तो कोई घटना नहीं होती।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी यदि आपने इस पुलिस पर अंकुश रखा होता, भरतपुर काण्ड में दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा दी होती तो कोटपूतली का काण्ड नहीं होता। यदि कोटपूतली में दोषी पुलिस अधिकारियों को आपने सजा दी होती तो अलवर का काण्ड नहीं होता। इन दोषी पुलिस अधिकारियो को आपने सजा दी होती तो निश्चित रूप से अलवर का पुलिस गार्ड के रहते वह काण्ड नहीं होता जहां लाशें बिछा दी गयी और लाशों पर चढ़ कर नृत्य किया गया वह वीभत्स काण्ड नहीं होता। सभापति महोदय, पुलिस को मालूम पड़ जाये कि ऐसे काण्ड होने वाले हैं उसके बाद पुलिस नैग्लीजेन्ट रहती है, लापरवाही बरतती हैं तो आप उसको सजा दें। मुख्य मंत्रीजी, आप उनको सजा नहीं देंगे तो फिर राजस्थान की इससे भी बदतर हालत होगी। सभापति महोदय, कोटा में डकैती हुई, हत्याएं हुईं। एक दफा हुईं उसके बाद दुबारा हुईं। मुख्य मंत्रीजी, क्या कर लिया आपने? उसके बाद बूंदी में डकैती हुई, क्या कर लिया? हर काण्ड के बाद, मुख्य मंत्रीजी, आपने अपने बयान में यह कहा कि घटना के तुरन्त बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गये। मैं पूछना चाहती हूं, क्या किया आपके पुलिस अधिकारियों ने? महज इसके कुछ नहीं किया कि पुलिस अधिकारी वहां जाते हैं और पुलिस के छोटे कर्मचारी उनकी अगुवाई में लग जाते हैं। जो सेना, जो पुलिस इन हत्याओं को रोकने के लिये, इन डकैतियों को रोकने के लिये, इन अपराधों को रोकने के लिये लगनी चाहिये, सभापति महोदय, वह सारी की सारी पुलिस इन अधिकारियों की अगुवाई में लग जाती है या मंत्री महोदय की अगुवाई में लग जाती है और हालत यह होती है कि जो

(सुश्री पुष्पा जैन)

छोटा मोटा काम होता वह भी होने से रुक जाता है। पुलिस अधिकारी घर में बैठे रहते हैं। राजस्थान की जनता को ऐलानियां कह दिया जाये कि आपकी पुलिस, आपके राज्य का मंत्री मण्डल इन हत्याओं को, इन अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं है तो राजस्थान में जन-जागरण हो जायेगा, राजस्थान की जनता अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले लेगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, गुलाबपुरा में जिस तरह का काण्ड हुआ, इस तरह की दुखद घटना, मैं समझती हूं, दुश्मन के साथ भी न हो। मुख्य मंत्रीजी से मैं मांग करती हूं कि जो जन-प्रतिनिधि अपनी जनता की समस्या को इस सदन में नहीं रख सके, उस जन-प्रतिनिधि को जन-प्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार नहीं है चाहे वह पुष्पा जैन हो या कोई और हो। सभापति महोदय, हमने राजस्थान की समस्या को इस सदन में रखा। रखने के बाद जो सरकार इस समस्या का निराकरण नहीं कर सकी, उस सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है लिहाजा, मुख्य मंत्रीजी, इन दोनों घटनाओं के बाद मैं आप से मांग करती हूं कि यदि आप राजस्थान की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इस्तीफा दे दें ताकि राजस्थान की जनता कम से कम आपके सम्मुख नहीं देखे।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : एक ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदय, जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है उन्हीं को बोलने का अधिकार है।

माननीय श्री बंसीलाल पटवा।

श्री आत्माराम चौधरी : यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं है।

श्री सभापति : यह स्थगन प्रस्ताव के रूप मे ही है।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, गुलाबपुरा के खारी ग्राम में कल साढ़े चार बजे जो घटना घटी उस गोली काण्ड में राजकुमार और जितेन्द्र, दो की मृत्यु हुई, जे. सी. लड्ढा अजमेर में भर्ती हैं। जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि उनका उपचार हो रहा है लेकिन क्या स्थिति बनेगी, यह भविष्य के गर्भ की बात है। वह जीवित रहें, हमारी उम्र उनको लगे। मेरा निवेदन यह है कि जो घटना घटी है उस घटना की जड़ में हमको जाना पड़ेगा। बूंदी में सड़क के किनारे, खेत में ले जाकर मार दिया। वहां भी इसी तरह के दाढ़ी वाले, बाल वाले व्यक्ति थे। पहले बूंदी में तीन सिख युवकों ने हत्या, लूटपाट की फिर बैंक में डकेती हुई। बैंक डकेती के बाद गोली चलायी गयी। राजस्थान स्पिनिंग मिल की गाड़ी को लेकर उग्रवादी फरार हुए और, जैसा वक्तव्य में बताया गया, वह भीलवाड़ा की तरफ गये, पुलिस मुस्तैदी से तलाश कर

72

(श्री बंसीलाल पटवा)

रही है। मन्त्री महोदय ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। मैं आपको बताऊं, मन्त्री महोदय, आपने जो एक लाख रुपये का इनाम उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिये घोषित किया है, यह सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। आपकी पुलिस इतनी कमजोर है कि आपने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। हम पुलिस की व्यवस्था की तरफ निरन्तर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी कोटपूतली में घटना घटे, भीलवाड़ा में अशोक सिन्धी की हत्या कर दी जाये, फिरौती मांगी जाये, उसका आज दिन तक पता नहीं लगा है और हम लाइट वे में इन घटनाओं को लें। यह राजस्थान के हित का सवाल है और इन घटनाओं की तह में जाना पड़ेगा। पंजाब और राजस्थान का सवाल है। हम अपने हकों के लिये पंजाब से लड़ेंगे। पंजाब हम से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा परन्तु हम अपने हितों के लिये आवाज उठायेंगे। पिछले सप्ताह मैं भीलवाड़ा कलेक्टर से मिला था, हमारे कई साथी उनसे मिले थे। हमने उनको कहा था कि राजस्थान में उग्रवादी घुसे हैं, मुख्य मन्त्री महोदय के लड़के का पेट्रोल पम्प लूट लिया है, बूंदी में भी बैंक को लूटा गया है, एक के बाद एक क्रम में यह घटनायें घटती जा रही हैं, आप इस बारे में समुचित व्यवस्था कीजिये। उन्होंने कहा, केन्द्रीय सरकार को आपका सन्देश पहुँचा दिया जायेगा। इस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं समझता हूं कि भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर को एक सप्ताह पहले उग्रवादियों के बारे में सूचित कर दिया गया था। मैं स्वयं गया था, मेरे साथी गये थे, हमने बात की और यह घटनायें सामने रखीं। यह जितना भी घटनाएं हैं, गुलाबपुरा की राजस्थान स्पिनिंग मिल की, अजमेर के चौराहे की जहाँ पर भीड़-भड़ाका रहता है, आवागमन रहता है, दिन दहाड़े इस तरह की कृषि मन्त्री जी क्षेत्र में घटनायें घटती जायें और वह मौन बैठे रहें, पुलिस की व्यवस्था न हो, एक के बाद एक ज्यादती होती रहे, हत्यायें होती रहें, लूट-खसोट होती रहे, इसके पीछे कारण यही है कि पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं है। विरोधी दल सहयोग करने को तैयार है, सरकार हमसे जो अपेक्षा रखती है हम उसे पूरा करने को तैयार हैं, वह मजबूत व्यवस्था करे। लेकिन आज दिन तक राजस्थान में पुलिस की मजबूत व्यवस्था नहीं की गयी है। वक्तव्य देते हैं कि हम मुस्तैदी से पता लगा रहे हैं, हमने इनाम घोषित कर दिया है। इससे काम नहीं चलेगा, मुख्य मन्त्री जी, गृह मन्त्री जी। आज इन दो को मारा है, कल आपकी और मेरी बारी आ सकती है। हमको रास्थान में पुलिस की व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। हमारे राजस्थान की जो सीमाएं हैं वहाँ चौकसी रखना पड़ेगी और जो पुलिस वाले मुस्तैदी से काम नहीं करें उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आज दो मारे गये हैं, सभापति महोदय, कल आपकी और मेरी बारी आ सकती है। इस लिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि या तो व्यवस्था आप ठीक करें नहीं तो सरकार छोड़ कर इस्तीफा दें। जनता के हित में अपना इस्तीफा दे दें, इस तरह से काम नहीं चलेगा। व्यवस्थाओं को मजबूत करें। यदि हमारे सहयोग की जरूरत पड़े

(श्री बंसीलाल पटवा)

तो अपोजिशन सहयोग करने के लिये तैयार है परन्तु इस तरह से काम नहीं चलेगा। मजबूर होकर —

श्री सभापति : कृपया बैठें।

श्री बंसीलाल पटवा : हमें विस्फोट, भण्डाफोड़ करना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री भूपाल सिंह जी।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मेरा यह अर्ज करना है कि यह जो घटनाएं राजस्थान में घट रही हैं, इसके बारे में चाहे उधर के सदय हों, चाहे इधर के सदस्य हों, सोचने का, रास्ता निकालने का सभी का काम है। मेरा जहां तक ख्याल है, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो मुख्य मन्त्रीजी ने भाषण दिया था उसमें यह इशारा किया गया था। मैंने उस वक्त यह सवाल भी किया था कि आप स्पष्ट फरमायें, लेकिन स्पष्ट नहीं फरमाया। इन 8-10 दिनों में जो घटनायें बढ़ती जा रही हैं, मेरे दिमाग से मुख्य मन्त्री को इसलिए डराया, उनके पेट्रोल पम्प पर इसलिए छापा मारा, मुख्य मन्त्री इसलिए डर रहे हैं कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम उनकी लिस्ट में नम्बर एक पर है, कहीं दो नम्बर पर उनका नहीं लिख दिया जाय। इसलिए मुख्य मन्त्रीजी डर रहे हैं और ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरा जहां तक अन्दाज है, राज्य सरकार ने जो लुटेरों को पकड़ेगा उसको इनाम देने का एक लाख रुपया रखा है वह इसलिए रखा है कि पुलिस की जो सर्विसेज है, जो कोई पुलिस के अन्दर जाता है, एस. आई. के लिए जाता है या किसी भी पोस्ट के लिए जाता है तो उससे पचास हजार-लाख रुपया लिया जाता है तब उसको नौकरी मिलती है और जब वह ट्रान्सफर करवाने के लिए जाता है तो यह थाना 10 हजार, वह थाना, 20 हजार लेकर ट्रान्सफर होता है। यह सब कोई छिपा हुआ नहीं है। मैं कोई नयी बात अर्ज नहीं कर रहा हूं। यह तो एक रूटीन वर्क है। अब उसके बाद फिर उससे माहवारी ली जाती है। तो जब इस तरह के काम और व्यवस्थाएं चलती हैं तो इनाम भी जरूर इश्यू करना पड़ेगा क्योंकि जैसा लेना है वैसा ही देना भी तो है। मैं तो यह चाहता हूं कि पहले कुछ भी हुआ हो लेकिन अब तो कम से कम बड़े सक्रिय होकर ड्यूटी दो। पुराने को छोड़िये जो लिया दिया सो लिया दिया और कमाया सो कमाया लेकिन अब तो ड्यूटी सही दो। मेरी जानकारी है, मैंने सुना है कि जो बूंदी से चले और भीलवाड़ा में गुलाबपुरा के पास जिन्होंने डकैती की है, निम्बाहेड़ा में उन तीन आदमियों को गिरफतार किया है।

एक माननीय सदस्य : वे नहीं हैं।

श्री भूपाल सिंह : तो रास्ता रोक कर, सब जगह परीक्षा शुरू कर दें, कोई मुश्किल की बात नहीं है कि एक आदमी राजस्थान को कन्ट्रोल नहीं कर सके। लेकिन जहां ढिलाई बरती जाती है, एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई भी आदमी अच्छा काम

(श्री भूपाल सिंह)

करें उसको तरक्की नहीं दी जाती है और बुरा काम करें उसको प्रोत्साहन दिया जाता है तो, हुक्म, पैसों के ऊपर काम होगा, यह तो इस तरह से ही चलेगा। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे समय में जबकि हमारे पड़ोस में हो-हल्ला है और वहां के लोग अशान्त हैं, दिल्ली तक बन्द है, कल जयपुर भी बन्द होगा, परसों बन्द होगा, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हम सभी सक्रिय होकर सहयोग दें और व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया उसके अन्दर यह नहीं बताया कि पुलिस घटनास्थल पर कितनी देर बाद पहुँची है। इसकी सूचना, जैसा अखबारों में छपा है, बैंक मैनेजर ने टेलीफोन पर सूचना दी उसके 10 मिनट बाद पुलिस वहां पर पहुँची। सभापति महदोय, बड़े ताज्जुब की बात है कि पुलिस के पास वायरलैस सैट, सारे आधुनिक साधन होने के बावजूद वे आंतकवादी 10 मिनट के अन्तराल में भाग गये। उनको पुलिस अब तक नहीं पकड़ सकी। क्या इससे यह भ्रम पैदा नहीं होगा कि जान-बूझकर पुलिस डर गयी, आंतकवादियों को देख लिया उसके बाद उनको नहीं पकड़ सकी। सभापति महोदन, यह कभी नहीं हो सकता 10 मिनट में वे हैलीकोप्टर से उड़ कर भाग गये हों। आज बैंक के कर्मचारी उनसे डरे हुए हैं। पूरे राजस्थान भर के बैंक कर्मचारी इन घटनाओं से आतंकित हो रहे हैं। उनका यही मानना है कि जान बचानी है, चाहे बैंक लूट जाय। वे तो अपनी जान बचाने के लिए तत्पर हैं। यदि इस तरह के असामाजिक तत्व सरकार के रवैये को देखते हुए अपना उग्र रूप दिखाते जाय और यहां पर शान्ति व्यवस्था को बिगाड़ दें तो बहुत ज्यादा सम्भव है कि पूरा पंजाब क्षेत्र जिस तरह से अशान्त हो गया उसी तरह कहीं राजस्थान न हो जाय। इसलिए सरकार को तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिए और यदि सरकार असफल रहती है तो सरकार को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देकर ऐसी घटनाओं से राजस्थान को बचाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, बूंदी बैंक को लूटने के बाद जब लुटेरे चले हैं सरकार के पास यह सूचना है कि पहले वे स्कूटर से चले, बाद में ट्रक से चले और तालेड़ा में पुलिस टोली ने उनको रोकने की कोशिश की और वे चले गये। लुटेरे चार पहियों के वाहन से पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। एक बैंक को लूटने के बाद दूसरा बैंक लूट रहे हैं। तो चार पहियों के वाहन से लुटेरे घूम रहे हैं क्या उसके बाद भी पुलिस उनको पकड़ने में असमर्थ हो रही है ? क्या यह अकर्मण्यता का द्योतक नहीं है। सभापति महोदय, मैं मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी से आया हूं, मेरी

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

कान्स्टीट्यूएन्सी में पिछले तीन दिनों में 5 वारदातें हो चुकी हैं। ये आतंकवादी दाढ़ी-मूंछ वाले नहीं हैं, वेष बदल कर यहां रहे हैं। उनके पास स्टेनगन, पिस्टल हैं। इस बात को जब सामाचार पत्रों में, आम आदमी पढ़ेगा तो वह और आतंकित हो जायेगा, हो रहा है। अभी मैं टैक्सी से कोटा जा रहा था तो टैक्सी ड्राइवर को दूसरे ड्राइवर ने कहा कि कोटा जा रहे हो, वहां तो आतंकवादियों का घर है, बड़ी सावधानी से रहना। सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि वे चैलेन्ज कर रहे हैं हमारे मुख्य मन्त्री को। क्या वे आपके पैट्रोल पम्प पर 20 हजार रुपये लूटने गये थे ? वे पैट्रोल पम्प को लूटने के लिये नहीं गये थे, आपको चेतावनी देने के लिए गये थे। आपका पैट्रोल पम्प लूटा, 20 हजार रुपये लूटे। कोई दूसरा पैट्रोल पम्प नहीं था ? अब बूंदी और कोटा के बाद भीलवाड़ा आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी में, आपके क्षेत्र में प्रहार किया, आपको चैलेन्ज किया है। मुझे तो लगता है कि रावी-व्यास के मामले में मुख्य मन्त्री और विरोधी दल के नेता बहुत बोल रहे हैं, हिट लिस्ट में पहला नम्बर आपका है, दूसरा विरोधी दल के नेता का है, इसलिए आपको अपनी चिन्ता करनी चाहिए। हमारे और आपके राजनैतिक विरोध हो सकता है, आप हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं लेकिन हम आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं। आप दोनों हिट लिस्ट में हैं उस आधार पर आपको अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उन अधिकारियों को सस्पैण्ड कीजिये जो योजना बनाने में चूक कर रहे हैं। हमारा आम सिपाही, नीचे तबके का सिपाही अकर्मण्य नहीं है। बैंकों पर आतंकवादी घूम रहे हैं और हम लोग उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी, दिन रात होने वाली घटना इस बात की द्योतक है कि प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, जो एक दृश्य राजस्थान में पहुँचा है, आज कोई आदमी घर से निकलता है तो यह उम्मीद करने नहीं चलता कि मैं वापस आ जाऊंगा या नहीं। यह किसकी देन है, कौनसी सरकार की देन है ? यदि आप में नैतिकता है तो आपको इस्तीफा देकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं। मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहूंगा कि राजनैतिक मतभेदों को दूर रखिये, हमसे जो सहयोग, सहायता और कोआपरेशन चाहिए, हम सभी कोआपरेशन सरकार को देने के लिए तैयार हैं। पुलिस डिमोरलाइज न हो, हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस बहादुरी दिखाये। यह तो केवल राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण से है, आप उनको नैतिक साहस दें। कल आपका भाषण मैंने सुना उससे ऐसा लगता है कि मुख्य मन्त्रीजी निराश हो गये हैं। उनके वक्तव्य में कोई जोश नहीं था, कोई साहस नहीं था, कोई नैतिकता नहीं थी। ऐसा लगा कि आपने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिये हों।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं चाहता हूं कि वक्तव्य ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी जनता का मनोबल बढ़े।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

कल के भाषण से मनोबल गिरा है। इसलिए जनता का मनोबल बनाये रखें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, 5 मार्च को विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ और विधान सभा के सत्र प्रारम्भ होने के बाद लगातार किसी न किसी रूप में यहां पर, राजस्थान प्रदेश की कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के प्रति विपक्ष ने और सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

(1.00 म. प.)

आज जो वक्तव्य आया है, माननीय सभापति महोदय, उसमें कहा गया है कि इसमें उग्रवादियों और आतकंवादियों का हाथ होने की सम्भावना से मना नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, पिछले एक महीने से जो आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है उसके बारे में कुछ सवाल आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं और इसलिये पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार मुस्तैद हो, सरकार सक्रिय हो, सरकार जागरूक हो तो सरकार के पास इतना मशीनरी है, काम्पिवट मशीनरी है जिसके आधार पर यह सारे अपराध रोके जा सकते हैं। लेकिन पुलिस का चरित्र गिर रहा है। पुलिस को सरकार नियंत्रित करने में और जो व्यवस्था है उसके आधार पर काम देने में असफल रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, प्लेन ड्रेस पुलिस हमारे राजस्थान में है। हर जिला एस. पी. के यहां गुप्तचर विभाग में सादे कपड़े में सैकड़ों लोग नियुक्त किये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय और गृह राज्य मंत्री को यह सूचना देना चाहता हूं कि गुप्तचर विभाग में लगे हुए वह लोग एस. पी. और बड़े अफसरों के यहां अर्दली की तरह काम में लिये जाते हैं, उनसे गुप्तचरी का कोई काम नहीं लिया जाता है। यह पहली असफलता है जो राजस्थान की पुलिस कर रही है। इसकी वजह से किसी के ऊपर भी कोई निगाह नहीं रखी जाती। गुप्तचर विभाग के नाम पर लाखों रुपये आप देते हैं गुप्तचरी के लिये कि भाई, यह गुप्तचर विभाग है पुलिस का इसलिये लाखों रुपया है। वह रुपया, माननीय सभापति महोदय, पुलिस वाले इधर उधर के मजे करने के कामों में खर्च कर देते हैं। क्योंकि उसकी आडिटिंग पर थोड़ी मुक्ति है, उस पर ज्यादा पूछताछ नहीं होती इसलिये उसका फर्जी हिसाब बनाकर रखा जाता है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, केन्द्र की एक इन्टेलीजेंस सर्विस चलती है। इस बात के निर्णय हैं, इस बात का आदेश है कि केन्द्र का इंटेलीजेंस ब्यूरो और राजस्थान का गुप्तचर विभाग कोआर्डिनेशन से काम करेंगे और जो सन्देहास्पद व्यक्ति हैं उन पर नजर रखेंगे। मैं आपके माध्यम

(श्री कैलाश मेघवाल)

से पूछना चाहता हूं कि पिछले एक महीने में इस प्रकार की बातें आपके सामने आयी हैं, आपने क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से इस बारे में कोई की जानकारी ली है? क्या उनसे सम्पर्क किया है? क्या उनसे आपने यह पूछा है कि राजस्थान में यह सारा माहौल खड़ा हो रहा है इसमें क्या स्थिति है, आपके पास क्या सूचना है वह हमें दीजिये? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नसीराबाद केन्टोनमेंट बोर्ड हैं, कंन्टोनमेंट बोर्ड होने के साथ मिलिट्री वहां पर है और एक मिलिट्री इंटेलीजेंस सर्विस भी है। इस मिलिट्री इंटेलीजेंस सर्विस का जो कार्य होता है वह राजस्थान की गुप्तचर शाखा व देश की इंटेलीजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के प्रति कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इधर उधर निकलता है तो उस पर निगाह रखने का होता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह जो पृष्ठभूमि बनी है, इस पृष्ठभूमि में क्या आपने मिलिट्री इंटेलीजेंस से कोशिश की है जानकारी लेने की या सम्पर्क व समन्वय स्थापित करने की? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू इंटेलीजेंस है, एक्साइज इंटेलीजेंस है, पालिटिकल इंटेलीजेंस है, रॉ की इंटेलीजेंस है, सारे गुप्तचर विभाग, चाहे राजस्थान के हों, चाहे केन्द्र के हों, को समन्वित रूप से काम करने के निर्देश हैं हर जगह। मैं चाहता हूं, आज सरकार इस बात का जवाब दे, यह देश की जो अलग अलग गुप्तचर एजेन्सियां हैं जिनके द्वारा राजस्थान के संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा सकती है, आईडेन्टीफाई किया जा सकता है उसके बारे में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं, गुलाबपुरा, स्पिनिंग मिल में जिलाधीश लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में जिले का प्रमुख, उस समय मौजूद था, माननीय सभापति महोदय, उसको सूचना एक मिनट या दो मिनट बाद मिल गयी होगी कि यह हत्यायें हो गयी हैं, हत्यारे भाग रहे हैं, 8 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने जिस वाहन से भागे हैं उस वाहन को छोड़कर कोई दूसरा वाहन ग्रहण किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कलेक्टर ने क्या कार्यवाही की? कलेक्टर ने कोशिश की? कलेक्टर की जीप और कार में वायरलैस सैट लगा रहता है। हर डी.वाई. एस. पी. की जीप में वायरलैस सैट लगा रहता है। एस. पी. और डी. आई. जी. की जीप और कार में वायरलैस सैट लगा रहता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कलेक्टर, जो कि वहां से केवल एक फर्लांग की दूरी पर बैठा था, ने सूचना मिलने के बाद क्या कार्यवाही की? इधर अजमेर उधर भीलवाड़ा और चित्तौड़ इसके आगे कहां जाते? माननीय सभापति महोदय, अगर इन बातों का आपके पास जवाब नहीं है तो रिच आफ पालिटिकल

(श्री कैलाश मेघवाल)

विल से चलती है आप अगर अपनी रिच को, राजस्थान की जनता के दिये हुए विश्वास को ठीक ढंग से लागू नहीं कर सकते,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि राजस्थान को छोड़ दें, त्याग-पत्र दे दें अगर आप यह व्यवस्था नहीं सम्भाल सकते हैं, इतना ही मेरा निवेदन करना है ।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय राज्य मन्त्री ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : मैं राज्य सरकार को कुछ नये सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, एक मिनट ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : वहां पर लोगों को ...

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : आप इस रण की भूमि को लज्जित कर रहे हो । माननीय सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण ।

(व्यवधान)

श्री छीतरलाल आर्य : मुख्य मन्त्रीजी मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में झांसी की रानी हुई है, आपसे तो औरत अच्छी थी ।

(व्यवधान)

(1.06 म. प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दे दूंगा ।

श्री आत्माराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपको भी अवसर दिया जायेगा । आपके बाद आत्मारामजी ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले समय से उत्तर भारत में उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और निरन्तर बढ़ रही हैं, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उग्रवादियों ने राजस्थान को अपना टार्गेट बनाया है। राजस्थान में ऐसी कई घटनायें घटीं, जिनसे यह संकेत मिलते हैं और माननीय मन्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में अभी फरमाया कि यह हो सकता है इन गतिविधियों में उग्रवादियों का हाथ हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि खालिस्तान का जो नक्शा बनाया गया है....

श्री अध्यक्ष : आपने यह दाढ़ी इसीलिये ही रखी है क्या ?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, खालिस्तान के नक्शे में गंगानगर जिला, खालिस्तान के नक्शे में बीकानेर जिला, खालिस्तान के नक्शे में जैसलमेर जिला और अगर इसको गौर से देखा जाय तो यह साफ जाहिर होता है कि जहां-जहां राजस्थान कैनाल का एलीवेशन है उस एरिया को उन्होंने खालिस्तान के नक्शे में सम्मिलित किया है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की एक बड़ी भारी डिमाण्ड है, उस डिमाण्ड पर माननीय सदन के नेता महोदय, विपक्ष के माननीय नेता महोदय भी कई बार अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। खास तौर से रावी-व्यास का मामला है। खालिस्तान की डिमान्ड में रावी-व्यास का इश्यू एक मेजर इश्यू है। अध्यक्ष महोदय, यह मेजर इश्यू होने की वजह से, राजस्थान कैनाल में इसका पानी मिलने की वजह से जो इन तीन जिलों को इस खालिस्तान के नक्शे में सम्मिलित किया गया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता महोदय को आज यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो यह उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उग्रवादियों की यह गतिविधियां अब निश्चित रूप से इन तीन जिलों में बढ़ेंगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीन जिलों, जो मैंने अभी आपको अर्ज करे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जहां-जहां राजस्थान कैनाल का एलीवेशन है, हो सकता है वहां भी उग्रवादी अपनी गतिविधियां बढ़ायेंगे और अपना जो एक प्रेस्टीजेयस प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों जिलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करके ऐसे प्रबन्ध किये जाय कि उग्रवादी इन तीनों जिलों म आतंक नहीं फैला सकें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री आत्माराम।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं वे उग्रवादियों के प्रति, राज्य की कानून और व्यवस्था के प्रति बड़े जागरूक हो रहे हैं और होना भी चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह के रचनात्मक सुझाव

(श्री आत्माराम चौधरी)

देवें। प्रचार करें, इसके लिये अगर कोई चर्चा हो यह कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। उग्रवादियों से कैसे निपटा जाय, यह जो हालात चल रहे हैं इससे कैसे निपटा जाय, इसके बारे में अगर रचनात्मक सुझाव देवें तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस शान्ति-व्यवस्था, जो सबसे जरूरी चीज है, की जिम्मेदारी किस पर है। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब जो कृषि उपजाऊ क्षेत्र है, जहां अच्छा वातावरण है, को शान्ति–व्यवस्था खराब होने की वजह से छोड़कर गंगानगर और रेगिस्तान की तरफ आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज पर समाज टिका हुआ है, शान्ति और व्यवस्था टिकी हुई है उसके बारे में हमें सोच-विचार कर प्रश्न करना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि जिस पर हम टिके हुए है उस व्यवस्था को बगैर मतलब के हम बिगाडें। यह कोई बरदास्त नहीं करेगा कि राज्य की व्यवस्था, जिस पर हमारी जिन्दगी मुहनसर है, हम बिगाड़ें क्रिटी साइज करें। उस वातावरण को बिगाड़ने के लिये कोई अलाऊ नहीं करेगा मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह का वातावरण और बिगड़े। मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा। यह ठीक है कि इस तरह की बारदात नहीं होनी चाहिये पर जहां समाज होता है वहां हर तरह के लोग रहते है। मौजूदा वातावरण के अन्दर मैं तीन-चार उदाहरण आपको दूंगा। सबसे पहले पहले डेढ़ महीने पहले हमारे शार्दूल शहर के अन्दर 8-9 लड़कों की लड़ाई हुई। उस लड़ाई की वजह से वहां भीड़ इकट्ठी हो गयी। भिंडरावाले और खालिस्तान के नारे लगे, गाड़ी रोक ली गयी, भीड़ इकट्ठी हो गयी। हमारी पुलिस ने उस दिन अगर तत्परता नहीं दिखाई होती तो उन 9-10 लड़कों को जला देते। भीड़ बहुत उतावली हो रही थी। मैं समझता हूं कि सामूहिक दखलंदाजी से वह बच गये। उसके बाद में मेरे ख्याल से अखबार में भी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह दो-तीन दफा गुरुद्वारों में गुरू ग्रंथ साहब के आग लग गयी। उस खबर को देखने से ही पता चल रहा था, उसके पढ़ने से ही पता चल रहा था, यह विश्वास होता था कि वे न्यूट्रल तरीके से जांच कर रहे हैं, कितनी जल्दी प्रशासन वहां पहुंचा और किस तरह से उन्होंने सब को सैटिस्फेक्शन दिया, प्रिंट्स लिये और दूसरे जो सिम्पटम थे उसको चैक किया। इसके बाद 23 तारीख को वहां नामजद डाका पड़ा, बैंक लुटा। तीन लाख रुपये वे लेकर चले गये। मैं समझता हूं कि यह एक रिकार्ड है, आज के इस युग में, इस टाइम में जब कि बहुत भारी डिस्टबेंस चल रहा है, उन्होंने 23 तारीख की शाम को ही चार घंटे के अन्दर एक डाकू को मार दिया और तीन को मय रुपयों के पकड़ लिया और सारा पैसा बरामद कर लिया। मैं समझता हूं कि इस तरह के वातावरण के अन्दर इस तरह का उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम जिम्मेदारी से न लेकर बगैर मतलब के क्रिटीसाइज करेंगे तो इस समाज का जो सबसे जरूरी

(श्री आत्माराम चौधरी)

अंग है उसका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे या उसके मोरल को कायम नहीं रखने की बात करेंगे। और यह मेरी कही हुई बात नहीं है, गवर्नमेंट की कही हुई बात नहीं है उसी दिन 23 तारीख को बी. बी. सी. से यह तीन मिनट तक कमेंट्स आये कि राजस्थान की पुलिस ने किस तत्परता से काम किया। आपने अखबार नहीं पढ़ा हो, नहीं देखा हो तो बी.बी.सी. से पूछ लेना जिसकी इंपार्शियलिटी के बारे में अपनी एक मान्यता है। उसमें यह है कि राजस्थान पुलिस ने किस तरह से तीन घंटे के अन्दर ही डाकुओं को मार दिया और सारा पैसा बरामद कर लिया और पंजाब की पुलिस ने भी काम किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत ही संजीदा तौर पर रचनात्मक सुझाव देने देने चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई भी यह नहीं चाहेगा, और कोई भी इस बात के लिये इजाजत नहीं देगा कि जिस वातावरण में समाज का जिन्दा रहना जरूरी है और जिन्दा रहने के लिये जो शक्ति काम कर रही है उसको, हम बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी बात के सबको क्रिटीसाइज करने लग जायं। मैं समझता हूं कि राजस्थान पुलिस के अन्दर ऐसे अधिकारी हैं जिन पर हमें गर्व हो सकता है, जिनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं हो सकता, जो तत्परता और अपने हिसाब से काम करने में मेरे ख्याल से दुनिया के अन्दर बेजोड़ हैं। ठीक है मुझे खुशी है कि आप सभी चिंतित है और उसका नतीजा निकलेगा। उस चिन्ता की सदन में चर्चा हो, उस पर रचनात्मक सुझाव आयें और उससे राजस्थान को फायदा हो, देश को फायदा हो, यह मेरी कामना है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल।

चौधरी साहब ने जो बात कही है उसका भी ध्यान रखना। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है कि आज रक्षक ही असफलता के कगार पर पहुंच गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार 20 मार्च से और आज 6 अप्रेल के बीच में लगातार, निरन्तर डकैती और हत्या की जो घटनाएं हुई हैं, यह इस बात का सबूत है कि राजस्थान का पुलिस विभाग और राजस्थान की सरकार अपनी अयोग्यता को साबित कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यह सारी घटनायें घटी हैं, जैसे बूंदी में बैंक लूटा जाना, गुलाबपुरा के अन्दर दो हत्यायें की गयीं, तीसरा जे. डी. लड्ढा के सिर में गोली लगी है गुलाबपुरा के अन्दर, जो कि अस्पताल में हैं अजमेर के अन्दर, यह सारी घटनाएं हमारे पुलिस विभाग की कायरता और मुख्य मंत्री महोदय की कायरता को साबित करती हैं, अयोग्यता को साबित करती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनमें थोड़ा भी

(श्री छीतरलाल आर्य)

साहस है, थोड़ी भी नैतिकता है तो राजस्थान की जनता के हित में इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की पुलिस कायर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में पुलिस अधिकारियों, जो घटना स्थल पर थे, के ऊपर कड़ी कार्यवाही करें। इस प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इनाम की जो घोषणा की है, इनाम की घोषणा के अलावा जिन पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल पर मोजूद होने के नाते कायरता का परिचय दिया है उनको तुरंत निलंबित किया जाना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी(कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने तो वक्तव्य दे दिया उसके पश्चात् हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव के रूप में अपनी बात कही। उन्होंने फरमाया कि जिस प्रकार से चूरू की घटना हुई थी गुरूद्वारे की, उससे सम्बन्धित कुछ ऐसे तत्व पंजाब से रेल में चढ़ कर आये और सादुलपुर मंडेली के अन्दर उनका जनता ने अपनी हिम्मत से, जैसा भी है, मुकाबला किया। परंतु ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि पंजाब से सज-धज कर ऐसे तत्व राजस्थान के अन्दर पहुँचे चाहे वह घटना हुई या न हुई हो परंतु उनका हौसला देखिये कि पंजाब से चलकर और राजस्थान में हमला करने के लिये तैयार हैं।

दूसरा आपने फरमाया हमारी पुलिस की मुस्तैदी के बारे में। हनुमानगढ़ टाउन के अन्दर जो डकेती हुई उसके अन्दर डकेत मारा गया। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि क्या वह डकेत था या किसी और को पकड़ कर जबरदस्ती गोली मारी गयी। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री को उसी वक्त सचेत हो जाना चाहिए था जिस वक्त गंगानगर के अन्दर हथियारों का मालखाना सरे आम लूटा गया था। वहां से हथियार गये आपकी कस्टडी में से। क्या आज तक कुछ सुराग लगा? कोई भी मुल्जिम नहीं पकड़ा गया, न पता लगा आज तक कि हथियारों का क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की कारस्तानी है, आप स्वय जानते हैं। फिर उन्होंने नाजायज हथियार इधर उधर से इकट्ठे करके हनुमानगढ़ में ट्रेन के डिब्बे में बोरी में रख दिये साहब, यह कुछ हथियार वहां मिले हैं, कोई छोड़कर चला गया। पुलिस की कार्यवाही आप स्वयं जानते हैं, सारा सदन भी जानता है कि किस प्रकार की खाना पूर्ति होती है। गंगानगर की घटना घटी अगर उसी वक्त उसी दिन से सचेत हो जाते तो मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे कोई कार्यवाही करने की, आतंकवादियों की यहां आने की हिम्मत नहीं होती। वह पंजाब से कहां तक पहुँचे? पूर्वी-दक्षिणी राजस्थान तक पहुँचे। जैसा पूर्व में माननीय सदस्य फरमा चुके हैं, बार-बार मुख्य मन्त्री को सचेत करना चाहते हैं,

(श्री देवीसिंह भाटी)

चाहे उनका पैट्रोल पम्प हो, चाहे उनका स्वयं का जिला हो। हिट लिस्ट में निश्चित तौर पर आप होंगे। हिट लिस्ट में अगर आप होंगे तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा। हमारे जो जनता द्वारा चुने हुए मुख्य मन्त्री हैं वह अगर लिस्ट में हैं और इनको कुछ हो जाय तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हिट लिस्ट में मुख्य मन्त्री, हरियाणा भी हैं परन्तु उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती कि हरियाणा में जाकर कुछ वारदात कर लें। वह ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ऐसा मुकाबला करने का आप में जोश हो, आप हिम्मत दिखा सकते हों तो हरियाणा की तरह आप भी हौंसला दिखाइये। परन्तु ऐसा आप कर कुछ नहीं पा रहे। पूर्व में जैसा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि पंजाब के कुछ हित हैं, अपने हित हैं, चाहे वह रावी-व्यास का पानी हो, चाहे हमारे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और कच्छ तक के क्षेत्र उनके खालिस्तान के नक्शे में बताये हों, उसके कारण वे इस प्रकार आतंक पैदा करना चाहते हैं। चाहे बैंक में डकेती हो, चाहे सड़क चलते लूट-पाट हो, चाहे पैट्रोल पम्प लूटें, यह सिर्फ आतंक पैदा करने के लिए और डराने के लिए है जिससे जनता के हौंसले पस्त हो जायं, पुलिस सामने आये नहीं। पुलिस वैसे भी सामने आती नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। लगातार जो ऐसी वारदातें हो रही हैं और उनका नतीजा हमारे सामने है कि पुलिस किसी भी मुल्जिम को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुई, न कोई सुराग लगा है। इसलिए इस पुलिस एक्ट को खतम किया जाय, पुलिस व्यवस्था को खतम किया जाय। मैं यह कहता हूं, आप निविदायें आमंत्रित करें, टेण्डर आमन्त्रित करें, देश के जो मशहूर गुण्डे और डाकू हैं उनको ठेकेदारी पर कानून और व्यवस्था सम्भलाई जाय तभी कुछ हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस तो कतई सम्भाल नहीं सकती, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं। गुण्डे और डाकू जहां अपने क्षेत्र में कुख्यात होते हैं वहां वह किसी दूसरे को नहीं आने देते।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप अपने अनुभव बता रहे हैं क्या पुराने ?

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे अनुभव है, मैं जानता हूं, आपको भी पता है कि डाकुओं के जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में किसी दूसरे को डकेती नहीं करने देते, जो पॉकटमार हैं वह किसी दूसरे को आने नहीं देते। पुलिस आपकी फेल हो चुकी है, यह क्यों नहीं मानते हैं आप ? नहीं तो नतीजा बताइये, छाती ठोककर कहिये कि यह यह वारदातें हुईं और फलां फलां मुल्जिम को हमने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, यह-यह सुराग हमें मिले हैं। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है कि इस पुलिस व्यवस्था को खतम करो और ठेकेदारी पर गुण्डों और डाकुओं को यह व्यवस्था सम्भला दो तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : धीरज रखिये। इधर से कोई माननीय सदस्य ? श्री जनार्दन सिंह।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि पिछले दिनों बूंदी के अन्दर बैंक लूटने की घटना घटी और उसको निश्चित तौर से राजस्थान की जनता पर एक असर पड़ा है। आज जिस प्रकार की घटना घटी, इस सदन को निश्चित तौर से इसका अफसोस होगा क्योंकि उन लोगों की हत्यायें हुईं जिनका इस प्रकार की वारदातों से कोई सम्बन्ध नहीं था। जयपुर के एक व्यक्ति की उसके अन्दर हत्या हुई, सही मायने में 5 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और वह ऐसा आदमी था जो किसी से द्वेष भावना रखने वाला नहीं था, न उसका किसी प्रकार से आचरण इस प्रकार का रहा। निश्चित तौर से, चाहे उधर बैठने वाले साथी हों, चाहे हम इधर बैठने वाले हों, हमें इस बात का अफसोस है कि ऐसे लोगों की हत्यायें हुईं और ऐसा होना हमारे लिए बड़ी दुविधा पूर्ण स्थिति पैदा करने वाला है। अध्यक्ष महोदय, यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज देश के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, पंजाब के अन्दर जिस प्रकार की घटनायें घट रही हैं उन घटनाओं का पंजाब से बढ़ते हुए हरियाणा के अन्दर काफी प्रभाव पड़ा है। हरियाणा ही नहीं दिल्ली के अन्दर गुरुद्वारे के अन्दर जिस प्रकार से मनचन्दा की हत्या हुई, इस प्रकार की घटनाओं से ऐसा लगता है कि कोई सुनियोजित षड्यंत्र हमारे देश के अन्दर चल रहा है। इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए ऐसी ताकतें पीछे लगी हुई हैं जो कि इस देश की बढ़ती हुई स्थिति को, इस देश को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई सुनियोजित षड्यंत्र कर रही हैं। जहां एक तरफ हमारा हिन्दुस्तानी, अध्यक्ष महोदय, अंतरिक्ष में पहुँचा, हिन्दुस्तान में बैठे हम लोग उसे देख रहे हों, अंतरिक्ष में हमारी प्रधान मन्त्री उनसे बात कर रही हों, जहां हम एक तरफ इतनी प्रगति कर रहे हैं, दूसरे कई ऐसे देश हैं जो हिन्दुस्तान की इस बढ़ती हुई ताकत को, बढ़ते हुए विकास को, हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी के मनोबल, हौसले को, इस देश को विकास की कड़ी में और ऊंचा उठाने के लिए जो उनका योगदान है उसको देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरे राष्ट्र हमारे इस देश को कमजोर करने में लगे हैं। मैं सोचता हूं. चाहे वह बूंदी की घटना हो, चाहे कल की गुलाबपुरा की घटना हो, चाहे वह मुख्य मन्त्रीजी के पैट्रोल पम्प पर घटी घटना हो, निश्चित तौर पर लगता है कि सुनियोजित ढंग से देश के अन्दर इस प्रकार का वातावरण बनाने की साजिश है। यह अव्यवस्था पंजाब तक ही नहीं, हिन्दुस्तान के कोने-कोने में फैली हुई है। ऐसा लगता है कि उनके लिए यह आवश्यक है कि रोजाना अखबारों के अन्दर कोई एक ऐसी घटना छप जाय जिस से इस देश के अन्दर यह लगे कि इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं, यह कोई नई बात नहीं है कि आज यह घटना हुई हो। घटना तो इसके पहले भी कई बार होती रही हैं, कोई नई बात नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : और भी होंगी ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हो सकती हैं, जैसा भाई देवीसिंहजी कह रहे हैं। पिछले दिनों उपाध्यक्ष, हरियाणा के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, दरबारा सिंहजी के ऊपर हमला हुआ, अध्यक्ष महोदय, चाहे वह राजनीति में बैठे हों, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों, चाहे वह विपक्ष में बैठे हों, वह यह सोचकर तो हमला करते नहीं हैं कि कौन व्यक्ति है, उनको तो एक प्रकार से न्यूज अखबारों में पैदा करने के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाना होता है। एक साजिश पूर्ण, योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार का काम इस देश में कुछ तत्व कर रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को इस बात की चिन्ता है, यह सोचना चाहिए कि ऐसे तत्वों को संरक्षण नहीं मिले चाहे हम कांग्रेस साइड में बैठे हों, चाहे विरोधी पार्टी में हो, कहीं भी हों, ऐसे तत्वों को कोई पसन्द नहीं करेगा।

मै तो, अध्यक्ष महोदय, यहां तक कहूं कि आपकी विधान सभा में भी कोई इस प्रकार का आदमी नहीं आ जाये, इसकी आप भी विशेष तौर से व्यवस्था करें। क्योंकि आज किसी का मालूम नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से आया है। मैं यह कहूं कि हमारे कई विरोधी दल के साथी इस बात को तूल देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विरोधी दल में बैठे हुए लोगों से, विश्वकर्मा औद्योगिक नगरी के अन्दर पिछले दिनों उनके राज के अन्दर बैंक की पहली डकेती इस राजस्थान में नहीं पड़ी ? उस समय जनता पार्टी के राज के अन्दर बैंक के डकेती नहीं पड़ी ? हत्यारों को आज तक भी पकड़ नहीं पाये, आज तक भी नहीं पकड़ पाये। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर कस्टम कलेक्टर मारा गया, आज तक उन मुल्जिमों को पकड़ा नहीं गया। वह भी जनता पार्टी के जमाने की बात है। पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ सुपरिण्टेण्डेण्ट जोशी की हत्या हुई जयपुर के अन्दर, उसके मुल्जिम पकड़े नहीं गये। अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई यह अभिप्राय नहीं है कि मैं जनता पार्टी या विरोधी पार्टी के लोगों के ऊपर अंगुली उठाऊं या आरोप लगाऊं लेकिन सही बात यह है कि राज किसी का भी हो ऐसे तत्व इस समाज के अन्दर बैठे रहते हैं, चाहे वह उनका राज हो, चाहे वह कांग्रेस का राज हो। उनके जमाने के अन्दर भी इस प्रकार की घटनायें घटती रही हैं। लेकिन इस बात की चिन्ता सदन को जरूर है कि ऐसी उग्रवादी शक्तियों को रोकने के लिए सारे सदन को सामूहिक तौर पर इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि ऐसी ताकतों को रोकने के लिए जितना हमारा योगदान हो सकता है, हम सब लोग मिलकर देंगे। राजस्थान जो शान्ति प्रिय प्रदेश है, जहां पर कभी सिचुएशन बिगड़ी नहीं है, जहां पर लॉ-एण्ड आर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी रही है, पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगों को उफान आया लेकिन राजस्थान उन प्रान्तों में से है जहां पर इस प्रकार की घटनायें नहीं घटीं, जहां न कहीं बहुत ज्यादा जातिवाद का आधार रहा, न साम्प्रदायिक दंगों का आधार रहा। अध्यक्ष

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर दोनों तरफ बैठने वाले लोग हैं, इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश न करें कि आपके राज के अन्दर यह घटनायें घट रही हैं। भैरोंसिंहजी के राज में भी इस प्रकार की घटनायें घट चुकी हैं। इसलिये सदन के सभी सदस्यों को सोचना चाहिये कि आरोप-प्रत्यारोप में पड़ने के बजाय सहयोग करें, यही कहना चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, निरन्तर लूट-पाट और डकेती की घटनायें होती जा रही हैं। पहले बोरखेड़ा में हुई, रंगवाड़ी में हुई, बून्दी म हो गई, मुख्य मन्त्रीजी का पैट्रोल पम्प लुट गया और भीलवाड़ा में घटना हो गई, यह सारी घटनायें 15-20 दिनों के बीच में हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि घटनायें होना कोई नई बात नहीं है। घटनायें तो होती रहती हैं लेकिन नयी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, निरन्तर 15-20 दिनों से ये घटनायें हो रही हैं और सरकार केवल यह उत्तर दे दे कि हमने पुलिस दल भेजा है, विशेषज्ञ भेजे है, पुलिस को सतर्क कर दिया है। इसके वावजूद भी आपकी पुलिस क्या कर पा रही है? क्या इन अपराधियों में से आपने एक भी घटना के अपराधियों को को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है? यदि आपने एक भी घटना के अपराधी पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है तो क्या यह आपकी विफलता नहीं है? इसके लिये आपको शर्म आनी चाहिये और इस विफलता के लिये, गृह मन्त्रीजी, आपको और, मुख्य मन्त्रीजी, आपको इस्तीफा देना चाहिये।

राजस्थान आतंकवादियों के साये में है, राजस्थान की जनता में भय और आतंक व्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह घटनायें हो रही हैं तब से नये सरदारों के चेहरे खुले आम घूम रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों मेरे क्षेत्र में गया था, उन आतंकवादियों के पास शस्त्र थे, 4 एम्बेसडर कारें मेरे इलाके से गुजरीं, उनके पास हथियार थे और 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से आगे वाली गाड़ी से व्हिसल बजाते बजाते हुये शहर में से निकले, मोड पर भी स्पीड धीमी नहीं की और सीधे निकल गये। यदि आपकी सारी पुलिस फोर्स वहां पर थी तो वह सब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? झालावाड़ रोड पर बस लुट गई, वदरुन में हत्या हो गई। बार-बार इस तरह की घटनायें होना, अध्यक्ष महोदय, वास्तव में चिन्ता का विषय है। इसके बावजूद भी सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मेरा खुला आरोप है, अध्यक्ष महोदय, आपकी पुलिस उन असामाजिक तत्वों, अपराधियों, लुटेरों और डाकुओं से मिली हुई है और थानों में उनको प्रश्रय दिया जाता है, वहां उनका उठना-बैठना होता है। आप शाम को थानों को जाकर देख लें, उस इलाके के

(श्री हीरालाल आर्य)

जितने भी अपराधी हैं, अध्यक्ष महोदय, वह वहां पर मिलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप नौ तारीख को विचार रख सकते हैं, माननीय सदस्य । इस समय तो केवल वर्तमान घटनाओं तक ही सम्बन्ध रखें ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, मैं कहता हूं कि पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है । वह कायर है, वह पकड़ नहीं सकती है, डरपोक है । यदि कोई व्यक्ति इन पुलिस वालों को ललकारता है तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये जाते हैं, उनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करे इस तरह की घटनायें करते हैं । जैसा कल जब मैं आरोप लगा रहा था कि आपकी पुलिस असामाजिक तत्वों से मिली हुई है इसी वजह से अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तो मंत्री महोदय कहते हैं कि आप चोर हैं । यह आपने पुलिस का करेक्टर बताया है, आपका करेक्टर बताया है । आपके बीच में कोई इन घटनाओं की चर्चा करता है, आपकी पोल खोलने की कोशिश करता है उसके ऊपर ही आक्षेप लगाते हैं, यह तो आपका करेक्टर है । इसलिये आप अपनी वास्तविकता से बाज आकर राजस्थान की जनता में जो भय और आतंक व्याप्त है, हमारी इस भावना को समझकर यदि आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कानून और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिये । इसी में आपकी नैतिकता है और इसी में राजस्थान का और आपका भला है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल मात्र तीन ही सवाल करना चाहता हूं । पहली बात यह है कि मुख्य मन्त्रीजी का पैट्रोल पम्प जिन लोगों ने लूटा, क्या उन्होंने जान-बूझकर लूटा कि यह मुख्य मन्त्रीजी का पैट्रोल पम्प है ? उसके बाद कोटा में, फिर बून्दी में, फिर भीलवाड़ा में घटना घटी । कुल मिला कर, अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि आपने कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं की । कल बीकानेर में करेंगे, फिर जैसलमेर में करेंगे । इसलिए क्या सारे राजस्थान का निरीक्षण करने के लिये पुलिस को कोई आदेश दिये हैं कि वह सतर्क हो जाय ? अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है । अजीब तरीके से खुले आम कहते हैं कि हम भिण्डरावाला के आदमी हैं, हम राजस्थान में कानून और व्यवस्था बिगाड़ देंगे और आतंक फैला देंगे । कुल मिलाकर बात, अध्यक्ष महोदय, जबर्दस्त है, सरकार जानती है कि सरकार पर आक्रमण है । क्या सरकार सुरक्षा करने के लिये सारे राजस्थान में समुचित व्यवस्था कर देगी ताकि किसी भी नगर में कल बैंक डकैती नहीं डले या कोई हत्या की कोशिश नहीं हो ?

मेरा तीसरा सवाल यह है जिस पर आपका ध्यान नहीं गया, मुख्य मन्त्रीजी,

(श्री हरीश शर्मा)

गृह मन्त्रीजी, आपको बताता हूं राजस्थान में जो पाक नागरिक भर गये हैं और कैसी स्थिति खड़ी हो गई है, इसका 15 दिन बाद आपको पता चल जायेगा कि कितनी भयंकर स्थिति खड़ी हो गई है। इस पर आपके महानिरीक्षक ने लिख कर दे दिया है कि अवैध नागरिकों को ढूंढने में हम असफल हैं, हमें विशेष फोर्स दी जाय।

चौथा सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कोटा डिविजन में 5 पत्रकारों की पिटाई हुई। पत्रकार मुख्य मन्त्रीजी से मिले। मुख्य मन्त्रीजी ने उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि एक पत्रकार जो पी. सी. सी. का मेंबर है, कांग्रेस (आई) का मेम्बर है, उसको भरे बाजार में मारा और वहां मारा जहां पर डी वाई. एस. पी. और सरकारी अस्पताल है किन्तु न तो डाक्टर आया, न डीवाई. एस. पी. आये क्योंकि वहां पर यह समानान्तर सरकार चलाते हैं, तस्करी करते है। एक राज और खोलता हूं, उन्होंने यह भी कहा है कि आपको सावधान कर देता हूं, उन राजनेताओं को मारेंगे जो हमारे खिलाफ बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद ही उनको चुनौती देकर भवानी मण्डी जाऊंगा, मैं देखूंगा कि उनके पास कितनी ताकत है। इतना ही कहना चाहता हूं -

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो निरन्तर आतंकवाद की घटनायें हो रही हैं, क्या राजस्थान की सीमाओं पर कुछ सुरक्षा व्यवस्था की है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा माननीय हरीशजी कह रहे थे कि भवानी मण्डी में राधेश्याम काला, पत्रकार की रात्रि के 9-10 बजे भरे बाजार पिटाई की। इसी प्रकार से आतंकवादियों ने मेरे क्षेत्र एक हरिजन व्यक्ति की हत्या कर दी, बूंदी में बैंक को लूटा। लगातार हत्यायें, बलात्कार, डकैती और लूट-पाट की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस उनसे मिली हुई है। पुलिस की मिली भगत के कारण ही अपराधी नहीं पकड़े जा सके। इसका और क्या कारण है ? पुलिस का उसमें हाथ है और मिली भगत होने के कारण ही नहीं पकड़े जा सके। पुलिस उनको प्रश्रय और प्रोत्साहन दे रही है। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आतंकवादियों का दबाव बढ़ा हुआ है इसलिये पंजाब की सीमा, जो हमारे राजस्थान से लगती है, पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी और माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आये दिन राजस्थान में कहीं बैंक लुट रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं तो कहीं कत्ल हो रहे हैं,

(श्री बहादुर सिंह)

कहीं बलात्कार हो रहे हैं। सभी प्रकार की घटनायें होती रहती हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार इतनी कमजोर क्यों हैं ? मेरी समझ में नहीं आया, मुख्य मन्त्रीजी, आप इतने बड़े जिम्मेदार होते हुये भी पुलिस और कानून-व्यवस्था में इतनी ढिलाई क्यों बरत रहे हैं, क्यों इतने कमजोर होते जा रहे हैं ? इस सम्बन्ध में कभी सोचा ही नहीं। क्या मैंने आपका राज नहीं देखा, क्या इतिहास नहीं पढ़ा, राजा हरिशचन्द्र जी थे उन्होंने भी इसी प्रकार से ढिलाई बरतते बरतते अपना खुद का सत्यानाश कर लिया। क्या उसी प्रकार से सत्यानाश करना चाहते हैं ? आपका सत्यानाश हो जाये भले ही, हमको चिन्ता नहीं है लेकिन सारी जनता का क्या होगा ? मैं गांव का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। गांव में पहले कोई चोरी करने के लिये जाता तो वह मौका देखता। अगर घर का मालिक जाग जाता तो भाग जाता लेकिन आज डंडा लेकर खड़े रहते हैं, चोरी करते रहते हैं। मार मार करके, पीट पीट करके उन लोगों से कहलवाया जाता है, हाथ से निकाल करके घर का मालिक माल देता है और फिर वह भाग जाता है। इस प्रकार डकैती की जा रही है। दिन दहाड़े बैंक लुटना, यह आपकी कमजोरी है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन है, सुझाव के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप तमाम थानेदारों के 200 किलोमीटर की दूरी पर ट्रान्सफर कर दीजिये क्योंकि जो लोग दो-दो साल, पांच-पांच साल से एक जिले में, गृह जिले में पड़े हुए हैं वह मिली भगत से चोरियां, डकैतियां करवाते हैं। जो भी उच्चाधिकारी हैं उनके माध्यम से आप यह आदेश दीजिये कि कोई भी इस प्रकार की डकैती करने वाला पकड़ा जाय उस पर उसी वक्त गोली चलाई जाय, जनता की तरफ से उनको वहीं मार दिया जाय ताकि उनको एकदम सबक मिले। आज इस प्रकार से आप लॉ एण्ड आर्डर की शक्ति हाथ में नहीं लेंगे और किसी अधिकारी के भरोसे, किसी हैड कान्स्टेबल के भरोसे छोड़ दिया जायगा तो राजस्थान में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा गलत है कि इन प्रतिवादियों ने राजस्थान की दो बड़ी हस्तियों को चैलेन्ज किया।

श्री अध्यक्ष : कोटा में आपको चैलेन्ज किया।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा संभाग का कार्य देखने वाले माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब, जब इसमें काम नहीं चला उनका, यह सरकार सक्रिय नहीं हुई तो उन प्रतिवादियों ने तय कर लिया कि अब मुख्य मन्त्रीजी को लो। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में सबसे पहली घटना रंगबाड़ी में हुई। 22 तारीख को यहां उस घटना की चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय,

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मुझे दुःख है, सरकार की तरफ से माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी का व्यक्तव्य आया है कि दुःख की बात है, आठ और दस बजे के बीच में यह घटना घटी, अन्धेरी रात का फायदा उठा करके, हो सकता है पास में रेलवे स्टेशन के कारण वह कहीं बाहर भाग गये हों। पहला वक्तव्य आया। हमने भी सोचा, रात अन्धेरी थी, पास में रेलवे स्टेशन था, गुण्डे कहीं भाग गये होंगे।

दूसरा, गुण्डों ने चैलेन्ज दिया इस सरकार को, वह मैं प्रमाणित कर रहा हूं। दूसरी घटना घटी रंगबाड़ी में 22 तारीख 7 बजे शाम को। सरकार को जब हमने स्थगन प्रस्ताव दिया""

श्री अध्यक्ष : उस वक्त पूरा अन्धेरा नहीं पड़ा था।

श्री दाऊदयाल जोशी : वही निवेदन कर रहा हूं। सरकार ने फिर यह जवाब दिया कि अन्धेरा हो गया था, अन्धेरे का लाभ उठा करके कुछ व्यक्ति भाग गये इसलिए पकड़े नहीं जा सके। बोरखेड़ा की इस घटना का कोई भी ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं बचा जो प्रमाण बता सकता हो लेकिन रंगबाड़ी की घटना में शोभा अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि एक सरदार साथ था। अध्यक्ष महोदय, मैंने जब कोटा में अधिकारियों को कहा तो पुलिस के अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी, सरदार नहीं सरदार जैसा था। मैंने भी सोचा, आतंकवादी अधिक सक्रिय हैं, वातावरण राजस्थान का न बिगड़े इसलिए उन्होंने कहा सरदार जैसा ही होगा सरदार नहीं होगा। लेकिन 24 तारीख को जब पैट्रोल पम्प लुटा, जो प्रमाणित है, उस दिन यह तय हो गया कि वे तीनों आतिवादी थे। उसके बाद तो सरकार को कोई सक्रियता दिखानी चाहिये थी। गतिशीलता कहीं प्रकट करनी चाहिये थी। 24 तारीख को पैट्रोल पम्प लूटने के बाद 27 तारीख को बोरखेड़ा में माननीय वित्त मन्त्रीजी के यहां फिर पहुंच गये उन्हीं के क्षेत्र में, जो उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी है। पांच सरदारों ने मिलकर एक माली को मारा। मारने के बाद वह भाग छूटे, पकड़े नहीं गये। लगातार यह क्रम चल रहा है। वित्त मन्त्रीजी के बाद मुख्य मन्त्रीजी, फिर वित्त मन्त्रीजी को चैलेन्ज किया। वित्त मन्त्रीजी को चैलेन्ज करके बून्दी से इधर आ गये। वह तो गांव था, गांव में पुलिस की व्यवस्था समुचित नहीं हो सकती। गांव की बजाय उन्होंने शुरू किया नगर में। अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है; वहां गड़बड़ करके थोड़े दिनों के बाद आगे चले गये। पुलिस तो ढूंढ रही है केशोरायपाटन में जैसा कल बताया गया था कि वह स्कूटर से चल कर आगे केशोरायपाटन रोड की तरफ जाते हुए देखे गये। लेकिन वे केशोरायपाटन नहीं पहुंचे, पहुंच गये फिर चैलेन्ज देने के लिए राजस्थान के मुख्य मन्त्री को। तो, श्रीमान्, नम्बर तीन मन्त्रीजी जो बिराजमान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं यह आतिवादी अब आगे भागेंगे, अजमेर के रास्ते से होते हुए हो सकता है धौलपुर को चैलेन्ज करें। श्रीमान् परसरामजी मदेरणा, मुझे डर है कि यह योजनाबद्ध, सुनियोजित षड्यंत्र है। सरकार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आखिर वक्तव्य देकर क्या करती है? हम वक्तव्य रोज सुन रहे हैं, मुख्य मन्त्रीजी का वक्तव्य आया, हमने कहा कि हम नहीं सुनना चाहते गृह राज्य मन्त्रीजी का वक्तव्य। इसलिए नहीं सुनना चाहते कि रोज-रोज एक ही घिसी पिटी बात कहते हैं, हमने समुचित व्यवस्था कर दी है, हमने सुरक्षा व्यवस्था संगीन बना दी है, हमने नाकाबन्दी कर दी है। यह हम नहीं सुनना चाहते। मुख्य मन्त्रीजी, कोई नई बात कहें। मुख्य मन्त्रीजी ने कल कह दिया, हमने विशेषज्ञ बुलाये। विशेषज्ञ बुला लिये, अब क्या हुआ? क्या हुआ आपके वक्तव्य के बाद, कल के इस वक्तव्य के बाद? आपने वक्तव्य दिया दिन के दो बजे और साढ़े चार बजे आपको चैलेन्ज कर दिया। अब आप कौन सी समुचित व्यवस्था करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं। समुचित व्यवस्था करना कोई नई चीज नहीं है। परसों टौंक में आपकी पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, जिसमें दो सौ घायल हुए थे टौंक नगर में, 12 साल के बच्चे से ले करके 65 साल के व्यक्ति को आपकी पुलिस ने घायल बनाया। मैं वहां गया था और मैंने वह समुचित व्यवस्था देखी थी। दिन में एक बजे बून्दी में घटना हुई। मैं यहां से गया 5 बजे। कहीं पुलिस नहीं दिखी। पुलिस कब दिखी? एक बजे घटना हुई, सुबह हम चले साढ़े तीन-चार बजे, मुझे एक जीप मिली टौंक रोड पर, उन्होंने कहा कि टौंक से जयपुर कुछ सवारियों को लेकर आये, तब तक तो पुलिस नहीं थी साहब, अब आपको ले जा रहे हैं। वहां से आये तो देखा, पुलिस जगह जगह खड़ी हुई है। यह रात को एक बजे बाद, अध्यक्ष महोदय, आपकी पुलिस करेगी क्या? एक बजे घटना घट गई, उसके बाद बाद पूरे क्षेत्र में गतिशीलता आती, एक बजे बाद सांगनेर से ले कर बून्दी तक पुलिस की व्यवस्था की गई, मैं जब चार बजे आया। अब व्यवस्था देखिये, कितनी बढ़िया की गई? मैं जब निवाई में आया, मेरे साथ महावीरजी थे। उन्होंने चुंगी नाके का जो बेरियर होता है वह नीचे कर दिया जीप देखकर। जीप देखते ही मेरे पास तुरन्त डीवाई एस. पी., गंगानगर आये, "ऐ कहां जा रहे हो।" मैंने कहा, भई ई डण्डा सूं कांई नहीं होसी, प्रतिवादी जो छे न, डण्डा से काम न हो सके वह तो सीधी ठें करता होसी या डण्डो थारो एक तरफ रह जासी इसलिये पिस्तौल लटका कर राखो नहीं पीछे अगर गुण्डा आई गिया तो हमारे आकार प्रकार में तो आ नहीं सकते। पीछे महावीरजी सो रहे थे। "ये पीछे कौन सो रहा है"। मैंने कहा, यह एम. एल. ए. साहब सो रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, श्रीमान मुख्य मन्त्रीजी, आप केवल घोषणा कर रहे हैं, थोथी घोषणा कर रहे हैं, एक्टिवनेस कहीं नहीं आई। कोटा में आई. जी. पी. जैसा व्यक्ति चला गया, कौनसी शक्ति चली गयी जो अपराधियों को पकड़े? कोटा के बारे में आपने घोषणा की कि हमने समुचित व्यवस्था कर दी। कृपा करके आप जब वक्तव्य दुबारा दें तब यह बतावें कि आपने ऐसी कौनसी समुचित व्यवस्था कर दी है जिसके आधार पर राजस्थान की जनता यह महसूस करे कि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

राजस्थान की सरकार सुरक्षा करने में पूर्णतया सक्षम है। अगर आप समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते तो भगवान के नाम पर लोगों को भुलावा मत दो, वह जो कौनसा मुंह होता है, करके यहां से जाओ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो तथ्य आ चुके हैं उनकी चर्चा न करें। दो-दो मिनट का समय दूंगा माननीय सदस्यों को। श्री कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सारी घटना तो सामने आ चुकी है जो कुछ भी है।

श्री अध्यक्ष : अब कोई सुझाव हो तो दे दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पंजाब में आतंकवादियों का रहने के लिए स्थान तय है वहां जा करके वह लोग छिप सकते हैं, संरक्षण ले सकते हैं इस कारण से शायद सरकार और पुलिस उनको पकड़ने में असमर्थ रही है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि राजस्थान में ऐसा कौनसा स्थान सुरक्षित है कि दस मिनट का समय मिलने के बाद भी हमारी एफीशिएन्ट पुलिस उन पर किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं कर सकती और पकड़ नहीं सकती ? दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज राजस्थान में ऐसी स्थिति बन गयी है कि जगह जगह पर वह लोग घूम रहे हैं जो आतंकवादी हैं। आज इस बात की जरूरत है कि शहर में कहीं भी कोई अजनबी दिखे, वह चाहे कहीं से आया हो, उसकी छानबीन की जाय और ऐसे अजनबी लोगों, जिनका आइडेन्टीफिकेशन अच्छी तरह से नहीं हो सकता हो, को पकड़ कर 24 घन्टे में पुलिस के सुपुर्द किया जाय। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय आज शहर में जगह जगह पर भय का वातावरण बना हुआ है और जनता आतंकित है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज वास्तव में ऐसी हालत हो गयी है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना हो रही है। यह एक तमाचा है जो सरकार के मुंह पर यह लोग मार रहे हैं। अगर इस तरह की घटनायें होती रहीं और आतंकवादी या उग्रवादी नहीं पकड़े गये तो एक दिन ऐसा भी आ जायेगा कि कोई आदमी रात को आयेगा और किसी सोते हुए को फफेड़कर, लूटकर चला जावेगा। इस तरह की लूट मार मच जायेगी। हमारे यहां पर इन आतंकवादियों और उग्रवादियों की आड़ में जो गुण्डे और शरारती लोग हैं वह लूट मार मचा देंगे और पूछने पर बता देंगे कि यह आतंकवादियों की कार्यवाही है। तो मेरा यह कहना है कि आज जो यह भय जनता में बैठ गया है उसको हमें समाप्त करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने इनाम की घोषणा करके आम जनता में कायरता पैदा कर दी है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसके लिये सरकार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक 24 घन्टे का अल्टीमेटम दे जिन लोगों का सही आइडेन्टीफिकेशन नहीं होता है उनको पकड़ कर बन्द कर दो। आज राजस्थान सरकार कम से कम यह तो कर सकती है कि उदयपुर, बांसवाड़ा और अजमेर की मेन सड़क पर जो नाके हैं वहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की, चाहे वह कोई भी हो, छानबीन करे और ऐसी व्यवस्था करे कि पूरी चौकसी हो। चाहे कोई आदमी हो, चाहे हममें से कोई आदमी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उसकी पूरी छानबीन करके उसको आगे जाने दें। आप आज ही जितने पुलिस हैडक्वार्टर्स हैं उन पर यह सूचना तो कम से कम भिजवा सकते हैं कि कोई आदमी, चाहे शरीफ हो, चाहे गुण्डा हो, उसकी छानबीन करें और पूरी चौकसी रखें। आज, अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति हो गयी है कि लोगों का हौंसला पस्त हो गया है। इसलिये सरकार को लोगो में हिम्मत बंधाने की जरूरत है ताकि जनता आतंकित नहीं हो और उनका मुकाबला कर सके। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस के लिये कठोर से कठोर कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च से विधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ है तब से लगातार एक के बाद एक घटना राजस्थान में घटित हो रही है। यह सब घटनायें क्रमबद्ध हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह राज्य मन्त्री प्रद्युम्नसिंहजी हैं, इन्होंने तो तोता छाप स्टेटमेन्ट रट रखा है। पुलिस अधिकारी इनको जो स्टेटमेन्ट लाकर दे देते हैं उसको पढ़ देते हैं और आखिर की चार लाइन यह जरूर पढ़ देते हैं कि सम्पूर्ण व्यवस्था कर दी है, हमने बड़े अधिकारियों को वहां पर भेज दिया है, हमने समुचित व्यवस्था कर दी है। पर, अध्यक्ष महोदय, बड़े अधिकारियों को भेजने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि हमारे यहां पर जो वारदातें हो रही हैं उसमें पुलिस के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके साथ साथ हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने जिस कायरता का परिचय अपने स्टेटमेन्ट में दिया, किसी भी प्रदेश का मुख्य मन्त्री ऐसा कायरतापूर्ण स्टेटमेन्ट नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय, ऐसा स्टेटमेन्ट तो कोई नपुन्सक मुख्य मन्त्री ही दे सकता है जैसा हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने राजस्थान विधान सभा में दिया है। अध्यक्ष महोदय, वह अपने स्टेटमेन्ट में यह घोषणा नहीं सके कि कितने दिन में मुल्जिमों को पकड़ लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर उनमें साहस होता तो वह जरूर यहां पर घोषणा करते कि हम 24 घन्टे में उग्रवादियों या आतंकवादियों को पकड़ लेंगे या तीन दिन में आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लेंगे। पर हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने ऐसा नहीं किया। यही घोषणा कर देते कि या तो 24 घन्टे में मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लेंगे या वह इस्तीफा दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय बहुत कम है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आज सारे प्रदेश की जनता में एक भय का वातावरण बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मामला गम्भीर है तभी तो इस पर विचार हो रहा है। अब काफी हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है सारे प्रदेश में भय का वातावरण है। मैं आपको एक दो सुझाव देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि नागरिक सुरक्षा दल शहरों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सुरक्षा दल है। जो व्यवस्था हमारे यहां पर होम गार्ड की है, अध्यक्ष महोदय, अभी मैं होम गार्ड से सम्बन्धित प्रतिवेदन पढ़ रहा था, जो नागरिक सुरक्षा दल है उसको शहरों में यह काम सौंपना चाहिये। आज परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गयी हैं कि उनकी चुनौतियों का कठोरता से सामना करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये ही नहीं सरकार और मुख्य मन्त्रीजी के लिये भी चुनौती है क्योंकि उन लोगों ने उनके पैट्रोल पम्प को लूटा और उसके बाद में उनके गृह जिले में घुस गये। उनकी चुनौतियों को मुख्य मन्त्रीजी ने स्वीकार नहीं किया और मुख्य मन्त्री जी यहां पर चुपचाप बैठे रहे, इससे हमारे यहां के लोगों का हौंसला पस्त हो गया है। मेरा यह निवेदन है कि आज जरूरत है, आम अवाम राजस्थान का जो है, उसका आह्वान किया जावे और जगह जगह पर लोगों की टुकड़िया खड़ी कर दी जावें। उनका सहयोग लेकर शहरों में शहरी सुरक्षा दल बनाया जावे और ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण सुरक्षा दल बनाया जावे और उसकी सहायता से अपराधियों का पकड़ा जावे। अगर आप वातावरण सुरक्षा का बनायेंगे तब तो ठीक है वरना लोगों के हौंसले पस्त हो जायेंगे। मेरा निवेदन है, पुलिस तो यहां की बिल्कुल निष्क्रिय हो गयी है। पुलिस के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लेती है उलटे पुलिस को सरकार प्रोटेक्शन देती है और पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, उनसे मिली हुई है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिये। साथ में, जो आतंकवादी और उग्रवादी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये। आप इस को राजनैतिक आधार मत मानिये, राजनीति से हटकर इसमें कार्यवाही करें क्योंकि यह गम्भीर मामला है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप इस पर पुनः विचार करें और राजनैतिक भावना से हटकर इस मामले में एक्शन लें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य तावड़ के बाद सरकार की तरफ से जवाब होगा। माननीय सदस्य, सक्षेप में।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एक

(श्री मेघराज तावड़)

दो सुझाव देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल का यह कर्त्तव्य होता है कि वह जनता की रक्षा करे और विशेष रूप से तब जब कि गृह विभाग मुख्य मन्त्रीजी के पास है। मुख्य मन्त्री महोदय ने एक लाख रुपया देने की घोषणा की है उससे एक तरह से राजस्थान की जनता का मनोबल गिरा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का कायरतापूर्ण स्टेटमेंट देना बहुत ही खराब बात है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां की पुलिस एक्टिव नहीं है इसलिये लगातार घटनायें हो रहीं हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो जो भी नेशनल हाईवे हैं उन पर चैक पोस्ट को स्ट्रिक्ट किया जावे और जो भी व्यक्ति आये, कहां से आया और कहा जाना चाहता है उसकी चैकिंग जावे। जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह कार से आये और भाग गये, कोई कह रहा था कि स्कूटर से आये और निकल गये और कोई पकड़ा नहीं जा सका। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो डाकू लोग है, आतंकवादी हैं, बहुत ही होशियार और चालाक होते हैं। यह लोग जंगल और खाई में भाग जाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप पुलिस में कैसे लोगों को ले रहे हैं, क्या उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस पर तो पूरी बहस होनी चाहिये क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आप कैसे लोग हैं पुलिस में भर्ती करते हैं....

श्री अध्यक्ष : वह तो 6 मार्च को बहस होगी।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज सरकार के लिये यह बहुत जरूरी है कि वह उनका पता लगावे। आज गंगानगर में कई उग्रवादी डेरा डाले हुए बैठे हैं और अजमेर रोड पर एक गुरुद्वारे के लिये जमीन जबरदस्ती घेर रखी है। वहां पर झण्डा लगा हुआ है। क्या आपकी सी. आई. डी. या पुलिस सो रही है, क्या उसको पता नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में हम सब लोग सहयोग देने को तैयार हैं। इस मामले में सरकार को कठोर कार्यवाही करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस को तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है इसलिये वह तो कार्यवाही करेगी नहीं, उसको तो परवाह है नहीं इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पुलिस और होम गार्ड को साथ साथ विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाये और उनका एक सुरक्षा दल बना कर जनता की रक्षा की जाये। आप ऐसी व्यवस्था करें, अगर कोई उग्रवादी आये तो नागरिकों को गोली उसे मारने के आदेश भी दिये जायें और उन्हें यह छूट होनी चाहिये कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। यह आपका अन्तिम भाषण होगा, इसके बाद में किसी माननीय सदस्य को समय नहीं मिलेगा और सरकार का जवाब होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मन्त्री ने जो स्टेटमेंट दिया, आज सुबह जब मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सीकर से आ रहा था तब मैंने वह राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवज्योति में जो समाचार पढ़ा, अखबार मैंने 60 पैसे में रीगंस स्टेशन पर खरीदा था,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उस 60 पैसे के अखबार को पढ़ने से यह पता लग गया कि राजस्थान का गृह राज्य मन्त्री क्या स्टेटमेंट देगा। राजस्थान के गृह राज्य मन्त्री ने जो स्टेटमेंट दिया वह हूबहू उस अखबार से लिया हुआ था। तो राजस्थान के गृह राज्य मन्त्री के स्टेटमेंट की कीमत 60 पैसा है, कोई भी व्यक्ति 60 पैसे का अखबार खरीद कर पढ़ सकता है, यह उसकी कीमत है।

(2.00 म. प.)

हमारी भी एक गलती है, हम रोज-रोज मुख्य मन्त्रीजी और गृह राज्य मन्त्रीजी से वक्तव्य देने के लिए कहते हैं और जब यह वक्तव्य देते हैं उसके दूसरे दिन डाका पड़ जाता है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रीजी ···

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से वक्तव्य ···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं पूछना चाहता हूं कि गृह राज्य मन्त्रीजी का स्टेटमेन्ट था उन्होंने उसमें क्या यह बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं? आप पढ़ें तो पता चलेगा, कुछ नहीं बताया है। उसके अन्दर कौन जिम्मेदार है? क्या मुख्य मन्त्रीजी जिम्मेदार है? क्या गृह राज्य मन्त्रीजी जिम्मेदार हैं? क्या पुलिस जिम्मेदार है? आपने किसी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? किस को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? आपने कह दिया कि अधिकारियों को भेज दिया, कुत्तों को भेज दिया। आप बार-बार भेज रहे हैं। आप विष्णु भगवान का पाठ कर रहे हो, रोज सुबह उठते ही उनको याद करते हो। आप अपना स्टेटमेंट दें, उससे पहले समुचित व्यवस्था कर ली जाये कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपके ऊपर राजस्थान की जिम्मेदारी है। आपमें साहस और नैतिकता है तो जिम्मेदारी लें कि किस की गलती है। किसी पुलिस अधिकारी की गलती है तो उसको हटायें। अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, यह जिम्मेदारी आपकी है, गृह राज्य मन्त्रीजी, जिम्मेदारी आपकी है। आपके चेहरे पर एक-एक दाग लगता जा रहा है। आज कल सुबह उठकर हम एक बात देखते हैं कि हमारी सुरक्षा नहीं है। असुरक्षा का वातावरण घर-घर में पैदा हो रहा है। सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इसकी व्यवस्था करे, नहीं तो भाग जाय यहां से। आप, मन्त्रीजी, अपना मुंह नीचे किये बैठे हैं···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : असमर्थ है। आप पुलिस के इंसपेक्टर जनरल को आदेश दें, इसका साहस आप में नहीं है। राजस्थान में डाके पड़ रहे हैं, हत्यायें हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रही हैं लेकिन सरकार कुछ करने में असमर्थ है। अध्यक्ष महोदय, यह रोज जवाब देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। मन्त्रीजी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरों सिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलना है।

श्री महाराम चौधरी : मुझे एक सुझाव देना है, याद आ गया अभी-अभी।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : मुझे भी अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलना है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता बोलें, उससे पहले मैं उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको अनुमति दे दी है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कुछ सुझाव आयेंगे, मैं उनसे निवेदन करूं तो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह विवाद का विषय नहीं है। जो घटनायें हो रही हैं उस पर चर्चा थी। पहले मैंने देखा....

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। मैं चाहता था कि इस पर बोला जाये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अब तक तो मैं कह चुका होता। मैं उनसे निवेदन करूं उससे लाभ मिलेगा, सुझाव आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने जब व्यवस्था दे दी उसके बाद आप बैठ जायें।

श्री भैरों सिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आतंकवादियों की गतिविधियां केवल राजस्थान में ही नहीं, पंजाब के पड़ोसी राज्यों में पिछले कई दिनों से फैल गई हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कुछ घटनायें हुईं जिनमें आतंकवादियों का हाथ होने के प्रमाण मिले हैं। आतंकवादियों की गतिविधियां हरियाणा में भी हो रही हैं और अब राजस्थान में भी उन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ाईं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चाहें किसी भी दल के हम सदस्य हैं लेकिन यह उस रूप में कोई राजनैतिक मतभेद का सवाल नहीं है। यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि हम एक-दूसरे पर स्कोर करने की चेष्टा करें। कुछ माननीय सदस्यों ने जनता शासन की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए इस मामले की गम्भीरता को कम करने की चेष्टा की है, मैं उनको तो केवल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इतना ही कह देना चाहता हूं कि मसला जनता पार्टी या कांग्रेस के बीच का नहीं है, देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान हम आपस में मिलकर किस प्रकार से निकाल सकें, हमें इसका चिन्तन करना है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवादियों की गतिविधियां केवल इस कारण से नहीं बन रही हैं कि राजस्थान रावी-ब्यास नदियों के अपने पानी के हिस्से को नहीं छोड़ रहा। कोई यह समझे कि इन गतिविधियों के पीछे यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चाहे पावर के हों, चाहे इरिगेशन के हों उनमें राजस्थान अपना क्लेम क्यों रख रहा है, पीछे नहीं हट रहा है इस कारण से उग्रवादी नाराज हैं। मैं इस बात को इस सीमा तक नहीं मानता। अध्यक्ष महोदय, यदि यही बातें होतीं तो कई बार ट्रीपार्टाइट कांफ्रेंस हुई हैं उसमें और भारत सरकार के किसी भी स्तर पर पंजाब का जो पक्ष रखने वाले लोग हैं वह आज तक इस बात को कन्विन्स नहीं कर पाये कि राजस्थान का पानी हमें किस आधार पर दिया जाए, हमें राजस्थान का हिस्सा कैसे मिले। राउंड टेबल कांफ्रेंस के अन्दर बैठकर पंजाब अपना केस नहीं रख सका। पंजाब को इस में किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली है। अब उनके सामने एक दूसरा रास्ता है कि किस तरह हम लोगों को आतंकित करके अपने पक्ष में उनका मानस तैयार करें। इस आतंक की कार्यवाही का, अध्यक्ष महोदय, यदि आरम्भ से सख्ती के साथ मुकाबला किया जाता तो अतांकवादियों की गतिविधियां नहीं बढ़तीं। आतंकवादी धीरे-धीरे बढ़ते गये और बढ़ने के बाद पंजाब में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी कि आज पुलिस और सरकार के भी हाथ-पांव फूल गये। उसका लाभ उठाकर अब उस बात का प्रयत्न किया जा रहा है। आज आप पंजाब में प्रवास करें, पंजाब के लोगों को मिलें, कोई इस बात की चिन्ता नहीं कर रहा कि रावी-ब्यास का पानी नहीं मिल रहा है या मिल रहा है। कोई इस बात की चिन्ता नहीं कर रहा कि थीन डेम के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है। कोई इस बात की चिन्ता नहीं कर रहा कि पंजाब के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। लेकिन उसमें एक प्रचार किया जा रहा है कि पंजाब अलग राष्ट्र बने, पंजाब संविधान की मान्यताओं को समाप्त करे, आर्टिकल 25 में परिभाषा दी गई है उस परिभाषा में परिवर्तन किया जाए। आज इन मांगों को लेकर हर व्यक्ति के दिमाग में एक इम्प्रेशन को क्रियेट किया जा रहा है कि पंजाब राज्य के अलग राष्ट्र बनने में जो भी बाधक तत्व होंगे उनको किस प्रकार टैरेराइज किया जाए। यह इस प्रकार का प्रसंग उन्होंने सामने लाकर खड़ा किया है। मैं निवेदन करता हूं कि मेरी जानकारी के आधार पर कोई आर्थिक प्रश्न नहीं है, कोई नदी के पानी के समझौते का प्रश्न नहीं है, कोई बिजली का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि भारत की संवैधानिक स्थिति को किस प्रकार चुनौती देकर एक अलग राष्ट्र कायम करने की स्थिति पैदा की जाये, इसमें जो बाधक हो उनको टैरेराइज किया जाये। इसमें केवल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान सरकार के इंट्रेस्ट का प्रश्न नहीं है, भारत सरकार की कमी है। यदि वह पहले से सम्भल जाती, किसी प्रकार का कन्सेशन नहीं देती या किसी प्रकार की लीनिएन्सी नहीं बरतती तो कोई ऐसी स्थिति नहीं होती कि हिन्दुस्तान में आतंकवादी आतंक पैदा करके लॉ एण्ड आर्डर की चुनौती देते। वह चुनौती उन्होंने दे दी। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में हम किस तरह की कार्यवाही करें। आज राजस्थान में कोई नहीं चाहता कि आतंकवादियों के सामने सरकार घुटने टेके या पुलिस घुटने टेके। न हम पुलिस को डि-मोरेलाइज करना चाहते हैं, न इस सीमा तक राजस्थान सरकार के साथ नॉन-कॉआपरेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई मामूली डकैती होती तो शायद हम इस सम्बन्ध में कुछ कह सकते थे कि सरकार असफल रही, डाकुओं को नहीं पकड़ सकी लेकिन यह तो योजनाबद्ध कार्यवाही है। यह अकस्मात् घटना नहीं है कि बीकानेर, चूरू या कहीं डाका पड़ गया हो। यह तो योजनाबद्ध कार्यवाही है। सारे देश में इस तरह की घटनायें बढ़ायी जा रही है जिससे हिन्दुस्तान की सरकार घुटने टेक दे, राजस्थान की सरकार या दूसरे राज्यों की सरकार घुटने टेक दे और जनता कहने लग जाये कि इनके सामने घुटने टेक कर हमारी जान और माल की रक्षा की जाये, इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैने आरम्भ में कहा था मुख्य मंत्री जी से कि इसमें आप इस आधार के ऊपर बिल्कुल चिन्ता नहीं करें। राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन लॉ एण्ड आर्डर को किस प्रकार से मैनटेन किया जाये इसमें विरोधी दल के सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम पूर्णतया सहयोग देंगे, लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि जनता इन्तजार ज्यादा दिन तक नहीं कर सकती। एक सीमा होती है जिस सीमा तक लोग पुलिस का मुंह देखते हैं, जिस सीमा तक लोग सरकार का मुंह देखते हैं, लेकिन एक सीमा का उल्लंघन होने के बाद राजस्थान की वह धरती है जो मार नहीं खायेगी, मारने वाले के टुकड़े करके छोड़ेगी। इसलिए कोई आतकवादी यह समझे कि राजस्थान में हम गोली और बन्दूक के जोर से राजस्थान की जनता को आतंकित कर सकते हैं, राजस्थान की पुलिस को डिमोरेलाइज कर सकते हैं या राजस्थान की जनता को भयभीत करके घुटने टिका सकते हैं तो आतंकवादियों का नेता चाहे भिंडरवाला हो या किसी का न म हो यहां राजस्थान की धरती आतंकवादियों को अपना निशाना बनाकर यह बता देगी कि राजस्थाम में हम किसी प्रकार से भी घुटने टेकने वाले नहीं हैं। या तो सरकार मुकाबला करेगी और सरकार मुकाबला नहीं करेगी तो इस विधान सभा के प्रांगण के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को आह्वान करना चाहता हूं, जहां पुलिस नाकामयाब हो और बाकी के सरकारी सोर्सेज नाकामयाब हों वह किसी तरह से भी अपनी ताकत लगातार आतंकवादियों को पाठ पढ़ा दे भारत के टुकड़े करने की स्थिति को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह आतंकवादियों के कारण से पंजाब का मामला अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार हो गया तो आप मानकर चलिये कि हिन्दुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। पंजाब यदि खालिस्तान के रूप में हमारे सामने आता है तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आसाम हमारे हाथ से निकल गया, फिर देखेंगे कि मणीपुर हमारे हाथ से निकल गया, कभी देखेंगे अरुणाचल हमारे हाथ से निकल गया, कभी नागालैण्ड हमारे हाथ से निकल गया। प्रान्त और भाषा के नाम से हिन्दुस्तान के टुकड़े करने की साजिश की जा रही है। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री से कि हिन्दुस्तान के टुकड़े करने की साजिश चाहे पंजाब में कर रहे हों, चाहे हरियाणा में कर रहे हों, चाहे राजस्थान में कर रहे हों, हम सब मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि राजस्थान में राजस्थान की धरती के ऊपर आतंकवादियों को पैर जमाने का मौका नहीं दिया जाये। ऐसी स्थिति में आपको यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमारी पुलिस सतर्क रहे, किसी भी रूप में किसी प्रकार की भी ढिलाई नहीं आये। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, ऐसे मौके पर राजनैतिक आधार के ऊपर नियुक्तियां नहीं की जायें। जो एफीशियेन्ट हो, जो इन्टेग्रिटी के आदमी हों वह सब मुकाबले में आयें, उनकी पीठ थपथपाइये। वह खड़े हैं। आज पुलिस वाले जनता के साथ डील करने के अन्दर यदि किसी प्रकार की कोताई करते हैं वहां तो आप उनको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस वाले जब ऐसे कामों के अन्दर, जैसा अभी बताया कि भीलवाड़ा के अन्दर खारी गांव में दस मिनट के बाद पुलिस पहुँच गयी, मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, पुलिस वहां दस मिनट में पहुँची, वायरलैस उनके पास, गाड़ियां उनके पास तो फिर ऐसा कौन सा हैलीकाप्टर था जो बैंक लूटने के बाद में दस मिनट में लोग चले गये। कोई हैलीकाप्टर नहीं था। मैं कहूंगा कि इनएफीशियेन्सी थी। तो जो जिम्मेदार है, एक जिम्मेदार आफिसर को आप लपकाइये बाकी की सारी पुलिस सतर्क हो जायेगी। जहां आपने एक बार इस प्रकार का एक्शन ले लिया वही पुलिस एक्टिव होकर आतंकवादियों से लड़ेगी। लेकिन आज जहां इनएफीशियेन्सी हो वहां भी पीठ थपथपाने का काम करें। जहां एफीशियेन्सी हो वहां थपथपाने में मुझे कोई एतरात नही होगा लेकिन भीलवाड़ा में जिस प्रकार से पुलिस ने कोताई की है उसमें निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस की इनएफीशियेन्सी है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बूंदी में घटना हुई। बूंदी के सब माननीय सदस्य बूंदी शहर में जो गये हैं वह जानते हैं कि बूंदी में बैंक की शाखा कहां है। वहां लोग पहुँच जायें और पहुँचने के बाद स्कूटर से चले जायें, नमाना रोड पर स्कूटर से 7 मील तक जाकर स्कूटर को वहां रखें और वहां से गायब हो जायें, तो पुलिस किस बात के लिए बैठी है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी, राजस्थान में यदि पुलिस को ज्यादा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक्टिव बनाना चाहते हैं तो जिन लोगों ने इनएफीशियेन्सी शो की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाये। उसमें किसी प्रकार की रियायत नही बरती जाये। एक दो आफिसरों के खिलाफ, एक दो आदमियों को जिम्मेदार बनाकर यदि आपने एक्शन लिया तो सारी गतिविधियां रुकेंगी और हम आतंकवादियों का मुकाबला कर सकेंगे। मैं ऐसी हालत में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आतंकवादी मार खा कर जायें, आतंकवादियों का राजस्थान कोई कीड़ा स्थल नहीं बने, यह जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान मुख्य मंत्री इस सारी जिम्मेदारी को लेकर चलें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको चैम्बर में मिला, मुख्य मंत्रीजी से भी अकेले में मैंने कहा, यह पैट्रोल पम्प लूटने की घटना एक संकेत है। यह 21 हजार रुपये लूटने के लिए आतंकवादी नहीं आये, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री को आतंकित करने के लिए आये और एक प्रकार से संकेत करने के लिए आये हैं। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी का पैट्रोल पम्प लुट गया, यह मुख्य मंत्रीजी को आतंकित करने की कोशिश नहीं है, पूरे राजस्थान को आतंकित करने की कोशिश की गयी है। ऐसी हालत में राजस्थान का हर बच्चा आतंकवादियों से पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार है लेकिन उनके पास तो कोई हथियार नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं। मैं चाहूंगा कि पूरा राजस्थान आतंकवादियों के मुकाबले के लिए तैयार हो जाये। कोई मरना होगा तो आतंकवादियों की मौत से मरेगा, कोई एक्सीडेन्ट से मरेगा, कोई गोली खाकर मरेगा और नहीं होगा तो कोई हास्पिटल में जाकर, जहर खाकर मरेगा। मौत इन्सान को एक बार आती है लेकिन कायर इन्सान की मौत हजारों बार होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कायरता से काम नहीं लें, राजस्थान की जनता का मनोबल ऊंचा करें। राजस्थान की जनता का मनोबल ऊंचा होगा, पुलिस का मनोबल ऊंचा होगा, सरकार का मनोबल ऊंचा होगा और इस सारी स्थितियों में हम निपट सकेंगे। यदि हमने यहां घुटने टेक दिये तो उसका परिणाम बुरा होगा।

मैं इस हालत में कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों ने कोताई की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये। मेरी समझ में नहीं आता की एक महीने में दस घटनायें हो गयीं। कोटा में घटना हो गयी, बूंदी में हो गयी, भीलवाड़ा में हो गयी, जयपुर में हो गयी। क्या किसी में पुलिस की इनएफीशियेन्सी आप नहीं देख रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं हुआ कि आज पुलिस यहां पर एक्टिव होती तो लोग पकड़े जाते? इसलिए आपको बिलकुल कार्यवाही करनी पड़ेगी। जहां इनएफीशियेन्सी नहीं है वहां लोगों की इनाम देने का भी अवसर है।

अध्यक्ष महोदय, एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गयी। जैसा माननीय सदस्य ताबड़ साहब कर रहे थे कि एक लाख

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की घोषणा करने से जन मानस पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जो माननीय सदस्य ने यहां कहा है वही प्रतिक्रिया होगी कि सरकार पकड़ने में असफल है इसलिए जनता को कह रही है कि आप पकड़ो।

अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान में बैंक डकेतियों की हालत क्या है? यह बैंक टार्गेट क्यों बनाये जा रहे हैं? अभी तक पिछले दो तीन वर्ष में लगभग 76 डकेतियां बैंक में हिन्दुस्तान में हुई हैं। 94 लाख रुपया बैंक डकेतियों में गया है। 3834 ग्राम सोना लूटा गया और कई आदमी मारे गये। ऐसी स्थिति में बैंकों को जो टार्गेट बनाया, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि बैंक के एम्पलाइज जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज वह हमसे मिले, कोई भी आदमी मरने को तैयार नहीं होगा। बैंक में एम्पलाइज की पूंजी नहीं है, बैंक में जो पूंजी है वह जनता की है। उस जनता की पूंजी के लिए बैंक का एम्पलाई क्यों मरेगा? उसका यदि कोई अटेचमेन्ट नहीं है, उसको यदि किसी प्रकार का प्राटेक्शन नहीं मिले उस हालत में बैंक एम्पलाइज हों, चाहे पुलिस एम्पलाइज हों, चाहे कोई भी हो, उनमें यदि किसी प्रकार का डीमोरेलाइज सेटइन हो गया तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिन्दुस्तान में नहीं बने इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी इस बात को एग्री करेंगे कि माननीय सदस्य श्री आत्मारामजी, जो अभी बोल रहे थे, ने पुलिस की तारीफ की। अच्छे काम के लिए तारीफ की जाये, मैं भी तारीफ करूंगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही, चूरू में गुरुद्वारा काण्ड हुआ। उसके बाद पदमपुर में एक गुरुद्वारा में आग लगाने का नाटक रचा गया और तीसरी जगह का नाम भूल गया, एक जगह और हुआ। इसके पीछे भी गतिविधियां यही हैं कि चूरू में और बाकी के गुरुद्वारों में आग लगाने की झूठी घटनायें बनाकर सारे वहां के लोगों में हिन्दू और सिख का भेदभाव पैदा किया जाये ताकि लोगों में उग्रता पैदा हो। माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह स्वीकार करेंगे कि चूरू गुरुद्वारा काण्ड में आपकी पुलिस या आपकी सरकार ने कोई सतर्कता नहीं बरती। यह तो जनता ने ...

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी आत्मारामजी ने जो गुरुद्वारा के लिए कहा और पुलिस की बढ़ाई की, मैं कहना चाहता हूं कि आत्मारामजी ने गलत कहा। आपके वहां पर केसेट्स बिकती हैं भिण्डरावाले की। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो, मुख्य मन्त्रीजी, मैं कहता हूं कि मेरे साथ चलिये, मैं पकड़वाऊंगा जहां कैसेट्स बिकती हैं भिण्डरावाले की। क्या आपको यह मालूम है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिलकुल सही बात है कि भिण्डरवाले के जो प्रवचन होते हैं उनके केसेट्स लगातार एक जगह नहीं जगह-जगह सुनाये जा रहे हैं। मैं इस आधार के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि चूरू गुरुद्वारा काण्ड में पुलिस की तरफ से इनएफीशियेन्सी, ऊंचे दर्जे की इनएफीशियेन्सी थी। उसमें भी किसी पर आपने एक्शन नहीं लिया। तो लोग यह समझते हैं कि किसी चीज की गम्भीरता को देखे बिना यदि हम कोई कार्यवाही कर लें, हम सब तरह से क्षम्य हैं। हमें हमारी सरकार विधान सभा में प्रोटेक्ट करेगी और विधान सभा के बाहर भी प्रोटेक्ट करेगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारे सिख उग्रवादियों के साथ नहीं हैं। यदि हमने सारे सिखों को किसी प्रकार से यह संकेत करने की कोशिश की तो आज सिख समुदाय में पंजाब में भी, अध्यक्ष महोदय, ऐसे परिवार हैं जिसमें एक सिख है और बाकी के सब मोने हैं। कई जगह ऐसे परिवार हैं कि बाकी के सब सिख हैं और घर के अन्दर सब मोनों की लड़कियां हैं। आज पंजाब में हिन्दू और सिख में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ उग्रवादी तत्व हैं जो मन से चाहते हैं कि अब नेगोसियेशन से मामला तय नहीं होता, हमे हथियारों के बल पर तय करना पड़ेगा। न तो पंजाब में हिन्दू और सिखों के बीच में किसी प्रकार की दुर्भावना है और मैं समझता हूं कि न राजस्थान में हिन्दू और सिखों में किसी प्रकार की दुर्भावना है। सिखों ने बलिदान किया है। इस देश के लिये सिखों ने जितना बलिदान किया है उसके भी उदाहरण हैं। आज कोई ऐसा सिख गुरू नहीं जिसने हिन्दुओं को संरक्षण नहीं दिया हो, कुर्बानी नहीं दी हो। किस प्रकार से हिन्दुओं और सिखों को अलग किया जायेगा, यह एक्सट्रीमिस्ट्स नहीं समझते। इन एक्सट्रीमिस्ट्स के पीछे कुछ ऐसे तत्वों का हाथ है जो हिन्दुस्तान का बंटवारा और टुकड़े करवाना चाहते हैं। हमें सावधानी से रहना पड़ेगा और सावधानी के आधार पर उग्रवादियों का मुकाबला करना पड़ेगा, इस आधार पर हमें चिन्तन करना पड़ेगा।

मुख्य मन्त्रीजी से अन्त में फिर यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक उग्रवादियों का मुकाबला करने का प्रश्न है, हम आपसे अलग नहीं है। अगर आपने हमें विश्वास में लिया तो आपको पूर्णतया सहयोग करेंगे। कहीं भी कोई कोताई होती है तो हम निश्चित तौर पर उसको एक्सपोज करेंगे, यह हमारी ड्यूटी है, हम इस ड्यूटी में अपने आपको अलग नहीं समझ सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन की मार्फत माननीय सदस्यों और राजस्थान की जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आतंकवादी राजस्थान में नहीं ठहर सकते और राजस्थान को यह श्रेय मिलेगा कि हमने आतंकवादियों के घुटने टिका दिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के उपरान्त आप व्यवस्था स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर हमेशा देते हैं, इस सम्बन्ध में आज जो

(श्री शिवचरण माथुर)

आपने व्यवस्था दी वह उसी प्रकार की दी जिस प्रकार की व्यवस्था आप हमेशा देते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह जो घटनाओं का तांता इन पिछले दिनों में लगा है वह साधारण घटनायें नहीं हैं, इनके पीछे कोई गहरा षड्यन्त्र हो सकता है। इस तरह की गतिविधियां, इनका मोडस आपरेंडी और जिस प्रकार के लोग घटनायें कर रहे हैं उन सब के क्रम को देखते हुए उचित समझ कर सरकार ने स्वयं चाहा कि इस प्रश्न को हम एक वक्तव्य के द्वारा चर्चित करें और आप माननीय सदस्यों के सुझाव यहां जानने की चेष्टा करें। मुझे यह कहते हुए खुशी है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर जो भावनायें प्रकट कीं उसमें अधिकतर इस भावना को रखकर के अपने विचार प्रकट किये कि यह समस्या सारे प्रदेश की समस्या है और इसको सबको मिल जुलकर हल करना चाहिये। मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्यों को, उनके विचारों के लिये। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है आज प्लान्ड तरीके से इन घटनाओं के पीछे कोई ताकत काम कर रही है, उस ताकत को विफल करके हमें उनको गिरफ्तार करना है और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है। चार पांच बातें सामने आयी हैं। यह कहा गया कि पुलिस की कार्यवाही इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुई है, पुलिस निष्क्रिय रही है, पुलिस डीमोरेलाइज है और घटनाओं का एक के बाद एक होने के बावजूद पता नहीं लगा सकी है। वैसे मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मैं कोई जनता पार्टी के समय की घटनाओं का मुकाबला करूं। घटनायें उस समय भी होती थीं और अब भी होती हैं और मैं समझता हूं, यह हर राज में होंगी। चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने हमारे राज की कुछ घटनाओं का जिक्र किया था और अखबारों की कटिंग पढ़कर सुनाई थीं, तो मुझे भी जरूरी हो गया कि इसी प्रकार की घटनाओं में जाऊं जब वे मुख्य मन्त्री थे यहां बैठते थे मेरी जगह और मैं उन पर चर्चा करूं। इसके सिवाय मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं है। मैं आज भी कहना चाहता हूं, आज भी इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र उधर से होता है तो उसी का मुकाबला करने के लिये जैसा करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, नाथूसिंहजी ने जो कहा उसका आधार भी वैसा ही था इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं थी। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर बहस की भावना में पड़ें तो अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है।

मैं पुलिस की कार्यवाही के सम्बन्ध में आपसे संक्षेप में कहना चाहता हूं कि ठीक बात है, इसे पिछले एक महीने के अन्दर जो घटनायें हुई उनका पता पुलिस नहीं लगा सकी है बावजूद बहुत सी कोशिशों के। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि पिछले चार-पांच महीनों में, दो तीन साल की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी घटनायें राजस्थान के अन्दर घटीं, उसमें एक मुस्तैदी से पुलिस के कुछ आफिसर्स ने जो कार्यवाही की है और जो उसके परिणाम आये हैं वे भी मेरे.

(श्री शिवचरण माथुर)

पास मौजूद हैं। मैंने उस दिन 12 मार्च को भी यह बात कही थी और आज भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं का निश्चित समय के अन्दर हाट चेज करके, पकड़ करके, इफैक्टिव कार्यवाही करके पता लगाया था।

मैं इस साल की शुरुआत की बात से शुरू करता हूं। जनवरी, 84 में प्रागपुरा के निकट हरियाणा रोडवेज की बस को उसमें सफर कर रहे कुछ डकैतों ने लूटा और करीब 50 हजार का माल लूट कर भाग गये। रास्ते में उन डकैतों ने डीलक्स बस को लूटने का प्रयास किया मगर बस ड्राइवर ने बस को नहीं रोका। इन लोगों ने उस बस पर फायर किया। पुलिस ने सूचना मिलते ही नाकेबन्दी की। रातोंरात पकड़ कर पांच डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह हकीकत है। 11-1-84 को बैंक डकैती, मूर्ति चोरी, हत्यायें एवं पैट्रोल पम्प लूटने वाले मेरठ के अन्तर्राज्यीय गिरोह के पांच डकैतों को रामनिवास बाग में मय हथियारों और कार के पुलिस ने पकड़ा, जिसमें सीकर की डकैती, जो कई महीनों पहले हुई थी, एवं जयपुर नगर में हत्याओं के अलावा कई वारदातों के राज खुले। इसी प्रकार से 30-1-84 को एम. आई. रोड स्थित ज्वैलर्स एम्पोरियम को पांच सशस्त्र लुटेरों ने लूटा....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इस घटना के बारे में बताइये।

श्री शिवचरण माथुर : आप सुनिये। ऐसी बात नहीं....

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। शांत रहें।

श्री यदुनाथ सिंह : इस घटना के बारे में इनाम दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें। आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : बोलने का हक मुझे भी है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है इस घटना में, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको इनाम दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बाधा नहीं डालें।

श्री शिवचरण माथुर : आपने अगर ढाई घन्टे बहस की है तो आधा घन्टा उसका जवाब देने का मुझे भी हक है। मुझे कहने का मौका दिया जाये।

पुलिस ने तत्काल नाकेबन्दी की और जन सहयोग से उन लुटेरों को मय माल के पकड़ लिया। 10-2-84 को अजमेर-किशनगढ़ मार्ग पर स्कूटर पर जाते हुए लोगों को कार में आते हुए चार सशस्त्र लुटेरों ने लूटा। पुलिस को सूचना मिलते ही नाकेबन्दी करके उसी दिन जवाजा के पास में मय कार लुटेरों को पकड़ लिया। एम.

(श्री शिवचरण माथुर)

आई. रोड और उसके आस-पास की दुकानों में चोरी करने वाले कुख्यात चोर को पुलिस गश्ती दल ने रंगे हाथ पकड़ कर 30-35 चोरियों का डेढ़ दो लाख रुपये का माल बरामद किया। 12-3-84 को किन्हीं बदमाशों ने टैक्सी किराये पर ली और रामपुरा बावली के निकट एक कार ड्राइवर को गले में लुंगी डालकर नीचे पटक कर बेहोश कर दिया और ड्राइवर के गोली मार कर, घायल करके टैक्सी लेकर भाग गये। पुलिस को सूचना मिलते ही नाकेबन्दी कर दी और शाहपुरा के निकट उन लुटेरों को मय टैक्सी. कार के पकड़ा और उनसे हथियार बरामद किये। इसी प्रकार 23-3-84 को हनुमानगढ़ में जो बैंक की डकैती हुई थी, आपको मालूम है, उसमें एक व्यक्ति को उन्होंने गोली मार दी थी। आपको पूरा पता है, वहां पर उन्होंने माल बरामद किया। एक तरफ तो यह घटना है, इससे पहले की घटना आपको बताना चाहता हूं कि महाजान के पास में डाकुओं को वहां की पुलिस और वहां के लोगों ने मौके पर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। हमने वहां के लोगों को इनाम दिया और जिन पुलिस वालों ने अच्छा काम किया उनको तरक्की दी। अभी जो यहां ज्वैलर्स एम्पोरियम में पुलिस वालों ने पकड़ा था, उनकी तरक्की हमने की। यही नहीं, जहां जनता के लोगों ने इस चीज का पता लगाने की पहल की थी उनको हमने पुरस्कृत किया है, उनका सम्मान किया है। इसलिए यह कहना कि उचित काम के लिये पुलिस के कर्मचारियों की तारीफ नहीं की है, गलत है। साथ में, मैं यह कहना चाहता हूं, जहां पर इनएफीशिएन्सी की बात सामने आती है और आयेगी तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं इस सदन में कि केवल इसलिए कि किसी पुलिस आफिसर ने इनएफीशिएन्सी की है उसको हम बर्खास्त करें, यह कभी नहीं होगा। कहीं भी कोताही मालूम होने पर उसके साथ कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में जहां तक पुलिस के डीमोरेलाइज होने का सवाल है, मुझे क्षमा करें, विपक्ष के नेता महोदय, जब कभी इस प्रकार की कार्यवाही होती है, हालांकि मुझे मालूम नहीं था लेकिन कभी हो जाती है तो उसको एक राजनैतिक रंग दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, बीलवा में जो डीजल के पम्प पर चोरी हुई, लूटा गया, पुलिस के अधिकारियों ने अपने तौर पर ही कुछ पुलिस अधिकारियों को अपने कर्तव्य से अलग हो करके उसमें लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया। कुछ कार्यवाही की होगी। मुझे मालूम नहीं था लेकिन विधान सभा में इसी सदन में उधर बैठने वाले लोगों ने चर्चा की कि चूंकि मुख्य मन्त्री....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो अब भी करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, मेरी बात। मुख्य मन्त्री के लड़के का पैट्रोल पम्प लूटा गया था इसलिए पूरे के पूरे थाने को बर्खास्त कर दिया गया जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब इस प्रकार की बात होती हो, हो सकता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मुख्य मन्त्रीजी, वह आपका मामला था इसलिए सभी को लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेण्ड कर दिया। बाकी जनता लुटती रहे।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर: मेरी बात सुनिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : कहां लुटती रहे? सब में कार्यवाही हुई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जायें, माननीय सदस्य। बैठ जायें। आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने इस बात का इसलिए जिक्र किया कि जो बात यहां कही गयी वह सब सच नहीं थी, न थाने को बर्खास्त किया गया है। अगर, मान लीजिए, कुछ कार्यवाही की भी जाय, तो केवल इसलिए कि वह मेरे से सम्बन्धित था इसलिए यहां पर एक राजनैतिक आधार पर कोई बात कही जाय, वह उचित नहीं है। मैं इसका केवल संदर्भ यहां दे कर के छोड़ देना चाहता हूं।

अब रहा सवाल, यह जो कोटा के अन्दर घटनाएं हुईं, बूंदी के अन्दर जो बैंक लूटा गया और खारी ग्राम में जो बैंक लूटा गया उसमें निश्चित रूप से ऐसा मालूम पड़ता है, एक ही तरह के गिरोह ने एक ही मोडस आपरेंडी के आधार पर, उसी प्रकार के शस्त्रों के साथ में यह वारदातें कीं। तीनों-चारों जगह एक ही घटना का आधार मिलता है। इस पर हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि घटना का किस तरह से तारतम्य बैठाया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यहां जो कहा गया कि नाकेबन्दी नहीं की गयी, आज इन घटनाओं के बाद में चारों तरफ राजस्थान भर में पुलिस को अलर्ट किया गया है...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : फिर आसमान में उड़ गये क्या?

श्री शिवचरण माथुर : हर जिले में पुलिस अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को यह कहा गया कि इस प्रकार के सस्पैक्टेड लोगों को देखा जाय, चैक किया जाय। उसमें कुछ लोगों, जो जैनवीन लोग हों, को थोड़ी तकलीफ हो सकती है लेकिन उसको भी बर्दाश्त करते हुए सारे राजस्थान में जितने आने जाने के साधन हैं, निकास हैं, उन पर सीधी नजर रखी जाय और कहीं पर भी, ऐसे लोग देखे जायें, तो उनके साथ कार्यवाही की जाय, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। कार्यवाही पुलिस ने की है लेकिन यह ठीक है कि आज तक इन घटनाओं के बाद में 4-5 दिन में कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे ऐसा विश्वास है कि पुलिस ने जो कार्यवाही की और कर रही है उसको हम माउन्ट अप कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका पता लगाना है और लगाने के बाद जिस तरह से भी पुलिस ने पहले निकाला है, यह चोरियां भी निकलेंगी डकैतियों का भी एक प्रकार से राज खुलेगा

(श्री शिवचरण माथुर)

लेकिन मैं एक दूसरी बात से चिन्तित हूं। इसका राज भी खुल जाय, यह बैंक डकैती पकड़ी भी जाय लेकिन जैसा विरोधी पक्ष के नेता ने कहा, यह सही बात है कि हमारे देश में कुछ शक्तियां बल्कि मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिन्दुस्तान के बाहर की शक्तियां भी आज इसमें दिलचस्पी रखती हैं कि हिन्दुस्तान ने जो धीरे-धीरे इन 35-36 साल के अन्दर, हमारा और आपका चाहे कितना भी विरोध रहा हो लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कुछ कमाण्डिंग हाइट्स प्राप्त की हैं और हमने दुनिया में अपना स्तर बनाया है। हिन्दुस्तान जैसा प्रजातन्त्र, इतना बड़ा देश यदि कहीं आगे बढ़ता है तो दुनिया की बड़ी ताकतों को खतरा पैदा होता है। इसलिए मुझे तो निश्चित रूप से यह शक होता है, मेरे पास कोई आधार नहीं है कहने का लेकिन निश्चित रूप से शक होता है कि सारे देश के विभाजन के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए इन तत्वों को सतर्क किया जा रहा है। उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अब इन सब बातों को एक गहरी चुनौती मान कर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इसको राजनीति का प्रश्न नहीं बनाकर इधर बैठने वाले, उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य देश की, प्रदेश की एक गम्भीर समस्या मान कर इसका मुकाबला करने के लिए जो भी सहयोग देंगे, मैं उस सहयोग को लेना चाहता हूं। यहां पर कांग्रेस का, बी.जे.पी. का या दूसरी पार्टियों का कोई प्रश्न नहीं है। यहां पर सारे प्रदेश का प्रश्न है, सारे देश का प्रश्न है। उसमें जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती हों उनका सब मिल-जुलकर मुकाबला करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

रहा सवाल, राजस्थान के प्रश्नों पर पंजाब का दृष्टिकोण या किसी भी राज्य का दृष्टिकोण कुछ भी रहा हो, विरोधी पक्ष के माननीय नेता जानते हैं, हमने उन वार्ताओं में आपको भी सम्मिलित किया था, विरोधी पार्टियों के सभी नेताओं को हमने बुलाया था यह बात समझकर कि यह कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह सारे प्रदेश का सवाल है। उस समय आपने देखा होगा कि राजस्थान के हितों के सम्बन्ध में हमारा और आपका दृष्टिकोण एक ही रहा। जहां तक राजस्थान के हितो का सवाल था हमने निश्चित रूप से उसमें स्टेण्ड लिया है। चाहे रोपड़ का सवाल हो, चाहे आनन्दपुर साहिब का सवाल हो, चाहे वह रावी ब्यास के पानी का सवाल हो, हमने एक स्टेण्ड लिया है। आप जानते हैं कि जब त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी उस समय शायद राजस्थान ही एक प्रदेश था जिसके प्रयत्नों से अकाली दल के लोगों से सीधा कन्फन्टेशन किया था और उनसे हमने सीधी चर्चा की थी। हमने अपने पक्ष को बहुत साफ रखा था और यह बात भी सही थी, उनके पास में कोई दलील नहीं थी जिसमें वह यह कह सकें कि राजस्थान के पानी को बांटा जा सके। राजस्थान में

(श्री शिवचरण माथुर)

पानी के बंटवारे का निश्चय आज से नहीं, ऐतिहासिक आधार पर बहुत पहले हो चुका है। विरोधी दल के जितने नेता थे उन्होंने भी एक बात को स्वीकार किया कि हरियाणा और पंजाब के बंटने के बाद, अनडिवाइडेड पंजाब था उसमें से जब दो प्रान्त बने, पंजाब का एक जो अनडिवाइडेड हिस्सा था उस हिस्से को हरियाणा और पंजाब में बांटने का प्रश्न तो विवाद का विषय हो सकता है लेकिन जहां राजस्थान के पानी का सवाल है, राजस्थान के हितों का सवाल है वहां कोई चर्चा का विषय नहीं है बल्कि अनडिस्प्यूटेड बात है। इस बात को विरोधी पक्ष के नेताओं ने स्वीकार किया। हमने भी इस बात में यही कहा कि आप हमारे बीच में क्यों डालते हैं। ठीक है, तीन पार्टी हैं और इसमें हमें वार्ता में सम्मिलित करते हैं, बात समझ में आती है। हमारा दृष्टिकोण हम कहने को तैयार हैं लेकिन हम इसमें कहीं पर भी नहीं आते, हमारी बात बहुत पहले तय हो चुकी है और उसके आधार पर बहुत कार्यवाही हो चुकी है इसलिए वह प्रश्न सामने नहीं है। मैं इस सदन की मार्फत फिर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों का जहां भी सवाल आयेगा, वहां कहीं पर भी झुकने का प्रश्न नहीं उठता है। हर स्तर पर, चाहे, वह पंजाब हो या कोई हो, अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा से जो स्टैण्ड लिया है हमने, दृढ़ता से उस स्टैण्ड को दोहरायेंगे। राजस्थान के हितों पर कोई भी आंच आये, उसमें कुर्बानी या बलिदान करने के लिए हम तैयार हैं। आज चाहे कोई भी गंगानगर के कुछ हिस्सों को पंजाब में मिलाने वाली बात कहे, मैंने पहले भी इस सदन में निवेदन किया है और आज भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की एक इंच भूमि पर यदि किसी ने कोई चर्चा भी करने की कोशिश की तो राजस्थान की यह सरकार नहीं बल्कि राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। यह एक बहुत दृढ़ शक्ति के साथ मैं कहना चाहता हूं और इसमें हमारा कहीं पर मतभेद नहीं है। इसमें जो भी सहयोग आप देंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। आपसे हम सहयोग लेना चाहेंगे लेकिन मेहरबानी करके, ऐसे प्रश्नों पर राजनैतिक आधार पर स्टैण्ड की बात से आप ध्यान नहीं देंगे, मेरा आपसे इस मौके पर यही निवेदन है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं इस मौके पर कि उग्रवादियों के नाम पर हम सारे सिख समुदाय को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सिख समुदाय की पंजाब की समस्या आयी हो, पंजाब का एक दृष्टिकोण रहा हो, जब जब भी अकाली दल या उग्रवादियों के नेता भिण्डरावाले के दल ने इस बात का जरा भी दृष्टिकोण रखा तो हमारे सिख समुदाय के लोगों ने स्वतः ही आ करके चर्चा की है और कहा है कि हम इस बात को सब्सक्राइब नहीं करते। राजस्थान के हित के लिए हम सब एक हैं। यहां का सिख, हिन्दू, मुसलमान सब राजस्थान के हितों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मेरा यह कहना है कि अपने यहां के सिखों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुझसे आकर

(श्री शिवचरण माथुर)

कहा है । जब भी कोई इस प्रकार के बयान आते हैं तो वह लोग अपने आप आकर कहते हैं । यदुनाथ सिंहजी ने एक बात कही कि साहब, इन्दिरा गांधी ने घुटने टेक दिये और यह कर दिया । वह बहुत छोटे दायरे में सोचने की बात करते हैं । इन्दिरा गांधी को देश के दायरे में सोचना पड़ता है । और इन्दिरा गांधी को सारे देश के बारे में सोचना पड़ता है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पंजाब भी देश का एक टुकड़ा है ।

श्री शिवचरण माथुर : इन्दिरा गांधी को सारे देश के बारे में सोचना पड़ता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें ।

श्री मेघराज तावड़ : इन्दिरा गांधी ने यह बढ़ावा नहीं दिया होता तो यह स्थिति देखने को नहीं मिलती ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : इन्दिरा गांधी यह जानती हैं कि पंजाब के अन्दर भी सिखों का दृष्टिकोण यह है कि सारा हिन्दुस्तान एक रहना चाहिए । जब उसके अन्दर कुछ आतंकवादी और उग्रवादी हैं उनके नाम पर सारे सिख समुदाय को, सारे देश के सिख समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । सिखों ने कुर्बानियां दी हैं । गुरु गोविन्दसिंहजी के चारों बेटों ने कुर्बानी किस बात के लिए दी ? देश की रक्षा के लिए और देश की मान्यता को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी । अपने बेटों को दीवार में चुनाने वालों के अगर कोई इतिहास में प्रमाण मिलते हैं तो सिख जाति के प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं । इसलिए....

श्री मेघराज तावड़ : यह किसी ने नहीं कहा । इस तरह की बात किसी ने नहीं कही ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जावें, माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, देश के व्यापक संदर्भ में, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने की दृष्टि से, देश की जो गरीबी है उसको ध्यान में रखते हुए और देश के विकास को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गांधी सारे देश के संदर्भ में निर्णय लेती हैं । यह बात कहना कि उन्होंने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए, मैं समझता हूं कि एक बहुत छोटा राजनैतिक पहलू है जिसको आप दिमाग में रखते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, अव्यवस्था न फैलायें । कृपया बैठ जावें । आर्डर, आर्डर । अंकित नहीं हो ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन गतिविधियों के सम्बन्ध में कार्यवाही का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष रूप से जो घटना से प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा इन्टेंसिव तरीके से और वैसे सारे राजस्थान में पुलिस को पूरी तौर से हमने अलर्ट किया हुआ है । सब जगह पुलिस की कार्यवाही बहुत तेजी से चालू है । हमने यह कोई नीचे के अधिकारियों पर बात नहीं छोड़ दी, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों को चार्ज इस काम के लिए दिया हुआ है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको भेजो ही मत ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें ।

श्री शिवचरण माथुर : अब यह मेरी समझ में नहीं आता, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य इस सारी व्यवस्था को ठेके पर देना चाहते हैं वह कैसी व्यवस्था होगी ।

श्री अध्यक्ष : उनको पुराना जमाना याद आ गया था ।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो पुराने जमाने में सिलसिला चला करता था जागीरदारों के, राजाओं के वक्त में जहां केवल एक डण्डे से राज चलता था । आज वैसी व्यवस्था नहीं चल सकती, माननीय सदस्य । इसलिए अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों पर विश्वास रखते हुए, गलत काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को नहीं बख्शने की बात स्वीकार करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि इस काम में आपका सहयोग रहा तो हमारे राज्य में जो शांति रही है वह शांति हमेशा बनी रहेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं दावत देता हूं आपको, जो भी आप मुझे इस बारे में जानकारी देना चाहें, आप पधारिये । मेरे पास बैठ कर बातचीत कीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप डरो मत ।

श्री शिवचरण माथुर : हम सब लोग इस समस्या का हल निकालने के लिए आज दृढ प्रतिज्ञ हैं ।

जहां तक सवाल रहा एक लाख की घोषणा करने का, उसके पीछे एक ही आधार यह रहा है कि मैं यह मानता हूं, जनता के सहयोग से इन समस्याओं को ज्यादा कारगर तरीके से हल कर सकते हैं । उसमें अगर, मान लीजिये, कोई लोग ऐसे भी हों कि जो कुछ लाभ से इन लोगों को

(श्री शिवचरण माथुर)

पकड़वाने वाली बात करते हों तो हम उनका सहयोग लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : साम, दाम, दण्ड, भेद-यह तो माना हुआ सिद्धान्त है।

श्री शिवचरण माथुर : आम तौर पर मैं आह्वान करता हूं राजस्थान की जनता का, राजस्थान के सभी विरोधी पक्षों का कि इस प्रदेश के इस काम में पुलिस के साथ में एक रचनात्मक आधार पर इस समस्या का निराकरण करने की चेष्टा करें। यही बात मुझे इस वक्तव्य के सम्बन्ध में कहनी थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जावें। आसन पैरों पर है। चर्चा समाप्त हुई इस स्थगन प्रस्ताव पर।

आसन की ओर से स्थगन प्रस्तावों, जो माननीय सदस्यों ने दिये थे, पर व्यवस्था दी जा रही थी उस समय काफी बहस हो गई थी। अब स्थगन प्रस्तावों में एक श्री हीरालाल आर्य का सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा ऋण वसूली के बारे में था, उसको मैंने आवश्यक जानकारी हेतु भेजा है। जैसी कि परम्परा रही है इस सदन की, अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है, चाहे प्राप्त होने पर अथवा सरकार से जानकारी लेने पर, मैं उन माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा दो-दो मिनट का। आज समय काफी हो गया है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह समय का खास तौर से ध्यान रखें।

श्री हीरालाल आर्य ऋणों की वसूली के बारे में। दो मिनट में, माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चोमेला में काम करने वालों ने घपला किया, उसमें मेरा नाम नहीं पुकारा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, मैंने श्री हीरालाल आर्य का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। बैठ जावें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : उसमें मेरा नाम नहीं बोला गया है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। उसमें हम दो हैं। श्री अनंगकुमार और मेरा, दो ही का नाम था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, जब अवसर आयेगा उस समय देखेंगे। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा बूंदी के समाचार पत्रों को पढ़ने से पता चलता है और वहां पर हुए विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों से पता चलता है कि इस वर्ष कोटा और बूंदी जिले में सिंचाई के पानी का अभाव रहा, किसानों की फसलें सूख गईं और किसान बरबाद हो गये। किसानों के ऐसे कष्ट के समय में होना तो यह चाहिए था कि किसानों को जितनी अधिक से अधिक सहायता, सहयोग दिया जा सके उतना दिया जाता लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग बूंदी जिले के किसानों पर ऐसे संकट के समय भी जुल्म ढा रहा है। सहकारिता विभाग अपनी ऋण राशि वसूल करने के नाम पर किसानों को परेशान कर रहा है। अधिकारी उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। किसान यहां तक शिकायत कर रहे हैं कि हमने यह ऋण उठाया नहीं, इसकी जांच कीजिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : कापरेन और दूसरी सहकारी समितियों में किसानों ने ऋण उठाया नहीं लेकिन सहकारिता विभाग के अधिकारी जाते हैं, किसानों को परेशान करते हैं। उनको मुर्गा बनाया जा रहा है, ठण्डे पानी में फेंका जा रहा है। उनके दैनिक काम में आने वाले सामान को कुर्क किया जा रहा है। उनके खाने पीने के सामान को भी कुर्क करके वहां के अधिकारी ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, छोटे किसान काम पर जाते हैं खेतों में, लेकिन जब वह खेत से लौट कर आते हैं तो उनको घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। केशोरायपाटन में जब मैं एक मीटिंग में गया तो किसान मुझे मिले और कहा कि एम. एल. ए. साहब, हमारे बाल बच्चे बाहर बैठे हैं और इस ठण्ड के वक्त में ठिठुर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा। उनके घरों पर सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने ताला लगा दिया था।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, एक गरीब व्यक्ति के मकान की चद्दरें उठा कर सहकारिता विभाग के लोग ले गये। इस तरह का जुल्म वहां के लोगों पर हो रहा है। इस बारे में वहां के किसानों ने इकट्ठा होकर आन्दोलन भी किया था। तब जिलाधीश महोदय ने उनको आश्वासन दिया था कि किसी तरह के आवश्यक सामान को कुर्क नहीं किया जायेगा ऋण वसूल करने के लिये और सहानुभूति से काम किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी।

श्री हीरालाल आर्य : किसानों पर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वह भी ऐसे संकट के समय में। ऐसा व्यवहार नहीं किया जाकर उनको राहत दी जाय, यह आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री वंशीलाल। बनास नदी पर बांध के बारे में।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक निवेदन है कि मगरोल लिखा हुआ है। कहीं मांगरोल की जानकारी आ गई तो यह गलत है। मांगरोप है। मांगरोल शब्द का प्रयोग किया है। इसमें मैंने तो मंगरोप लिखा है।

श्री अध्यक्ष : मंगरोप, मंगरोप।

श्री बंशीलाल पटवा : इसमें दो-तीन और हैं मेरे, साथ ही बोल दूं ? आप दिखा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपका केवल एक ही है। तीन हैं। एक साथ तीनों पर बोल दीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा : एक मंगरोप का, एक भूमि विकास का।

श्री अध्यक्ष : खनन पट्टों के बारे में है।

श्री बंशीलाल पटवा : खनन पट्टों के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र में फर्जी खनन कार्य, इमारती पत्थर के बारे में।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : भूल गए।

श्री बंशीलाल पटवा : भूला नहीं साहब। और भूल जाऊंगा तो आपसे पूछ लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : जानकारी मैंने पढ़ दी थी।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा क्षेत्र में मंगरोप के पास बनास नदी पर बांध बनाने की दृष्टि से पिछली बार एक सर्वे हुआ था, उसके बाद फिर से सर्वे हुआ और इसमें यह कहा गया है कि साहब, सर्वे नहीं हुआ। सर्वे हुआ और वहां के किसानों ने उत्तेजना में आन्दोलन चलाया। वह इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने निर्णय लिया है। करीब दस-पन्द्रह साल पहले भी सर्वे हुआ था। इस बांध के बनने से लगभग बीस गांव प्रभावित होंगे। उधर उपजाऊ जमीन भी है। गुवाड़ी, कान्याखेड़ी और मेजा—तीन-तीन प्रोजेक्ट्स से पानी मिलता है। उस क्षेत्र में बांध की बिलकुल आवश्यकता नहीं है। परन्तु सरकार वहां पर सर्वे करा रही है। यदि वहां पर बांध बनवाया गया तो यह अनुचित होगा। केवल हरा भरा करने की दृष्टि से बांध बनवाया जाता है तो गलत होगा। पहले भी वहां सर्वे करवाया था उसके अनुसार 20 गांव डूब में आते हैं, उपजाऊ जमीन डूब में आती है। इसलिये जो सरकार ने उत्तर दिया है, यदि वहां बांध नहीं बन रहा है तो खुशी की बात है। उसके लिये धन्यवाद और भविष्य में नहीं बने, इसके लिये प्रयत्न होने चाहिये।

दूसरा, मेरा भूमि रूपान्तरण के बारे में स्थगन प्रस्ताव है। मेरी मोटी आपत्ति यह है कि भीलवाड़ा में जितनी फाइलें भूमि रूपान्तरण के लिये प्रस्तुत की गई हैं उनमें 31 मई तक जो फाइलें प्रस्तुत हो चुकीं

(श्री बंशीलाल पटवा)

और 31 मई तक जिनका पैसा जमा हो चुका उनकी भूमि तो रूपान्तरित की नहीं और 31 मई के बाद जो फाइल आयी उसको काउन्ट कर लिया और उसका 31 मई में पैसा भी जमा करवा दिया। फाइल भी प्रस्तुत कर दी। वहां सांठ गांठ करके भूमि रूपान्तरण में उन्होंने यह किया कि अपने रिश्तेदारों जिनकी बाद में फाइल आई, जिनका पैसा 31 मई को जमा हुआ, सबसे पहले रूपान्तरण उनका किया। जिन्होंने 31 मई को पैसा जमा करा दिया, फाइल भी प्रस्तुत कर दी उनकी भूमि का रूपान्तरण नहीं करते। रजिस्टर में कांट-छांट कर फाइलें बाद में दिखाई गई। यह सारा इस तरह से है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि यह इर्रेगुलेरिटीज हो रही हैं, इनको रोका जाय। जिन्होंने समय पर पैसा जमा करा दिया और फाइलें प्रस्तुत कर दी उनको निपटाया जाय। एन. ओ. सी. दी जाय तो एक साथ पूरे क्षेत्र की एन. ओ. सी. यू. आई. टी. से लाकर दी जाय।

तीसरा, माण्डलगढ़ क्षेत्र के ऊपरमाल के बारे में प्रस्ताव दिया है। उसके बारे में वक्तव्य आता और विचार करते तो मेरे खयाल से ज्यादा अच्छा होता। ऊपरमाल में करीब 600 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उनकी खानों के पेटे में जो जमीन है वह निश्चित रूप से अतिक्रमण की है। अतिक्रमण करने के बाद उनको रेगूलेराइज किया गया है। पिछली बार कटमोशन दिया तो कुछ जमीनों के पट्टों को कैंसिल भी किया था। आज भी इस क्षेत्र में अतिक्रमण किये जा रहे हैं। जो नलों की माताजी में जंगलात को भूमि है, उस वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उस पर खनन कार्य किया जा रहा है। मैनिपुलेशन करके जंगलात की जमीनों को वन विभाग वालों से लिखवा कर रेगूलराइज किया जा रहा है। अतिक्रमण को रेगूलराइज करने की कोशिश की जा रही है। वहां अतिक्रमण की बकाया भी ज्यादा है। केवल तगारी-फावड़ा ले जाते हैं और आगे कार्यवाही नहीं करते हैं। इस तरह से आगे कार्यवाही को पेंडिंग रख रहे हैं। उनके पास उड़न दस्ते हैं, सब साधन हैं। सरकारी मशीनरी द्वारा अतिक्रमण को समाप्त करने की बजाय प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे राजस्व की हानि हो रही है। लाखों रुपये की बकाया वर्षों से है। अतिक्रमण की बकाया को वर्षों से वसूलियां नहीं हो रही हैं। इर्रेगूलेरिटीज को यदि समाप्त नहीं किया गया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो मैं सोचता हूं कि अतिक्रमण को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्व को हानि होगी। इसलिये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह मुख्य मन्त्री महोदय का क्षेत्र है। वहां पर इस तरह से अतिक्रमण हो और सरकारी मशीनरी काम नहीं करे तो यह बिलकुल ही अनुचित होगा। मेरा अनुरोध है कि राजस्व की हानि नहीं हो इसलिये अतिक्रमण को हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा । सिकराय तहसील गांवड़ी में आवंटित खसरा नम्बर दो से प्रीमियम वसूल करने के विषय में ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, 1977 के फरवरी में खसरा नम्बर दो से काश्तकारों को जमीन अलाट की गई थी । उस समय जो अलाटमेंट किया गया वह कमाण्ड एरिया में नहीं था । कालाखो बांध है उसकी जो नहर जाती है, उससे तीन किलोमीटर दूर तक बहती है । यह जमीन बहुत ही ऊबड़-खाबड़ है । वहां आगे भी 50 सालों में कभी पानी पहुँच नहीं सकता, क्योंकि टेल पर नहर है गांवड़ी के पास में । कालाखो वहां से 10-15 किलोमीटर दूर है । उसमें एक तो पानी नहीं है और दूसरे, यह बहुत ऊंचाई पर है । वह कमाण्ड एरिया में नहीं है । 78 में अलाटमेंट कमेटी की दुबारा मीटिंग हुई थी । उस समय मसला आया तो पूरी अलाटमेंट कमेटी ने रिकमण्ड किया था कि इस जमीन को कमाण्ड एरिया से निकाला जाय और यहां काश्तकारों से वसूली नहीं की जाय । अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में फरवरी, 84 तक किसानों को कोई नोटिस नहीं दिया । फिर एकदम नोटिसेज सर्व किये गये और दो बार राजस्व अधिकारी, तहसील के अधिकारी ने उनको काफी डराया, धमकाया । अध्यक्ष महोदय, जब कलेक्टर ने स्टे दिया तो उसको भी नहीं माना । दुबारा स्पेशल आदमी भिजवाया कलक्टर ने स्थगन आदेश के बाद, आपकी कृपा से उसको भेजा, तब जाकर इनकी कुछ जान बच रही है । अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर दो में जो 77 में अलाटमेंट हुआ था वह ऊबड़-खाबड़ जमीन है और कमाण्ड एरिया में शामिल की गई है तो कुछ अधिकारियों की गलती की वजह से । अभी जमीन 50 साल भी कमाण्ड एरिया में नहीं आ सकती । तो इसको तुरन्त निकाला जाना चाहिये और काश्तकारों को दी जा रही परेशानी को तुरन्त रोका जाना चाहिये ।

धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा । फायर ब्रिगेड के बारे में । इनका कहना है कि व्यवस्था ठीक है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, वह बिलकुल गलत कह रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा कहा है । आये दिन अखबार में आप पढ़ते होंगे कि आग पर काबू पाया गया 24 घंटे बाद, तब तक सब कुछ जल कर ध्वस्त हो गया । मेरा कहना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ईदगाह के सामने कच्ची बस्ती है उसमें आग लगी और 7 घर जल गये। फायर ब्रिगेड जब पहुंची तो काफी कुछ जल चुका था। फायर ब्रिगेड का पानी खतम हो चुका था और वह टूटी हुई थी। काम के टाइम पर उसने काम नहीं किया। वह घाट गेट पानी लेने आई और जब तक वहां पहुंची तब तक और भी जल कर खाक हो गया। 9 गाड़ियां इनके पास हैं। नगर परिषद् के फायर ब्रिगेड की स्थिति अच्छी नहीं है। जब भी बात उठती है तो कहते हैं कि चैसिस खरीद लिये गये हैं और गाड़िया बनायेंगे। लेकिन बनाई नहीं जा रही हैं और अच्छी स्थिति नहीं है।

इसी तरह सिविल डिफेन्स की कुछ गाड़ियां हैं जो कलेक्टर के आदेश से काम पर जाती हैं। जब तक आदेश मिलता है तब तक अग्निकाण्ड से पूरा ध्वस्त हो चुकता है। ऐसा भस्मीभूत होता है कि कुछ बचता नहीं। ऐसा प्रबन्ध नहीं है कि तत्काल सहायता मिल जाय। कलेक्टर के यहां जूतियां चटखाते-चटखाते जूतियां टूट जाती हैं 6 महीने में, तब कहीं जाकर 500 रुपये स्वीकृत करते हैं जब उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि फायर ब्रिगेड को सशक्त बनाया जाय। जयपुर शहर 15 किलो मीटर से भी ज्यादा बढ़ गया, रीजन बन गया। गांवों में भी फायर ब्रिगेड जाती है। मेरा कहना यह है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पूरी बात तो कहूं। मैंने तो शुरूआत ही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने दो मिनट का निवेदन किया था। और किसी तरीके से इसको उठायें। आपको अपनी बात कहने का अवसर दे दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर की सेंसस डिपार्टमेंट के हिसाब से 10 लाख और खाद्य विभाग के हिसाब से 14 लाख जनसंख्या हो गई, इसके बावजूद केवल एक फायर ब्रिगेड केन्द्र है जयपुर में, जब कि 6 फायर ब्रिगेड केन्द्र होने चाहिये। 285 हाइडेण्ट्स इन्होंने सड़क के नीचे दबा दिये, केवल एक हाइडेण्ट बचा है जो कि घाटगेट पर है। तो कहीं भी आग लगे, विश्वकर्मा में आग लगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह मांग आये उस वक्त आप प्रश्न उठायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर तो जल रहा है इसकी कब मांग आयेगी और कब बात उठाऊंगी। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में कार्यवाही के लिये लिख कर भिजवायें, जयपुर की फायर ब्रिगेड व्यवस्था में सुधार किया जाय। आपको याद होगा, आसाम फ्लोर मिल में आग लगी तो 6 दिन तक नहीं बुझाई जा सकी। जयपुर फ्लोर मिल की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

8 दिन तक नहीं बुझाई जा सकी। गाड़ियां दौड़ती रही, गाड़ियों ने काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अब आग लगी उसके एक एक केस पर चर्चा करें ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी अभी जाजू की प्रीमियर वेजीटेबल फैक्ट्री में आग लगी वहां से आदमियों को जिन्दा, मुर्दा नहीं निकाला जा सका।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या। यह कोई माध्यम नहीं है। यह आपकी सुविधा के लिये है ताकि आप ध्यान आकर्षित कर सकें। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, अब कृपया तत्काल समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं ध्यान आकर्षित करती हूं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी फायर ब्रिगेड व्यवस्था से जयपुर शहर को नहीं बचाया जा सकता। जैसी युद्ध काल में तैयारी होती है कि तत्काल सहायता पहुंच जाय, उस तरह की अग्नि शमन सेवायें होनी चाहिये। मान्यवर इनको लिख कर भिजवायें जिससे कुछ कार्यवाही करें और जयपुर को जलने से बचाया जा सके।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। श्री हरीश शर्मा।

(3.00 म. प.)

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री भंरू सिंह गुर्जर, सदस्य के त्याग-पत्र का समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं श्री शिवदान सिंह राठौड़ व श्री सुखलाल संगचा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार हनन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मुझे कुछ विशेषाधिकार के हनन के प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। उनमें से कुछ के सम्बन्ध में मेरा निर्णय इस प्रकार है :—

(1) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत व टाइम्स आफ इण्डिया, इन समाचार पत्रों तथा माननीय सदस्य श्री भंरू सिंह गुर्जर के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त समाचार पत्रों ने श्री गुर्जर द्वारा गत 7 मार्च को उन पर लगाये गये आरोपों को लेकर अध्यक्ष को दिये गये त्याग पत्र का समाचार प्रकाशित किया और श्री गुर्जर ने अपने सशर्त इस्तीफे की प्रतियां उक्त समाचार पत्रों को वितरित कीं, जब कि यह सशर्त इस्तीफा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन था।

(2) सर्व श्री यदुनाथ सिंह, हंसराज शर्मा, राम किशोर मीणा, नन्दलाल मीणा

(श्री अध्यक्ष)

व देवी सिंह भाटी ने श्री भैरू सिंह गुर्जर द्वारा दिये गये त्याग पत्र, जो अध्यक्ष के पास विचाराधीन था और जिस पर अध्यक्ष ने कोई निर्णय नहीं दिया था, का समाचार प्रकाशित करने पर टाइम्स आफ इण्डिया तथा राजस्थान पत्रिका के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन की सूचना दी है।

(3) सर्व श्री यदुनाथ सिंह, हंसराज शर्मा, रामकिशोर मीणा, नन्दलाल मीणा व देवीसिंह भाटी ने माननीय सदस्य श्री शिवदान सिंह के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि श्री शिवदान सिंह ने सदन में 7-3-84 को श्री भैरू सिंह गुर्जर, सदस्य, विधान सभा पर माननीय अध्यक्ष को पूर्व सूचना, जो कि प्रक्रिया के नियम 272 के अन्तर्गत आवश्यक है, दिये बिना और नियम की अवहेलना कर के एक व्यक्तिगत आरोप लगाया।

(4) श्री भैरू सिंह गुर्जर ने श्री शिवदान सिंह राठौड़ व श्री सुखलाल सैणचा के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री राठौड़ व श्री सैणचा ने उन पर क्रमशः चरित्र हनन तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये और इस प्रकार उनके विशेषाधिकार का हनन किया है।

जहां तक श्री भैरू सिंह गुर्जर के कथित त्याग पत्र का प्रश्न है, चूंकि यह एक सशर्त त्याग पत्र का प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच की जाये। यदि जांच के परिणामस्वरूप आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें सदस्य बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। ऐसी सूरत में यह सम्पूर्ण मामला एक प्रस्तावित जांच और उनके परिणामों पर आधारित होने के कारण त्याग पत्र की शक्ल नहीं लेता। अतः श्री भैरू सिंह गुर्जर के पत्र पर मैं किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझता।

जहां तक विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों का प्रश्न है, चूंकि इनमें सदन के सदस्यों की गरिमा और सदन के किसी माननीय सदस्य द्वारा अध्यक्ष को दी गयी सूचनाओं को प्रकाशित करने अथवा न करने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों के अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्न निहित है। अतः मैं यह उचित समझता हूं कि ये प्रस्ताव नियमानुसार ग्राह्य हैं अथवा नहीं, इसकी जांच के लिये इन पर प्रक्रिया के नियम 162 के अधीन विशेषाधिकार समिति की राय प्राप्त कर लूं। अतः मैं इन चारों प्रस्तावों को प्राथमिक जांच के लिये विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं जो अपनी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेगी उसके बाद मैं यह निर्णय लूंगा कि ये प्रस्ताव ग्राह्य हैं अथवा नहीं।

मन्त्री द्वारा वक्तव्य। राजस्व मन्त्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

याकूबगंज, ग्राम पंचायत काबरा, तहसील टोंक के काश्तकारों के स्वयं के परचों की जमीन पर अतिक्रमण दर्ज कर राजस्व अधिकारियों द्वारा उनको डराना–धमकाना

श्री जय कृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से श्री महावीर प्रसाद जैन, विधायक द्वारा टोंक के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव के तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार हैं :–

तहसील टोंक की ग्राम पंचायत काबरा के ग्राम याकूबगंज में सीलिंग नियम, 1963 के तहत भूतपूर्व जागीरदार मोहम्मद यूसूफ खां के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने के कारण एक प्रकरण दिनाक 24-5-69 को उप जिलाधीश की अदालत में दायर किया जाकर जागीरदार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 384 रकबा 390 बीघा 11 बिस्वा उप जिलाधीश के निर्णय दिनांक 23-9-77 के द्वारा सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई। चूंकि टोंक तहसील का बन्दोबस्त कार्य चल रहा था इसलिये तहसील टोंक का भू-अभिलेख रिकार्ड बन्दोबस्त विभाग के पास होने के कारण सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का नामान्तरकरण राज्य हित में तस्दीक नहीं हो सका, बन्दोबस्त विभाग से 1975 में रिकार्ड प्राप्त होने पर उप जिलाधीश न्यायालय के भूमि अवाप्ति निर्णय दिनांक 23-9-1971 की अनुपालना करने बाबत अवाप्त शुदा,

(3.05 म. प.)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 12--83 को राज्य हक में तस्दीक किया गया।

सन् 1975 के अन्त में जब बन्दोबस्त विभाग द्वारा बन्दोबस्त अभिलेख तहसील टोंक को प्राप्त हुआ तो पाया गया कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा यह अवाप्त शुदा भूमि में से 39 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर 25 व्यक्तियों को खातेदारी दे दी गयी, शेष भूमि पर जमींदार के खाते में बदस्तूर रखी गयी। उक्त 25 व्यक्तियों में से गणपत पुत्र चतरा को भी अवाप्त शुदा आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा पर अधिकार दिये गये।

सीलिंग अधिनियम, 1963 लागू होने के बाद भूतपूर्व जागीरदार द्वारा भूमि का हस्तान्तरण नियमानुसार नहीं किया जा सकता था और न ही भू प्रबन्ध विभाग द्वारा इस प्रकार के हस्तान्तरण को भू-अभिलेख में इन्द्राज करना चाहिये था क्योंकि कानून के अन्तर्गत उक्त हस्तान्तरण मान्य नहीं थे। कानून के विरुद्ध प्राप्त किसी भी अधिकार को अमान्य एवं आधारहीन कहा जा सकता है। फिर भी उक्त काबिज व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि प्रभावित कृषक यदि भूमिहीन की परिभाषा में आते हैं तो उन्हें उसी भूमि को प्राथमिकता के

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

आधार पर आवंटित कर दिया जाय। जून, 1983 में भू-आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की गई। उस दौरान उक्त 25 काबिज कृषकों में से 13 कृषकों द्वारा भू-आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें भूमि आवंटन कर खातेदारी दे दी गई है। उक्त 13 व्यक्तियों में से गणपत पुत्र चतरा द्वारा खसरा नम्बर 879 रकबा 19 बिस्वा के आवंटन बाबत आवेदन देने पर उसे आवंटन कर दिया गया है। श्री गणपत ने खसरा नम्बर 384 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के लिये आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवंटन नहीं किया गया। इसके साथ ही शेष 12 कृषकों द्वारा भू-आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण उन्हें भी भू-आवंटन नहीं किया जा सका। इसके बाद इन कृषकों को तहसीलदार द्वारा धारा 91 का नोटिस दिया गया। गणपत पुत्र चतरा को दस गुणा पेनल्टी, जो मात्र 52/- रु. होती है, आरोपित की गई है। किसी भी कृषक की फसल नीलाम नहीं की गई है एवं ना ही किसी को जेल भेजा गया और ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी आदि दी गई है। माह अप्रैल, 1984 में पुन: टोंक तहसील में भू-आवंटन किया जाना है। उस समय यदि शेष 12 कृषक भूमिहीन की परिभाषा में पाये गये तो उन्हें भी नियमानुसार भू-आवंटन किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : माननीय सभापति महोदय, बड़ा अफसोस है कि माननीय मन्त्री महोदय ने उस प्रकार का स्टेटमेन्ट दिया जिस प्रकार विभाग ने इस स्टेटमेन्ट को बनाया। पहले मैं अपने मूल प्रस्ताव, जो मैंने दिया है, को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ग्राम याकूबगंज के काश्तकारों को स्वयं की जमीन पर अतिक्रमी दर्ज कर राजस्व अधिकारियों द्वारा डराया, धमकाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैंने गणपत पुत्र चतरा का जिक्र किया था। लेकिन मैंने यह जिक्र किया था कि वहां के प्रत्येक काश्तकार को परेशान किया जा रहा है। वहां पर लोगों की खेती की जमीन है, उनको खुर्द बुर्द किया जा रहा है, उनको उनके खाते की जमीन से हटा कर उनके ऊपर अतिक्रमी दर्ज किया गया है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस याकूबगज में 2771 बीघा के लगभग जमीन है। उसमें पुराने काश्तकार चले आ रहे हैं, उनके हिसाब से उनको खातेदारी राइट्स मिल गये। जब यह भू-प्रबन्ध होता है, तो यह भू-प्रबन्ध कोई एक साल में तो होता नहीं, सन् 1971 में भू-प्रबन्ध में उनको परचे दे दिये गये और 71 से 81 तक उनको खातेदारी राइट्स उसके हिसाब से दे दिये गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1971 में आपने भूमि अवाप्त की तो क्या आपके अधिकारी को, एस.डी.ओ. को अधिकार था, उस भूमि को सीलिंग में ले और उसके बाद क्या उन तहसीलदार या पटवारी जिनके पास सैटलमेन्ट के कब्जे हैं, उन सैटलमेन्ट के कब्जों के आधार पर जो लगान देते आ रहे हैं, जिनका पजेशन 20-30 साल से है उन सभी के खातेदारी के अधिकार एक कलम से समाप्त कर दें। यदि वह सीलिंग की जमीन थी तो बिना सुनवाई, बिना मौका दिये, जैसा कि आप कह

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

रहे हैं, 13 काश्तकारों को आवंटित कर दी। उस जागीरदार को उसके सीलिंग के तहत जितना पैसा देंगे उतना ही पैसा आवंटन के समय लिया जायेगा। तो किस आधार पर इन 13 काश्तकारों को भूमि अलाट की ? आज हम राजस्थान विधान सभा में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि गरीब काश्तकार की हम मदद करें। आपने इस सारे प्रकरण की जांच के समय यह नहीं देखा कि वह छोटे-छोटे काश्तकार हैं जिनके पास 10-15 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, जिनकी जिन्दगी खेती है, जो जीवन भर खेती में लगे हुए हैं। उन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट न करके आप गलत कार्यवाही करते हैं। मैं यह कहता हूं कि जिन लोगों के पास काफी अरसे से जमीन थी, किस आधार के तहत उनके काश्त के राइट को खतम कर दिया ? क्या हमने यह नहीं देखा कि उनका पजेशन चला आ रहा है, उनका राइट है, उन्होंने जमीन खरीदी है, मेरी पास रजिस्ट्रियां है। आपके तहसीलदार तहसील में इस प्रकार की गलत कार्यवाही कर रहे हैं। मैं आपको नोटिस की कापियां बताऊं, जिस व्यक्ति का नाम ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिया, उस नाम का व्यक्ति उस गांव में हैं ही नहीं। आपके चपरासी या कोई भी वहां जाता है, उसकी रिपोर्ट है कि इस गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ धारा-91 का नोटिस जारी कर दिया। इस प्रकार से आपने फर्जी कार्यवाही की है उनको बिना सूचित किए, बिना सुनवाई के और न ही आपने उनके कागजात देखे हैं। मैं आपको बताऊं, एक अर्जुन गंगाराम का आदमी हैं जिसने 563 व 536 पर 5 बीघा जमीन 6-11-60 को खरीदी। इसी प्रकार सोनाराम ने 444 पर डेढ़ बीघा जमीन 300 रुपये में 15-8-60 को एक रजिस्ट्री करवायी, इसी प्रकार लक्ष्मीनारायण ने 12-8-60 को 200 रुपये में दो बीघा 16 बिस्वा खरीदी। इसी प्रकार देवलाल ने 488, 459 पर 60 रुपये में 10-10-55 को खरीदी। हजारी ने 13-9-55 को 595 पर ढाई बीघा जमीन 95 रुपये में खरीदी। इसी प्रकार 23-6-65 को अर्जुन ने 583, 533 पर 2, आधा बीघा जमीन 90 रुपये में खरीदी। इसी प्रकार रंगा ने 23-6-50 को आज के 34 साल पहले 6 बीघा जमीन 150 रुपये में खरीदी। मैं उस गांव में गया। आप कहते हैं कि वहां भय और आतंक नहीं है। उस गांव में उनके फायदे के लिए पहुँचा। मैं चाहता हूं कि इस सरकार को पूरी जानकारी दूं। मैं वहां पहुँचा, वहां पर आतंक इस बात का है, उन सारे लोगों से वसूलियां कर ली गयीं, लगान की 10-10, 15-15 गुना पैनल्टी लगा कर। आप कहते हैं कि उन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उनकी फसल की कुर्की नहीं की गयी। मैं कहता हूं कि उनको मुर्गा बनाया गया, उनके माथे लड़ाये गये, उनके साफे उतार लिये गये। इस प्रकार से उनके साथ निम्न स्तर की कार्यवाही की गई है जिसको देखकर शर्म आती है। इस प्रकार की आपने अधिकारियों को छूट दे रखी है। वे गांव गांव जाकर इस प्रकार का आतंक पैदा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

करते हैं। आज उनको विश्वास नहीं होता कि आप उनको कोई फायदा देंगे। आज उनको विश्वास नहीं होता कि विधान सभा में उनके फायदे के लिए कुछ करेंगे। आपने यह साबित कर दिया, आपके इस वक्तव्य में यह नहीं कहा गया कि उनका जीवन कैसे चल पायेगा। मैं यह कहता हूं कि 2771 बीघा जमीन है, आपकी गवर्नमेंन्ट की कितनी जमीन है। जिनकी पहले से जो जमीन चली आ रही है, आपने इस प्रकार की 91 के तहत कार्यवाही कर, 91 का नोटिस निकाल निकाल कर उन लोगों को फर्जी तरीके से परेशान किया है। उनसे वसूलियों की कार्यवाही की जा रही है। अच्छा तो यह होता कि इस सारे प्रकरण की जांच करवाते, 2771 बीघा जमीन है लैण्ड रेवन्यू एक्ट बना है उससे पहले किस किस के कब्जे चले आ रहे हैं, किस किस को खुर्द बुर्द किया जा रहा है, किस किस को उधर से इधर किया है, किस पटवारी ने, किस तहसीलदार ने गड़बड़ी की है। आप उन काश्तकारों को विश्वास दिला दें कि चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सरकार हो जो यहां बैठते हैं वे काश्तकारों की बात सुनते हैं और किसानों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन एक तहसीलदार की कलम से, एक पटवारी की कलम से उनके राइट खतम कर रहे हैं जो उनके बच्चों का जीवन खतम कर रहे हैं, जो उनको लूट रहे हैं, उनको मुर्गा बना रहे हैं, जो 20-30 साल से जमीन जोतते आ रहे हैं उन लोगों को आप बेदखल कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, जैसी कि मैंने आपको जानकारी दी, सन् 71 मे, यह जमीन अवाप्त की गयी जो एस. डी. ओ. का फैसला था, वह चूंकि भू-प्रबन्ध, जो अधिकारी था उसके पास नहीं पहुंचा या उसने देखा नहीं इसलिए सन् 1975 में जब यह अभिलेख आया तो उसके अन्दर उन लोगों को खातेदारी दी गयी, जिनको आपने बताया कि 39 बीघा और जो किया गया....

श्री महावीर प्रसाद जैन : 71 में।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप और कोई बात पूछना चाहे तो पूछ लीजिये मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

यह ध्यान में लाया गया तो मैंने देखा कि अप्रैल 84 में उसकी दुरुस्ती करके सरकार के नाम जमीन कर दी गयी। सरकार के नाम क्यों? क्योंकि यह सिवाय चक की जमीन थी नहीं, वह तो सीलिंग के तहत अवाप्त की हुई जमीन थी। सीलिंग के तहत जो अवाप्त की हुई जमीन थी सरकार में वेस्ट कर दी गई। सरकार में वेस्ट करने की वजह से उन लोगों को उस पर अतिक्रमी मान लिया गया। अतिक्रमी होने की वजह से सरकार ने साथ में यह भी किया, जो सदैव से काश्त कर रहे हैं और भूमिहीन हैं, जो दरख्वास्त देगा, जैसी कि 12-13 काश्तकारों ने दरख्वास्त दी है

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उनको रेगूलेराइज कर दिया गया। जो खसरा का उदाहरण आपने दिया है उसमें भी एक दरख्वास्त दी नम्बर-1 19 बिस्वा उसको भी रेगूलेराइज कर दिया गया है। रहा सवाल 384 पर तीन बीघा 11 बिस्वा का, उसने दरख्वास्त नहीं दी। भूमि जो आवंटित होती है उस कमेटी के आप मेम्बर हैं और जिस समय यह अलाटमेंट हुआ उस समय आप उपस्थित होंगे या नहीं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं उस समय वहां नहीं था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : भूमि आवंटन कमेटी के आप मैम्बर हैं, वहां आप उपस्थित थे या अनुपस्थित होंगे। उसने दरख्वास्त नहीं दी इसलिए उसको अलाटमेंट नहीं किया गया। इस बात को मैं मानता हूं, किसी की भी गलती हो चाहे सरकार के रिकार्ड की हो, किसी की वजह से हो, उन काश्तकारों का कब्जा लगातार उस जमीन के ऊपर है। केवल इसी साल उनके ऊपर 10 गुनी पैनल्टी लगायी गयी है, यह मेरे पास रिपोर्ट है। नीलामी कर दी गयी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके आधार पर किसी की फसल कुर्क की गयी है, रुपया वसूल किया गया है। अगर हुआ है तो इसकी जानकारी मैं कलेक्टर टौंक से करवा लूंगा। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं। मैंने तमाम रिकार्ड देखा है उसके आधार पर मैं यह मानता हूं कि छोटे छोटे काश्तकार हैं, उनके खिलाफ अब तक जो एक्शन लिया गया है उसको मैं सही एक्शन नहीं मानता हूं। इसलिये मैंने यह आदेश दिये हैं और यह आदेश देना चाहता हूं, उन काश्तकारों, जो भूमि पर काबिज हैं भूमिहीन की तारीफ में आते हैं, को अलाटमेंट कर दिया जायेगा शीघ्रातिशीघ्र और जो अब तक कार्यवाही की गयी है उससे भी उनको लाभ पहुंचाया जायेगा। किसी प्रकार की हानि या पैनल्टी की गयी है उसको ठीक करेंगे। वैसे ऐसा नहीं हुआ है, यह आश्वासन, मैं समझता हूं बहुत बड़ा आपको मैंने दिया है, उन किसानों, जोभूमिहीन है, को जमीन आवंटित कर दी जायेगी, यदि वे भूमिहीन की तारीफ में आते है तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह पूछना चाहता हूं..

श्री सभापति : बहुत साफ मामला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सांडों का मामला नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सांडों का भी अभी आ जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आसन के माध्यम से।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मन्त्री महोदय, सीधे बोलते हैं तो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन के माध्यम से।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं····

श्री सभापति : अब निवेदन करने को क्या रह गया है, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत कुछ रह गया है।

श्री सभापति : स्पष्ट आश्वासन दे दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह बतायें कि उन पर जो पैनल्टी लगायी गयी है वह वियड़ा हो जायेगी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने यह निवेदन कर दिया कि इस साल में जो पैनल्टी लगायी है अगर वे भूमिहीन की तारीफ में आयेंगे तो उनकी पैनल्टी माफ हो जायेगी और भूमि अलाट हो जायेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दूसरी बात यह है कि भूमिहीन की तारीफ में एक परिवार आज है गत 20 वर्षों से काबिज है आज से बीस साल पहले····

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह तो कानून बना हुआ है उसको कैसे बदल देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय मन्त्री महोदय, विराजें। चर्चा समाप्त हुयी। कृपया विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, आप तो कृपालु हैं, आपको मालूम है, किसानों का मामला है, बहुत पुराना मामला है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अनावश्यक रूप से चर्चा को लम्बा कर रहे हैं। स्पष्ट आश्वासन आपको दिया है। आप कृपया विस्तार से जो कुछ जानना चाहते हैं वह मन्त्री महोदय को दे दें। मन्त्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : न तो उनको समय मिलेगा बाद में, न ही मैं जाऊंगा। मेरा एक आध सवाल है।

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य। आप तो विराजें, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आप सारे रिकार्ड को देखेंगे जब से यह अतिक्रमण हुआ ? मैंने बताया, सभापति महोदय, मैं गांव में गया लेकिन वहां पर लोग बेचारे समझाने की स्थिति में भी नहीं थे····

श्री सभापति : आपने प्रश्न पूछना चाहा था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य कहें पूरे गांव का, फिर पूरी तहसील का, फिर पूरे जिले का तो इसका मैं जवाब देने को तैयार नहीं हूं। जो प्रश्न आपने स्पेसिफिक पूछा था उसका जवाब दिया है, आश्वासन दिया है, इसका मतलब यह नहीं है

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कि और कोई झगड़ा है वह इसके साथ जुड़ जायेगा। भूमिहीन की तारीफ में आने वालों को अलाटमेंट कर देंगे। मैंने साफ कह दिया है उसको भी आप नहीं मानें, आपको संतोष नहीं है तो बात दूसरी है। मैंने साफ आश्वासन दिया है। आपकी जो प्रश्न पूछने की मंशा थी वह पूरी हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुयी।

श्री चतुर्भुज : माननीय सभापति महोदय, एक सवाल।

आपने जो आश्वासन दिया उसका मैं स्वागत करता हूं। आप इस कानून में 72 से कब्जे वाले मान रहे हैं, जिनका इतने वर्षों से कब्जा है। 15 बीघा की सीमा है और 80 बीघा या 88 बीघा हमारे यहां टौंक में सीलिंग की सीमा है। पुराने कब्जे को देखकर आपको यह 15 बीघा की सीमा नहीं करनी चाहिए। 10 साल का कब्जा है तो हमारे अधिकारियों के सामने यह अड़चन आ रही है कि 15 बीघा की सीलिंग की सीमा है ....

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह सीलिंग की जमीन का अलाटमेंट है, यह तो भूमिहीनों को ही देंगे। यह सीमा राजस्थान में अलग अलग है।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त हुयी।

आय–व्यय बजट 84–85 द्वितीय अवस्था अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

निम्नांकित अनुदान की मांगें विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी:–

मांग संख्या 37–कृषि माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री देवेन्द्र सिंह मांग प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या–37 कृषि एवं मांग संख्या–39 पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,55,68,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री सभापति : मांग संख्या 39–पशुपालन एवं चिकित्सा। पशुपालन राज्य मंत्री श्री श्रीराम गोटेवाला मांग प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला(राज्य मंत्री पशुपालन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-39, पशु-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,87,77,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री सभापति :- कटौती प्रस्ताव, जो वितरित किये गये हैं, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री मनकमल मेहता (पाली)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

कृषि उत्पादन बढ़ाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

2. कृषकों को खराब बीज वितरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. कृषि उपज मण्डी डेगाना में बनाई गई नालियों के कार्य में हुए घोटाले एवं नालियां पूरी नहीं होने पर इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

4. कृषि विद्यालयों में किसानों के बच्चों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता अनिवार्य की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. डेगाना पंचायत समिति के अन्तर्गत हरपोर बीज फार्म को पंचायत समिति के सुपुर्द करने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (बाली)

6. कृषि उपज मण्डी-सोजत रोड के सब

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

यार्ड राणावास व मारवाड़ जंक्शन के यार्ड का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

7. कृषकों को समय पर उचित मात्रा में उन्नत किस्म के बीज व रासायनिक खाद्य उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

8. बाड़मेर जिले के ग्राम–गडरारोड, गागरिया, रामसर, लीलमा व गुंगा में ग्रामीण हाट बाजार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

9. कृषि उपज मंडी के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण न होने से उनके देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

10. कृषि योजनाओं के विस्तार एवं पुनर्गठन व खाद बीज दवाइयों की समुचित व्यवस्था ब्लाक स्तर पर कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

11. कृषि उत्पादन बढ़ाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

12. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

13. दालों एवं तिलहन की उपज बढ़ाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

14. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में कृषि हेतु काश्तकारों को समय पर प्रशिक्षण देने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

15. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में फसलों के लिए कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में उन्नत फसलों के लिए समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने में असफल रही जिस पर चर्चा के लिये।

17. सरकार बांसवाड़ा जिले में ग्रामसेवक व फील्ड मैन की कमी को पूरा कराने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

18. जिला बांसवाड़ा में उन्नत बीज काश्तकारों को समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

19. कृषि उपज मण्डी बूंदी द्वारा खाण्डसारी फेक्ट्रियों से मण्डी टैक्स वसूल नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

21. केशवरायपाटन कृषि उपज मण्डी में अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में कृषि विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

23. किसान को अच्छा बीज व सस्ता खाद समय पर न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. फसल बीमा योजना लागू कराने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

25. राज्य सरकार राज्य में बढ़िया किस्म का बीज समय पर वितरण नहीं करके किसानों को राहत पहुँचाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

26. सरकार कृषि विभाग में बीज, खाद, दवाई की खरीद में अनियमितताएं रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

27. राज्य सरकार कुशलगढ़ में कृषि उपज मण्डी स्थापित करने व किसानों को कृषि उपज की पूरी कीमत दिलाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

28. कृषि विभाग कृषि उपज बढ़ाने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर)

29. पंचायत समिति जालौर एवं सायला में कृषि विभाग के कार्य से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री पीरूराम (टीबी)

30. टी.बी. क्षेत्र में कृषि फसलों के लिए समय पर खाद बीज उपलब्ध न कराने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

31. जैसलमेर जिले में कृषकों को कृषि के लिये अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. जैसलमेर जिले के किसानों को वैज्ञानिक कृषि का व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. राज्य सरकार जैसलमेर जिले के कृषकों को उच्च कोटि का बीज उपलब्ध कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

34. जैसलमेर जिले के किसानों को कृषि भूमि को उन्नत करने के लिये कर्जा दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

35. जैसलमेर जिले में कृषि प्रसार व प्रचार की योजना शीघ्र लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

36. फसल बीमा योजना लागू कराने और मिट्टी की किस्म के आधार पर फसल कार्यक्रम प्रारम्भ करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर)

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)

37. हल और बीज की उपलब्धि के लिये जो तकावी दी जाती है वह समय पर व पर्याप्त मात्रा में न दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)

38. ग्राम मसराना, एवं काम्हावास में उच्च माध्यमिक कृषि विद्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

39. कृषि विभाग की कार्यप्रणाली से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)

40. फसल बीमा योजना लागू कराने और कृषि उपज मण्डी निवाई की की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

41. कोटा में कृषि कालेज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. फसल बीमा लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री हरीश शर्मा)

43. झालावाड़ व कोटा जिले की कृषि उपज मण्डियों में किसानों के हितों की रक्षा करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

44. रामगंज मंडी तहसील के ग्राम खुणी एवं मोतीपुरा खुर्द के पानी से कृषि भूमि खराब हो चुकी है और कोई पैदावार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

46. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा उदयपुर में कृषि की उचित व्यवस्था नहीं होने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

47. इस वर्ष शीत लहर के कारण काश्तकारों की फसल नष्ट होने से उनको मुआवजा देने तथा अन्य करों की वसूली स्थगित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

48. कृषि बीमा योजना लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर)

49. इस वर्ष शीत लहर यानी हिमपात से किसानों की फसलों को नुकसान बाबत चर्चा के लिये।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

50. जिला कृषि अधिकारी चित्तौड़गढ़ का कार्यालय कपासन से चित्तौड़गढ़ अथवा प्रतापगढ़ में स्थापित कराने बाबत चर्चा के लिये।

51. चित्तौड़गढ़ जिले के खाद विक्रेताओं को कृषि अधिकारियों द्वारा परेशान करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

52. कृषि उपज मंडी द्वारा छोटे-छोटे गांवों को रोड से न जोड़े जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

53. किसानों को फसल के लिये खाद, बीज, तकाबी ऋण की उचित व्यवस्था की जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

54. टोडारायसिंह क्षेत्र में कृषि के उन्नत किस्म के बीज व खाद समय पर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं)

55. किसानों की फसल पर बीमा योजना लागू कराने तथा दवाइयां व खाद-बीज समय पर देने पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

56. राज्य किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलने एवं फसल बीमा लागू न किये जाने पर चर्चा के लिये।

57. कृषि में काम आने वाले उपकरणों व खाद को उचित मूल्य पर दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

58. किसानों को बीज आदि घटिया किस्म के दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

59. चित्तौड़गढ़ जिले में घटिया बीज वितरण किये जाने से कृषकों को हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की सुरक्षा व देख रेख की विफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. कृषि विभाग कृषि उपकरणों को कम दरों पर बेचने बाबत चर्चा के लिये।

62. कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद फरोख्त में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

63. उप निदेशक कृषि विस्तार, जयपुर के कार्यालय में कृषि यंत्रों के सम्बन्ध में की गयी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

64. डूंगल जिला चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मण्डी की स्थापना अब तक नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

65. पापूलराइजन व एम. रिसर्च स्कीम में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

66. राज्य सरकार कृषि को प्रोत्साहन देने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

67. सरकार कृषि उपज का समता मूल्य किसान को मिले, यह व्यवस्था कराने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

68. जिला सवाईमाधोपुर में इस वर्ष फसलों में रोग लगने, जाड़ा मारने से काश्तकारों को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री कुन्जी लाल (बामनवास)

69. ग्राम बामनवास में कृषि उपज मण्डी यार्ड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. जिला सवाईमाधोपुर में खाद व बीज तथा दवाईयां समय पर नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

71. कृषि उपादान खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों को उचित मूल्य पर दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिन्डौन)

श्री बालचन्द आर्यवीर (उग)

72. राज्य सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने व किसानों को राहत देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

73. कृषि विकास के लिये कृषि विस्तारकों के अभावों पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

74. बरबतसर सब डिवीजन में कृषि का उत्पादन बढ़ाने हेतु भू-संरक्षण कार्य करनें की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

75. कृषि उपकरण अनुदानित राशि पर उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

76. जिला जैसलमेर व बीकानेर में कृषि के विकास में भी विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

77. पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

78. फसलों की पैदावार तथा क्षेत्रफल के अनुदानों के बारे में समय पर सूचना देने हेतु विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

79. प्रदेश में कृषि इन्जीनियरिंग के विस्तार के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

80. पश्चिमी राजस्थान में प्रजनन फलोद्यानों की स्थापना के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

81. जिला बीकानेर में कृषि विश्व विद्यालय खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

82. प्रदेश में कृषि शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार में सरकार की उदासीनता पर चर्चा क लिये ।

83. लघु तथा सीमान्त कृषक को बीज तथा खाद आदि के लिये सहायतार्थ अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये ।

84. नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहन फसल का विस्तार करने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

85. राजस्थान नहर क्षेत्र में कपास की गहन उपज बढ़ाने व प्रोत्साहन देने में विभाग की निष्क्रयता पर चर्चा के लिये ।

86. जिला बीकानेर व जैसलमेर में सघन अनाज भंडार बढ़ाने में राज्य भण्डार निगम में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

87. ग्रामीण अंचल में कृषि उन्नत विधियों को प्रदर्शन करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

88. दालों की विकास योजना को लागू करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

89. अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रचार एवं प्रसार के कार्यक्रम में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

90. बीज संवर्धन और वितरण में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

91. भूमि विकास में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

92. पौध संरक्षण में विभाग द्वारा किसानों को सही व समय पर दिया निर्देशन देने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

93. विभाग द्वारा अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को, सुचारु रूप से लागू करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

94. विभाग द्वारा वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन देने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

95. कृषि विपणन और गुण नियन्त्रण में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

96. पश्चिमी राजस्थान में उन्नत बीज उपलब्ध कराने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

97. विपणन निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

98. जिला बीकानेर के ग्रामीण अंचल में भण्डारण और भण्डारों की व्यवस्था पर राज्य भंडार निगम में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

99. जिला गंगानगर एवं बीकानेर में उर्वरक वितरण में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

100. जिला बीकानेर में गोबर गैस प्लान्ट कार्यक्रम में सहायतार्थ अनुदान बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

101. कृषि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सहायतार्थ अनुदान बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

102. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में विनियोजन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

103. प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे से कृषकों को कर्जा माफ करने पर चर्चा के लिये।

104. जिला बीकानेर एवं गंगानगर में खाद एवं उर्वरक की बढ़ी कीमतों पर अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

105. जिला बीकानेर एवं गंगानगर में उर्वरक के लिए भूमि परीक्षण के लिए विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

106. जिला बीकानेर एवं गंगानगर में राइजोबिया कल्चर के संवर्धन की योजना के प्रसार एवं प्रचार में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

107. वनस्पति बीज उत्पादन योजना के प्रचार एवं प्रसार में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

108. झालावाड़ गोबर गैस प्लांट को कोटा जिले में प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

109. टोंक जिले में बीज के कम अंकुरण

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

की ओर दुर्लक्ष्य किये जाने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

110. कृषि उत्पादन लागत का अध्ययन कर सिफारिश करने में विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. कीटनाशक औषधि घटिया किस्म की उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. टौंक कृषि फार्म का उपयोग नहीं कर दुरुपयोग किया गया नाजायज तरीके से लाखों रुपयों का विभाग को घाटा हुआ, से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. टौंक कृषि उपज मण्डी समिति में सुविधाओं का अभाव से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

114. कृषि के लिए कर्ज में टौंक जिले में भयकर अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. टौंक जिले में बीज संवर्धन और वितरण में गड़बड़ी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. टौंक जिले में भूमि सीलिंग में प्राप्त आवंटित भूमि में कृषि उत्पादन एवं विकास हेतु सहायता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. टौंक जिले में कृषि शिक्षा की उपेक्षा के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

118. उर्वरक के लिये भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

119. टौंक जिले में विभाग द्वारा कृषकों को फसलों में लगने वाली बीमारी एवं उसके उपचार के बारे में जानकारी नहीं देने से फसल को भयंकर नुकसान हो जाने पर व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

120. टौंक कृषि मण्डी द्वारा बिजली, पानी व सड़क की सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

121. निवाई कृषि मण्डी समिति द्वारा किसानों को छाया में बैठने, गाड़ियां छोड़ने, छायादार पेड़ों तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

122. टौंक जिले में खाद व बीज का वितरण विभाग के अधिकारियों की

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मिलीभगत से ऊंची दरों से बिकवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. टोंक जिले में सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के प्रति विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

124. प्राकृतिक आपदाओं से बचने हेतु फसल बीमा लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा कस्बे में कृषि फार्म स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. आरक्षित मूल्य घोषित किये जाने के बाद भी गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा नहीं खरीदे जाने से किसान को नुकसान हुआ, इस पर चर्चा के लिये।

127. कृषि उपज मण्डियों के व्यवस्थापकों के आमूल चूल परिवर्तन के संबंध में चर्चा के लिये।

128. कृषि उपज मण्डी में पहुँचने हेतु इटावा में बाड़ोली वाया झाड़ोल, पीपल्दा, लुहावद सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. कृषि उपज मण्डी के नियमों में परिवर्तन कर व्यापारी जब किसानों की रकम खाकर भाग जाते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. कृषि उपज मण्डी की आय का व्यय केवल मण्डी प्रांगण के सजाने में ही खर्च नहीं किया जाकर ग्रामीण सड़कें व पुलियाएं ही अधिक से अधिक बनाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. किसानों को खाद, बीज, दवाओं आदि की समुचित व समय पर व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. कृषि विभाग का सिंचाई एवं सहकारिता आदि से प्रभावी सम्बन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. पिछले वर्ष ज्वार का बीज नहीं उगा इसलिये किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. कोटा जिले में हुए भूमि सुधार कार्यक्रम में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

136. निवाई से कृषि मण्डी जाने वाली सड़क का निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

137. कृषि हेतु खाद, बीज समय पर नहीं देने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

138. राजस्थान में मुख्यतः पैदा होने वाली फसलों का लागत मूल्य प्रति क्विंटल निर्धारण करने की व्यवस्था कराई जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

139. कृषकों को खाद के क्रय हेतु अनुदान दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

140. कृषि उपज मण्डी समिति में (अनाज) जयपुर द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र बस्सी में बनायी गयी सम्पर्क सड़कों में बरसात से हुये कटाव को रोकने व देखभाल की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

141. जयपुर अनाज मण्डी समिति में अनाज लेकर ग्रामीण अंचलों से आने वाली बैलगाड़ियों के लिये रास्ते में पड़ाव डालने वाले मुख्य स्थान रोजबाड़ी, तूंगा, बांसखोह, बस्सी व कानोता में प्रकाश व जल की व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

142. जटवाड़ा से बड़वा वाया टहटड़ा कृषि उपज मण्डी की सम्पर्क सड़क के अपूर्ण कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

143. कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के कार्यक्षेत्र में तूंगा से देवगांव वाया दनाऊकलां अपूर्ण सम्पर्क सड़क को पूर्ण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

144. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़क बांसखोह-लवाण सड़क से राजपुरा पातलवास 2 कि.मी. सम्पर्क सड़क कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के बजट में प्रावधान होते हुये वर्ष 1983-84 में नहीं बनाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

145. कृषि उपज मण्डी समिति चाकसू की गौणमण्डी कोटखावदा में स्थापित किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

146. कृषकों को मण्डियों में अपनी उपज रखने की सुविधा देने के लिये बस्सी-कोटखावदा में ग्रामीण गोदाम का निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

147. जयपुर जिले में स्वीकृत अनाज मंडी बांसखोह, रोजवाड़ी (भूडला) एवं जटवाड़ा का निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

148. गौण मण्डी बस्सी) जयपुर के लिये प्राप्त निःशुल्क भूमि पर यथाशीघ्र गौण मण्डी का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

149. कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के अन्तर्गत गौण मण्डी बस्सी के सुनियोजित विकास के लिये परियोजना स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

150. राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन में करोड़ों रुपये की हो रही हानि के सन्दर्भ में निगम को देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

151. अधिक उपज देने वाला प्रामाणिक बीज हर वर्ष नई परिवर्तित रंग की थैलियों में वितरण किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

152. उर्वरक के लिये भूमि- परीक्षण प्रयोगशाला की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

153. कृषि विभाग द्वारा कृषकों की समस्यायें सुलझाने में असफल होने पर चर्चा के लिये।

154. कृषि योजनाओं एवं कृषि विभाग से किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

155. कीटनाशक एवं पौध व्याधिनाशक औषधियों हेतु किसानों को अनुदान न मिलने पर चर्चा के लिये।

156. विभाग द्वारा रासायनिक खादों के पर्याप्त नमूने जाँच हेतु न लिये जाने पर चर्चा के लिये।

157. किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा कृषि का व्यावहारिक ज्ञान देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

158. बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बावत चर्चा के लिये।

159. कृषि विभाग का सिंचाई विभाग से सामन्जस्य नहीं होने पर किसानों में व्याप्त असंतोष विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

160. किसानों को कृषि का उचित मूल्य दिलाने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

161. कृषि से सम्बन्धित नवीन उद्योगों को लगाने के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

(140)

(श्री देवी सिंह भाटी)

162. कृषि विभाग के बजट में मितव्ययता कर जो राशि बचे उसे कृषकों को उन्नत खाद व बीज के लिये अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये।

163. कृषि कार्यों हेतु सुगमता से किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये।

164. राज्य सरकार बंजर भूमि को सुधारने का कार्यक्रम बनाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

165. किसानों की फसलों की कृषि लागत एवं उत्पादन लागत सम्बन्धी सर्वेक्षण कराकर भाव निर्धारित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

166. किसानों को समय पर खाद, बीज व कीटाणुनाशक दवायें न मिलने पर चर्चा के लिये।

167. राज्य सरकार राज्य में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर को जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर नहीं ला पाई है, इस पर चर्चा के लिये।

168. कृषि अनुसंधान में पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

169. राजस्थान में कृषि योजनाओं की विफलता पर चर्चा के लिये।

170. कृषि इंजीनियरों का उपयोग राज्य सरकार नहीं कर पा रही है, जिससे उनमें बेकारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

171. किसानों को कृषि मण्डियों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

172. बीज निगम द्वारा खराब बीज उपलब्ध कराने पर उसे देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

173. कृषि विकास कार्यों को व्यवस्थित करने एवं कृषि को उद्योग घोषित करने हेतु चर्चा के लिये।

174. कृषकों को समय पर खाद, बीज व इसके सम्बन्ध में उचित जानकारी नहीं दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

175. कृषि विभाग द्वारा अनपढ़ कृषकों को आंग्ल भाषा में पंम्फलेट्स जारी करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर)

176. कृषि उपज मण्डी समिति श्रीमाधोपुर में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उसे देय कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

177. कृषि विभाग में प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति एवं नियुक्तियों में अनियमिततायें बरतने पर चर्चा के लिये।

178. कृषि के उपकरण सस्ती दर पर उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

179. कृषि विभाग द्वारा समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

180. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

181. डूंगरपुर में कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (वस्सी)

182. किसानों को उन्नत किस्म के बीज एवं सस्ती दर पर रासायनिक खाद मुहैया कराने के लिये चर्चा के लिये।

183. जयपुर जिले के किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु नवीन सिंचाई तकनीकी ज्ञान प्रदान करने हेतु एवं ऋण की सुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

184. कोटा जिले में सिंचित क्षेत्र में खेतों की पी. एच. वेल्यू से निरन्तर वृद्धि होने की चर्चा के लिये।

185. राज्य में कृषि भूमि की जांच हेतु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें अधिक स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. राज्य में अमानक रासायनिक खाद बेच जाने के उपरान्त भी कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. राज्य में कीटनाशक एवं व्याधिनाशक औषधियों के अमानक सिद्ध होने के उपरान्त भी चालान न करने पर चर्चा के लिये।

188. राज्य में अमानक बीज वितरण होने पर भी चालान न करने पर चर्चा के लिये।

189. राइजोबिया कल्चर की प्रयोगशाला कोटा में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. कोटा में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

191. राज्य में बागवानी व सब्जी विकास की योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

192. राज्य में तिलहन विकास बोर्ड स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. राज्य में सोयाबीन पर रिसर्च समुचित न होने पर चर्चा के लिये।

194. राज्य में आर्गेनिक मेन्योर के नाम पर अमानक खाद वितरण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

195. झालावाड़ जिले में नींबू प्रजाति के पौधों में सिट्स डिक्लाइन नामक रोग लगने पर चर्चा के लिये।

196. राज्य में कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में घोर अनियमिततायें होने पर चर्चा के लिये।

197. बीज निगम द्वारा किसानों को शुद्ध बीज न देने एवं कार्य प्रणाली को विधिवत् न चलाने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

198. किसानों से ऋण की वसूली के अन्तर्गत खड़ी फसल के समय डीजल व विद्युत पम्पसैट कुर्क नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

199. किसानों को सिंचाई के लिये डीजल पम्प सैट सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

200. बाड़मेर जिले के ग्राम रावतसर, चवा, सरणू, होडू नीम्बलकोट, नोरखड़ा, नगर, गुडामालानी, भाखरपुरा, सनावड़ा, अरनीयाली, गांधवखुर्द ग्रामीण हाट बाजार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. कृषकों की फसल का बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. बाड़मेर जिले में कृषि प्रसार अधिकारियों रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू)

203. कृषि उपज मण्डी नारायना के कार्यालय भवन व गोदाम व यार्ड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

204. ग्राम दाता पंचायत नानोल में गोदाम बनाने की समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना)

205. कीटनाशक दवाइयां समय पर देहाती क्षेत्रों में न मिलने से फसलों में हुए नुकसान से कृषकों को हुई हानि पर चर्चा के लिये।

206. कृषि फसलों की बीमा योजना राजस्थान में लागू करने के लिये शीघ्र ही कदम उठाया जाने हेतु चर्चा के लिये।

207. सुधरे बीज समय पर यथा स्थान पर न पहुँचने से किसान सुधरे हुए बीज के बोने से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

208. कृषि की पेस्टीसाइड्स के सैम्पल लेने के बाद जांच रिपोर्ट संस्थाओं के विरुद्ध आने पर भी कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

209. कृषि विभाग द्वारा समय पर कृषकों को बीज मुहैया न कराने पर चर्चा के लिये।

210. कृषि विभाग द्वारा सर्टिफाइड बीजों का अनुकरण न होने पर चर्चा के लिये।

211. कृषि विभाग भीलवाड़ा के अधिकारियों द्वारा फर्जी बिलों के भुगतान पर चर्चा के लिये।

212. कृषि विभाग भीलवाड़ा द्वारा फसलों में लगने वाले रोग हेतु आउट आफ डेट की दवाइयां वितरित कराने पर चर्चा के लिये।

213. भीलवाड़ा जिले में संकर ज्वार बीज वितरण करने में बरते गये भेदभाव व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

214. सर्टिफाइड बीज समय पर वितरित न करने पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

215. कृषि उद्योग निगम द्वारा निर्मित एवं अधिक विक्रय मूल्य की वस्तुओं के विपणन को सहकारी विभागों द्वारा खरीदने हेतु अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

216. रोजवाड़ी-माधोगढ़ कृषि मण्डी की सम्पर्क सड़क का अपूर्ण रहा कार्य पूर्ण करवाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

217. कृषि की तकनीकी शिक्षा में ग्रामीण लड़कों को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्राथमिकता दी जाने के लिये चर्चा के लिये।

218. कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को समय पर, शुद्ध बीज, खाद कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये।

219. कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्य में अनियमिताएं एवं भ्रष्टाचार की वजह से ज्यादातर कृषि बीज उत्पादन फार्म बन्द पड़े हैं उसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

220. कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि फार्म एव बीज उत्पादन फार्म अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहे है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

221. प्रदेश में पूरे तौर पर कृषि विश्वविद्यालय की अलग से स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

222. कृषि उपज मण्डी समिति अजमेर द्वारा व्यापारियों व किसानों को कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं करने एवं समिति कोष के अपव्यय पर चर्चा के लिये।

223. प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय नहीं होने से आई. सी. ए. आर. द्वारा वित्तीय सहयोग देने के पैटर्न में परिवर्तन से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

224. कृषि विभाग की कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना चित्तौड़ की वित्तीय अनियमितताओं पर जांच के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

225. कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक दवाइयों के निर्माता एवं विक्रेताओं द्वारा हल्का घटिया एवं नकली विक्रय करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

226. सीमान्त कृषकों व लघु सीमान्त कृषकों को घोषित किये जाने व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने में धांधली पर चर्चा के लिये।

227. फल सब्जी व कृषि उपजों में घातक कीट लग जाने पर कृषकों को तत्काल औषधियों के न पहुंचाने की विफलता पर चर्चा के लिये।

228. कृषि विभाग में अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

229. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

230. खाद्यान व दाल तिलहन के बीज उन्नत व समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. कृषि अनुदानों के वितरण करने में भारी पक्षपात तथा समयानुसार वितरण न जाने की चर्चा के लिये।

232. कृषि बाहुल्य क्षेत्र में कृषि की प्रयोगशाला खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. कृषि को उद्योग घोषित करने एवं उद्योग के अनुरूप सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. जयपुर में सब्जी उत्पादन के लिये उत्पादन योजना में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. जयपुर नगर में 2 कृषि उपज मण्डी व अलग से फल सब्जी मण्डी बनाये जाने के पश्चात् कृषि उपज मण्डी द्वारा ही बिक्री कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. कृषि उपज मण्डी लाल कोठी में बिजली, पानी व चबूतरों की सही व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

237. कृषि भूमि को बड़े पैमाने पर आबादी में परिवर्तन से उत्पन्न गिरते उत्पादन के प्रभाव पर चर्चा के लिये।

238. जयपुर नगर के मास्टर प्लान के विस्तार से कृषि योग्य भूमि पर मकान बन जाने से जयपुर में कृषि योग्य भूमि कम रह जाने से उत्पादन की कमी से उत्पन्न अवस्था पर चर्चा के लिये।

239. कृषि प्रणाली में आधुनिक तकनीकी के अनुसार सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. खराब किस्म के बाजरे के बीज खरीदने तथा वितरण करने से हुयी फसल की हानि पर किसानों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. जयपुर नगर में कीटनाशक दवाइयों की खरीद में हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

242. प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर किसान सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. रासायनिक खाद समय पर उचित मूल्यों पर उपलब्ध न कराये जाने से कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

244. सरकार द्वारा समय पर उन्नत बीज उपलब्ध न कराये जाने से कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

245. नया कृषि विश्वविद्यालय जोधनेर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. कृषि विस्तार योजना को व्यापक बनाने की चर्चा के लिये।

247. फसल बीमा लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

248. 31 मार्च, 84 को नीमकाथाना सब-डिवीजन में हुयी ओलावृष्टि से किसानों की हुयी क्षति पूर्ति पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर)

249 अलवर जिले की कृषि उपज मण्डी खैरथल का बानसूर तहसील में यार्ड बनाने का निश्चय होने पर भी अब तक यार्ड के निर्माण में ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

250. राजस्थान बीज निगम की चुनाव द्वारा व्यवस्था कराने पर व बीज की गड़बड़ियों को दूर कर समय पर वितरण कराने के सन्दर्भ में इसे देय कर्जों के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

251. राजस्थान नहर, भाखड़ा व गंग कैनाल व प्रदेश की अन्य नहर प्रणाली में बगैर सूचना व विचार विमर्श के नहर का क्लोजर करने में सिंचाई विभाग का कृषि विभाग से समन्वय नहीं होने पर किसानों की फसल बरबाद होने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

252. जिला कृषि अधिकारी टौंक द्वारा अनधिकृत कार्यवाही से खाद, बीज एवं दवाइयां समय पर एवं उचित मूल्य पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

253. राजस्थान नहर के प्रथम व द्वितीय चरण में बारानी भूमि उप-निवेशन विभाग द्वारा कृषि के लिये आवंटित न करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(147)

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

1. ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की संख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधा कम होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

2. मत्स्य उद्योग एवं पशुपालन के कार्यों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

3. नागौर जिले के पशुपालकों को नागौरी नस्ल के सांड उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

4. कृत्रिम गर्भाधान को असरदार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुनेरपुर)

श्री असलम खां (बाली)

5. पाली जिले में ग्राम धनला, खिवोड़ा व डायलाणा कलां में पशु चिकित्सालय खोला जावे, पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

6. पशुओं की संख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

7. बाड़मेर जिले के पशु चिकित्सालयों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

8. बाड़मेर जिले में ग्राम जैसिन्धा स्टेशन-गंगाला में पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

6. जैसलमेर जिले के ग्राम-देवीकोट, फतेहगढ़ व चैलक में पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

10. सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों का अभाव होने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

11. प्रत्येक 10 हजार पशुओं पर पशु चिकित्सा की व्यवस्था तथा कृत्रिम गर्भाधान योजना चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

12. तहसील बेगूं के ग्राम जावदा, बोराव, धामचा, बेची, मोतीपुरा, अराई में नये पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

13. पशु चिकित्सालय खोलने में पशुओं की संख्या को आधार बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

14. पशुपालन एव पशु चिकित्सा कार्यक्रम विस्तृत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

15. पशुपालन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

16. ग्राम रामपुरा-पुरानावास में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

17. राज्य सरकार बांसवाड़ा, डूंगरपुर के पशु चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

18. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में पशु चिकित्सा हेतु दवाइयां उपलब्ध नहीं करा सकी, इस पर चर्चा के लिये।

19. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में ग्राम पचायतवार पशु चिकित्सालय नहीं खोलने पर ग्रामवासियों में व्याप्त असतोष पर चर्चा के लिये।

20. राज्य सरकार पं. स. बांसवाड़ा के गांव आवापुरा में पशु चिकित्सालय खोलने में असमर्थ रही जिस पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

21. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के गांव दानपुर के पशु चिकित्सालय में डाक्टर का रिक्त पद भरने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये ।

22. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को पशु क्रय करने हेतु मदद नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

23. विभाग के सरप्लस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नये चिकित्सालय खोलने पर नियुक्तियों में प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये ।

24. केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लबान एवं जयस्थल में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

25. पशु चिकित्सकों का वेतनमान अन्य डाक्टरों के समान किया जाने पर चर्चा के लिये ।

26. प्रत्येक तहसील केन्द्र पर कम से कम दो डाक्टर एवं पांच पंचायतों पर एक पशु चिकित्सालय की व्यवस्था न होने से सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

27. पशुपालन विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये ।

श्री असलम खां (बाली)

28. बाली जिला-पाली के पशु चिकित्सालय को मोटर यान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

29. पं. स. बाली, जिला पाली के ग्राम पंचायत बेड़ा व ग्राम पंचायत सेवाड़ी में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

30. फागी व चाकसू में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

31. राज्य सरकार राज्य में पशु चिकित्सा के टीके समय पर नहीं लगाकर पशुओं को बचाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

32. कुशलगढ़ के दूरदराज के गांवों में पशु उपचार हेतु अस्पताल खोलने की असफलता पर चर्चा के लिये ।

(श्री फतेसिंह)

33. राज्य सरकार कुशलगढ़ में पशुग्रों का चारा सुलभ कराने में ग्रसफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

34. पशुपालन के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु पशु ग्रौषधालय खोलने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

35. पशु चिकित्सा की चलती-फिरती इकाई की जीप 2 वर्षों से बिना टायर के पड़ी है उसे चालू कराया जाय व ग्रधिकारी की नियुक्ति की जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर)

36. पश्चिमी राजस्थान के पशुपालक प्रधान क्षेत्र में ग्रधिक पशु चिकित्सालय खोलने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पीरूराम (टीबी)

37. टीबी निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्रतिरिक्त ग्रस्पतालों की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

38. जैसलमेर जिले में समस्त पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों, सहायक पशु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को नहीं भरने पर चर्चा के लिये।

39. जैसलमेर जिले की पशुधन संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिले में ग्रौर पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

40. जैसलमेर के पशु चिकित्सालयों में दवाइयां समय पर नहीं उपलब्ध होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

41. पंचायत समिति नैनवा में पशु चिकित्सा सुविधाग्रों के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ग्रमीन खां (शिव)

42. बाड़मेर जिले के लिये पशुधन सुधार की योजनायें स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

श्री भगवानदास डोसी (चोहटन)

43. जिले में जो राशि पशुग्रों के खरीदने के लिये दी जाती है उसका सही

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

प्रकार से उपयोग न होने पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)

44. ग्राम हुडिया कलां, कायसा एव कोहरामा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकतापर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बेरवा (निवाई)

45. निवाई विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

46. ग्राम कल्याणपुर तहसील पचपदरा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. तिलवाड़ा पशु मेला के लिये स्टेडियम का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

8. प्रदेश के पशु चिकित्सकों के वेतनमान चिकित्सक (एलोपैथिक) की तुलना में कम होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में माइक्रोस्कोप एवं प्रयोगशाला नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों के लिये आवास व्यवस्था एवं वाहन नहीं होने पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त औषधियां एवं शल्य क्रिया के लिये उपकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. कोटा में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नहीं होने पर चर्चा के लिये।

53. झालावाड़ व कोटा जिले में मत्स्य उद्योग के अधिकारियों द्वारा मछलियों का अवैध व्यापार करने पर चर्चा के लिये।

54. कोटा जिले के चेचट गांव में पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. प्रदेश में अधिकतर चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं जिनको शीघ्र भरा जाने पर चर्चा के लिये।

56. वेटरनरी कालेज बीकानेर के छात्रों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री हरीश शर्मा)

57. पशुपालन चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर की प्रयोग शाला में अनुसंधान एवं प्रेक्टिकल करने के लिये पर्याप्त उपकरण नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

58. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में छात्राओं के लिये छात्रावास की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

59. वेटेरनरी कालेज बीकानेर के छात्रों में जातिवाद की भावना भड़का कर कालेज परिवार में अशान्ति उत्पन्न करने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

60. वेटरनरी कालेज बीकानेर में वाहनों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये ।

61. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान में पी. जी. (स्नातकोत्तर) करने वाले छात्रों को एलोपेथिक की भांति स्टाइपेंड नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री असलम खां (बाली)

62. पशु चल चिकित्सालय, बाली में वाहन न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

63. चौमू विधान सभाई क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

64. पंचायत समिति गोविन्दगढ़ मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

65. ग्राम हरतेड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

66. जिला सवाईमाधोपुर में पशु चिकित्सालय तथा जानवरों की दवाई की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

67. प्रतापगढ़ उपखण्ड में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक एक भी नवीन पशु चिकित्सालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

68. खण्डेला क्षेत्र के ग्राम जलोद में पशु चिकित्सालय खोले जाने पर चर्चा के लिये ।

(श्री महादेव सिंह)

69. खण्डेला विधान सभाई क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर)

70. ग्राम इन्द्रोका पंचायत समिति मंडोर में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनू)

71. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)

72. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति धोरीमन्ना के ग्राम सिधासवा हरनियान, अरनीमाली, पीपराली, लोहारवा, खारी, राणासर कल्ला, उण्डासर, पांगला लूखू में पशु स्वास्थ्य उप केन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

73. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व चिकित्सा के क्षेत्रों में सुविधायें जुटाने पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

74. उदयपुर जिले में अच्छी नस्ल के पशु दिये जायें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

75. प्रतापगढ़ तहसील से भेड़ ऊन विभाग के प्रसार केन्द्रों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से भेड़-पालकों को हो रही असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

76. सरकार राज्य में पशुपालन को प्रोत्साहन देने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कुन्जीलाल (बामनवाल)

77. जिला सवाईमाधोपुर में पशुओं की संख्या के अनुसार पशु चिकित्सालय की कमी तथा उन में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

78. विधान सभाई क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशु चिकित्सालय नहीं होने से पशुओं की बीमारी की रोकथाम नहीं हो रही जिस पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

79. राज्य सरकार पशुओं की चिकित्सा

(154)

(श्री भरोसी)

व्यवस्था करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

श्री कुन्जी लाल (बा.नवास)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

80. पशु चिकित्सालयों का अभाव एवं पशुपालन के लिये दी जा रही अपर्याप्त सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

81. परबतसर में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जाकर चिकित्सालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

82. जिला बीकानेर में मुर्गी पालन विकास कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

83. पशु चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को ग्रामीण अंचल में लागू करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

84. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवाऐं उपलब्ध कराने में विभाग की निष्क्रियता पर जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

85. जिला बीकानेर में नवम्बर 1981 में शीत लहर से मृत गायों के मालिकों को अनुदानित न करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

86. सूअर पालन विकास के प्रसार एवं प्रचार में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

87. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम पंचायत बरसलपुर में पशु चिकित्सालय खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

88. बीकानेर व सीमावर्ती क्षेत्र बरसलपुर बीकमपुर में ऊंट, गाय, भेड़ों की नस्लों की महता को देखते हुए

(श्री देवी सिंह)

राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

89. मगरा एवं चौखला क्षेत्र में भेड़ों की नस्ल सुधार करने हेतु, जिला बीकानेर तहसील कोलायत के दूरस्थ गांवों में ग्राम आधार योजना केन्द्र स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

90. मछली उत्पादकों को अनुदानित राशि बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

91. जिला बीकानेर में पशु रोग अनुसंधान योजना की तहसील कोलायत के ग्रामीण अंचलों में समय पर सूचना एवं मदद न देने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

92. जिला बीकानेर की तहसील कोला-के ग्राम सूरजड़ा, भलूरी, जगासर, गोड़, सेवड़ा, गोगड़ियावाला, बीटनोक, हाउला, भाटियान एवं कोडमदेसर में पशु चिकित्सालय की स्थापना करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

93. जिला बीकानेर पंचायत समिति कोलायत के पशुपालकों को सहायतार्थ अनुदान राशि बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

94. जिला बीकानेर तहसील कोलायत ग्राम बरसलपुर, बीकमपुर, बिजेरी, गुलामवाला, करनीसर, कोलासर, पाबूसर, सेवड़ा, नगरासर, गांधी, मीठड़िया, लाखासर, अगनेऊ व खारीचारणान के पशुपालकों को सुविधा देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

95. जिला बीकानेर तहसील कोलायत, बीकानेर व लूनकरणसर व जैसलमेर जिले में विशिष्ट पशु रोगों पर नियन्त्रण न कर पाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

96. राजस्थान नहर क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण में जलाशय मछली विकास कार्यक्रम शीघ्र लागू करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

97. राजस्थान नहर क्षेत्र में मत्स्य उद्योग को बढ़ाने में विभाग की निष्क्रियता व निष्फलता पर चर्चा के लिये।

98. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व जैसलमेर जिले में पशुधन क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री देवी सिंह)

99. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व जैसलमेर जिले में गत दो वर्षों में पशु महामारी उन्मूलन योजना के अनुसार कार्य न करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

100. बीकानेर की तहसील कोलायत व जैसलमेर जिले में पशु माता सुरक्षा एवं संक्रामक टीका रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता व राहत न पहुँचाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

101. जिला बीकानेर तहसील कोलायत व जैसलमेर जिले में मुंह तथा खुर पका रोग को रोकने व समय पर इलाज करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

102. पश्चिमी राजस्थान में पशु पोलीक्लिनिकों की स्थापना के औचित्य पर चर्चा के लिये।

103. जिला बीकानेर तहसील 'कोलायत व जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सा संबंधी सेवायें और पशु स्वास्थ्य हेतु विभाग द्वारा समय पर सेवायें उपलब्ध न कराने पर जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

104. बीकानेर व जैसलमेर जिले में पशुओं की भारी संख्या के आधार पर चलते फिरते पशु चिकित्सालय इकाई के औचित्य पर चर्चा के लिये।

105. पश्चिमी राजस्थान के पशु मेलों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रचार एवं प्रसार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

106. मुर्गी रोग जांच एवं दाना विश्लेषण प्रयोगशाला की मुर्गी पालकों को जानकारी देने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

107. पश्चिमी राजस्थान के जिला जैसलमेर व बीकानेर की तहसील कोलायत में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

108. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व बीकानेर एवं जिला जैसलमेर में बकरी प्रजनन केन्द्र स्थापित करने के औचित्य पर पर चर्चा के लिये।

109. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व बीकानेर तथा जैसलमेर में बकरी की हाई ब्रीड तैयार करने में विभाग की पूर्णतया असफलता पर चर्चा के लिये।

110. जिला जैसलमेर व बीकानेर की तहसील कोलायत में लघु तथा सीमावर्ती किसान एवं कृषि मजदूरों को अप्रसूता संकरण बछड़ों की

(श्री देवी सिंह)

योजना हेतु सहायता उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

111. जिला जैसलमेर व बीकानेर तहसील कोलायत में लघु तथा सीमावर्ती किसान और कृषि मजदूर योजना के अन्तर्गत कुक्कट, सूअर एवं भेड़ उत्पादन कार्यक्रम हेतु सहायता की योजना का लाभ देने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

112. जिला जैसलमेर एवं बीकानेर में राठी व थारपारकर गायों की नस्ल सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

113. राजस्थान मुख्य नहर के पास वाटर लोगिंग क्षेत्र में मत्स्य पालन, उत्पादन हेतु नीलामी कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

114. जिला बीकानेर में विश्व प्रसिद्ध राठी व जैसलमेर की थारपारकर नस्ल गायों के गौ-पालकों को सहायतार्थ अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

115. विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी एवं जैसलमेरी ऊंट की बिगड़ती नस्ल को सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

117. पश्चिमी राजस्थान के दूर-दराज के बड़े गांवों में ऊंट प्रजनन फार्म खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

118. पश्चिमी राजस्थान के जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में गत चार पांच वर्षों में सर्रा रोग पर नियंत्रण करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

119. राजस्थान नहर क्षेत्र में मछली उत्पादन हेतु विशेष भूमि आरक्षण कर मछली उत्पादकों को भूमि आवंटन करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

120. जिला जैसलमेर एवं बीकानेर की कोलायत तहसील के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

121. जिला बीकानेर एवं जैसलमेर में पशु चिकित्सा अनुसंधान में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

122. टोंक जिले में पशुपालकों को शिक्षा और प्रशिक्षा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. टोंक जिले में रोग निरोधक टीकाकरण के अन्तर्गत समुचित कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

124. संतुलित पशु आहार एवं पोषण व्यवस्था के अन्तर्गत टोंक जिले में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. टोंक जिले में उन्नत नस्ल के सांडों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. टोंक में पशु तथा कुक्कुट रोग निदान हेतु प्रयोगशाला की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. पशुओं में पाये जाने वाले विभिन्न रोगों के कारणों का पता लगाने, जांच व निदान करने में असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में पशुओं में खुर एवं मुंह पका रोग की रोकथाम की असफलता पर चर्चा के लिये।

129. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. टोंक जिले में चल पशु चिकित्सा इकाई द्वारा गांव में नहीं जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत टोंक जिले में खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

132. पीपल्दा क्षेत्र के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. कोटा जिले में चारा पानी की समुचित व्यवस्था होते हुए भी जनता में पशुपालन में रुचि पैदा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

134. पीपल्दा कलां व अयाना में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

135. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

136. पशु नस्ल सुधार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वांछित ध्यान नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

137. भरतपुर जिले में पशु चिकित्सा हेतु नवीन चिकित्सालय खोला जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

138. भेड़ एवं ऊन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व भेड़ चरागाहों में हुयी अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

139. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम की विशिष्ट योजनायें बनाने एवं मुर्गी पालकों को पंचायत समिति स्तर पर सामूहिक प्रशिक्षण दिये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

140. ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पशुपालकों को प्रशिक्षण देने के लिये बस्सी में पशुपालन प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

141. जयपुर जिले के पशुपालकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर में हर शनिवार को लगने वाले पशु हटवाड़े का आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा किये जावे, इस पर चर्चा के लिये।

142. जयपुर जिले में पशुधन-विकास एवं दुधारू जानवरों के लिये विशेष योजना तैयार कर बैंकों से पशुपालकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

143. जयपुर जिये के कानोता, बड़वा, जटवाड़ा, सांभरिया, बांसखोह एवं कोटखावदा ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

144. कृषि फार्म बड़वा एवं पड़ासोली (जयपुर) में वृहद् स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति में भेड़-पालकों के लिये बस्सी में कृत्रिम गर्भाधान प्रसार केन्द्र स्थापित कर भेड़ों में संकर प्रजनन की निःशुल्क सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

146. बीकानेर जिले के अनेक गांवों में पशुओं की चिकित्सा समय पर न

(श्री देवीसिंह भाटी)

होने के विषय में चर्चा के लिये।

147. उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की विफलता पर चर्चा के लिये।

148. बीकानेर व जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर्गत खोले जाने वाले संस्थान व स्कूलों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. जिला बीकानेर व जैसलमेर में पंचायत समितियों में उन्नत नस्ल के सांडों हेतु अनुदान की चर्चा के लिये।

150. मत्स्य पालन में बरती जाने वाली निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

151. राज्य में पशुओं की नस्ल में गिरावट पर पशुधन की समाप्ति पर चर्चा के लिये।

152. जिला बीकानेर में पशुओं को खरीदने के लिये गरीबों को दिये जाने वाले अनुदान में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

153. जिला बीकानेर में तहसील स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

154. बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर जिले में भेड़पालकों को अधिक सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. ऊन की कीमतें कम मिलने से भेड़पालकों का शोषण हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

156. बीकानेर, जैसलमेर व गंगानगर जिले में पशु नस्ल सुधार के लिये साधनों की कमी पर चर्चा के लिये।

157. पशुओं की गलघोट बीमारी की चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. बाड़मेर जिले में थारपारकर नस्ल को उन्नत करने के विषय में चर्चा के लिये।

159. पशु बीमा योजना प्रारम्भ करने एवं संकर नस्ल के पशुओं की अभिवृद्धि हेतु ग्रामों में समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

160. राज्य में ग्रामीण इलाकों में पशुपालन से होने वाले फायदों को बताने के लिये कोई प्रदर्शनी व अन्य कल्चरल प्रोग्राम नहीं चलाये जाते, इस पर चर्चा के लिये।

161. राज्य में अच्छी किस्म के पशुओं की बढ़ोतरी के लिये कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

162. पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की समुचित व्यवस्था की कमी पर चर्चा के लिये।

163. राज्य सरकार पशुपालन की अवहेलना के कारण स्वेत क्रान्ति लाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

164. जिला बीकानेर के ग्राम खारी, अकासर, गाढ़वाला, करमीसर में पशु चिकित्सालय खोले जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

165. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए पानी की खेलियां बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

166. टौंक में जानवरों को पागल कुत्ते काटने पर किसी प्रकार का इलाज उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. टौंक में पशु चिकित्सालय में एक्स-रे, खून, मल, मूत्र की जांच के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

168. पशुधन को बचाने के लिये बीमारियों के रोक की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

169. जिले के पशुपालन औषधालयों में दवाइयां नहीं होने पर चर्चा के लिये।

170. गोगुन्दा में पशु चिकित्सक नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिये।

171. उदयपुर में पशुपालन हास्पिटल में लम्बे अरसे से कार्यरत अधिकारियों एवं विभागाधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उन्हें संरक्षण देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

172. डूंगरपुर जिले में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा)

173. कोटा में जिला पशुपालन अधिकाकारियों की निष्क्रियता के कारण पशुपालन कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये।

174. कोटा जिले में पशुओं के केन्द्र स्थान बोरावास में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. कोटा पोलीक्लिनिक में विषय विशेषज्ञ न होने एवं कनिष्ठ व्यक्ति को इन्चार्ज बनाये रखने पर चर्चा के लिये।

176. कोटा में पोलीक्लिनिक में एक्सरे मशीन तीन वर्षों से आयी हुई है

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

किन्तु स्थापित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

177. बाड़मेर जिले के ग्राम सिंधासवा हरनियान, रामजी का गोल, अरनीयाली, होडू, छोटू, रावतसर, गरल, नोसर, सरणू, मीठड़ा खुर्द, राणासर कल्ला, लोहाखा, उण्डासर, पीपराली, लूखू, मलीसर दूधू मांगता, सेवनियाला, सणया, बोड़वा, सोजरा सोजटा, संरली नीम्बलकोट, कोशलू में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

178. राजस्थान नहर प्रणाली पूगल शाखा व बरसलपुर शाखा के क्षेत्र में सिंचाई योजना के स्थान पर चरागाह, फलोद्यान का प्रावधान कर पशुपालन को प्रोत्साहन देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

179. तहसील सवाईमाधोपुर के ग्राम चौथ के बरवाड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी)

180. सरमथुरा एवं सिगोर में पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा)

181. तिलवाड़ा पशु मेला मैदान में पेवेलियन बनाने के लिये चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

182. पशु बाहुल्य क्षेत्रों में चलता-फिरता पशु चिकित्सालय देहाती क्षेत्र में न पहुँचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. पंचायत समिति क्षेत्र मनोहरथाना में पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

184. सांगानेर (भीलवाड़ा) में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये।

185. भीलवाड़ा पशु चिकित्सालय म पर्याप्त दवायें उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

186. भीलवाड़ा पशु चिकित्सालय में दवाओं के खरीद में बरती गई अनियमितता के बारे में चर्चा के लिये।

163

(श्री बंसीलाल पटवा)

187. भीलवाड़ा पशु चिकित्सालय में सुधार के कदम उठाने पर चर्चा के लिये ।

188. भीलवाड़ा जिले में पशुओं के लिये भ्रमण चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये ।

189. भीलवाड़ा तहसील के बड़ा महुआ में उप पशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये ।

190. भीलवाड़ा तहसील दायल में उप पशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने के बारे में चर्चा के लिये ।

191. पशुओं की खरीद में डाक्टरों द्वारा गलत प्रमाणीकरण करने पर चर्चा के लिये ।

192. पशुपालन विभाग में कर्मचारियों के विभिन्न मामले पैंडिंग हैं, उन्हें समय पर न निपटाने पर चर्चा के लिये ।

193. बरहोद व सेराबाद, (जिला भीलवाड़ा) में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने पर चर्चा के लिये ।

194. डाक्टरों द्वारा पशु कर्ज दिलाने के फर्जी आंकड़े तैयार करने पर चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

195. भेड़ एवं ऊन विभाग द्वारा राजकीय भेड़ एवं ऊन फार्म, चरागाह विकास कार्यक्रम में अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये ।

196. राजस्थान में पशु चिकित्सालय सुविधा अन्य प्रान्तों से घटिया स्तर की है एवं पशुओं की गिनती देखते हुए चिकित्सकों की भारी कमी है, इस पर चर्चा के लिये ।

197. कृत्रिम गर्भाधान पशु नस्ल सुधार के लिये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें पशुपालन विभाग असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

198. जिला पशुपालन विभाग कार्यालय अजमेर में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

199. पशुपालन विभाग में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के नौकरी में सीधी भर्ती व पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

200. आदर्श नगर अजमेर में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता को देखते हुये वहां पर अविलम्ब खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

201. पशुपालन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

202. पशुधन के सुधार के लिये सघन कार्यक्रम हाथ में तत्काल लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. पशुओं के पीने के पानी की अव्यवस्था तथा कमी पर विभाग द्वारा तदर्थ सर्वे न कराये जाने से विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

204. पूरे राजस्थान तथा जयपुर जिले में पशुओं के लिये सस्ते चारा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. जानवरों के काम में आने वाली औषधियों को सस्ता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. पशुपालन विभाग की जीपों पर एवं चिकित्सालय में वायरलैस सेट लगाये जाने की योजना पर चर्चा के लिये।

207. तहसील स्तर के पशु चिकित्सकों को जीप आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. प्रत्येक 8 मील पर पशु चिकित्सालयों के खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र तथा जयपुर जिले में पशुओं में व्याप्त बीमारी की रोकथाम पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

210. जयपुर जिले में मुर्गी पालन केन्द्र में आवश्यक सुविधाओं हेतु चर्चा के लिये।

211. ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न कर पाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

212. राज्य में घोड़ों की संख्या में गिरावट आने से उसे रोकथाम की चर्चा के लिये।

213. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र (जिला जयपुर) में पशु चिकित्सालयों के अभाव से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

214. सांडों की नस्ल सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

215. पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु आधुनिक तकनीकी ज्ञान अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. पिछड़े वर्गों के पशुपालकों को पशुपालन हेतु सहायता उपलब्ध न कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

217. जयपुर जिले में पशु मेलों व प्रदर्शनों का प्रबन्ध न होने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

218. मछलियों के ठेके देने में की गई धांधली से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, दोनों पर एक साथ ही बहस हो जायं।

श्री सभापति : एक साथ ही होगी। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : एक साथ ही होती है। नये आये है क्या आप ?

सभापति महोदय, आज जिस मांग पर बहस करने और जिसका पारण करने जा रहे हैं उसका सम्बन्ध न सिर्फ राजस्थान के जन-जीवन से, न सिर्फ हिन्दुस्तान के जन-जीवन से है बल्कि सारे संसार के जन-जीवन से है। याने प्रथम आवश्यकता जो मनुष्य की है, भौतिक आवश्यकता जो मनुष्य की है उस आवश्यकता पर बहस करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, कृषि पर और पशु पालन पर बहस करते समय बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आज तक, आजादी के बाद की बात नहीं करता हूं, जो कुछ भी हमारे देश की पोटेंशियलिटी है, उसके मुकाबले हमारी परफार्मेंस क्या रही, कृषि के हमारे कम्पोनेन्ट क्या रहे। इन तीनों बातों को मद्दे नजर रखकर अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में कृषि की हालत बड़ी खराब नजर आती है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो संसार के और देशों के मुकाबले बेनीफिशियरी स्टेज पर हैं हम। क्योंकि संसार की हमारे यहां पर 38 प्रतिशत से अधिक खेती योग्य भूमि है, जनसंख्या हमारी 27 प्रतिशत ही है। इस प्रकार भूमि और जन-संख्या का अनुपात आता है, तो संसार में हम बहुत लाभ की स्थिति में हैं। इसके अलावा संसार की जितनी श्रेष्ठतम भूमि है, यह इण्डो-गंगा की लेन का जो जखीरा है सबसे उपजाऊ जखीरा है। हर प्रकार का मौसम हमारे यहां पर रहता है, बरसात सेटिस्फेक्टरी होती है, पानी की कमी नहीं है हमारे यहां पर, 400 करोड़ मिलियन हैक्टेयर मीटर पानी हमारी नदियों में है। यानि एक भी ट्यूब वेल इस देश में लगाने की जरूरत नहीं है, एक भी यूनिट बिजली की सिंचाई के लिये जरूरत नहीं है। सिस्टम बनाकर उस पानी को चेनेलाइज करके अगर हम भूमि को पानी देने का काम करते तो खेती की पैदावार दो गुनी, चार गुनी और पांच गुनी, दस गुनी होती। सिर्फ पानी देने से ही खेती की पैदावार पांच गुनी बढ़ती है, और साधनों की बात छोड़ दें। जहां तक पोटेंशियलिटी का हमारे देश में सवाल है उसकी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। जहां तक परफोर्मेंस रही है हमारे

(श्री यदुनाथ सिंह)

देश की, वह अच्छी नहीं रही है। कृषि की अवहेलना हुई है। कृषि को छोटा सब्जेक्ट मान लिया गया है। अगर आप देखें तो खेती पर निर्भर यों तो पूरा देश ही है, हर व्यक्ति खेती पर निर्भर है, अन्न पर निर्भर है लेकिन वैसे भी अगर आप देखें रोजगार की दृष्टि से तो 72% आदमी खेती पर सीधे निर्भर हैं। यानि 72% आदमी जिस रोजगार में लगे हुए हों उस रोजगार की बहबूदी पर ध्यान देने की जरूरत है। 10% आदमी यहां पर उद्योग में लगे हुए हैं और 18% आदमी और रोजगारों में लगे हुए हैं। इसलिये जहां तक आमदनी लगाने का सवाल है, मासेज की बहबूदी का सवाल है उस हिसाब से भी खेती पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन खेती की शुरू से अवहेलना की गयी। खेती में उत्पादन बढ़ाने के तीन मोटे कारक होते हैं, यों तो चार हैं लेकिन मुख्य तीन कारक होते है। लैंड, जमीन सबसे पहला कारक है। यदि जमीन उपलब्ध होगी तो खेती की पैदावार, अन्न की पैदावार, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। जमीन के बाद लेबर आता है यानि उसमें मजदूर आते हैं। मजदूर उसमें पैदावार बढ़ा सकता है लेकिन, सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा जान कर कि हमारे यहां मजदूर दिन पर दिन खेती पर बढ़ते चले जा रहे हैं। यानि जो औद्योगीकरण संसार में हुआ उसके रहते गांव में जो छोटे-छोटे धन्धे थे, गांव की जरूरतों को पूरा करने के लिये जो वहां पर उन वस्तुओं के उत्पादन का काम करने का काम करते थे उनको नष्ट किया गया। वे नष्ट हुए। उनकी जगह बड़े-बड़े उद्योगों ने ली। फलतः अधिकांश लोग अतंतोगत्वा खेती पर ही आश्रित हो गये। इसलिये खेती पर आश्रित लोगों की संख्या दिन पर दिन इस तरह से बढ़ती चली गयी। इस राज्य में बढ़ती चली गयी। खेती पर दबाव बढ़ता चला गया। उधर दूसरी तरफ खेती की हालत क्या बना दी गयी है, सभापति महोदय, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, खेत लोगों के हाथ से निकलते जा रहे हैं यानि खेती और खेतीहर मजदूर, इन दोनों एलीमेन्ट को जब हम खेती की अर्थ व्यवस्था पर बात करेंगे, देखकर हमें चलना पड़ेगा। जहां सन् 51 में 13 मजदूर थे और 57 खेती करने वाले कृषक थे वहां उसका अनुपात सन् 81 में 30 और 40 का हो गया यानि 30 मजदूर हो गये, 40 कृषक हो गये। यानि बहुत से लोगों, जो छोटे तबके के थे, के हाथ से जमीन खिसकती चली गयी और वह जमीन कुछ लोगों के हाथ में चली गयी। यानि जो बड़े फार्म थे सन् 60-61 में वे थे 23 लाख और आज उनकी संख्या हो गयी है 28 लाख, यानि इनका एवरेज है 10 हेक्टेयर से ऊपर। जो एक एकड़ से कम सम्पदा वाले खेत थे वे सन् 61-62 में थे 29% और आज उनकी संख्या हो गयी 51%। हमारी खेती छोटे टुकड़ों में बंट रही है एक तरफ। दूसरी तरफ खेत बड़े फार्मों के रूप में कुछ लोगों के पास इकट्ठे होने का ट्रेंड नजर आ रहा है सन् 61 और 71 के बीच में। इसके बाद के आंकड़े मुझे उपलब्ध नहीं हो पाये, बहुत मैंने देखा। इस दस साल के अर्से में ही 2 करोड़ 80 लाख

(श्री यदुनाथ सिंह)

जमीन कुछ लोगों से निकल कर बड़े फार्मों में तब्दील हो गयी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज खेती करने वाले और मजदूर का जो रेशो है वह दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि जिसके पास भूमि नहीं है उसको गांव में पूरे समय काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलना गरीबी का कारण बनता है, अन-एम्प्लायमेंट का कारण बनता है। इसी के चलते आज देश में घोर गरीबी में डेस्टीट्यूट आदमी रह रहे हैं। सभापति महोदय, आप देखेंगे कि जो गांव में दस्तकारी करने वाले थे, एक सर्वेक्षण तो अंग्रेजों के समय में हुआ लेकिन आजादी के बाद सन् 55 में सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में पता लगाने की कोशिश की गयी कि कितने दस्तकार लोग मौजूद हैं। सर्वेक्षण हुआ सन् 55 में, उस सर्वे के वक्त गांवों में 102 लाख आर्टिजन्स मौजूद थे, यानि 102 लाख सन् 55 में और सन् 70 में फिर जांच की गयी कि उनमें से कितने रह गये। तो उनमें से रह गये 60 लाख कुल। यानि 59 लाख आदमी उन धन्धों को छोड़कर खेती पर आश्रित हो गये, यानि खेती पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है और उधर दूसरी तरफ कैपिटल स्टार्वेशन खेती में है। तीसरा कारक जो मैं कह रहा हूं, सभापति महोदय, वह यह है कि खेती में दोनों कराक हमारे यहां नहीं रहे। इसके लिये आज खेती पर से लोगों को हटा करके दूसरे धन्धे में लगाने, दूसरे धन्धों में, सर्विसेज में शिफ्ट करने की, ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। इसलिये तीसरा कारक हमारे यहां खेती से उत्पादन बढ़ाने का हो सकता है, उसकी यहां कोई संभावना नहीं है। उसकी जगह अब तीसरा कारक हमारे यहां बचता है कैपिटल, पैसा। पैसे से खेती का उत्पादन बढ़ाया जाय। पैसे के रूप अलग-अलग हैं, सिंचाई सुविधा दी जाय, अनुदान व्यवस्था बढ़ायी जाय और किसान को हर तरह की सुविधा दी जाय, ऋण दिया जाय और भूमि सुधार किया जाय। ये कैपिटल के रूप हैं। तीसरा जो कारक है उसका हमारी खेती में स्टार्वेशन रहा है, अथाह कमी रही है। आप देखेंगे, मुझे दुख होता है कहते हुए, सभापति महोदय, केन्द्रीय प्लान जो इस साल का है, देख लीजिये आप चाहें तो, उसमें बहुत भारी कमी की गयी। मैं थोड़े फिगर देना चाहूंगा। यहां के प्लान में भी आप देखें, खेती पर जो व्यय होता है आपका उसमें लगातार कमी हो रही है। यानि आप पूंजी उसमें लगाना नहीं चाहते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका खेती पर बढ़ रहा होगा लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आम तौर पर वेतनों में, तनख्वाहों में, टी. ए. में, डी. ए. में या जो कोई छोटे मोटे काम चल रहे हैं, कोई उनमें, जीप रखने में या अन्य चीजों के रख रखाव के काम में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका लगातार गिर रहा है। फिर आप किस तरह खेती की उन्नति करेंगे? किस तरह से आप उत्पादन बढ़ायेंगे? सभापति महोदय, जहां पिछले साल केन्द्रीय बजट में कैपिटल एलोकेशन का आउट ले था खेती के लिये 460.97 करोड़, लेकिन इस साल हो गया 429.98 करोड़ यानि पिछले साल के मुकाबले भी

(श्री यदुनाथ सिंह)

12.8% कम। छोड़िये 12.8% को, प्राइस एस्केलेशन को, इन्फ्लेशन को लगाओ तो बहुत होता है। दो टर्म में आप देखें तो भी इसमें कमी की गयी है। जैसे फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन मदद करती हैं किसान को लोन के रूप में, उसमें भी भारी कमी की गयी है। जहां पिछले साल सेन्ट्रल आउटले था 202.13 करोड़ का, इस साल हो गया वह 145.12 करोड़ का। इसी प्रकार से, सभापति महोदय, अगर आप राजस्थान की हालत देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा बुरी स्थिति नजर आयेगी। आप देखें, सभापति महोदय, जहां 1980-81 में था 933.26 लाख वह 1981-82 में हुआ 781.75 लाख, वह 1982-83 में हुआ 571.97 लाख, वह 1983-84 में हुआ 896.28 लाख। अब उसको घटाकर इस साल उल्टा 770.17 लाख रुपये कर दिया गया यानि खेती पर आप पूंजी लगाना नहीं चाहते, पैसा लगाना नहीं चाहते और उत्पादन बढ़ाने की बात करना चाहते हो। आंकड़े दिये गये कि खेती में उत्पादन बढ़ा है, वे गलत आंकड़े इस रूप में नजर आते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि देश में 141-141 मिलियन टन पैदावार हुई और हमारे राज्य के लिये ऐसा कहा गया कि लगभग मिलियन टन की हमारे राज्य में भी पैदावार हुई। आंकड़े झूठे इसलिये लगते हैं कि जब आपके यहां इतनी बम्पर क्राप हो रही है, इतनी भारी पैदावार हो रही है तो फिर क्यों भाव बढ़ रहे हैं, क्यों महंगाई बढ़ रही है? महंगाई पर रोक क्यों नहीं लग रही है? इकानामी पर रोक क्यों नहीं लग रही है? इसलिये शक होता है। दूसरा शक इसलिये भी होता है कि जब आपके यहां इतना भारी अन्न पैदा हुआ तो क्यों आप बाहर से अन्न मंगाने का काम कर रहे हैं? सभापति महोदय, इसलिये बहुत बड़ी जरूरत है कि खेती को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखा जाय। यानि कुल मांग 38 करोड़ रुपये की है। 21 अरब का बजट हमारा है और उसमें से खेती को दे रहे हैं 38 करोड़ रुपये सिर्फ, यानि जो आपके राज्य, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 50% से अधिक हिस्सेदारी करते हों उनके भाग में आप 38 करोड़ रुपये देना चाहते हैं। इस तरह से खेती उन्नत नहीं होगी। सभापति महोदय, कई कारण हैं जिनसे खेती का उत्पादन लगातार गिर रहा है। खेती के उत्पादन गिरने से यह तात्पर्य नहीं लिया जाय कि खेती की एक मन पैदावार अगर आ रही है तो हमने 141 मिलियन टन पैदा कर लिया तो खेती में बढ़ोत्तरी मानी जाय। पैदावार बढ़ रही है कि नहीं, उसका इस बात से अंदाजा लगाना होगा कि जो हमारी वृद्धि दर प्रति वर्ष और प्रति दशक है, उसका जो ट्रेंड चल रहा है वह कान्सटेंट है, बढ़ रहा है या गिर रहा है। इससे आप सही अंदाज लगायेंगे कि आने वाले समय में खेती की क्या दशा होने वाली है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, खेती का जो हमारे यहां ट्रेंड है वह अच्छा नहीं है। मैं तीनों दशकों की कंपेरेटिव स्टडी आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे परफार्मेन्स है। अभी पोटेंशियल और परफार्मेन्स में आप देखें तो परफार्मेन्स

(श्री यदुनाथ सिंह)

हमारी अच्छी नहीं रही है। यानि प्रोडक्शन ग्रोथ रेट 1950 में रही 41.1%, और पापुलेशन ग्रोथ रेट उस टाइम में थी 21.5% यानि हम अच्छी स्थिति में थे पैदावार के हिसाब से। हमारा जो अन्न पैदा हो रहा था उसमें हम अच्छी स्थिति में थे। 1960 में फूड प्रोडक्शन हो गया, 29.5% उधर पोपुलेशन ग्रोथ रेट हो गई 24.8%। 1970 में हमारा फूड प्रोडक्शन तो आ गया नीचे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो गिर कर आ गया 95.05 और उधर हमारे देश में जो पापुलेशन ग्रोथ रेट है, वह 24 प्रतिशत है। उसके मुकाबले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं कर पा रही है। उसका परिणाम अच्छा आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ देखें, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कही जाती है कि ग्रीन रिवोल्यूशन हो गयी बहुत भारी उत्पादन बढ़ गया, बड़ा भारी जंप हो गया प्रोडक्शन में। यह सही है कि जहां पर साधन मुहैया कराये गये, कुछ क्षेत्रों में, कुछ पॉकेट्स में, पैचेज में प्रोडक्शन बहुत ऊंचा गया, प्रोडक्शन ने हाइक लिया उन क्षेत्रों में बड़ा लेकिन वह कुछ फसलों में, कुछ क्षेत्रों में था। आम तौर पर देखें कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद देश की क्या स्थिति रही है और राज्य की क्या स्थिति रही है, तो आप देखेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद उल्टी खराब हुई है। एक छोटा आंकड़ा आपके सामने देना चाहूंगा। अगर ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले के हिस्से को और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद के हिस्से को मद्दे नजर रखें तो आपको स्थिति उल्टी नजर आयेगी। 1951-52 से लगाकर 1965-66 तक का एक पीरियड कर लें और 1966-67 से 1982-83 का एक कर लें। 16-16 साल के भागों में दोनों पीरियड का लें तो आप देखेंगे, जहां इन्क्रीज इन एरिया पहले पीरियड में था 1.7 प्रतिशत, पहले खेती मौजूद थी, खेती मिली, उसके बाद ग्रोथ रेट रह गयी .6 प्रतिशत, यानि खेती में बढ़ोतरी की गुंजायश, जो मैं कह रहा था, नहीं रही, खत्म हो गयी। ईल्ड पर हैक्टेयर जो पहले पीरियड में थी 1.47, वह हो गयी 1.51, यानि छोटी सी बढ़ोतरी, .05 की बढ़ोतरी उसमें हुई पर हैक्टेयर लेकिन कॉन्स्टेण्ट प्रोडक्शन इन्क्रीज ट्रेन्ड नहीं रहा। पहले 16 साल में था 3.2 प्रतिशत, वह गिरकर 2.2 प्रतिशत आ गया, यानि जो हमारी पापुलेशन ग्रोथ रेट, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर रही है, हो रही है, उसके मुकाबले हम अपनी पैदावार को नहीं ला पा रहे हैं। यह बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है आने वाले समय के लिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि खेती पर ध्यान दिया जाय। किस तरह से क्या-क्या कारण होते हैं खेती की पैदावार गिरने के? सरकार आदान तो प्रदान कर नहीं रही, सहायता तो दे नहीं रही, दूसरी तरफ किसान को किस तरह से लूटा जा रहा है, उसका इन किताबों में बड़ा साफ दर्शन दिया हुआ है।

सभापति महोदय, प्राइस इन्डैक्स देखें....

श्री सभापति : अपनी बात कहिये कृपया।

(170)

श्री यदुनाथ सिंह : आपको तो किसान का दर्द होगा, मुझे कोई शक नहीं है। देखिये, इस साल की जो बजट स्टडी दी है, सभापति महोदय, इसमें अगर पेज नम्बर 62 पर, होल सेल प्राइस इन्डैक्स इन राजस्थान को आप चाहें तो चार साल का देख लीजिए, चाहे एक साल का देखें, या जो इसमें दिया गया है 1971 से, उसको देख लीजिए, किस प्रकार से प्राइस को ट्विस्ट करके टर्म्स आफ ट्रेड किसान के विपरीत लगातार ले जायी जा रही हैं। आप देखिये, सभापति महोदय, सबसे पहले इसमें है फूड आर्टिकल। इसका इन्डैक्स 1971 में था 247.8, जो आज हो गया 664.5, इजाफा हुआ 416 7 का। दूसरा है रॉ मैटीरियल। रॉ मैटीरियल भी अधिकांशतः, 90 प्रतिशत खेती से ही निकलता है, जमीन से ही निकलता है, उसके प्राइस इन्डैक्स को देखिये। वह था 1971 में 185.2, आज हो गया 588.7, यानि 403.5 की कुल उसमें वृद्धि हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो खेती के इनपुट हैं, जो खेती में काम करने वालों के काम में आने वाली चीजें हैं, जिसको वे काम में लेते हैं, उनका इन्डैक्स देखिये, किस तरह से जम्प किया है। फ्यूअल लुब्रिकेंट्स एण्ड पावर, इसका था 1971 में 238.6, वह आज पहुंच गया 1245.9, उसमें जम्प हुआ 1007.9 का। दूसरे, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर, गुड्स का देखिये। वह था, 237.2 1971 में आज हो गया 852 8। इसमें हाइक हुई 615.6 की। यानि दोनों पाइंटों को अगर आप देखें, खेती में लागत, लगने वाली चीजें, खेती में काम करने वाले आदमियों के काम में आने वाली चीजें, उनकी कीमतें तो दिन पर दिन बहुत बुरी तरह बढ़ रही हैं और खेती से पैदावार होने वाली चीजों की कीमत दिन पर दिन गिर रही हैं, उस स्तर में बढ़ नहीं रही हैं। सभापति महोदय, 4 साल का आंकड़ा मैंने निकाला है, 4 साल के इन्डैक्स में टर्म्स ऑफ ट्रेड निकाजने की कोशिश की है, उसके रिजल्ट्स भी आये हैं। Terms of trade adverse to the farmer was 85.1 प्रतिशत 4 साल में। चाहें तो मैं पूरा सुनाने को तैयार हूं।

तो, सभापति महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि खेती को एक तरफ आप सहायता नहीं दे रहे, खेती को आदान प्रदान नहीं कर रहे, खेती में आप कुछ कर नहीं रहे, दूसरी तरफ किसान को उसके माध्यम से लूट रहे हैं। किसान जो खेती में पैदावार करने के लिए पूंजी लगाना चाहेगा वह किस प्रकार लगायेगा? किस प्रकार पूंजी को गांव से शहर की ओर ले जाया जा रहा है? यानि टर्म्स ऑफ ट्रेड 20-22 प्रतिशत के करीब प्रति वर्ष किसान के एडवर्स गयी। यानि, देश में पूंजी पैदा होती है खेती से करीब 30-35 हजार करोड़, उसमें से 22 प्रतिशत हिस्सा, 6600 करोड़ प्रति वर्ष गांव से शहर की तरफ पूंजी जा रही है। कुछ शहरों को सजाने में पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन देश में उत्पादन बढ़ाने का काम जो सैक्टर करता है, कर सकता है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसका कोई सरकार को दोष दिया जाय, आज के नियोजन करने वालों को दोष दिया जाय, ऐसी बात नहीं है बल्कि देश की आजादी के बाद जो ढांचा बना

(श्री यदुनाथ सिंह)

वह हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। जो इनका मानस था, दिमाग था, इण्डियन माइन्ड से प्लानिंग नहीं हुई वेस्टर्न माइंड से सारी प्लानिंग हुई। इसी के रहते भारी भारी उद्योगों पर बहुत ध्यान दिया गया, उसमें कैपिटल इन्टेन्सिटी बढ़ती गयी। खेती में भी किस प्रकार कैपिटल इन्टेन्सिटी हुई, किस प्रकार से खेती को बरबाद कर रहे हैं, यह मैंने बताया। कैपिटल इन्टेन्सिटी ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से खेती में हुई तो प्रोडक्शन ग्रोथ रेट घटी, बढ़ी नहीं। इसका मतलब, आप देखेंगे, हमारे यहां फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। कहा गया कि फर्टिलाइजर्स से खेती में पैदावार बढ़ती है, बड़ा भारी हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन असलियत यह नहीं है। खेती में फर्टिलाइजर डालने से, केमिकल फर्टिलाइजर डालने से पैदावार तो जरूर बढ़ती है और बढ़ सकती है, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि यह हमारे यहां इस तरह से डाला जाता है, जैसे डॉक्टर को तो दिखाओ मत और इन्जेक्शन लगा दो। सोइल टैस्टिंग कहीं नहीं हो रहा है। सोइल टैस्टिंग की कोई व्यवस्था इस देश में और इस प्रदेश में नहीं है, कितनी कौनसी डैफीशियेन्सी है, कौनसा फर्टिलाइजर डालना है। एक तरह से किसान का पैसा बरबाद होता है, फर्टिलाइजर बरबाद होता है। दूसरी ओर जमीन बरबाद हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर हमारे देश की जलवायु के अनुरूप, अनुकूल नहीं है। वेस्टर्न, ठण्डे देशों के लिए केमिकल फर्टिलाइजर बनाये गये। उसके रहते, सभापति महोदय, हमारे यहां दूसरे कारण भी होते हैं, यह जमीन ऐंठ कर रख देता है। मैं खेती करता हूं। 15 साल तक, 10 साल तक खेती में पैदावार बढ़ती नजर आई लेकिन अब जमीन बरबाद हो रही है, जमीन खेती के काबिल नहीं रह रही है। उसमें आप दूसरी, बिना फर्टिलाइजर के देशी वैरायटी करना चाहो तो दूसरी वैरायटी नहीं होती है। इस तरह की जमीन की स्थिति आज वेस्टर्न तकनीक के अंधाधुंध प्रयोग के कारण बना दी गयी है।

आप देखेंगे, इन्सैक्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, दवाई छिड़क रहे हैं। कीड़े-मकोड़े मारो, फसल को नुकसान नहीं होगा। 30 करोड़ कुल कीड़े-मकोड़े हैं....

एक माननीय सदस्य : 80 करोड़ हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : 30 करोड़ हैं वैरायटी। जो साइन्टिस्ट रिसर्च करके बताते हैं वह बता रहा हूं, मेरी रिसर्च नहीं है, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। लेकिन वैज्ञानिक कुछ कहते हैं उसका हमें विश्वास करना पड़ेगा। उनमें से 30 लाख पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन 30 लाख में से बहुत से कीड़े मकौड़े जमीन को उर्वरा बनाते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जमीन में बीज ले जाने का काम करते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े, जो खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं उनको खाते हैं। उनको मारने के

(श्री यदुनाथ सिंह)

लिए हम उन सारे कीड़े मकोड़ों को मार रहे हैं जो खेती को फायदा पहुँचाते हैं। उसका फसल पर भी असर हो रहा है, उस से वह खुराक में भी जा रहा है, उस से पोल्यूशन भी हो रहा है, उस से हर तरह से नुकसान हो रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब टैक्निक है तो उसका उपयोग जरूर करिये, मनाही नहीं है। आज के युग में उत्पादन बढ़ाना है, खेती से ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेनी है। यह चाहें कि उत्पादन बढ़ायें तो जो लेटेस्ट टैक्निक है उसका उपयोग किया जाय। लेकिन उसका एक प्रकार से बैलेंसिंग प्रयोग हो। इस प्रकार की जब तक पूरी व्यवस्था नहीं कर ली जाय, उसके पहले उसका उपयोग करना अपराध होगा। कहीं पर कोई इनकी लैबोरेट्री नहीं है। जमीन में अंधाधुंध खाद डाल रहे हैं। खाद का और नुकसान हो रहा है। जिन देशों की हमने केमिकल फर्टिलाइजर की नक्ल की उन देशों में धीमे-धीमे, रिमझिम-रिमझिम, समय-समय पर बारिश होती है। हमारे यहां क्या होता है, या तो बारिश है ही नहीं, फर्टिलाइजर डाल दिया और बारिश नहीं है तो वह फसल बरबाद, खेती बरबाद, और बारिश होती है तो धड़ाम से एकदम पड़ती है, जिससे आधा फर्टिलाइजर तो बह जाता है पानी में, बाकी का रिस रिस कर जमीन को बेकार करने का काम कर रहा है, पानी को खराब करने का काम कर रहा है, पानी खराब कर रहा है। उसके रहते हजारों तरह की बीमारियां फसलों में हो रही हैं, आदमियों में हो रही है, पशुओं में हो रही हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सभापति महोदय, जहां तक मैंने कहा, आप इसकी किसी को जानकारी नहीं दे रहे हैं, लैबोरेट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके यहां एक चल रहा है एक्सटेंशन प्रोग्राम। इस से बड़ा फ्रॉड संसार में कोई है नहीं। माननीय सदस्यों में से कोई भी खड़ा होकर कह दे, किसी भी जन प्रतिनिधि से जाकर पूछ लिया जाय, कोई बड़ा अधिकारी साल दो साल में दौरा करने जाता है जीप में, तो अलग बात है।

खेती कोई मैकेनिकल प्रोडक्शन तो है नहीं, बायोलोजिकल प्रोडक्शन है। मैकेनिकल प्रोडक्शन एक दिन के बाद दूसरे दिन किया जा सकता है लेकिन यह बायोलोजिकल प्रोडक्शन है, इस पर हर मिनट हर क्षण नजर रखनी पड़ती है। न तो वहां ग्राम सेवक आपका कभी जाता है, न किसी किसान को बताता है कि यह टेक्निक्स है। आपके यहां जो पैदावार हो रही है डेढ़ क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो रही है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ढाई क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो रही है लेकिन जो दूसरे देश है, जब हम अपने देश की खेती की नीतियों की बात करें तो हमें यह देखना चाहिये कि हमारे अड़ौसी-पड़ौसी देश की खेती की क्या हालत है? चीन में हमारे यहां से जमीन कम है, जमीन खेती के लिये कम है यानि बहुत कम है, 110 मिलियन हैक्टेयर जमीन है लेकिन उसकी पैदावार हमसे बहुत ज्यादा है। क्यों है? जापान में खेती कम है पैदावार हमसे बहुत ज्यादा है।

(श्री यदुनाथ सिंह)

क्यों हैं ? इसका कारण यह है, सभापति महोदय, हमारे यहां खेती की अवहेलना की गई है। इसलिये बहुत जरूरत है खेती को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाय। कृषि की अवहेलना होगी तो मार्केट की पर्चेजिंग पावर बिगड़ेगी, पर्चेजिंग पावर खराब होगी। पर्चेजिंग पावर गिरने से होगा यह कि बहुत कुछ आप इन्डस्ट्रीज में पैदा कर लीजिये लेकिन उसको बेचने के लिये मार्केट नहीं मिलेगा और एक दिन इन्डस्ट्री भी स्टेगनेंट हो जायेगी। इसलिये, सभापति महोदय, बहुत जरूरी है कि आज एक्सटेन्शन प्रोग्राम पर ध्यान दिया जाय। एक्टेन्शन प्रोग्राम आज कहीं नहीं चल रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं, हर बार विधान सभा में भी बोलता हूं कोई नतीजा नहीं है। पालतू ग्राम सेवक, जो कभी गांव नहीं जाते, को एक्सटेन्शन प्रोग्राम का काम देकर झूठी डायरियां भरी जा रही हैं। कोई गांव में नहीं जाता है। इसलिये जो टेक्निक्स हैं उनका ज्ञान किसान को दीजिये कि किस प्रकार से किस चीज का कहां प्रयोग करना है। यह किसान को बताने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, खेती क्यों आवश्यक है, यह मैंने आपको बताया, खेती में क्या-क्या पैदावार बढ़ाई जा सकती है, इन आदानों को करने से बढ़ाई जा सकती है। हमारे देश की जो टेक्निक थी, पुरानी थी, ट्रेडिशनल हमारी खाद थी। कैमिकल फर्टिलाइजर लाने पर टेक्नोलोजी में, बड़े-बड़े प्लान्ट लगाने में हजारों, करोड़ों और अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन हमारे मेन्योर, जो पशुधन से मिलता है, गोबर से, कचरे से कम्पोस्ट किस प्रकार इस देश में बनाया जाय इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसे आउटडेटेड, पुराना और बुर्जुवा कह टाला जा रहा है। सभापति महोदय, खेती का कैसे मूल्य तय करते हैं ? खेती के टर्म्स आफ ट्रेड्स, खेती का मूल्य तय करने वाली जो एजेन्सी है वह कौन सी बातों को ध्यान में रखती है ? आप देखिये, खेती का मूल्य तय करते टाइम आपके इनपुटस का ध्यान रखा जाता है, खाद, बीज और दवाई क्या आपने डाली उसको ध्यान में रखा जाता है, उसकी मजदूरी थोड़ी बहुत ध्यान में रखी जाती है लेकिन उससे पूर्ति नहीं होती है। आप देखिये दूसरी तरफ, दोनों सेक्टर्स मैंने आपको बताये, उनमें क्या होता है ? खेती उसकी कैपिटल हो गई। खेती की पूंजी, खेत को बेचकर किसान अगर बैंक में पैसा जमा कराये तो उसका कितना ब्याज आयेगा? उसको इस हिसाब से नहीं लिया जाता है। उस ब्याज का कितना नुकसान होता है ? वह पैसा बैंक में जमा करता तो कितना पर्सेन्ट ब्याज आता वह भी प्राइस कमीशन में होना चाहिये कन्सीडर, किन्तु उसको नहीं गिना जाता है। दूसरी तरफ डेप्रिशियेशन गिना जाता है, खेती में कोई डेप्रिशियेसन नहीं गिना जाता है। दूसरी तरफ उद्योग का कोई रिप्रजन्टेटिव हो, कर्मचारी हो, या सरकारी कर्मचारी किसी विभाग में हो, वह कहीं जायेगा तो घर से निकलते ही टी.ए., डी.ए., खाना-खुराक

(श्री यदुनाथ सिंह)

बनना शुरू हो जाता है यानि चाय का प्याला भी पियेगा तो प्रोडक्शन पर आयेगा, या फिर सरकारी अधिकारी है तो उसके बिल में चला जायेगा लेकिन किसान, जिसकी खेती फैक्ट्री होनी चाहिये, खेत का झगड़ा होता है तो कचहरी में जाता है, खेती के लिये कोई बाजार से माल लाना होता है तो बाजार में जाने से समय उसका नष्ट होता है या लेबर पर खर्च होता है। यह पैसा जो खर्च होता है वह प्राइस कमीशन कन्सीडर नहीं करता है। इसलिये आप किस प्रकार से तुलना करेंगे ? आज उद्योग में

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

पैदा हो रहा है, उसमें पैदा हो रहा है। इसलिये, सभापति महोदय, बहुत जरूरत है कि आज प्राइस कमीशन की जगह पर एग्रीकल्चर कास्ट कमीशन बनाया जाय, यानि किसान की खेती पर कितना खर्च होता है इसको मापने की जरूरत है। जो प्राइस कमीशन बना दिया वह तो अनापशनाप प्रहस हमारी तय करने का काम करता है।

सभापति महोदय, ध्यान देने के लिये मोटी-मोटी बातें मैंने आपसे अर्ज कीं। दूसरी तरफ खेती का एक सेवा सेक्टर है पशु-पालन। पशु पालन की इस देश में एक प्रकार से अवहेलना हुई है, यानि आज हमारे देश में जितना माल ढोया जाता है, छोटी नजीर देना चाहूंगा कि जितना कि खाने के लिये अन्न जरूरी है उतना ही पौष्टिक आहार के लिये दूध, घी, दही भी जरूरी है और वह पशु देता है। पशु हमारे ट्रान्सपोर्ट का सबसे बड़ा काम कर रहा है, 60 पर्सेन्ट ट्रान्सपोर्टेशन आज बैलगाड़ियों से ही हो रहा है। चाहे हम कहने के लिये कुछ भी कह दें, हवाई जहाज चला लें, शिप चला लें, रेलगाड़ी चला लें, ट्रक चला लें, ट्रैक्टर ट्राली चला लें लेकिन आज भी यह सत्य है कि 60 पर्सेन्ट ट्रान्सपोर्टेशन उससे हो रहा है। उसमें बहुत बड़ा रोजगार मिला हुआ है, 4. कुछ मिलियन लोगों को उसमें रोजगार मिला हुआ है, और रेलगाड़ी में मिला हुआ है 1 मिलियन आदमियों को। यानि रोजगार की स्थिति से भी हमारे काम आता है पशु। उस पशु को खुराक क्या मिलती है ? पशु के ऊपर हमारे यहां पर रिसर्च नहीं की गई। हमारी जो पशु नस्ल थी वह नष्ट होती जा रही है। दूसरे देशों के पशुओं की नस्लें लाकर यहां पर नुमाइश के तौर पर भले ही रख लें। 10-15-20 किलो गायें दूध दे रही हैं वह एग्जाम्पल और नुमाइश के लिये हो सकती हैं लेकिन आम आदमी किस प्रकार से उन चीजों का प्रयोग कर सकता है, किस प्रकार से पशु पाल सकता है ? भैंस को एअरकन्डीशन में रखिये, उसको यह खुराक दीजिये, उसकी यह खातिर कीजिये, बच्चे से भी ज्यादा देख-भाल कीजिये। हमारा जो भारतीय पशु था उसको ज्यादा देख-भाल की जरूरत नहीं थी, थन से दूध निकाला और शाम को चर करके आ जाता था। इसलिये उस प्रकार की जो नस्लें हैं उनको नष्ट होने से बचाये जाने की आवश्यकता है।

(श्री यदुनाथ सिंह)

सभापति महोदय, इसी से मिलता हुआ एक और सेक्टर है, वह है फारेस्ट। वन का इतना ही महत्व है जीवन में जितना और सब चीजों का। वन लगातार कटते जा रहे हैं, इकोलोजिकल बैलेन्स बिगड़ रहा है, श्रीमन्, वन कट रहे हैं....

श्री सभापति : आज तो वन की डिमाण्ड नहीं है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं है तो इस बारे में यह कहते हुये, सभापति महोदय....

(व्यवधान)

आज की मैंने कार्य सूची नहीं पढ़ी है, इसलिये तैयारी भी नहीं है। सभापति महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी देशी टेक्निक्स हैं उनको बिलकुल इग्नोर करके नहीं चला जाय। जो आज की टेक्निक्स हैं बिलकुल अल्ट्रा मोडर्न टेक्निक्स, उनमें और हमारी टेक्निक्स में किस प्रकार से सामंजस्य बैठा कर किस प्रकार से खेती के उत्पादन को बढ़ाया जाय, इसकी बहुत जरूरत है। यह देश की इकोनोमी के लिये भी जरूरी है और देश में उद्योग पनपें, उसके लिये भी जरूरी है क्योंकि उद्योगों के लिये कच्चा माल जो चाहिये, 90 पर्सेन्ट उद्योग तो खेती की जो पैदावार होती है उस पर लगते हैं। तो उद्योग भी चलें, उद्योग भी पनपें, उद्योगों की पैदावार बढ़े, माल खरीदने के लिये लोग भी हों, इस दृष्टि से खेती पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिंचाई की भी जरूरत है। सिंचाई के लिये मैंने बताया कि विल पावर की बात थी, एक-एक करके लेना चाहिये था। पहले हम सिंचाई को लेकर व्यवस्था करते फिर हम दूसरे काम हाथ में लेते। एक फाइव ईयर प्लान इसी के लिये होता, हम इसी के लिये काम करते और दूसरे काम नहीं लेंगे। लेकिन यहां तो हर चीज पोलिटिकल विल से की जा रही है। इसलिये, सभापति महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

राष्ट्रीय हित को देखते हुये खेती को बहुत बड़े दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

माननीय श्री हरिसिंह जी कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में कृषि और पशु पालन की मांगों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोनों ही विषय, दोनों ही मांगें, मैं तो मानता हूं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मांगें हैं। यह बात दूसरी है कि बजट में जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित, उनकी रकम कुछ कम हो लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में उनको देखें तो यह विषय बहुत महत्व का है। राजस्थान की नहीं बल्कि

(श्री हरिसिंह)

भारत वर्ष की 80 से लेकर 85 पर्सेन्ट आबादी पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती है, जीवन यापन का उनका साधन ही यह है। श्रीमन्, पूरे भारत वर्ष की अर्थ-व्यवस्था इस धुरी पर घूमती है। लेकिन यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि जितनी तरक्की इसकी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है। आज भी वही स्थिति है जैसी पुरानी कहावत चली आ रही है— Agriculture is a gamble in rains. आज भी भारतवर्ष में कृषि इन्डस्ट्री नहीं है वह सिर्फ एक जीवन यापन का साधन है। कहने का मेरा मतलब यह नहीं है कि सरकार ने इस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारे देश में बनी वह पूरी पंचवर्षीय योजना, जो हमने बनाई, इसी से प्रारम्भ हुई। कृषि जगत में क्रान्ति लाने के बारे में हम देखते हैं कि पिछले 3 दशकों के अन्दर राजस्थान के अन्दर कुल 34 लाख टन हम उत्पादन करते थे लेकिन आज राजस्थान में 1 करोड़ टन गल्ला हम उत्पादन करते हैं यानि 3 गुना से भी ज्यादा राजस्थान में उत्पादन हो रहा है। हिन्दुस्तान के अन्दर भी कृषि के अन्दर उत्पादन बढ़ा है। उसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में खाने के लिये गल्ला नहीं पैदा होता था, विदेशों से हमें गल्ला मंगवाना पड़ता था, लोगों को मुहैया कराया जाता था।

(4.00 म. प.)

कृषि को मैं, श्रीमन्, तीन भागों में विभाजित करना चाहता हूं, उत्पादन, संरक्षण और फिर उसका विपणन। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, मुझे कहने में संकोच नहीं कि सरकार का पूरा ध्यान उस तरफ है। जितना सिंचाई के लिए पैसा देना चाहिये, जितना बिजली के लिए पैसा देना चाहिये और जितना इससे सम्बन्धित और किसी काम के लिए पैसा देना चाहिये उसका हर साल हम बजट में प्रोविजन करते हैं। इस वर्ष भी एनुअल प्लान बनाया है उसमें 75 प्रतिशत जो पैसा है, वह कृषि से सम्बन्धित बिजली पर, कृषि से सम्बन्धित सिंचाई पर दिया है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान में जब कि हमने प्रारम्भिक शुरूआत की थी उस समय इरिगेशन 13 पर्सेन्ट था और आज इरिगेशन हमारा 22-23 पर्सेन्ट तक पहुँच गया है। इसलिये यह बात कही जाय कि सरकार उसके ऊपर पूरा पैसा नहीं लगा रही, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे यह निवेदन इस सम्बन्ध में करना चाहता हूं कि उत्पादन के अतिरिक्त और जो इसके विषय हैं, जहां तक संरक्षण का सवाल है, जहां तक सर्वेक्षण का सवाल है उसमें हमको जितनी तरक्की करनी चाहिये उतनी हमने की नहीं है। उत्पादन बढ़ाने का जहां सवाल है, जैसा कि मैंने निवेदन किया, उत्पादन तिगुना बढ़ चुका है। इसके लिए बधाई देना चाहता हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन स्कीम के लिये। कोई भी व्यक्ति भले ही कोई बात कहे लेकिन यह आज एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन स्कीम का ही परिणाम है, श्रीमन्, कि एक बीघा के अन्दर हम

(श्री हरिसिंह)

चार या पांच मन गेहूं पैदा करते थे, आज एक बीघा के अन्दर 22-22 और 25-25 मन तक गेहूं हम पैदा करते हैं। मैं अपने जिले की बात कह सकता हूं, एक मील नहीं कई मीलों तक मैं आपको बता सकता हूं जहां पर कि गेहूं के लहलहाते खेत आप देख सकते हैं। जो प्रोडक्शन है एक बीघा का, वह बीस मन, 25 मन से कम नहीं होगा। यह इसी का परिणाम है कि पूरी वहां पर टेक्निक दी गई। एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन प्रोग्राम के बगैर यह सम्भव नहीं था। उन्होंने जाकर बताया कि कितना खाद देना चाहिये, किस खेत में किस प्रकार पैदावार करनी चाहिये। उन्होंने बताया, उसी के फलस्वरूप आज देश के अन्दर इतनी पैदावार हुई। यह कोई जादू थोड़े ही कर दिया जिससे पैदावार बढ़ गई हो। और किसी महकमे ने तरक्की क्यों नहीं की ? मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पैदावार को बढ़ाने का जहां तक सवाल है, उत्पादन पर पूरा ध्यान दिया गया है। लेकिन जहां तक प्रश्न है, श्रीमन्, इसके विपणन का, उस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान खून और पसीने से जो कमाई करते हैं उसकी कीमत उनको नहीं मिल पाती। आज आप देखें, जिस समय किसान अपनी पैदावार बाजार में ले करके जाता है उस समय भाव क्या रहते हैं और जब किसान इनपुट्स खरीदता है, बीज खरीदता है उस समय उसकी पैदावार के भाव क्या होते हैं। उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। सरकार ने यह तय किया है कि एक मिनिमम प्राइस, कम से कम कीमत पर किसान का माल खरीदा जाय। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाजरे की कीमत सरकार ने तय की 124 रुपये प्रति क्विन्टल बाजरा खरीदा जायगा। इसकी क्रियान्विति हुई या नहीं, यह देखने का प्रश्न है। आपने स्कीम तो बना दी, लेकिन उस स्कीम की क्रियान्विति हुई या नहीं यह देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है।

अब मैं भरतपुर जिले की बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको निवेदन किया, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन स्कीम है उस स्कीम के फलस्वरूप आज हमारे यहां 95 पर्सेन्ट एरिया हाई ब्रीड टाइप के बाजरे के अन्दर आ चुका है। हमारे यहां भरतपुर में 1 लाख 25 हजार हैक्टेयर भूमि में बाजरा बोया गया। श्रीमन्, जो बीज आपने वितरित किया वह बीज आपने 3750 क्विन्टल आपने दिया पूरे राजस्थान में। हम देखें तो राजस्थान में दस लाख हैक्टेयर भूमि में बाजरा बोया गया। कितना बाजरा पैदा हुआ होगा, श्रीमन्, उसका अन्दाज लगा सकते हैं। सरकार ने खरीदा, इसके सम्बन्ध में तो मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भरतपुर जिले में इस साल बाजरे की पूरे साल भर में जो खरीद हुई तीन क्विन्टल। 1 लाख 25 हजार हैक्टेयर में हाई ब्रीड का बाजरा बोया गया, 124 रुपये प्रति क्विन्टल सरकार ने कीमत तय की। बाजरे का भाव हमारे यहां पर 80/– रु. 90/– रु. प्रति क्विन्टल के करीब था और सरकार की जो कृपा हुई, उसके

(178)

(श्री हरिसिंह)

मुझे यह आंकड़े मिले हैं, यह कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। यह विधान सभा में प्रश्न संख्या 360 के उत्तर में आंकड़े दिये गये हैं कि राजस्थान में बाजरे की खरीद इस वर्ष भरतपुर में तो हुई, श्रीमन्, 3 क्विन्टल।

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मन्त्री, कृषि) : सभापति महोदय, यह फूड की डिमाण्ड में कहना चाहिये। इसका कृषि विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे नहीं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बहरोड़ में, श्रीमन्, 6 क्विन्टल, और पूरे राजस्थान में 320 क्विन्टल। तो मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा था कि खरीद की बात तो निकल गई। आज भी आप खरीद करना चाहें तो कर सकते हैं, आज भी भरतपुर के अन्दर बाजरा किसान बेचना चाहता है जबकि अब फसल आने वाली है रबी की। रबी की फसल के लिये निवेदन करूं, श्रीमन्, अब से कुछ महीने पहले जहां सरसों का भाव था 800/– क्विन्टल, अब जब किसान की फसल आई है बाजार के अन्दर इस समय भाव सरसों के आ गये हैं चार सौ। चार सौ रुपये क्विन्टल के हिसाब से कितना गैप है। सरसों के भाव फिर भी निश्चित रूप से तेज होंगे, क्योंकि भारतवर्ष के अन्दर जितना तिलहन हमको पैदा करना चाहिये उतना पैदा हम कर नहीं रहे। हर साल कम से कम 6 लाख टन बाहर से तेल मंगाते हैं, अब भी अगले साल हम तेल इम्पोर्ट करेंगे। लोग जानते हैं इस बात को कि सरसों के भाव तेज होंगे। जो एक वर्ग है चाहे उसे आढतिया कह लीजिये, पूंजीपति कह लीजिये, मिडलमेन कह लीजिये, उसने प्राइस फ्लकच्युएशन को इस प्रकार से बांध रखा है अपने आप में, उस पर इतना कण्ट्रोल कर रखा है, श्रीमन्, जो किसान की जो पैदावार होती है उसकी जो पसीने की कमाई है वह उसके घर न जा करके मिडलमेन के घर में जाती है और बिचौलिये के घर में जाती है। आज सरसों खरीदेंगे, किसान को तो बेचनी है, पूरी जो पैदावार बाजार में ले गया, वहां उसकी पैदावार बिक गई, साढ़े चार सौ रुपये क्विन्टल। सरसों के आज से दो तीन महीने बाद भाव तेज होंगे, निश्चित रूप से तेज होंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कृषि मन्त्रीजी से, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कृषि उपज मण्डी है उनमें गोदामों का प्रावधान करना जरूरी हो गया है। वहां पर ऐसे गोदाम हों, वेयरहाउसिंग की व्यवस्था हो क्योंकि आज किसान को आवश्यकता इस बात की है कि वह अपनी फसल को ले जा करके उसमें रख सके। क्योंकि उसे पैसा चाहिये इसलिये जितनी फसल रखे उसके ऊपर उस समय की जो प्रचलित कीमत है, बाजार की जो रेट है उसके अनुसार उसको आप 80 पर्सेन्ट दे दें, 75 पर्सेन्ट दे दें। उसको एडवांस कर

(श्री हरिसिंह)

देंगे तो किसान इतना सक्षम हो जायगा कि वह अपनी फसल को वर्ग विशेष से बचा जायगा जिसका एक प्रकार से उसकी फसल को कम कीमत पर खरीदने के लिए एक पूरा षड्यन्त्र रचा हुआ है, उनका जाल बना हुआ है। आज हमारे यहां का किसान गरीब है, वह इतनी क्षमता नहीं रखता कि वह वर्ग विशेष से फसल को बचा सके। हमारे यहां की औसत पैदावार है, श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूं, भारतवर्ष में सबसे कम है। भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जो औसत उत्पादकता है वह है 840/- रु. प्रति व्यक्ति, किन्तु भारत के मुकाबले में जो छोटे मुल्क हैं, इंग्लैण्ड में 16408/- रु. प्रति व्यक्ति है, जर्मनी में 27960/- रु. करीब 28 हजार रुपये प्रति व्यक्ति है। तो हमारी जो प्रति व्यक्ति औसत पैदावार है वह बहुत कम है, इसलिए आज किसान के अन्दर यह क्षमता नहीं है कि वह जिस भाव से चाहे, जिस समय चाहे, जिस रूप में चाहे अपनी फसल को बेच सके। इसलिये सरकार के लिए आवश्यकता इस बात की है, श्रीमन् वह उनकी मदद के लिए आगे आये। सरकार के दिमाग में यह बात है, सरकार यह चाहती है और सरकार ने उसके लिए गोदाम बनाने की योजना भी बनाई है हर कृषि उपज मण्डी के अन्दर, मैं समझता हूं, वह गोदाम बनाना चाहती है लेकिन उसकी गति में त्वरितता लाने की आवश्यकता है, उसमें थोड़ी तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि जितने भी वह गोदाम बनाना चाहे, मण्डियों में वह बनाये। सभापति महोदय, वेअरहाउसेज बने हुए हैं उनको तो किसान बहुत कम काम में लेते हैं, अधिकतर व्यापारी लोग उनको काम में लेते हैं। किसान तो अपना माल वेअरहाउसेज में रखता नहीं। मेरा निवेदन यह है, श्रीमन्, इसके लिये वेअरहाउसेज में फसल रखने के लिये एक नियम होना चाहिये कि कम से कम इतने प्रतिशत फसल तो मध्यम वर्ग के किसान की वहां रहेगी, इतने प्रतिशत लघु वर्ग का किसान अपना माल रखेगा और इतने प्रतिशत सीमान्त कृषक अपना माल रखेगा। सब उनकी कैपेसिटी के अनुसार ही उनका यूटिलाइज कर सकेंगे। आज की तारीख में ज्यादातर व्यापारी लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता था।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मैं दूसरी बात जो आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस बात की बहुत दिनों से हमारे यहां पर बहुत मांग चली आ रही है, श्रीमन्, हमारे यहां पर जो फसल होती है उसका बीमा होना चाहिये। इस वर्ष आप देखें, श्रीमन्, फसल बहुत अच्छी आ रही थी। किसान ने अपना बहुत पैसा फसल पर लगाया। इस वर्ष रिकार्ड पैदावार होनी चाहिये थी। किसान को ऐसी आशा थी कि पिछले तीन-चार साल का जो घाटा चला आ रहा था वह उसको पूरा कर सकेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है श्रीमान्, ईश्वर के प्रकोप से सर्दी इतनी अधिक पड़ी कि फसल का नुकसान हो गया। उसके बाद में फसल में बीमारी लग गयी। इससे कम से कम 50

(श्री हरिसिंह)

प्रतिशत फसल का नुकसान किसान को हो गया। श्रीमन्, भारत वर्ष के इतने बड़े उद्योग को अगर ऐसा बड़ा घाटा हो जाय और कोई मदद की रेखा किसी भी कोर्नर में किसान को नहीं दिखे तो, श्रीमन्, कितना दुःख उसको होगा। श्रीमन्, मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में यह मांग करूंगा कि इसके लिये किसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में आप चाहे किसी प्रकार का रास्ता निकालें चाहे आप अनुदान दें, चाहे आप कोई व्यवस्था करें जिससे किसान को राहत मिले। श्रीमन्, हमारे पड़ोसी प्रान्त, हरियाणा में ऐसी व्यवस्था है कि अगर शीत लहर से या ओलावृष्टि से किसान की फसल को नुकसान हो जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे राजस्थान में भी होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं एक बात की मांग और करना चाहता हूं राजस्थान में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी नहीं दी जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब सत्र प्रारम्भ हुआ था तो एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही गई कि जब बजट का समय आयेगा तब इस पर गौर किया जायेगा। श्रीमन्, मैं एग्रीकल्चर मन्त्रीजी और वित्त मन्त्रीजी, दोनों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें। श्रीमन्, यह एक सामूहिक मांग है और बहुत ही उचित मांग है। श्रीमन्, फर्टिलाइजर पैदावार बढ़ाने के लिये बहुत काम की चीज है। पैदावार को सहारा देने के लिये फर्टिलाइजर के लिये पड़ोसी प्रान्त में, सूबे में भी सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान में भी इस पर सब्सिडी मिलनी चाहिये और सैल्स टैक्स या और कोई अन्य टैक्स इस पर लगना ही नहीं चाहिये। श्रीमन्, यह तो किसान की जीवन रेखा है, यह तो उसके जीवन की आवश्यकता है, यह तो इतनी असेन्शियल चीज है कि जैसे कोई बीमार के लिये दवाई हो। इस पर तो किसी प्रकार टैक्स लगाने का कोई औचित्य ही प्रतीत नहीं होता। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई टैक्स इस पर कृपया नहीं लगावें और जो हैं उनको आप माफ कर दें।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार के पास रिपोर्ट आ भी गयी है क्रियान्विति के लिये, उसमें एग्रीकल्चर कमीशन ने यहां तक लिखा है कि एग्रीकल्चर को समुचित स्थान दिया जाना आवश्यक है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर केबिनेट रैंक का होना चाहिये, निश्चित रूप से फुलफलेज्ड मिनिस्टर होना चाहिये। उन्होंने तो यहां तक कहा कि या तो प्राइम मिनिस्टर के पास या मुख्य मन्त्री के पास यह विभाग रहना चाहिये। अगर ऐसा सम्भव किन्हीं कारण से नहीं हो तो जो केबिनेट में नम्बर दो व्यक्ति हो कम से कम उसके पास यह विभाग रहना ही चाहिये ताकि वह उस पर

(श्री हरिसिंह)

कन्ट्रोल कर सके। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर और एनीमल हसबैन्ड्री दोनों ही डिपार्टमेन्ट कोई साधारण डिपार्टमेन्ट नहीं है। यह एग्रीकल्चर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टेक्निकल लोग ही इन विभागों को चलावें। लेकिन आज हमारे राजस्थान में क्या है? हम देख रहे हैं कि इन दोनों ही डिपार्टमेन्ट में हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट टेक्निकल आदमी नहीं हैं। मेरा कोई आई ए. एस. अधिकारियों से विरोध नहीं है, उनका काम खराब हो वह बात नहीं है पर जहां तक इन विभागों का ताल्लुक है एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट यह है कि हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट, श्रीमन्, इन दोनों विभागों का वह होना चाहिये जो टेक्निकल बात को समझ सके और आवश्यकता पड़ने पर वह काम कर सके। श्रीमन्, इन दोनों ही विभागों के हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट्स टेक्निकल व्यक्ति होने चाहिये।

श्रीमन्, अब थोड़ा पशुपालन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमन्, हम गांवों में जब जाते हैं तो गांवों में इस बात की बहुत मांग होती है कि हमारे यहां एनीमल हसबैन्ड्री के अस्पताल खोले जाने जाने चाहिये। आज मेडिकल डिस्पेन्सरीज से ज्यादा मांग गांवों में वेटरनरी अस्पतालों की है। लोग पशुपालन विभाग के हास्पिटल्स की मांग अधिक करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको चार 6 मील तक उठा कर अस्पताल ले जा सकते हैं। पर अगर कोई भैंस या बैल या गाय बीमार हो जाती है तो उसको इतना लम्बा कहां पर ले जाकर दिखावें। इसलिये, श्रीमन्, इसकी बहुत मांग हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर पंचायत समिति क्षेत्र में अगर सरकार एफोर्ड कर सके तो पशु चिकित्सालय खोले क्योंकि अभी बहुत ही कम पशुपालन अस्पताल हैं। अब की बार हमारे यहां पर एक पशुपालन विभाग का चिकित्सालय खोला गया है उसके लिये तो, श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पर हमारे यहां पर जितनी मांग है उससे यह बहुत ही कम है। यह तो ऐसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर घनी आबादी है, हरा भरा क्षेत्र है, पशुधन अधिक है। वहां पर पशुओं में बीमारी भी अधिक है इसका कारण है वाटर लोगिंग। वाटर लोगिंग के कारण पशुओं में बीमारी हो जाती है, डूब वगैरह की इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोले हालांकि आपके बजट में अभी दो सौ पशु चिकित्सालय हैं पर वह कम है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, पशुपालन विभाग के जो वेटरिनरी डाक्टर्स हैं उनकी सैलेरी मेडिकल डाक्टर से कम है, दोनों में बड़ा भारी फर्क है। जब से बेरी वेतन आयोग आया है तब से सैलेरी इनकी कम हो गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो

(श्री हरिसिंह)

लड़के इस पढ़ाई को करते हैं उनको मेडिकल डाक्टर बनने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगता है। जितना एक एम. बी. बी. एस. डाक्टर की पढ़ाई में पैसा खर्च होता है उतना ही खर्च होता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेहनत और चतुराई की इसमें ज्यादा जरूरत रहती है क्योंकि एक मेडिकल डाक्टर जो एम. बी. बी. एस. होता है उसको तो जो आदमी बीमार होता है वह अपनी बीमारी बता देता है बोल कर, पर एक पशु तो बोल भी नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनके पे-स्केल्स एम. बी. बी. एस. डाक्टर के बराबर करें। मैं समझता हूं कि इन डाक्टरों की कमी भी है। आज 100-150 पोस्ट तो आपके यहां पर खाली पड़ी होंगी। मैं कहना चाहूंगा कि इनकी पे-स्केल बढ़ाई जाय।

बस इन्हीं शब्दों के साथ में राजस्थान के कृषि विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए क्योंकि उनकी मेहनत से हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ी है, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री आत्माराम।

श्री महाराम चौधरी : आप गलत सराहना मत करो।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, यह कृषि विभाग अपन आप में कोई विभाग नहीं है क्योंकि किसान जमीन पर और पानी पर ही डिपेण्ड करता है। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि सिंचाई की जो स्कीम कागजों में थी, जिसको कि ये लोग मानते थे कि प्रेक्टिकल नहीं हो सकती, उन स्कीमों को हम पूरा कर रहे है। दुनिया की तीन बड़ी स्कीमें हैं उनको इंटरलिंक करके हम अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। इनके द्वारा अच्छे सिंचाई साधन मुहैया करने की वजह से हमारा किसान दुनिया के किसी भी किसान से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है। आजादी से पहले कृषि विभाग या कृषि का कोई सरकारी महकमा नहीं था। यह मान कर चलते थे कि जीवन यापन के लिए यहां के लोगों के लिए शायद ही सिंचाई का साधन होगा। लेकिन आजादी के बाद इस तरफ ध्यान दिया गया। यह महकमा नया बना था मेरा मानना है कि इसका वैज्ञानीकरण नहीं हुआ। आपने किसी चीज पर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं किया। यह कोई महकमा है? सिंचाई का अलग विभाग है, जमीन का अलग विभाग है, लोन देने का दूसरा विभाग है। कोई इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि कृषि में हमारा देश आगे बढ़े। कृषि के अन्दर विकास की मंजिल का कोई अन्त नहीं है। हम काफी ऊंचाई तक पहुंचे हैं और भी आगे पहुंच सकते हैं, इसका कोई अन्त नहीं है। आगे तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है और देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। जिस

(श्री आत्माराम चौधरी)

देश की जनता, 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है उस कृषि के लिए तीन-चार महकमों को एक बनायें। जिलेवाइज उनका कंट्रोल होना चाहिए। जो यह प्रगति रिपोर्ट है मैं समझता हूं कि मौसम का चार्ट दे दिया। इसमें आंकड़े हैं। अधिकारियों की यह क्या शैली बन गई है? कहां से यह इकट्ठे किये हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आंकड़े दिये हैं उसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया हो। यह कैसे आंकड़े इकट्ठे करते हैं? न तो इसके लिए इनके पास स्टाफ है, जैसा मुझे ज्ञात है, डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर होता है, उसके नीचे एक्स्टेंशन आफिसर होते हैं। कई दफा हम वहां जाते हैं, दफ्तर जाते हैं तो कृषि विस्तार, कृषि विस्तार कर-करके वहां कोटियां बनी हुई हैं। ये कहां से कृषि विस्तार कार्यालय बनाने लगे। लोग बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक से या मुफ्त का पैसा मिल गया होगा। इनके पास कोई वैज्ञानिक या विशेषज्ञ नहीं है जो कृषि के लिए कोई स्कीम बना सके। कृषि विस्तार के नाम से पैसा दिया उसे दूसरे लोग खा गये और वहां विभाग के अधिकारी रह रहे हैं। जो विशेषज्ञ हे उनके बारे में हमारी पुरानी धारणा यह रही है कि यह थ्योरीटिकल आदमी हैं। कृषि के जितने भी अधिकारी हैं जिनके ऊपर हम आस लगाये बैठे हैं वह सारी मान्यताओं के खिलाफ हैं। जो हमारी हिन्दुस्तानी मान्यतायें थीं, यह प्रेक्टिकल थीं। इनको कोई ज्ञान नहीं है। दरअसल विश्व बैंक से जो पैसा मिल रहा है उसके लिए स्कीम हो, जैसा कि कभी सवाल उठा था। सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन की, कृषि के लिए बीज की बात है। हमारा बीज निगम है वह एक व्यापारिक संस्थान बना हुआ है। उसमें दिखाया जाता है कि पिछले साल इतना मुनाफा हुआ, इस साल इतना मुनाफा होगा। जो मुनाफा कमाने वाले धन्धे हैं वह घाटे में जा रहे हैं। डेयरी, रोडवेज और दूसरे कई विभाग जो मुनाफा कमाने वाले हैं, सब घाटे में जा रहे हैं, लेकिन कृषि के लिये बीज देना घाटे-मुनाफे की बात नहीं है, लोगों को सुविधा देने की बात है, वह दी नहीं जाती है।

श्री सुजानसिंह यादव : मंत्री महोदय नोट करें, यह बहुत बढ़िया सुझाव है।

श्री आत्माराम चौधरी : मैं समझता हूं कि बीज प्रमाणित हो, आराम से सुलभ हो, इसके लिए हमें दूर नहीं जाना पड़े, ज्यादा दूर सेंटर नहीं हो। बीज इस तरह से सस्ता और सुलभ हो जैसे बीड़ी पान मिलते हैं। सस्ता और सुलभ बीज मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो बीज को सस्ता और सुलभ बेचना होगा। इसके बिना जो हम गेन करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। बीजों को प्रमाणित किया जाना चाहिए। हमारा बीज प्रोडक्शन निगम भी है। मैं समझता हूं कि हम कोई नई चीज पैदा नहीं कर सके, जिससे हम फख्र कर सकें कि हमारे राजस्थान में फलां चीज है, वह मायने रखती है। जो अभी कनक दी वह दूसरी सब कनकों से घटिया है, अच्छी

(श्री आत्माराम चौधरी)

नहीं है। इसी तरह से दूसरे बीज हैं, वह अच्छे नहीं हैं। इसके लिए जरूरी है कि अच्छे वैज्ञानिक हों। जैसी राजस्थान की परम्परा रही है हर एक क्षेत्र के अन्दर ऊंचाई पर पहुँचते हैं, कृषि में भी उंचाई पर पहुँचे तो हमें और गर्व होगा।

भू-संरक्षण का मामला है, भू संरक्षण में मिट्टी परीक्षण है, गुण नियंत्रण है, मूल्य सर्वेक्षण है, जो प्रगति रिपोर्ट में दिया है। कितनी कीमत आती है इसके सर्वेक्षण में, यह हमें भी देना चाहिए था, प्रकाशित करना चाहिए था। जो मूल्य हमें मिल रहा है, मूल्य सर्वेक्षण के हिसाब से यदि हमारा जस्टिफिकेशन है तो ठीक है।

कृषि के बारे में जैसा अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, किसान को प्रोडक्शन की चीजें, कच्चा माल है वह दूसरे राज्यों की तुलना में सस्ता नहीं मिलता है। जैसे खाद हरियाणा और पंजाब में सस्ती है, वहां सेल्स टैक्स नहीं है। कम से कम ऐसी चीजों जो कृषि का मेन आधार है पर सेल्स टैक्स वगैरह पर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से डीजल पर पंजाब और हरियाणा से टैक्स 12 प्रतिशत हम ज्यादा ले रहे हैं। कृषि के अन्दर काम आने वाली चीजें हैं वह हमारे यहां महंगी हैं और पंजाब और हरियाणा में सस्ती हैं। कई दूसरी चीजें हैं जो यहां सस्ती हो सकती हैं जैसे ट्राली, हल आदि। हमारे यहा का कारीगर है, जो लघु उद्योग करने वाला है उसको काम नहीं मिलता। इससे जो उसकी आमदनी होनी चाहिए वह नहीं होती है। यह ध्यान रखने की बात है।

इसके साथ ही साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए कहना चाहूंगा कृषि उपज मण्डी समिति के बारे में, विपणन बोर्ड के बारे में मुझे काफी कुछ कहना है। कृषि उपज मण्डी समिति का जो एक्ट है वह पंजाब के पैटर्न पर बनाया हुआ है। यह पुराना हो गया है और नये आज के समाज के साथ मेल नहीं खाता है; कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हमारा कृषि का प्रोडक्शन जितना महत्त्व रखता है उतना ही उसको बेचना भी महत्व रखता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गयी और इसीलिये कृषि उपज मण्डी समिति बनाई गई थी। परन्तु आज क्या है? इसके साथ साथ एगमार्क को लीजिए। मैं समझता हूं कि यह अपने उद्देश्यों से हट रहा है। यह एगमार्क कौन सा कृषि विपणन में आ गया? इससे किसानों को कौन सा प्रोटेक्शन, फायदा हो जायेगा? यह बगैर मतलब की बात कर रहे हैं आप।

इसी तरह से वर्गीकरण की बात है। जब शुरू शुरू में यह वर्गीकरण हमारे यहां चालू हुआ तो वर्गीकरण के लिए हमारे यहां एक एक अधिकारी भेज दिया। कोई रिश्तेदार था या नहीं था, मिलने जुलने वाला था। पोस्ट क्रियेट करने के लिए वर्गीकरण की पोस्ट क्रियेट कर दी। इससे एक राई भी फायदा नहीं है, एक रत्ती भर का फायदा नहीं है। कपास का वर्गीकरण कर दिया उन्होंने। कपास का वर्गीकरण

(श्री आत्माराम चौधरी)

होने के बाद में गवर्नमेन्ट कपास की खरीद कर रही है। परन्तु उस वर्गीकरण के बावजूद जमींदार की कपास, जिसका वर्गीकरण कर दिया गया है, को 'ए' क्लास वाली कपास नहीं मानता है। वर्गीकरण के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि वर्गीकरण क्या है और इसका फायदा क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ नहीं होने की वजह से जिस बात के लिए यह मण्डी कृषि समिति बनाई और जिसके लिए इसका निर्माण हुआ उसका सारा उद्देश्य ही खतम करके रख दिया है। यह एगमार्क वर्गीकरण और मण्डी प्रांगण है। आप किस के लिए पूरी की पूरी मण्डी बनाकर दे रहे हैं? इसमें किसानों का कौन सा हित होता है और कौन सा फायदा हो रहा है? इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो यह नुकसान हो रहा है, हमारा सिद्धान्त यह रहा है कि बिचौलिये खतम करो। दूसरा, बिचौलिये खतम करने के लिए को आपरेटिव मूवमेंट को जोर से चलाया जाये। आपने इन दोनों चीजों को खतम कर दिया। आप मण्डी यार्ड बनाकर छोटे से छोटे किसान को भी तगड़ा साहूकार बना रहे हो। इससे तो अच्छा यह होता कि आप मण्डी यार्ड बना करके किसानों को ही दुकानें अलाट कर देते। मण्डी यार्ड बनाने से फायदा क्या है? अब आप यह कह सकते हैं कि मण्डी यार्ड बनाने से नुकसान भी क्या हुआ। लोन लेकर हमने दिया और लोन पूरा कर लेंगे। जिस मकसद के लिए यह विपणन बोर्ड बना है वह मकसद तो हम पूरा नहीं कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनको दूसरी जगह लगा देंगे। आज मानी हुई बात है कि जहां भी सरकारी काम हो रहा है वहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जिस क्वालिटी की उम्मीद करते हैं वह क्वालिटी कम हो रही है। जिस एफीशियेन्सी की हम उम्मीद करते हैं वह एफीशियेन्सी मेन्टेन नहीं हो रही है। फिर यह बगैर मतलब का पचड़ा क्यों? यह देखने में जरूर अच्छा लगता है पर इससे कोई मतलब हल नहीं होता। यह कृषि की पैदावार का उचित मूल्य दिलाना घाटे का घर है। अगर ऐसे कुछ सेन्टर्स ही बनाना चाहते हैं तो आप किसानों के पास क्यों नहीं बनवा देते? वह पुरानी प्रथा जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, जो गवर्नमेन्ट की, सरकार की, हमारी पार्टी की और देश की यह मंशा है कि बिचौलिये खतम हों उस बिचौलिये को आप तगड़ा करके पनपा रहे हैं। उसके लिए साधन मुहैया करके दे रहे हैं। यह सब किस लिये? हमारी यह मंशा रही है, इसलिए कृषि उपज मण्डी समिति बनाई है कि वहां चुने हुए प्रतिनिधि हों। आपने वह सिद्धान्त मान लिया लेकिन जहां बोर्ड का आप कानून बना रहे हैं, सिद्धान्त बना रहे हैं वहां आपने ऐसे अधिकारी रख दिये जिनको पता ही नहीं है कि विपणन बोर्ड क्या होता है, किसानों की समस्या क्या है और यह बनाया किसलिये गया है। इसलिये ही कृषि विपणन बोर्ड अपने उद्देश्यों से हट रहा है। उसको जो इन्होंने दर्शाया है उससे यह बिलकुल ही-उलटा है और उसका कोई सैन्स नहीं है। मुझे कोई

(श्री आत्माराम चौधरी)

बनाये, समझाये कि यह आप मण्डी प्रांगण बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं- आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसान को हम लोन देते हैं, आप कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए लोन मुहैया किया। एक तरफ मुफ्त में ही लोन मुहैया करके सब कुछ तैयार करके उनको तगड़ी तगड़ी जागीरें दे रहे हैं। उससे हमारे कोआपरेटिव मूवमेन्ट को घाटा हो रहा है तो मैं समझता हूं कि जिस मकसद के लिए यह विपणन बोर्ड बना है वह मकसद एक पैसा भर भी पूरा नहीं हो रहा है। उसका मुख्य आधार तो यह है कि उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिले, उनका शोषण वनिये, जो कि अपने फन में माहिर हैं, नाजायज तरीके से नहीं करें। उनको प्रोटेक्शन देने की बात है। एक भी किसान, जो वहां प्रोड्यूस लेकर आता है, को कोई प्रोटेक्शन दिया है तो एक केस मुझे बता दो। बगैर मतलब की बातें इसमें हैं 'व्यापार स्थानान्तरण'। व्यापार दूसरी जगह अपनी सुविधा के मुताबिक कर रहा था उनको एक जगह इकट्ठा जरूर कर दिया। किसान का कोई हित किया है? किसान जो अपना प्रोड्यूस लेकर आ रहा है उसके हित की बात की हो एक भी, तो बता दें, मैं मान जाऊंगा। हम यह मान कर चलते हैं कि बुराइयां बढ़ गयी हैं। इसके साथ ही साथ नये बिचौलिये और पैदा कर दिये जो किसानों को भी तंग करते हैं और व्यापारियों को भी तंग करते हैं। पहले वाले बिचौलिये तो अपनी होशियारी से तंग करते थे लेकिन इनके पास तो राज्य की एक मोहर और अलग से है, एक राज्य की छड़ी भी है। यह तीसरा बिचौलिया और हो गया। हमारे यहां कहावत है कि तीसरा बलद खलिहान को फोड़ेगा। काम तो दो ही करेंगे। यह तीसरे जागीरदार ऐसे पैदा कर दिये, जिनके पास राज्य की छड़ी है। वह बुरी तरह से दोनों तरफ से तंग करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसमें संशोधन किया जाये क्योंकि जो हमारे गौरव की बात है, जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं और जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं यह उस उद्देश्य से हट रहे हैं।

अब ग्रामों में गोदामों की व्यवस्था है। आप साबित कर दें कि किस ग्रामीण ने इस गोदाम की सुविधा का फायदा उठाया है? इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसके पहले कृषि उपज मण्डी समिति है इसके द्वारा कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। उसका पैसा कहां खर्च होता है? उसका 50-60 प्रतिशत तो कर्मचारियों में, सुविधाओं में और साधनों में चला जाता है और जो 40-50 प्रतिशत रहता है उसको इस तरह से खर्च कर रहे हैं कि आगे बढ़ने की प्रगति भी रुक जायेगी। जैसे सड़कों का निर्माण करते हैं। जहां आमदनी है वहां तो सड़कें बन जायेंगी लेकिन जहां आमदनी नहीं है वहां सड़कों का निर्माण कैसे होगा? एक विशेष प्रावधान रखना चाहिए कि सड़कों के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट पर हो। जो रेवेन्यू देहात से ज्यादा आती है उसका कुछ हिस्सा देहातों की सड़कों के ऊपर और प्रोडक्शन के बढ़ाने में लगाना चाहिए। मेरा ख्याल है,

(श्री आत्माराम चौधरी)

एक भी सड़क पिछले वक्त में इसलिए नहीं बनी कि वह कहते हैं, यह कृषि उपज मण्डी समिति का काम है वह सड़कें बनायेगी। अगर उसका भी काम है तो भी कृषि उपज मण्डी समिति की जो सड़कें हैं उसमें 50 पर्सेन्ट राज्य सरकार दे। जिस तरह से सेन्टर वाले देते हैं उसी तरह से राज्य सरकार को भी इसमें हिस्सा देना चाहिए ताकि विकास की गति तेज हो।

मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हुआ निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, पहले मैं पशुपालन मन्त्रीजी से शुरू करता हूं। पशुपालन मन्त्रीजी, मैं आपको धन्यवाद इसलिये नहीं दे सकता क्योंकि मेरे क्षेत्र में आपने एक पशु चिकित्सालय नहीं खोला। जो खुले हुए हैं उनकी क्या स्थिति है उसका थोड़ा सा विवरण मैं रखना चाहता हूं। यह पोली क्लीनिक आपने कोटा में खोल रखा है। एक्स-रे मशीन 6 साल से आई हुई पड़ी है, उसका पेमेंट हो गया होगा, वह इन्स्टाल अभी भी नहीं हुई है। पोली क्लीनिक में एक भी विशेषज्ञ नहीं है। इन्चार्ज एक जूनियर को बना रखा है, क्योंकि उसमें आप इन्ट्रस्टेड हैं इसलिये डी. आर. डी. ए. का जो पद है उस पर एक जूनियर को बैठा रखा है। पोली क्लीनिक एक तरह का मजाक हो गया है। अभी आपने जो अस्पताल खोले हैं, डाबी में खोला, बहुत अच्छा हुआ, छोटे-छोटे गांवों में खोला लेकिन बोरावास का अस्पताल ले गये। बोरावास पशुओं की खान है, सारे कोटा को दूध सप्लाई बोरावास करता है। बोरावास का जो पशु चिकित्सालय था वह हटा लिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वहां पशुधन की संख्या इतनी है कि तीन अस्पताल हों तो भी कम हैं। वहां एक अस्पताल अवश्य खोल दें। कोटा में पांच डाक्टरों की कमी है वह कमी एक वर्ष से चली आ रही है।

डी. आर. डी. ए. के लिये भेड़ों की जो यूनिट है वह 20 की बना रखी है लेकिन बकरियों की 10 की है तो इस विषय पर आप थोड़ा सा ध्यान दें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बार आपने अपच, पेट कब्ज की जो दवाइयां हैं उनको बिलकुल रिजेक्ट कर दिया, कोई अस्पताल नहीं खरीदेगा। यह तो प्राथमिक आवश्यकतायें हैं।

इतनी बात कह कर अब मैं मेरे मूल विषय एग्रीकल्चर पर आता हूं।

मान्यवर, कृषि कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। राजस्थान को प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि राजस्थान में जितनी सिंचाई होती है और जितनी भूमि है उस

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हिसाब से राजस्थान का प्रोडक्शन नहीं है, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होने का कारण क्या है....

(4.43 म. प)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

इस बार हमने कृषि पखवाड़ा मनाया। उसमें यह कोशिश की गई कि कृषि के आधार पर शुद्ध औषधियां उपलब्ध हों किन्तु हम इसमें सफल हो पाये? क्या आज हमारी लेबोरेटरी सक्षम हैं? क्या इनसेक्टीसाइड और पैस्टीसाइड के जो नमूने हैं उनका परीक्षण करने के लिये हमारी दुर्गापुरा लेबोरेटरी सक्षम है? उसकी कैपेसिटी क्या है? 500 सेम्पल वर्ष में। दिसम्बर तक 500 सैम्पल पूरे हो गये। परिपत्र जारी हो रहा है, अब इस प्रयोग शाला में नमूने न भेजे जायं। पूरे नमूने नहीं आने से, कीटनाशक और व्याधिनाशक औषधियों का परीक्षण नहीं हो पाने से अशुद्ध औषधियां प्राप्त हो रही हैं। पिछली बार भी मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था, वहां जगह कम है, इक्विपमेन्ट कम है। नये भवन बन रहे हैं जगह-जगह लेकिन प्रयोगशाला के भवन का विस्तार नहीं हो रहा है, उसके कारण क्षमता नहीं है। प्रश्न का नाजायज जवाब दिया जा रहा है। विक्रेताओं द्वारा सब स्टैन्डर्ड दवाई बिक रही है। जो नमूनों की जांच के रिजल्ट्स आये हैं आपके यहां, वह ऐसे हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि आपके अधिकारी विक्रेताओं से मिले हुए हैं। सब स्टैन्डर्ड माल के नमूने लेकर वे भेजते नहीं हैं। स्थिति यह है कि जो व्यापारी कहता है, यह नमूने आप भेजिये, आपके अधिकारी वही नमूने भेजते हैं। वे अपनी इच्छा से नमूने नहीं लेते इस कारण वे नमूने यहां फेल हो जाते है। वस्तु स्थिति यह है, इन लेबोरेटरीज में स्थिति आज यह है कि वे डिपार्टमेन्ट का अंग बन गई है। जहां नमूने लेने में मेन्युफेक्चरर से कृषि विभाग के अधिकारी मिले हुए हों, उनसे पैसा खाते हों, वहां लेबोरेटरीज में जो असिसटेंट्स है उनसे क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि वे नमूनों की निष्पक्ष जांच कर देंगे? बीज के सैम्पल्स का क्या हुआ? बीज के सैम्पल्स के लिये यह निर्देश दिये कि नेशनल सीड कार्पोरेशन के जो रिजल्ट्स आ रहे है स्टैन्डर्ड के, उनको रोका जाये क्योंकि नेशनल सीड कार्पोरेशन की जवार सीज कर दी गई है इसलिये हमारी सब स्टैन्डर्ड ज्वार निकल जायेगी क्योंकि वे सबार्डिनेट है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां फर्टीलाइजर की टैस्टिंग लेबोरेटरीज हैं इन लेबोरेटरीज का विस्तार किया जाय। इनके इक्विपमेन्ट बढ़ाये जायं ताकि ज्यादा सैम्पल पास हो सकें। पैस्टीसाइड का जितना माल बेचते हैं यदि एक टन पर एक सैम्पल लिया जाये, कम से कम दो हजार सैम्पल लिये जाने चाहिये जब कि आपकी लेबोरेटरी की क्षमता है केवल पांच सौ। इन लेबोरेटरीज को स्वतंत्र किया जाय जैसे और प्रदेशों में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में लेबोरेटरीज स्वतन्त्र हैं, डिपार्टमेन्ट के अधीन नहीं हैं। इसलिये वह सैम्पल्स का परीक्षण ठीक प्रकार से कर पाते हैं किन्तु राजस्थान में

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

डिपार्टमेन्ट के अधीन होने से इनका काम ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि नमूनों का परीक्षण ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। पेस्टीसाइड के 113 नमूने लेबोरेटरीज में सब स्टैन्डर्ड के सिद्ध हुए, लेकिन चालान कितनों के किये गये? चालान क्यों नहीं किये गये? चालान न करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है? क्या उस अधिकारी के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्यवाही की? नीचे से लेकर ऊपर तक सारे विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं इसलिये चालान की कार्यवाही नहीं होती है। फिर आपने टैस्टिंग क्यों करवाया? जब वह सब स्टैन्डर्ड सिद्ध हो गये, और चालान नहीं हुआ तो टैस्ट करवाया क्यों? क्यों समय और धन का अपव्यय किया? कौन है अधिकारी इसके लिये दोषी और रिजल्ट क्या आ रहे हैं? बी. एच. सी. का एक्टिव इनग्रेडियेन्ट है डाइमा आइकावार, कितने पर्सेंट रिजल्ट आ रहा है? बी. एच. सी. जहां 10 पर्सेंट में 3 आना चाहिये 6–7 आता है। इसलिये बी. एच. सी. काम नहीं कर पा रहा है। बी. एच. सी. से कीड़े नहीं मर रहे हैं। उसका ट्रीटमेन्ट व्यर्थ जा रहा है, ऐसे रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। सल्फर के टेस्ट हुए लेबोरेटरी में, जहां 85 प्रतिशत सल्फर का इनग्रेडिमेन्ट आना चाहिये, 40 से 50 प्रतिशत आ रहा है, 85 की जगह 40 आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं वह सल्फर कितना काम करती होगी? सल्फर सब स्टैन्डर्ड आने पर चालान नहीं करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है? क्या यह कृषि आधार शुद्ध रूप से दिखाने का प्रयास इसी रूप में कर रहे हैं कि 40 प्रतिशत आये तो उसका लाइसेंस केन्सल नहीं किया जाय, उसका चालान नहीं किया जाये? वे भी जानते हैं, नमूने ले भी लिये और नमूने सब स्टैन्डर्ड हुए तो भी चालान नहीं होंगे इसलिये वे लोग निश्चिंत हैं। बी. एच. सी. अशुद्ध, सल्फर अशुद्ध, और तो और क्रय विक्रय संघ से विभाग ने जो मैलाथिन लिया है वह सब स्टैन्डर्ड है, 50 प्रतिशत के बजाय 4: प्रतिशत आ रहा है। यह औषधियां दुकानों पर जा रही हैं जहां से किसान खरीदता है। उनको अशुद्ध औषधियां मिल रही हैं और उसका फल फसल पर दिख रहा है। राजस्थान का प्रोडक्शन नहीं बढ़ने का कारण यही है कि कोई भी कृषि आधार शुद्ध रूप में नहीं मिल रहा है। जिंक फास्फेट पिछली बार आया था, लोगों ने मंजन किया। मैंने कई बार विधान सभा में प्रश्न किया जिंक फास्फेट से लोग मंजन कर रहे हैं। यह दुर्गापुरा लेबोरेटरी में टैस्ट क्यों नहीं करवाया, इण्डस्ट्रियल लेबोरेटरी में क्यों टैस्ट करवाया और क्या इन्क्वायरी की? आपने पहले विश्वास दिलाया था कि आप जो कह रहे हैं मैं इसकी जांच कराऊंगा। क्या आपने जांच कराई? किससे खरीदी? किसने फाड किया? कौन कौन जिंक फास्फेट खरीदने में पैसा खा गये? आप जांच नहीं कर सकते इसके पीछे भी कई रहस्य हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इनसैक्टीसाइड की जो स्थिति है वह आप देखें।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

.. भू सर्वेक्षण का एक जोइंट डाइरेक्टर बैठा हुआ है। राजस्थान में जो यूनिट दुर्गापुरा में काम कर रही है उसने कभी भू सर्वेक्षण किया है ? क्या आपके पास पिछले चार साल की कोई रिपोर्ट है ? क्या यह पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है ? यदि जमीन का सर्वेक्षण नहीं हो तो जमीन की क्या स्थिति हो रही है, इसका आप अनुमान लगायें। कोटा में पी. एच. वैल्यू जमीन की 9 पहुँच गई है, क्या डिपार्टमेन्ट के पास रिपोर्ट आई है ? अगर आई है तो डिपार्टमेंट उसमें क्या एक्शन ले रहा है ? क्या जिप्सम, जो राजस्थान में पैदा होता है, यहां से पंजाब और उत्तर प्रदेश जा रहा है और नार्मिनल प्राइस पर, सब्सिडाइज्ड रेट पर इसका उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान में जहां-जहां जमीन खराब होती जा रही है वहां जिप्सम का उपयोग नहीं हो सकता और सरकार सब्सिडी नहीं दे सकती। आपके भू सर्वेक्षण का यह परिणाम है, यह कितने एक्टिव हैं उसका एक नमूना है। टौंक में बाढ़ आई, भू सर्वेक्षण पार्टी 15 दिन में एक लाख हैक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण कर आई। क्या यह प्रेक्टिकल है ? लेकिन फर्जी काम करके एक वर्ष का काम पूरा हो गया। तो भू-संरक्षण का काम भी हमारे यहां फर्जी चल रहा है। पेस्टीसाइड्स नकली मिल रहे हैं इस आधार पर उपज पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उस का प्रभाव किसान पर पड़ता है। कोटा पर तो मन्त्री महोदय की विशेष कृपा है। राइजोरिया कल्चर की एक लेबोरेटरी कोटा के नाम पर सेंक्शन्ड है, चल रही है यहां दुर्गापुरा में। एक मिट्टी परीक्षणशाला कोटा में सेंक्शन्ड है, चल रही है जयपुर में। तो कोटा पर विशेष कृपा क्यों है ? जब कोटा के लिए दो लेबोरेटरी सेंक्शन्ड हैं तो वह दुर्गापुरा में क्यों चल रही हैं ? क्योंकि आपके अधिकारी यहां से जाना नहीं चाहते, इस कारण जो लेबोरेटरी कोटा के नाम पर सेंक्शन्ड है उसको भी आप केवल दुर्गापुरा में ही रखना चाहते हैं। सभापति महोदय, इन्सेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड्स की स्थिति तो आपने देख ली। अब मैं बीजों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सीड कार्पोरेशन ने जितना बीज खरीदा उसमें से कितना प्रतिशत बीज स्टैन्डर्ड का था ? 20 लाख का बाजरा खरीदा, आज बाजरे को बाजार में बेचने की स्थिति आ गयी। सीड कार्पोरेशन की क्षमता का नमूना तो इसी से लगाया जा सकता है कि सीड कार्पोरेशन आज तक संकर ज्वार और संकर बाजरे का बीज उत्पन्न करने में अक्षम रहा है और अक्षमता के पीछे भी एक चाल है। वह यह है कि यहां पैदा होगा तो अधिकारियों को कम मिलेगा इसलिए बाहर से खरीदा जायेगा जहां से कमीशन मिलता है। संकर ज्वार आज बाहर से खरीदी जा रही है, संकर बाजरा बाहर से खरीदा जा रहा है। जब मैंने पिछली बार आपत्ति की थी तो मन्त्री महोदय ने एक इन्क्वायरी कमीशन बैठा दिया। क्या आयी इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ? आप सदन के सामने तो रखते। मैं जानता हूं कि इन्क्वायरी रिपोर्ट में एक आई. ए. एस. दूसरे आई. ए. एस. के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दे सकता लेकिन मैं यह

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

दावे से कह सकता हूं कि रिपोर्ट में यह निश्चित होगा कि जो ज्वार आयी है उसमें से 90 प्रतिशत ज्वार सब स्टैण्डर्ड है। इसमें एग्रीकल्चर सैक्रेटरी ने पैसा खाया है 34 पर्सेन्ट ज्वार, सभापति महोदय, 80 पर्सेन्ट में बीज 34 पर्सेन्ट अमायना शक्ति वाली ज्वार किसानों ने खेतों में बोयी जिससे उनके खेत पड़त रह गये, उनका उत्पादन नहीं हुआ, उनका खाद बीज सब व्यर्थ गया। लेकिन जो सारी सब स्टैण्डर्ड ज्वार आ गयी, उसके लिए लायबिलिटी किसी पर नहीं डाली। यह स्वीकार करते हैं कि यह बीज खराब आ गया। तो बीज खराब आने के लिए कौन जिम्मेदार है ? यह जो 20 लाख का बाजरा और 20 लाख की ज्वार सब स्टैण्डर्ड राजस्थान में आया, जिन अधिकारियों ने राजस्थान के किसानों के साथ फ्राड किया है उन अधिकारियों में से किसके खिलाफ आपने आज दिन तक एक्शन लिया? मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने बीजों के सैम्पल लिये और कितने सब स्टैन्डर्ड सैम्पल सिद्ध हुए ? क्या उन सब स्टैण्डर्ड सैम्पल्स के आधार पर आपने एक भी व्यक्ति, जिसका सैम्पल लिया, का चालान किया ? इन्सैक्टीसाइड्स का सैम्पल जिनका था उनका चालान नहीं, बीज जिसका सब स्टैण्डर्ड है उस का चालान नहीं तो काहे के लिए यह प्रयोगशालाएं हैं, काहे के लिए बीज इन्सपेक्टर और इन्सैक्टीसाइड्स इन्सपेक्टर्स बना रखे हैं ? बण्ड की बीमारी आ रही है। सभापति महोदय, पंजाब का बण्ड गंगानगर में आ गया है। पंजाब से गेहूं खरीद कर लाया जा रहा है बीज के नाम पर, बण्ड का परीक्षण नहीं किया जा रहा है। यदि पंजाब और हरियाणा का बण्ड राजस्थान में आ गया तो गेहूं की फसल चौपट कर देगा। लेकिन विभाग इस ओर निष्क्रिय है। इस बार भी 3 सालों से मैं लगातार सब स्टैण्डर्ड बीज की बात कर रहा हूं, दुर्भाग्य से मैंने संकर ज्वार का बीज लिया वह भी सब स्टैण्डर्ड सिद्ध हुआ, मेरा खेत बेकार हो गया। सभापति महोदय, जब मैंने सीड कार्पोरेशन को कहा जाकर तो सीड कार्पोरेशन वाले बोले, नहीं नहीं यह स्टैण्डर्ड है। मैंने कहा, मैं सैम्पल लेकर भेजूंगा। सैम्पल लेकर भेजा तो सब-स्टैण्डर्ड है। मेरे जैसे कई किसान हैं, पूरे शाहपुरा गांव में बीज नहीं उगा उस लाट का। तो जो भी संकर ज्वार का बीज खराब आ रहा है, संकर बाजरे का बीज खराब आ रहा है, जिस सीड कार्पोरेशन की स्थापना केवल इसलिए की गयी थी कि यह प्रदेश के किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध करायेगा, वह अमायना बीज उपलब्ध करा रहा है और सब-स्टैण्डर्ड उपलब्ध करा रहा है। बीज वही खराब आ रहा है जो बाहर से मंगाया जा रहा है क्योंकि उसमें कमीशन इन्वाल्व है। कितने पर्सेन्ट कमीशन कौन देगा, इस आधार पर बीज खरीदा जाता है। इसलिए शुद्ध बीज नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, सभापति महोदय, क्योंकि बीज वाला यह जानता है कि हमारा सैम्पल लेने के बाद भी हमारा चालान नहीं होगा। इस बात से निश्चिन्त है। अधिकारी मिले हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल से लेकर सब अधिकारी मिले हुए

(192)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

हैं। इसलिए किसी का चालान नहीं होता, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है सरसों का बीज सब स्टैण्डर्ड, ज्वार का बीज सब स्टैण्डर्ड, बाजरे का बीज सब स्टैण्डर्ड, कपास का बीज सब स्टैण्डर्ड तो क्या इस सीड कार्पोरेशन को सब स्टैण्डर्ड बीज देने के लिए ही स्थापित किया गया था ?

श्री देवेन्द्र सिंह : किस साल की बात कर रहे हैं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं इस साल की बात कर रहा हूं कि मैंने इस साल....

श्री देवेन्द्र सिंह : कपास का बीज सब स्टैण्डर्ड है, ऐसी एक शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यह बात आप गये साल भी कह रहे थे जिसकी हम इन्क्वायरी करा चुके। यह आप दूसरी दफा कर रहे हैं। यह इस हाउस में इसी तरह कह रहे हैं ..

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपको अपने विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपके विभाग में,....

श्री देवेन्द्र सिंह : आप अपनी जानकारी की बात करो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : तो मैं चेलेन्ज करता हूं कि इस साल ज्वार का बीज सब स्टैण्डर्ड है। आप बोलिये, आप इस्तीफा देंगे या मैं इस्तीफा दूंगा।

श्री देवेन्द्र सिंह : अरे इस्तीफा तो आज तक किसी ने नहीं दिया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप कहिये। मैं चेलेन्ज देता हूं आपको कि इस बार ज्वार का बीज सब स्टैण्डर्ड था। आप चेलेन्ज स्वीकार करते हैं ? आपमें हिम्मत नहीं है कि आप चेलेन्ज स्वीकार कर सकें।

श्री देवेन्द्र सिंह : आपने इस साल सब स्टैण्डर्ड बीज की रिपोर्ट दी हो तो आप बता दीजिए। भाषण देने से काम नहीं चलता। जवाब दीजिए इस बात का कि आपने इस साल सब स्टैण्डर्ड ज्वार की शिकायत की और विभाग ने इस बात की कोई इन्क्वायरी की।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : किसको करता मैं सब स्टैण्डर्ड बीज की शिकायत ?

श्री देवेन्द्र सिंह : विभाग को। जो आपको बीज देगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैंने सीड कार्पोरेशन को शिकायत की। सीड कार्पोरेशन....

श्री देवेन्द्र सिंह : इस साल के ज्वार के सीड की बात कर रहे हैं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं इस साल के सीड की बात कर रहा हूं। इस साल के

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सीड की शिकायत मैंने सीड कार्पोरेशन को की। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने और सीड कार्पोरेशन के एम. डी. ने यह स्वीकार किया कि सब स्टैण्डर्ड है। और किसको करता, वतलाइये ?

श्री सभापति : कृपया आसन को सम्बोधित करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं तो वह कह रहा हूं जिसकी बात कर रहे हैं। तो बीज सब स्टैण्डर्ड, इन्सैक्टीसाइड्स सब स्टैण्डर्ड आ रहे हैं। यह जो स्थिति है, इन हालात में क्या आप यह उम्मीद करते हैं, सभापति महोदय, किसान की उपज बढ़ेगी ? मैं आपको लेबोरेटरी के कुछ नमूने बताता हूं। झालावाड़ के डी. ओ. ने एक गलती की कि सिंगल सुपरफोस्फेट के सैम्पल लेकर दुर्गापुरा लैबोरेटरी भेज दिये, दो दो सैम्पल लिये और बाकी फरीदाबाद भेजे जो सैन्ट्रल लैबोरेटरी है, दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि जो 25 नमूने थे 25 नमूनों में से फरीदाबाद की लैबोरेट्री ने 15 नमूने अमायना किये हैं, दुर्गापुरा लैबोरेट्री ने 25 में से 5 अमायना किये हैं और 5 में भी यह लिखा है कि इसमें चालान योग्य एक भी नहीं है, और फरीदाबाद ने लिखा है कि 25 में से 15 चालान करने योग्य हैं। यह इनकी फर्टिलाइजर की लैबोरटरी के नमूने हैं। यह लैबोरेटरी जब तक इण्डिपेन्डेन्ट नहीं होगी, जब तक इसमें गलत लोग रहेंगे तब तक यह रिजल्ट रहेगा। आज उस झालावाड़ के डी. ओ. से जवाब-तलब किया जा रहा है कि उसने फरीदाबाद नमूने क्यों भेज दिये। क्योंकि वह नमूने सैन्ट्रल लैबोरेटरी में गये थे। सैन्ट्रल लैबोरेटरी और स्टेट लैबोरेटरी के नमूनों में जो अन्तर आया वह मैंने आपको बताया कि लैबोरेटरी की स्थिति भी हमारे यहां क्या है। यह जो सब स्टैण्डर्ड आ रहे हैं यह तो मजबूरी में आ रहे हैं बाकी कितने सब स्टैण्डर्ड को स्टैण्डर्ड बना रही होगी यह लैबोरेटरी, उसका एक नमूना मैंने फरीदाबाद का आपके सामने रखा। फरीदाबाद की क्या स्थिति है। अब मैं फर्टिलाइजर के बारे में बताता हूं आपको, फर्टिलाइजर में क्या हो रहा है। सभापति महोदय, फर्टिलाइजर बनाने, सिंगल सुपरफास्फेट बनाने की यहां कई फैक्ट्रियां चल रही हैं और सारी फ्राड हैं। पिछले अनेक वर्षों में उनके सैम्पल्स सब स्टैण्डर्ड सिद्ध हो रहे हैं लेकिन विभाग की कृपा से वह चल रही हैं। सभापति महोदय, सिंगल सुपरफास्फेट में 200 रुपये टन सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सब्सिडी मिलती है तो सिंगल सुपरफास्फेट की यहां कई फैक्ट्रियां खुल गयीं। सिंगल सुपरफास्फेट के लिए जब दिल्ली में मीटिंग होती है तो कृषि अधिकारी जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स जाते हैं वहां कोटा अलाट होता है और जो कोटा अलाट होता है उसमें 200 रुपये प्रति—

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री चन्दनमल बैद (राजस्थान नहर परियोजना मंत्री) : जरा समय बढ़ा दीजिए जब तक मांगें पारित हो जायें।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से जब तक कि आज की मांगें पारित न हों तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, तो अनुदान को लेने के चक्कर में कई लोगों ने फैक्ट्रियां लगा दीं। उदयपुर में जितनी फैक्ट्रियां हैं सब हैबिचुअल लोगों की है। एक बार फैक्ट्री का सैम्पल पकड़ा जाय, लाइसेंस कैन्सल हो जाय तो दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री का लाइन्सेस कैन्सल हो जाय तो तीसरी फैक्ट्री, तीसरी हो जाय तो चौथी फैक्ट्री। उदयपुर कैमिकल्स ने पहले हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : बोलिये। संक्षेप में बोलिये।

एक माननीय सदस्य : अभी तो शुरू हुए हैं।

श्री सभापति : नहीं शुरू हुए तो 20 मिनट हो गये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कृषि खाद्यान्न की जो राजस्थान में स्थिति है उसका वर्णन कर रहा हूं। उस आधार पर मैं सारे रिकार्ड से यह सिद्ध कर रहा हूं आपको कि हिन्दुस्तान ट्रेडर्स, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स बनी, वह बन्द हो गयी उदयपुर कैमिकल्स हो गयी, उदयपुर कैमिकल्स जब बन्द हुई तो राजस्थान फर्टिलाइजर्स हो गयी····

(5.00 म. प.)

इन सज्जन के जितने नमूने सब-स्टैण्डर्ड थे, टैस्ट हो गए हैं। उस सब-स्टैण्डर्ड फास्फेट पर दो सौ रुपया टन सब्सिडी सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से खा जाते हैं। जहां 16 पर्सेन्ट पी एल 2-5 चाहिए, फास्फेट चाहिए वहां 16 पर्सेंट की जगह दो पर्सेंट, तीन पर्सेंट है। कितना पैसा कमा रहे हैं? सब्सिडी अलग लाखों रुपयों की और 16 पर्सेंट की जगह दो पर्सेंट-तीन पर्सेंट जिनका पी-2-3 का रिजल्ट आ रहा है ऐसी फैक्ट्रीज हमारे यहां चल रही हैं। यही फास्फेट इण्डिया के नाम से लाइसेन्स लेने के लिए मन्त्रीजी के पीछे पीछे फिर रहा है। मंत्रीजी के पी. ए. को अपनी कार में बैठा कर दिल्ली में ले गया है ताकि उसको कोटा अलाट हो जावे।

यह एक फैक्ट्री ही नहीं है दूसरी फैक्ट्री है लिबटो पेस्टीसाइड के रिजल्ट भी यही आए हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के डायरेक्टर ने इनके सैम्पल लिये हैं और इन सैम्पल के रिजल्ट दो पर्सेंट से चार पर्सेंट तक रहे हैं, सभापति महोदय। इन फैक्ट्रियों के लाइसेंस कैंसल कर दिये गये। कैंसल करने के बाद यहां से टेलीग्राम और पत्र जा रहे हैं वहां कि इनका कोटा अलाट कर दिया जावे। जब कि इनकी मीटिंग हुई थी मार्च में और मार्च की मीटिंग में इन फैक्ट्रियों को कोटा अलाट करने के लिए मना कर दिया गया था लेकिन आज चूंकि वह

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

अप्रोच वाले हैं, वह कहते हैं कि हम तो थैला साथ लेकर जाते हैं और जिससे चाहते हैं उससे काम करवा कर आते हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने मना कर दिया, लिख कर दे दिया, टेलीग्राम कर दिया कि इनके लिए कोटा अलाट नहीं हो लेकिन मंत्रीजी अपने पी. ए. को. भेज रहे हैं यह कहने के लिए कि इनको कोटा अलाट किया जावे। टेलीग्राम दिये जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं। ऐसी एक नहीं तीन फैक्ट्रियां हैं। मधुबाला फैक्ट्री, जिसके सैकड़ों बैग सीज कर लिए गये हैं, मध्य प्रदेश में फ्राड कर रही है। मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ एफ. आई. आर. लाज हो गई, उत्तर प्रदेश में लाज हो गई लेकिन वह राजस्थान में फल फूल रही है मधुबाला, यह मधुबाला, यह उदयपुर केमिकल, यह लिबर्टी पेस्टीसाइड, इन सब की स्थिति यही हो रही है। आज इनके सब माल तीन पर्सेंट, चार पर्सेन्ट पर आ रहे हैं, और इनको लाइसेन्स देने का षडयन्त्र किया जा रहा है पैसे के बल पर। दो दो लाख रुपया, चार चार लाख रुपया इनको अनुदान मिल जाता है। यह अनुदान, यह पैसा कौन खा रहा है. मैं पूछना चाह रहा हूं। कौन यह किसानों के साथ फ्राड कर रहा है? उनको बीज ठीक नहीं मिलता, पेस्टीसाइड ठीक नहीं मिलता और फर्टिलाइजर 16 पर्सेंट की जगह चार पर्सेंट मिल रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन यह हो रहा है। एक साल से नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि यह फैक्ट्रियां हैबिचुअल है, सब-स्टैण्डर्ड माल बनाने के लिए हैबिचुअल हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इनके लाइसेंस रिन्यू किए जा रहे हैं। सभापति महोदय, अभी इन्होंने क्या किया? यह माल जो सब स्टैण्डर्ड हो गया, इस सब–स्टैण्डर्ड माल को बैग में भर कर उन पर लिख दिया नान-फर्टिलाइजर, आरगेनिक मैन्योर और उतनी ही कीमत पर सुपर फास्फेट के नाम से बेच रहे है केवल इसलिए कि यह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में नहीं पकड़े जायें इसलिए नॉन-फर्टिलाइजर आरगेनिक मैन्योर लिख दिया। ऐसे बारह हजार कट्टे पकड़े गये हैं। यह राजस्थान में हो रहा है। सारे सैम्पल फैल हो गये और मंत्रीजी इनको बचाने के लिए ऐसा कर रहे है। इन फैक्ट्रियों का माल भरतपुर में जब सब-स्टैण्डर्ड पाया तो एफ. आई. आर. लॉज करा दी गई लेकिन दौसा के डी. ओ. ने जब पकड़ा तो मंत्रीजी का टेलीफोन गया कि इनके खिलाफ एफ. आई. आर. मत लिखाइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस तरह से आरोप नहीं लगायें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह आरोप नहीं है। मैं सही कर रहा हूं। आरोप तो लगेंगे। आरोप कैसे नहीं लगेंगे जब पैसा खायेंगे।

दौसा के डी. ओ. ने एफ. आई आर. लॉज नहीं कराई, मान्यवर, जिसकी रिपोर्ट है। जो जयन्ती कैमिकल्स है, यह जयन्ती कैमिकल्स उदयपुर कैमिकल का मैन-डिस्ट्री-

(196)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

ब्यूटर है। इस मैन डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे कृषि विभाग ने माल सब-स्टैण्डर्ड होने के बाद भी तीन साल का अनुदान दिला दिया। तो यह फैक्ट्रियां फल-फूल रही हैं हमारे कृषि विभाग के मंत्रीजी और अधिकारियों की कृपा के कारण। इसके कारण किसानों को काफी क्षति हो रही है।

मान्यवर, मैंने फर्टिलाइजर के बारे में बताया कि क्या स्थिति है। एक जीवन फर्टिलाइजर है कोटा में। डायरेक्टर क्वालिटी कण्ट्रोल ने दिल्ली में सुना कि जीवन फर्टिलाइजर खराब माल बना रहा है, वह खुद आये और उन्होंने सैम्पल लेने की कोशिश की। उसको बताया गया 12-32-16 का फर्टिलाइजर बनाते हैं। 12-32-16 का इफको का खाद आता है। तो कोशिश यह की गई कि डायरेक्टर उन बैग्स का सैम्पल लें। उन्होंने इनका सैम्पल ले लिया। फैक्ट्री के अन्दर जाकर सैम्पल लिया था उसका नतीजा आया 12-4-4 नाइट्रोजन का तुरन्त असर होता है, पौधा उगते ही लगता है कि फसल अच्छी है लेकिन पोटाश और फास्फेट का 4-4 का रिजल्ट रहा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि दिल्ली से डायरेक्टर आकर हमारे सैम्पल ले जाते हैं जो सब-स्टैण्डर्ड होते हैं किन्तु राजस्थान के अधिकारी इस सैम्पल को नहीं ले पाते। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये किन की कृपा से फल फूल रही हैं। मान्यवर, जिस डिपार्टमेन्ट की यह हालत हो वह किसानों का क्या कोई भला कर पायेगा? यह ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं रहा। कारण यह है कि यह जो सैम्पल लेने में गड़बड़ होती है इसमें केवल नीचे के लोग ही नहीं होते ऊपर तक के लोग मिले होते हैं। अब तो यह स्थिति हो गई है कि डिपार्टमेन्ट में जो भर्ती होती है उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया है। सभापति महोदय, आपको पता होगा, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की जो नियुक्तियां जयपुर में होनी थीं, कितने दिन तक हुई थी? कितनी लिस्ट निकली, कितने लोगों को अपाइन्टमेन्ट दिया गया? एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स में से एक आदमी परमानेन्ट था वह था एम. डी. शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और जोइन्ट डायरेक्टर बदले जाते थे। रैनाजी और इन्द्रजीतसिंह को टेम्प्रेरिली लगाया जाता था। डायरेक्टर था एग्रीकल्चर सैक्रेटरी उस समय। उस समय जो लोगों के इण्टरव्यू हुए, जो ओरिजिनल लिस्ट थी वह ओरिजिनल लिस्ट एक तरफ डाल दी गई, फाइनल लिस्ट अलग से बनी। इसमें आठ-आठ हजार रुपये एक-एक आदमी से लिये हैं। चालीस लाख रुपया इनसे लिया। सभापति महोदय, जिसने पैसे दिए उनको अपाइन्टमेंट दे दिया गया। वह ओरिजिनल लिस्ट धरी की धरी रह गई। दुर्भाग्य से डायरेक्टर आ गये यहां, उन्होंने वह लिस्ट पकड़ ली और उस पर रिमार्क लगाया कि इस आदमी, जिसने चालीस लाख का फ्राड किया है, का प्रोसीक्यूशन किया जावे। यह फाइल आज राज्य मंत्री की अल्मारी में बन्द है। उस आदमी के खिलाफ प्रोसीक्यूशन नहीं होने

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

देते हैं क्योंकि चालीस लाख रुपया उसमें आया है इनके पास....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस तरह के आरोप नहीं लगायें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आरोप नहीं प्रमाण दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बिना नोटिस के आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, जिस विभाग का डायरेक्टर इस बात से कन्विन्स हो कि अपाइमेन्ट में फ्राड हुआ है, जिस डिपार्टमेंट को डायरेक्टर यह नोट लगाता हो कि इसका प्रोसीक्यूशन किया जावे और फिर प्रोसीक्यूशन नहीं होता है तो क्या इसके पीछे मैलाफाइडी इटेंशन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि डायरेक्टर, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सैक्रेटरी शिड्यूल्ड कास्ट का था, इन पांच सौ लोगों में से कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग लिये गये? क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग आठ हजार रुपया नहीं दे सकते थे इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग इसमें नहीं आये। खेतसिंहजी, आप क्या देख रहे हो? आप कह नहीं सकते हो?

इसी प्रकार से मण्डी कमेटी के यह जो पर्यवेक्षक लिए गये हैं उनसे 18-18 हजार रुपये लिये गये। वहां इतना बावेला मच चुका था कि सेंटर को सी. बी. आई. की इंक्वायरी आ गई इसलिये यह फाइल आज वैसी की वैसी पड़ी है, किसी को अपाइन्टमेन्ट नहीं मिला। पता नहीं उनके पैसे का क्या हुआ? सभापति महोदय, इण्टरव्यू में एक आदमी दो सौ रुपये खर्च करके आता है राजस्थान के कोने-कोने से, उसके जो ओरिजिनल लिस्ट में मार्क लिखे हुए हैं वह लिस्ट गायब हो जावे, फाइनल लिस्ट दूसरी बने, इसके पीछे मैलाफाइडी इंटेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा? यह पैसे की मार है जिसने इतने लोगों के साथ अन्याय किया है। लिस्ट में सारी हेराफेरी करके ओवर राइटिंग की गई है। कृषि पर्यवेक्षक और मण्डी कमेटी में जितने अपाइन्टमेन्ट हुए उनकी यह स्थिति है। आज एक्स. ई-एन. की क्या स्थिति है?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आज एक्स-ईएन की क्या स्थिति है? मण्डी कमेटी के जितने एक्स. ईएन हैं, सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरी पार्टी का समय दे दें।

श्री सभापति : और भी माननीय सदस्यों को बोलना है, कृपया संक्षेप में।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, इस विभाग में भी मतभेद हो गया। दो ग्रुप हो

[redacted]

(198)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

गये एक मन्त्रीजी और सैक्रेटरी का और दूसरा स्पेशल सैक्रेटरी और डायरेक्टर का। गड़बड़ करानी हो तो एग्रीकल्चर सैक्रेटरी के पास जाओ, मंत्रीजी के पास जाओ। उसका नतीजा यहां तक पहुँच गया है कि विभाग का कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि कृषि विपणन बोर्ड की यूनियन को कृषि सचिव दावत दे रहे हैं और उसके बदले यूनियन उनको दावत दे रही है। कृषि सचिव उनसे कहते हैं कि तुम हड़ताल करो। हड़ताल होती है। कृषि सचिव कर्मचारियों से हड़ताल करवायेंगे उस विभाग का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसका प्रमाण यह है कि सी. आई. डी. ने रिपोर्ट की है कि यह हड़ताल कृषि सचिव ने करवाई।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. से एस. ई. को बुलाया गया। बिना किसी से पूछताछ के पत्र लिख दिया और एस. ई. आ गया। आज वह एस. ई. एक्स. ईएन. की बोली लगा रहे हैं। नदबई की कृषि उपज मण्डी की बिल्डिंग बनने के बाद गिरने को तैयार हो रही है। गवर्नर जा रहे थे उद्‌घाटन करने लेकिन लोगों ने कहा कि आप जाओगे तो आपके ऊपर गिर पड़ेगी। गवर्नर नहीं गये और आज तक बिना उद्‌घाटन वह बिल्डिंग पड़ी है। मण्डी की बिल्डिंग गिरने वाली है। मैं पूछता हूं, किसी अधिकारी के खिलाफ आपने आज तक एक्शन लिया? आप एस. ई. को लाये थे। क्योंकि एक्स. ईएन. से उनका मंथली बन्धा हुआ है। उस एक्स. ईएन. के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि उसका हैड क्वार्टर जयपुर है। आज अलवर, कोटा, जितने एक्स. ईएन. हैं उनका मन्थली बन्धा हुआ है। जिस महीने पैसा नहीं आता उसी महीने ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जहां इस प्रकार की स्थिति आ जाये तो वहां पर क्या होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक अचलसिंह नामक सज्जन डिप्टी डायरेक्टर है, सोइल कंजरवेशन के।

श्री सभापति : कृपया नाम न लें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : डिप्टी डायरेक्टर है। अब इतना नाम तो लेना पड़ेगा, साहब। आप कहेंगे, मंत्रीजी का चाहे मत लें।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : थोड़ा यह क्लियर और कर दो कि अगर गवर्नर साहब उद्‌घाटन करने नहीं जायेंगे तो गिरेगी नहीं। फिर तो यह गवर्नर साहब का इन्तजार कर रही है गिरने का।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वह इसलिये नहीं गये, शर्माजी, कि वह उनके ऊपर गिर जाती। इसलिये नहीं गये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। आर्डर प्लीज, कृपया विराजे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मान्यवर, यह जो डिप्टी डायरेक्टर, सोइल कंजरवेशन थे उन्होंने जोधपुर में रह कर एक काम जरूर किया कि माननीय खेतसिहजी की कांस्टीट्यूएंसी शेरगढ़ में 50 लाख का काम करा दिया। इसके अलावा जो काम किये वह तो देखने सुनने लायक हैं। 30 लाख की सीमेंट और उसको ढोने का ठेका बिना टेण्डर काल किये एक पार्टी को दे दिया। 6 लाख की सीमेन्ट आज दिन तक नहीं आई। उसके घोटाले की शिकायत हुई तो एक अकाउटेन्ट का भेजा गया, उस एकाउटेंट ने चार्ज लगाया कि उन्होंने कई लाख का घोटाला किया है। उनका प्रमोशन हो गया और वहां गोपाल सिंह डिप्टी डायरेक्टर चले गये। उन्होंने वहां जांच करनी शुरू की तो नतीजा यह हुआ कि 50 हजार इस बात के दिये गये कि गोपालसिंह को सस्पेण्ड कर दो। गोपाल सिंह को एक फर्जी चार्ज शीट दी गई। जब यह बात चीफ सैक्रेटरी की जानकारी में आई तो उन्होंने फाइल मंगाई और उनका सस्पेंशन रोक दिया वरना 50 हजार में एक डिप्टी डायरेक्टर सस्पेण्ड हो रहा था। यह स्थिति आज इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बनी हुई है। डी. ई. ओज. की फाइल देखिये आप, मेरे यहां एक डी. ई. ओ. ने नकली बीज बेचा। सीड कार्पोरेशन के बैग में अपने खेत का गेहूं भर कर बेच दिया। हमने शिकायत की चंबल कमिश्नर को। उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद, सभापति महोदय, ए. ई. ओ. और ग्राम सेवक को सस्पेण्ड कर दिया। डी. ई. ओ. को सस्पेण्ड करने के लिए एग्रीकल्चर सैक्रेटरी को लिखा लेकिन उन्होंने आज तक कोई फाइल वहां नहीं जाने दी। उस डी. ई. ओ. से भारी रकम मिली। वह फाइल आज भी यहां पड़ी हुई है। जिस डी. ई. ओ. ने स्वयं आगे होकर नकली बीज बेचा हो उस डी. ई. ओ. की फाइल पड़ी हुई है। ट्रांसफर तो तब होंगे जब बोली लगायेंगे। जिस विभाग में बोली लगा कर ट्रांसफर होते हों, जिस विभाग में षड्यंत्रपूर्वक नकली बीज, नकली खाद, और नकली पेस्टीसाइड्स बिकवाने का षड्यंत्र होता हो, फर्जी फैक्ट्रियां पैसे लेकर चलाई जा रही हों वहां और क्या स्थिति हो सकती है। इसलिये उस विभाग का सारा कुण्डा जब माननीय कृषि मंत्रीजी आये हैं तब से हुआ है।

अब और नई बात सुनिये, झोटवाड़ा में जो लोहे का सामान पड़ा है वह नीलाम होने जा रहा है। बड़ी वेल्यूएबल मशीनें हैं और उन मशीनों को, सभापति महोदय, लोहे के भाव बेचा जा रहा है बिना फिजीकल वेरीफिकेशन के। स्टोर में कितना सामान था? क्या किसी का फिजीकल वेरीफिकेशन किया? जितना सामान था उसका दसवां हिस्सा भी वहां नहीं है। सारा सामान बेच दिया लेकिन आज उसे दबाने के लिये बिना फिजीकल वेरीफिकेशन के बेच रहे हैं। तो जहां इस प्रकार के डिसओनेस्ट अधिकारियों को प्रोटेक्शन देने वाली बात आती हो, वहां इस विभाग का कल्याण कैसे हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं, माननीय

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मंत्रीजी, आप में नैतिक साहस है तो क्या आप जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स का अपाइन्टमेन्ट हुआ है उसकी जाच करने को तैयार हैं ? पिछली बार जब आप मंत्री नहीं थे, कमलाजी मंत्री थी····

श्री सभापति : कृपया आसन को संबोधित करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तब उन्होंने ज्वार के सीड् की जांच कराने की घोषणा की थी। क्या आप में भी साहस है कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के अपाइन्टमेंट्स के मामले में जांच की घोषणा करेंगे ? मैं जानता हूं, नहीं करवा सकते क्योंकि 40 लाख का प्रश्न है। यह पैसा किन की जेब में गया, किन किन लोगों ने बैठ कर खाया, मन्त्रीजी ? उनके साथ जो कुछ अन्याय हुआ है, जो लोग दूर दूर से आये थे, 8 हजार रुपये नहीं दे सकते थे उन 8 हजार नहीं देने वालों को कोई अपाइन्टमेंट नहीं मिला। सभापति महोदय, यह इस विभाग का एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, आप बार बार घण्टी बजा रहे है लेकिन मैं चाहूंगा कुछ और तथ्य आपके सामने रखू।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री) : असत्य। × × × क्यों लगाते हो ? यानी 50 लाख का काम हो गया खेतसिंह की कांस्टीट्यूएंसी में ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो कितने लाख का हुआ, आप बता दीजिये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप चलिये मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे यहां पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। आप यहां ख्वाहमख्वाह कह रहे हैं। मेरे यहां तो फेमिन रिलीफ के वर्क खुले होंगे। न कोई काम हुआ है और न कोई बात है, आप यों ही × × × रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : खेतसिंहजी, 50 हजार रुपया आपकी मार्फत आया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पचास हजार अगर मेरी मार्फत आये तो फिर मैं सीनियर मिनिस्टर को क्यों दूंगा ? चार्ज तो लगाओ लेकिन लगाना सीखो। अभी तक ट्रेनिंग पूरी नहीं मिली है। बड़े साहब को खड़ा करो, यह कुछ बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ट्रेनिंग ठीक है, सब ट्रेण्ड हैं।

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : भाई, मैं गलत कह रहा हूं तो आप इन्क्वायरी कमीशन बैठा दो। आप में नैतिक साहस है क्या कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के मामले में जांच की घोषणा करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो कृपया आसन को संबोधित करिये।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब पशुपालन को नहीं लेंगे क्या ? कृषि ही कृषि पर लगे हुए हैं, थोड़ा पशुपालन पर भी आइये।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप तो ऐसा करें कि कृषि मन्त्री की जो प्रोपर्टी है उसकी जांच करवा लीजिये। तीन साल पहले सहकारिता विभाग के कर्ज में जिस आदमी की कुर्की हो रही थी, जिसके इश्तिहार भीलवाड़ा के बाजारों में चिपक रहे थे वह आज एक करोड़ की मिल लगाने के लिये लाइसेंस मांग रहा है, उसकी आज 5-5 मशीनें बेनामी चल रही हैं, क्या आप इन्क्वायरी करायेंगे इस बात की ? आप नहीं करा सकते। सभापति महोदय, इनकम के कई सोर्सेज हैं। कई डी. ई. ओज से मन्थली मांगा जाता है। वह फर्टिलाइजर वालों को पकड़ते हैं, जबरदस्ती बिना किसी काम के पैसा मांगते हैं। यह जो गवर्नमेन्ट की एजेन्सी आई.पी.सी.एल. है उसके मैनेजर से पांच हजार मांगे, उसने डायरेक्टर को पत्र लिखा कि मुझसे इस टोंक के डी.ई.ओ. ने पैसे मांगे। वह मन्त्री जी से मिल कर गया और मन्त्रीजी की नालेज में डाल कर गया कि डी.ई.ओ. ने पैसे मांगे। मैंने डी.ई.ओ. से पूछा, जब टोंक गया था परसों कि तुम क्यों मांगते हो ? तो बोले, मन्थली देना पड़ता है। इसलिये इस विभाग में जहां डी.ई.ओ. की स्थिति यह हो, उस विभाग में ईमानदारी से काम नहीं हो सकता। वे कहते हैं पैसा देकर आये हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करूंगा, इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का सूत्रपात जब कृषि मन्त्री महोदय आये हैं तब से हुआ है। भयंकरतम, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पहुंच गया है। इस पर रोक लगानी चाहिये ताकि डिपार्टमेंट का कल्याण हो।

श्री सभापति : श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि और पशुपालन विभाग की मांग पर जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा

"किसान का खेत हरा तो सेठ का पेट भरा,
किसान का खेत सूखा तो सेठ का पेट भूखा।"

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसान खेती करता है वह सारी की सारी प्रकृति पर आधारित है। इसके लिये हमारे मन्त्रीजी या डायरेक्टर या सैक्रेटरी साहब

(श्री महादेव सिंह)

क्या करते हैं और क्या नहीं, यह तो आप जानते हैं क्योंकि मेरे से आप सब लोग ज्यादा समझदार हैं, योग्य हैं, आप लोगों ने सुझाव दिये हैं। हर व्यापारी, हर दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है लेकिन काश्तकार एक ऐसा गरीब आदमी है जो अपनी वस्तु की कीमत तय नहीं करता है। उसका माल बाजार में आता है और व्यापारी लोग मुट्ठी में उछालते हैं और वह खुद गूंगे की तरह खड़ा रहता है, खुद अपनी कीमत नहीं बता सकता है और दूसरे लोग उसकी वस्तु की कीमत तय करते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था करवायी जाये जिससे काश्तकार जो फसल पैदा करता है उसकी कीमत वह खुद बता सके। आप सब लोग जानते हैं, दुकानदार जब दुकान बद करता है तो दुकान पर वह ताला लगा कर जाता है, चाहे दुकानदार का माल छोटा हो या बड़ा लेकिन किसान ही एक ऐसा मर्द है जो जो भी पैदा करता है वह राम भरोसे पड़ा रहता है। किसान की खेती जंगल में पड़ी रहती है चाहे कभी ओलावृष्टि हो जाये, चाहे कभी अतिवृष्टि हो जाये, चाहे चूहे खा जायें, चाहे दीमक लग जाये। सारा का सारा काश्तकार जो भी पैदा करता है वह भगवान भरोसे रहता है। इसके लिये आप लोग, सरकार, जो कुछ कर रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ऐसा उपाय करें।

साथ ही, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, काश्तकार कृषि के लिये जो खाद देता है, उस खाद पर टैक्स बढ़ाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाये और काश्तकारों को काश्त के लिये खाद सुविधापूर्वक और सस्ते दामों पर दिलाया जाये।

साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब ट्यूब वैल बनाया जाता है तो सीमेन्ट के लिये काश्तकार को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। काश्तकार को मैं चाहूंगा कि सीमेन्ट सस्ती दर पर दी जाये, बिजली सस्ती दर पर दी जाये। उसको बीज सस्ती दर पर दिया जाये और खाद भी सस्ती दर पर दिया जाये।

साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कृषि मन्त्री महोदय ने जितनी भी कृषि उपज मण्डियां बनायी हैं उनसे काश्तकारों को क्या फायदा होने वाला है, उस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। कृषि उपज मण्डियों की ओर से जो सड़कें बन रही हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी की तरफ से सड़क का निर्माण करवाया जाये जिससे काश्तकार लोग मण्डी तक आने जाने में ज्यादा दिक्कत महसूस न करें। कृषि मन्त्री ने जो मण्डियां बनायी हैं उनमें कुछ सड़कें बनायी हैं उसके लिये मैं बड़ा आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी लम्बी चौड़ी सड़कें बनायी हैं

(व्यवधान)

(श्री महादेव सिंह)

मैं कहीं दूर तो नहीं गया हूं, जयपुर से खण्डेला और खण्डेला से जयपुर जाता-आता हूं, बीच में श्रीमाधोपुर आता है वहां पर बहुत बढ़िया मण्डी है। सीकर में बहुत बढ़िया मण्डी बनी है, आपने भी देखी होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात शुरू रखिये। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री महादेव सिंह : पशुपालन की मांग पर पशुपालन मन्त्री महोदय को मैं सब से पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की है कि जिस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं, उस खण्डेला कस्बे में पैदा होने वाले सेठ श्री श्रीरामजी आज राजस्थान विधान सभा में पशुपालन और सहकारिता मन्त्री हैं। इससे ज्यादा खुशी मुझे और कोई हो ही नहीं सकती। उन्होंने मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में डिस्पेन्सरियां खोली है। इससे राजस्थान के हर पशुपालक को फायदा हुआ है और हर पशुपालक इनके आभारी हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र को आप अच्छी तरह से जानते हैं, वह पहाड़ी इलाका है, वहां पशुपालक ज्यादा हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगले सत्र में जब भी आप पशु चिकित्सालय खोलें तो वहां पर भी खुलवाने की कृपा करें।

मेरा एक सुझाव है। आपका जो पशुपालन विभाग है, तकनीकी विभाग है। इस पशुपालन विभाग में विभागाध्यक्ष आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को लगा रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पशुपालन विभाग, जो तकनीकी विभाग है, में किसी तकनीकी अधिकारी को विभागाध्यक्ष लगावें तो आपके विभाग की ज्यादा तरक्की होगी।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि विभाग में गत 6 साल से डी.पी.सी. की मीटिंग नहीं होने के कारण विभाग के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डी.पी.सी. की मीटिंग जल्दी ही करवाने की कृपा करें। इसके साथ ही जैसा मेरे सहयोगी कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री हरिसिंहजी ने कहा था, वही बात मैं रिपीट करना चाहता हूं। पशुपालन के जो अधिकारी हैं, पशुपालन विभाग के जो डाक्टर हैं, उनका वेतन भी मानव के डाक्टर के मुकाबले होना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि उनके बजाय पशुपालन विभाग के डाक्टरों को ज्यादा वेतन मिलना चाहिये क्योंकि जो मानव की चिकित्सा करते हैं वह डाक्टर पूछ लेते हैं कि तुम्हारे को क्या बीमारी है खांसी है या सर्दी लग गयी है या ज्यादा भूख लग गयी है या कहीं दर्द होता है। वह कम से कम बता तो देता है। लेकिन पशुओं के डाक्टर उस जानवर की चिकित्सा करते हैं जो बोलते नहीं हैं। दूसरा, आदमी की चिकित्सा करने में कोई नुकसान नहीं है। यदि कोई पागल हो तो उसको दो आदमी पकड़ लेंगे लेकिन किसी पशु के सुई लगाने के लिये डाक्टर जाता है

(श्री महादेव सिंह)

वह उसको मारने के लिये आता है तो उसको दस आदमी भी नहीं रोक सकते। इतना खतरा मोल लेकर वह डाक्टर वहां चिकित्सा के लिये जाता है इसलिये उसको वेतन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिये। यदि आप ऐसी सुविधा कर देंगे तो विभाग में डाक्टरों की कमी नहीं रहेगी और इस विभाग में जाने वाले आदमी अपने आप में इन्फीरियरिटी की भावना नहीं लायेंगे कि हमारे को कम वेतन मिलता है और दूसरों को ज्यादा मिलता है। यही कहते हुए मैं दोनों मन्त्रियों को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं और साथ में सभापति महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को समय दिया।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल आर्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन विभाग की मांगों पर मेरे कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित और विभाग से संबंधित कुछ सुझाव मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर, मैं समझता हूं, कृषि उत्पादन में गंगानगर के बाद दूसरा जिला है तो जालौर है। जालौर जिले के अन्दर जितनी क्रूड आयल की खपत है उसे देखें तो पूरा राजस्थान एक तरफ है और जालौर जिला दूसरी तरफ है। इतना अच्छा कृषि उत्पादन का जिला है प्राकृतिक दृष्टि से रेगिस्तान और राजस्थान की बड़ी बड़ी नदियां—जवाई नदी, खारी, बांडी नदी, सारी जालौर जिले में बहती हैं और वहां जाकर फैलती हैं। पूरा जिला अच्छा उत्पादन और उपज देता है। यह नदियां कृषि भूमि को नष्ट करती हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से भूमि का कटाव होता है। हमारे जिले में जो भू-संरक्षण विभाग था उसको वहां से हटा दिया गया। मैं बार बार मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाया, उनसे प्रार्थना भी की और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि यह विभाग आपके यहां ही रखा जायेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां से जो भू-संरक्षण विभाग हटाया गया है. जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इन सारे जिलों को मिला कर जोधपुर में आफिस रखा है। आप देखिये, इतने जिलों को, वैसे भी जोधपुर इतना बड़ा है कि न तो सम्भाल सकेगा और न ही फायदा होगा। यह विभाग हमारे जिले को मिल सके इसलिए मैंने निवेदन किया था। और कुछ नहीं तो बाड़मेर, जालौर और सिरोही इन तीनों को मिला कर आप जालौर के अन्दर उसकी पोस्ट कायम रखें। भू-संरक्षण विभाग ने गत दिनों गरीबों को बहुत अच्छा फायदा पहुँचाया है मेरे क्षेत्र के अन्दर। जालौर में बाढ़ से जो भूमि का कटाव होता है, इस विभाग ने वहां पर भू-संरक्षण के अन्तर्गत जो खडीन का कार्य किया है, उससे ज्यादा लाभ गरीबों को हुआ है विशेषकर, शिड्यूल्ड-कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को हुआ है। यह विभाग वहां से उठ जाने से हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। काश्तकार के मन में भी बहुत बड़ा असन्तोष है। मैं

(श्री मांगीलाल आर्य)

मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग के लिए, आज जब आप रिप्लाई दें, घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

इसके साथ ही मैं पशुपालन मन्त्रीजी को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता जिन्होंने मेरे क्षेत्र के अन्दर पशु चिकित्सालय खोला है। जालोर कृषि उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन के हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण जिला है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे वहां पर दो चिकित्सालय खुलने चाहिए। चूंकि मैं विशेष हकदार हूं, आपने एक हास्पिटल खोला, मुझे आशा है कि आप अगले साल इस काम की पूर्ति कर देंगे और माण्डवला के अन्दर दूसरा खोलेंगे। हमारे दानदाता अस्पताल बना कर देने को तैयार हैं। तो मैं आशा करता हूं कि 84-85 के बजट में आप इसको प्राथमिकता देंगे। चूंकि सरकार की यह नीति है—'पिछड़े को पहले', उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे क्षेत्र के अन्दर इस बजट 84-85 के अन्दर मांडवला में भी आप खोलेंगे। आपने जो किशनगढ़ चिकित्सालय में पशुओं का अस्पताल खोला है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पशुपालन विभाग के अन्दर जो चिकित्सक हैं उनकी तनख्वाह पहले तो मनुष्य के चिकित्सकों के बराबर थी परन्तु 1968 के अन्दर पशु चिकित्सकों की तनख्वाह कम कर दी। वास्तविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि पशुओं के जो डाक्टर होते हैं, मनुष्यों के डाक्टर से उनका वेतन ज्यादा होना चाहिए। मैं तो यह मानता हूं कि मनुष्य के चिकित्सक कम से कम उस बीमार से पूछ कर, बातचीत करके पता लगा सकते हैं मगर पशु चिकित्सक अपने अनुभव से, सूझ-बूझ से पशु का इलाज करता है। वह एक बेजुबान पशु का इलाज करता है जो महत्वपूर्ण है। उसको मद्देनजर रखते हुए तथा उसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, मैं समझता हूं, पशु चिकित्सक की ज्यादा तनख्वाह होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं हो तो कम से कम महरबानी करके यह जो पहले बराबर थी जिसको कम किया, उस अन्तर को मिटायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : खेतसिंहजी के व हमारे में जितना अन्तर है, उतना अन्तर इनका है।

श्री मांगीलाल आर्य : यह तो आपके आपस का मामला है। मैं तो उन चिकित्सकों की बात कर रहा हूं जो बेजुबान पशुओं का इलाज करते हैं। तो मेहरबानी करके इस अन्तर को समाप्त करें। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मुझे आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़ ।

(अनुपस्थित)

श्री त्रिलोक सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भूपालसिंह ।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, आज कृषि और पशुपालन की मांग पर चर्चा चल रही है । कृषि को 20 सूत्री कार्यक्रम बनाने वाले ने सबसे ऊपर रखा है तो कोई गलती नहीं की है । सैन्टर ने, इन्दिरा गांधी ने इसको प्राथमिकता दी, यहां के लोग उसकी पालना करें । अगर नहीं करें और कृषि करने वाले लोगों को, कृषकों को क्रस करें तो अब उसका इलाज क्या है । यह वैसी दशा है जैसे पहले थी । इमरजेन्सी के पहले रोज मैं रेडियो सुनता था, एक दिन में, दो दिन में रेडियो सुनता था कि आपरेशन नहीं किया जाय, नसबन्दी नहीं की जाय लेकिन वहां तो कार, मोटर की होड़ लगी हुई थी । इसी तरह से उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम में कृषि को सबसे ऊपर रखा है । राष्ट्रपति ने कहा और कहने को सब कहते हैं कि किसान गरीब है । किसान भी गरीब हैं, किसानों का मन्त्री भी गरीब है । उनके पास पूरे डिपार्टमेन्ट नहीं हैं, वह भी अपंग हैं । इसलिए मेरा यह कहना है कि कृषि को अगर बढ़ावा देना है तो इस पर ध्यान दें । 72 पर्सेन्ट लोग खेती करते हैं फिर भी दाना मांगने के लिए हम बाहर जायं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या है ? सबसे बड़े आंकड़े तो यह हैं कि यहां 72 पर्सेन्ट लोग खेती करें और बाहर से अनाज के लिए झोली फैलायें कि हमको अनाज दो, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नही हो सकती । यह आंकड़े हमारा डवलपमेन्ट करने के लिए है तो फिर मांगने क्यों जायें ? इसलिए कृषि को बढ़ाने के लिए जो भी साधन हैं, जैसे जमीन है, जमीन भारत में बहुत है और जितनी जमीन पहाड़ों में है उसको आबाद किया जाय तो बहुत सारी जमीन मिल सकती है लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, आपस में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं । एक गांव में किसी को 2-4 बीघा अलाट कर दी जिससे वह चाहे मरे या न मरे या अपना माथा फोड़े, किसानों को देने का कहीं इनके दिमाग मे आता ही नहीं । जमीन है, पानी है, खाद है, बीज है और मेहनत करने के लिए किसान है । यह पांच चीजें मौजूद हैं लेकिन इन सबमें गड़बड़ी है । खाद नकली है, जैसा अभी कितने प्रूफ दिये गये । मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि उन्होंने काफी समय लेकर यह साबित कर दिया कि खाद में कितनी मिलावट है ।

मैं अर्ज करूं, बीज उत्पादक जितने भी हैं उनसे 500-500 रुपये सदस्यता फीस लेकर इन्होंने रख रखी है । जो इनका संगठन है उसका चुनाव नहीं करवाते । इसलिये कि अगर उनका चुनाव करवा दें तो उनके हाथ से वह बात निकल जाय, जो इनके आफिसर हेरा-फेरी करते हैं वह खतम हो जाय । क्योंकि उस चुनाव में जन-प्रतिनिधि और कृषक आ जाते हैं । गये साल मैंने एक

(श्री भूपाल सिंह)

प्रस्ताव रखा था तब कृषि मन्त्रीजी ने यह कहा था कि हमने 7 आदमियों को नामीनेट किया है या 5 को किया है, कुछ ऐसा बताया था। नामीनेट करते हैं वह तो वही हैं, सरकारी नौकर हैं या मैं, भूपाल सिंह, अगर मंत्री महोदय साहब का हूं तो मेरा नाम लिख देंगे। इसलिए बीज उत्पादकों का जिलावाइज संगठन हो, जिलावाइज चुनाव हो, राजस्थान वाइज चुनाव हो। पांच-पांच सौ रुपये सदस्यता की फीस के जमा हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? एक तरफ तो बीज खराब है जो बीज प्राइवेट फर्म से खरीदा जाता है। जितनी प्राइवेट फर्म हैं उनको बंद कर देना चाहिए। राज्य सरकार और भारत सरकार की जो बीज संस्थायें हैं सिर्फ उनसे ही बीज खरीदें, उनका ही बीज लेना चाहिए। प्राइवेट फर्म से परचेज नहीं करें। राजस्थान के अन्दर प्राइवेट फर्म को बंद करके सरकार से ही बीज खरीदा जाय जिससे कि यह गड़बड़ मिट सके और बीज सही मिल सके। किसानों को बीज ठीक नहीं मिलता है, खाद ठीक नहीं मिलती है।

अब रहा पानी का सवाल। तो पानी के लिये हमारे यहां पर जितनी बातें आती हैं, उधर का पानी ला रहे हैं, इधर का पानी ला रहे हैं, गंगा का पानी आ रहा है, जमुना का पानी आ रहा है और घर का पानी सारा बह कर जा रहा है। राजस्थान में जितना पानी बरसता है उसका 75 प्रतिशत पानी बह कर बाहर चला जाता है, उस पानी को मामूली से खर्चे से रोका जा सकता है। छोटे-छोटे बांध, छोटे-छोटे तालाब, एनीकट्स बनाकर रोका जा सकता है। उसको रोका जाय।

यह जो सब्सिडी दी जाती है मध्यम श्रेणी के लघु कृषकों को, उस सब्सिडी का जितना पैसा आपने दिया वह सब, सभापति महोदय, खतम हो गया। न गाड़ियां हैं, न बैल हैं, न भैंस हैं। इस सब का आपके अफसर और दूसरों के बीच में बटवारा हो गया, भले ही आप इसकी जांच करा सकते हैं। उस पैसे को इस प्रकार बिगाड़ने के बजाय बांध में, तालाब में, एनीकट्स में लगायेंगे तो पानी की इफरात हो जायेगी। पानी की बहुत कमी हो गयी है। ट्यूब वैल की सलाह मैं तभी दूंगा जब कुओं में पर्याप्त पानी आ जायेगा। कुओं में पहले पर्याप्त पानी का संग्रह कर लें। मेरे निम्बाहेड़ा में सीमेंट फैक्ट्री है उसने 100-150 फीट तक खदानें गहरी कर ली हैं। सारे कुओं का पानी जाकर उसमें भर गया है। कुओं में पानी की कमी हो गयी है और फैक्ट्री की खदानों में पानी भर गया है। अगर सरकार लिफ्ट इरिगेशन करे तो कम से कम 5 हजार एकड़ में सिंचाई हो सकती है लेकिन उसको करते नहीं हैं। किसी प्रकार से पानी की व्यवस्था नहीं है। बिजली से जो पानी आता है उसकी भी व्यवस्था नहीं है। माननीय कृषि मन्त्री जी कहेंगे कि मेरा उसमें सवाल नहीं है। मैं कृषि मन्त्रीजी से कहता हूं कि आप तो किसानों के वकील हैं, किसान के लिये आपको बिजली वालों से लड़ना होगा, लोन वालों से लड़ना होगा

(श्री भूपाल सिंह)

खाद और बीज के लिये लड़ना होगा आप कैसे कृषि मन्त्री बन गये हैं ? अधिकार तो लिये जाते हैं, कोई देता नहीं है। झगड़ा करोगे तो ही मिलेंगे। अच्छा काम करोगे तो अपने आप फुल पलेश मिनिस्टर बन जाओगे, नहीं तो राज्य मन्त्रीजी से कहीं डिप्टी मिनिस्टर या और कहीं चले जाओगे।

इसी तरह मेरा अर्ज करना यह है कि अभी असेम्बली में भी चर्चा हुई, अफीम और गेहूं सब में नुकसान की बात हुई सब में नुकसान हुआ। अफीम के नुकसान के लिये एक डेपुटेशन सेन्टर के मिनिस्टर से मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस साल औसत पैदावार का कोई हिसाब नहीं रखा जायेगा, जितना हुआ है उतना ही ले लिया जायेगा। डेपुटेशन मिला, अखबारों में भी आया। उसमें राजस्थान के भी लोग थे और ग्वालियर के भी थे। एक व्यक्ति, नाम याद नहीं, की अध्यक्षता में वे मिले, उनको यह आश्वासन दिया गया। अब होता क्या है ? मैंने प्रेक्टिकली गांव में जाकर देखा है, अफसर हैं, इन्सपेक्टर है वह कहते हैं कि या तो पूरी औसत फसल जमा कराओ नहीं तो आंकलन किया जायेगा। हमारे सामने जो एप्लीकेशन ली उसमें तारीख नहीं डलवायी। उसमें लिखा कि अपनी मर्जी से आंकना चाहता हूं क्योंकि फसल जल गयी है। उस पर तारीख नहीं थी, तारीख डाल दी तो उसको फाड़ दिया और दूसरी लिखवायी। कृषि मन्त्री से कहता हूं कि इसको इंक्वायरी कराओ। करीब 90 प्रतिशत लोगों ने आंकना लिख दिया है। दो किलो होती, एक किलो होती, कुछ तो होती। लेकिन बिलकुल नष्ट होने दिया गया है। यह सारा आफिसरों ने किया। ऊपर के लोगों का कहना और नीचे के आफिसरों का करना बिलकुल मेल नहीं खाता है। लेकिन कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं है। किसान बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। कर सकते है तो कृषि मन्त्री या मुख्य मन्त्री कर सकते हैं। तो उनको करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

अब अर्ज करूं, कृषि उपज मण्डी का सवाल आया। मण्डी के लिये आप सब लोगों ने सुझाव दिये इसलिये ज़्यादा डिटेल में जाना अच्छा नहीं समझता। किसान अनाज पैदा करता है और किसान ही बेचता है और किसान के हित के लिये ही मण्डी बनी है न कि उसको नुकसान देने के लिये। मण्डी में गेस्ट हाउस बने हुए हैं लेकिन वे किसान के काम नहीं आते हैं। मंडियों में स्पंज के गद्दे लगे हुए हैं लेकिन एक दिन भी उस पर किसान नहीं सोया है। उसके नाम पर गोदाम बने हुए हैं लेकिन उन गोदामों में किसान का माल नहीं रहता है, सब माल व्यापारियों का और लोगों का रहता है। गोदाम का उपयोग तो तब हो जब सरकार उसके लिये पैसों की व्यवस्था करे। को-आपरेटिव सोसायटी से व्यवस्था हो सकती है। अब रहा माल बेचने का सवाल। तो एक्ट में एक शब्द लिखा है "दलाल"। किसान सीधा सादा है इसलिये अपने माल को नहीं बेच सकेगा ? एक शब्द है "दलाल", उस दलाल के मार्फत बेच

(श्री भूपाल सिंह)

सकेगा, दलाल के मार्फत बेचा जायेगा। 'दलाल' शब्द होने से क्या हुआ? बाप लेने वाला, बेटा देने वाला, बाप बेचने वाला और बेटा खरीदने वाला। एक कुनबा उसमें चार आदमी हैं तो दो आदमी की फर्म खरीदती है और दो की फर्म बेचती है। किसान का बिलकुल गला घोटा जाता है। यह, साहब, मंडी सैक्रेटरी को आप क्या तनख्वाह देते हैं? 10-12 लाख का माल रोज आता है, अगर 10 प्रतिशत कमाई में से एक प्रतिशत भी वह खर्च कर दे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वह व्यापारी के सामने बात करे। दिल चाहे वह भाव करता है। बाप बेचता है, बेटा खरीदता है। तो यह "दलाल" शब्द हटना चाहिए। जब तोल मंडी समिति करती है, वह बेचती है तो उसको वहीं पर चैक मिलना चाहिए मंडी की तरफ से ताकि वह बैंक से जाकर पैसे ले ले, सेठजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दो-दो महीने तक पेमेंट नहीं होता है। लेना चाहे तो एक प्रतिशत काट लेते हैं। यह मंडी के नियमों के विपरीत है। ऐसा करने से लाइसेंस जब्त हो सकता है लेकिन आज तक तो हुआ नहीं, कोई न कोई कानूनी गली निकल ही आती है। मेरा अर्ज करना यह है कि इस "दलाल" शब्द को हटा दिया जाय तो वह किसान अपने माल को खुद बेच सकेगा।

एक तोल का सवाल है। तो हमारी मंडी में गाड़ी से तोलने का कांटा आ गया लेकिन अभी तक वह लगाया नहीं गया। क्यों नहीं लगाया? अगर वह लग जायेगा तो उनकी सब कमाई मारी जायेगी। आजकल अफीम के दाने आ रहे हैं, 25 रुपये किलो का भाव है। अगर एक किलो भी कम होता है तो 25 रुपये जाते हैं। इसी प्रकार मूंगफली, तिलहन सब का यही हाल है। 1-2 किलो जो उसका हम्माल है वह भी व्यापारी का होता है, वह कम तोलता है। वहां पर किसान चिल्लाता रहता है। एक-दो किसानों ने हल्ला मचाया तो लात मारकर बाहर निकाल दिया। कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि चुनाव नहीं हुए हैं। कानून बनाने वाले ने तो सचमुच बढ़िया कानून बनाया है, 6 प्रतिनिधि किसानों के और 3-4 प्रतिनिधि व्यापारियों के....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : देवेन्द्र सिंहजी क्या कह रहे हैं, किसानों को मंडी से लात मार कर निकाल दिया जाता है।

श्री भूपाल सिंह : कौन सुनता है? वहां तो सब बिके हुए हैं आफिसर। वह तो देता नहीं है, बनिया है वह देता है। किसान क्या दे सकता है। वह तो एक साल में, दो साल में एक दफा-दो दफा ही आता है, वह क्या दे सकता है। तो यह जो "दलाल" शब्द का सवाल है उसको हटाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा तो अर्ज करूं। तोल में क्या होता है कि हम्माल कम तोलता है उसका भी उसमें हिस्सा होता है। हम्माल रोटेशन से होना चाहिए। जब गाड़ी कांटा लग जायेगा तो यह सारा झगड़ा ही

(श्री भूपाल सिंह)

मिट जायेगा। वह आया हुआ है लेकिन लगाया नहीं जा रहा है। तो वह गाड़ी कांटा लगाया जाना चाहिए।

अब रहा सड़कों का सवाल। एक मंडी से जितना पैसा आता है वह पैसा उसी मंडी में लगना चाहिए। वह वहां पर नहीं लगता है। राजस्थान भर का पैसा इकट्ठा होकर मेरे यहां बनेड़ा में लगना चाहिए, भैंसरोड़-गढ़, में लगाना चाहिए। जहां आप चाहते हैं वहां लगा देते हैं। जिस एरिया से जितना पैसा मंडी समिति से आता है वह पैसा वहीं पर सड़क बनाने के काम में लगना चाहिए। उसी एरिया में सड़क बनानी चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भूपाल सिंह : किसान को कंट्रोल का सामान पूरा मिलता नहीं। कैरोसीन नहीं मिलता। अब मैं आपसे कह दूं कि किसान के दूध में अगर थोड़ी सी मिलावट हो तो उसके लिये छः महीने की सजा है। एक दिन दूध बेचने जाय तीन रुपये का, ढाई रुपये का, दो रुपये का, उसमें थोड़ी सी मिलावट मिल जाय तो छः महीने की सजा और जो खाद-बीज में मिलावट करे उसका कोई चालान नहीं, कोई जेल नहीं। सब समझौता वार्ता है। सैल्स टैक्स जोड़ने वालों पर मुकदमे चल सकते थे, इसका प्रोविजन था लेकिन जब आप वित्त मन्त्री थे तब आपने उस प्रोविजन को ही हटा दिया कि बेटे याद करो, खूब चोरी करो, चुपचाप जो लेना हो लो।' अब चालान नहीं हो सकता, जेल नहीं जा सकते चाहे लाखों रुपये का गबन कर लें। और किसान बेचारा जो है, दूध में मिलावट करे तो सजा हो जाती है। इस तरह से कई चक्कर हैं जिसके लिये किसान को परेशान कर रहे हैं, उसको कश किया जा रहा है। यह 72% किसान हैं, सीधे हैं, हाथ जोड़ते हैं, जिस दिन उसको समझ आ गयी उस दिन सब खबर कर लेगा लेकिन इस वक्त उसको समझ नहीं है।

अब किसानों के बंटवारे का सबसे बड़ा झगड़ा है। वह तो खैर रेवेन्यू की ...

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री भूपाल सिंह मैं अर्ज करूं, समाप्त क्या करूं, दुख तो सुनें आप किसानों के। आखिर मैं किसान हूं।

मैं अर्ज करूं, सब कोर्ट और कचहरियों में कानून है कि डबल ब्याज से अधिक कोई नहीं ले सकता यानी मूल से डबल से अधिक कोई नहीं ले सकता। लेकिन किसान को ऋण दिया जाता है 2 हजार, जिसके बाद में 8 हजार....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आप किसान हैं, आप इसे बन्द करो।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री भूपाल सिंह : दो हजार रुपये ऋण देने के बाद 8-8 हजार रुपया बैंक न वसूल

(श्री भूपाल सिंह)

कर लिया। हालांकि यह कानून है कि डबल से ज्यादा नहीं लिया जायगा। अब यह कह भी देंगे, हम सुन लेंगे, गरीब किसान बड़े अच्छे हैं इसीलिये हम सब सुविधा करना चाहते हैं। एक का चार बैंक लेता है लेकिन इन्होंने कभी यह नहीं कहा कि डबल से अधिक नहीं ले सकते। इसलिये इसके ऊपर भी हमारे कृषि राज्य मन्त्री को ध्यान देना चाहिये कि जितना ऋण किसानों को देते हैं उससे डबल से अधिक कोई बैंक या संस्था वसूल नहीं कर सके।

अब मैं आपसे अर्ज करूं, जैसे इस साल कहा गया कि गेहूं की निकासी बन्द। क्यों साहब, गेहूं किसान खाते हैं, मजदूर खाते हैं? मजदूर तो मक्का, बाजरा खाते हैं। तब तक निकासी चालू है जब तक किसान उसको खाते हैं। लोग जो गेहूं खाते हैं उनके लिये निकासी बन्द है। उनको तो उस किसान से 150 रुपये में गेहूं दिलवाते हैं। 150 रुपये में गेहूं और 145 या 150 रुपये में मक्की। मक्की और गेहूं एक ही भाव।, इसका मेन कारण यह है कि उसकी तो निकासी है समानता समायुते। आप नाराज होंगे, समानता है तो गेहूं की तो निकासी बन्द और बड़े अनाज की खुल्ली। ले जाओ, खूब करो। इसलिये मेरी अर्ज है कि इस साल जो जूते मारने ये किसानों के वह तो मार दिये लेकिन अब तो खोलो। अब तो बताओ। अब तो खुल्ली दो। अब आपका कारोबार नहीं है इसलिये इस साल तो खोलो। नहीं खोलोगे तो लोग आपको कहेंगे कि यह क्या है, बड़े अनाज की निकासी खुल्ली और गेहूं की बन्द है। गेहूं और मक्का का भाव दो-चार रुपये ऊंचा नीचा है और अब फसल पक गयी है, अब तो गेहूं कि निकासी खोलो जिससे किसान को थोड़ा बहुत पैसा मिले।

मैं पशुपालन पर बोलना चाह रहा था। राजस्थान में बहुत सा एरिया ऐसा है जहां पशुधन के ऊपर ही पशुपालक का गुजर-बसर होता है। उसको खास पैसे का इनकम का जो जरिया है वह पशुधन है। उस पर सैल्स टैक्स इतना लगा दिया, दस पर्सेन्ट, कि कोई बाहर का व्यापारी आकर राजस्थान में पशु खरीदना नहीं चाहता। राजस्थान में एक बैल या एक गाय-भैंस खरीदे तो खरीदने वाले को दो-तीन सौ रुपये सैल्स टैक्स देना पड़ता है। यहां हाट और मेले नहीं लगने का मेन कारण यही है। किसान जो हैं वह क्या करते हैं कि खुद का माल चोरी कर कराके इधर गुजरात में, उधर मध्य प्रदेश में और दूसरी जगह जहां-जहां उनको बेचने के लिये ठीक पैसा मिलता है वहां ले जाकर बेचते हैं। इसलिये मेरा अर्ज करना है कि 10 रुपये गाय 15 रुपये भैंस कुछ ऐसा तय कर दें जिससे आपका माल, किसान का माल जब यहां छोटे-छोटे हाट पंचायत समिति में लगें तब किसान को परेशानी नहीं हो और वह अपना माल वहां बेचकर 10-5 रुपये टैक्स दे दे, जो भी आपका निर्णय हो। मैं कहता हूं कि किसान को फ्री करना चाहिये। गाय के लिये राजाओं के राज में तो घास और बीज का लगान ही लगता था उससे गऊ खाती थी।

(श्री भूपाल सिंह)

वह राज तो गया, थोड़ा सा आपके राज में छोड़ें सैल्स टैक्स, जिससे कि उस किसान को भी कुछ फायदा हो। अगर नहीं मानें तो मामूली टैक्स लगा दें ताकि यहां हाट लगें बाहर के व्यापारी आयें और किसान को अच्छा पैसा मिले।

अब जैसे यहां जानवरों की रक्षा करने के लिये दिन में बड़ी भारी चर्चा चली। जानवरों के वास्ते जंगलात मिनिस्टर साहब भी विराजे हुए हैं। बात करने में तो बड़ा अच्छा लगता है, अहिन्सावादी लोग गद्दी तकिये पर बैठ कर कह देते हैं कि यह तो राष्ट्रीय पशु हैं, इनको नहीं मारना चाहिये। उनको क्या तकलीफ है हुकुम ? वह तो शाम को तीन-तीन, चार-चार ताले लगा देते हैं, पहरेदार-चौकीदार अलग बैठाते हैं और पुलिस अलग चक्कर लगाती है। परन्तु उस बेचारे किसान की हिफाजत कौन करे ? घाटा तो किसान का है। उनके बाप का क्या जाता है ? इसलिये पशु जितने भी हों, आप रखें। उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है और हम भी चाहते हैं कि रक्षा हो। अभी जो सैंक्चुरी बनायी तो उन्होंने ऐसी जगह बनायी जहां खेती के लायक जमीन है या पशुधन के चरने के लायक जमीन है। ले जाइये न जंगल में। आज इतना बड़ा जंगल है, जहां पहाड़ है, जहां खेती नहीं हो सकती है, जहां एक पर्सेन्ट जमीन में खेती नहीं होती है वहां कम्पेनसेशन देकर लोगों को बाहर निकाल दें, आपके जंगलात में वैसे ही खोह बने हुए हैं, पत्थर चुने हुए हैं उसके अन्दर सैंक्चुरी बनाइये। जहां लोग बस रहे हैं उनको जाकर क्यों बरबाद और परेशान करते हो ? राजाओं के राज में तो उनके शिकार के लिये पशु रखे जाते थे, रसद रखी जाती थी कि इस पहाड़ में कोई शेर नहीं मार सकता, कोई सूअर नहीं मार सकता। आप क्यों किसानों को परेशान करते हैं ? प्रजातन्त्र आया, आजादी आयी तो आपने भी वही किया। तुम्हें तो कोई न कोई घोंचा चाहिये। रात को डंडा लेकर बैठे रहो, नहीं तो तुम्हारी फसल खा जाय। इसलिये इसको भी सोच-समझ कर पहाड़ों के अन्दर जानवरों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी चाहिये। खुले जंगलों में और जहां खेती-बाड़ी होती है उसके पास रखने से कोई फायदा नहीं है। कम से कम यह छूट तो होनी चाहिये, जिसके खेत में नुकसान करें वे तो मारेंगे ही।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री भूपाल सिंह : अनुदान जो मिलता है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि अगर किसी ने अनुदान गलत तरीके से ले लिया तो उससे किस दण्ड के साथ किस पनिशमेंट के साथ वसूली होगी। यह तो एक ठाकुरजी का प्रसाद मानता हूं मैं तो। जिसने हाथ फैला दिया उसको प्रसाद मिल गया। वह ठाकुरजी का प्रसाद वापस नहीं किया जाय।

एक माननीय सदस्य : कौन से ठाकुरजी का ?

श्री भूपाल सिंह : यह कांग्रेस ठाकुरजी का प्रसाद मिलेगा अनुदान। वापसी की कोई गलतफहमी ...

एक माननीय सदस्य : दो ठाकुरजी बैठे थे, इसलिये पूछा था ?

श्री भूपाल सिंह : दो ठाकुरजी हैं लेकिन राज तो आपका है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कलयुग के ठाकुर तो यह हैं।

श्री भूपाल सिंह : हां, असल ठाकुर तो यह हैं लेकिन साक्षात ठाकुर तो आप ही हैं। मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

श्री सभापति : श्री सी. एल. कंवरिया।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : सभापति महोदय, हम आज कृषि और पशुपालन की अनुदान मांग नम्बर 37 और 39 पर विचार कर रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में हमारी कितनी उपलब्धि रही है और हमने क्या अचीव

(6.00 सायं)

किया है उसके सम्बन्ध में हमें पहले ध्यान देना चाहिए। आजादी के पूर्व के भारत और आज के भारत में कितना अन्तर है। आजादी के पूर्व के भारत में हमारे यहां के निवासियों के खाने लायक अन्न भी पैदा नहीं होता था। आजादी के बाद हमारे देश में पचवर्षीय योजनायें बनीं। उन पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये हमारी कृषि की उन्नति के लिए बड़ी-बड़ी आधारभूत योजनायें बनीं। उसके साथ ही हमारे देश में चहुँ ओर प्रगति हुई विशेषकर, कृषि की ओर हमारा बहुत बड़ा प्रगति का कदम बढ़ा है। जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारे यहां कृषि की पैदावार लगभग 500 करोड़ टन थी और आज हमारे देश में लगभग 1450 करोड़ टन अनाज हुआ है। हमने अपने अनाज की पैदावार में तिगुनी तरक्की की है। इसी प्रकार हमारे प्रदेश के आंकड़े भी बड़े सराहनीय हैं। हमारी पैदावार बहुत कम थी लेकिन इस इस वर्ष आंकड़ों के अनुसार लगभग एक करोड़ टन....

(6.03 सायं)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

अनाज पैदा होने का अनुमान है। कृषि के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी हमको यह संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आज भी हमारा देश और प्रदेश कई देशों व प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। कृषि के सम्बन्ध में और देशों के आंकड़ों को देखें तो आज भी ऐसे देश हैं जिनसे हमारा देश पीछे है। अमरीका, कनाडा और इधर जापान, चीन आदि देशों से हम कितने पीछे हैं ? हमारे देश में जितनी प्रति एकड़ औसत पैदावार होती है उससे कई गुणा उन देशों में होती है। आज हमको यह संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि हम कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुके हैं। हमको अभी बहुत कुछ करना है।

(श्री सी. एल. कंवरिया)

आज कृषि की उन्नति और पैदावार बढ़ाने के लिए हमको कई बातों के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारी खेती को अगर सिंचाई के साधन पूरे उपलब्ध हो जायें तो पैदावार और बढ़ेगी। हमने बड़ी बड़ी योजनाओं में काफी कुछ किया है लेकिन हमारा ध्यान लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ कम गया है। लघु सिंचाई योजनाओं की बाबत में कुछ कहूं तो यह कृषि का विषय तो नहीं है, सिंचाई का विषय है, लेकिन इस सम्बन्ध में यह कहना भी उपयुक्त समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनायें इतनी हैं जिनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमारा अचीवमेंट बहुत कुछ हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे तालाब पुराने जमाने के बने हुए हैं। मेरे ही क्षेत्र की मैं बात करता हूं लगभग 35 तालाब छोटे-मोटे ऐसे हैं उनको हम बांध लें या उनकी मरम्मत कर दें तो, मैं समझता हूं, लगभग 20 हजार एकड़ जमीन की तो मेरे क्षेत्र में ऐसे ही सिंचाई हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जब हम से सम्पर्क करते हैं तो यह कहते हैं कि आप बड़े-बड़े तालाब और सिंचाई योजनाओं की तरफ तो ध्यान देते हो लेकिन लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ आपका ध्यान कम है। तो हमें लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ ध्यान अधिक देना चाहिये इससे काश्तकार को लाभ ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से मिलने वाला है और कृषि की उन्नति होगी। इन सब योजनाओं के जरिये, मैं समझता हूं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

दूसरा, कृषि की उन्नति के लिए हमारे काश्तकार को अगर अच्छा बीज मिलता है तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ इससे कृषि की उन्नति हो जायेगी। इसी के साथ अच्छी खाद मिले। तो यह तीन बहुत बड़ी आवश्यकतायें हैं। अगर हम इनकी पूर्ति कर सकें, सुलभ तरीके से उसको यह चीजें दिला सकें तो कृषि के क्षेत्र में हम बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं।

हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उन सहकारी समितियों के जरिये काश्तकार को अच्छे बीज, जो स्टैण्डर्ड क्वालिटी का हो, की व्यवस्था हर फसल के मौके पर कर दी जाये तो खेती की बहुत कुछ उन्नति हो सकती है। इसी प्रकार खाद है, फर्टिलाइजर है। यदि इनको सहकारी समितियों के जरिये उपलब्ध करा दिया जाय तो हमारी खेती में बहुत कुछ, आशा से ज्यादा उन्नति हो सकती है। यह तो कृषि के सम्बन्ध में मोटी मोटी बातें हैं। कहां क्या लूप होल्स हैं उनको हमको देखना चाहिए। किस जगह क्या खराबी है फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में, बीज के सम्बन्ध में, उन लूप होल्स को बन्द करना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था कृषि के सम्बन्ध में हो कि हमारे काश्तकार को अच्छा खाद, अच्छा बीज, छोटी सिंचाई योजनायें उपलब्ध हों तो हमारी पैदावार और ज्यादा बढ़ सकती है। यह तो कृषि के सम्बन्ध में बातें हैं।

अब हमारे काश्तकार को जो कृषि की उपज होती है उसका सही मूल्य मिल सके

(श्री सी. एल. कंवरिया)

इसके लिए हमने कृषि मण्डी समितियां कायम की हैं लेकिन बड़ी-बड़ी कृषि मंडियां बनी नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में नरैना मण्डी बहुत पुरानी बनी हुई है लेकिन वहां अब तक कोई मण्डी यार्ड नहीं बना है, न कोई गोडाउन बना है, न सड़कें बनी हैं। तो मैं कृषि मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नरैना मण्डी, जो किसी समय की मशहूर मण्डी थी, को क्यों इग्नोर किया गया? नरैना मण्डी में फुलेरा, साम्भर, जोबनेर और दूदू, फागी तक का अनाज आता था लेकिन इस मण्डी के भी टुकड़े किये गये। फुलेरा और सांभर को किशनगढ़-रैनवाल मण्डी में शामिल कर लिया गया जब कि वहां के लोग यह नहीं चाहते थे। फुलेरा और साम्भर, किशनगढ़-रैनवाल से लगभग 25 मील दूर हैं और इधर फुलेरा और साम्भर नरैना मण्डी से नौ मील दूर है। किस समय यह हुआ यह तो मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन निर्णय जो लिया गया वह उचित निर्णय नहीं था। तो मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर…

श्री महाराम चौधरी : कोरम नहीं है, माननीय सभापति महोदय।

एक माननीय सदस्य : है।

श्री सी. एल. कंवरिया : आकर्षित करना चाहूंगा कि साम्भर व फुलेरा दोनों टाउन नरैना मण्डी में लगा दिये जायं और किशनगढ़-रैनवाल से हटा दिये जायं।

इसके अलावा वहां मण्डी यार्ड और गोडाउन भी बनने चाहिए। आसपास की छोटी-बड़ी मण्डियों में यह निर्माण कार्य हो चुका है। किशनगढ़ है और इधर बगरू है, यहां निर्माण कार्य हो चुका है लेकिन नरैना मण्डी में अभी तक यह कार्य नहीं हुआ। तो मैं कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर इस काम को पूरा कराया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मण्डी समिति के अन्तर्गत सड़कें बननी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र को मण्डी से जोड़ती हैं। मण्डी समिति में उधर पिछले 3-4 साल से कोई सड़क नहीं बनी है इसलिए मैं उनसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें। नरैना मण्डी से जुड़ने वाले आसपास के कस्बे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको सड़क बना कर जोड़ा जाय। सावड़दा आठ किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा गांव है, उसके बीच में भी कई छोटे गांव आते हैं, सावड़दा से नरैना मण्डी तक कच्ची सड़क है उसको पूरा कराया जाय और उसको नरैना से जोड़ा जाय। इसी तरह आकोदा गांव को नरैना मण्डी से जोड़ा जाय। इसी तरह और भी कई छोटी सड़कें हैं जो इस मण्डी समिति के लिए बनाना आवश्यक हैं। तो मैं कृषि मन्त्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें।

पशुपालन के सम्बन्ध में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दूदू क्षेत्र में दूदू के पश्चिम की ओर लगभग 100 गांव ऐसे हैं

(श्री सी. एल. कंवरिया)

जहां पर पशुपालन लोगों का मुख्य धंधा है। वहां गीर नस्ल की अच्छी गायें और बैल हैं लेकिन पूरे 100 गांव के क्षेत्र में कोई पशु औषधालय या चिकित्सालय नहीं है। पिछले वर्ष तो हमारे बिचून क्षेत्र में एक डिस्पेन्सरी आपने दी, उसके लिये तो मन्त्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र, जिसमें पशुपालन मुख्य धंधा है, में इसलिये एक या दो चिकित्सालय उपलब्ध करा दें तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। कृषि और पशुपालन के सम्बन्ध में यही मेरे विचार हैं। आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, एक मिनट। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में....

श्री सभापति : आप एक मिनट जरा रुकें। कार्य सलासकार समिति का 24 वां प्रतिवेदन मुख्य सचेतकजी सदन की मेज पर रखेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 24वां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 24वां प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 6 अप्रेल, 1984 को मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे हुई।

कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन में समाविष्ट तथा सदन द्वारा यथा अनुमोदित सिफारिशों तथा दिनांक 19 मार्च, 1984 को जारी किये गये बुलेटिन भाग-2, संख्या 14 में वर्ष 1984-85 के लिये विचारार्थ लिये जाने वाले आय-व्ययक की मांगों के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 11 अप्रेल, 1984 को निम्नांकित 3 विधेयक, जो दिनांक 28 मार्च, 1984 को विचारार्थ रखे गये थे, विचारार्थ एवं पारण हेतु रखे जायेंगे :—

1. राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984,

2. जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984

3. मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984

इसके परिणामस्वरूप दिनांक 11, 12 एवं 15 अप्रेल, 1984 को आय-व्ययक के अनुदान की मांगों के क्रम में आवश्यक परिवर्तन करने अथवा उनमें से किन्हीं मांगों को विचारार्थ न लेकर मुखबन्द द्वारा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पारित करने के विषय में निर्णय लेने का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय में निहित होगा।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

माननीय श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही मुख्य विषय पर मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं। राजस्थान कृषि प्रधान, खेती प्रधान राज्य है इसलिये सभी लोगों के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपनी मांगें प्रस्तुत करते हुये निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, हम लोग कोई भी विभाग हो उसके बारे में उतनी निश्चित जानकारी नहीं रखते जितनी मन्त्रीजी या सम्बन्धित सचिव महोदय या अन्य जो अधिकारी होते हैं उनको होती है। हमें वह जानकारी एक प्रतिवेदन भेज कर दी जाती है कि इस विभाग में मंत्रीजी की क्या प्लानिंग थी, क्या उन्होंने किया, क्या करने की उनकी योजना है ? उस प्रतिवेदन, जो हमको दिया जाता है, को पढ़कर हमको जानकारी होती है। यह मेरे हाथ में कृषि विभाग का प्रतिवेदन है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से, मुझे इस बात की तो खुशी है, मंत्रीजी, विशेषकर जनता राज के बाद कांग्रेस का राज आने के बाद इन पिछले सालों में अपूर्व विकास हुआ है और बहुत बड़ा विस्तृत कार्य हुआ है। जैसा कई पूर्व माननीय सदस्य निवेदन कर रहे थे, माननीय सभापति महोदय, हम उत्पादन के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हैं, भूमि भी अधिक जोत में ली गई और उसके साथ में एवरेज उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इसके साथ ही जो कमियां हैं उनको भी अलग नहीं रख सकते, उनको गौण नहीं कर सकते। सभापति महोदय, इस पुस्तक में इन बातों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मैं आपसे निवेदन करू, इस पुस्तक में लिखा है 'बीज वितरण"। बीज वितरण के नाम पर यह भी लिखा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर बहुत अधिक जोर देना चाहते हैं, कौन-कौन से प्रमुख अनाज हैं जिसके बारे में किसानों को लाभान्वित करना चाहते हैं, अलग अलग किस्म की पैदावार बतायी हैं उसके साथ तिलहन और दलहन भी हैं। मैं आपसे निवेदन करू कि आपने बीज वितरण के बारे में जो जानकारी दी है इसमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का-यह खरीफ में है और रबी में अपने गेहूं दिया है और तिलहन और दलहन का तो नाम ही नहीं है। इसका अर्थ-यह लगता है कि तिलहन

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

और दलहन के बारे में जो आप इतना जोर लगा रहे हो, इतना विकास कर रहे हो, योजनायें बना रहे हो इसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और यदि कर रहे हो तो फिर आपको यह बताना चाहिये था कि 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में आपने कितना तो बीज वितरण किया, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ?

अब रहा सवाल बीज में शोध का। माननीय सभापति महोदय, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि गेहूं की यह किस्म निकली गई है जो किसानों को ज्यादा लाभान्वित करेगी, बाजरे में यह किस्म निकाली गई है, पिछली किस्म में यह रोग था या रोग रोधित होने का ज्यादा खतरा था इसलिये यह एक किस्म निकाली गई है जिसमें रोग कम लगता है। इस तरह का हर साल अनुसंधान और शोध होता है, कोई न कोई नयी किस्म निकलती रहती है या उसमें कुछ न कुछ उन्नति और विकास होता रहता है। इसलिये हमारे यहा पर लाखों रुपये खर्च होते हैं और शोध कार्य चलता है। लेकिन इस पूरे प्रतिवेदन में आपने गेहूं, ज्वार, मक्का, धान की किसी भी किस्म के बारे में यह नहीं लिखा है कि कौनसी नयी किस्म निकाली है, किसानों को आने वाले समय में कौनसी किस्म देने जा रहे हैं, आज कल शोध कार्य में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है ताकि हमें यह जानकारी मिल सके। हम यह सोचते हैं, आपका शोध कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ा है और कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं और दूसरी किस्म के अनाजों पर शोध हो रहा है उस चीज को लाकर आप हम लोगों को मुहैया कराते हो। दरअसल होना यह चाहिये था इसमें कि हमारा शोध कार्यक्रम उतना आगे बढ़ा हुआ नहीं है इसलिये हम पड़ोसी राज्यों पर आधारित हैं, वहां जो भी शोध कार्यक्रम चल रहा है, जो भी बीज वह हमें दे रहे हैं वह हम ले रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, बीज की स्थिति तो यह है। माननीय मंत्री महोदय खुद काश्तकार हैं और इस बारे में जानते हैं, जन जीवन से और किसानों से जुड़े हुये हैं इसलिये विशेषकर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो बीज देते हैं वह किसानों के साथ एक तरह का मखौल है। बीज कितना अच्छा मिला है यह उपलब्धि नहीं है, बीज कितना खराब मिला है यह देखने की बात है। आपने जो बीज दिया उसमें से 25 पर्सेन्ट भी खराब है, इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में 25 पर्सेन्ट किसानों के साथ आपने मखौल किया, राजस्थान के 25 पर्सेन्ट किसानों की आर्थिक स्थिति आपने खराब कर दी। बीज जो आ रहा है, पुराना रह गया तो उसको दुबारा दिया जाय या नहीं दिया जाय, दुबारा दिया जाना है तो उसका जर्मिनेशन टैस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, जर्मिनेशन टैस्ट हुआ है तो वह बीज जो खेत में पड़ गया वह खाद मे लगा है नहीं लगा है। दूसरे लोग जो बीज बेच रहे हैं उनके थैले में और आपके थैले में क्या अन्तर है, आपका

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

टेस्टीफाइड है या आपको कौनसा बीज है। आजकल गांवों में यह हो गया है कि आपका बीज जब नहीं पहुचता है तो लोगों की डिमाण्ड बढ़ती है क्योंकि आपने इतना प्रचार-प्रसार किया है कि आज हर किसान इसके बारे में जागृत हो चुका है कि जब उस बीज को बोता है तो बीज बोते वक्त कोई लागत नहीं आवे। थोड़ी सी लागत में अगर उसे अच्छा बीज, जो मिलता ही है, उपलब्ध होता है तो लाभ नहीं है। उसका उत्पादन बढ़ने वाला है। उसका उत्पादन बढ़ने का मतलब यह हुआ कि देश का उत्पादन बढ़ रहा है। तो वह सोचता है और लाख कोशिश करता है उस दुकान, उस जगह, उस एजेन्ट से जहां उसको बीज मिलता है। वह लोग नकली बीज थैलों में लिये बैठे रहते हैं। उस नकली थैले वाले को पकड़वाना, बंद करवाना और उसके बारे में सारी जितनी जिम्मेदारी है यह किसान की जिम्मेदारी नहीं है। वह अगर इस बात को कहता है कि यह मुझे बीज सही नहीं दिया गया है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार काफी इलाकों में इस तरह से हुआ है। क्यों हुआ? पहली बरसात में बीज पड़ता है जून के अन्त में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि राजस्थान में बरसात जेठ में हो जाती है यानि मई के अन्तिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में हो जाती है। जब पहली बारिश होती है तो यह किसान का मानना ही नहीं बल्कि पूर्ण निश्चित या निर्णायक चीज है कि पहली बारिश में जितना बाजरा होता है, एक बार बारिश हो जाय और न बोयें तो दूसरी बारिश से उतना अच्छा बाजरा नहीं होता। तो जो भी उसको बीज मिल सकता है या अवेलेबल होता है उस बीज को पहली बारिश मे बोता है। इसलिए हमारे विभाग में यह तैयारी होनी चाहिये कि सारे काश्तकार को, हर एजेन्सी को, हर जिले में बीज मई के पहले सप्ताह में हर प्रकार से पहुँच जाय। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपकी यह तैयारी है? आपने पूर्व में क्या किया इसको आप छोड़िये, आप इस बार क्या करेंगे? मई के पहले सप्ताह या अप्रैल के अन्तिम सप्ताह तक जो भी बीज बाजरे का या और किसी का खरीफ की फसल के लिए देना चाह रहे हैं वह क्या आप ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को दे सकेंगे? यदि नहीं दे सकते तो फिर आप विभाग और बीज कार्पोरेशन को टटोलिये और यह देखिये कि जो बीज आप देने जा रहे हैं उसका जर्मिनेशन ठीक है या नहीं ताकि जो गड़बड़ी पहले हुई वह किसानों के साथ दोहरायी नहीं जा सके।

इसके साथ ही मैं इससे पूर्व निवेदन करना चाहता था कि आपका जो कालेज एजूकेशन है, जहां पर लोग एग्रीकल्चर या वेटरनरी या दोनों तरह की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें किसानों के बच्चों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। होना यह चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनको मेरिट में पांच पर्सेन्ट नम्बर ज्यादा दिये

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जायं। उसका आपका जो एग्जामिनेशन होता है, जैसे प्री-वेटरनरी टैस्ट जो भी होता है, उस एग्जामिनेशन में भी उसको अबव आल 5 पर्सेन्ट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। नहीं तो होता क्या है इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। और तो नहीं व्यक्तिगत तौर पर देखिये, एक महाशय जो एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर थे वह शहर के रहने वाले थे, पढ़े लिखे थे। वह पास करके आये। जब मूंगफली के खेत में पहुँचे तो उन्होंने मूंगफली वाले से कहा भई, बड़े खेद की बात है तेरे खेत में मूंगफली बहुत अच्छी है लेकिन मूंगफली लगी नहीं। मूंगफली को ऊपर ढूंढ रहे थे। तो उनको यह भी पता नहीं था प्रेक्टिकल तौर से कि मूंगफली ऊपर लगती है या नीचे लगती है। किसान का लड़का अगर पढ़ा लिखा न भी हो तो भी उसको अनुभव रहता है व्यक्तिगत तौर से। पारिवारिक तौर से धन्धे में लगा हुआ है इसलिये उसको बहुत सी ऐसी बातें जानकारी में होती हैं जो आदमी को कहीं पढ़ने से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जिन परिवारों के ऐसे लड़के आकर पढ़ते हैं, आगे निकलते हैं तो वह थोड़े बहुत पढ़ाई में ग्रामीण वातावरण में कमजोर भी हो सकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा इतनी अच्छी प्राप्त नहीं हो सकती, हमारे पास अध्यापक नहीं है, शिक्षा की ग्रामीण क्षेत्र में कमी है, तो उनको मेरिट में आने के लिये कुछ पर्सेन्टेज उपलब्ध करायें। मेरा निवेदन है कि कृपा करके इस बात को नोट करें, माननीय मन्त्री महोदय, और जब डिमाण्ड का उत्तर दें तो हमें आश्वासन दिलायें कि इसके बारे में आप गौर करेंगे और जो पिछड़े क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों के बच्चे आते हैं जो एग्रीकल्चर में, वेटरनरी में पढ़ना चाहते हैं उनको निश्चित रूप से आप मेरिट में आने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

मैं आपसे सूखी खेती के बारे में जानना चाहता हूं। मेरा इसका कोई अनुभव नहीं है। एक दफा ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम की मीटिंग हो रही थी उसमें हमारे मन्त्री महोदय ने कृषि अधिकारी से यह पूछा कि यह आपकी सूखी खेती क्या होती है? अब हमें कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी नहीं है, मन्त्रीजी के सामने जब उन्होंने प्रश्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को किया तो हम तो कैसे बोलते लेकिन आपके कृषि अधिकारी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो क्या आपकी सूखी खेती वही है या कुछ और है? यह अभी तक जानकारी नहीं है। मैं अभी और माननीय सदस्यों से पूछ रहा था। मैंने कहा भाई, यह सूखी खेती क्या है जिसके बारे में टेक्निकली काफी आगे बढ़ने का प्रयास राजस्थान कर रहा है तो आपके अधिकारी ने जो जवाब दिया वह मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो खेती भगवान के भरोसे हो जाय वह सूखी खेती है। जो खेती भगवान के भरोसे हो जाय वह सूखी खेती है तो फिर इसमें क्या तो आपका टेक्निशियन करेगा, क्या उसमें टेक्निकलिटी होगी। न मैं इसमें आगे कहना चाहता हूं, न इस बारे में आपके प्रतिवेदन में कुछ है।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मेरा निवेदन यह है कि अगर आपके डिपार्टमेन्ट के अधिकारी लोग भी यदि इसको नहीं जानते तो जो सामान्य किसान है वह इसके बारे में क्या जानकारी रख सकता है और क्या इस सूखी खेती से किसान लाभान्वित हो सकता है। इसलिए इसके प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। तिलहन और दलहन ...

श्री जगतार सिंह कंग (उप मन्त्री, सिंचाई) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अच्छा होगा वह अधिकारी कौन है, उसका नाम बता दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सदस्य, आप खोज करेंगे तो आप भी ऐसा अपने इलाके में पा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, पिछले साल हमारा सोयाबीन के ऊपर जोर था। प्रोटीन भी अधिक होता है इसमें। इसमें फेट कण्टेन्ट्स भी हैं। इससे दूध भी बनता है लेकिन आपके प्रतिवेदन से यह नहीं पता लगता कि सोयाबीन पर अब भी आप कोई बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हों। वैसे आपने यह जरूर बताया है कि 50 हजार हैक्टेयर में आप खेती करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके सिवाय और कोई जानकारी नहीं दी है। मेरा निवेदन है जिन चीजों के बारे में किसान को अधिक जानकारी नहीं है, उसको अधिक जानकारी देने के लिए पेम्फलेट, जो भी हो, मुहैया कराना चाहिये। जानते तो हम लोग ही नहीं हैं तो किसान तो कहां से जानेगा कि राज्य सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार निश्चित तौर से कर रही है तो फिर जानकारी क्यों नहीं है ?

इसके साथ ही मेरे यहां पर एक हरसोली कृषि बूलन फार्म है। उस शीप मल्टीप्लीकेशन फार्म को, बीच में जब जनता सरकार आई थी तो उन्होंने या उनके अधिकारियों ने उपयोगिता नहीं समझी। पंचायत राज के उस वक्त चुनाव नहीं हुए थे इसलिए उन्होंने उस फार्म को गवर्नमेन्ट को सरेण्डर कर दिया। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि डेगाना शीप मल्टीप्लीकेशन फार्म रियां का है, पंचायत समिति ने उसके विकास में काफी पैसा अपना खर्च किया है। वह डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कर दिया गया। आपके डिपार्टमेन्ट ने शायद डी. पी. ए पी. या रेवेन्यू को ट्रान्सफर करने के लिये लिखा पढ़ी की। जिलाधीश महोदय से जानकारी मिली कि इस फार्म को रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को दे दिया, जहां प्लान्टेशन करेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जो पंचायत समितियां इन फार्म को वापस लेना चाहती हैं और आपसे अलग कोई दूसरा वित्तीय साधन नहीं चाहतीं, आपसे कोई फाइनेन्स नहीं चाहतीं, उन पंचायत समितियों को यह फार्म वापस देने में कोई एतराज नहीं होना

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चाहिये। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसको कन्सीडर कीजिये। जिलाधीश या जिलाधिकारियों को देने से आपको कोई कृषि पाइन्ट आफ व्यू से लाभ होने वाला नहीं है इसलिए इनको वापस लौटा दीजिये।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि हमारे यहां पर कृषि मण्डियां और कृषि विपणन बोर्ड हैं। मण्डियां बनीं। एक श्रृंखला चली, अच्छी पद्धति चली और किसानों को लाभ हुआ। किसान, जिसको लोग लूटते थे, कृषि उपज मण्डियों के द्वारा अपना अनाज बेचने लगा है और उसको डायरेक्ट लाभ होने लगा है। वह बात अलग है जैसा कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे सदन में कि फसल आते ही भाव बहुत गिर जाते हैं इसलिए किसान को जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पाता और मार्केट में रेट को फ्लकच्युएट होने से रोक नहीं पाते इससे बिचौलियों को लाभ होता है। वह चाहे कृषि उपज मण्डी के द्वारा हो, चाहे किसी अन्य प्रकार से हो। माननीय मन्त्री महोदय ने उस वक्त छोटी सी टिप्पणी की थी कि यह खरीदना हमारा काम नहीं। मैं निवेदन कर रहा था कि काम किसी का हो, प्रश्न इस बात का है कि हम किसान के हामी हैं और किसान कृषि विभाग से सम्बन्धित है, कृषि विभाग की डिमाण्ड आज आपके सामने प्रस्तुत है....

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मन्त्री, कृषि) : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा, फूड की डिमाण्ड हो तब कहें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : वह मात्र फूड से सम्बन्धित नहीं है। आपके पास में किसान का सारा जोर है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं जो रेट फ्लकच्युएट होती है उसमें आपका विपणन बोर्ड और आपकी कृषि उपज मण्डी क्या कर सकती है, उनको इस बारे में विशेष तौर से रोल प्ले करना चाहिये। मेरा निवेदन यह है, जैसे आपने यह बताया कि यहां पर अनाज रखा जा सकता है किसान का और यह भण्डार है। यह एक तरह की योजना थी कि जैसे ही किसान अपने अनाज को रखेगा उसका 75 पर्सेन्ट बैंक से लोन मिल जायगा और जिस दिन बेचना चाहेगा उस दिन उसका किराया काट करके उसका सारा पैसा किसान को मिल जायगा। एक इस तरह की योजना थी जिससे किसान को मैक्जीमम लाभ मिलने वाला था। जब उसको पैसे की जरूरत हो वह उस भण्डार में अपना अनाज रख करके 75 पर्सेन्ट पैसा ले ले। इससे न सरकार को नुकसान और न किसान को नुकसान। उसे 75 पर्सेन्ट मिल जायगा। जब भाव अच्छे मिलने की आशा हो, उसको बेच दें। यह एक अच्छी व्यवस्था थी। बैंक और सरकार का कोआर्डिनेशन न होने के कारण यह योजना बन्द हो गई और किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की जो योजना है, आपसे सम्बन्धित हो सकता है कम हो, चूंकि आप मन्त्री कृषि के है

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोआर्डिनेशन बैठायें और परश्यू करा कर इस योजना को वापस शुरू कराने की कार्यवाही करें।

मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैंने बहुत पहले दो-तीन बार आपसे बात भी की थी कि आप जो कृषि उपज मण्डी समितियां बनाते हैं उसके पास कोई क्षेत्र हो जिसको उस कृषि उपज मण्डी में बढ़ाने से उस कृषि उपज मण्डी को लाभ हो सकता है या उसको जोड़ने से फायदा हो सकता है तो उस क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी से जोड़ दिया जाना चाहिये। अविलम्ब जोड़ दिया जाना चाहिये। इसके लिये मैं दो-तीन बार कृषि उपज मण्डी बोर्ड के अध्यक्ष से मिला भी था। मैं समझता हूं, अभी तक मेरे ख्याल से कोई व्यवस्था इसके लिये नहीं हो सकी है। यह घटना मेरे साथ ही हुई हो, यह बात नहीं है, इसमें मेरे जैसे और भी लोग हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन इसमें इतना ही करना था कि अगर किसी कृषि उपज मण्डी को लाभ नहीं मिल रहा है, अगर कोई क्षेत्र इस तरह से उसमें जोड़ दिया जाय और थोड़ा सा इधर-उधर करने से उसको लाभ हो सकता है तो वह कर देना चाहिये। इसमें तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिये। इससे कृषि उपज मण्डी समिति की आमदनी बढ़ सकती है और लाभ हो सकता है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र डेगाना में जो कृषि उपज मण्डी समिति है उसका अभी तक यार्ड नहीं बना है। इसका कारण यह है कि वहां के जिलाधीश अभी तक यह तय नहीं कर पाये कि कौनसी जमीन उसके लिये मुहैया करायी जाय। तो मेरा यह निवेदन है कि कोई भी जमीन आप मुहैया करावें जो उपयुक्त हो। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि आप जिलाधीश महोदय को इसके लिये सतर्क करें ताकि वह जमीन का आवन्टन जल्दी करें और वहां पर कृषि उपज मण्डी समिति का यार्ड बन सके।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिये, सभापति महोदय, मैंने मन्त्री महोदय को भी व्यक्तिगत तौर पर निवेदन किया था कि जो हमारे यहां पर कृषि उपज मण्डी समिति में अधिकारी है, इन्जीनियर है उसने वहां पर नालियों के निर्माण के लिये पहले कहा था कि डेढ़ लाख रुपया चाहिये। उसकी आपने स्वीकृति भेज दी उसके बाद उसने रिवाइज्ड एस्टीमेट भेजकर यह कहा कि डेढ़ लाख रुपये से काम नहीं चलेगा, दो लाख आठ हजार रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो कृषि उपज बोर्ड ने दो लाख आठ हजार की स्वीकृति भेज दी तब तक वहां पर नालियां बन चुकी थीं और दो लाख 19 हजार रुपये उस पर खर्चा हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी इसके लिये और रुपये चाहिये। तो कृषि उपज बोर्ड के सैक्रेटरी ने कहा कि इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं, जो आपने एस्टीमेट बनाया है उसमें आधा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

काम तो हुआ है और आधा काम हुआ ही नहीं। इन्होंने, सभापति महोदय, दो लाख 8 हजार रुपये खर्च कर दिये। सभापति महोदय, जिस तरह से वहां पर काम चल रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि अभी उसमें पांच लाख रुपये और चाहिये। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही अहम् मसला है, मैं समझता हूं कि सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। मेरा यह निवेदन है कि इसकी आप किसी बड़े अधिकारी को भेज कर माइन्यूटली जांच करायें ताकि देखा जा सके। दो लाख 8 हजार रुपये तो खर्च हो चुके हैं और 15-20 हजार रुपये की उन्होंने और मांग की है उन नालियों को पूरा करने के लिये, इसलिये मैं यह चाहूंगा कि आप इसमें व्यक्तिगत इन्टरेस्ट लेकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर अब थोड़ा पशुपालन विभाग के बारे में जरूर निवेदन करना चाहूंगा। मेरा निवेदन इसमें, सभापति महोदय, यह है जैसा कि मैंने कृषि कालेज के लिये आपको निवेदन किया था, अब, मन्त्री महोदय, आपको यह और याद दिलाना चाहता हूं कि वेटेरनरी कालेज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हमारे गांव के, देहात के लोग वेटेरनरी कालेज में जा सकें। आज जो आपके पशुओं के डाक्टर हैं वह पशुओं का इलाज करने में डरते हैं। उनको पशुओं का इलाज करने में फिजीकली और मैन्टली, दोनों ही तरह से भय लगता है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसमें देहाती भाइयों को प्रोत्साहन दें तो उचित रहेगा और आपकी बड़ी कृपा होगी।

इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता था, सभापति महोदय, कि मैंने एक प्रगति प्रतिवेदन आपके पशुपालन विभाग का पढ़ा था उसमें मुझे यह जानकारी हुई कि आपके यहां भैंसों के लिये योजना है। आपके भैंसों के फार्म में मुर्रा नाम की भैंस है जो कि अच्छी नस्ल की है और अच्छा दूध देती है। उस ब्रीड की भैंस आपके फार्म में है। सभापति महोदय, मुझे भी उस फार्म को देखने का मौका मिला लेकिन मुझे तो उस फार्म में मुर्रा नस्ल की कोई भैंस नजर नहीं आई। सभापति महोदय, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसके सींग बड़े होते हैं, मैंने वहां पर जो भैंसें देखीं उनमें किसी के बड़े सींग नहीं थे। मेरा यह निवेदन है कि जो पर्टीकूलर नस्ल होती है उसकी एक विशेषता होती है, अब मुझे तो पता नहीं कि वह कौनसी नस्ल की भैंस है। सभापति महोदय, जानवर तो बोलते नहीं और मन्त्रीजी भी उसमें कुछ नहीं करते। जो बोलते हैं वह उनके मालिक बोलते हैं। उन मालिकों में मैं भी एक मालिक हूं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस ब्रीड को लाये हैं उससे आप अपने फार्म में जो भैंसें हैं उनकी नस्ल सुधारिये। सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिये ही आपने उनको रख छोड़ा है तो बात और है।

225

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मैं आपको इसमें यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो वेटेरनरी के डाक्टर्स हैं यह भी मेरे ख्याल से जानवरों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। उनको भी पता नहीं कि कौन सी नस्ल के जानवर हैं। उनको तो कम से कम जो जानवर आपके यहां हैं उनके संबंध में जानकारी पूरी होनी चाहिये। मैंने इसके बारे में संबंधित मंत्रीजी से यदा-कदा पत्र व्यवहार किया है, वार्तालाप और डिस्कस भी इसके लिये मैंने आपसे किया। हालांकि किसानों से संबंधित नहीं होते हुए भी आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी है, आपने अच्छे प्रयत्न किये हैं, आप आनन्द डेयरी वगैरह भी देखने गये और आपने बहुत सारी जानकारी हासिल की, इससे मैं समझता हूं कि राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ होगा। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह लाभ तब होगा जब आप योजना लागू करेंगे। आप इस योजना को लागू करने की घोषणा कर दें।

सभापति महोदय, अभी यहां एक माननीय सदस्य ने कहा था अपने भाषण में कि गांवों में वैन उपलब्ध नहीं है और उसके नहीं होने से काफी कठिनाई गांव के पशुपालकों को होती है। अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि अगर आदमी बीमार पड़ जाय तो उसको किसी गाड़ी या कन्धों पर अस्पताल ले जाया जा सकता है लेकिन पशु को तो कन्धों पर नहीं ले जाया जा सकता है। उनको तो गाड़ी में भी नहीं ले जाया जा सकता है। तो इसके लिये साधन होना चाहिये ताकि जानवरों को उसमें अस्पताल ले जाया जा सके और उनका इलाज कराया जा सके। अब आपने एक आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन का भी कार्यक्रम दिया है और वहीं आज कल इन पशुओं को क्रास कराने के लिये ले जाना पड़ता है। सभापति महोदय, आज जानवरों की कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं। गाय की कीमत पांच हजार है और भैंस की कीमत भी बढ़ गयी है। कीमत तो दिन-ब-दिन बढ़ रही है। जब किसी पशुपालक का पशु बीमार होता है तो वह बीमार मवेशी का इलाज भी कराता है, उसको दवाई दिलाता है। सभापति महोदय, आज किसान पशु पर पैसे भी इलाज के लिये खर्च करता है ताकि उसका पशु ठीक हो जाये। तो इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आप एक एक वैन की व्यवस्था अलग अलग क्षेत्रों में करावें ताकि मवेशियों को लाया ले जाया जा सके।

इसके अलावा आपकी जो गायें हैं राठी, नागौरी, थारपारकर नस्ल की, उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ब्रीड है इससे भी क्रास कराने की व्यवस्था की हुई है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आप इस क्रास को रोक दो। इसको रोक कर पहले आप यह तय करें कि कौन सी नस्ल के जानवर के साथ आप क्रास कराना चाहते हैं। अमूमन होता क्या है कि शहर में जानवर आते हैं उनको डाक्टर अपनी मर्जी से चाहे जिससे क्रास करा देते है, जैसे जर्सी से क्रास करा दिया जाता है। वह यह नहीं देखते हैं कि इसको

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

होस्टिंग से क्रास कराना चाहिये या जर्सी से क्राम करांना चाहिये। बस उनको तो क्रास कराना है इसलिये चाहे जिससे क्रास करा दिया जाता है। अब आपके पास रेड डैन भी है। हो सकता है, यह बहुत ही अच्छी नस्ल का जानवर हो। पर इस एनीमल का आपके पास क्या उपयोग है ? आपके बीकानेर के फार्म में यह रेड डैन है। पर उसकी उपयोगिता क्या है ? यह रेड डैन काम में आते हैं या नहीं ? आपने इसको क्यों खरीदा है, आपका क्या स्वार्थ है ? अगर आपका स्वार्थ नहीं है तो आप इनको समाप्त कर दीजिये। यह काम में नहीं आता है तो आप इनको क्यों खिला पिला रहे हैं, इसको आप बन्द कीजिये। आपने अगर इस जानवर को केवल ज्ञान बढ़ाने के लिये रखा है कि दुनिया में ऐसे भी जानवर हैं तो आप दो-चार गायें रख लें ताकि आपको बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेन्ट रखने की आवश्यकता नहीं पड़े।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो होस्टिंग गाय है उसे भी आपने रख रखी है। आप यह देखिये कि इसके दूध में कितना फैट है, इल्ड कितना है। उसको खिलाने में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है तो आप किसलिये होस्टिंग से क्रास करवाते है। इनका खर्चा अधिक है और इतना बांटा भी यहां का किसान नहीं खिला सकेगा, न ही चारा खिला सकेगा। तो मेरा यह निवेदन है कि जो डाक्टर हैं उनको खुद भी पता नहीं कि किस जानवर को कौनसे जानवर से क्रास कराना चाहिये। जब क्रास कराने के लिये किसान अपने पशु को लेकर जाता है तो वह डाक्टर बिना सोचे समझे टीका लगा देता है और उसको कहता है कि अब दो महीने बाद में आना। वह दो महीने बाद आता है। उसके टीका पूरा लगा या नहीं, दो महीने बाद रिपीट करने के लिये बुलाता है, वह पशु ठीक हो जाता है तो ठीक है वरना उसको तो चूंकि टीका लगाना है इसलिये लगा देता है। इस प्रकार उस पशुपालक को दो-तीन बार बुला लेता है। सभापति महोदय, उस पशुपालक को लाने ले जाने में कितना खर्चा आता है, डाक्टर तो कह देगा इसको रिपीट कराइये। तो मेरा यह निवेदन है कि यह देखने की बात है कि वह टीका सक्सेस हुआ या नहीं। अगर उसका टीका सक्सेस नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। मेरा कहना यह है कि आपका जो डाक्टर है वह इतना होशियार होना चाहिये कि सेन्ट पर्सेन्ट नहीं तो 90 से 99 प्रतिशत तक श्योरिटी से वह काम करे ताकि वह पशु ठीक रहे। नहीं तो उस पशुपालक को नुकसान होगा।

इ के साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अच्छे नस्ल के सांड पैदा करें और गांव को दें। सांड कैसे होते हैं ? कोई लूला है, कोई लंगड़ा है कोई अंधा है। पांच, दस प्रतिशत कोई गिनता नहीं। वह इसलिए हो जाते हैं कि जब क्रास होते हैं तब गाय और सांड साथ रहते हैं तो पता नहीं रहता कि किस का किस से क्रास हो रहा है। इससे यह नतीजा निकलता है

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कि बछड़ा अन्धा हो जाता है। अन्धा होने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। नागौर में कोई बछड़ा हो अगर उसको सांड के लिए तैयार किया जाना है तो उसकी पैरवी 90 प्रतिशत होनी चाहिए जो राज्य सरकार करती है, पर इसके लिये काश्तकार के पास क्या व्यवस्था है? आपके पास नागौर में जितने सांड हैं उसमें पचास प्रतिशत से ज्यादा प्योर नहीं है। इसका मतलब यह है कि काश्तकार जिन सांडों को पैदा कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं वह ज्यादा प्योर उपलब्ध करा रहे हैं और आपका खर्चा उनसे ज्यादा आता है। जितने बड़े बड़े मेले लगते हैं जहां अच्छी किस्म के बछड़े आते हैं वहा से खरीद कर आप किसानों को दें तो भी आपका इतना खर्च नहीं आयेगा जितना आपका नागौर के फार्म के रख-रखाव पर आता है। इसलिए आप कमेटी बनाइये और यह तय कर दीजिए कि जिस मेले में अच्छी ब्रीड के बछड़े आयें उनको इनाम दें। वह जज करें और उनको जानकारी दें। उनको खरीद कर आप गांव वालों को उनकी इच्छा के अनुसार वितरित कीजिए। इससे उनको लाभ मिलेगा और राज्य सरकार की सम्पत्ति बढ़ेगी। इससे काश्तकारों की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी।

सभापति महोदय, आपने जो पशु रखे हैं उनकी संख्या 1048 बताई है और उस में सांड हैं 67, आपका इसमें इतना स्टाफ लगा हुआ है यह तो, सभापति महोदय, कोई संख्या ही नहीं है। एक हजार से ऊपर मवेशी और 67 सांड। इसका मतलब यह है कि आपने कुछ काम किया ही नहीं। इसलिए इसको सुधारिये। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मंत्री महोदय, कि आप दिलचस्पी लेते हैं, हमसे बात करते हैं, इतना समय लगाते हैं तो निश्चित तौर से कुछ करना चाहते हैं। हमारे यह सुझाव आप स्वीकार करें और अपने सैक्रेटरी और विभागीय अधिकारियों से बात करें तो निर्णय निश्चित तौर से अच्छा निकलेगा। इससे किसान लाभान्वित होगा। मैं नागौर के लिए आपको विशेष तौर से यह निवेदन करने वाला था कि नागौरी वह ब्रीड है जो सारी दुनिया में मशहूर है, हिन्दुस्तान में तो है ही। हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति को उस नस्ल पर नाज है। आज आप कहीं भी जाइये, उस ब्रीड का जो जानवर मिलेगा, वह नागौर का मिलेगा। अमरीका, अफ्रीका में मिल जायेगा चाहे उसकी तादाद कम हो। इसको सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? आप इसके लिए शोध करायें कि इस जानवर में कौन सी खूबियां हैं। हमारे यहां से पंजाब और यू पी. के काश्तकार सांड खरीद कर ले गये, उनका वहां उपयोग किया लेकिन वह सफल नहीं हो सके। उनके सांडो से उनकी गायों से जो बछड़े हुए हैं उनका परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा है। नागौर की आबो-हवा है, चारा है और पशुपालक जिस प्रकार पशुओं का रख-रखाव करते हैं यह सब चीजें मिल कर पशुओं को ऐसा बनाती हैं कि हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया में वहां के पशु मशहूर हैं। इसका आप शोध करें और इसके लिये अलग से कालेज खोलें। यह बहुत बड़ी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सम्पत्ति है, इससे आपको लाखों-करोड़ों की आय होती है इसलिए आप इसको टालें नहीं। काश्तकारों को ज्यादा आय नहीं है। इसकी बहुत सूक्ष्मता से जानकारी करके काश्तकारों को लाभान्वित करने के लिए कालेज खोलें और शोध कार्य करवायें।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ यह यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कुछ योजनायें अच्छी ली हैं लेकिन ऊंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ऊंट के बारे में लिखा है कि उसको सरा रोग नहीं होना चाहिए, वह अगर हो जाये तो समझ लीजिए उसकी 99 प्रतिशत मौत है। आप, यह रोग नहीं लगे, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ऊंट बहुत उपयोगी हो गया है, बैल से ज्यादा उपयोगी हो गया है। आज से 10 साल पहले ऊंट पर सवारी करते थे, ऊंट पर जितना लाद सकते थे, लादते थे, आज उसको गाड़ी में जोतते हैं और बैलों के मुकाबले वह चार-पांच गुना अधिक बोझा उठाने की क्षमता रखता है। चूंकि ऊंट ज्यादा महंगा हो गया है इसलिए यह पशु अननेसेसरी समझा गया है। यह लुप्त नहीं हो जाये, आप इसके लिए गहरा मनन करके, विचार करके देखिये कि कहां फार्म खोले जा सकते हैं, इसके रख-रखाव के लिए क्या किया जा सकता है ताकि राजस्थान में इसकी जितनी संख्या है वह और आगे बढ़ सके और किसानों को लाभ मिले।

बकरी के बारे में जो जानकारी दी है, मैं इससे सहमत हूं। यह बहुत ही लाभान्वित व्यापार है। व्यापार इसलिए मैं कहता हूं कि बकरी का दूध थर्मस के दूध की तरह है। जैसे थर्मस में दूध फ्रेश रहता है, उसी तरह बकरी में भी 24 घण्टे दूध सही रहता है। जब भी बच्चे को या लड़की को भेजो, दूध निकालो और ले आओ। यह रेफिजरेटर बकरी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद खाने की इच्छा करे तो बाद में खाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह काम राज्य सरकार बहुत बढ़िया कर रही है कि वह मीट भर-भर कर दुनिया को खिला रही है। मेरा यह निवेदन है कि इसके बारे में यह सोचा जा रहा है कि बकरी प्राकृतिक सम्पदा का कितना नुकसान करती है। जहां बकरी पहुँच गई वहां जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं उसका बिलकुल सत्यानाश तो क्या सवा सत्यानाश हो जाता है। इसलिए जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालन करते हैं उनको आप सिखाइये कि यह जरूरी नहीं है कि वह बकरियों को दिन भर जंगल में लिये घूमते रहें और प्राकृतिक सम्पदा को नष्ट करते रहें। उनको घर पर रखना भी सिखाइये। इसके लिए उनको यह नहीं कहना पड़े कि मैं नहीं करता, मैं नहीं पालता, मेरे घर में गाय, भैंस बहुत हैं। रामनारायण चौधरी साहब, जो इस समय माननीय सभापति महोदय के रूप में विराजमान हैं, बकरियां काफी रखते हैं। मुझे देखने का मौका मिला, मुझे सूक्ष्म जानकारी का मौका मिला कि इससे बहुत लाभ है। साल में दो बार ब्याती है। दूध

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

तो देती ही है, जब न दे तो खाने के काम आती है। इसलिए आप सूक्ष्म जानकारी करके देखिये कि इसके चारे के लिए क्या किया जा सकता है। जो बकरी पालक हैं, काश्तकार हैं उनको आप गाइड करें कि वह प्राकृतिक सम्पदा का नुकसान नहीं करें। वेजिटेरियन ग्रोथ कहीं घट न जायें। आपको जानकारी हो तो पाकिस्तान में सब मुसलमान बकरी खाते हैं, काट कर खाते हैं लेकिन बकरी वहां नहीं होती है। मैं यह निवेदन करूं कि यह वेजिटेरियन ग्रोथ की दुश्मन है। हालांकि नुकसान अपना किया है, सोचना यह चाहिए कि यह रहे और प्राकृतिक सम्पदा का नुकसान भी न हो। इस तरह का आप रास्ता निकालें।

मुर्गी पालन के लिए आपने टोंक का नाम लिखा है। जितना नुकसान आपको इससे टोंक में हो रहा है वह सारा फायदा जो होता है, बराबर हो जाता है। अधिकारी लोग इसलिए रखते हैं कि अंडा पैदा करेगी तो खायेंगे या कोई अधिकारी या हमारे जैसे विधायक हो उनको खिला देते हैं। खैर, जो भी है। अजमेर और जयपुर मुर्गी पालन में काफी आगे बढ़े हैं और खुशी की बात है कि राजस्थान में मुर्गी और उसके अंडे बाहर भेजे जाते हैं और मुर्गी पालकों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। विदेशों में साठ-साठ हजार मुर्गी एक साथ रखी जाती हैं। उनका सारा प्रोसेस आटोमेटिक है। एक मियां-बीवी, बुजुर्ग पाल लेते हैं और अंडे निकालते हैं। हो सकता है हमारे यहां लेबर इतनी सस्ती है, इतना मेकेनाइजेशन सम्भव नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि उतना मेकेनाइजेशन करने के बाद भी इस व्यवसाय को फायदेमंद बनाने के लिए और आगे बढ़ायें। लोगों को इसके लिए जागरूक करें। जितने आपके बेरोजगार हैं उनको इसमें लगायें। आर्थिक सहायता भी उनको मिले।

भेड़ों के बारे में निवेदन करूं इससे पहले मैं वेतनमान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे इतना पता है कि वेटेरनरी डाक्टरों का निश्चय ही बड़ा रोल है पशु-पालन इसमें। आज तक यह डाक्टर गप्पें मारते रहते थे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब वेटेरनरी डाक्टरों में जोश आने लगा है। ज्यों-ज्यों मवेशी महंगे हो रहे हैं त्यों-त्यों गांवों में उत्साह बढ़ रहा है कि हमारे मवेशी ठीक रहे। तो वह डाक्टरों के पास पहुंचने लगे हैं। डाक्टर, जैसा कि हम देखते हैं, हर वक्त बिजी रहता है। उन डाक्टरों के वेतनमान में अन्तर हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1969 तक इनका वेतनमान बराबर था, एक वेतनमान था। पहले हायर सैकण्डरी पास मेडिकल में स्टूडेन्ट बन जाते थे और हायर सैकण्डरी पास ही वेटेरनरी में जाता था अब जाते हैं फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर इसकी योग्यता है। उनके कालेज में जाने से पहले टैस्ट होता है वह टैस्ट दोनों का साथ होता है। कालेज में जाने के बाद में चाहे वेटेरनरी डाक्टर हो चाहे मेडिकल डाक्टर हो, इनके कई ऐसे विषय हैं जो वेटेरनरी के ग्रेजुएट ग्रेजुएशन करने के बाद

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मेडिकल कालेज में आकर पढ़ते हैं। तो इतनी समानता है। टोटल वर्किंग आवर्स मेडिकल वालों के हैं 800 घण्टे, जब कि वेटरनरी वालों के स्टडी ऑवर 1500 होते हैं। इनकी चार परीक्षायें यूनिवर्सिटी में होती हैं जब कि मेडिकल वालों की तीन होती हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी आपको बताया था कि वह उसका इलाज करते हैं जो बोलता नहीं है। हमारे मन्त्री महोदय भी इस मामले में हो सकता है कि और मंत्रियों से बहुत पिछड़े हुए हों, उनको उस जात के साथ, उस ग्रुप के साथ रहना पड़ता है और उनका व्यवहार भी बर्दाश्त करना पड़ता है और इलाज भी करना पड़ता है जो मूक हैं बोलते नहीं है, उनके साथ आने वाले ज्यादा बोलते हैं। तो हम भी उनके साथ हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं। वह उनका इलाज कर रहे हैं उनको अलग रख कर इतना कम वेतन रखें इसमें राज्य सरकार की होशियारी हो, यह बात नहीं है। उत्तर भारत में कई ऐसे स्टेट हैं, उनके मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आठ स्टेट ऐसे हैं जहां वेतनमान मेडिकल डाक्टरों के और वेटरनरी डाक्टरों के बराबर हैं। इसलिये आप इस बात को गहराई से देखिये। जो लोग ऊंट को, बैल को, गाय को पकड़ने जाते हैं, यदा-कदा उनको दो-चार लात भी खानी पड़ती है। आदमी अगर पागल हो जाय और लात मार दे तो खास नुकसान नहीं होता लेकिन घोड़े, गधे और खच्चर की लग जाय तो काफी नुकसान होने का अंदेशा होता है। जो नुकसान उठा कर इस काम में लगे हैं, इस बात को देख कर उनका वेतनमान आप ठीक करिये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसके साथ ही मैं थोड़ा सा भेड़ों के बारे में कहना चाहता था। भेड़ों का भविष्य भेड़ मन्त्रीजी तो हैं नहीं....

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : वह उधर बैठे हैं आपकी तरफ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : भेड़ मन्त्रीजी हमारे यहां आकर बैठ गये जब कि उनको वहां बैठकर सुनना चाहिए था। खैर, वह भी गौर से सुनेंगे।

मेरे खयाल से भेड़ मन्त्रीजी को पता नहीं है कि राजस्थान के अन्दर कितनी भेड़ें हैं। प्रतिवेदन में नहीं है तो ऐसा लगता है कि इनको इनके विभाग ने जानकारी नहीं दी कि आपके पास में कितनी भेड़ें हैं, कितनी भेड़ माइग्रेट होती हैं। भेड़ों के लिए गंगानगर में एक स्कीम बनाने की थी कि वहां एक लम्बे-चौड़े क्षेत्र में भेड़ों के लिए चरागाह डवलप करेंगे। जब कभी हमारे यहां पर अकाल पड़ जाता है या भेड़ों के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता है और हमारी भेड़ें यू. पी. में जाती हैं या इधर कांकरोली और सवाईमाधोपुर के इलाके में जाती हैं और यहां आने पर छोटे-मोटे झगड़े होते हैं या हमारी भेड़ें मध्य प्रदेश जाती हैं और यहां के मुख्य मन्त्रीजी को यह निवेदन करना पड़ता है कि इनको किसी तरह से वहां पर चरागाह में, वनों न

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चराने की इजाजत दी जाये। इस भेड़ के बारे में लगता ऐसा है कि कोई विशेष चिन्ता नहीं की गयी है।

इस बारे में मैं दो चार सुझाव देना चाहता हूं। एक तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भेड़ों का जो प्रजनन कराया जा रहा है, जो आर्टिफिशयल इनसेमीनेशन हो रहा है वह उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए। इन्होंने डी.पी. ए. पी. के अन्तर्गत छोटी-छोटी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर कुछ भेड़ें रखी थीं। हरेक भेड़पालक एक-एक उसको भेड़ देगा। वही एक सीमित संख्या में भेड़ हैं। उसके लिये राज्य सरकार ने सौ हैक्टेयर का फार्म बनाया है उसमें शेड बना हुआ है, पानी उपलब्ध है, तारबन्दी की हुई है। वहां आदमी रहता है। वह जो भेड़ डाइरेक्टली इनके संरक्षण में हैं उन भेड़ों का भी सौ प्रतिशत प्रजनन नहीं किया जा सका है, उनको भी आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन करके नहीं सुधारा जा सका तो आप क्या आशा करते हैं कि राजस्थान में जो लाखों की संख्या में भेड़ें हैं उनको कुछ सुधार सकेंगे। नागौर जिले में 18 लाख भेड़ें हैं और 18 लाख भेड़ें होते हुए भी आपका कोई आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेन्टर नागौर के अन्दर नहीं है। यह बदकिस्मती हमारी है कि "ना गौर"-कोई गौर ही नहीं। मंत्री महोदय, आप गौर करेंगे। आप यहां बैठे हैं तो मुझे शंका है कि आप गौर नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा ध्यान तो सभापति महोदय की तरफ और ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि भेड़ों के बारे में जो भी आप करने जा रहे हैं उसको सच्चाई से कीजिए, मजबूती से कीजिए।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इनके बहुत से अधिकारी हैं जो कि आस्ट्रेलिया जा चुके हैं, अमेरिका भी जा चुके हैं। आप भेजिये उनको लेकिन एक बात और सोचने की है कि जिस अधिकारी को जिस काम के लिए आप बाहर भेजते हैं वह जैसे ही हिन्दुस्तान आता है उसका ट्रान्सफर करके दूसरी जगह लगा देते हो तो फिर भेजने का लाभ क्या हुआ ? अगर भेजते हैं तो उसकी अण्डरटेकिंग होनी चाहिए कि आने वाले आदमी नेक्स्ट तीन साल तक कहीं नहीं जायेंगे। भेजने वाले आदमी इस बात का गौर करेंगे कि आने के बाद में तीन साल तक उसका पूरा फायदा लेंगे, नम्बर एक। नम्बर दो, यह है कि आप भेड़पालक पर भी मेहरबानी कीजिए, उसको भी भेजिये। उसको आस्ट्रेलिया भेजिये। जहां-जहां भेड़पालन हो रहा है वहां भेजिये। उसको स्वीडन भेजिये, उसको अमेरिका भेजिये। उसे भेजें ताकि वह देख ले कि वहां पर भेड़ों को कैसे रखा जाता है, उनकी पास्चर लैण्ड किस तरह की है। अमेरिका में जहां बहुत बड़ी पास्चर लैण्ड नहीं है वहां घर में भेड़ें किस तरह से रखते हैं। जब वहां बर्फ पड़ जाती है तो वहां पर भेड़ को फीडिंग किस तरह से कराते हैं। उनके बर्फ पड़ने का मतलब अकाल और हमारे यहां कुछ नहीं होने का मतलब अकाल। इसलिए सलेक्टेड भेड़पालक

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हैं उनके लड़कों को भी आवश्यक रूप से वहां भेजिये और उनमें लालसा पैदा कीजिए कि उनके लड़के पढ़ लिखकर डाइवर्ट नहीं हों और अपने पैतृक धंधे में लगे रहें ताकि अनएम्पलायमेंट भी क्रियेट नहीं हो और उस धन्धे को और सुधारा जा सके।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्रियों को भी वहां भिजवाओ तो ठीक रहेगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यही मैं सोच रहा था। अब जब आपने निवेदन किया तो सबसे पहले आप ही प्रोग्राम बना लो। पर मुझे ले जाना मत भूलना नहीं तो आपको गाइड कौन करेगा।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने दो-चार बातें आपके सामने रखी उनके बारे में आप गौर करके किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करेंगे।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री फतेसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सुजान सिंह।

श्री सुजान सिंह (बहरोड़) : सभापति महोदय, टाइम काफी हो चुका है और मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार की बातें अपनी रखी है मगर मैं किसान होने के नाते अपने कुछ दो-चार सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज जो मांगें पारित की जा रही हैं वह केवल 80 प्रतिशत जनता, जो गांवों में रहती है, के निमित्त पारित की जा रही हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारा बजट है वह बहुत ही सीमित है। इन मांगों को पारित करने से हमारे प्रदेश का कोई अच्छा भला होने वाला नहीं है। आज इस मांग पर बातें बहुत कुछ कही जा चुकी है उन्हें दुबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा राजस्थान प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश में दूसरे नम्बर पर आता है। यहां का भौगोलिक दृष्टि से जो क्षेत्रफल है उसके आधे हिस्से में खेती होती है। कहीं पहाड़ है, कहीं नाले हैं, कहीं जंगल हैं। इस प्रकार के प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधे हिस्से में खेती होती है। मेरे दल के माननीय सदस्यों और विरोध पक्ष के सदस्यों ने बार-बार यही कहा है कि देश में कृषि की बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं इस बात को साबित करूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब भारत आजाद हुआ तब न कहीं बिजली थी, न कहीं कुएं थे और न ही सिंचाई के कोई साधन थे। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव-गांव में बिजली है, गांव में किसान के खेत पर दो बीघा जमीन भी है तो उसमें भी कुआ है। तो इस लिहाज से मैं अनुमान लगाता हूं कि देश में पैदावार बढ़ी है न कि घटी है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : घटने का तो किसी ने भी नहीं कहा है।

श्री सुजान सिंह : कहा है। माननीय सदस्य एक दो ने कहा है। मैं सुन रहा था। मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र में आज इतनी प्रगति हुई है तो भला राजस्थान के लिए कैसे सोच सकते हैं कि कृषि की पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हुई है....

एक माननीय सदस्य : आपके यहां कृषि मण्डी भी है?

श्री सुजान सिंह : मैं आ रहा हूं, आप मुझे बार-बार क्यों टोक रहे हो?

मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारा प्रदेश आज से पहले पूरे हिन्दुस्तान में चौथे नम्बर पर आता था प्रोडक्शन के लिहाज से। आज इन आंकड़ों से मुझे मालूम पड़ा कि इस साल एक करोड़ टन अनाज पैदा होने की सम्भावना है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आज हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान में तीसरे नम्बर पर है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि देश में कृषि का विकास नहीं हुआ। कृषि का विकास नहीं हुआ तो मैं यह कह सकता हूं कि खेती का विकास जरूर हुआ है। यह मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने जो धारणा बनाई है, उनकी मात्र दोषारोपण की भावना रही है।

दूसरा, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा और मैं इस बात को बहुत बुरा मानता हूं कि जब वह विधान सभा में बात करते हैं तो कहते हैं कि आप 50 हजार खा गये, 60 हजार खा गये, इसके अन्दर गोलमाल कर गये। मैं आपको उदाहरण देकर साबित करूंगा, किसी का लड़का है और लड़का बिलकुल निकम्मा है और बाप उसको पीटता है तो बच्चा एक दिन यह सोचने लग जाता है कि बाप दो थप्पड़ और मार लेगा। तो मैं मेरे उन अधिकारियों की तरफ इशारा करता हूं, इस विधान सभा में अधिकारीगण आते हैं जिनसे हम सहयोग लेते हैं और विकास की बढ़ोतरी चाहते हैं और उनको रोज यहां बैठ कर हम यह कहते हैं कि अधिकारी यह खा गये, वह खा गये। तो मैं इस बात को अशोभनीय समझता हूं और उसी बच्चे के उस दृष्टान्त में रखता हूं। अधिकारियों की इच्छा आज इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की है। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि अधिकारी भी यह सोचने लग जायेंगे कि विधान सभा में जायेंगे तो दो-चार विधायक ऐसा कह देंगे कि 50 हजार खा गये, एक लाख खा गये, फलाना खा गये, अन्य खा गये। इससे देश का भला होने वाला नहीं है बल्कि बुरा ही होगा। तो माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करूंगा कि जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव रखें, जब भी कोई ऐसा एलीगेशन लगायें तो प्रामाणिक रूप से एलीगेशन लगायें। कभी-कभी कह देते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। कोई कहता है मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो नया विधायक हूं, मुझे 4 साल तो हो गये, मेरे सामने आज तक किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि मैं स्पीकर साहब के सामने इस्तीफा देता हूं। वे जेब में रखते हैं दिखाने के लिए, देने के लिए नहीं है।

(श्री सुजान सिंह)

तो मैं आपसे निवेदन करूं कि कभी भी कोई एतराज करें, एलीगेशन लगायें तो प्रामाणिक रूप से लगायें, बेसलेस नहीं लगायें। सभी का जो मानस है, सभी लोग इज्जत रखते हैं, हम भी इज्जत रखते हैं, हम भी शहर में घूमते हैं, गांवों में घूमते हैं। हम पर भी कोई एलीगेशन लगाते हैं कि विधायक खा गये,

(7.00 सायं)

विधायक पर ही जिम्मेदारी है। हम दिल से सोचें, हमारे साथ क्या बीतती है। तो मैं विधायकों से, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, कोई ठोस प्रमाण रख कर ही ऐसी बात करें विधान सभा को अखाड़ा न बनायें। यह विधान सभा राजस्थान का सर्वोच्च न्यायालय है इसमें बैठ कर न्याय संगत और संयत की बात करनी चाहिये, वजन वाली बात करनी चाहिये, बेसलेस आधार लेकर कोई एलीगेशन्स नहीं लगाने चाहिये। इस बात में अधिक न जाकर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

कृषि के विकास के बारे में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पहले विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में अनाज आता था। एक माननीय विधायक कहते हैं कि अब भी विदेशों से अनाज आता है। इसका भी कारण हो सकता है। अब की दफा हमने यह सोचा था कि कृषि की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होगी मगर दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रांत का, किसानों ने फसल बोई, किसानों की फसल के लिये टाइम पर बिजली दी, खाद दी किन्तु जब फसल पकने को आई तो प्रकृति का प्रकोप हुआ, उसको पाला मार गया, उसको ओले मार गये और उसके बाद हवा चल गई। इसमें हमारे साइंटिस्टों का, हमारे और लोगों का क्या दोष है। यह प्रकृति का प्रकोप है। किसान तो खुले में सोता है। उसकी फसल के लिये कोई कहते हैं, यह भी औद्योगिक संस्थान है। कृषि ही केवल एक औद्योगिक संस्थान है जो जुआ है। किसान की खेती एक प्रकार जुआ है। जुआ मैं इसलिये कहूंगा कि सब तरह की तैयारी कर ली, जमीन तैयार कर ली, तैयार करने के बाद बीज बो दिया, बीज बोने के बाद सिंचाई करदी, सिंचाई के बाद कीटनाशक दवाइयों से उसका उपचार कर दिया। मगर आखिर होता क्या है, कभी पाला मार जाता है, कभी ओला मार जाता है। कृषि किसान के लिये एक जुआ है। केवल प्रकृति के आधार पर किसान जिन्दा है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने, मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि किसान की बढ़ोतरी नहीं हुई, उत्पादन नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कि यह उत्पादन घटा है। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता। मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। दो तरफ से हरियाणा लगा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैं यह दुर्भाग्य ही कहूंगा, जो किसान जिस चीज को पैदा करता है उसका भाव लगाने वाले, तय करने वाले दूसरे लोग हैं। मगर और जो चीजें पैदा करते है फैक्ट्रियों में जो चीजें पैदा होती है उनका

(श्री सुजानसिंह)

भाव तय करने वाला खुद मालिक होता है। दुर्भाग्य की बात है, मेरे विधान सभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टाइम से कृषि उपज मण्डी की घोषणा हुई थी मगर किन्हीं कारणों से वह घोषणा कागजों में रह गई। मैंने इसी सत्र में एक प्रश्न भी रखा था। उसमें मन्त्री महोदय से निवेदन भी किया था कि कृषि उपज मण्डी मेरे इलाके में बनाना नितांत आवश्यक है। कारण यह है कि मेरे इलाके से नारनोल मण्डी, जो हरियाणा की सबसे बड़ी मण्डी है, 15 किलोमीटर पड़ती है, दूसरी मण्डी हटेली मण्डी 18 किलोमीटर पड़ती है। तीसरी रेवाड़ी की मण्डी 45 या 50 किलोमीटर पड़ती है। मेरे इलाके में जो उत्पादन होता है वह तमाम हरियाणा में जाता है और जितनी आमदनी हमको होनी चाहिये वह आमदनी हरियाणा को होती है। इसका कारण है, मेरा इलाका सड़कों के लिहाज से, आवागमन के लिहाज से, साधनों के लिहाज से पिछड़ा हुआ हैं। इसलिये कृषि मन्त्रीजी इस पर विचार करें और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। यदि कृषि उपज मण्डी के चुनाव नहीं भी हों तो शीघ्रातिशीघ्र मनोनयन करवायें। इससे ज्यादा मेरे इलाके में कोई प्राब्लम नहीं है।

अब मैं पशुपालन के विषय पर आता हूं। पशुपालन मन्त्रीजी से सबसे पहला निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पशु चिकित्सालय हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चुनाव के बाद में तीन चिकित्सालय खुलवाये और चार पशु चिकित्सालय खुलवाये, इस लिहाज से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने यह भी निवेदन किया है, इसी विधान सभा क्षेत्र में तीन पशु चिकित्सालय और खुलने चाहिये। मैंने एक प्रश्न भी रखा है कि मेरे यहां तीन गांवों, जो कि हरियाणा की सीमा पर बसे हुए हैं और बड़े बड़े गांव हैं, में एक कम्पाउंडर रख दिया जाये तो मेरे इलाके में स्वास्थ्य की बहबूदी बहुत अच्छी होगी और मेरे इलाके में आपकी वाहवाही होगी। कारण यह है कि मेरे क्षेत्र के आदमी हरियाणा के औषधालयों में जाते हैं। वहां यह कहते हैं, पिछड़े हुए प्रदेश के आ गये, भाई इनके पशु आये हैं जल्दी दवा लगा दो। यह मेरे लिये शर्म की बात है, मन्त्री महोदय के लिये शर्म की बात है और राजस्थान सरकार के लिये शर्म की बात है। हमारा कम्पटीशन हरियाणा से है हमारा कम्पटीशन राजस्थान के अन्य जिलों से नहीं है। आपका विधायक आपके सामने निवेदन कर रहा है, हमारे लिये यह शर्म की बात है, मन्त्री महोदय, जब पशु अस्पताल खोलें तो इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

अब मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इलाके की बकरी, जो कि जखराना की बकरी है, प्रसिद्ध है। सभापति महोदय, आपके सामने मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप बकरी रखते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्यों को पूर्व वक्ता और मेरे पूर्व भाई आदि शब्दों से सम्बोधित नहीं करना

(श्री सभापति)

चाहिये। सभी इस सदन के माननीय सदस्य हैं। या तो उनके निर्वाचन क्षेत्र से सम्बोधित करें या माननीय सदस्य के नाम से।

श्री सुजानसिंह : सभापति जी, मुझे नहीं मालूम, आपने किस प्रकार की बकरी को रख रखा है। मेरे इलाके में जो बकरी है वह 6-7 किलो दूध देती है 24 घंटों में। मन्त्री महोदय से मैंने बार-बार निवेदन भी किया, आप पधारिये, उस बकरी को देखिये, उसकी नस्ल में सुधार करिये। आप भी घर पर लाकर देखिये, वह बकरी क्या है, किस तरह की है और उसकी नस्ल में बढ़ोतरी करिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने भेंट करने के लिये कहा था।

श्री सुजानसिंह : भेंट भी हो जायेगी। आप मानस बनायेंगे तो भेंट भी हो जायेगी। पहले चलने का मानस तो बनायें आप।

वह बहुत बढ़िया बकरी है, 6-7 किलो दूध देती है। अमूमन बकरी तीन चार किलो से ज्यादा दूध नहीं देती। मगर वह बकरी जंगल की चरने वाली नहीं है, केवल घर में रहती है, किसान के घर में जो भी चीज होती है वह खाती है इसलिये वह इतना दूध देती है। मुझे यह नहीं मालूम, उसकी प्रजनन शक्ति क्या होगी, क्या नहीं होगी। यह तो साइंटिस्ट ही जानें।

अब मैं आपके सामने यह निवेदन करूंगा, मेरे क्षेत्र में राठी गाय, राठी भैंस है। वह भैंस 15, 16 किलो दूध देती है। मन्त्री महोदय से मैंने बार बार यह भी निवेदन किया है कि उनकी नस्ल का भी सुधार किया जाये, इस पर भी गौर फरमाया जाये जिससे मेरे इलाके की बढ़ोतरी हो। इससे पहले राठी गाय थी तो पंचायत समिति की तरफ से नागौरी बैल, नागौरी बछड़ा, नागौरी सांड लाकर मेरे इलाके में पंचायत समिति की तरफ से वितरित किये थे। न मालूम दुर्भाग्य की बात है उसके बाद क्या प्रक्रिया रही, राज्य सरकार ने क्या विचार रखा। मेरे इलाके के लिये तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, मेरे इलाके की जो राठी नस्ल की गाय है, 10, 12 किलो दूध देती है। जितने नागौरी नस्ल के बैल हैं वह पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर या ग्राम पचायत स्तर पर वितरित करा दिये जायें तो मेरे इलाके की जो गाय बछड़े देगी वह बछड़ा दो, ढाई हजार में बिकेगा। इससे किसानों की शक्ति बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और मेरे इलाके की तरक्की होगी।

मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर अब आपके सामने बीज की बात कर रहा हूं। बार बार कहा गया है बीज में घोटाला हो गया। मैं सैन्ट्रल सीड्स सर्टिफिकेशन बोर्ड का मैम्बर हूं। मुझे इस बात की जानकारी है, इससे पहले जहां भी बीज बिका, नाई की दुकान पर बीज बिका, चाय की दुकान पर बीज बिका, पान की दुकान पर बीज बिक रहा है, ठेलों पर बीज बिक रहा

(श्री सुजानसिंह)

है, उसमें पूरा का पूरा अडल्ट्रेशन होता था। मैं यह सदन के सामने निवेदन करूंगा अभी भारत सरकार ने कुछ रूल्स बनाये हैं, यह रूल्स के बनने बाद में जो आदमी बीज बेचेगा, कृषि विभाग से लाइसेंस लेना होगा। पहले लाइसेंस की प्रणाली नहीं थी, कानून में यह प्रावधान नहीं था कि उनको दण्डित किया जा सके। अब यह मन्शा पूरी हुई है कृषि विभाग से उनको लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस के आधार पर वह बीज बेच सकेगा।' यदि कोई इस तरह पान का दुकानदार, चाय का दुकानदार बीज बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसको दण्डनीय अपराध माना गया है। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था बहुत बढ़िया की है, इससे बीज में सुधार आयेगा।

तीसरा, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि बीज की एजेन्सी एक तो भंडार व्यवस्था निगम है, एक एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड है और एक निजी व्यवसायियों द्वारा बीज बिकवाया जाता है। इसमें भ्रष्टाचार और धांधली इस प्रकार है जैसे मेरा खेत है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राज्य सरकार ने उस खेत को चुन लिया है। वह सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बीज को पास करवा लेता है। हमारा नैतिक चरित्र इतना नीचे गिर चुका है कि हम लोग वह बीज इधर उधर से इकट्ठा करके थैलियां बना बनाकर बेचते हैं। केवल यही एक कारण है, बीज खराब होने का। राज्य सरकार अपनी एजेन्सी से बीज बिकवाये राज्य सरकार अपने एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से बिकवाये, भण्डार व्यवस्था निगम से बीज बिकवाये तो मैं कह सकता हूं कि बीज कतई गलत नहीं होगा। जैसा मैं आपके सामने उदाहरण पेश करता हूं कि हमारे यहां बीज लाया जाय और कृषि फार्मों में यदि बीज पैदा किया जाय तो सबसे उत्तम है। हमारे साथ हरियाणा लगता है। हरियाणा से पूरा बीज जयपुर तक हिसार कृषि विश्वविद्यालय से आता है। उनकी एक छाप है वह वहीं बीज पैदा करते हैं, उसमें अडल्ट्रेशन होता नहीं। हमारे अधिकारियों से यह निवेदन है कि सबसे ज्यादा बीज पर गौर करें, बीज पर ध्यान रखें। मैं आपसे निवेदन करूं, इस साल का तो ज्ञान नहीं, पिछले साल में, मैं भी एक किसान हूं और बड़ा किसान हूं, मैंने बाजार से जाकर ज्वार बाजरे की थैलियां लीं और दो दफा मैंने उसे खेतों में बोया लेकिन उसका बीज कतई नहीं जमा। कतई नहीं जमा। सरसों का बीज बाजार से हाई ब्रीड का लाया, सरसों कतई नहीं जमी। हमने जिलाधिकारियों से निवेदन किया, इधर उधर निवेदन किया, उन्होंने कहा, साहब यह तो गलत आ ही गया, हमारी तो जानकारी में नहीं है, हम क्या करें। मैंने कहा कि आपका दायित्व है और आपकी ड्यूटी है, जर्मिनेशन देख कर ही इसको बाजार में बेचने के लिय भेजा जाय। राज्य सरकार की नीति है मगर हमारे अधिकारी हैं वह सुस्त हैं, काम करना नहीं चाहते। यदि

(श्री सुजानसिंह)

हमारा करेक्टर सही है, हम सही अधिकारी हैं और हम कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कोई कारण नहीं कि हमारे देश की पैदावार ज्यादा नहीं बढ़े और हमें विदेशों से जो अनाज मंगवाना पड़ता है वह हम आगे नहीं मंगवायेंगे।

मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : मेरा ख्याल है सरकारी पक्ष का उत्तर प्रारम्भ किया जाय। तीनों माननीय मन्त्री महोदय बोलेगे तो एक-एक घण्टा लेंगे तब भी....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, मैं बार-बार आपकी महरबानी चाह रहा हूं। पांच मिनट मिल जाय।

सभापति महोदय, राजस्थान की 72 प्रतिशत ग्रामीण जनता पशुपालन और खेती पर आधारित है और 72 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले मन्त्री अगर कैबिनेट स्तर के नहीं रहें तो यह यों समझेंगे कि कृषि की तरफ और पशुपालन की तरफ सरकार का ध्यान पूरा नहीं है। सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन की तरफ जितना अपने को ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देने से जितना वास्तव में उत्पादन होना चाहिए वह उत्पादन नहीं हो रहा है। इस उत्पादन के लिए सरकार को और सतर्कता से काम करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत तीनों मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने आदर्श फार्म के नाम पर राज्य स्तर के भेड़ पालन फार्म, राज्य स्तर के कृषि फार्म, राज्य स्तर के पशु फार्म खोले हैं। इन फार्मों की शुरूआत आज से 15 साल या बीस साल पहले की थी। यह शुरूआत इस नीयत से की थी कि सरकार के टैक्निकल आदमी संसाधन उपलब्ध कराने के बाद इन फार्मों पर इनकी वंश वृद्धि करेंगे या कृषि में अच्छा उत्पादन करेंगे जिसको देखकर काश्तकार प्रोत्साहित होकर उसी तरह से काम करेंगे। लेकिन हालत जो हो गयी है उनके अन्दर, चाहे तो उसे अनियमितता समझिये, चाहे आदेशों की अवहेलना समझिये, आपके जो भेड़ ऊन फार्म हैं उन फार्मों के अन्दर चारे-दाने और उनके निर्माण कार्यों की भी जांच कराने की आवश्यकता है। जांच करा कर आपको इस नतीजे पर आने की आवश्यकता है कि इनको आगे कन्टीन्यू किया जाय या बिलकुल बन्द किया जाय। यही हालत हमारे कृषि फार्मों की है। यही हालत हमारे पशुपालन के फार्मों की है। जहां उनका वंश बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाये जाते हैं, वंश वृद्धि के कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी चलता है किन्तु कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्यक्रम चलता है वह आंकड़ों आंकड़ों में है। वास्तव में अगर पशुपालकों से पूछा जाय गांव के सेन्टर पर, भई, आपके यहां इन

(श्री महाराम चौधरी)

सेमीनेशन से कितने बछड़े पैदा हुए तो मालूम होगा, वास्तव में वहां बछड़ों की पैदावार नहीं है। इसलिए इस कार्यक्रम को आप वापस गौर से देखकर इसके लिये कोई नीति निर्धारित करें।

सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है नागौरी नस्ल की जितनी गाय और सांड अच्छे होते हैं उससे अच्छे कहीं हिन्दुस्तान में नहीं होते हैं। जैसा दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है, हमारे नागौर में डेयरी फार्म में जितने सांड थे उन सांडों को तो बस्सी के अन्दर भेज दिया और बस्सी की गायों को त्रिपुरा के अन्दर भेज दिया। नागौरी सांड को तो क्लाइमेट बस्सी का सूट नहीं करता है और बस्सी की गाय को त्रिपुरा का क्लाइमेट सूट नहीं करता है इसलिए वहां उनके वंश का वर्धन नहीं होकर एक तरह से वंश का सत्यानाश हो रहा है। सभापति महोदय, मैं पशुपालन के सम्बन्ध में बोलने लग गया। इस सम्बन्ध में मैं कहता हूं कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध नस्ल है वह निरन्तर लुप्त हो रही है और जितनी इनकी सार सम्भाल की और चिकित्सा की व्यवस्था है उसमें निरन्तर गिरावट आ रही है। आज हालत यह है कि जहां राष्ट्रीय नीति के अनुसार 10 हजार पशुओं पर एक चिकित्सक रहना चाहिए वहां वास्तव में राजस्थान के अन्दर 40 हजार पशुओं पर भी एक चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो रहा है। जितने भी हमारे राज्य स्तर के पशु चिकित्सालय खुले हुए हैं, 687 पशु चिकित्सालय हैं उनमें से 104 पशु चिकित्सालय तो आज वगैर डाक्टर के हैं, 104 में तो हैं ही नहीं बाकी में किस तरह से काम करते हैं उनकी बात अलग है। इसलिए मैं पशुपालन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार कम से कम पशुओं की चिकित्सा के लिए सुविधा अति आवश्यक है। पशु चिकित्सा की व्यवस्था होने के साथ-साथ, अबोध जानवर हैं उसकी चिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ जो पशु चिकित्सालय के लिए डाक्टर रखे हैं उनको भी मेडिकल डाक्टरों को जितना प्रोत्साहन दिया जाता है या जितनी तनख्वाह दी जाती है, जितनी सुविधा दी जाती है उनके बराबर सुविधा देनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ब्रीडिंग की कोई नीति निर्धारित नहीं है, मतलब राजस्थान के अन्दर ब्रीडिंग की किस नीति पर हम चलना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में सोच विचार करके अपनी कोई नीति बनानी चाहिए।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य प्रान्तों में जानवरों का जिस तरह इन्श्योरेन्स होता है वह राजस्थान में भी होना चाहिए क्योंकि आजकल पशुओं की बड़ी कीमत हो गयी है। लघु और सीमान्त काश्तकार इन्श्योरेन्स करवाते हैं उसके अन्दर नीति की क्रियान्विति लगन के साथ नहीं होती है। इन्श्योरेन्स कराने के बाद भी आज तक बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनका इन्श्योरेन्स करने के बाद भी उनको वास्तव में जो सहायता

(श्री महाराम चौधरी)

मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एनीमल हस्बैण्ड्री में जो चिकित्सक हैं उन चिकित्सकों का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बगैर रजिस्ट्रेशन हुए यह मालूम नहीं पड़ता है कि कौन कहां किस जानवर का इलाज कर देता है। इसलिए मैं यह भी सुझाव प्रस्तुत करता हूं कि चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, पशुओं के वंश को सुधारने और नस्ल सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। पशु रखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आवश्यक समझना चाहिए। पशुपालक अपने जानवरों का ध्यान रखें, जितना उनके लिये हो सकता है उतना करें और उनको पालें उस हिसाब से यदि रजिस्ट्रेशन रखेंगे तो बगैर रजिस्ट्रेशन पशु रखते हैं, मनचाहे पशु इकट्ठे तो कर लेते हैं लेकिन उनकी सार-संभाल नहीं कर सकते, घास-चूरी नहीं डालते उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं पशुपालन मन्त्री महोदय से तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव आपको दिये हैं, आपके जितने भी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और डेयरी फार्म हैं उनकी थोड़ी सार-सम्भाल करें और उनकी निगरानी करें, और यह देखें कि वह अपने यहां सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यही हालत भेड़पालकों की हो रही है। भेड़पालन के अन्तर्गत, चरागाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत या भेड़पालन के जो राज्य स्तर के फार्म हैं उनके अन्दर इतना घटिया किस्म का काम हुआ है कि इतने साधन सुविधा होते हुए भी किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में यह प्रगति पत्र अब मैंने पढ़ा। जो वास्तव में खेती करता है, खेती करने वाला आदमी अगर इस प्रगति पत्र को पढ़ेगा तो उसको ऐसा मालूम होगा कि यह किन्हीं अव्यावहारिक आदमियों ने लिखा है। अब मैं दो तीन लाइनें ही पढ़ कर आपको बताता हूं—

"बाजरे के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वर्ष 73-74 म सर्वाधिक वृद्धि हुई जब इस फसल के अन्तर्गत 57.73 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गया था। इसके बाद बाजरे का क्षेत्रफल अरगट रोग से होने वाले नुकसान के कारण घट गया।"

सभापति महोदय, अब बाजरे के अन्दर अरगट की बीमारी होने से अगर उत्पादन कम हो गया तो इसका कृषि विभाग को इलाज करना चाहिए था। यह लिखा है इसलिए मैंने पढ़ कर बताया है। वास्तव में बाजरी के अन्दर अरगट रोग पैदा हो गया इसलिए बाजरी का क्षेत्रफल घटा है, यह बात कतई नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि बाजरी का उत्पादन इसलिए घटा कि बाजरी का उत्पादन करने के अन्दर कोस्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा लगतो है और उसको बेचने के बाद में जो मूल्य मिलता है वह

(श्री महाराम चौधरी)

मूल्य कम मिलने लग गया। इसलिए लोगों ने बाजरी बोना कम कर दिया। इसलिए क्षेत्रफल घटा है। बाजरी लोग कम बोने लगे और इसके एवज के अन्दर जो कमर्शियल क्राप हैं, सरसों है, रायडा है, तारामीरा है, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां मूंग है, मोठ है, काश्तकार ने अपनी खुद की जानकारी से, सूझ बूझ से देखा कि इसके अन्दर हमको इतना मिलता नहीं है इसलिए हम यह फसल बोयें। यानि एग्रीकल्चर विभाग की, मैं यह कहता हूं, कोई करतूत नहीं है। उनकी तरफ से सुविधा उपलब्ध कराने या उनको तकनीकी ज्ञान देने की अप्रोच नहीं है। सभापति महोदय, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले किसान उसी वक्त में ध्यान देगा जब उसको जिस फसल को बोने के अन्दर ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती है। वह खुद भी सोचता है, समझता है और भाव ताव का पता लगाता है। आज कृषि विभाग का कर्तव्य यह है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज, खाद, तकनीकी सुविधा दे और देखे कि वह जो धान पैदा कर लेता है उस धान को किस तरह से बेचे ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलें। मैं इस मामले के अन्दर कृषि विभाग पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि कृषि विभाग इस काम के अन्दर बिलकुल निष्क्रिय रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को ये सुविधायें उपलब्ध कराने और बीज और खाद बढ़िया दिलाने के अन्दर न तो तत्परता बतलाई और न समय पर दिलाने की तत्परता बतलाई। उनका इसके अन्दर लगाव जैसा भी महसूस नहीं हुआ।

सभापति महोदय, अब ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं आने वाले साल के लिए कि हमको बीज उपलब्ध कराना है उस बीज का हम किस आधार पर लक्ष्य निर्धारित करके किसानों को बीज उपलब्ध करायें। सभापति महोदय, इन्होंने बीज खरीदा वह बीज ऐसी कम्पनियों से खरीदा जिनके पास न तो एक बीघा जमीन है, न बीज उत्पादन करना जानते हैं। जो अहमदाबाद या बाहर की जितनी कम्पनियां हैं वह सब बाहर से और जगहों से बीज खरीदती हैं। राजस्थान बाजरी उत्पादन करने के अन्दर शुरू से सबसे प्रथम रहा है जब कि अहमदाबाद वगैरह में बाजरी उत्पन्न होती ही नहीं थी। जो चीज जहां उत्पन्न होती है वहां तो बीज तैयार करके किसानों को वितरित कर ही नहीं सकते और बाहर से बीज लाकर वितरित करते हैं, बाहर से ला करके बीज देते हैं। उसके अन्दर हमेशा से ही नीयत कमीशन कमाने की है। सभापति महोदय, यहां तक ही नहीं, बीज उनको कितना चाहिए, कितने बीघा में बाजरी का बीज लगेगा, गेहूं का बीज लगेगा, उसका उनको केलुकलेशन करने तक का ध्यान नहीं है। मुझे एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि सन् 1981 में 10637 क्विण्टल बीज हमारे यहां बच गया। 1982 के अन्दर 10449 क्विण्टल बच गया और 1983 के अन्दर 12500 क्विण्टल बीज, जो बाहर से खरीद कर किसानों को वितरित करने के लिए लाए थे, हमारे पास बच गया। सभापति

(श्री महाराम चौधरी)

महोदय, वह बीज जो इनके पास में बच गया, पुराना हो गया। अब पुराने बीज को इन्होंने वापस प्रमाणित करके काश्तकारों को बेचने की बात नहीं की। बहुत सा बीज, चाहे किसी तरह का आया, जो जर्मिनेशन नहीं हो सकने के लायक था, इन्होंने वितरति पिछले साल कर दिया। पिछले साल यह बीज वितरित करने से हजारों किसानों के खेत खाली रह गए। जो खेत खाली रह गए उसका हर्जाना तो देना तो दूर रहा, सभापति महोदय, आप तो खुद ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कहीं भी किसी काश्तकार को गांव के अन्दर बीज खोटा देने की बात चल जाती है तो गांव में बाकायदा पंचायत होती है। पचायत होने का मतलब उस पर वहां पर दण्ड किया जाता है और कहा जाता है कि बीज खोटा देने वाले से खराब आदमी कोई हो ही नहीं सकता। यानि जो सरकार इस तरह का बीज खोटा दे करके काश्तकारों का इस तरह से नुकसान करती है इससे भयंकर उनके खिलाफ में किस तरह की कार्यवाही हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं ले कर के अब सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं कि आज किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अन्दर यह भी है कि अपने पड़ोस के प्रान्तों के अन्दर कहीं खाद पर किसी तरह का टैक्स नहीं है और कइयों में अगर है तो भी बहुत ही कम मात्रा के अन्दर है। तो अब हमारे यहां तकनीकी ज्ञान से अगर आप खेती का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि जो खाद पर, बीज पर, कृषि औजारों पर जितना बिक्री कर है, चुंगी टैक्स है, इसको हटाने की सरकार द्वारा कार्यवाही की जावे जिससे किसान को प्रोडक्शन करने के अन्दर खर्चा नहीं लगे। सभापति महोदय, यहां तक ही बात नहीं, इसके साथ-साथ में जो अपने प्रान्त के अन्दर मोटे अनाज हैं या अपने यहां पर बाजरी, मक्की या ऐसा जो धान है, धान को बेचने के अन्दर दो पर्सेन्ट बिक्री कर लगता है और पड़ोस की जो स्टेट्स हैं उनके अन्दर यह बिक्री कर भी नहीं लगता है। यानि इसका भी किसानों पर जाकर भार पड़ता है। इस तरह से, सभापति महोदय, जिस काश्तकार को जब अपने कुए का निर्माण करने के लिए या नालियों का निर्माण करने के लिए या होद का निर्माण करने के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता होती है तो उस पर साढ़े बारह पर्सेन्ट बिक्री कर लगता है। एक उद्योग में काम में आने वाली सीमेन्ट है उस पर, मैं तो देखता हूं, एक पर्सेन्ट सैल्स टैक्स लगता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यानि मेरे कहने का मकसद....

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, There is no quorum in the House.

श्री चेतराम मीणा : कोरम है।

श्री यदुनाथ सिंह : कोरम नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : मैं ही बोल रहा हूं इसलिए सहन कर लो।

श्री यदुनाथ सिंह : We are only 15.

श्री सभापति : ग्रापके दल के सदस्य ही बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : कोरम हो जावे तब तक रेस्ट मिल जाय उनको।

श्री सभापति : कोरम है, बोलिये, चालू रखिये।

श्री यदुनाथ सिंह : I object to it.

(गणपूरक घण्टी)

कोई है ही नहीं। मांग पास नहीं होने देंगे। तमाशा देखिए। There is no body. मैं देख ग्राया हूं सब जगह।

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, पशुपालन ग्रौर कृषि की डिमाण्ड चल है उस समय ग्रगर यदि कोरम नहीं रहे तो किसान ग्रौर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता क्या सोचेगी कि कृषि जैसी डिमाण्ड का इतना महत्व का विषय है, इस समय यदि कोरम नहीं है तो यह तो जनता....

श्री सभापति : इधर देखिये, सारा खाली है।

श्री महाराम चौधरी : यह ग्रब सब का....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हम ग्रापकी बात तो सुन रहे थे।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसान की जो कोस्ट ग्राफ प्रोडक्शन है वह ज्यादा लगती है। कोस्ट ग्राफ प्रोडक्शन ज्यादा लगने का सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकार की गलत नीतियां होने की वजह से हमारा जो माल है उसमें ग्रन्य प्रान्तों से कोस्ट ग्राफ प्रोडक्शन ज्यादा लगती है लेकिन बिकता सस्ता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये हैं कि कृषि उत्पादन के जो कृषि ग्रौजार हैं, सीमेंट, दवाइयां, खाद या बीज हैं उन पर ग्रगर किसी तरह का कोई टैक्स लगाते हैं तो उसको घटाना चाहिये। वह नामिनल है उससे ज्यादा भार नहीं पड़ता है। यह सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति : ग्राप समाप्त करें, बहुत टाइम ले लिया।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, एक निवेदन ग्रौर करना चाहता हूं कृषि विभाग की तरफ से प्रदर्शनी ग्रौर मिनीकिट लगाने के लिये। काश्तकारों को सुविधा प्रदान करने के लिये प्रदर्शनी लगानी

(श्री महाराम चौधरी)

चाहिये, जिससे काश्तकार प्रोत्साहित हो और देखा-देखी कम करें। लेकिन वास्तव में इसमें कृषि विभाग की बहुत ही लापरवाही रहती है। कहीं पर भी प्रदर्शनी लगाई हो, हमने तो नहीं देखी। इस सम्बन्ध में भी मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया था कि कृषि फार्म, राष्ट्रीयकृत भेड़ फार्म और आपके पशुपालन के फार्म हैं उनकी पूरी जांच करवायें। साथ ही साथ प्रदर्शनी लगाने का काम है उसको भी करें…

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि जितने हम तकनीकी ज्ञान के लिये लालायित हैं, उसकी तो जानकारी करें पैदावार बढ़ाने के लिये। इसके साथ साथ हमारे उत्पादन में बढ़ावा देने वाली चीज है, जैसे राख है जो कि जलाने के बाद में बचती है, यह राख बहुत ही उपयोगी है, इसका भी टैस्ट करके पता लगाया जाय। छोटे छोटे कीड़ों के लिये सरसों और रायड़े की फसल के लिये बी. एच. सी. पाउडर समय पर नहीं मिले और राख का इस्तेमाल करें तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, कल्चर या सीड ट्रीटमेंट है। जो स्थानीय गाय का मूत्र है उसमें अगर बीज को भिगो कर, छाया में सूखा कर बाद में बोयें तो एक्रोशन और कल्चर से भी ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

इसी तरह से जो बालू रेत है हम जब धान का स्टोर करने के लिये कोठियां बनाते हैं और गोलियां और दवाइयां लगा कर धान को स्टोर करते हैं ताकि धान को सूला नहीं लगे लेकिन इससे प्रदूषण भी होता है, धान का टैस्ट भी बिगड़ता है और इससे थोड़ा बहुत जहर भी फैलता है इसलिये अगर मूंग, मोठ, दलहन एक जगह डाल कर बालू रेत से ढक दें तो 20 साल तक एक दाना भी नहीं सूल सकता। इसी प्रकार से बाजरा, गेहूं ऐसे धान भी हैं जिनको एक जगह रख कर राख की पत लगा दें तो वह भी 20 साल तक सूलेगा नहीं और बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि तकनीकी ज्ञान के अलावा स्थानीय और भौगोलिक परिस्थितियों में ज्यों बूढ़े-बड़ेरे खेती करते रहे हैं उनसे भी सुझाव लेकर उन चीजों का सदुपयोग करना चाहिये। यही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री पीरूराम।

श्री पीरूराम (टी बी) : सभापति महोदय, कृषि और पशुपालन पर आज चर्चा हो रही है मैंने अपने कटौती प्रस्ताव दोनों सब्जेक्ट्स पर दिये हैं। मैं कृषि मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कि संगरिया जाट कालेज है उसके अन्दर कृषि कालेज बना दिया जाय तो गंगानगर जिला, जो कृषि में राजस्थान में प्रधान जिला है, के बच्चों को जयपुर और उदयपुर अध्ययन करने के लिये नहीं आना पड़ेगा और काश्तकारों का भी खर्चा कम होगा। इसलिये मेरा मंत्रीजी से यह विनम्र निवेदन है

(श्री पीरूराम)

कि मुख्य मंत्री जी से बात करके इस संबंध में कार्यवाही करें। संगरिया में बिल्डिंग तैयार है और ज्यादा खर्चा भी नहीं आयेगा। सिर्फ थोड़े खर्चे में कृषि कालेज खुल सकता है। जिले के लोगों की अमूमन मांग भी है कि संगरिया में कृषि कालेज खुल जाय। क्यों खुल जाय? गंगानगर जिला राजस्थान में प्रधान जिला है कृषि के मामले में।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जब फसलों में कीड़े लगते हैं उस टाइम वहां डी. ई. ओ., ग्राम सेवक, कृषि अधिकारी टाइम पर पहचान नहीं कर पाते कि फसलों को नुकसान हो रहा है। फिर बाद में दवाई लेकर पूगते हैं तब तक फसलें ही खतम हो जाती है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अधिकारियों को थोड़ा सतर्क करें कि जब भी फसलों मे किसी तरह का कीड़ा लगे तो टाइम पर दवा भेजें।

साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली दफा नरमा कपास की फसल में काफी बीमारियां लगी, इससे काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका कारण क्या था? दवाएं बाजार में बिक रही हैं किसी भी जगह से ले लो, कोई लाइसेंस ले जाओ। पुरानी दवाएं काश्तकारों को दे रहे हैं, इससे काश्तकारों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसमें आप सख्ताई बरतें ताकि काश्तकारों को नुकसान नहीं हो।

इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे ही क्षेत्र में कुछ सेम का इलाका है। वहां जिप्सम का पाउडर गिराया जाता है। जो चूना वहां पर निकलता है हरियाणा में उसकी कीमत सिर्फ 1.50 रु. पचास किलो के कट्टे के लगते हैं, चाहे दिल्ली ले जाओ, चाहे रोहतक ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ और हम लेने जायं तो मौके पर 3.40 रुपये पचास किलो के कट्टे के देने पड़ते हैं, इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसे हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है, उसी तरह काश्तकारों को सब्सिडी दी जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल काश्तकार पैदा कर सकें।

इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिल्ली की पार्टी, कुछ हरियाणा की पार्टी वहां आकर नकली मोहर ठप्पा लगा कर नकली खाद दे रही है। वहां के व्यापारी को मैंने पकड़ाया भी था हनुमानगढ़ के अन्दर। उसके पास बांट, मोहर सब चीजें निकलीं और खाली थैले भी निकले थे। इस तरह के शरारती तत्व, जो नुकसान देना चाहते है, के साथ आप कड़ाई, सख्ताई बरतें ताकि ऐसी घटना नहीं घट सके।

इसके साथ साथ बीज के बारे में मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं, आम तौर पर हमारे गंगानगर जिले से पंजाब और हरियाणा का बोर्डर लगता है, अमूमन बीज वहां से आता है। बीज हमारे यहां भी पैदा होता है पर यहां के बीज की पोजीशन और साख बिल्कुल गिर गई है इसलिये हरियाणा का बीज चाहे यहां से

(श्री पीरूराम)

महंगा ही मिलता हो, तो भी काश्तकार अमूमन हरियाणा का ही बीज लेते हैं। अपना अधिकारी काश्तकारों से मिलें बतायें और अच्छा बीज उनको लाकर दें तो उन लोगों को तसल्ली हो सकती है कि हमारे यहां भी बीज अच्छा होता है।

इसके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि गंग कैनाल, भाखरा कैनाल में पानी कम मिलने से फसल में कमजोरी है। इसका कारण क्या है हरियाणा में पानी लीकेज होता है····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नहीं, नहीं साहब, और है दो चार बात।

मैं इसके साथ कृषि मन्त्रीजो को यह बताना चाहता हूं कि मेरे तलवाड़ा, टीबी मण्डी यार्ड के लिये कई दफा मन्त्रीजी को लिख कर भी दिया। हमारे यहां चावल की फसल ज्यादा होती है, नरमा कपास सबसे ज्यादा होती है। यह फसल हरियाणा बोर्डर की अहनलाबाद मण्डी में जाती है तो उससे हमारा ही नुकसान है इसलिये टीबी और तलवाड़ा में कृषि मण्डी को सब-यार्ड बना दिया जाय।

इसके साथ मैं मन्त्री महोदय को यह भी कहना चाहता हूं कि जो बैंक लोन देता है काश्तकारों को ट्यूब वैल के लिये उसकी तीन किश्तें तो काश्तकारों को मिल जाती हैं परन्तु चौथी किश्त के लिये बैंक उनको कहता है कि पहले तुम बिजली का कनेक्शन लो। मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ के एक्स ईएन. के पास 150 ट्यूब वैल का कनेक्शन का कोटा है। आप यह कोटा बढ़ावें और यह नीति निर्धारित करें कि जो बैंक लोन लेगा उस काश्तकार को कनेक्शन सब से पहले मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं इसके साथ पशुपालन मन्त्री महोदय और कृषि मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क मन्जूर की है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। पशुपालन मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि पिछली दफा हमारे राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के एरिया में उन्होंने एक पशु औषधालय खोला है। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि तलवाड़ा खुर्द जो हरियाणा के बार्डर के बार्डर के साथ लगता है वहां इलाज के लिये लोग पशुओं को ले जाते हैं इससे वहां के काश्तकारों को परेशानी होती है। आप तलवाड़ा में एक पशु औषधालय देने का कष्ट करें ताकि वहां के काश्तकारों को लाभ मिल सके।

इसके साथ मैं भेड़ व ऊन मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि अकाल पड़ जाता है तब पशु, बकरी अमूमन गंगानगर जिले में लाते हैं। इसलिये आप वहां एक फार्म जरूर खुलवा दें ताकि वहां भी भेड़, बकरी का पालन अच्छे ढंग से हो सके और...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री पीरूराम : अच्छा सभापति महोदय, सभी और मुख्य मन्त्री चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय कृषि मन्त्रीजी।

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मन्त्री, कृषि) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं, माननीय सदस्यों का कि एक आध को छोड़ कर करीब करीब सभी ने मेरे विभाग के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव दिये हैं। कुल 13 माननीय सदस्यों ने इन मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं। मैं इनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं उससे पहले मैं इस वर्ष कृषि विभाग की क्या उपलब्धियां रहीं, उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय महोदय, जैसा आप जानते हैं, सौभाग्य से पिछले चार साल से लगातार पड़ रहे अकाल के बाद यह पहला वर्ष है जब राजस्थान में एक-दो जिलों को छोड़ कर सामान्य वर्षा हुई है। उसी का परिणाम है कि इस वर्ष राजस्थान में खरीफ में 36.98 लाख टन मोटा अनाज और तिलहन 2.39 लाख टन गन्ना, 17.15 लाख टन, कपास 5.95 लाख गांठों का उत्पादन हुआ है। हमारे टार्गेट से वैसे यह 4 लाख टन अधिक है लेकिन गत वर्ष के मुकाबले यह 10 लाख टन अधिक है। इसी प्रकार रबी में भी इस वर्ष हमने 50.00 लाख हैक्टेयर में खेती की और 62.98 लाख टन का इस वर्ष रबी का उत्पादन होने का हमारा अनुमान है। दुर्भाग्य से इस वर्ष राजस्थान में शीत लहर आई उससे थोड़ी हमारी फसल को क्षति हुई है। इसके लिये हमारी काश्तकारों के प्रति सहानुभूति है। रिलीफ विभाग से हमने निवेदन किया है कि गिरदावरी होने के बाद यदि कहीं औसत से अधिक क्षति हुई है तो उनको निश्चित रूप से राहत दी जाये, ऐसी हमारी इच्छा है। लेकिन इस सब के बाद भी मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ही नहीं जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक यदि रिकार्ड उत्पादन राजस्थान का हुआ है तो वह इस वर्ष हुआ है। एक करोड़ टन अनाज का राजस्थान में इस वर्ष हम लोग उत्पादन करेंगे।

हमने खाद में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की है। गत वर्ष जहां हम ने 1.66 लाख टन खाद का वितरण किया था वहां पर इस वर्ष हमने 2.27 लाख टन खाद प्रदेश में वितरित किया है। इसके साथ साथ हमने 1.83 लाख पैकेट राइजोबियम कल्चर के इस वर्ष राजस्थान में वितरित किये हैं।

जब मैं आप से सभी उपलब्धियों के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब काम कोई जादू से नहीं हो गया। आदरणीय सभापति महोदय जैसा आप स्वयं जानते हैं, राजस्थान की सरकार ने पिछले कई वर्षों से राजस्थान में अनेक ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिये जिससे काश्तकारों का उत्पादन बढ़ा, देश में खुशहाली आयी और राजस्थान खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हुआ। इसी के सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करना

(श्री देवेन्द्र सिंह)

चाहूंगा कि 1974 में वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमारे यहां टी एण्ड वी प्रोग्राम चलाया गया था। बहुत से महानुभावों ने यहां कहा कि टी एण्ड वी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कुछ ने कहा इस प्रोग्राम में कुछ काम नहीं होता। लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टी एण्ड वी कार्यक्रम चालू करने के पश्चात् हमारे यहां पर उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? सन् 1977 में जहां हमारे यहां पर 1286 किलो प्रति हैक्टेयर गेहूं होता था वह बढ़ कर 1982-83 में 1885 किलो प्रति हैक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार सरसों में जहां 1977 में 437 किलो प्रति हैक्टेयर का उत्पादन होता था पर अब 1982-83 में 748 किलो प्रति हैक्टेयर सरसों का उत्पादन करने में सफल हुए हैं। इसी प्रकार चने का 1977 में जहां 766 किलो प्रति हैक्टेयर उत्पादन होता था वह बढ़ कर आज 820 किलो प्रति हैक्टेयर हो गया है।

मैं जब यह बात निवेदन करता हूं तो मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां पर कृषि आदान पखवाड़ा के सम्बन्ध में कुछ कहा गया। हमारे देश की नेता आदरणीया प्रधान मन्त्रीजी ने और भारत सरकार के कृषि मन्त्रीजी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, आज आवश्यकता इस बात है हमारे काश्तकार को जो भी आदान उपलब्ध कराने हैं वह नजदीक से नजदीक स्थान पर उपलब्ध होने चाहिये ताकि काश्तकार को अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़े और काश्तकार को जो भी चीज मिलें वह शुद्ध मिलें और अच्छी मिलें, नजदीक से मिलें, यह समझ कर हमने रबी में भी और खरीफ में भी आदान पखवाड़ा का कार्यक्रम चालू किया है। इसमें मैं आभारी हूं उस सहकारी विभाग का जिसने हमारा सहयोग किया। सहकारी विभाग और कृषि विभाग, दोनों ने मिल कर राजस्थान में दोनों फसलों के समय कृषि आदान पखवाड़ा का काम किया। इसके अन्दर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समय पर खाद, समय पर बीज, समय पर दवाई उपलब्ध कराने और यह जो भी आवश्यकता पड़ी काश्तकार को उस सब को समय पर उपलब्ध कराने में हमने निश्चित रूप से सफलता हासिल की है।

जहां मैं आप से यह निवेदन करता हूं वहां मैं इस अवसर पर हमारे रिसर्च में काम करने वाले साइन्टिस्ट को, यूनिवर्सिटी के साथियों और हमारे विभाग को भी नहीं भूल सकता हूं जिन्होंने रात-दिन एक करके काश्तकारों की उपज कैसे बढ़े, काश्तकारों को अच्छा तकनीकी ज्ञान कैसे उपलब्ध कराया जाय, उसमें हमें सहयोग दिया।

इस कृषि, टी एण्ड वी प्रोग्राम के सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया, जो हमारी वर्ल्ड बैंक की टीम थी, वह यहां पर इस कार्यक्रम का जायजा लेने आयी। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने इस सारे कार्यक्रम का जायजा लेने के बाद इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिये, योजना बनाने के लिये राजस्थान सरकार को कहा। राजस्थान सरकार ने अब तक जहां 18 जिलों में इस कार्यक्रम को लागू

(श्री देवेन्द्र सिंह)

किया था, वहां 6 जिलों, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर और जोधपुर में भी इस कार्यक्रम को हाथ में लेने का राज्य सरकार ने निश्चय किया है।

यहां पर सीड डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयीं। आदरणीय सभापति महोदय, गत वर्ष भी इसी सदन में इसी प्रकार की बातें सीड के सम्बन्ध में कही गयी थीं। उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि हम किसी भी स्थिति में काश्तकारों को खराब बीज मुहैया नहीं होने देंगे। आज भी वही बात निवेदन करना चाहता हूं। जिस ज्वार के संबंध में यहां पर सदस्यों ने बात कही, मैं स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी ज्वार हमारे राजस्थान सीड कार्पोरेशन में पड़ी है। उसका एक भी दाना, चाहे कितना ही घाटा हमको उठाना पड़े लेकिन जैसा पहले निवेदन किया, काश्तकार को मुहैया नहीं करेंगे। पहले भी इस बात पर कायम रहे हैं और आज भी कायम हैं।

बाजरे के सम्बन्ध में यहां पर कहा गया। माननीय सभापति महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज भी राजस्थान में ज्वार के सम्बन्ध में हो सकता है आने वाली खरीफ की फसल में ज्वार बाहर से नहीं खरीदा जायेगा, राजस्थान में ज्वार काश्तकारों को अपने साधनों से जो सीड प्रोग्राम दिया उसके माध्यम से मुहैया करवाने का हम प्रयत्न करेंगे लेकिन बाजरे के मामले में, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, हमको असफलता मिली, इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते। काश्तकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि हमको बाजरा बाहर से लेना पड़े तो नेशनल सीड कार्पोरेशन से प्राथमिकता के आधार पर और यदि वह भी मुहैया नहीं करा सके तो प्राइवेट एजेन्सी से खरीद कर राजस्थान के काश्तकारों को हम बाजरा दिलायेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुराना बाजरा चाहे हमारे पास स्टॉक में हो तो भी हम किसी भी स्थिति में काश्तकार को उपलब्ध नहीं करायेंगे। एक साल से पुराना कोई भी बीज आज राजस्थान में हो, हम किसी भी काश्तकार को नहीं देंगे चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। हमारी प्रधान मन्त्रीजी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार कृषि के क्षेत्र में तिलहन, सरसों, सोयाबीन इन सब में, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, हमने बढ़ोतरी की है। इस वर्ष भी उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम हाथ में लेंगे, और करीब 154 लाख रुपये हम इस कार्यक्रम पर खर्च करेंगे। यह मैंने आपको कृषि विभाग के सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया।

उन्होंने कृषि विपणन बोर्ड के सम्बन्ध में यहां पर कुछ बातें कहीं। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा आप जानते हैं, इस कृषि विपणन बोर्ड का निर्माण हुआ करीब 11 वर्ष हो गये। जब कृषि विपणन बोर्ड का निर्माण हुआ था तब इस मानस से इसका निर्माण किया गया था कि काश्तकारों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिलेगा, व्यापारियों को एक जगह पर

(श्री देवेन्द्र सिंह)

बैठ कर व्यापार करने का मौका मिलेगा और उससे जो आमद होगी उससे हमारे ग्रामीण भाइयों का, क्षेत्र का विकास करेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत 10 सालों में जहां इस कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से 10 करोड़ रुपये हमने सड़कों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में खर्च किए हैं, अब आने वाले वर्ष में 8 करोड़ रुपये कृषि मण्डी के माध्यम से सम्पर्क सड़को पर खर्च करना चाहते हैं। अगर आप इसको उपलब्धि नहीं मानते है तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस वित्तीय वर्ष में करीब 13 करोड़ 14 लाख 41 हजार रुपये खर्च करेंगे, जिससे हम गोदामों का निर्माण करेंगे, सब यार्ड बनायेंगे, मण्डी बनायेंगे और सम्पर्क सड़कों का निर्माण करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक राजस्थान में कृषि मण्डी के माध्यम से हाथ में नहीं लिया गया था। मुझे प्रसन्नता है, कई माननीय सदस्यों को यह अहसास हुआ कि कृषि मण्डी भी सड़कें बना सकती है। मैं यहां पर रोज आये दिन किसी न किसी माननीय सदस्य से सुनता हूं कि हमारी मण्डी के माध्यम से कृषि मण्डी के माध्यम से हमारे क्षेत्र में सड़कें बनायें। मैं बहुत भरोसे से तो कहता नहीं लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी पैसा जिस कृषि मण्डी में आज दिन म जमा है उस पैसे को अन्यत्र कहीं न खर्च करके उसी मण्डी में जहां पर हमारे माननीय सदस्य कहेंगे, उन क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में सड़कों का निर्माण करके, ग्रामीण क्षेत्र में लाभ पहुँचाने की सम्पूर्ण व्यवस्था करेंगे। आश्चर्य है, सभापति महोदय, गत वर्ष भी मैंने इस बात के सम्बन्ध में कहा था और मैंने निवेदन किया था कि राजस्थान की कृषि मण्डी कुछ और आगे बढ़ना चाहती हैं। हमारा कृषि विभाग आज जयपुर में अनेकों स्थानों पर बिखरा हुआ है। हमारा मार्केटिंग बोर्ड एक जगह पर है, हमारा कृषि विपणन बोर्ड, एक जगह पर है और कृषि विस्तार कार्यक्रम एक जगह पर है, कृषि डाइरेक्टोरेट एक जगह पर है, सीड कार्पोरेशन एक जगह पर है और एजेन्सी एक जगह पर है। इन सबको एक जगह पर लाने के लिए हम कृषि भवन का निर्माण करेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कृषि भवन का आदरणीय मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ महीनों पहले शिलान्यास किया और आज कृषि भवन का कार्य चालू है। आने वाले समय में करीब 4 करोड़ रुपये का कृषि भवन बना कर एक छत के नीचे हम काश्तकार भाइयों की कृषि भवन के माध्यम से सेवा करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे माननीय सदस्य बालचन्द्रजी ने कुछ बातें कही, कुछ नीतिगत बातें कही। मैं आभारी हूं कि उन्होंने कुछ ऐसे सुझाव दिये जो नीति से सम्बन्धित हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि चाहे इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट हो, चाहे और कोई डिपार्टमेन्ट हो, जिसके माध्यम से कृषि का विस्तार किया जा सकता है, उनके जितने भी सुझाव हैं उन पर सरकार विचार करके जो भी आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सकेगी वह

(श्री देवेन्द्र सिंह)

करने की कोशिश की जायेगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हमने इस एक्सटेन्शन प्रोग्राम के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो कदम उठाये हैं उनसे आपको स्वयं यह अहसास होगा कि इस टी एण्ड पी प्रोग्राम के माध्यम से आगे बढ़े हैं और बढ़ना चाहते हैं।

कुछ अन्य साथियों ने अपने विचार यहां पर रखे हैं। रामरघुनाथ जी भाई····

एक माननीय सदस्य : भाई नहीं माननीय सदस्य कहो।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य हरिसिंह ने कुछ मण्डी यार्ड के संबंध में, कुछ सड़कों के सम्बन्ध में विचार रखे और एक माननीय सदस्य रामरघुनाथजी ने यह कहा, उनके यहां पर कई नालियों का निर्माण हुआ है वह पूरा नहीं हुआ, उसमें कई गड़बड़िया हैं। मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि जो भी गड़बड़ी होगी उसकी जांच करवा कर जो कुछ भी कार्यवाही सम्भव होगी वह हम करने की कोशिश करेंगे।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य सुजानसिंहजी ने बहरोड़ की मण्डी के संबंध में कहा था। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने बहरोड़ मण्डी को अलग से मण्डी स्थापित करने का निर्णय लिया है, मार्च, 1984 में हमने इसके आदेश जारी कर दिये हैं। 40 दिन पूरा होने के बाद आगे कार्यवाही शुरू करके आपके यहां जैसी आपके पड़ोसी हरियाणा में अच्छी मण्डी है, हम उससे भी अच्छी मण्डी आपके बहरोड़ में बनाकर देंगे। यही मैं आपको इस संबंध में निवेदन कर सकता हूं।

कंवरिया साहब यहां हैं नहीं इसलिए उनका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अन्त में मैं माननीय सदस्य····

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगी····

श्री सभापति : बीच में नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो-तीन सदस्य बोले नहीं, जितने कटौती प्रस्ताव हैं उनको केलकुलेट करके उनका उत्तर अगर आ जाय तो जो सदस्य नहीं बोले उनकी बात का कहां उत्तर आयेगा।

श्री सभापति : बीच में नहीं।

श्री देवेन्द्र सिंह : अन्त में हमारे माननीय सदस्य

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय, भू-सर्वेक्षण विभाग जालोर का····

श्री देवेन्द्र सिंह : भू-सर्वेक्षण विभाग का इस कृषि विभाग से सम्बन्ध नहीं है। स्पेशल स्कीम के माध्यम से जब सोइल स्कीम की डिमाण्ड आये तब उत्तर दे दूंगा।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

माननीय रघुवीरसिंह कौशल ने कुछ बातें यहां पर कहीं। मैं आज तक यह समझता रहा कि विरोधी दलों में कोई गम्भीर व्यक्ति है तो वह रघुवीरसिंह कौशल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसी मारवाड़ी में कहावत है जो गोयली के जाये सब खतरे। जिस भाषा में वे बोले वह उनका दोष नहीं है। मैं एसे परिवार से हूं जिसके कुछ संस्कार हैं, जिसकी संस्कृति है, जिसके पीछे नाम है।

(8.00 रात्रि)

और जैसे उनके संस्कार हैं, वे बोले। मुझे आपत्ति नहीं है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयास किया है अपने माननीय विपक्षी दल के नेता की नकल करने का। लेकिन नकल में भी अक्ल चाहिए। मैं समझता हूं कि वह अक्ल उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी और उन्होंने अनर्गल बातें मेरे सम्बन्ध में कहीं। उन्होंने यह प्रयास किया कि किसी तरह अधिकारियों को बांट सकें। आपने यहां तक कह दिया कि एग्रीकल्चर सैक्रेटरी और मिनिस्टर एक तरफ हैं और स्पेशल सैक्रेटरी और डायरेक्टर एक तरफ है और हम लोग जैसे यहां पर संगठित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि उनकी इन बातों से न तो उन पर असर पड़ने वाला है और न हम पर कोई असर पड़ने वाला है। राजस्थान की सरकार में बैठ कर हम और अधिकारी राजस्थान के काश्तकारों की सेवा ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे कांग्रेस सरकार आज तक करती आयी है और आगे भी करेगी।

आपने यह भी कह दिया, कोई सुपरवाइजरों में 50,000 रु. या 40 लाख रु. पता नहीं कितने खाने की बात कही। मैंने तो अपनी जिन्दगी में इतने रुपये गिने भी नहीं, गिने क्या देखे भी नहीं। लेकिन जैसे आपके संस्कार हैं जैसा आपका आचरण रहा है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनका उन शब्दों में जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल भी इसी प्रकार का आरोप इसी सदन में लगाया गया था तब भी मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मार्केटिंग बोर्ड के आज तक नहीं लिये गये हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि 18 हजार, 20 हजार एक-एक सुपरवाइजर के लिये गये। साल भर तक 18 हजार रख लें और वह सुपरवाइजर बैठा रहे, बने नहीं, मैं समझता हूं, यह सिवाय कपोल कल्पित बात के कुछ नहीं हो सकता है। जैसा आपसे निवेदन किया, आपने यह भी कह दिया कि कोई फाइल मेरी आलमारी में बन्द पड़ी है। जैसे आप मेरे से समझदार हो, चाबी आपके पास हो और रोज आलमारी खोल कर आप फाइल देखते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न तो कोई फाइल है। यदि कोई फाइल आयेगी तो उसी तरह से निपटायी जायेगी जिस तरह से अधिकारियों की राय होगी और मेरी उसके सम्बन्ध में सम्मति होगी। लेकिन यदि किसी विभाग का कोई

(श्री देवेन्द्र सिंह)

अधिकारी कोई राय दे और मेरी राय उससे डिफर करे तो मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं है। यह वही कर सकता है जिसमें अक्ल होगी। बाकी कोई अधिकारी कह दे और हम उस पर अंगूठा लगा दें या दस्तखत कर दें तो मैं समझता हूं कि यह आपके राज में हुआ होगा हमारे राज में कतई सम्भव नहीं है। हम अपनी हैसियत रखते हैं, हम अधिकार रखते हैं। अधिकारियों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है लेकिन उतना ही अधिकार है एक मन्त्री को अपनी राय देने का, अपना मत व्यक्त करने का है। उनकी राय पर मेरा डिसेंट नोट भी हो सकता है। अधिकांश रूप से हम लोग प्रयत्न करते हैं कि सारे कामों में हम लोग मिलकर चलें।

आपने यहां पर कुछ फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों के बारे में कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब से ये फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनी हैं, 10-12 साल हो गये, इसमें ढाई साल तक आपकी भी सरकार रही और पिछले कई सालों तक कांग्रेस का शासन रहा लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का आपने या दूसरी कांग्रेस सरकार ने कभी लाइसेंस कैंसल किया, क्या किसी का लाइसेंस सस्पेंड किया ? एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में पहली बार 10 साल में पांच फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों के 10 में से लाइसेंस कैंसल कर दिये और उनको कोई अधिकार नहीं दिया प्रोडक्शन करने का। इसके बाद आप कहते हैं, जिस फर्टिलाइजर फैक्ट्री के सम्बन्ध में आपने कहा, मैं विस्तार से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर केमिकल का लाइसेंस कैंसल किया, 3 एफ. आई. आर. दर्ज करायी और 2600 थैले ओरगेनिक मेन्योर, जिसकी आप बात करते हैं, के सीज किये। इसी प्रकार जीवन फैक्ट्री की बात आप करते हैं, हम ने उसका चालान किया और जिसके सम्बन्ध में कहा कोटा के सम्बन्ध में, उसका चालान करके उसको पार्टी बनाया, लिबर्टी पेस्टीसाइड का लाइसेंस सस्पेंड किया, एफ. आई. आर. लाज करायी और गंगानगर में इसके खिलाफ केसेज चल रहे हैं। इसी प्रकार से आपने मधुवन का कहा, उसका लाइसेंस अस्वीकार किया। अब वह प्रोडक्शन में नहीं है। गंगा खाद फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, वह भी आज प्रोडक्शन में नहीं है। कुल मिलाकर यह बात इसलिये निवेदन कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ रचनात्मक सुझाव आयें, यह अच्छी सरकार का फर्ज है कि उनको माने लेकिन अनर्गल बातें कह कर अपने आपको अखबार की सुर्खियों में रखें या अपनी पार्टी के लोगों को प्रभावित करना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं। मुझे आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं, मुझे दबा नहीं सकते हैं।

आपने एक बात और कही कि अचलसिंह डिप्टी डाइरेक्टर है उनको मैंने भेजा, प्रमोशन दिया, उनके खिलाफ इन्क्वायरी

(श्री देवेन्द्र सिंह)

थी उसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि आप सुनी सुनायी बातों को निकाल कर लाये हैं। अच्छा होता अगर आप अपने माननीय नेता से ट्रेनिंग ले लेते, उनसे मिल लेते। अचलसिंह के सम्बन्ध में जैसलमेर के जिलाधीश ने लिखा था कि फेमिन में कुछ गडबड़ी की है। जिस रोज उनकी चिट्ठी आयी उसी रोज हमने सैक्रेटरी स्पेशल स्कीम, एडीशनल डेजर्ट डवलपमेंट कमिश्नर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जैसलमेर, एक एक्स. ई.एन. की कमेटी बनाकर कहा कि तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यदि उनके खिलाफ कोई चार्ज बनता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आपने कह दिया कि कोई सिंह, खेतसिंह की मार्फत मेरे पास रुपया आ गया। उसका जवाब तो खेतसिंह जी ने ही दे दिया। उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं।

श्री सभापति : वह बात तो मजाक की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में ही रह गया।

श्री देवेन्द्र सिंह : सदन को प्रभावित करना चाहते हैं। कभी-कभी गम्भीर बातें भी करें, अच्छी बातें कहें। सरकार जो अच्छा काम करे उसकी शाबासी देने की कोशिश करें।

मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले आने वाले वर्ष में कुछ काम जो कृषि विभाग के माध्यम से करना चाहता हूं, उसका जिक्र कर दूं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमने इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि विपणन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार से निवेदन किया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने 1984-85 वर्ष में कृषि मार्केटिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना की बात सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। वित्त विभाग में फाइल है, 16 करोड़ रु. इस पर खर्च करेंगे। यह एशिया का अपने आप में एक ही स्थान होगा।

हम यहां पर फतेहपुर में एग्रो क्लाईमेटिक सैन्टर की स्थापना उदयपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम करने जा रहे हैं। भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। हमने 150 बीघा जमीन भी उपलब्ध करा दी है। वे शीघ्र काम शुरू करेंगे।

इसी प्रकार जैसा निवेदन किया, मंडी समितियों के माध्यम से 650 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने का इस वर्ष में कार्यक्रम है। जैसा निवेदन किया, जिस क्षेत्र की मंडी का पैसा होगा उसी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करेंगे।

1984-85 वर्ष में एक और विशेष कार्यक्रम पंचायत समितियों के माध्यम से चलाना चाहते हैं। मिनी किट्स सप्लाई करके प्रत्येक पंचायत समिति, 50,000 रु. एक-एक पंचायत समिति को देकर उसका

(श्री देवेन्द्र सिंह)

सीमांत कृषक को लाभ पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमेशा काश्तकारों का सर्वोच्च स्तर पर ध्यान रखा है आज भी हमारे देश की महान् नेता इन्दिरा गांधी और मुख्य मन्त्री शिवचरण माथुर के सपनों को साकार करने के लिये राजस्थान का कृषि विभाग किसी भी तरह से काश्तका को आगे बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने में पीछे नहीं रहेगा। जहां मैं यह बात कहता हूं वहां मेरे विभाग के अधिकारियों को, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले एक वर्ष में उन्होंने जो कठिन परिश्रम करके हमारे काश्तकारों की सेवा करके हमारे इस देश के अन्न उत्पादन में सहायता दी वह सराहनीय है। इन बातों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था 38 करोड़ 55 लाख 68 हजार की राशि व्यय करने की अनुमति प्रदान करने का, वह अनुमति प्रदान की जाय।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक तो यह उदयपुर केमिकल्स का जो लाइसेन्स केंसल किया है आपने, क्या इसी के मालिक फॉस्फेट इन्डिया के नाम से दूसरी फर्म बना रहे हैं, उसके लिये आपने रिकमण्डेशन की या नहीं की ?

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने कोई रिकमण्डेशन नहीं की। कोई फर्म बनाये उसमें मिनिस्टर की कोई रिकमण्डेशन की क्या आवश्यकता है ? यही तो दुर्भाग्य है कि आप कभी सरकार में रहे नहीं इसलिए जानते नहीं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं यह भी जानता हूं कि आपने अपने घर पर जो मीटिंग की थी उसमें आर. एफ. सी. के और इण्डस्ट्रीज के श्री मुन्ना लाल गोयल को बुला कर तीनों से रिकमण्डेशन करवायी है कि इनको लाइसेंस दिया जाय।

श्री देवेन्द्र सिंह : सही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने कोई रिकमण्डेशन नहीं की। आर. एफ. सी. के अधिकारियों को यदि मैंने बुलवाया और उनसे कोई सलाह ली तो वह फाइल पर है, उसी के आधार पर कोई निर्णय लिया होगा। कोई व्यक्तिगत रूप से रिकमण्डेशन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सब स्टैण्डर्ड फैक्ट्री को लाइसेंस दिलाने की जो कोशिश है, उसके लिये पूछ रहा हूं मैं। उनका तो पैसा लगा हुआ है वे तो चाहेंगे चाहे ये फर्जी माल बनायें उनको पैसा चाहिये वापस। क्या जो सब स्टैण्डर्ड माल बनाने के हेबिचुअल आफेंडर हैं उनको फिर से लाइसेंस देने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : यही मैंने बताने की कोशिश की। अभी तो जो भी हेबिचुअल आफेंडर था उसको तो हमने समाप्त हो

(256)

(श्री देवेन्द्र सिंह)

करने की कोशिश की। आप तो कुछ कर ही नहीं सके।

(8.13 रात्रि)

(श्री पूनमचंद बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसीलिये आप दुबारा दे रहे हो। हमारे जमाने में सब-स्टैण्डर्ड माल नहीं बनता था। हमारे जमाने में माल सब-स्टैण्डर्ड नहीं बनता था। यह आपके जमाने में, आपने बनाना शुरू किया है।

श्री देवेन्द्र सिंह : हम यह कह रहे हैं कि सब-स्टैण्डर्ड फर्टिलाइजर राजस्थान में नहीं बिकेगा, इसकी व्यवस्था हम करके चलेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप बता दीजिये, आपके यहां जितनी फैक्ट्रीज हैं जो सुपर फास्फेट बनाती हैं या जो मिक्सचर बनाती हैं उनमें से कितनी फैक्ट्री का माल सब-स्टैण्डर्ड सिद्ध हुआ है? क्या यह सही है कि आपके इंसपेक्टर्स वह सैम्पल लेते हैं जो वह बताते हैं और सैन्टर का डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल लाते हैं तो माल सब स्टैण्डर्ड निकलता है?

श्री देवेन्द्र सिंह : यह सब आपकी बातें हैं इसमें कोई सार नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप मेरी एक बात का उत्तर नहीं दे सके, मन्त्री महोदय, आप जिन रिसर्च वालों और डिपार्टमेंट वालों को धन्यवाद दे रहे हैं मैं पूछता हूं कि क्या पिछले चार सालों में कोई नयी वेरायटी निकाली आपने गेहूं की या ज्वार की या क्या कोई भी रिसर्च हो रहा है? सोयाबीन आज 20 हजार हैक्टेयर में हो रहा है, क्या आपने राजस्थान के लिये कोई सोयाबीन की वेरायटी अप्रूव की आज तक? क्या काम कर रहे हैं आप? बता दीजिये आप, 20 हजार हैक्टेयर में सोयाबीन हो रहा है, अगले साल 50 हजार हैक्टेयर में होगा, क्या आपने आज तक बीज उपलब्ध कराया, कोई राजस्थान के लिये सोयाबीन की वेरायटी अप्रूव की आज तक?

श्री देवेन्द्र सिंह : आपको यह मालूम होना चाहिये कि राजस्थान में कोटा में सोयाबीन प्लांट लगाया जा रहा है उसके लिये सोयाबीन का सीड वहां उपलब्ध करें, उसके लिये हमने कार्यक्रम बनाया और इस वर्ष हम सोयाबीन का वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर चलना चाहते हैं। आप आंख मूंदकर चलना चाहते हैं उसका मेरे पास क्या जवाब है?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सोयाबीन की कौन सी वेरायटी राजस्थान के लिये अप्रूव की?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायं।

श्री देवेन्द्र सिंह : आर्डर हो रहा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, बताने तो दीजिये, क्या काम कर रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को सुन लीजिये। प्रश्नोत्तर नहीं होगा इस वक्त यहां पर।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो बात कटौती प्रस्ताव में नहीं उठायी गयी, माननीय सदस्य ने अपने बहस में नहीं उठायी उन बातों के बारे में प्रश्न पूछा जाय तो, मैं समझता हूं, सरकारी स्तर से उत्तर कैसे आ सकेगा? आपको यह व्यवस्था देनी चाहिये, जो विषय कटौती प्रस्ताव में नहीं, बहस में नहीं उन मामलों में प्रश्न करने का औचित्य क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : पूर्व में कई बार व्यवस्थाएं दी जा चुकी हैं। जो प्रश्न वाद विवाद में पहले नहीं आया हो उन विषयों को जब उत्तर दिया जाय उस वक्त नहीं उठाया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत से मुद्दे ऐसे थे....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने इस बहस में भाग नहीं लिया उनके कटौती प्रस्ताव हैं उनके लिये कोई व्यवस्था आपको देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : उनका उत्तर देने के लिये पूर्व में व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने अपने उत्तर में जवाब सवाल किया है, कोई उत्तर थोड़े ही दिया है।

श्री अध्यक्ष : पशुपालन मन्त्रीजी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य। माननीय मन्त्री महोदय, एकाध प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि गेहूं की पैदावार बढ़ी, ज्वार की पैदावार बढ़ी, बाजरे की पैदावार बढ़ी, मक्का की पैदावार बढ़ी, गन्ने की पैदावार बढ़ी और रूई की पैदावार बढ़ी। लेकिन देश और राज्य के लिये सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह हो रहा है कि दालों की पैदावार दिन पर दिन घट रही है। दालों की पैदावार के बारे में जब तक हम कोई स्पेशल प्रोग्राम लेकर नहीं चलेंगे, दाल की पैदावार जिस तरह घट रही है किसी चीज की पैदावार नहीं घट रही है। तो इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या प्रोग्राम बनाया है? उसके बारे में तो कुछ इंगित करना चाहिये था।

श्री महाराम चौधरी : कृषि मन्त्री महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया था

(श्री महाराम चौधरी)

राजकीय कृषि फार्म, जो चाहे राज्य स्तर के हों, चाहे पंचायत समिति स्तर के हों, की जांच करायी गयी है, उसमें किसी ने अनियमितताएं की हैं या घाटे में चल रहे हैं या विफल पड़े हैं उस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि फार्मों के सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा था, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से हमारे कृषि फार्म घाटे में चल रहे थे। हमने निर्णय किया कि कृषि फार्म जो घाटे में चल रहे हैं उनके सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। उसमें से हमने कृषि फार्म राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन को हस्तान्तरित कर दिये 16 के करीब। उसमें वे अपना सीड प्रोग्राम लेकर काम कर रहे हैं। बाकी हमारी मान्यता है कि यदि कृषि विभाग या कोई विभाग फार्म को नहीं चला सकता तो वे फार्म हम रेवेन्यू विभाग को सौंप देंगे ताकि काश्तकारों को जमीन मिले और उसमें वे काश्तकार खेती कर सकें।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास रखिये न पड़त जमीन। जमीन की कीमत बढ़ती रहती है कम से कम खर्चा तो नहीं होगा, और अन्य किसी कार्यक्रम में काम आ जायगा।

श्री देवेन्द्र सिंह : कुछ जगह नर्सरीज डवलप कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे फार्म हैं जिनमें घास भी नहीं उगता तो कुछ काश्तकार लेना चाहें तो....

श्री महाराम चौधरी : काश्तकारों को आप नीलाम कर दें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। बैठ जायं।

श्री देवेन्द्र सिंह : एक बात मैं एग्रो इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में निवेदन करना भूल गया था। हमारा एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन हमेशा घाटे में चलता रहा है। हम आभारी हैं हमारे राजस्थान नहर मन्त्रीजी के, उन्होंने हमारे एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की मदद करने की कृपा की, जितने भी हमारे बुलडोजर्स आइड्ल पड़े थे या दूसरी स्टेट में थे उन्हें राजस्थान कैनाल पर भेजा और जहां हमारा एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन करीब 86 लाख रुपये के घाटे में था वहां हमारे इंजीनियरों ने बहुत अच्छा काम किया और घाटे को घटा करके 56 लाख कर दिया। अगले साल और तरक्की करके हमारे प्रयत्न से एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को हम लाभ में नहीं तो बराबर तो करके छोड़ें, यह हमारा प्रयत्न रहेगा। एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से हमने इम्प्लीमेंट्स बनाना शुरू किया है, हैंड पम्प्स बनाना शुरू किया ताकि यह घाटे की स्थिति से निकल कर लाभ की स्थिति में पहुँच सके।

श्री अध्यक्ष : एक दालों के सम्बन्ध पूर्व प्रश्न था।

श्री देवेन्द्र सिंह : दालों के सम्बन्ध में मैंने तो निवेदन किया, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है जैसा मैंने आपसे निवेदन किया।

श्री यदुनाथ सिंह : एक साल में मतलब नहीं निकलेगा।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने आपको जो फिगर्स पेश किये वे 1977 से 84 तक के किये थे। किसी साल अगर एबनार्मल या घाटा हो गया, मैं स्वीकार नहीं करता लेकिन एवरेज हमारा उत्पादन बढ़ा है हर क्षेत्र में जिसमें दाल भी शामिल है।

एक माननीय सदस्य : इस साल तो बीमारी फैल गयी थी न। दलहन फसलों के अन्दर बीमारी फैल गयी थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, ज्यादा चर्चा नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : 77% हमारे यहां ड्राइलैंड है। देश में 64% है। उसके रहते दाल ही गरीब खाते हैं। दाल का प्रोडक्शन गिर रहा है तो उसको कहां से प्रोटीन मिलेगा। एक साल बढ़ जाय, थोड़ा घट जाय, वह बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं नीतिगत बात कर रहा हूं कि उसके लिये क्या स्पेशल प्रोग्राम लेकर चलना चाहते हैं, दालों के लिये आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में भी दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पशुपालन मन्त्रीजी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस तरह से प्रश्नों का कोई अन्त नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पशुपालन विभाग की मांगों पर 13 सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। 172 के करीब कटौती प्रस्ताव भी यहां पर पशुपालन विभाग से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये हैं। जैसा अभी सम्माननीय सदस्य कह रहे थे कि कृषि और पशुपालन, जिस पर राजस्थान के करीब 80 प्रतिशत आदमी निर्भर करते हैं, में सम्माननीय सदस्यों की दिलचस्पी कम है। मैं भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि कुछ सम्माननीय सदस्य बोल गये, बोलकर चले गये। वैसे मैं यह मानता हूं कि दोनों ही विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज कृषि और पशु-पालन विभाग दोनों के सामजस्य से ही हम राजस्थान का आर्थिक विकास कर सकते है। यहां पर कुछ सम्माननीय सदस्यों ने बड़े उपयोगी सुझाव दिये हैं, उन सुझावों को तो क्रियान्वित करने के लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा।

इसी के साथ बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तो कोटा में एक्स-रे मशीन के बारे में कहा कि 6 साल से मशीन आई हुई पड़ी थी उसको नहीं लगाया गया। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहता हूं; 83 के अन्दर वह मशीन वहां पर चालू हो गयी। वह अपनी गलतफहमी दूर कर लें। बोराखेड़ा लादपुरा। कोटा के अन्दर एक औषधालय चालू हुआ है। आपने शायद बोरावास बोला था, वहां औषधालय बन्द कर दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, हमने एक भी औषधालय बन्द नहीं किया है क्योंकि हम यह सारे काम किसी राजनीतिक आधार पर नहीं करते। किस आधार पर खोले जायं, किस आधार पर बन्द किये जाय, हमारी पार्टी ऐसे इन सारे कामों को करने की आदी नहीं है, और न ही करेगी।

एक सम्माननीय सदस्य ने यहां पर पशुओं के विकास के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1977 की पशु-गणना के अनुसार राजस्थान के अन्दर 4 करोड़ 14 लाख पशु थे, और आज 1983 की पशु-सम्पदा की संख्या 4 करोड़ 95 लाख है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 35 लाख टन दूध प्रति वर्ष राजस्थान के अन्दर होता है। हिन्दुस्तान का 13 प्रतिशत दूध अकेला राजस्थान देता है। 1540 लाख अण्डे व 14·25 हजार टन मास का वार्षिक उत्पादन है राजस्थान का, यह भी मैं सम्माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं।

सम्माननीय सदस्यों ने पशु चिकित्सा और पशु संवर्द्धन के बारे में भी कुछ बातें कही हैं। मैं उन से निवेदन करूं, गत वर्ष तक राजस्थान प्रदेश के अन्दर 743 पशु चिकित्सा संस्थायें कार्यरत थीं जिनमें 351 चिकित्सालय थे, 210 पशु औषधालय थे, 6 पोली-क्लिनिक थे, 55 चल पशु चिकित्सा इकाई थीं तथा रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से पशु स्वास्थ्य केन्द्र थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को, उन्होंने हमें इस सारे कार्य में दिशा दी। इस साल हमने 26 चिकित्सालय खोले और 75 औषधालय चालू किये। यह 26 और 75 ही नहीं, अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि यहां 40 हजार के ऊपर एक डाक्टर है, मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, 1978-79 के अन्दर 44 हजार 337 गो-वंश के ऊपर एक डाक्टर था वहां पर आज 27 हजार 816 के ऊपर एक डाक्टर उपलब्ध करा चुके हैं। यद्यपि मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि जो आल इण्डिया के टार्गेट्स हैं, जो आल इण्डिया के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उस तक हम नहीं पहुँच पाये हैं लेकिन विभाग की जो अन्य योजनायें हैं उन योजनाओं के माध्यम से, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में भी संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहूंगा। 175 और संस्थाओं में जहां 2 स्टाक मैन थे उनमें से एक स्टाकमैन को वहां रख कर दूसरे को वहां से 8-10 किलोमीटर के एरिया के अन्दर लगा दिया, वहां पर उपकरण दे दिये गये, सभी औषधियों की व्यवस्था कर दी। ऐसी व्यवस्था जिन 100

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

का मैंने निवेदन किया, उनके अतिरिक्त कर दी है।

इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्यक्रम इस वर्ष पशुओं के संवर्द्धन के लिए, पशुओं के विकास के लिए जो लिये गये हैं, उनके सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने कोटा और उदयपुर सम्भाग के 8 जिलों के अन्दर फ्रोजन सीमन का प्रोजेक्ट भारत सरकार की मदद से हाथ में लिया है। उसके अन्दर हमारा लक्ष्य है, प्रति वर्ष 4 लाख अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम हम हमारे हाथ में लेने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राजस्थान के अन्दर 88 लाख ब्रीडेबल पशु हैं, चाहे गाय हों, चाहे भैंस हों। वह सारा कार्यक्रम आज जिस प्रकार चल रहा है, हमारी योजना है, बड़ा लम्बा काम है, एक दिन में रिजल्ट्स आने वाले होते नहीं इस सारे कार्यक्रम के। जैसी अभी सम्माननीय सदस्यों की तकलीफ थी, उसको भी मैं समझता हूं, मुझे भी इस बात की जानकारी है कि वहां पर ए. आई. प्रोग्राम चलने के बाद कभी उनकी निगरानी होती है, कभी नहीं होती है। एक आदमी का यदि तीन हजार रुपये का, चार हजार रुपये का पशु बरबाद हो जाय तो उसके दिल पर जो चोट पहुँचती है उस चोट को, उस सारी चीज को मैं भी महसूस करता हूं। इसको मैं स्वयं ही महसूस नहीं करता बल्कि हमारी पार्टी भी करती है। जो 20 पाइण्ट प्रोग्राम है उस 20 पाइण्ट प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों की आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं। उस आर्थिक उन्नति के अन्दर हम लोग यह मान कर चलते हैं कि वर्तमान में जो सारे वैज्ञानिक तरीके और अन्य तरीके हैं, जिनके बारे में आज खोज हुई है, उनको अगर हम किसान तक नहीं पहुँचायेंगे, पशुपालक तक नहीं पहुँचायेंगे तो वह लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पायेंगे और जो लाभ आज हम गरीबी दूर करने के लिए देना चाहते हैं वह नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए एक अभियान के रूप में हमने प्रयत्न करके, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, राजस्थान के 8 जिले, जिनके अन्दर कोटा डिवीजन के कोटा झालावाड़, बूंदी और इधर उदयपुर डिवीजन के पांच जिले सम्मिलित किये गये हैं, नागौर जिला भी सम्मिलित किया गया है, के अन्दर एक करोड़ रुपया हमको भारत सरकार से प्राप्त हुआ, जिससे हम फ्रोजन सीमन का कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। इसी के साथ जोधपुर तथा बीकानेर सम्भाग के 11 जिले, जो कि डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, के अन्दर हम पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की मार्फत फ्रोजन सीमन का कार्यक्रम हाथ में लेने जा रहे हैं इसी प्रकार के बैंक पैटर्न के आधार पर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपकी पशु पालन के सम्बन्ध में बहुत जानकारी है, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मुझे और कृषि मन्त्री जी को उरलीकांचन भेजा था, यह देखने के लिए भेजा था कि महाराष्ट्र के अन्दर किस प्रकार इस नस्ल को डवलप किया है; और किस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम सफल हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(262)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हमने वहां जाकर उस सारे कार्यक्रम को देखा। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि भीलवाड़ा के अन्दर वीफ का सेंटर कायम कर रहे हैं जो उरलीकांचन जैसा ही होगा। इस कार्य के लिए जहां मैं मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं, वहीं विशिष्ट योजना संगठन के राज्य मन्त्री, देवेन्द्रसिंह जी का भी आभारी हूं इस बात के लिए कि तुरन्त ही वह सारा कार्यक्रम सम्पादित हुआ। यहा पर उरलीकांचन जैसे कार्यक्रम का शिलान्यास हो चुका है, उस कार्यक्रम को भी क्रियान्वित किया जा रहा है, और ठीक उसी पैटर्न के ऊपर हमने तीन जिले-सीकर, झुंझुनू और गंगानगर, अलग से सम्मिलित करने का निश्चय किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं, राजस्थान के अन्दर 154 गोशालायें हैं। मैंने भारत सरकार से मिल कर इस बात के लिए प्रयास किये कि इन गो-शालाओं के अन्दर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हों और बहुत सारे अन्य लोग हों। जो बहुत अच्छे ढंग की गाय को पालने का प्रयास करते हैं। उनको अभी तक मदद नहीं मिल पाती थी मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस वर्ष दो गो-शालाओं को जिनमें एक सांगानेर की और एक किशनगढ़ की गौशाला है, को एक लाख 65 हजार रुपया टोकन रूप में दिया गया। मुझे यह भी कहते हुए खुशी है कि अगले वर्ष के लिए हमको भारत सरकार ने 50 लाख रुपये की स्वीकृति इस कार्य के लिए दे दी है, ताकि हम ऐसी गो-शालाओं का विकास अच्छे ढंग से करवा सकें। भीलवाड़ा, कोटा और बूंदी में बैंक के 20 यूनिट इस समय कार्य कर रहे हैं, और 50 और चालू करने की परियोजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैं समझता हूं, वह बहुत शीघ्र ही क्रियान्वित की जायेगी।

राठी, थारपारकर, हरियाणा ब्रीड, इनके सम्बन्ध में डेगाना से आने वाले सम्माननीय सदस्य राम रघुनाथ जी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि यह हमारी ओरिजिनल नस्ल है। राठी ऐसी गाय है जो दूध का भण्डार कही जा सकती है, जो एक तरह से जर्सी के मुकाबले की गाय है। उसी गाय के बारे में, चूंकि अभी ब्रीडिंग पालिसी वगैरह की बात यहां पर हो रही थी, सम्माननीय सदस्य कह रहे थे। मैं उसके बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि जो टेक्निशियन हैं, वैज्ञानिक हैं, वह इस बारे में कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में जो खोज कार्य हुआ है उसके रिजल्ट तो बड़े अच्छे हैं लेकिन रेड़ीन के ब्रीड के बारे मे सम्माननीय राम रघुनाथ जी कह रहे थे, मैंने बम्बई की सारी कालोनी के अन्दर देखा है, ब्रीड को रेड़ीन से क्रास करने से दूध में बड़ी वृद्धि हुई है। मैंने वहां राठी का भी क्रास ब्रीडिंग देखा है लेकिन हमारे यहां के विशेषज्ञ इस बात के बारे में कहते हैं कि राठी को राजस्थान की जलवायु, ऐसी जलवायु जिसमें पहले ही बड़ी भयंकर गर्मी पड़ती है, में हरा चारा, हरी घास वगैरह नहीं मिल पाती है। उनका अगर क्रास

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ब्रीडिंग हुआ तो सफल नहीं होगा। इसलिये राज्य सरकार की तरफ से कहीं कोई ऐसी नीति या कार्यक्रम नहीं है कि इतना क्रास ब्रीडिंग ही हो। किन्तु और जो नस्ल हैं जिनके अन्दर अच्छे रिजल्ट्स आये हैं उनके विकास के लिये राज्य सरकार योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है।

नागौरी बैल के बारे में भी यहां पर कहा गया। मुझे गर्व है इस बात को कहते हुये कि सारे भारत के अन्दर जितनी भी प्रदर्शनी के आयोजन हुये हैं उसमें यहां के पशु सर्वश्रेष्ठ आये हैं। उसमें नागौरी बैल का नाम सबसे ऊपर रहा है। भारत की प्रधान मन्त्री, इन्दिरा जी ने गत वर्ष इलाहाबाद के अन्दर उनको पुरस्कृत किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मीटिंग के अन्दर मैंने इन सारी बातों को उठाया और निवेदन किया राजस्थान की राठी, राजस्थान की थारपारकर, राजस्थान के नागौरी बैल, राजस्थान की मुर्रा भैंस के बारे में। अभी मुर्रा भैंस के बारे में भी यहां पर, अध्यक्ष महोदय, कहा गया था। यह कहा गया था कि उसके बारे में कहीं कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने, इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सिद्धान्ततः इस बात पर सहमति व्यक्त कर दी है और 2-3 प्रोजेक्ट्स हम इसी वर्ष यानि 1984-85 में ले रहे हैं। उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर तो निश्चित रूप से इन सारी बातों को मान लिया है।

माननीय रामरघुनाथ जी ऊंटों के बारे में कह रहे थे। मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर के अन्दर हमारा अनुसंधान केन्द्र कार्यरत था उस सम्बन्ध में भारत सरकार के अधिकारियों से बात की है। इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अन्दर जब मैं गत वर्ष गया था तब वहां पर भी इस बात को कहा कि लगभग सारे हिन्दुस्तान के 75 पर्सेन्ट ऊंट राजस्थान के अन्दर होते हैं। इन ऊंटों के नस्ल विकास के लिये कार्य किया जाना चाहिये। मुझे यह कहते हुये भी खुशी है कि भारत सरकार ने उस प्रोजेक्ट को ले लिया है; राजस्थान सरकार ने वह केन्द्र दे दिया है। वह जल्दी वहां पर कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं।

एक बात यहां पर भेड़ों के सम्बन्ध में और चारागाह के विकास के बारे में भी कही गई थी। अध्यक्ष महोदय, आप जैसा स्वयं जानते हैं, कई लोग बड़ी महत्वाकांक्षी योजनायें बनाते रहे, और उनका पीरियड खतम हो गया, कुछ कर नहीं पाये लेकिन मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मन्त्री, शिवचरण जी माथुर को इस बात के लिये कि राजस्थान को इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो राजस्थान नहर के बायीं ओर चरागाह डवलप करने के लिये योजना थी, 50 हजार हैक्टेयर में उस योजना को शुरू कर दिया गया। उसके अन्दर हमने प्रादेशिक सेना को इन्वाल्व किया है। गत वर्ष चूंकि लेट काम प्रारम्भ

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हुआ था लेकिन साढ़े सात लाख पेड़ वहां पर लगाये जा चुके है। उसके बारे में मैं आपसे निवेदन कर दूं, मुझे यह भी कहते हुये प्रसन्नता है कि उन पेड़ों के अन्दर 5 पर्सेन्ट भी पेड़ मरे नहीं हैं, सारे के सारे पेड़ वहां पर जिन्दा हैं। क्योंकि हिरण और उनकी प्राब्लम आ रही है राज्य सरकार ने कांटेदार तार लगाये हैं, हमारे वन विभाग का भी पूरा सहयोग रहा है, नर्सरी वगैरह सारी बहुत अच्छे ढंग से डवलप कर रहे हैं। हमने भारत सरकार से भी इस बात के बारे में कहा है कि हमारी भेड़ों के निष्क्रमण की हमारी बहुत बड़ी प्राब्लम रहती है। जैसा पहले भी कहा जा रहा था, मुख्य मंत्री जी स्वयं कई बार इस बारे में प्रयास करते रहे हैं। अब की बार 50 हजार हैक्टेयर जमीन के अन्दर जो चारागाह डवलप करने की बात है, उस कार्य के सम्बन्ध में मैं अभी कल ही दिल्ली जाकर आया हूं। उन्होंने इस बारे ने सहमति व्यक्त की है और कहा है कि आप इस योजना को ऐसा रूप दीजिये कि 15 साल के बजाय हम इस योजना को 5 साल के अन्दर ही क्रियान्वित कर सकें। मुझे यह भी कहते हुये खुशी है कि हमारे विशिष्ट योजना संगठन ने इन सारी बातों के अन्दर पहल की है और इसके बारे में सहमति दी है कि हम कहीं से भी फण्ड्स जुटायेंगे लेकिन इन सारी बातों को क्रियान्वित करायेंगे।

यहां पर घोड़ों के विकास के बारे में भी बात कही गई है। माननीय सदस्य श्री हेमाराम जी, जो बोल नहीं पाये, ने लिखित में अपने सुझाव मुझे दिये हैं। मैं यह मेरा कर्त्तव्य समझता हूं, वैसे राज्य सरकार ने 4 अश्व केन्द्र स्थापित कर दिये हैं। उनका गुढ़ामलानी के बारे में सुझाव है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि राजस्थान की यह सबसे बढ़िया नस्ल है और राजस्थान की ही नहीं भारत की अच्छी नस्ल के अन्दर यह नस्ल मानी जाती है। उस नस्ल को विकसित करने का राज्य सरकार का सुझाव है। जिस प्रकार से हमने 4 अश्व केन्द्र खोले हैं, इस बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से भी मैंने अनुरोध किया है और वह इस बारे में हमसे सहमत हैं कि इन केन्द्रों को उनकी तरफ से चालू किया जाय।

यहां पर बहरोड़ से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने जखराना की बकरियों के बारे में जिक्र किया है। रामरघुनाथ जी ने बकरियों के दूसरे रूप को भी यहां पर प्रदर्शित किया है। जैसा, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं, राजस्थान में 1 करोड़ 33 लाख बकरियां हैं और बकरियां जितनी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हैं उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं वह बात तो उचित नहीं मानता लेकिन मैंने स्वयं भी इसके बारे में सुना है और वहां पर भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि हमारे जखराना की बकरियां 5-6 किलो दूध एक दिन में दोनों टाइम में दे देती हैं। उदयपुर में जो मैंने गायें देखीं, गाय का दूध 2 किलो दिन भर का और बकरी को मामूली चारा-दाना डालने पर उसको अच्छी व्यवस्था हो जाती है और इतना दूध दे देती है तो आर्थिक

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दृष्टि से भी वह बड़ी उपयोगी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं जोबनेर गया था। वहां भी उन्होंने बकरी की दूसरी नस्ल डवलप की है। हमारे यहां रामसर में भी स्वीटजरलैण्ड के सहयोग से इस सारे कार्यक्रम पर रिसर्च का वर्क चल रहा है। मैंने मालपुरा में अविकानगर में भी सारी व्यवस्था को देखा है। यह मानकर चलता हूं कि इस अखराना नस्ल, मारवाड़ी नस्ल, सिरोही नस्ल, इन तीनों बकरियों के बारे में रिसर्च चल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि बहुत जल्दी उनके रिजल्ट्स आयेंगे और उन रिजल्ट्स को किसानों तक पहुँचाने के अन्दर हम कामयाब होंगे।

एक पोल्ट्री के बारे में, यद्यपि माननीय सदस्यों, चूंकि आज ज्यादा इनकी कृपा रही, में से कोई ज्यादा बोले नहीं, किसी तरह की कोई आलोचना नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विभाग के अधिकारीगण जिस सक्रियता के साथ सारे कार्यक्रमों में लगे हुये हैं और एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार किये हुये हैं कि हमारे यहां की गरीबी दूर करने का देश की नेता इन्दिरा गांधी ने जो हमको कार्यक्रम दिया है उस कार्यक्रम को पूरा करने के अन्दर यह जो पशुपालन का व्यवसाय है और कुक्कट पालन का व्यवसाय है यह हमारे लिये बहुत जरूरी व्यवसाय है। उसके हिसाब से हम यहां कोटा और जयपुर दो जगहों के ऊपर पोल्ट्री एस्टेट डवलप कर रहे हैं। उन पोल्ट्री एस्टेट्स में आधे से अधिक भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। एक पोल्ट्री फेडरेशन की स्थापना भी की जा चुकी है। मैंने एन. सी. डी. सी. के अधिकारियों से भी इन सारी बातों के बारे में बात की है, उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भेजी जा चुकी हैं। मेरी मान्यता है कि जल्दी से जल्दी वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मंजूर होंगी और पोल्ट्री के क्षेत्र के अन्दर राजस्थान के अन्दर जो बड़ी सम्भावनायें हैं उन सम्भावनाओं को विकसित करके इस सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे।

जहां तक अन्य बातों का ताल्लुक है....

(व्यवधान)

इसी के साथ मैं दो मिनट में ही पूरा करता हूं।

पशुओं की चिकित्सा के सम्बन्ध में, उनकी दवाइयों के सम्बन्ध में भी जो कटमोशन्स आये हैं यहां उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया लेकिन मैं उसके बारे में इतना ही निवेदन कर देता हूं कि जो इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से बात की है उसके आधार पर भारत सरकार के सहयोग से सारे पशुओं का सर्वेक्षण करा रहे हैं। दूसरे, इनके रोग निरोधक टीके लगाने की व्यवस्था लगातार हमारे यहां पर चल रही है। उसका हम व्यापक रूप से प्रसार करने जा रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां पर चल पशु शल्य चिकित्सालय भी कायम करने का प्रावधान है। अभी 8 दिन पहले ही मैं बगरू के अन्दर गया था। वहां पर 500 पशुओं के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आपरेशन्स हुये हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, सीकर में हुये हैं, सभी जगहों पर अभियान के रूप में इस सारे कार्यक्रम को चला रहे हैं। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि अभी जब गुजरात में संकट आया, गुजरात में जब बाढ़ की वजह से पशुओं को दिक्कत आई थी तब मुख्य मन्त्रीजी ने 30 लाख के करीब वेक्सीन भिजवा कर सहायता दी और हमारे यहां की लेबोरेटरीज के बने हुये वेक्सीन गुजरात को हमने सहायता स्वरूप भेजे।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। घनश्याम जी, आपके यहां साण्डों की व्यवस्था कर रहा हूं × × × इसलिये वहां पर व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने 500 रुपये मात्र के अन्दर पंचायत समितियों को साण्ड दिये जाने की व्यवस्था की है थरपारकर नस्ल के सांड, जो कि भारत सरकार का सूरतगढ़ का फार्म है वह 5000/-, मतलब आधी कीमत में देता था। उसके सम्बन्ध में भी मैंने भारत सरकार के कृषि मन्त्रीजी से अनुरोध किया कि जब राज्य सरकार 500/- रु. में देती है तो आप यह 5000/- रु. किस खुशी के अन्दर ले रहे हैं। मैं उनका आभारी हूं इस बात के लिए, और धन्यवाद भी देना चाहता हूं आज उनको इस बात के लिए, उन्होंने हमको 500/- रु. में वह सांड देने की बात स्वीकार कर ली और हमने वह थरपारकर नस्ल के सांड पंचायत समितियों को दिये हैं। इसके अलावा भी बस्सी से 500 रुपये में जर्सी के साण्ड और जो भी सांड हमारे यहां उपलब्ध हैं, जो भी पंचायत समितियां मांगती हैं उनको हम वह सांड उपलब्ध करवाते हैं।

एक बात मैं विशेष रूप से कह करके मेरी बात समाप्त करूंगा। जैसा आप जानते हैं कई बार ये प्रश्न भी आते हैं, कई जगह पर स्टाफ की कमी है, डाक्टर्स की कमी है। मैं इसको स्वीकारता हूं। अबकी बार हमने जोधपुर में एक स्टाफमैन ट्रेनिंग सैन्टर खोलने का निश्चय किया है। वह क्रियान्वित हो गया है। दूसरा, पिलानी में बी. एम. ट्रस्ट की तरफ से चलता है एक ट्रेनिंग सैन्टर, उसको भी राज्य सरकार ने मान्यता दे दी है। चूंकि डाक्टर्स की कमी है और हमारे यहां बीकानेर में केवल मात्र एक ही वेटरिनरी कालेज है और जिस गति से हम इन पशु चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे यहां एक हजार डाक्टर्स की कमी पड़ेगी। इसलिए मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया और मैंने एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट परिषद् में भी इस प्रश्न को मैंने उठाया। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि सिद्धान्ततः उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब मैं राजस्थान का अपना जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके उप-कुलपतिजी से और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से उस सारी बात के बारे में अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां एक वेटरिनरी कालेज

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हम और खोलने जा रहे हैं और जिसकी भारत सरकार ने सिद्धान्ततः हमको सहमति दे दी है, उसके बारे में हमारा कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाय।

मैं समझता हूं, सम्माननीय सदस्यों ने जिन जिन बातों के बारे में सात-आठ जो कटौती प्रस्ताव दिये थे, वैसे मैं कटौती प्रस्तावों की सबको लिखित रूप से सूचना भी भेजूंगा उसके बावजूद भी ...

श्री यदुनाथ सिंह : मछली पालन का क्या हुआ ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मछली भी पलती है, अभी ठहर जाओ आप। मछली भी पलेगी, भेड़ की ऊन भी उतारी जायेगी, तसल्ली रखो आप।

तो मैं यही निवेदन करता हूं कि राजस्थान में ये पशुपालन का व्यवसाय, जिसमें भेड़ ऊन भी सम्मिलित है, जिसमें मछली पालन भी सम्मिलित है, ये सारे जितने जो काम हैं, सूकर पालन की योजना है मैं इन्हीं की वजह से भूल गया था क्योंकि तकाजा इधर से ही आ रहा है कि भाषण छोटा कर दो। मैं यही निवेदन करता हूं और माननीय सदस्यों का मैं आह्वान भी इस बात के लिए करता हूं। मुझे कई बार रामरघुनाथजी आदि सदस्यों, जो किसानों से डाइरेक्ट सम्बन्धित हैं, ने मार्ग दर्शन दिया है, मुझे कई बार इन सारी बातों के बारे में कहा है। कुम्हेर के अन्दर हमने एक एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया है। ठीक उसी प्रकार से मैं नागौर के अन्दर भी एक एडवाइजरी कमेटी का गठन इसलिए करवाने की कह रहा हूं ताकि वहां के किसान लोग भी उसके अन्दर एक सम्मिलित रूप से भागीदार रह करके हमारा मार्ग दर्शन कर सकें।

मैं यही निवेदन करता हुआ यह अनुरोध करता हूं कि मेरे विभाग की जो मांग हैं और जो मैंने 14,87,77,000/- रुपये की राशि स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है उसे पारित करवाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मैं माननीय सदस्यों की ओर से दो प्रश्न राज्य मन्त्री पशुपालन से पूछना चाहूंगा।

प्रथम यह कि थरपारकर नस्ल बाड़मेर में राजस्थान बोर्डर पर होती थी। पिछले वर्ष अकालों में इन दुधारू पशुओं की संख्या बहुत कम हो गई है। तो उनकी संख्या बढ़े उसके लिए कुछ प्रयत्न करना जरूरी है। तो उस सम्बन्ध में क्या किया जायेगा ?

दूसरा यह कि राठी नस्ल उस क्षेत्र के अन्दर निवास करती है जहां पर अब राजस्थान कैनाल आ रही है। आप यह जानते हैं कि जहां पर नहरी क्षेत्र बन जाता है वहा

(श्री अध्यक्ष)

पशुपालन का काम कम पड़ जाता है। तो दो ये समस्यायें हैं जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान में कोई नहीं हो तो आप अपने ध्यान में जरूर रखें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था, पशुपालन में आपसे तो मुझे रोज ही मार्गदर्शन मिलता है। जो आपने कहा राठी नस्ल के बारे में तो इतना ही निवेदन कर दूं कि आज कल वह पशुपालकों के लिए एक अच्छा कार्य है। बीकानेर के अन्दर हमने डेयरी की मार्फत 18 करोड़ रुपये का भुगतान गत वर्ष उनको दूध का किया। जो थरपारकर के बारे में आपने आदेश दिया, थरपारकर नस्ल के सांड हमने वहां से लिये हैं और हमारी कोशिश है, राजस्थान सरकार में अभी विचार चल रहा है कि चान्दन फार्म यूनिवर्सिटी को सौंप कर उसको भी डवलप किया जाय। ये हमारी दोनों ओरिजिनल जो नस्ल हैं—थरपारकर और राठी, इन दोनों नस्लों को किस प्रकार से हम और अधिक बढ़ा सकें, उसके बारे में निश्चित रूप से आपके आदेशों को क्रियान्वित किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मांगों पर मतदान।

मांगों का पारण

मांग संख्या 37 एवं 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,55,68,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,87,77,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1984 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8.45 बजे सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 530 का परिशिष्ट "ए"

क्र. सं.	नाम समिति जिसका विलीनीकरण किया	कार्यक्षेत्र में मुख्यावास से अधिकतम दूरी वाले ग्राम का अनुमानित फासला	नाम समिति जिसमें विलीनीकरण किया गया	कार्यक्षेत्र में अधिकतम दूरी पर स्थित ग्राम का अनुमानित फासला	विलीनीकरण के पश्चात् नई समिति के मुख्यावास से कार्यक्षेत्र के अधिकतम दूरी पर स्थित ग्राम का अनुमानित फासला (कि. मी.)
1.	2	3	4	5	6
1.	पंचायत समिति, नागौर				
1.	सिंघड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	5	सुखवासी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	1	11
2.	कुम्हारी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	4	वासनी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	1	8

1	2	3	4	5	6
2.	**पंचायत समिति, मूण्डवा**				
	1. डारू ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	7	गावन्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि,	4	11
	2. ग्वाल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	5	संखबास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	6	11
	3. सेणनी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	4	असावरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	4	8
	4. कांटिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	11	बैराथल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	9	20
	5. फिरोज़पुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	10	कुचेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,	10	20

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 531 की सूची

ANNEXURE A

List of officers selected by D.P.C. for the post of Executive Engineers (Civil) in the Irrigation Department held in the year 1974.

S. No.	Name	S. No.	Name
1.	Shri B. S. Saruparia	22.	Shri Prabhakar Sharma
2.	,, A. C. Sanghi	23.	,, Jagjeet Singh
3.	,, Sohan Roop Rai	24.	,, Bhanwardan Bithu
4.	,, M. S. Baxi	25.	,, Narain Ram
5.	,, Poona Ram	26.	,, Tej Singh Mathur
6.	,, Kapoor Chand Jain	27.	,, Joginder Pal Bhatia
7.	,, J. N. Marckenday	28.	,, Balbir Singh
8.	,, Om Prakash Mehta	29.	,, K. L. Niyati
9.	,, Sobhag Singh Kalra	30.	,, Jagdish Chandra Sharma
10.	,, Triloki Nath Saxena	31.	,, Ambalal Mathur
11.	,, Gopi Ram Goyal	32.	,, Bhawani Singh
12.	,, Vidhya Sagar	33.	,, Laxmi Narain Sharma
13.	,, D. C. Kothari	34.	,, Chand Bihari Mathur
14.	,, J. P. Acharya	35.	,, Vijay Kumar Sharma
15.	,, Sajjanraj Katariya	36.	,, Som Dutt Vyas
16.	,, R. P. Chawla	37.	,, Brijraj Behari Mathur
17.	,, M. K. Gambhir	38.	,, S. S. Lalwani
18.	,, Kishan Swaroop Sharma	39.	,, Gyan Prakash
19.	,, D. C. Chaturvedi	40.	,, Ved Prakash
20.	,, Mohan Lal Jain	41.	,, Prem Prakash Batra
21.	,, Bakhtawar Singh Chowdhary	42.	,, B. B. Saxena
		43.	,, J. C. Bhatia

S. No.	Name	S. No.	Name
44.	Shri Shyam Lal G. Mathur	72.	Shri Jagdish Kishore Sharma
45.	,, Ishwarchand Arora	73.	,, Kundan Mal
46.	,, P. L. Roongta	74.	,, Santok Singh Saroya
47.	,, H. G. Acharya	75.	,, M. K Kala
48.	,, Bhanwarlal H. Jain	76.	,, N. K. B. Tally
49.	,, Chaturbhuj Sharda	77.	,, B. R. Madbok
50.	,, Mahesh Kumar	78.	,, Ramchandra Lal
51.	,, Vijay Singh Mathur	79.	,, Kishan Lal Chandak
52.	,, Harsaran Singh	80.	,, Jagmohan Lal Gupta
53.	,, Chandu Lal Sahu	81.	,, Girraj Kishor Chaturvedi
54.	,, K. K. Paliwal	82.	,, R P Nagar
55.	,, Jagdish Prasad Bhatia	83.	,, Ram Sahai Sharma
56.	,, Khem Chand T. Sukhani	84.	,, Komal Singh Boonlia
57.	,, V. P. S. Malhotra	85.	,, Madhur Behari Mathur
58.	,, R. M. Jain	86.	,, B. L. Deedwania
59.	,, Shyam Sunder Kalla	87.	,, Vinay Prakash Saxena
60.	,, Ramji Lal Gupta	88.	,, Satya Prakash Sharma
61.	,, K. C. Kataria	89.	,, Ripudaman Singh
62.	,, A. C. Mehta	90.	,, D. M. Swamy
63.	,, Daya Shankar Yadav	91.	,, Dhanwash Chand Sood
64.	,, K. K. Sancheti	92	,, Narendra Singh
65.	,, O. P. Jat	93.	,, Subhas Chandra Sharma
6 .	,, A. D. R. Anklesaria	94.	,, Satya Pal
67.	,, P. P. Suri	95.	,, Laxman Chandra Meghwal
68.	,, Surajpal Singh	96.	,, Ramesh Chandra Sharma
69.	,, Pashupati Nath Rai	97.	,, Govind Singh Mehta
70.	,, Tara Chand Gupta	98.	,, S.C. Saxena
71.	,, Madhu Shankar Jagchand Soni	99.	,, C. A. Robinson
		100.	,, Het Ram Dudi

S. No.	Name	S. No.	Name
101.	Shri Ghisoo Lal Nahar	107.	Shri Raghu Nath Singh Chauhan
102.	„ Balour Singh	108.	„ Sohan Lal Manju
103.	„ Nen Singh Gehlot	109.	„ Ravindra Nath Saxena
104.	„ Radhey Shyam Khandelwal	110.	„ Vijay Kumar Jain
105.	„ Vinod Kumar Bhardwaj	111.	„ Om Prakash Yadav
106.	„ Ravindra Nath Marken	112.	„ Awatar Narain Saxena

ANNEXURE—B

List of officers selected by review D PC. held in the year 1981 for the post of Executive Engineer (Civil) in Irrigation Department

S. No.	Name	S. No.	Name
YEAR 1964		YEAR 1965	
1.	Shri B.S. Sarupia	1.	Shri M. S. Baxi
2.	„ A. C. Sanghi	2	„ D. C. Kothari
3.	„ Kapoor Chand Jain	3.	„ J. P. Acharya
4.	„ J. N. Markandey	4.	„ S. R. Kataria
5.	„ Om Prakash Mehta	5.	„ R P. Chawala
6.	„ Sobhag Singh Kalra	6.	„ M.K. Gambhir
7.	„ Triloki Nath Saxena	7.	„ K. S. Sharma
8.	„ Gopi Ram Goyal		
9.	„ O. P. Rishi	YEAR 1966	
10,	„ Vidhya Sagar	1.	Shri D. C. Chaturvedi

S. No.	Name
2.	Shri M. L. Jain
3	„ Dilip Singh
4.	„ Bakhatwar Singh Chaudhary
5.	„ Prabhakar Sharma
6.	„ Manjeet Singh Duggal
7.	„ M. C. Saxena
8.	„ Jagjit Singh

YEAR 1969

S. No.	Name
1.	Shri Bhanwar Dan Bithu
2.	„ Narain Ram
3.	„ Tej Singh Mathur
4.	„ Jogendra Pal Bhatia
5.	„ Balbir Singh
6.	„ K. L. Niyati
7.	„ J. C. Sharma
8.	„ Ambalal Mathur
9.	„ Bhawani Singh
10.	„ Laxmi Narayan Sharma
11.	„ Chand Behari Lal Mathur
12.	„ Vijay Kumr Sharma
13.	„ Som Dutt Vyas
14.	„ Brij Raj Behari Mathur
15.	„ S. L. G. Mathur
16.	„ K. K. Paliwal

YEAR 1970

S. No.	Name
1.	Shri Shrivallabh
2.	Shri Jagannath Prasad
3.	„ A. N. Saxena
4.	„ Ishwar Chand Arora
5.	„ P. L. Roongta
6.	„ H. G. Acharya
7.	„ Bhanwar Lal H. Jain
8.	„ O. P. Singhal—I
9.	„ Chaturbhuj Sharda
10.	„ Mahesh Kumar
11.	„ Vijay Singh Mathur
12.	„ Harsaran Singh
13.	„ Chanda Lal Sahu
14.	„ R. K. Gupta
15.	„ Jagdish Pragad Bhatia
16.	„ Khem Chand T. Sukhani
17.	„ V. P. S. Malhotra
18.	„ R. M. Jain
19.	„ H. C. Godhwani
20.	„ S. S. Kalra
21.	„ Ramji Lal Gupta

YEAR 1971

S. No.	Name
1.	Shri Bahadur Singh—I
2.	„ Poona Ram
3.	„ S. S. Lalwani
4.	„ Nathu Singh Hada
5.	„ Gyan Prakash
6.	„ Ved Prakash
7.	„ Prem Prakash Batra

S. No.	Name
8.	Shri B. B. Saxena
9.	„ J. C. Bhatia
10.	„ K. C. Kataria
11.	„ A. C. Mehta
12.	„ Daya Shankar Yadav
13.	„ Man Singh Inda
14.	„ K. K. Sancheti
15.	„ O. P. Jat
16.	„ Adi R. Anklesaria
17.	„ Surajpal Singh
18.	„ Pashupati Nath Rai
19.	„ Tara Chand Gupta
20.	„ Madhu Shankar J. Soni
21.	„ Jagdish Kishore Sharma

YEAR 1972

S. No.	Name
1.	Shri Kundan Mal
2.	„ Santok Singh Saroya

YEAR 1973

S. No.	Name
1.	Shri M. L. Rathi
2.	„ Daulat Ram Jhinjha
3.	„ M. L. Kala
4.	„ B. R. Madhok
5.	„ H. K. Hingorani
6.	„ Ram Charan Lal
7.	„ Kishan Lal Chandak
8.	„ Jag Mohan Gupta
9.	„ Girraj Kishore Chaturvedi
10.	„ P. R. Nagar
11.	„ Ram Sahai Sharma
12.	„ Madan Raj Jain
13.	„ Komal Singh Boonlia
14.	„ Madhu Behari Mathur

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 533 का ब्यौरा

(कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर)

प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	नाम भूमिधारी	भूमि जो क्रय की गयी का क्षेत्रफल	90% राशि जो भुगतान की गयी
1.	श्री घीसालाल हरलाल पि. लादू गूजर निवासी बालूपुरा	5-2-10	1,07,157.00
2.	नीम्बा पुत्र लादू गूजर निवासी बालूपुरा	8-0.10	1,67,789.00
3.	तेजा पुत्र हरलाल गूजर निवासी बालूपुरा	3-17-0	80,492.00
4.	मांगीलाल पुत्र कोकल गूजर निवासी बालूपुरा	3-0-0	62,726.00
5.	नीम्बा पुत्र लादू गूजर निवासी बालूपुरा	3-19-0	82,587.00

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 200का विवरण)

पिछले पांच वर्षों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए कृषि पर्यवेक्षकों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	संख्या
1.	1979	40
2.	1980	28
3.	1981	50
4.	1982	37
5.	1983	—

पिछले पांच वर्षों में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सूची

1.	1979	—
2.	1980	9
3.	1981	—
4.	1982	—
5.	1983	—

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

होमियोपैथी बोर्ड के रजिस्ट्रार

535. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) एवं **श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढ़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि होमियोपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी को भेजा जाता है तथा वर्तमान में कौन रजिस्ट्रार कब से कार्यरत है ?

(2) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार के अवकाश काल में बोर्ड के एक वरिष्ठ लिपिक को अनधिकृत रूप से निलंबित किया गया ? यदि हां, तो किस लिपिक को किसके द्वारा निलम्बित किया गया ? क्या जिस व्यक्ति ने निलम्बन आदेश जारी किया वह सक्षम व्यक्ति था ? यदि नहीं, तो ऐसे अनधिकृत आदेश जारी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) होमियोपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार के पद पर बोर्ड द्वारा मांग करने पर राजस्थान आयुर्वेद सेवा के जिला आयुर्वेद अधिकारी स्तर या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के आर्डिनरी, सीनियर या सलेक्शन टाइम स्केल का अधिकारी या राजस्थान सचिवालय सेवा के सहायक सचिव या सहायक सचिव से उच्च स्तर के अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। वर्तमान में श्री कालूराम खींची, जो राजस्थान सचिवालय सेवा के सलेक्शन स्केल के अधिकारी हैं, होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड में दिनांक 18-8-83 से रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं।

(2) श्री कालूराम खींची, रजिस्ट्रार के अवकाश काल में होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के वरिष्ठ लिपिक श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता को परीक्षा कार्य में गम्भीर अनियमितताएं बरतने के कारण श्री सीताराम गुप्ता कार्यालय अधीक्षक द्वारा निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8-2-84 को निरस्त किये गये।

राज्य में पशु चिकित्सालय खोलने के मापदण्ड

536. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या पशु पालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सूरजपाल सिंह)

(1) वर्ष 1983-84 में राज्य में कितने पशु चिकित्सालय खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चिकित्सालय खोलने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं ? क्या निर्धारित मापदण्डों की अनुपालना करते हुए चिकित्सालय खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में राज्य में 26 पशु चिकित्सालय खोले जा चुके हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां।
जी हां।
प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची

1. रूण्डल (जयपुर)
2. पीपल्दा (कोटा)
3. पिलानी (झुन्झुनू)
4. मन्दरोला (झुन्झुनू)
5. नीमराना (अलवर)
6. उमरेन (अलवर)
7. कालो नजारा (बांसवाड़ा)
8. सुवाना (भीलवाड़ा)
9. सहाड़ा (भीलवाड़ा)
10. मोरजावाली (श्री गंगानगर)
11. भोटवाड़ा (जयपुर)
12. सांभर (जयपुर)
13. भुवाना (झुन्झुनू)
14. सुल्तानपुर (कोटा)
15. पीपराली (सीकर)
16. खमनोर (उदयपुर)
17. दड़गांव (उदयपुर)
18. लसाड़िया (उदयपुर)
19. गड़रारोड (बाड़मेर)
20. पतवार (टोंक)
21. आदर्श नगर (अलवर)
22. सिविल लाइन (कोटा)
23. मिल्क-मैन-कालोनी (जोधपुर)
24. कृषि-उपज मण्डी-गिर्वा (उदयपुर)
25. ,, ,, ,, (जयपुर)
26. बीकमपुर (श्री गंगानगर),

सवाई माधोपुर जिले में कृषि उपज मण्डी की राशि से सड़क निर्माण

537. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में कृषि उपज मण्डी की राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गत 3 सालों में सड़कों के निर्माण का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो यह बताया जावे कि यह सड़कें किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र में बनाई गई हैं ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि सड़कों को पास करने के बाद उनकी लागत की राशि कृषि मण्डियों द्वारा विभाग में जमा करादी गई थी ? यदि हां, तो यह भी बताया जावे कि यह राशि कितनी-कितनी कब-कब विभाग में जमा कराई गई थी और उसका उपयोग कब-कब किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि सारी राशि प्राप्त होने के बाद भी अभी तक सड़कों का काम पूरा नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी सड़कें अपूर्ण पड़ी हैं और उन पर यदि अब ज्यादा राशि खर्च होगी तो उसका भुगतान कौन करेगा ? इस अधिक व्यय के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी ?

उत्तर.

(1) जिला सवाई माधोपुर में कृषि उपज मण्डी समिति की राशि से पंचायत समिति बौंली में बौंली-खिरनी सड़क, पंचायत समिति खण्डार में खण्डार से तलावड़ा सड़क, पंचायत समिति बामनवास में बामनवास से गढमोरा सड़क, पंचायत समिति गंगापुर में पिलोदा रेल्वे स्टेशन सड़क, पंचायत समिति नादौती में नादोती से बरदाला सड़क पंचायत समिति महुआ में मण्डावर से कोट सडक तथा पंचायत समिति हिण्डौन में सूरोठ से फतेसिहपुरा सड़क पर निर्माण कार्य कराये गये हैं।

(2) विभाग में जमा की गई राशि और उसके उपयोग का विवरण (प्रपत्र 'क') सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। जैसे-जैसे धनराशि जमा कराई गई, कार्य किया गया। अधूरी सडकों को पूर्ण कराने हेतु कृषि उपज मण्डियों द्वारा ही धन राशि व्यय करनी होगी।

प्रपत्र "क"

क्र. सं.	सड़क का नाम	जमा की गई राशि		व्यय की गई राशि	
		माह	रुपये (लाख)	वर्ष	रुपये
1	2	3	4	5	6
1.	बौंली खिरनी सड़क	2/79	2.00	78-79	218948.05
		9/79	2.00	79-80	147505.45
		4 एवं 5/80	1.25	80-81	166046.00

1	2	3	4	5	6
		2/81	1.00	81-82	127584.05
		12/81	1.75	82-83	59635.00
				83-84	3695.00
2.	खण्डार तलावडा सड़क	2/79	2.00	78-79	298710.20
		9/79	2.00	79-80	307686.18
		4/80	2.00	80-81	71924.00
		5/80	0.70	81-82	52627 38
		10/80	0.30	82-83	6636.10
3.	वामनवास गढमोरा सड़क	2/79	2.00	78-79	180596.40
		9/79	2.00	79-80	298126.80
		6/80	3.00	80-81	118079.57
		12/80	1.00	81-82	118079.57
		2/81	1.00	82-83	15925.55
		3/81	2 00		
		12/81	0.50		
4.	पिलोदा से पिलोदा रेल्वे स्टेशन सड़क	11/78	1.00	78-79	39328.00
		1/81	1.00	79-80	78331.65
		2/81	0.50	80-81	95084.17
				81-82	11569.96
				82-83	4868.55
5.	नादौती से बरदाला सड़क	9/81	1.00	81-82	6795.30
		11/82	0.50	82-83	72751.60
		3/81	1.00	83-84	133599.63
		9/83	0.50		

1	2	3	4	5	6
6.	मंडावर से कोट	8/79	1.50	79-80	2,37,149.49
		4/80	1.00	80-81	1 40,741.55
		5/80	1.50	81-82	1,95,016.07
		10/80	0.75	82-83	93,1[illegible]0.05
		8/81	0.75		
7.	सूरोठ से फतेहसिंहपुरा	1/82	0.50	80-81	4,751.90
		5/82	0.50	81-82	85,370 40
		4/81	1.50	82-83	10,345.00

गंगानगर जिले में रूई व नरमा की फसल कोक्षति

538. **श्री आत्माराम** (हनुमानगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में भाखरा, गंग कैनाल व राजस्थान नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में इस वर्ष रूई व नरमा की फसल को बहुत क्षति पहुँची ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(2) क्या इस क्षति के कारण किसानों को कोई मुआवजा या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि गगानगर जिले के पड़ोसी राज्य हरियाण व पंजाब द्वारा किसानों को नरमे की फसल की क्षति के लिए करोड़ों रुपये का मुआवजा दिया गया ?

(4) क्या राजस्थान में क्षतिग्रस्त नरमे की फसल का आबियाना व लगान भी माफ किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष खरीफ में गंगानगर जिले में नरमा व रूई की फसल में तहसील अनूपगढ़ एव सूरतगढ़ के अलावा अन्य तहसील में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उक्त क्षति बहुत अधिक क्षति नहीं हुई तथा यह क्षति प्राकृतिक आपदा एवं विपरीत मौसम से हुई।

(2) क्योंकि क्षति केवल मामूली ही रही और बहुत ही कम क्षेत्र में हुई इसलिए मुआवजा व सहायता नहीं दी गयी।

(3) इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(4) कोई आबियाना व लगान माफ नहीं किया गया है क्योंकि उक्त क्षति बहुत अधिक नहीं है तथा केवल दो तहसीलों में ही नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है।

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल

539. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल जब से लगी है तब से तब तक उसे प्रतिवर्ष कितना लाभ तथा हानि हुई ? कृपया वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिल के हानि में जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा क्यों ? क्या सरकार उक्त मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि. जब से लगी है तब से वर्ष 1982–83 तक हुये लाभ/हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	लाभ/हानि (रुपये लाखों में)	
1	2	
1968-69	0.52	हानि
1969-70	63.34	हानि
1970-71	51.13	हानि
1971-71	46.69	हानि
1972-73	37.95	हानि
1973-74	12.64	हानि
1974-75	+ 14.35	लाभ
1975-76	27.05	हानि
1976-77	24.60	हानि
1977-78	11.11	हानि
1978-79	81.51	हानि
1979-80	83.92	हानि
1980-81	54.59	हानि
1981-82	42.43	हानि
1982-83	26.83	हानि

(2) मिल की पिराई क्षमता के अनुसार मिल को गन्ना उपलब्ध न होने के कारण मिल हानि में जा रही है। प्रारम्भ में वर्ष 1969-70 में मिल में टर्बो आल्टरनेटर की बड़ी मशीन में भारी ब्रेक डाउन होने से गन्ना की पिराई नहीं हो सकी तथा बाद में मिल को उसकी क्षमता के अनुसार पिराई हेतु गन्ना पूरा नहीं मिला। इसके अतिरिक्त मिल को उसके 40 कि.मी. क्षेत्र से बाहर गन्ना लाना पड़ता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी ज्यादा पड़ती है तथा दूर के स्थानों से गन्ना लाने में उसके सूख जाने से चीनी उत्पादन का अनुपात कम बैठता है। जो कुछ गन्ना मिल के क्षेत्र में उत्पादित होता है उसमें से भी कृषक अपना गन्ना ऊँची कीमत पर मिल क्षेत्र में लगी 7 एवं मिल क्षेत्र के बाहर लगी 16 कुल 23 खाण्डसारी यूनिट्स को भी बेचते हैं, इस कारण से भी मिल को गन्ना कम मिलता है। मिल को 70-80 कि.मी. की दूरी से गन्ना लाने के कारण उत्पादन की

284

(सहकारिता मंत्री)

लागत ज्यादा बैठती है तथा खुली बिक्री एवं लेवी चीनी का विक्रय मूल्य कम होता है। उपरोक्त कारणों से मिल घाटे में चल रही है। इस मिल का प्रबन्ध भारत सरकार ने वर्ष 1978 में अधिग्रहीत कर लिया है। हानि के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सीमेन्ट के बोरों के गबन की जांच

540. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय अजमेर में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 के दौरान सीमेन्ट के बोरों के गबन की जांच राजस्थान के मुख्य लेखाधिकारी द्वारा कराई जाने पर दो लाख तिरेसठ हजार मूल्य के सीमेन्ट बैग की कमी पाई गई थी? क्या इस जांच के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सहयोग नहीं कर पूरा रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया था?

(2) यदि हां, तो यह गबन किस-किस वर्ष में कितने-कितने बोरों का किया गया था, और इस गबन के लिये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किस-किस कर्मचारी/अधिकारी को दोषी माना गया है?

(3) यह जांच रिपोर्ट विभाग को कब प्राप्त हो गई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचाई खण्ड अजमेर गेहूं 1-8-75 से 31-3-83 तक के लेखों का निरीक्षण मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से उनके विशेष अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 4-10-82 से 1-1-83, 10-4-83 से 6-5-83 एवं 24-10-83 से 9-11-83 तक करवाया गया। उनके अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 1-8-75 से 31-3-83 की अवधि के अंत तक कुल रुपये 2,90,783.35 के मूल्य की सीमेंट की कमी पाई गई। निरीक्षण के दौरान विशेष अंकेक्षण दल को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग दिया गया एवं वांछित रिकार्ड उपलब्ध कराया गया।

(2) विशेष अंकेक्षण दल द्वारा सीमेंट का प्रत्यक्ष सत्यापन दिनांक 3-11-83 को किया गया जिसके अनुसार उक्त तिथि तक कमी/गबन/दुरुपयोग/अवहेलना 6,677 थैले की पाई गई। वर्षवार गबन की मात्रा निश्चित किये जाने हेतु प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर अंकेक्षण दल के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। मुख्य लेखाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार इन वर्षों में भण्डार के लेखे-सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारियों के केवल नाम ही दर्शाये गये है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की

(सिंचाई मन्त्री)

जा रही है। अतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये जाते हैं, जांच के पूर्ण होने पर विदित होगा।

(3) दिनांक 4-10-82 से 1-1-83 तक किये गये निरीक्षण का प्रतिवेदन मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 17-2-83 के द्वारा प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् दिनांक 10-4-83 से 6-5-83 एवं 24-10-83 से 9-11-83 तक के किये गये निरीक्षणों का प्रतिवेदन उनके पत्र दिनांक 8-12-83 के द्वारा प्राप्त हुआ। विशेष अंकेक्षण दल के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जांच हेतु प्रेषित कर दी गई थीं। सिंचाई विभाग द्वारा भी प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है। चूंकि इन प्रतिवेदनों पर अभी कार्यवाही पूर्ण करके अन्तिम निर्णय लिया जाना है अतः इसकी प्रति सदन की मेज पर रखना उपयुक्त नहीं है।

प्रशासन शहरों की ओर अभियान के तहत किताबों का प्रकाशन

541. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई): क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों की ओर अभियान चलाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभियान के कार्यक्रम इत्यादि की जानकारी के सम्बन्ध में कुछ किताबों का प्रकाशन हुआ है ? यदि हां, तो उन किताबों पर कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या इन किताबों के प्रकाशन का मुद्रण राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय में कराया गया है ? यदि नहीं, तो इन पुस्तकों का मुद्रण अन्यत्र कराये जाने के क्या कारण थे ?

(4) क्या उक्त मुद्रण कार्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर निविदायें आमन्त्रित कर कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पुस्तक के मुद्रण का भार नगर परिषद्, जयपुर द्वारा उठाया जाना था, किन्तु बाद में नगर परिषद्, कोटा ने उक्त मुद्रण व्यय वहन किया ? यदि हां, तो कितनी राशि का और क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि विभाग की उक्त अनियमित कार्यवाही से नगर परिषद्, कोटा को काफी हानि उठानी पड़ी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सारे प्रकरण की जांच करा कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन)

(2) जी हां। किताबों के प्रकाशन पर 31,317.60 पैसे का व्यय हुआ है।

(3) जी नहीं। चूंकि इन प्रकाशनों का निर्णय दिनांक 14-8-83 को लिया गया एवं अभियान 1 सितम्बर, 83 से प्रारम्भ करवाया जाना था, इसलिए कम समय होने के कारण अन्यत्र मुद्रण कराने की व्यवस्था करनी पड़ी।

(4) जी नहीं। समयाभाव के कारण।

(5) जी हां। 31,317.60 पैसे का व्यय वहन किया गया था। क्योंकि इसका प्रकाशन जनहित में करवाया गया था एवं विभाग में इतनी राशि उपलब्ध नहीं थी इसलिए नगर परिषद् कोटा से भुगतान कराने की स्वीकृति दी गई।

(6) प्रश्न के भाग 4 व 5 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

बीजा तलाई जंगल में पशुओं की चराई

542. **श्री कमला भाई मीणा** (लसाड़िया) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रेंज सलूम्बर की बीजा तलाई जंगल में पूर्व मवेशी चरते रहे हैं?

(2) यदि हां, तो उक्त जंगल में किस किस गांव के पशु चरते थे? कृपया गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त बिजा तलाई वन भूमि में पशुओं के चरने की छूट देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गांवों की सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(3) प्लान्टेशन के अतिरिक्त क्षेत्र चराई के लिये खुला हुआ है। जहां तक प्लान्टेशन किये हुये क्षेत्र का प्रश्न है, वह क्षेत्र तभी खोला जा सकता है, जबकि उस क्षेत्र में पौधे पूर्णतया स्थापित हो जावें।

सूची

गांव की सूची जहां के पशु बीजा तलाई जंगल में चरते हैं

(1) जोधपुर कलां
(2) अमलवा
(3) देवला कलां
(4) जीजणी कलां
(5) जीजणी खुर्द राठड़ी
(6) हडमतिया खुर्द
(7) केवला खुर्द

बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत दी गई राशि

543. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सरकार ने कितनी धन राशि के क्या-क्या कार्य करवाये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बालोतरा पंचायत समिति में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत दूसरी व तीसरी किश्त रुपयों की नहीं मिलने के कारण कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो कब तक इस धनराशि का भुगतान हो जाएगा ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों में कराये कार्य मय स्वीकृत राशि की सूची के सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(2) जी हां। इस कार्यक्रम के तहत 25 लाख रुपये का अतिरिक्त आवंटन कर दिया गया है व उससे बकाया भुगतान शीघ्र ही हो जायेगा।

सूची

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 1981–82 पंचायत समिति – शिव

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	कार्य स्वीकृति की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	शिव	टांका निर्माण कार्य प्रा. पा. बलाई	13,000	27-6-81
2.	शिव	प्रा. पाठशाला भवन जोरावाड़ा	16,000	11-3-82
3.	गड़रारोड़	प्रा. पाठशाला भवन (कन्या) गड़रारोड़	16,000	9-8-81
4.	निम्बला	टांका प्रा. पा. नागड़दा (20 × 15)	13,000	20-5-81

1	2	3	4	5
5.	बालेवा	प्रा पा. भवन कपासियों की बेरी रेड़ाना	16,000	11-3-82
6.	मूंगेरिया	प्रा. पा. भवन मेडालिया	16,000	9-6-81
7.	उण्डू	ग्राम पंचायत भवन, उण्डू	22,150	11-3-82
8.	गूंगा	चक गूंगा नाड़ी	10,000	27-6-81
9.	काशमेर	ग्राम पंचायत भवन काशमीर	22,150	11-3-82
10.	मोदाब	टांका प्रा. पा. पोसाल	13,000	20-5-81
11.	तामलोर	ग्राम पंचायत भवन तामलोर	22,150	11-3-82
12.	राजड़ाल	टांका प्रा. पा. फूसड़	13,000	20-5-81
13.	मेटूसर	प्रा. पा. भवन घलोफा की बावड़ी	16,000	9-6-81
14.	राजड़ाल	अपूर्ण कार्य कुंआ मरूड़ो की ढाणी	11,375	28-9-81
15.	राजड़ाल	अपूर्ण कार्य फकीर गोविन का तला	9,725	28-9-81
16.	हरसानी	टांका पुलिस चौकी के पास, हरसानी (20 × 15)	13,000	20-5-81
17.	हरसानी	प्रा. पाठशाला भवन सोलकी बस्ती	16,000	11-3-82
18.	हरसानी	प्रा. पाठशाला भवन गोरड़िया	10,000	27-6-81
19.	बन्धड़ा	केलनली नाड़ी (डाबड़)	10,000	27-6-81
20.	बन्धड़ा	बिछूसी नाड़ी (बंधड़ा)	10,000	27-6-81
21.	खानियानी	टांका प्रा. पा. करीम का पार	13,000	20-5-81
22.	खानियानी	प्रा. पाठशाला भवन लालासर	16,000	9-6-81
23.	खानियानी	ग्राम पंचायत भवन खानियानी	22,150	11-3-82
24.	जैसिंधर	हमीराणी नाड़ी (जैसिंधर)	10,000	27-6-81
25.	जैसिंधर	ग्राम पंचायत भवन जैसिंधर	22,150	11-3-82
26.	राणासर	प्रा. पाठशाला भवन छुड़ापी	16,000	9-6-81
27.	राणासर	यूनानी औषधालय भवन गांव देताणी	18,860	4-9-81
28.	राणासर	पशु स्वास्थ्य केन्द्र भवन	67,000	14-9-81
29.	राणासर	खारची नाड़ी	10,000	27-6-81

1	2	3	4	5
30.	राणासर	देताड़ी नाड़ी	10,000	27-6-81
31.	कानासर	ग्राम पंचायत भवन कानासर	22,150	11-3-82
		योग	5,21,860	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 1981–82 पंचायत समिति – चौहटन (बाड़मेर)

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बाखासर	लालपुरा नाड़ी	10,000	पूर्ण
2.	धनाऊ	ग्राम पंचायत भवन, धनाऊ	22,150	प्रगति पर
3.	मीठे का तला	ग्राम पंचायत भवन, मीठे का तला	22,150	पूर्ण
4.	भवार	भंवार गांवाई नाड़ी	10,000	,,
5.	सेड़वा	सेड़वा गांवाई नाड़ी	10,000	,,
6.	कोनरा	ग्राम पचायत भवन, कोनरा	22,150	,,
7.	बूठ राठोड़ान	मेघवालों का कुंआ बावड़ी	13,000	,,
8.	सरूप का तला	ग्राम पंचायत भवन, सरूप का तला	22,150	,,
9.	बिजराड़	प्रा. पाठशाला भवन, पोसाला	16,000	,,
10.	बुरान का तला	पशुओं के पानी पीने के लिए खेली निर्माण कार्य, ट्यूब वैल गांव, बुरान का तला के पास	1,830	,,
11.	केलनोर	नया कुंआ, केलनोर, मेघवालों की बस्ती	10,000	,,

1	2	3	4	5
12.	आलमसर	मेघवालों का कुआ, खासर	13,000	पूर्ण
13.	पनोरिया	छीतरड़ी नाड़ी	10,000	,,
14.	सारला	प्रा. पा. भवन गांधी का निवाण	16,000	प्रगति पर
15.	बींजासर	नाड़ी बींजासर में	10,000	पूर्ण
16.	गोहड़ का तला	मेघवालों का कुआ, गोहड़ का तला	13,000	,,
17.	ढोंक	नया कुआ निर्माण गांव पराड़िया	13,000	प्रगति पर
18.	ढोंक	राम तालाब	10,000	पूर्ण
19.	नेतराड़	मेघवालों का कुआ नेतराड़	13,000	प्रगति पर
20.	फागलिया	ग्राम पंचायत भवन, फागलिया	22,150	पूर्ण
21.	भंवरिया	प्रा. पाठशाला भवन, रंगवाली	16,000	प्रगति पर
22.	भवरिया	ग्राम पचायत भवन, भंवरिया	22,150	पूर्ण
23.	आलमसर	प्रा पाठशाला भवन, दीनगढ़	16,000	,,
24.	पनोरिया	प्रा पाठशाला भवन, मदाना	16,000	,,
25.	पनोरिया	प्रा. पाठशाला भवन, भवन	16,000	,,
		योग	3,65,730	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची वर्ष 1981-82 प. स. बाड़मेर

क. सं.	नाम पचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	बाड़मेर आगोर	ग्राम पंचायत भवन	22,150
2.	गागरिया	भीलों का पार नाड़ी	10,000
3.	गागरिया	सीहाई नाड़ी	10,000

1	2	3	4
4. गागरिया	प्रा. पाठशाला भवन ओ का पार		16,000
5. गंगाला	ग्राम पंचायत भवन, गंगाला		22,150
6. सेतराऊ	शाला टांका उमाणियों का तला (70×15)		13,000
7. बूठिया	चाड़वा भरटाली नाड़ी		10,000
8. भादरेस	प्रा. पाठशाला भवन गुडीसर		16,000
9. सणाऊ	सणाऊ ग्राम पंचायत भवन		22,150
10. पांधी का पार	टांक निर्माण कार्य पांधी का पार (20×15)		13,000
11. रामसर	प्रा. पाठशाला भवन रामसर दो कमरे व बरण्डा		30,800
12. राणीगांव	ग्राम पंचायत भवन राणीगांव		22,150
13. बालेरा	प्रा. पाठशाला भवन, पोकरसिंह की ढाणी		16,000
14. बालेरा	नीम्बडी नाडी रड़वा		10,000
15. महावार	प्रा. पाठशाला भवन सासियों का तला		16,000
16. खड़ीन	प्रा. पाठशाला भवन डऊकियों की ढाणी		16,000
17. डालीतला	टांका निर्माण प्रा. पा. डूंगरों का तला		13,000
18. हाथीतला	नीम्बासर नाड़ी, रामदेरिया		10,000
19. हाथीतला	प्रा. पाठशाला भवन डंगरी का तला में एक अतिरिक्त कमरा		14,800
20. देरासर	शाला टांका आलिसरों की ढाणी बस्ती (20×15)		13,000
21. सूरा चारणान	ग्राम पंचायत भवन सूरा चारणान		22,150
22. सूरा चारणान	प्रा. पाठशाला भवन सांखरू		16,000
23. खरीसर	शाला टांका जेसार गांवाई टांका (20×15)		13,000
24. छारासर	कुम्हारों की नाड़ी प्रा. पाठशाला भवन		16,000
25. लीलसर	प्रा. पाठशाला भवन पवारियों का तला		16,000
26. कंटल का पार	ग्राम पंचायत भवन, कंटल का पार		22,150
27. कंटल का पार	प्रा. पाठशाला भवन, कंटल का पार		16,000
		योग	9,37,500

292

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य
वर्ष 1981–82 पंचायत समिति – बालोतरा

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	मूंगड़ा	प्रा. पाठशाला भवन रामसीन	16,000	11-3-82
2.	कालूडी	प्रा. पाठशाला भवन सिमालिया	16,000	11-3-82
3.	कालूडी	प्रा. पाठशाला भवन बरियां मगजी	16,000	11-3-82
4.	असाडा	प्रा. पाठशाला भवन, असाडा	16,000	11-3-82
5.	तिनवाडा	स्कूल टांका बोराबास	13,000	20-5-81
6.	अरावा	प्रा. पाठशाला भवन बांकियावास	16,000	9-6-81
7.	अराबा	ग्राम पंचायत भवन अराबा	22,150	11-3-82
8.	कांकराला	स्कूल टांका खाखा	13,000	20-5-81
9.	कांकराला	प्रा. पाठशाला भवन खारवा	16,000	11-3-82
10.	डोली	बाड़मेर जोधपुर सीमा पर पिलर निर्माण कार्य	4,612.65	19-3-81
11.	डोली	ग्राम पंचायत भवन डोली	22,150	11-3-82
12.	थूम्बली	प्रा पाठशाला भवन बगावास	16,000	11-3-82
13.	उमरलाई	स्कूल टांका मूलजी की ढाणी (20×15)	13,000	20-5-81
14.	उमरलाई	प्रा. पाठशाला भवन जानियाना	16,000	9-6-81
15.	उमरलाई	प्रा. पाठशाला भवन मूलजी की ढाणी	16,000	11-3-82
16.	गोपड़ी	प्रा. पाठशाला भवन, रिछोली	16,000	11-3-82
17.	पाटोदी	प्रा. पाठशाला भवन नबोड़ा बेरा	16,000	9-6-81
18.	बडनावा	प्रा. पाठशाला भवन सादूलों की ढाणी बडनावा	16,000	9-6-81
19.	बडनावा	मोलासर नाडा (बडनावा)	10,000	9-6-81

1	2	3	4	5
20.	बडनावा	वुराल नाडो (बडनावा)	10,000	9-6-81
21.	बडनावा	खनोद नाडी (बडनावा)	10,000	9-6-81
22.	बडनावा	लोल नाडी (बडनावा चरणान)	10,000	9-6-81
23.	बडनावा	जैमा नाडी (बडनावा चारणान)	10,000	9-6-81
24.	बडनावा	प्रा. पाठशाला भवन खनोडा	16,000	11-3-82
25.	चांदेसरा	ग्राम पंचायत भवन चांदेसरा	22,150	11-3-82
26.	इदवा	स्कूल टांका मेकरना	13,000	20-5-81
27.	इदवा	ग्राम पंचायत भवन दूधवा	22,150	11-3-82
28.	साजियाली	स्कूल टांका सिंधियों की बेरी	13,000	20-5-81
29.	साजियाली	प्रा. पाठशाला भवन साजियाली	16,000	11-3-82
30.	मण्डली	प्रा. पाठशाला भवन डेरिया	16,000	11-3-81
31.	टापरा	प्रा. पाठशाला भवन पनोतड़ी नाडी	16,000	9-6-81
		योग	4,64,212.65	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 1982–83 पंचायत समिति – सिणधरी

क्रम सं.	पंचायत का नाम	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	सड़ा	प्रा. पा. सड़ा में अति. कमरा	14,800	पूर्ण
2.	जूना मीठाखेड़ा	प्रा. पा. जूना मीठाखेड़ा में अति. कमरा	14,800	,,
3.	सेवानियाला	आयुर्वेद औषधालय सेवलियाला	18,860	,,

1	2	3	4	
4.	सांजटा	मेघवालों का कुआ सांजटा	13,000	प्रगति पर
5.	सेवलियाला	प्रा. पा. भोजासर में अति. कमरा	14,800	पूर्ण
6.	साजटा	मोतियाणी कुआ पर कोठा खेली सांजटा	12,200	,,
7.	आडेल	सार्वजनिक टांका (जूना ऊंदरी मेघवालों की ढाणी (20 × 15)	13,000	,,
8.	आडेल	प्रा. पा. जूनी उन्दड़ी	16,000	निरस्त
9.	खुड़ाला	सार्वजनिक टांका खुड़ाला गोयलों की बेरी	13,000	पूर्ण
10.	खुड़ाला	प्रा. पा. भवन सोहारों की बेरी सुहाला	16,000	निरस्त
11.	धनवा	टांका निर्माण बालिका स्कूल के पास (20 × 15)	13,000	पूर्ण
12.	पायलांकला	सार्वजनिक टांका (20 × 15) पंचायत भवन के पास	13,000	,,
13.	मेहलू	आयुर्वेदिक औषधालय मेहलू	18,860	,,
14.	बाण्ड	गांवाई मेघवाल बेरा आडाणियों की ढाणी	8,000	निरस्त
15.	होडू	आयुर्वेदिक औषधालय भवन होडू	18,860	प्रगति पर
16.	सरली	मेघवालों का कूप पर कोठा खेली सरली	12,200	पूर्ण
17.	सरली	कूप निर्माण (लोगों का कूप) अपूर्ण कार्य पूर्ण करने बाबत	10,000	प्रगति पर
18.	निम्बलकोट	पुराना बेरा गांवाई निम्बलकोट	13,000	पूर्ण
19.	नोखड़ा	पशु चिकित्सालय, अधूरा कार्य पूरा करने हेतु	7,000	प्रगति पर
20.	नोखड़ा	मेघवालों का कूप नोखड़ा	13,000	,,
21.	रावतसर	डंडियों का बेरा, स्कूल भवन निर्माण रावतसर	16,000	निरस्त
22.	सणपा	रा. प्रा. पा. विस्तार अति. कमरा सणपा	14,800	पूर्ण

1	2	3	4	5
23.	कुड़ला	प्रा. पा. मगले की ढाणी प्रति. कमरा कुड़ला	14,800	प्रगति पर
24.	कोशलू	प्रा. पा. बनाणियों की ढाणी खारोया खुर्द	16,000	,,
25.	कोशलू	प्रा. पा. खारिया खुर्द	14,800	,,
26.	गोलिया जेतमाल	मेघवालों का तला, कूप कोठाखेली निर्माण गोलिया जेतमाल	12,200	पूर्ण
		योग	3,61,980	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की वर्ष 81-82 पंचायत समिति—सिवाना

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्य की दिनांक	कार्य की दशा
1	2	3	4	5	6
1.	गोलिया	प्रा. पाठशाला भवन गुगरोट	16,000	9-6-81	पूर्ण
2.	गोलिया	ग्राम पंचायत भवन गोलिया	22,150	11-3-82	,,
3.	कोटड़ी	गोदों का बाड़ा टांका (20×15)	13,000	20-5-81	,,
4.	कोटड़ी	लागेटा प्रा. पाठशाला भवन	16,000	12-8-81	,,
5.	धीरा	प्रा. पाठशाला भवन जिनपुर	16,000	9-6-81	प्रगति पर
6.	सेवाली	ग्राम पंचायत भवन सेवाली	22,150	11-3-82	पूर्ण
7.	सागवा	ग्राम पंचायत सागवा	22,150	11-3-82	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
8.	बामसीन	ग्राम पंचायत भवन बामसीण	22,150	11-3-82	पूर्ण
9.	बामसीन	प्रा. पाठशाला निर्माण गूडली	16,000	11-3-82	,,
10.	जेठन्तरी	जेठन्तरी टांका	13,000	20-5-81	,,
11.	अजीत	भीलों की बस्ती खेजाड़ीयाली टांका	13,000	20-5-81	,,
12.	अजीत	प्रा. पाठशाला भवन तेजसिंह की ढाणी	16,000	11-3-82	प्रगति पर
13.	अजीत	प्रा. पाठशाला भवन पातों का बाड़ा	16,000	11-3-82	पूर्ण
14.	पादरू	प्रा. पाठशाला भवन पादरू (दो कमरे व बरंडा)	30,000	11-3-82	प्रगति पर
15.	पादरू	प्रा. पाठशाला भवन पादरू	16,000	11-3-82	,,
16.	कुण्डल	प्रा. पाठशाला भवन भूठमरी	16,000	9-6-81	,,
17.	कुण्डल	ग्राम पंचायत भवन कुण्डल	22,150	11-3-82	,,
18.	पऊ	ग्राम पंचायत भवन पऊ	22,150	11-3-82	निरस्त
19.	समदड़ी	प्रा. पाठशाला निर्माण बेरा समधी	13,000	9-6-82	पूर्ण
20.	समदड़ी	प्रा. पाठशाला भवन (कन्या) समदड़ी	13,000	20-5-82	,,
21.	राणी देसीपुरा	हेतरड़ा नाड़ा ढाणी टांका (20 × 15)	13,000	20-5-81	,,
22.	करमावास	गांवाई तालाब करमावास	10,000	24-9-81	प्रगति पर
23.	करमावास	तोलानाड़ा तालाब	10,000	24-9-81	,,
		योग	3,95,700		

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 1981–82 पंचायत समिति—धोरीमन्ना

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	दिनांक	कार्य की दशा
1	2	3	4	5	6
1.	लूणवा जागीर	ग्राम पंचायत भवन, लूणवा जागीर	22,150	11-3-82	पूर्ण
2.	बामनोर	प्रा. पाठशाला भवन आमद की ढाणी	16,000	9-6-81	,,
3.	राणासर	प्रा.पाठशाला भवन साबमेरानी	16,000	8-6-81	,,
4.	राणासर	ग्राम पंचायत भवन राणासर	22,150	11-3-82	,,
5.	गुडामालानी	प्रा. पाठशाला भवन काधी की ढाणी	16,000	9-6-81	,,
6.	भीमथल	प्रा. पाठशाला भवन, पाबूलेरा	16,000	11-3-82	,,
7.	सिन्धासवा हरनियान	ग्राम पंचायत भवन, सिन्धासवा हरनियान	22,150	11-3-82	,,
8.	,,	प्रा. पाठशाला भवन, लूम्बानारन	16,000	11-3-82	,,
9.	धोरीमन्ना	टांका प्रा. पाठशाला गरडिया (20 × 15)	13,000	23-5-81	,,
10.	धोरीमन्ना	धोरीमन्ना में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण	1,52,000	16-3-82	,,
11.	अरणीयाली	प्रा. पाठशाला भवन, मेघवालों की ढाणी	16,000	9-6-81	,,
12.	अरणीयाली	प्रा. पाठशाला भवन, माणली	16,000	11-3-82	,,

1	2	3	4	5	6
13.	बोर चारणान	टांका प्राथमिक पाठशाला इबोई (20 × 15)	13,000	23-5-82	पूर्ण
14.	बांटा	प्रा. पाठशाला भवन, बांटा	16,000	11-3-82	,,
15.	बांटा	प्रा. पाठशाला भवन, मीठी	16,000	11-3-82	,,
16.	कोजा	ग्राम पंचायत भवन, कोजा	22,150	11-3-82	,,
17.	उड़ासर	टांका प्रा. पाठशाला उड़ासर (20 × 15)	13,000	23-581	,,
18.	उड़ासर	उड़ासर नाड़ी	10,000	27-6-81	,,
19.	खारी	टांका प्रा. पाठशाला, कबूली (20 × 15)	13,000	23-5-81	,,
20.	नगर	टांका प्रा. पाठशाला गोलिया	13,000	23-5-81	,,
21.	नगर	प्रा. पाठशाला भवन, गुलानियां की ढाणी	16,000	11-3-82	,,
22.	लूखू	प्रा. पाठशाला भवन, भीलों की ढाणी लूखू	16,000	9-6-82	,,
23.	गांधव	ग्राम पंचायत भवन, गांधव	22,150	11-3-82	प्रगति पर
24.	गांधव	गांधव में डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण	1,12,000	16-3-82	पूर्ण
		योग	6,29,750		

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति वर्ष 82-83 पंचायत समिति—धोरीमन्ना

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	केकड़	पंचायत भवन, केकड़	22,150	पूर्ण
2.	बोर	पंचायन भवन, बोर	22,150	प्रगति पर
3.	मीठड़ा	पंचायत भवन, मीठड़ा	22,150	पूर्ण
4.	मीठड़ा	कुआ भीलों की बेरी का तला कातरला	13,000	,,
5.	खारी	प्रा. पा. भवन, कबूली	16,000	,,
6.	अरनियाली	आयुर्वेदिक औषधालय	18,860	,,
7.	धोरीमन्ना	पंचायत समिति का टांका	13,000	,,
8.	गुड़ामालानी	टांका निर्माण धोलानाड़ा	13,000	,,
9.	सिधासवा हरनियान	आयुर्वेदिक औषधालय सिधासवा हरनियान	18,860	प्रगति पर
10.	भेड़ाणा	आयुर्वेदिक औषधालय, भेड़ाणा	18,860	पूर्ण
11.	भाखरपुरा	प्रा. पा. भवन, सिन्यासवा चौहान	16,000	,,
12.	दूदू	आयुर्वेदिक औषधालय, सूरते की बेरी	18,860	प्रगति पर
13.	ओगाला	प्रा. पा. विस्तार अतिरिक्त कमरा ओगाला	14,800	,,
14.	बिसारनिया	प्रा. पा. विस्तार अतिरिक्त कमरा, हिरानिया का तला	14,800	पूर्ण
15.	मांगला	दूदिया, सेवरों की ढाणी कुआ निर्माण, मांगला	13,000	प्रगति पर

1	2	3	4	5
16.	लोहारवा	पूर्व दिशा में टांका निर्माण, लोहारवा	13,000	पूर्ण
17.	बामड़ला	टांका कोलियों की बस्ती बामड़ला	13,000	,,
18.	भेरुड़ी	मेघवालों की बस्ती बाखला बखड़ी	13,000	,,
19.	पीपराली	रा. प्रा. वि. पीपराली	16,000	प्रगति पर
20.	लूखू	कोठा खेली मेघवालों की बेरी लूखू	12,200	,,
21.	राणासर	भीलों का कुआ, भागभरे की बेरी	13,000	पूर्ण
22.	बामनोर	पंचायत भवन, बामणोर	22,150	प्रगति पर
		योग	3,57,840	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 82–83 पंचायत समिति—बायतू

सं.	पंचायत का नाम 2	कार्य का विवरण मय स्थान 3	अनुमानित लागत 4	दिनांक 5
1.	कपूरड़ी	पंचायत भवन, कपूरड़ी	22,150	13-12-82
2.	कपूरड़ी	प्रा. पा. अति. कमरा, रोहीली	14,800	5-5-83
3.	बान्दरा	पंचायत भवन, बान्दरा	22,150	13-12-82
4.	जाजवा	पंचायत भवन, जाजवा	22,150	13-12-82
5.	सोहड़ा	पंचायत भवन, सोहड़ा	22,150	13-12-82

1	2	3	4	5
6.	गिड़ा	पंचायत भवन, गिड़ा	22,150	13-12-82
7.	माड़पुरा बरवाला	पंचायत भवन, माड़पुरा बरवाला	22,150	13-12-82
8.	भुरटिया	पंचायत भवन, भुरटिया	22,150	13-12-82
9.	सवाऊ पदमसिंह	पशु चिकित्सालय भवन, सवाऊ पदमसिंह	67,000	16-3-83
10.	बायतू पनजी	प्रा. पाठशाला विस्तार अति. कमरा, बनिया सांडा धोरा	14,800	11-4-83
11.	रतेऊ	प्रा. पाठशाला विस्तार अति. कमरा, पेटाली	14,800	11-4-83
12.	आकटड़ा	प्रा. पाठशाला विस्तार अति. कमरा, खोयों की ढाणी	14,800	11-4-83
13.	बायतू चिमनजी	प्रा. पाठशाला विस्तार अति. कमरा, बायतू स्टेशन	14,800	11-4-83
14.	कवास	पंचायत भवन, कवास	22,150	11-4-83
15.	खारड़ा भारतसिंह	प्रा. विद्यालय खारड़ान चारणान	16,000	11-4-83
16.	बाटाडू	पंचायत भवन, बाटाडू	22,150	11-4-83
17.	कालू	प्रा. वि. अति. कमरा नरसाली नाड़ी, कालू	14,800	11-4-83
18.	उतरनी	प्रा. पाठशाला अति. कमरा उतरनी	14,800	5-5-83
19.	पनावड़ा	प्रा. वि. अति. कमरा, चिड़िया	14,800	11-4-83
20.	झाक	प्रा. पा. अति. कमरा, खीमसर	14,800	5-5-83
		योग	4,15,550	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की सूची वर्ष 1981–82 पंचायत समिति—बायतू

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्य दिनाक	कार्य की दशा
1	2	3	4	5	6
1.	गिड़ा	टांका निर्माण, माडपुरिया (20×15)	13,000	20-5-81	पूर्ण
2.	खारापार	ग्राम पंचायत भवन, खारापार	22,150	11-3-82	,,
3.	खारड़ा भारतसिंह	टांका निर्माण, भीलों की बस्ती	13,000	20-5-81	,,
4.	खारड़ा भारतसिंह	ग्राम पंचायत भवन, खारड़ा भारतसिंह	22,150	11-3-82	,,
5.	कपूरड़ी	टांका निर्माण कार्य मेगवालों की बस्ती बोलिया	13,000	25-6-81	,,
6.	कसुम्बला भाटियान	ग्राम पंचायत भवन, कसुम्बला भाटियान	22,150	11-3-82	,,
7.	परेऊ	टांका निर्माण लापूदड़ा	13,000	20-5-81	,,
8.	हीरा की ढाणी	ग्राम पंचायत भवन, हीरा की ढाणी	22,150	11-3-82	,,
9.	,,	प्रा. पा. भवन हीरा की ढाणी	16,000	11-3-82	,,
10.	कोसरिया	प्रा. पाठशाला भवन, कुंभ का तला	16,000	2-6-81	,,
11.	कोसरिया	प्रा. पाठशाला भवन, हूंडों की ढाणी	16,000	11-3-82	,,
12.	बायतू भीमजी	टांका निर्माण खाकोड़ों की ढाणी (20×15)	13,000	27-10-81	,,
13.	बायतू भीमजी	गेवाल नाड़ी गांव बायतू भीमजी	10,000	4-7-81	,,

1	2	3	4	5	6
14.	बायतू भीमजी	बायतू में डाक बंगले का निर्माण	1,49,500	18-3-82	प्रगति पर
15,	शहर	ग्राम पंचायत भवन, शहर	22,150	11-3-82	पूर्ण
16.	कवास	प्रा. पाठशाला भवन मानाणियों की ढाणी	16,000	9-6-81	,,
17.	कवास	प्रा. पाठशाला भवन, कवास (बालक)	16,000	9-6-81	,,
18.	कवास	प्रा. पाठशाला भवन, कवास (बालिका)	16,000	9-6-81	,,
19.	भाडखा	प्रा. पाठशाला भवन, नरीवाला	16,000	9-6-81	,,
20.	बाटाडू	टांका निर्माण लूनाडा (20×15)	13,000	20-5-81	,,
21.	माडपुरा बरवाला	प्रा. पाठशाला भवन, जीवानियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला	16,000	11-3-82	,,
22.	माडपुरा बरवाला	ग्राम पंचायत भवन, पलावडा	22,150	11-3-82	,,
23.	सवाऊ पदमसिंह	टांका निर्माण भील व मेघवालों की बस्ती गांव सवाऊ पदमसिंह	13,000	6-7-81	,,
24.	कोलू	ग्राम पंचायक भवन, कोलू	22,150	11-3-82	,,
25.	कोलू	प्रा. पाठशाला भवन, छतरवालों की ढाणी, कोलू	16,000	11-3-82	,,
		योग	5,49,550		

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 82–83 पंचायत समिति — सिवाना

क्र. सं.	पचायत का नाम	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	समदड़ी	प्राथमिक कन्याशाला, समदड़ी में अति. कमरा मय बरन्डा	14,800	13-12-82
2.	मेली	चारदीवारी, प्रा. पा. खाखरलाई बाउण्ड्री वाल 100 मीटर	9,826	12-12-82
3.	रानी देशीपुरा	चारदीवारी, प्रा. पा. होचरड़ा	9,826	13-12-82
4.	रानी देशीपुरा	टांका निर्माण, मोखाडी	13,000	5-5-83
5.	रानी देशीपुरा	प्रा. पा. अति. कमरा को पूरा करना, भानावास	5,000	22-7-83
6.	कोटड़ी	चारदीवारी, प्रा. शा. खारोटा बाउण्ड्री वाल 100 मीटर	9,826	13-12-82
7.	कोटड़ी	चारदीवारी, प्रा. शा. कम्पों का बाड़ा बाउण्ड्री वाल 100 मीटर	9,826	13-12-82
8.	कोटड़ी	आयुर्वेदिक औषधालय, कोटड़ी	18,860	11-4-83
9.	जेठन्तरी	चारदीवारी, प्रा. शा. कम्बावाल बाउण्ड्री वाल 100 मीटर	9,826	13-12-82
10.	अजीत	चारदीवारी, प्रा. शा. शैतानसिंह की ढाणी बाउण्ड्रीवाल 100 मीटर	9,826	13-12-82
11.	अजीत	प्रा. पा. भवन, पातों का बाड़ा चारदीवारी	9,826	22-7-83
12.	रामपुरा	चारदीवारी, प्रा. शा. मियों का बाड़ा बाउण्ड्री वाल 100 मीटर	9,826	13-12-82
13.	रामपुरा	चारदीवारी, प्रा. पा. चिरडिया	9,826	12-1-83

305
573

1	2	3	4	5
14.	मोकलसर	पक्की नालियां, मोकलसर	10,696	12-1-83
15.	मोकलसर	ग्राम सेवक आवासगृह की चारदीवारी	9,826	22-7-83
16.	मजल	चारदीवारी, प्रा. पा. कन्या भवन मजल	9,826	12-1-83
17.	पऊ	सार्व. टाँका, कांखी	10,000	12-1-83
18.	करमावास	चारदीवारी, पंचायत भवन	9,826	12-1-83
19.	देवन्दी	चारदीवारी, प्रा. शा. देवन्दी	9,826	12-1-83
20.	राखी	प्रा. पा. रोजियों की ढाणी मोतीसरा	16,000	11-4-83
21.	खण्डप	कन्या प्रा. पा. खण्डप	16,000	11-4-83
22.	रमणिया	कांजी घर, रमणिया	10,000	11-4-83
23.	धारणा	कांजी घर, धारणा	10,000	11-4-83
24.	मीठाड़ा	कांजी घर, मीठाड़ा	10,000	11-4-83
25.	पाटरू	ग्राम सेवक आवासगृह, पाटरू	23,250	11-4-83
26.	इन्द्राणा	सार्व. कुंआ मरम्मत व हौज निर्माण	15,000	11-4-83
27.	कुण्डल	निर्माण कार्य ग्राम कुण्डल नाला	20 000	11-4-83
28.	कुण्डल	प्रा. पा. भवन की चारदीवारी, मुबारी	9,826	22-7-83
29	धीरा	पंचायत घर चारदीवारी, धीरा 100 मीटर	9,826	11-4-83
30.	धीरा	पंचायत घर पूर्ण करवाने बावत	8,000	5-5-83
31.	बामसीन	आयुर्वेदिक औषधालय, बामसीन	18,860	11-4-83
			3,66,856	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 82–83 पंचायत समिति—बाड़मेर

क्र. सं. 1	पंचायत का का नाम 2	कार्य का विवरण मय स्थान 3	अनुमानित लागत 4	कार्य की दशा 5
1.	ईसरोल	पंचायत भवन, ईसरोल	22,150	पूर्ण
2.	बूठ जेतमाल	पंचायत भवन, बूठ जेतमाल	22,150	,,
3.	गरल	पंचायत भवन, गरल	22,150	,,
4.	जालीया	प्रा. पा. घोलका में अति कमरा	14,800	,,
5.	धारासर	प्रा पा. गावाई में कुंआ जैसार में एक अति. कमरा	14,800	,,
6.	सनावड़ा	प्रा. पा. तादुआनिया में एक अति. कमरा	14,800	,,
7.	सनावड़ा	पशु चिकित्सालय भवन, सनावड़ा	67,000	प्रगति पर
8.	रामसर	पंचायत घर रामसर चारदीवारी 100 मीटर की लम्बाई के 8785 रु. की दर से	15,000	पूर्ण
9.	महाबार	डूरड़ियों मेघवालों की बस्ती में टांका (20 × 15)	13,000	,,
10.	याड़ी	कोठा खेली गाडोलियों का तला	12,200	,,
11.	खड़ीन	जाखरों का तला	14,800	,,
12.	बीशाला	ग्राम सेवक आवास गृह	23,250	प्रगति पर
13.	जसाई	ग्राम सेवक आवास गृह, जसाई	23,350	,,
14.	सिहानी	ग्राम सेवक आवास गृह, सिहानी	23,250	,,
15.	रामसर	ग्राम सेवक आवास गृह, रामसर	23,250	,,
16.	मांद	प्रा. पा. विस्तार, डूडों की बेरी	14,900	,,

1	2	3	4	5
17.	उण्डवां	प्रा. पा. विस्तार कुआं	14,800	पूर्ण
18.	तारातरा	टांका निर्माण खेतानियों की ढाणी सार्वजनिक टांका, तारातरा	13,000	,,
19.	गांधी का पार	प्रा. प्रा. विस्तार उभरे का पार	14,800	प्रगति पर
20.	इन्द्रोही	टांका निर्माण, चवा	13,000	,,
21.	लीलासर	प्रा. पा. भवन विस्तार	14,800	,,
22.	भादरेत	गुंडीसर स्कूल पर टांका निर्माण	13,000	,,
		योग	4,24,050	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यक्रमों की स्वीकृति वर्ष 82–83 पंचायत समिति—बालोतरा

क्र. सं.	नाम पंचायत	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	दिनांक	कार्य की दशा
1	2	3	4	5	6
1.	बड़नावा जागीर	टांका निर्माण (20 × 15) बड़नावा	13,000	15-12-82	पूर्ण
2-	उमरलाई	टांका निर्माण (20 × 15) उमरलाई	13,000	15-12-82	,,
3.	उमरलाई	प्राथमिक पाठशाला उमरलाई	16,000	11-4-83	अपूर्ण
4.	दूधवा	टांका निर्माण (20 × 15) दूधवा	13,000	15-1 -82	पूर्ण
5.	दूधवा	प्राथमिक पाठशाला भवन, बानावास	16,000	12-1-83	,,

1	2	3	4	5	6
6.	खमरडिया	टांका निर्माण गांम सारड़ी (20×15)	13,000	15-12-82	पूर्ण
7.	कासूड़ी	टांका निर्माण (20×15) कासूड़ी	13,000	15-12-82	,,
8.	कोंकराला	टांका निर्माण कोंकराला	13,000	15-12-82	,,
9.	कोंकराला	प्रा. पा. भवन, पिडारवा	16,000	12-1-83	,,
10.	कालेवा	टांका निर्माण कथरनी	13,000	15-12-82	,,
11.	कालेवा	बयार चारणान के टांका निर्माण	13,000	26-2-83	,,
12.	धूम्बली	कराड़ प्रा. पाठशाला भवन	16,000	18-12-82	,,
13.	बागावास	मेगावास में प्रा. पा. भवन	16,000	18-12-82	,,
14.	पारलू	विश्राम गृह पारलू	30,000	11-4-83	,,
15.	कनाना	प्रा. पाठशाला, कनाना	16,000	11-4-83	,,
16.	आसोतरा	पंचायत दूकान का निर्माण आसोतरा	20,000	11-4-83	,,
17.	जसोत	छात्रावास 2 कमरे जसोत	32,000	11-4-83	केन्सल
18.	कल्याणपुरा	प्रा. पाठशाला, बागलोप	16,000	11-4-83	अपूर्ण
19.	धोघ	प्रा. पाठशाला रेवाड़ा जेतमाल	16,000	11-4-83	,,
20.	सरवड़ी	कुंआ मरम्मत सरवड़ी (सार्वजनिक कुंआ)	5,000	11-4-83	पूर्ण
21.	भागसा	प्रा. पाठशाला, भागसा	16,000	11-4-83	,,
22.	टापरा	धर्मशाला निर्माण, टापरा	20,000	11-4-82	अपूर्ण
23.	राजेयार्लां	प्रा. पा. भवन सिर्वधिया की बेरी	16,000	5-5-83	,,
24.	तिलवाड़ा	टांका निर्माण खेड	13,000	5-5-83	पूर्ण
		योग	3,64,000		

परिशिष्ट–6 अप्रेल, 1984–परिशिष्ट

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वर्ष 82–83 पंचायत समिति–शिव

क्र. सं. 1	पंचायत का नाम 2	कार्य का विवरण मय स्थान 3	अनुमानित लागत 4	दिनांक 5	कार्य की दशा 6
1.	जैसिंघर स्टेशन	पंचायत भवन, जैसिंघर	22,150	13-12-82	पूर्ण
2.	जैसिंघर स्टेशन	प्रा. पा. नावाट नवाबरा	16,000	11-4-83	”
3.	मेट्टूसर	पंचायत भवन, मेट्टूसर	22,150	13-12-82	”
4.	स्वामी का गांव	पंचायत भवन स्वामी का गांव	22,150	13-12-82	”
5.	स्वामी का गांव	प्रा. पा. नेगरड़ा विस्तार प्रति. कमरा	14,800	11-4-83	”
6.	जैसिंघर गांव	प्रा. पा. सुथारों का पार	16,000	13-12-82	”
7.	जैसिंघर गांव	आयुर्वेदिक औषधालय जैसिंघर गांव	18,860	11-4-83	”
8.	गिटाव	प्रा.पा. केशरसिंह का पार	16,000	13-12-82	”
9.	शिव	प्रा. पा. बागोरिया	16,000	13-12-82	”
10.	निम्बला	आयुर्वेदिक औषधालय निम्बला	18,860	13-12-82	”
11.	निम्बला	प्रा. पा. मावदड़ा विस्तार प्रति. कमरा	14,800	12-4-83	”
12.	उण्डू	आयु. औषधालय उण्डू	18,860	12-1-83	प्रगति पर
13.	झलकली	प्रा.पा. फोगेरों का विस्तार	14,800	11-4-83	पूर्ण
14.	खानियानी	प्रा. पा. भवन रावतसर नया भवन	16,000	11-4-83	प्रगति पर
15.	कोटड़ा	प्रा. पा. राणाजी की बस्ती नया भवन	16,000	11-4-83	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
16.	मीपाड़	प्रा.पा. कोटड़ियों की ढाणी	14,800	11-4-83	प्रगति पर
17.	गूंगा	प्रा. पा. मूंगा विस्तार	14,800	11-4-83	पूर्ण
18.	सुन्दरा	प्रा. पाठशाला भवन सहाला	13,000	11-4-83	प्रगति पर
19.	मूंगेरिया	प्रा. पाठशाला सुमला टांका	13,000	11-4-83	प्रगति पर
20.	राजड़ाल	प्रा. पाठशाला टांका	16,000	11-4-83	"
21.	राणासर	चार दीवारी पंचायत भवन, राणासर	9,826	11-4-83	पूर्ण
22.	हरसानी	चारदीवारी आयुर्वेदिक औषधालय, हरसानी	9,826	11-4-83	"
22.	राणासर	प्रा. पा. अलावी	25,565	2-84	प्रगति पर
		योग	3,51,682		

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति
वर्ष 1982–83 पंचायत समिति—चौहटन

क्रम सं.	पंचायत का नाम	कार्य का विवरण मय स्थान	अनुमानित लागत	दिनांक	कार्य की दशा
1	2	3	4	5	6
1.	केलनोर	प्राथमिक पाठशाला, नयापुरा	16,000	13-12-82	पूर्ण
2.	जानपालिया	प्राथमिक पाठशाला जूना की बावड़ी	16,000	13-12-82	,,
3.	जानपालिया	मेघवालों का कुआ, दीपला	13,000	27-5-83	प्रगति पर
4.	वूढ़ राठौड़ान	प्राथमिक पाठशाला बावड़ी कलां	16,000	13-12-82	पूर्ण
5.	कोनरा	कूप निर्माण अरब का तला	13,000	13-11-82	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
6.	हरपालिया	कूप निर्माण शरणार्थियों का वास सियार	13,000	13-12-82	पूर्ण
7.	गौहड़ का तला	भीलों का तला	13,000	13-12-82	प्रगति पर
8.	झड़पा	कूप निर्माण फकीरों का निवाण	5,000	7-1-83	,,
9.	हाथला	कूप निर्माण शरणार्थियों का बरड़ी	5,000	7-1-83	पूर्ण
10.	बावासर	कूप निर्माण ब्राह्मणों की ढाणी	5,000	7-1-83	प्रगति पर
11.	नवातला	कूप निर्माण गुलमोहम्मद बाड़ा	12,000	7-1-83	पूर्ण
12.	बींजासर	मेघवालों का कुआ बींजासर	12,000	7-1-83	,,
13.	चौहटन	ग्राम सेवक आवासगृह निर्माण चौहटन	25,000	12-1-83	प्रगति पर
14.	सांवा	प्राथमिक पाठशाला एहसान का तला	16,000	11-4-83	,,
15.	धनाऊ	ग्राम सेवक आवास गृह धनाऊ	23,250	11-4-83	,,
16.	महके का तला	ग्राम सेवक आवास गृह मीठे का तला	23,250	11-4-83	,,
17.	सेड़वा	ग्राम सेवक आवास गृह कुन्दनपुरा	23,250	11-4-83	,,
18.	सरूप का तला	ग्राम सेवक आवास गृह सरूप का तला	23,250	11-4-83	,,
19.	बींजराड़	ग्राम सेवक आवास गृह बींजराड़	23,250	11-4-83	,,
20.	आलमसर	ग्राम सेवक आवास गृह आलमसर	23,250	11-4-83	,,
21.	पनोरिया	ग्राम सेवक आवास गृह पनोरिया	23,250	11-4-83	,,
22.	सारला	ग्राम सेवक आवास गृह सारला	23,250	11-4-83	,,
		योग	3,66,000		

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य 1983–84

पंचायत समिति—शिव

क्रम सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	उ. प्राथमिक पाठशाला	जूनेला की बस्ती	36,000	पूर्ण
2.	उ. प्राथमिक पाठशाला	नीम्बला	36,000	,,
3.	उ. प्राथमिक पाठशाला खुडाल	राजड़ाल	36,000	,,
4.	उ. प्राथमिक पाठशाला	मोलाव	36,000	,,
5.	उ. प्राथमिक पाठशाला	जैसिन्धर गांव	36,000	प्रगति पर
6.	उ. प्राथमिक पाठशाला	गिराब	36,000	,,
7.	उ. प्राथमिक पाठशाला (कन्या)	गडरारोड	18,000	,,
8.	प्राथमिक पाठशाला	शिव	18,000	,,
9.	प्राथमिक पाठशाला गढ़ोथल	गढ़ोथल	18,000	पूर्ण
10.	प्राथमिक पाठशाला	आरंग	18,000	,,
11.	प्राथमिक पाठशाला	रातड़ी	18,000	,,
12.	प्राथमिक पाठशाला	मन्तरा	18,000	प्रगति पर
13.	प्राथमिक पाठशाला वालासर	मूंगेरिया	18,000	पूर्ण
14.	प्राथमिक पाठशाला	हरसानी	18,000	प्रगति पर
15.	प्राथमिक पाठशाला	झगरली	18,000	पूर्ण
16.	प्राथमिक पाठशाला बीतू कलां	गूंगा	18,000	,,
17.	प्राथमिक पाठशाला मूठड़ों की ढाणी	उण्डू	18,000	प्रगति पर
18.	प्राथमिक पाठशाला	राणासर	18,000	पूर्ण
19.	प्राथमिक पाठशाला	खलीफा की बावड़ी	18,000	,,
20.	प्राथमिक पाठशाला	बड़ो खडीन	18,000	प्रगति पर

1	2	3	4	5
21.	प्राथमिक पाठशाला डाबड़	बन्धड़ा	18,000	प्रगति पर
22.	प्राथमिक पाठशाला द्राभा	सुन्दरा	18,000	,,
23.	आयुर्वेदिक औषधालय	खानियाणी	20,000	,,
		योग	5,24,000	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य 1983-84

पंचायत समिति—धोरीमन्ना

क्रम स.	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	रा. उ. प्रा. विद्यालय दो कमरे गोड़ा	आगोला	28,000	पूर्ण
2.	रा. उ. प्रा. विद्यालय दो कमरे मांगता	मांगता	28,000	,,
3.	रा. प्रा. वि. दो कमरे चार दीवारी	धोरीमन्ना	50,000	प्रगति पर
4.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	मीठड़ा	26,000	,,
5.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	लूणवा	28,000	,,
6.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	भूणिया	28,000	,,
7.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	खारी	28,000	,,
8.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	राणासर	28,000	,,
9.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	कीतनोरिया	28,000	,,
10.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	अरनीयाली	28,000	पूर्ण
11.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	विसारणिया	28,000	प्रगति पर

1	2	3	4	5
12.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	कोजा	28,000	प्रगति पर
13.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	चामड्ला	28,000	,,
14.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	पीपराली	28,000	,,
15.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	गांधव	28,000	,,
16.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	केकड़	28,000	,,
17.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	सिंधावना हरियान	28,000	,,
18.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	भाखरपुरा	28,000	,,
19.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	लोहारवा	28,000	,,
20.	रा. प्रा. वि. दो कमरे	भीमथल	28,000	,,
21.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	लूखू	28,000	,,
22.	रा. प्रा. वि. दो कमरे भलीखाल	उठासर	28,000	पूर्ण
23.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	भेड़ाणा	28,000	प्रगति पर
24.	रा. प्रा. विद्यालय दो कमरे	भेरूड़ी	28,000	,,
25.	उडासर प्रा. पा.	उडासर	28,000	पूर्ण
26.	छात्रावास गुड़ा	गुड़ा	6,00,000	प्रगति पर
27.	प्राथमिक पाठशाला	गुड़ा	28,000	प्रगति पर
		योग	13,48,000	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य 1983-84

पंचायत समिति—चौहटन

क्रम सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	रा. उ. प्रा. विद्यालय	चौहटन	3,00,000

1	2	3	4
2.	राजकीय छात्रावास	चोहटन	2,40,000
3.	राजकीय उ. प्रा. विद्यालय	केरनाडा	60,000
4.	रा. उ. मा. विद्यालय	धनाऊ	60,000
5.	रा. उ. मा. वि. बावड़ी कलां	बूढ़	1,20,000
6.	राजकीय छात्रावास बावड़ी कलां	बूढ़	2,00,000
7.	राजकीय उच्च प्रा. विद्यालय	सांवा	60,000
8.	रा. उ. प्रा. विद्यालय	ढोंक	60,000
9.	रा. उ. प्रा. विद्यालय	नेतराड	60,000
10.	रा. उ. प्रा. विद्यालय	गौडु का तला	60,000
11.	रा. उ. प्रा. विद्यालय	बाखासर	60,000
12.	रा. उ. प्रा. विद्यालय सियां का तला	बींजराड	60,000
13.	रा. प्रा. विद्यालय	बींजासर	20,000
14.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	फागलिया	16,000
15.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीठडाऊ	सरूप का तला	16,000
16.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	देदूसर	16,000
17.	राजकीय प्रा. विद्यालय, इंटारिया	इंटादा	16,000
18.	राजकीय प्रा. विद्यालय, कापराऊ	आंटिया	16,000
19.	राजकीय प्रा. विद्यालय, आंटी	भड़पा	16,000
20.	रा. प्रा. वि., सांसरों का तला	बींजराड	16,000
21.	रा. प्रा. वि. समेलों का तला	नवा तला जैतमाल	16,000
22.	रा. प्रा. विद्यालय दीपला	जानपालिया	16,000
23.	रा. प्राथमिक विद्यालय बवेरड़ी	हाथला	16,000
24.	आयुर्वेदिक औषधालय	बोतसा	50,000
		योग	15,80,000

316

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य 1983-1984

पंचायत समिति—बाड़मेर

क्र. सं	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	धर्मशाला	बाड़मेर आगोर	17,000	प्रगति पर
2.	चार दीवारी	जालीपा	15,000	पूर्ण
3.	प्राथमिक विद्यालय	भादरेस	60,000	प्रगति पर
4.	सैकण्डरी स्कूल (चार कमरे)	बिशाला	60,000	"
5.	प्राथमिक विद्यालय में दो कमरे	सुरा	30,800	"
6.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	नोद	60,000	"
7.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	मारूड़ी	60,000	"
8.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	देरासर	60,000	"
9.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	सिचानी	60,000	"
10.	प्राथमिक विद्यालय में एक कमरा	इन्द्रोही	14,800	"
11.	प्राथमिक विद्यालय में चारदीवारी	सुहाड़ा	15,000	पूर्ण
12.	प्राथमिक विद्यालय में चार कमरे	खड़ीन	60,000	प्रगति पर
13.	छात्रावास	रामसर	1,00,000	"
14.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे	कंटल का पार	30,800	"
15.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे	गांधी का पार	30,800	"
16.	समाज कल्याण छात्रावास	गागरिया	1,00,000	"
17.	पंचायत घर चारदीवारी	बूठिया	30,000	"
18.	औषधालय	सजर का पार	20,300	"
19.	उच्च प्राथमिक वि. चार कमरे	सेतराऊ	60,000	"

1	2	3	4	5
20.	उ प्रा. वि. कमरे चार गडालियों का ताला	चाडी	60,000	प्रगति पर
21.	उ. प्रा. वि. चारे कमरे	धारासर	60,000	"
22.	औषधाल	गंगाला	20,300	पूर्ण
23.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे	सनाऊ	30,800	प्रगति पर
24.	प्राथमिक विद्यालय चार कमरे	तारातरा	60,000	"
25.	प्राथमिक विद्यालय चार कमरे	बालेरा	60,000	"
26.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे वलाऊ	राणीगांव	30,800	"
27.	उ. प्रा. विद्यालय चार कमरे	जसाई	30,800	"
28.	प्राथमिक विद्यालय दो कमरे	उण्डखाँ	30,800	"
29.	उ. प्रा. वि. चारदिवारी	महाबार	45,000	पूर्ण
30.	उ. प्रा. वि. कमरे चार	गरल	60,000	प्रगति पर
31.	धर्मशाला डूंगरों का ताला	हाथीतला	16,000	पूर्ण
32.	उ. प्रा. पाठशाला तीन कमरे	सनावड़ा	45,000	प्रगति पर
33.	उ प्रा. पाठशाला दो कमरे पूनियों का तला	सनावड़ा	30,800	प्रगति पर
34.	उ प्रा. वि. बाछड़ाऊ चार कमरे	बाछड़ाऊ	60,000	"
35.	सैकण्डरी स्कूल चार कमरे	लीलसर	60,000	"
36.	उ. प्रा वि. चार कमरे	इसरोल	60,000	"
		योग	1673000	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में स्वीकृत कार्यों की सूची

पंचायत समिति—बायतू

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	प्रा. विद्यालय भवन, खीम्पसर	भाक	32000
2.	प्रा. वि. गोदानियों की ढाणी	बायतू भीमजी	16000
3.	प्रा. वि. भवन कोलू	कोलू	16000
4.	प्रा. वि. भवन दो कमरे	शहर	32000
5.	प्रा. वि. भवन एक कमरा	बाटाडू	16000
6.	प्रा वि. भवन, दो कमरे जाखड़ों की ढाणी	सवाऊ पदमसिंह	32000
7.	प्रा. वि. भवन, दो कमरे चिड़िया	पनावड़ा	32000
8.	प्रा. वि. भवन, लॉपता तला	कोसरिया	16000
9.	प्रा. वि. भवन, कोसरिया	कोसरिया	16000
10.	प्रा. वि. भवन, मनोणियों की ढाणी	कवास	16000
11.	रा. उ. प्रा. वि., दो कमरे	भीमड़ा	60000
12.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	कुम्पलिया	60000
13.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	परेऊ	60000
14.	रा. उ. प्रा. वि. दो कमरे	रतेऊ	60000
15.	रा. उ. प्रा. वि दो कमरे नीम्बोलियों की ढाणी	माड़पुरा बरवाला	60000
16.	रा. उ. प्रा. वि. कानोड़ एक कमरा	कानोड़	100000
17.	रा. उ. प्रा. वि. एक कमरा	बायतू पनजी	30000

1	2	3	4
18.	रा. उ. प्रा. वि.	बायतू भीमजी	60000
19.	छात्रावास, बायतू स्टेशन	बायतू चिमनजी	240000
20.	छात्रावास, सवाऊ पदमसिंह	सवाऊ पदमसिंह	100000
		कुल रु.	1054000

पंचायत समिति बालोतरा—

1.	उ. प्रा. वि. कलावतों की ढाणी	साजियाली	16000
2.	उ. प्रा. पा. रोड़वा	वलाऊ	16000
3.	प्रा. पा. भवन मेकरना	मेकरला	16000
4.	उ. प्रा. पा. बरनावा चारनोर	बरनावा जागीर	16000
5.	उ. प्रा. पा. चोखड़ों की बेरी		16000
6.	उ. प्रा. पा. कियार चारणान	कालेवा	16000
7.	उ. प्रा. पा. बांडियावास खुर्द	असरावा	16000
8.	शाला भवन चम्पाबेरी		16000
9.	शाला भवन, मालियों की ढाणी		16000
10.	शाला भवन, पचपदरा	पचपदरा	64000
11.	शाला भवन, कांकराला	कांकराला	32000
12.	शाला भवन, आसोतरा	आसोतरा	48000
13.	शाला भवन, सरवड़ी	सरवड़ी	32000
14.	शाला भवन, कालूड़ी	कालूड़ी	32000
15.	शाला भवन, सायुनी पुरोहितान	सिमरखिया	16000
16.	शाला भवन, कल्याणपुरा	कल्याणपुर	64000
17.	शाला भवन, रानीदेशीपुरा	कल्याणपुर	64000
18.	शाला भवन, ढोलीकला	ढोलीकला	64000

1	2	3	4
19.	पंचायत भवन चारदिवारी	बड़नावा	9826
20.	पंचायत भवन चारदिवारी	दूहवा	9826
21.	पंचायत भवन चारदिवारी	मूंगड़ा	9826
22.	पचापत भवन चारदिवारी	कांकराला	9826
23.	पंचायत भवन चारदिवारी	सरवड़ी	9826
24.	पंचायत भवन चारदिवारी	चांदेसरा	9826
25.	आयुर्वेदिक औषद्यालय	थूम्बली	9826
26.	आयुर्वेदिक औषधालय	बड़नावा	9826
27.	आयुर्वेदिक औषद्यालय	सिमरखिया	9826
28.	आयुर्वेदिक औषधालय	पारलू	50000
29.	आयुर्वेदिक औषधालय	थोब	50000
30.	प्रा. पाठशाला भवन	मूंगड़ा	9826
		योग	758260

जिला ग्रामीण विकाश अभिकरण, बाड़मेर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य वर्ष 1983–84 .

पंचायत समिति—सिणधरी

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत	कार्य की दशा
1	2	3	4	5
1.	उ. प्रा. वि. चार कमरे	चवा	64,000	प्रगति पर
2.	प्रा. पा. खरिंगों की ढाणी दो कमरे	"	32,000	"
3.	प्रा. पा. तीन कमरे	"	48,000	"

1	2	3	4	5
4.	प्रा. पा. दो कमरे केलरी नाड़ी		32,000	प्रगति पर
5.	प्रा. पा. एक कमरे सोमेसरा नया	नोसर	16,000	"
6.	प्रा. पा. दो कमरे	सरनू	32,000	"
7.	प्रा. पा. चारदिवारी	सरनू	15,000	"
8.	औषधालय, चार दिवारी	सरनू	15,000	"
9.	उ. प्रा. पा. सणपा दो कमरे	सणपा	32,000	"
10.	उ. प्रा. पा. खरंटिया नया एक कमरा	सणपा	16,000	"
11.	उ. प्रा. पा. खरंटिया जूना गांव एक कमरा	सणपा	16,000	"
12.	उ. प्रा. वि. एक कमरा	सेवनियाला	16,000	"
13.	रा. प्रा. पा. एक कमरा वोड़वा	सेवनियाला	16,000	"
14.	उ. प्रा. पा. एक कमरा वोरानाड़ा		16,000	"
15.	उ. प्रा. पा. एक कमरा भोजासर	सेवनियाला	16,000	"
16.	उ. प्रा. पा. चार कमरे	कमठाई	64,000	"
17.	उ. प्रा. पा. एक कमरा टाकूवेरो	कमठाई	16,000	"
18.	उ. प्रा. पा. एक कमरा धने की ढाणी	कमठाई	16,000	"
19.	उ. प्रा. पा. चार कमरे	कौशलू	64,000	"
20.	उ. प्रा. पा. चार कमरे	नोखड़ा	64000	"
21.	उ. प्रा. पा. चार कमरे	मेहलू	64,000	"
22.	प्रा. पा. दो कमरे शोमाला	शोमाला	32,000	"
23.	प्रा. पा. दो कमरे गोलिया	गोलिया	32,000	"
24.	प्रा. पा. दो कमरे मीठावेरी	शोमाला	32,000	"
25.	रा. उ. पा. दो कमरे सरली	सरली	64,000	"
26.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	बाजटा	32,000	"
27.	रा. उ. पाठशाला चार कमरे	बाण्ड	64,000	"

1	2	3	4	5
28.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	चारणों का ताला	32,000	प्रगति पर
29.	रा. प्रा. पाठशाला एक कमरा	तुलानियों का ताला	16,000	"
30.	प्रा. पा. चार कमरे	निम्बलकोट	64,000	"
31.	प्रा. पा. छः कमरे	होडू	96,000	"
32.	प्रा. पा. तीन कमरे	ग्राडेल	48,000	"
33.	प्रा. पा. दो कमरे	खारकी बैरी	32,000	"
34.	प्रा. पा. दो कमरे	खुडाला	32,000	"
35.	प्रा. पा. दो कमरे	जालीखेड़ा	32,000	"
36.	प्रा. पा. नहरों की ढाणी दो कमरे	नहरों की ढाणी	32,000	"
37.	प्रा. पा. चार कमरे	रामसर का कूप	64,000	"
38.	प्रा. पा. चार कमरे	रावतसर	64,000	"
39.	प्राथमिक पाठशाला तीन कमरे	छोट्ट	48,000	"
40.	रा. मा. प्रा. चार कमरे	छोट्ट	64,000	"
41.	रा. प्रा. पा. एक कमरा	राणासर खुर्द	16,000	"
42.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	लाख	64,000	"
43.	रा. प्रा. पाठशाला एक कमरा	खुडासा	16,000	"
44.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	शिवकर	64,000	"
45.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	गालाबेरी	32,000	"
46.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	कुड़ला	32,000	"
47.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	मेगने की ढाणी	32,000	"
48.	रा. प्रा. पाठशाला भवन चार कमरे	सिणधरी	64,000	"
49.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	डडाली	64,000	"
50.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	जूना मीठा खेड़ा	64,000	"
51.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	भाटाला	64,000	"
52.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	सड़ा	32,000	"

1	2	3	4	5
53.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	पांयला	64,000	प्रगति पर
54.	रा. प्रा. पाठशाला मण्डावला दो कमरे	मण्डावला	32,000	"
55.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	लूणा कला	64,000	"
56.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	पॉयला खुर्द	32,000	"
57.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	ढाँखा	64,000	"
58.	रा. प्रा. पाठशाला दो कमरे	उचियों की ढाणी	32,000	"
59.	रा. प्रा. पाठशाला चार कमरे	भूखा भतरसिंह	64,000	"
60.	प्रा. पाठशाला दो कमरे,	खारा महेचान	32,000	"
61.	प्रा. पाठशाला एक कमरा	गरतानाड़ी	16,000	"
62.	प्रा. पाठशाला दो कमरे	चाड़ों की ढाणी	32,000	"
63.	प्रा. पाठशाला चार कमरे	धनवा	64,000	"
64.	प्राथमिक पाठशाला दो कमरे	बामणी	32,000	"
		योग रुपये	26,37,000	

झालावाड़ जिले में पशु मेलों से आमदनी

544. **श्री बालचन्द आर्यवीर :** (डग) क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में पशु मेले किन-किन स्थानों पर लगते हैं ? उसमें सन् 1980 से 83 तक मेलों से कितनी आमदनी हुई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यह आमदनी किस-किस विकास कार्यों पर जिले में खर्च की गई ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 2 राज्य स्तरीय पशु मेले झालरापाटन में आयोजित किये जाते हैं।

(राज्य मन्त्री, पशु पालन)

वर्ष 80 से 83 तक मेलों से हुई आय निम्न प्रकार है।

	80–81	81–82	82–83
गोमती सागर	31076	32477.50	41622.00
चन्द्रभागा	78130	85000.00	115347.00

(2) यह आमदनी राज्य की आय मानकर कोष में जमा होती है।

उदयपुर से रतनपुर सड़क निर्माण में अनियमितताओं की जांच

545. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री एस. एस. बख्शी, अधिशासी अभियन्ता, नेशनल हाईवे डिविजन प्रथम में सन् 1971 से 1974 तक कार्यरत थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि नेशनल हाईवे नं. 8 उदयपुर से रतनपुर सड़क पर अधिक खर्च, ठेकेदारों को अधिक भुगतान और अन्य अनियमितताओं की जांच के लिये सन् 1975 में जांच समिति बैठाई गई थी ? यदि हां, तो जांच समिति में कितने सदस्य थे ? कृपया सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्ट में लाखों रुपयों की अनियमितताएं पाई गई ? यदि हां, तो क्या-क्या ? राज्य सरकार ने अब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? कृपया कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब भी दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री ए. एम. बख्शी, अधिशासी अभियन्ता, नेशनल हाईवे खण्ड उदयपुर में जनवरी, 1972 से जुलाई, 1974 तक कार्यरत थे।

(2) नेशनल हाईवे नं 8 उदयपुर से रतनपुर रोड पर जोब नं. 31, 32, 37, 49, 61, 92, 93, 94, 95 एव 101 आर. जे. 8 के तहत किये गये वास्तविक कार्य की जांच कर नाप पुस्तिका में इन्द्राज किये हुये कार्य से मिलान कराने हेतु मुख्य अभियन्ता से सितम्बर, 1975 में एक जांच समिति का गठन किया था। इस जांच

(राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण)

समिति में तीन सदस्य थे जिनके नाम सर्व श्री सी. वी. माथुर, एस. के. मुकर्जी एवं एम एम. सिंघल थें। इस जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व ही राज्य सरकार ने 12 नवम्बर, 1975 को श्री एस. एडियप्पा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. को उदयपुर-रतनपुर रोड पर हुए निर्माण कार्य की विस्तृत जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 20-11-1975 द्वारा श्री एस. एडियप्पा के स्थान पर श्री के. सी. मित्तल अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा. नि. विभाग को इस कार्य की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया।

(3) श्री के. सी. मित्तल जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 12-8-76 को मुख्य अभियन्ता, सा. नि. विभाग को प्रस्तुत कर दी गई ? मुख्य अभियन्ता ने इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को अपने पत्र दिनांक 18-12-76 द्वारा भेज दी।

(4) श्री के. सी. मित्तल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकृत कार्यों से अधिक कार्य करवाने तथा कुछ अन्य कार्य पद्धति सम्बन्धित अनियमितताओं का उल्लेख किया है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दो अधिकारियों सर्व श्री बी. के. गुप्ता एवं श्री एस. एस. बख्शी को अपने आदेश दिनांक 22-8-1981 द्वारा भविष्य में सचेत रहने हेतु चेतावनी दी। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता महोदय ने भी अपने पत्र दिनांक 15-10-1981 (प्रपत्र-ग) द्वारा सर्व श्री जहूर हुसैन, डी. एन. भार्गव, आर. सी. सिंघल एवं आर. सी. माथुर तत्कालीन सहायक अभियन्ताओं को भविष्य में अधिक सचेत रहने हेतु चेतावनी दी गई है। चेतावनी की प्रतिलिपियां (प्रपत्र क, ख एवं ग) सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(5) सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रपत्र—क

Government of Rajasthan

Public Works Department

No. F. 1 (98) PW/75 Dated 22.8.81.

ORDER

Reply furnished by Shri B.K. Gupta, Addl. Chief Engineer of formerly Superintending Engineer, N.H. Udaipur in connection with alleged excessive expenditure and irregularities in the improvement of Geometrics of 'Udaipur Road (NHW-8) made during year 1972-74 has

been considered and decided that he can not be absolved of supervisory negligence. Shri B.K. Gupta, is therefore "warned" to be more careful in future. This warning will not, however, form a part of his confidential Reports.

By order
Sd/-
(Kewal Ram)
Dy, Secretary to Govt.

Copy to :—

1. The Chief Engineer, PWD B&R, Rajasthan, Jaipur.
2. The DOP (A-3) Deptt. Sectt.
3. Shri B.K. Gupta, Addl. Chief Engineer, PWD B&R, Jaipur.

Sd/-
(Kewal Ram)
Dy. Secretary to Govt.

प्रपत्र–ख

Government of Rajasthan
Public Works Department

No. F. 1 (98) PW/75/ Jaipur, dated 22.8.81.

ORDER

Reply furnished by Shri S.S. Baxi, Superintending Engineer formerly Executive Engineer, N.H. Div. Udaipur in connection with alleged excess expenditure and irregularities in the improvement of Geometrics of Udaipur-Ratanpur Road (NHW-8) made during the

year 1972–74 has been considered and decided that the exceeded the expenditure limits which were regularised lateron but malafide has not been proved. Shri S.S. Baxi, is therefore "warned" to be careful in future in such matter. This warning will not, owever, form a part of his confidential reports.

By order
Sd/-
(Kewal Ram)
Dy. Secretary to Govt.

Copy to :—

1. The Chief Engineer, PWD B&R, Rajasthan, Jaipur.
2. The DOP (A-3) Deptt. Sectt.
3. Shri S.S. Baxi, Superintending Engineer, P.W.D.

Sd/-
(Kewal Ram)
Dy. Secretary to Govt.

प्रपत्र–ग

Office of the Chie l Engineer, PWD Rajasthan, Jaipur.

No. UD-I/18/See. 8/Pr. 97 Dated 15.10.81.

Shri Zahoor Hussain Executive Engineer PWD NHW Dn. Udaipur.	No. 1055	dt. 11.8.78
Shri D.N. Bhargava, Assistant Engineer, PWD NHW Sub-Dn. I, Udaipur.	No. 1409	dt. 2.8.78

(328)

Shri R.C. Singhal,
Executive Engineer, No. PF/632 dt. 28.7.78
PWD Q.C. Div. Ajmer.

Shri R.C. Mathur, EE
PWD Bundi. No. 1545 dt: 17.8.78

Sub : Udaipur-Ratanpur road enquiry.

Sir,

I am directed to invite your attention to the correspondence resting with your letter No......... dated.................. vide which you had submitted your explanation as called under this office letter No. UD-I/18/C-8/Pr. 37 dated 14.7.78 and to inform you that your explanation reveals that you can not be absolved of the negligence in incurring excess expenditure though regularised subsequently. As no malafide intention has been proved, it has been decided to warn you to be careful in future in such matters.

This warning will not, however, form a part of his confidential reports.

Yours faithfully
Sd/-
T.A.I to Chief Engineer
for Chief Engineer, PWD.

Copy to Supdtg. Engineer, P.W.D. Circle I, Udaipur.
Copy to C.R. File.
Copp to Guard file.
Copy to Establishment Officer, CE's office, PWD Jaipur.

Sd/-
T.A.I. to Chief Engineer,
For Chief Engineer, PWD.

बूंदी जिले की खाण्डसारी फैक्ट्रियों में मण्डी टैक्स की बकाया

546. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की खाण्डसारी फैक्ट्रियों में मंडी टैक्स बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस खाण्डसारी फैक्ट्री की तरफ कितनी-किननी राशि बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खाण्डसारी फैक्ट्रियों एवं कृषि उपज मण्डी बूंदी के बीच कोई विवाद न्यायालय में चल रहा है ? यदि हां, तो विवाद का आधार क्या है तथा खाण्डसारी फैक्ट्रियों से टैक्स वसूल करने में कृषि उपज मण्डी बूंदी की क्या मजबूरी है ?

उत्तर

(1) जी हां। खाण्डसारी फैक्ट्रियों द्वारा अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं कराने के कारण उनके विरुद्ध चालान मुख्य न्यायिक दण्ड नायक बूंदी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये हैं। कुछ मामलों में आगामी सुनवायी की तिथि 9-4-84 है।

चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिये निश्चित रूप से बकाया के बारे में वर्तमान में नहीं बताया जा सकता है। कार्यवाही जारी है।

(2) जी हां। खाण्डसारी फैक्ट्रियों एवं कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी के बीच विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। विवाद का आधार गत वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति से अनुज्ञापत्र न लेना व मण्डी शुल्क जमा नहीं कराना है। वर्ष 1983-84 से मण्डी समिति द्वारा खाण्डसारी फैक्ट्रियों से नियमित मण्डी शुल्क वसूल किया जा रहा है।

भूपालसागर शुगर मिल, चित्तौड़गढ़

547. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूपालसागर शुगर मिल, चित्तौड़गढ़ के पास कितनी राशि कब से अनक्लेम्ड जमा पड़ी है ?

(2) उक्त अनक्लेम्ड राशि का भुगतान किसानों को करने हेतु फैक्ट्री ने अब तक क्या प्रयत्न किये ?

(3) क्या किसानों के गन्ने का चुकारा करना बकाया है ? यदि हां, तो 31 जनवरी, 1984 तक कितनी राशि चुकानी शेष थी ?

(4) क्या फैक्ट्री ने किसानों को 16 रु. व 51 रु. तक के चैक दिये हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने चैकों का भुगतान कर दिया गया है ?

(5) क्या फैक्ट्री ने किसानों से फिक्स डिपाजिट में राशि ले रखी है ? यदि हां, तो कृपया विवरण राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गन्ने की कीमत सम्बन्धी कोई भी अनक्लेम्ड राशि मिल के पास जमा नहीं है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी हां। 31.1.84 को भुगतान करने योग्य राशि रु. 16,52,895.90 थी।

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(5) मिल कम्पनी एक्ट की धारा 58 ए के अन्तर्गत फिक्स्ड डिपाजिट स्वीकार करती है जिसमें राशि जमा कराने वाला चाहे किसान हो अथवा अन्य, स्वेच्छा से फिक्स्ड डिपाजिट कराता है। फिक्स्ड डिपाजिट के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

फिक्स्ड डिपाजिट्स के विवरण की सूची

क्र. सं.	जमा कराने वालों का नाम	राशि
1	2	3
1.	मैसर्स श्रीलाल विरदी चन्द जैन	1,000.00
2.	श्री राजेन्द्र कुमार केडिया	10,000 00
3.	श्री राजेन्द्र कुमार केडिया	20,000.00
4.	श्री राजेन्द्र कुमार केडिया	10,000.00
5.	श्रीमती सत्यभामा पोद्दार	5,000.00
6.	श्री पन्नालाल शाह	5,000.00
7.	मैसर्स मुके फाइनेंस कम्पनी प्रा. लि.	50,000.00
8.	मैसर्स मनोहरदास रामजीवन	15,000.00
9.	श्री प्रकाश बी. नाहटा	20,000.00
10.	श्री अजीत बी. जैन	15,000.00
11.	श्री अजीत बी. जैन	10,000.00
12.	श्री अजीत बी. जैन	15,000.00
13.	मैसर्स सलेक्ट ट्रेडिंग एण्ड साइन फिल्म्स प्रा. लि.	25,000.00
14.	श्री शेशमल जेन	3,000.00
15.	मिस प्रिया बाजपेयी यू/जी श्री वी. के. वाजदेयी	2,500.00

1	2	3
16.	श्रीमती चन्द्रप्रभा	5,000.00
17.	श्री वलवन्तसिंह सरुपरीया	6,000 00
18.	श्री सुनीत कुमार बी. केडिया	6,000.00
19.	श्री काशीप्रसाद केडिया	5,000.00
20.	मास्टर योगेश बी. केडिया	5,000.00
21.	श्रीमती मधु केडिया	5,000.00
22.	श्रीमती गीतादेवी जोशी	5,000.00
23.	श्री रामनिवास दरोगा	1,000.00
24.	श्री रामनिवास दरोगा	4,000.00
25.	श्री हरिप्रसाद ढंढानिया	11,000.00
26.	श्रीमती अनुसुईया रानी ढंढानिया	2,000.00
27.	श्री रचना ढंढानिया	10,000.00
28.	श्री पुरुषोतम लाल शर्मा	6,000.00
29.	श्रीमती गायत्री देवी तुलसयान	1,000.00
30.	श्री संजयकुमार ढंढानिया	6,000.00
31.	श्री संजयकुमार ढंढानिया	5,000.00
32.	श्रीमती गगा चोमल	6,000.00
33.	श्री मिठूलाल मेहता	4,500.00
34.	श्रीमती प्रेमलता जसरापुरिया	1,000.00
35.	श्री प्रकाश पारीक	500.00
36.	मैसर्स कार फाईनेंस कार्पोरेशन	50,000.00
37.	श्री रामजीवन केडिया	10,000.00
38.	श्री काशीप्रसाद केडिया	10,000.00
39.	श्री श्याम अवतार केडिया	5,000.00

332

1	2	3
40.	श्रीमती सुशीला देवी केडिया	25,000.00
41.	,, ,,	5,000.00
42.	श्रीमती शकुन्तला देवी	8,000.00
43.	श्रीमती कांतादेवी ढंढानिया	20,000.00
44.	श्री सरस्वती बाल मन्दिर समिति	4,000.00
45.	,, ,,	2,000.00
46.	श्रीमती चांदकंवर	1,000.00
47.	,, ,,	3,000.00
48.	शुगर मिल्स महिला क्लब	5,000.00
49.	,, ,,	5,000.00
50.	,, ,,	1,000.00
51.	भागीरथ प्रसाद अग्रवाल	5,000.00
52.	श्रीमती शांतीदेवी ढंढानिया	25,000.00
53.	,, ,,	15,000.00
54.	श्री बृजलाल दरोगा	2,000.00
55.	श्री शांती कुमार लोयलका	50,000.00
56.	,, ,,	50,000.00
57.	मैसर्स न्यू माडर्न टेक्सटाइल प्रा. लि.	4,00,000.00
58.	मैसर्स जिवाजी अल्लाहबक्षजी	5,000.00
59.	श्रीमती भगवती देवी गौड़	5,000.00
60.	मैसर्स मनी फाइनेंस कम्पनी प्रा. लि.	50,000.00
61.	,, ,,	50,000.00
62.	श्री उदयराम पुत्र श्री धनराज जाट	5,000.00
63.	,, भगवती लाल पुत्र श्री काशीराम शर्मा	5,000.00
64.	,, भेरूलाल पुत्र श्री लहरूलाल जाट	1,000.00

1	2	3
65.	श्री माधवलाल पुत्र श्री गोविन्दराम जाट	3,000.00
66.	,, गणेशलाल पुत्र श्री रतनलाल जाट	5,000.00
67.	,, लहरूलाल पुत्र श्री जीतमल जाट	2,000.00
68.	,, भैरू पुत्र श्री भैरू जाट	5,500.00
69.	,, मधु पुत्र श्री बरदा धोबी	1,000.00
70.	,, नन्दराम पुत्र श्री सुख देव जाट	1,000.00
71.	,, केशरीमल पुत्र श्री भीमराज ढोकर	2,000.00
72.	,, लाभचन्द पुत्र श्री केशरीमल नीमोडी	5,000.00
73.	,, ,, ,,	7,000.00
74.	,, ,, ,,	10,000.00
75.	,, देवीलाल पुत्र श्री मोतीलाल	2,000.00
76.	,, बाबूलाल पुत्र श्री मांगीलाल बोहरा	1,000.00
77.	,, इन्दरलाल पुत्र श्री कालूराम महाजन	8,500.00
78.	,, भैरूलाल पुत्र श्री नाथूलाल जैन	1,000.00
79.	,, मांगीलाल पुत्र श्री परमानन्द दाधिच	5,000.00
80.	,, जगदीशचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल दाधिच	5,000.00
81.	,, बालू पुत्र श्री नाथू लाल जैन	3,000.00
82.	,, पुरषोत्तमलाल पुत्र श्री भवानीशंकर	1,000.00
83.	,, प्रेमशंकर पुत्र श्री मीठालाल जोशी	8,000.00
84.	,, अम्बालाल पुत्र श्री खेमराज खटवाड़	3,000.00
85.	,, लहरू पुत्र श्री अर्जुन जाट सिंहपुर	1,000.00
86.	,, मधु पुत्र श्री किशना जाट	1,500.00
87.	,, छगना पुत्र श्री वरधा ग्यारी	5,000.00
88.	श्रीमती मान कंवर पुत्री श्री ब्रिग्रेडियर जसवंतसिंह	5,000.00
89.	,, ,, ,, ,,	10,000.00
90.	श्री नानूराम पुत्र काशीराम मीना	2,000.00

(334)

1	2	3
91.	श्री ओंकार पुत्र श्री गणेश मीना	500.00
92.	,, ओंकार पुत्र श्री खुमा जाट	500.00
93.	,, ओंकार पुत्र खुमा जाट	4,500.00
94.	,, शान्तीलाल पुत्र श्री भंवर लाल खखावट	2,000.00
95.	,, भागीबध पुत्र श्री चमना जाट	4,000.00
96.	,, हजारी पुत्र श्री घीसा जाट	7,000.00
97.	श्रीमती सुशीला चौधरी पुत्री शिवकरण नेवाटका	2,500.00
98.	श्री बंशीलाल पुत्र श्री हेमराज शर्मा	5.000.00
99.	,, माधु पुत्र श्री मेगा जाट	8,000.00
100.	,, शंकरलाल पुत्र श्री भगतावरमल पोरखना	1,000.00
101.	,, मानकचन्द पुत्र श्री लालजी जनवा	1,000.00
102.	,, सूरजमल पुत्र श्री दयाराम जाट	1,000.00
103.	,, गणेशलाल पुत्र श्री अम्बालाल खटवाड	1,500.00
104.	,, बसन्तीलाल पुत्र श्री मोहनलाल जैन	1,000.00
105.	,, मोतीलाल पुत्र श्री ओंकार जी जाट	1,500.00
106.	,, मोहनलाल पुत्र श्री प्रताप जी गूजर	500.00
107.	,, मोती पुत्र श्री सेवा डांगी	3,5000.00
108.	,, जीतू पुत्र श्री ओंकार जी जाट	5,000.00
109.	,, रूपलाल पुत्र श्री ओंकार जाट	2,000.00
110.	,, कमल पुत्र श्री अमर डांगी	2,000.00
111.	,, नाथू पुत्र श्री जितू अहीर	2,500.00
112.	,, रामसिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह	2,000.00
113.	,, छोगा पुत्र श्री चम्पालाल जाट	2,000.00
114.	,, कालूलाल पुत्र श्री गणेशीलाल चन्देलिया	3,000.00
115.	,, सुखलाल पुत्र श्री दौलतराम जैन	1,500.00

1	2	3
116.	श्री बरदी पुत्र श्री ओंकार जाट	5,000.00
117.	,, शेषमल पुत्र श्री सूरजमल साहू	3,000.00
118	,, अर्जुनलाल पुत्र श्री देवीलाल जैन	1,500.00
119.	,, रघुनाथ सिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह राजपूत	500.00
120.	,, रामचन्द्रन जैन	6,000.00
121.	,, उषा पुत्र श्री बरधा गाडरी	8,000.00
122.	,, रोड़ा पुत्र श्री मावा डांगी	5,500.00
123.	,, हरिराम पुत्र श्री खूमा गाडरी	1,000.00
124.	श्रीमती उषा डडानिया	10,000.00
125.	श्री मोती लाल पुत्र विरदीचंद चपलोत	1,000.00
126.	,, शंकरलाल पुत्र श्री ओंकार लाल कीकरिया	500.00
127.	,, देवी लाल पुत्र श्री रतन लाल सुराना	4,000.00
1 8.	,, जसराज पुत्र श्री बिरदी चन्द जाट	1,000.00
129.	,, भागीरथ जाट पुत्र श्री चमना जाट	2,000.00
130.	,, मोहनलाल गुर्जर पुत्र श्री उदाजी गुजर	5,00.00
131.	,, शंकर लाल पुत्र श्री जगरूप जी जाट	5,000.00
132.	,, प्रेमसुख पुत्र श्री रामचन्द्र काबरा	1,000.00
133.	,, माधुराम पुत्र श्री दयाराम अहीर	1,000.00
134.	,, शान्ती लाल पुल श्री कालू लाल सेठ	1,000.00
135.	,, भंवरलाल पुत्र श्री कालू लाल पोखरना	2,500.00
136.	,, जीतमल पुत्र श्री सुख लाल तातेड़	1,000.00
137.	,, ,, ,,	1,000 00
138.	,, राम लाल पुत्र श्री उदयराम सुथार	1,000.00
1 39.	श्रीमती गीनीया देवी पत्नी पी. एल.. जसरापुरिया	1,500.00
140.	श्री रिखब लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल पोखरना	1,000,00

336

1	2	3
141.	श्री भैरूलाल पुत्र श्री दिली राम शालवी	1,500.00
142.	,, किशना पुत्र श्री मोती जाट	10,000.00
143.	,, सुन्दरलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाट	10,000.00
144.	,, खेमा पुत्र श्री रूपा अहीर	500.00
145.	,, रामसुख पुत्र श्री जीतमल सोमानी	3,500.00
146.	,, शांतीलाल पुत्र श्री वीरभान्जी चन्देलिया	1,000.00
147.	,, काना पुत्र श्री जेटा जाट	1,000.00
148.	,, ओमशंकर पुत्र श्री सुरेश शंकर दिवेदी	1,500.00
149.	,, भंवर लाल पुत्र श्री खेमा डांगी	2,500.00
150.	,, कजोड़ पुत्र श्री केवल डांगी	2,500.00
151.	,, नाथूलाल पुत्र श्री छगन लाल पगारिया	1,000.00
152.	,, ढालू पुत्र श्री खेमा डांगी	500.00
153.	,, ओंकार पुत्र श्री डालचन्द शर्मा	8,000.00
154.	,, रामा पत्र श्री नवला डांगी .	1,000.00
155.	श्री हजारी पुत्र छगन लाल भड़कतिया	3,500 00
156.	,, करनसिह श्री सावत सिह राजपूत	10,000.00
157.	,, उधा पुत्र श्री पड़ता अहीर	1,000.00
158.	,, प्यारा पुत्र श्री बरधा कुम्हार	500.00
159.	,, खेमराज पुत्र श्री गेरी लाल जैन	1,000.00
160.	,, नारायण पुत्र श्री शंकर लाल ब्राह्मण	1,000.00
161.	,, प्यारा पुत्र श्री नारायण भील	500.00
162.	,, महेन्द्र मोहन पुत्र श्री गांगीलाल दाधीच	10,000.00
163.	,, रतनलाल नन्दराम जाट	500.00
164.	श्रीमती मंगबाई पत्नी भीमराज पोखरना	2,000.00
165.	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री हजारीमल पोखरना	10,000.00

1	2	3
166.	श्री रतन लाल पुत्र श्री देव जी जाट	500.00
167.	श्रीमती मांग कंवर पत्नी के. एल. पोखरना	7,500.00
168.	,, ,, ,,	2,500.00
169.	श्री भंवरलाल जोशी पुत्र गोरधन जोशी	5,500.00
170.	,, फूलचन्द पुत्र श्री सरदार मल जैन	1,500.00
171.	,, दुली सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत	2,000.00
172.	,, नोलू पुत्र श्री किशन जाट	5,000.00
173.	,, देवकिशन जाट पुत्र श्री सोई राम जाट	1,000.00
174.	मैसर्स अनुराधा फिल्म्स प्रा. लि.	20,000.00
175.	,, ,, ,,	50,000.00
176.	,, ,, ,,	50,000.00
177.	श्री चिरन्जी लाल धानुका	70,000.00
178.	,, श्याम अवतार केडिया	16,000.00
179.	,, भागीरथ प्रसाद अग्रवाल	10,000.00
180.	श्रीमती अनुसूईया रानी डंडानिया	5,000.00
181.	,, ,, ,,	20,000.00
		17,00,500.00

(रुपये सतरह लाख, पांच सौ मात्र)

उनियारा क्षेत्र में बांधों के निर्माण की योजना

548. **श्री रामलाल (उनियारा)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र उनियारा में सरदारपुरा एवं आकोड़िया बांधों के निर्माण की योजना वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? क्या निर्माण हेतु सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त बांधों का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं, आकोडिया बांध के बनने से आकोडिया गांव तथा उसके आस पास की सिंचित भूमि डूब में आयेगी। यह योजना तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त पाई गई है। सरदारपुरा योजना का सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पाये जाने तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार राज्य सरकार कार्य को शुरू करवाने का विचार रखती है।

जामडोली (राजगढ़) डिस्पेन्सरी में डाक्टर आदि की व्यवस्था

549. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जामडोली (राजगढ़) की डिस्पेन्सरी में पिछले एक साल से डाक्टर व अन्य कर्मचारियों की कमी रही है ?

(2) उक्त डिस्पेन्सरी में कब तक डाक्टर वगैरह की व्यवस्था करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, डाक्टर की प्रतिनियुक्ति जामडोली से अलवर कर रखी थी। वहां अन्य डाक्टर को पदस्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में सभी अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) डाक्टर के पदस्थापन आदेश जारी कर दिये हैं।

नगरपालिका सवाईमाधोपुर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में विभिन्न सुविधायें

550. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगरपालिका; सवाईमाधोपुर के क्षेत्र के ग्राम बम्बोरी; खैरदा, चमारों की झुंपड़िया, चक चैनपुरा ढाणी कुतलपुरा; ढींगला में सड़क, रोड लाइट एवं नल की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और यह व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

यह सही नहीं है। नगरपालिका सवाईमाधोपुर के क्षेत्र के एक ग्राम चमारों की ढाणी में खातेदारी भूमि में होने के कारण सड़क, लाइट व नल नहीं है। अन्य ग्राम खैरदा, चक चैनपुरा, कुतलपुरा व ढींगला में बिजली व पानी की व्यवस्था है तथा ग्राम बम्बोरी में लाइट की व्यवस्था शीघ्र ही उपलब्ध कराई जावेगी। नल की व्यवस्था रेलवे लाइन की क्रासिंग बीच में आने की वजह से जलदाय विभाग द्वारा नहीं की जा रही है तथा इन ग्रामों में सड़क

(राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन)

बनाये जाने की कार्यवाही नगरपालिका अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार शीघ्र ही प्रारम्भ कर रही है।

उप वन संरक्षक पाली द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियां

551. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980, 1981, 1982 व 1983 मे उपवन संरक्षक, पाली द्वारा वन मण्डल में विभिन्न पदों पर स्थायी व अस्थायी कितनी नियुक्तियां की गई ?

(2) इनके बारे में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उप वन संरक्षक, पाली द्वारा केवल वर्ष 1981–82 में छः वन पाल तथा पांच वन रक्षकों की अस्थाई नियुक्ति की गई है।

(2) जी हां, अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। एक व्यक्ति की सेवायें नियमित किये जाने की कार्यवाही चल रही है। परन्तु कुछ प्रकरणों में न्यायालय की निषेधाज्ञा होने के कारण कार्यवाही स्थगित है।

चौहटन क्षेत्र के औषधालयों में औषधियों का वितरण

552. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौहटन के समस्त आयुर्वेद औषधालयों में वर्ष 1983–84 के लिए अभी तक भी औषधियां सप्लाई नहीं की गई हैं ?

(2) यदि हां, तो वर्ष समाप्ति पर भी औषधियां सप्लाई नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब तक कब औषधियां सप्लाई कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) माह फरवरी 84 के अन्त तक रु. 6030–50 की औषधियां वितरण की गई।

पशुपालन निदेशालय का बीकानेर जिले में स्थानान्तरण

553. **श्री सूरजा राम टाक** (नोखा) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पशुपालन एवं डेयरी विकास धन्धा मुख्यतया पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले में अधिक है, इसको ध्यान में रखते

(340)

(श्री सुरजाराम टांक)

हुए क्या सरकार निकट भविष्य में विभाग का निदेशालय बीकानेर जिले में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है।

उत्तर

पशुपालन का मुख्य धन्धा पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा पूर्वी राजस्थान में अधिक है। राज्य सरकार का निदेशालय को बीकानेर में स्थानान्तरण करने का कोई विचार नहीं है।

माजरी-निहालपुर सड़क निर्माण

554. **श्री सुजान सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार माजरी-निहालपुर अपूर्ण सड़क का निर्माण कर इसे हरियाणा राज्य से वर्ष 1984-85 में जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

माजरी-निहालपुर (हरियाणा सीमा तक) सड़क की कुल 17 कि. मी. लम्बाई में से 10 कि. मी. सड़क बनकर तैयार हो चुकी है तथा शेष 7 कि. मी. सड़क को मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित कर लिया गया है और धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य हाथ में लिए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य में कृषि उपज मण्डियों का श्रेणीकरण

555. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य में कृषि उपज मण्डियों का श्रेणीकरण ए. बी. सी. के आधार पर विज्ञप्ति जारी करके किया गया है एवं राजकीय निर्णय एवं विज्ञप्ति के अनुरूप "ए" श्रेणी की मण्डी में राजपत्रित अधिकारी एवं बी. व सी. श्रेणी की मण्डी में गैर राजपत्रित अधिकारी सचिव के पद पर लगाया जाना अपेक्षित है ? यदि हां, तो कृपया विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा "ए" श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों में राजपत्रित अधिकारी के स्थान पर अराजपत्रित अधिकारी सचिव के पद पर नियुक्त किया हुआ है ? यदि हां, तो ऐसी मण्डियों एवं सचिवों के नाम की सूची कारण एवं औचित्य सहित कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा "ए" श्रेणी के लिये योग्यता प्राप्त राजपत्रित अधिकारी को "बी" श्रेणी की मण्डी समितियों में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कृपया ऐसी मण्डियों एवं सचिवों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें एवं ऐसा राजकीय पूर्व निर्णय एवं विज्ञप्ति के विरुद्ध क्यों किया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम)

(4) क्या राज्य सरकार "ए" श्रेणी में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी एवं "बी" श्रेणी में नियुक्त राजपत्रित अधिकारी की सचिव के पद पर नियुक्ति को निरस्त कर नियमानुसार श्रेणी एवं पात्रता के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों का श्रेणीकरण किया गया है। श्रेणीनुसार किन-किन अधिकारियों को सचिव के पद पर लगाया जावे यह विचाराधीन है। विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। मण्डी समितियों का समुचित श्रेणीकरण वर्ष 1982 में किया गया अतः नवीन श्रेणीकरण के अनुसार किस अधिकारी को किस श्रेणी की मण्डी में पदस्थापित किया जावे, राज्य सरकार के विचाराधीन चल रहा है।

(3) जी हां।

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। चूंकि कृषि विपणन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या "ए" श्रेणी की मण्डियों से अधिक है अतः स्वाभाविक है कि कुछ राजपत्रित अधिकारियों को "बी" श्रेणी की मण्डी समितियों में लगाया गया है। क्योंकि विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है अतः तदोपरान्त ही कोई कारवाई सम्भव हो सकेगी।

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2–बी) विभाग

क्रमांक उप सचिव/विपणन/मण्डी श्रेणीकरण/82/ जयपुर, दिनांक 6-10-82

विज्ञप्ति

यतः इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या उप सचिव/विपणन/मण्डी श्रेणीकरण/82/6282–85 दिनांक 7-4-82 के द्वारा राजस्थान सरकार ने राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 36 (2) (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों की सेवायें, ऋण व्यवस्था एवं अन्य कार्य निर्धारण हेतु श्रेणीकरण को अपने आशय की घोषणा की थी।

अतः उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धारा 37 (2) (न) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य सरकार निम्न कृषि उपज मण्डी समितियों को "अ", "ब" एवं "स" श्रेणी में श्रेणीकरण की घोषणा करती है :—

342

"अ" श्रेणी	"ब" श्रेणी	"स" श्रेणी
1. जयपुर (अनाज)	1. खैरथल	1. केकड़ी
2. जोधपुर	2. खेड़ली	2. विजयनगर
3. सुमेरपुर	3. जयपुर (फल सब्जी)	3. मदनगंज-किशनगढ़
4. श्रीगंगानगर	4. अजमेर	4. हिण्डौन
5. हनुमानगढ़	5. ब्यावर	5. डीग
6. बीकानेर	6. गंगापुरसिटी	6. नदबई
7. कोटा	7. भरतपुर	7. सूरतगढ़
8. अलवर	8. सीकर	8. भादरा
	9. पीलीबंगा	9. पाली
	10. रायसिंहनगर	10. डीडवाना
	11. सांगरिया	11. कुचामनसिटी
	12. श्रीविजयनगर	12. निम्बाहेड़ा
	13. श्रीकरणपुर	13. राजगढ़
	14. गजसिंहपुर	14. कामां
	15. पदमपुर	15. धौलपुर
	16. केसरीसिंहपुर	16. बाडी
	17. अनूपगढ़	17. बयाना
	18. नोहर	18. नगर
	19. सादुलशहर	19. भुसावर
	20. बाड़मेर	20. कोटपूतली
	21. नागौर	21. बान्दीकुई
	22. बारां	22. चाकसू
	23. रामगंजमण्डी	23. नरैना
	24. उदयपुर	24. दौसा
	25. भीलवाड़ा	25. महुआमण्डावर
		26. लालसोट
		27. सवाईमाधोपुर

"अ" श्रेणी	"ब" श्रेणी	"स" श्रेणी
		28. नीमकाथाना
		29. श्रीमाधोपुर
		30. फतेहपुर
		31. सूरतगढ़
		32. चिड़ावा
		33. सुजानगढ़
		34. झुन्झुनू
		35. नवलगढ़
		36. सुमेरगंज
		37. अन्ता
		38. इटावा
		39. चौमू
		40. छबड़ा
		41. सांगोद
		42. भवानीमण्डी
		43. चौहमेला
		44. खानपुर
		45. झालरापाटन
		46. केशोरायपाटन
		47. बून्दी
		48. टौंक
		49. मालपुरा
		50. निवाई
		51. देवली
		52. उनियारा
		53. टोडारायसिंह
		54. नाथद्वारा

"अ" श्रेणी	"ब" श्रेणी	"स" श्रेणी
		55. भीण्डर
		56. आमेट
		57. देवगढ़
		58. चित्तौड़गढ़
		59. कपासन
		60. बेंगू
		61. प्रतापगढ़
		62. रावतभाटा
		63. बड़ी सादड़ी
		64. गुलाबपुरा
		65. माण्डलगढ़
		66. आसीन्द
		67. शाहपुरा
		68. जहाजपुर
		69. बनेड़ा
		70. बांसवाड़ा
		71. डूंगरपुर
		72. बिलाड़ा
		73. जैतारण
		74. पीपाड़सिटी
		75. सोजतरोड़
		76. मेड़तासिटी
		77. रानी
		78. शिवगंज
		79. आबूरोड़
		80. डेगाना
		81 भीनमाल

"अ" श्रेणी	"ब" श्रेणी	"स" श्रेणी
		82. सांचौर
		83. जालोर
		84. बालोतरा
		85. नोखा
		86. लूणकरणसर
		87. सादुलपुर
		88. तारानगर
		89. डूंगरगढ़
		90. चूरू
		91. सरदारशहर
		92. रावतसर
		93. रतनगढ़
		94. गोविन्दगढ़
		95. किशनगढ़ रेनवाल
		96. जैसलमेर
		97. इकलेरा
		98. फतेहनगर

नोट :— "अ" श्रेणी की मण्डी समितियों में वे समितियां हैं जिनकी मण्डी शुल्क से आय 30 लाख रुपये से अधिक है।

"ब" श्रेणी की मण्डी समितियों में वे समितियां हैं जिनकी मण्डी शुल्क से आय 10 लाख रुपये से 30 लाख रुपये है।

"स" श्रेणी की मण्डी समितियों में वे समितियां हैं जिनकी मण्डी शुल्क से आय 10 लाख रुपये से कम हैं।

आज्ञा से,

ह०/–

(जे० एन० भटनागर)

उप शासन सचिव

(346)

सूची

"अ श्रेणी मण्डी समिति जिसमें अराजपत्रित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं :—

1. श्री बलवन्त सिंह वर्मा, कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ़

"ब" श्रेणी कृषि उपज मण्डी समितियों में प्रतिनियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की सूची :—

1.	श्री घन सिंह	कृषि उपज मण्डी समिति,		खैरथल
2.	श्री वासुदेव प्रसाद	,,	,,	खेड़ली
3.	श्री प्रभात मोहन शर्मा	,,	,,	जयपुर (फल सब्जी)
4.	श्री जी. पी. असावा	,,	,,	अजमेर
5.	श्री बी. सी. माथुर	,,	,,	ब्यावर
6.	श्री बी. डी. अग्रवाल	,,	,,	गंगापुर सिटी
7.	श्री मंगल सिंह	,,	,,	भरतपुर
8.	श्री होशियार सिंह	,,	,,	सीकर
9.	श्री पृथ्वी राज खलैरी	,,	,,	पीलीबंगा
10.	श्री शेर सिंह	,,	,,	सांगरिया
11.	श्री जसवन्त सिंह	,,	,,	श्रीविजयनगर
12.	श्री कणक राज आचार्य	,,	,,	श्रीकरणपुर
13.	श्री कैलाश बाबू शर्मा	,,	,,	पदमपुर
14.	श्री चन्द्र पाल सिंह	,,	,,	सादुलशहर
15.	श्री एस. यू. खान	,,	,,	बाड़मेर
16.	श्री जितेन्द्र कुमार	,,	,,	बारां
17.	श्री मदन मोहन गुप्ता	,,	,,	रामगंज मण्डी
18.	श्री लक्ष्मीनारायण माथुर	,,	,,	उदयपुर
19.	श्री जी. सी. भटनागर	,,	,,	उदयपुर
20.	श्री आर. एस. करनावत	,,	,,	भीलवाड़ा

कोटपूतली गोली काण्ड

556. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) एवं **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल).: क्या गृह-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 25 जनवरी, 1984 को कोटपूतली में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के क्या कारण थे ? क्या गोली चलाने से पूर्व आंसू गैस छोड़ी गई थी व लाठीचार्ज किया गया था ?

(2) इस सम्बन्ध में किन-किन लोगों के विरुद्ध किन-किन धाराओं के तहत कब-कब क्या-क्या मुकदमे बनाये गये व उनमें से कितने लोगो को कब-कब गिरफ्तार किया गया ? कृपया विवरण एफ. आई. आर. की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) गोली चलाये जाने से कितने लोग मारे गये ? कृपया उनके नाम पते व धन्धे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। मृतकों के परिजनों को कितना कितना मुआवजा कब-कब दिया गया ?

(4) इस सम्बन्ध में सरकार को कब-कब क्या-क्या मांग पत्र प्राप्त हुए ? कृपया मांग पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? कृपया समस्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थाने में पथराव, आगजनी, व सिपाही को जिन्दा जलाने के प्रयास के कारण गोली चलानी पड़ी, लाठीचार्ज किया गया। अश्रु गैस के गोले न होने के कारण अश्रु गैस के गोले नहीं छोड़े गये।

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वांछित सूचना सूची के कालम नं. 7 में अंकित करदी गई है।

(4) राज्य सरकार के पास अब तक प्राप्त मांग पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(5) पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारणों की न्यायिक जांच हेतु आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। प्रबन्धक थाना एवं सैकिण्ड आफिसर का थाना कोटपूतली से स्थानान्तरण किया जा चुका है।

348

सूचना

क्र.	अ. सं.	दिनांक	अपराध धारा	नाम अभियुक्त	नाम अभियुक्तगण जो गिरफ्तार किये गये मय दिनांक	मृतक व्यक्तियों के नाम मय पता व धन्धे सहित
1.	27/84	25-1-84	147, 148, 149, 332, 353, 436, 448, 307, ता.हि.	1. श्री रामकरण भू. पू. विधायक 2. श्री बिहारी लाल खटीक 3. श्री जयपालसिह हवलदार 4. श्री मातादीन 5. श्री किशोरी लाल शर्मा 6. श्री मैथलीशरण 7. श्री जगदीश बिदानी 8. श्री कानाराम सैनी 9. श्री शिवराम यादव एडवोकेट 10. श्री सुरज्ञानी मीणा 11. श्री रमेश गोटेवाला 12. श्री कल्याण 13. श्री रिछपाल एडवोकेट 14. श्री अमरनाथ महाजन 15. श्री रमाकान्त शर्मा एडवोकेट	1. श्री रामकरण भू. पू. विधायक 2. श्री सुरज्ञानी मीणा दिनांक 25-1-84	1. श्री घनश्याम पुत्र नाथू ब्राह्मण निवासी कोटपूतली, घरेलू कार्य 2. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री ग्यारसीलाल नि. कोटपूतली, अध्ययन (छात्र) 3. श्री कानाराम पुत्र श्री रूड़मल निवासी कोटपूतली, घरेलू कार्य मृतक व्यक्तियों के परिवार को मुख्य मन्त्री सहायता कोष से 10,000/- 10,000/- रु. की सहायता प्रदान की गई।
2.	28/84	25-1-84	147, 447 ता॰हि॰	अज्ञात		(अन्वेषण जारी है)

GPB

राजस्थान पुलिस

आर. पी. फार्म 63.

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 285 रा. पु. रे.)

No. 43

नं०

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा 145 जा. फौ. थाने पर चाक होती है)

थाना कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

जुर्म नं. (सुर्खी में) 27/84 तारीख और वक्त वकुआ 25 : 1 : 84 समय 2 : 25 पी एम

तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आम	जाय वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का, अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
तारीख 25–1–84 रपट नं. 1032 समय 2 : 25 पी. एम.	थाने के सामने बजानिब पूर्व मुख्य द्वार	जरिये डाक

नाम व नम्बर हल्का 60 ए हल्के में वकुआ अन्दर साल नं. 2

नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास-स्थान)	नाम और सकूनत मुल्जिमान (निवास-स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफाओं माल अगर कोई गया हो	कारंवाई तफतीश जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो	नतीजा मुकद्दमा
श्री लखपत राम एस. आई. एस. एच. ओ. थाना कोटपूतली जिला जयपुर		थाने के सामने उग्र भीड़ द्वारा भारी पथराव व आगजनी कर ट्रक, जीप व कार को जला दिया और पथराव से पुलिस मुलाजमान को मारपीट किया जिससे चोटें आई जुर्म दफा 147/148/149/332/353/307/440/436 ता. हि.	रिपोर्ट तहरीरी पर मुकदमा कायम कर फौरी तफतीश हेतु एफ.आई.आर. श्रीमान सी.ओ. साहब को सम्भलाई गई	

दस्तखत लखपत राम ओहदा एस. एच. ओ. कोटपूतली

रिपोर्ट जुबानी या तहरीरी (पुश्त पर)

आज दिनांक 25–1–84 को लगभग 1 : 00 पी. एम. पर मुकदमा नं. 26/84 की बलात्कार की घटना को लेकर थाने पर रोष प्रकट करने के लिए नारेबाजी करते हुए करीब चार पांच हजार की भीड़ जिसमें कोटपूतली व आस पास के गांवों के लोगों के साथ स्कूलों व कालेज के छात्र भी थाने पर आये और आते ही माइक पर यह नारेबाजी पुलिस राज मुर्दाबाद, बलात्कारियों को बाहर निकालो, नादिरशाही नहीं चलेगी, आदि लगाते हुए थाने को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ धीरे-धीरे बढ़ कर 5-6 हजार तक की हो गई। इस पर एस.डी एम. साहब श्री महेन्द्र दत शर्मा श्री अशोक नरूका पुलिस उप अधीक्षक सर्कल कोटपूतली एवं मन एस. एच. ओ जो पूर्व से ही थाने पर मौजूद थे, ने भीड़ को काफी समझाइश की। उनको यह भी बताया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार कर बन्द हवालात किया जा चुका है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विभागीय कार्यवाही भी की जावेगी, परन्तु इस समझाइश का भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि भीड़ ने और अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। भीड़ इस बात पर अड़ी थी कि मुल्जिमान सिपाहियों को उनके हवाले किया जाए, पुलिस की कार्यवाही से उन्हें तसल्ली होने वाली नहीं है। उग्र भीड़ का नेतृत्व सर्व श्री रामकरण भू. पू. एम. एल. ए एवं बिहारी खटीक, जयपाल सिंह हवलदार, जगदीश बिदानी, मैथली शरण गुप्त; शिवराम यादव एडवोकेट, मातादीन कपड़े वाला, किशोरी लाल शर्मा, दानाराम सैनी, रमेश गोटेवाला, अमरनाथ महाजन, सुरज्ञानी मीना, डांक्टर कल्याण, रिछपाल एडवोकेट, रमाकान्त शर्मा एडवोकेट आदि कर रहे थे। राम निवास शर्मा व रमाकान्त एडवोकेट माइक पर बोल-बोल कर भीड़ को उकसा रहे थे। भीड़ में कई लोगों के पास लकड़ियां, सरिये थे। कुछेक के हाथ में मिट्टी के तेल की पीपियां थीं। जयपुर से आने वाली फोर्स ज्योंही ट्रक न आर आर एम 9028 से थाने पर पहुँची तो भीड़ ने इस फोर्स पर बुरी तरह पत्थराव शुरू कर दिया जिस पर आमदा फोर्स भग कर थाने में घुस आई परन्तु ट्रक ड्राइवर महादेव को भीड़ ने पकड कर बुरी तरह पीटा तथा घसीट कर जान से मारने की कोशिश की तो एस. डी. एम. साहब ने मुझको भीड़ को नाजायज मजाज करार देने के लिये निर्देश दिया। इस पर मैंने बारे बारे से पुकार कर चेतावनी दी कि आप लोग बिखर जाओं वरना बल प्रयोग किया जायेगा, जब इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ व बलवाइयों द्वारा पत्थराव व लोहा व लकड़ी के टुकड़े पुलिस कर्मचारियों पर लगातार आते रहे तथा भीड में से आवाज आने लगी कि पुलिस वालों को मारो और थाने पर कब्जा कर लो, बल प्रयोग से अनियन्त्रित भीड़ को पीछे खदेड दिया गया परन्तु सुभाष सिपाही को भीड़ खींच कर ले गई। थाने का दरवाजा बन्द कर अफसरान वाला और मैं खुद सिपाहियों को लेकर थाने की छत पर गया। उग्र भीड़ ने थाने पर पत्थराव जारी रखते हुए भीड में से किसी ने पुलिस वालों पर फायर किये और थाने के सामने खड़े ट्रक न. आर. आर. एम. 3028 जब्त शुदा जीप आर. आर. एम. 7574 व फियेट कार नं. डी. एल. जे. 6639 एवं थाने के मुख्य द्वार के मिट्टी का तेल छिडक कर आग लगा दी और ड्राइवर श्री महादेव तथा सुभाष सिपाही को जलते हुये ट्रक में

जोर जोर से चिल्लाते हुये कि इनको भी ट्रक में जला दो,कहकर फेंकने लगे और सुभाष सिपाही को जलते हुये ट्रक में धकेल दिया जिससे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। परन्तु उसके दोनों हाथ एवं सीने पर आग की लपटें लग गईं। इस पर एस. डी. एम साहब ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए फायर करने के निर्देश दिये जिस पर सी. ओ. साहब के आदेशानुसार बाद चेतावनी कानि. श्री सुरेन्द्र सिंह नं. 4344, श्री नाथू सिंह कानि. नं. 3329, श्री भूप सिंह स. उ. नि., तथा मेरे द्वारा बाद चेतावनी फायर किये। प्रारम्भ में हवाई फायर किये गये परन्तु भीड़ निरन्तर यह कह रही थी कि जला दो पुलिस थोथे फायर कर रही है। जिस पर ट्रक के पास जीप व कार के पास तथा मैन गेट के पास फायर करवाये गये। इसके बाद एक लड़का मुख्य दरवाजे के पास गोली लगने से गिर पड़ा, को छोड़कर कुछ घायलों कोजी प कार व ट्रक के पास से भीड़ ले गई। भीड़ तितर बितर हो जाने के पश्चात् तुरन्त फायर बन्द कर मुख्य दरवाजे पर पड़े घायल को देखा तो वह मर चुका था। जलते हुए ट्रक कार जीप व दरवाजे पर बा मुश्किल काबू पाया। घटना के दौरान श्रीमान् एस. डी. एम. साहब, सी.ओ. साहब मेरे स्वयं के तथा अन्य कई पुलिस मुलाजमानों के भी पत्थराव से चोटें आईं तथा थाने के अन्दर खड़ी जीप आर.एन.ई. 2219 का शीशा भी टूट गया। यदि बल प्रयोग नहीं किया जाता तो भीड़ निश्चित ही थाने में घुस कर जान व माल की भारी क्षति करती। उपरोक्त मजमून से मामला जुर्म दफा 147/148/149/332/353/436/440/307 ता. हि. का वकू में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 27/84 व दफा मजकूर कायम किया गया चूंकि श्रीमान् सी. ओ. साहब भी मौके पर मौजूद हैं और हालात से वाकिब हैं अतः आदेशानुसार सी. ओ. सा. एफ. आई. आर. अग्रिम तफतीश हेतु उनके सुपुर्द की गई। प्रतियां नियमानुसार जारी की गईं। एस. आर, जारी हुई।

लखपत राम एस. आई.

25–1–84 एस. एच. ओ, थाना कोटपूतली

GPB

राजस्थान पुलिस

आर. पी. फार्म नं 63

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 285 रा. पु. रे.)

No. 40

नं. ....

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा 145 जा. फौ. थाने पर चाक होती है)

थाना कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

जुर्म नं. (सुर्खी में) 28/84. तारीख और वक्त वकुआ 25-1-84 समय 11 एएम.

तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आम	जाय वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का, अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
तारीख 25-1-84 रपट नं. समय	राजकीय सरदार उ. मा. विद्यालय कोटपूतली बजानिब उत्तर व फासला करीब 1 फर्लांग	जरिये डाक

353

नाम व नम्बर हल्का 60 ए हल्के में वकुआ अन्दर साल नं. 3

नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास-स्थान)	नाम और सकूनत मुल्जिमान (निवास-स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो	कार्रवाई तफतीश जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो	नतीजा मुकदमा
श्री सत्यनारायण मेठी प्रधानाध्यापक रा. सरदार उ.मा. विद्यालय, कोटपूतली		मुल्जिमान ने एक राय होकर स्कूल का फर्नीचर व खिड़कियों के शीशे तोड़कर नुकसान किया जुर्म धारा 147/427 ता. हि.	रिपोर्ट तहरीरी टाइप शुदा जरिये डाक प्राप्त होने पर बाद कायमी जुर्म तफ. शुरू की गई	

दस्तखत एस. डी. ओहदा एस. एच. ओ.

रिपोर्ट जुबानी या तहरीरी (पुश्त पर)

कार्यालय, प्रधानाध्यापक, राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय,कोटपूतली। क्रमांक रा. स. उ. मा. वि. कोट/2824 दि. 25-1-84 श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक महोदय,कोटपूतली। विषय-जुलूस द्वारा छात्रों को विद्यालय से निकाल ले जाना। मान्यवर, निवेदन है कि आज दि. 25-1-84 को प्रातः 11 बजे के लगभग एक भारी जुलूस नारे लगाते हुये विद्यालय में आया तथा छात्रों को जुलूस में शामिल करने के लिये भड़काने लगे। उस समय उनको समझाकर वापस भेज दिया लेकिन कुछ छात्र उनके साथ चले गये। कुछ अध्यापकों को भेजकर उन छात्रों को भी वापस बुला लिया। इसके पश्चात् लगभग अपरान्ह एक बजे एक बहुत बड़ा जुलूस विद्यालय के आगे से गुजरा.तो वह जुलूस बन्द फाटक को कूदकर विद्यालय में प्रवेश कर गया। घन्टी बजा दी। कक्षाओं में जाकर छात्रों को निकाल लाये। इसमें खिड़कियों के शीशे भी तोड़ गये तथा कुछ फर्नीचर को भी तोड़ डाला। विद्यालय के मैदान में गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी वहां भी पहुंचकर माइक से विद्यालय छोड़ने की घोषणा कर दी। इस प्रकार छात्रों को विद्यालय से बाहर ले गये अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी वख्त हिन्दी जरिये डाक थाना हाजा पर प्राप्त हुई। मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 147/427 ता. हि. का वकू में आना पाया जाता है। लिहाजा खुलासा हालात श्री सत्यनारायण मेठी प्रधानाध्यापक जी से मालूमात किये जावेंगे। अतः मुकदमा नं 28/84 व दफा मजकूर कायम कर मन एस. एच. ओ. लखपत राम मसरफ तफतीश हुआ। प्रतियां नियमानुसार जारी की गईं।

एस. डी.
एस. एच. ओ.
थाना कोटपूतली
25-1-84

भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान प्रदेश

क्रमांक..........

प्रदेश कार्यालय :
बी-11, एम. एल. ए. क्वार्टर्स,
जयपुर–302 001
दिनांक 29-1-84

श्री मुख्य मंत्री,
राजस्थान, जयपुर

विषय :–कोटपूतली में दिनांक 25-1-84 को हुए गोली काण्ड के सिलसिले में ज्ञापन ।

मान्यवर,

कोटपूतली क्षेत्र में चोरी, डकेती एवं लूटपाट के अपराधों में निरन्तर वृद्धि के कारण उक्त क्षेत्र की जनता में पुलिस के प्रति बहुत ही असंतोष व्याप्त है। इन घटनाओं में पुलिस के कर्मचारियों की भागीदारी की चर्चा से जनता में पुलिस के विरुद्ध भारी आक्रोश है। जनता ने गांव गांव में सुरक्षा दलों का गठन किया है लेकिन पुलिस के असहयोग के कारण चोरी की घटनाओं में कोई आशाजनक कमी नहीं हुई। गत तीन दिसम्बर को इस असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कोटपूतली में हड़ताल रखी गई और पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किया। हड़ताल करवाने में प्रमुख व्यक्तियों की पुलिस ने बदले की भावना से पिटाई भी की। जनता ने पुलिस के विरुद्ध प्रशासन के सब दरवाजे खटखटा लिये। दिनांक 25-1-84 को कोटपूतली में जब एक महिला के साथ दो पुलिस कर्मियों ने बलात्कार किया एवं उसकी सोने की दो अंगुठियां छीन लीं तो उससे जनता में आक्रोश फैलना स्वाभाविक था। ज्यों ही इस घटना की जनता में चर्चा हुई कोटपूतली के बाजार नहीं खुले और जनता ने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर थाने के समक्ष प्रदर्शन किया।

जनता शान्तिपूर्वक ढंग से पुलिस के विरुद्ध नारे लगा रही थी और मांग कर रही थी कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय। उनका डाक्टरी मुआयना कराया जाय और गायत्री देवी अंगुठियां बरामद की जायं, कि इसी बीच शाहपुरा से पुलिस के जवानों का एक ट्रक आया और उस भीड़ में से थाने में प्रवेश करते समय ये जवान चार व्यक्तियों को पकड़कर थाने में ले गये। इनमें से एक लक्ष्मी नारायण को बुरी तरह पीट कर पुलिस ने थाने के बाहर फेंक दिया। एक छात्र लालाराम का भी बुरी तरह से पीटा गया। उनकी चीख पुकार सुनकर जनता मे रोष उत्पन्न होना

स्वाभाविक था। पुलिस के जवान थाने की छतों पर हथियार लेकर जनता की तरफ ताने हुए खड़े थे। थाने का दरवाजा बंद कर लिया गया था परन्तु भीड़ में से कुछ अपरिचित व्यक्तियों ने जिनके बारे में जनता को ऐसा सन्देह है कि वे पुलिस के ही दलाल थे, थाने की ओर कुछ पत्थर फेंकना प्रारम्भ कर दिया। जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी भारी पथराव किया गया एवं बिना किसी चेतावनी, लाठीचार्ज अथवा अश्रु गैस के चलाए ही जनता पर अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लगभग पचास गोलियां चलाई गईं, 32 व्यक्तियों के गोलियां की चोटें लगी हैं, तीन की मृत्यु हो गई है, एक की हालत काफी गम्भीर है। गोली लगने वालों में अधिकांश छात्र हैं। गोलियों के निशान अधिकांश लोगों के शरीर के पिछले हिस्से पर हैं जिससे लगता है कि गोली भागते हुए लोगों पर दागी गई। गोली के निशान थाने से 100 गज से भी अधिक दूरी पर देखने को मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि गोली अन्धाधुंध चलाई गईं। पुलिस ने जनता से बदला लेने के लिये गोलियां चलाईं। आत्म सुरक्षा के नाम पर गोली चलाने की बात कह कर प्रशासन इस जघन्य अपराध से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है।

गोली कांड में सोहन लाल पुत्र रामजी लाल लखेरा एवं प्रहलाद पुत्र जमनालाल को भी गोली के छर्रे लगे हैं किन्तु उनके नाम घायलों में नहीं हैं एवं महावीर पुत्र छोटू सैनी एवं भागीरथ डाकोलिया लापता हैं।

कोटपूतली उसी दिन से बंद है। आसपास के कस्बों में विरोध में सांकेतिक बंद हो चुके हैं। जनता आक्रोशित है। ऐसी परिस्थितियों में यदि समय पर स्थिति नहीं सम्भाली गई तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

इस सम्बन्ध में मांग है कि :—

1. सरकार के द्वारा घोषित न्यायिक जांच की कार्यवाही एक सप्ताह में प्रारम्भ की जाये।
2. जिन पुलिस कर्मियों ने गायत्री देवी से बलात्कार किया उनके विरुद्ध जांच सी. आई. डी. (अपराध शाखा) से करवाई जाये। सोने की अंगूठियां अपराधियों से बरामद की जावे।
3. गोलीकाण्ड में मृतक के परिवारों एवं घायलों को कितना मुआवजा दिया जाये इस मामले का निर्णय भी न्यायिक जांच पर छोड़ा जाये।
4. थाना कोटपूतली के समस्त कर्मचारियों को डीवाई.एस.पी. सहित कोटपूतली से तुरन्त हटाया जाये और उन्हें निलम्बित किया जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

(358.)

5. बलात्कार की शिकार गायत्री देवी के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार अपने ऊपर ले।

6. गिरफ्तार नेताओं को बिना शर्त अविलम्ब रिहा किया जाय।

यदि एक फरवरी तक आपकी सरकार ने इन मांगों को मंजूर नहीं किया तो कोटपूतली व आसपास के (शाहपुरा, मनोहरपुर, पागपुरा, पावटा, बहरोड, बानसूर, विराटनगर) आदि कस्बों व सभी गांवों में आम हड़ताल होगी और कोटपूतली में दिन के एक बजे कालेज ग्राउन्ड में एक आम सभा की जाकर एवं उसमें कोटपूतली में गठित संघर्ष समिति अपना संघर्ष प्रारम्भ करने हेतु स्वतन्त्र होगी।

भवदीय
ह०/–
जगदीश प्रसाद एवं अन्य

नगर कांग्रेस (आई) कमेटी
कोटपूतली (राजस्थान)

क्रमांक : स्पेशल T 83/84   दिनांक 25-1-84

आदरणीय श्री मुख्य मंत्री महोदय,
राजस्थान,
जयपुर

विषय :— पुलिस कोटपूतली द्वारा जनता पर किये गये गोलीकांड की जांच हेतु।

मान्यवर,

आज दिनांक 25-1-84 को पुलिस थाना कोटपूतली के दो सिपाहियों द्वारा रात्रि को गश्त देते समय एक बालिका से जबरन जिना करने के रोष में शिकायत करने गई जनता पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाकर 3 छात्रों की निर्मम हत्या कर दी गई और अन्य कई व्यक्तियों को घायल कर दिया गया।

अतः निवेदन है कि पुलिस द्वारा किये गये इस जघन्य गोलीकांड की जांच करवाकर दोषी कर्मचारियों को तुरन्त उचित दण्ड दिलाने की कृपा करें और मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता तथा घायल व्यक्तियों को समुचित इलाज एवं आर्थिक सहायता दिलाने की कृपा करें। नगर में पूर्ण हड़ताल है। जनता में भय और आक्रोश व्याप्त है। ठीक वातावरण किये जाने के प्रयत्न जारी हैं।

विनीत
ह०/–
(कन्हैयालाल गौतम)
अध्यक्ष,
नगर कांग्रेस कमेटी
कोटपूतली (जयपुर-राज.)

युवा जागृति परिषद
लक्ष्मीनारायण पुरी, जयपुर

दिनांक 26-1-84

सेवामें,

श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार (जयपुर-राजस्थान)

विषय :–हत्याकांड (गोलीकांड) की निन्दा

मान्यवर,

कोटपूतली शहर में हुई निन्दनीय घटना को देखकर ऐसा लगा कि सरकार ने पुलिस अधिकारियों को मनमानी करने की खुली छूट दे रखी है। इस प्रकार की निन्दनीय घटना ने जहां एक ओर पुलिस से जनता का विश्वास उठता है वहीं दूसरी तरफ सरकार की छवि भी खराब होती है। मैं युवा जागृति परिषद की तरफ से यह अपील करता हूं कि दोषी पुलिस अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित कर दण्डित किया जाये ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो।

धन्यवाद।

ह०/–
अध्यक्ष

बार एसोसिएशन, कोटपूतली (जयपुर) राजस्थान

दिनांक 25-1-84 को कोटपूतली में पुलिस द्वारा किए नरसंहार के विरुद्ध नगर कोटपूतली में व्याप्त क्षोभ में हम भी अपने को शरीक करते हैं और मासूम बच्चों, जो शहीद हो गये, को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

हम यह भी तय करते हैं कि बाजार व नगर की अन्य संस्थाओं से हम जुड़े हुये हैं। उनके साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है और चूंकि नागरिक संघर्ष समिति ने दिनांक 1 फरवरी, 1984 तक हड़ताल रखने का फैसला लिया है, हम भी दिनांक 29 जनवरी, 1984 तक अदालतों का बहिष्कार करते हैं।

मृतकों को हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि।

विनीत,
ह०/–
बार एसोसिएशन, कोटपूतली

दिनांक 27-1-1984

राजस्थान यूनिवर्सिटि वूमेन्स एसोसिएशन

(राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था)

दिनांक 31 जनवरी, 1981

कोटपूतली काण्ड

राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था की कार्यकारिणी की हम सदस्यायें बुधवार दिनांक 25 जनवरी को कोटपूतली में दो पुलिस कर्मियों द्वारा एक युवती के साथ किये गये बलात्कार की तीव्र निन्दा करती हैं।

कानून और समाज के रक्षकों द्वारा खुले आम कानून के उल्लंघन की इस घटना से हम अत्यन्त चिन्तित हैं। हम सम्बन्धित अधिकारियों से उचित कार्यवाही की मांग तो करती ही हैं, साथ ही हम चाहती हैं कि भविष्य में इन प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आचार-संहिताओं में इन अपराधों को रोकने के लिये अनिवार्य व्यवस्था की जाये।

पूरी जांच प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधियों के साथ कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों तथा महिला प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाये।

हस्ताक्षर

राजस्थान यूनिवर्सिटी
वूमेन एसोसिएशन,
जयपुर।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

कोटपूतली गोलीकाण्ड जन संघर्ष समिति

दिनांक 2-2-84

श्री मुख्य मन्त्री,

राजस्थान, जयपुर ।

ज्ञापन

मान्यवर,

कोटपूतली गोलीकांड जन संघर्ष समिति द्वारा कोटपूतली में दिनांक 25-1-84 को श्रीमती गायत्री देवी के साथ हुए बलात्कार व तत्पश्चात् पुलिस द्वारा किए गए निर्मम गोली काण्ड के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। कोटपूतली की घटना से पूरे कोटपूतली उपखण्ड के साथ साथ पूरे अलवर जिले व नीम का थाना सहित सीकर जिले के कुछ हिस्सों में जिस भारी जन आक्रोश की अभिव्यक्ति देखी गयी उससे आप भलीभांति वाकिफ हैं। प्रदेश व जयपुर जिले के कानून व व्यवस्था की स्थिति में आम जनता का विश्वास डगमगा गया है एवं इस विस्फोटक स्थिति को यदि तुरन्त नियन्त्रण में नहीं लिया गया तो लोगों का जनतान्त्रिक आस्थाओं से विश्वास ही टूट जावेगा।

न्यायिक जांच श्रीमती गायत्रीदेवी के सरकार द्वारा पुनर्वास किए जाने, बलात्कार काण्ड केस की सी आई डी (सी बी) से जांच किया जाना एवं मृतकों के परिवारजनों व घायलों को सरकार द्वारा दिए जाने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त सहायता के बारे में न्यायिक जांच आयोग द्वारा निर्णय लिए जाने सम्बन्धित मांगें आपके द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। परन्तु खेद है कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगें माननीय गृह राज्य मन्त्री के आश्वासन के वावजूद भी अभी तक स्वीकार नहीं की गयी हैं जो निम्नानुसार हैं :—

1. कोटपूतली एस. डी. एम. व सम्पूर्ण थाना (डी. एस. पी. व उनके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी व कर्मियों) के विरुद्ध कार्यवाही की जावे व उन्हें कोटपूतली से तत्काल हटाया जावे। अभी तक मात्र कोटपूतली थाना प्रभारी को हटाया गया है। उन्हें अभी तक मोअत्तिल नहीं किया गया।

2. श्री रामकरण सिंह भूतपूर्व विधायक व श्री सुरज्ञान को अविलम्ब रिहा किया जाकर मुकदमा नं. 27/84 थाना कोटपूतली को समाप्त किया जावे।

3. संघर्ष समिति ने दिनांक 1-2-84 को अपनी आपातकाल बैठक में उप खण्ड में चल रहे आन्दोलन को स्थगित कर निर्णय लिया है कि जब तक इन मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक क्षेत्र की जनता "न्यायिक जांच" का बहिष्कार करेगी ।

आशा है कि आप इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेकर स्थिति को सामान्य बनायेंगे ।

भवदीय,

जयसिंह शेखावत एडवोकेट, महामन्त्री

ग्राम कूड़ा की जल प्रदाय योजना

557. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कूड़ा को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सांकड़ पालड़ी-पुर से जोड़ा गया ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम वासन देवड़ा, गुड़ाहेमा, सहुओं की ढाणी, की टंकी में पाइप लाइन से पानी नियमित रूप से नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? अब नियमित रूप से कूड़ा गांव की पानी की टंकी में पानी सप्लाई के लिए सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम कूड़ा को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सांकड़ पालड़ीपुर से 1974–75 में जोड़ा गया था ।

(2) जी नहीं । ग्राम वासन देवड़ा की टंकी में नियमित रूप से पानी पहुंच रहा है । ग्राम कूड़ा एवं गुड़ा हेमा की ढाणी, क्रमश: सांकड़, पालड़ीपुर एवं झाब-हेमागुड़ा योजना के अन्तिम छोर के ग्राम हैं तथा इनके स्रोत भी पर्याप्त नहीं हैं । अतः इन ग्रामों की टंकियों में पेयजल नियमित रूप से नहीं पहुंचता है । ग्राम कूड़ा की टंकी में पेयजल वितरण सुधार हेतु ग्राम सांकड़ में दो नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है तथा शीघ्र ही इन्हें चालू कर पेयजल का वितरण नियमित किया जावेगा ।

ग्राम गन्धेली व तलवाड़ा झील में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

558. **श्री पोरूराम** (टीबी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टीबी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गन्धेली व तलवाड़ा झील की जनसंख्या को देखते हुए क्या सरकार इन स्थानों पर

(श्री पीरूराम)

स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ग्राम गन्धेली एवं तलवाड़ा झील में स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत हैं। दोनों स्थानों पर स्वास्थ्य उप केन्द्र स्थापित हैं।

ब्यावर नगर की विस्तार योजना

559. **श्री विष्णु प्रकाश बजारी** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर नगर में शास्त्री नगर विस्तार योजना कौन से सन् में बनी ?

(2) क्या इस योजना के तहत भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही नगर विकास न्यास द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो आज तक भूमि अवाप्त क्यों नहीं की गई है ? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या ब्यावर नगर में गरीब को छप्पर देने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो कितने लोगों को इस योजना के तहत भू-खण्ड दिये गए ?

उत्तर

(1) ब्यावर नगर में शास्त्री नगर विस्तार योजना वर्ष 1976 में बनाई गई थी।

(2) जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की औपचारिकता पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। वर्ष 1982-83 में 66 एवं 83-84 में 99 व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना

560. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना में सम्मिलित किया है ? यदि हां, तो इस योजना का राजस्थान के लिये प्रारूप क्या है और इसे राजस्थान में कब प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना हेतु होने वाले व्यय में राजस्थान को भी अपने हिस्से का कुछ धन जुटाने के लिये कहा गया है और राजस्थान द्वारा जुटाये गये धन के आधार पर ही इस योजना का स्वरूप व इसका आकार-प्रकार निर्भर करेगा ? यदि हां, तो यह योजना कुल कितने रुपयों की होगी और उसके लिये धन के स्रोत क्या-क्या होंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना बनाई जा रही है तथा अभी इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(राज्य मंत्री वन)

(2) जी हां। योजना का आकार अभी विचाराधीन है। इसमें राज्य सरकार तथा विश्व बैंक धन के स्रोत होंगे।

पाली शहर की बस्तियां

561. **श्री माणकमल मेहता** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली शहर में कई नई बस्तियां इन दस वर्षों में बस गई हैं, जिससे इस शहर की आबादी करीब एक लाख के निकट पहुंच रही है ?

(2) क्या इन बस्तियों की प्रकाश व पानी की सुविधा के लिए पाली नगरपालिका या संबंधित विभागों के पास कोई योजना है ?

(3) यदि हां, तो क्या और उसकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पांच बस्तियों में पानी बिजली आदि जन सुविधायें उपलब्ध हैं एवं अन्य बस्तियों में पानी व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हेतु नगर परिषद् 20 सूत्रीय कार्य-क्रम के अन्तर्गत कार्य कर रही है।

(3) नगर परिषद् जन सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 654 की सूची

वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में दिनांक 29-2-84 तक विभिन्न प्रोडक्शन एवं सेल्स डिपो से प्राप्त कपड़े की सूची :—

क्र. सं.	आगार का नाम	प्राप्त कपड़ा (मीटर में) 1982-83	प्राप्त कपड़ा (मीटर में) 1983-84 29-2-84 तक
1	2	3	4
1.	घाटगेट	15,732.00	4,824.00
2.	आमेर	23,068.00	10,360.00
3.	कानोता	47,056.00	55,670.00
4.	अमरसर	13,825.00	15,994.00
5.	जमुधारामगढ़	7,924.00	6,014.00
6.	दौसा	51,992.00	48,310.00
7.	लालसोट	23,668.00	26,001.00
8.	चौमू	22,027.00	21,529.00
9.	गोविन्दगढ़	10,336.00	20,816.00
10.	भरतपुर	9,454.00	16,221.00
11.	वैर	1,80,155.00	1,88,079.00
12.	बयाना	1,44,403.00	1,25,508.00
13.	डीग	7,655.00	967.00
14.	रुदावल	41,668.00	45,951.00
15.	छोकरवाड़ा	1,44,403.00	1,39,286.00
16.	सवाइमाधोपुर	3,07,693.00	3,04,903.00
17.	महुवा	7,066.00	6,987.00
18.	हिण्डौन	25,760.00	14,752.00

1	2	3	4
19.	टोडाभीम	60,929.00	44,562.00
20.	बौंली	2,749.00	1,154.00
21	करौली	551.00	——
22.	अलवर	1,221.00	——
23.	खेरली	15,909.00	16,087.00
24.	कठूमर	10,000.00	15,172.00
25.	निमाज	19,925.00	27,299.00
26.	सोजतरोड	16,810.50	15,876.00
27.	जोधपुर	7,356.00	21,579 00
28.	मथानियां	5,63,516.00	5,13,474.00
29.	केकड़ी	84,084.00	1,19,172.00
30.	किशनगढ़	13,717.00	6,182.00
31.	भीलवाड़ा	22,510.00	97,254.00
32.	टोडारायसिंह	26,003.00	27,964.00
33.	कैथून	1,000.00	17,232.00
34.	सीसवाली	नया आगार	44,117.00
35.	ओसियां	आगार नहीं था	7,228.00
36.	शोरूम (मुख्यालय)	15,289.25	32,198.10
37.	शोरूम इन्दिरा बाजार, जयपुर	13,468.85	13,708.40

वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में दिनांक 29-2-84 तक शोरूम व सेल्स डिपो पर हुई बिक्री की सूचना

क्र. सं.	आगार/शोरूम	वर्ष 1982-83 में हुई बिक्री (रुपयों में)	वर्ष 1983-84 (29 फरवरी 84 तक) में हुई बिक्री (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	शोरूम (मुख्यालय)	2,12,786.20	9,58,683.60
2.	शोरूम इन्दिरा बाजार जयपुर	1,86,636.60	2,10,060.87
3.	आमेर	28,802.20	54,775.29
4.	कानोता	78,715.90	58,687.60
5.	अमरसर	53,895.22	56,664.27
6.	जमुवारामगढ़	27,713.71	17,220.40
7.	दौसा	1,40,739.67	2,14,113.27
8.	लालसोट	1,06,735.31	1,20,993.26
9.	चौमू	63,015.90	96,156.70
10.	गोविन्दगढ़	34,289.19	47,286.30
11.	भरतपुर	1,51,464.61	1,51,138.46
12.	वैर	49,983.48	1,17,029.05
13.	बयाना	25,610.20	27,547.04
14.	डीग	24,363.30	3,612.72
15.	रुदावल	1,56,547.68	1,52,035.96
16.	छोकरवाड़ा	41,351.00	27,725.00
17.	सवाइमाधोपुर	33,105,25	1,00,276.35
18.	हिण्डौन	76,396.29	97,580.70

1	2	3	4
19.	टोडाभीम	1,89,005.66	2,73,560.38
20.	महुवा	59,985.54	72,687.72
21.	बौंली	6,503.02	11,184.43
22.	करौली	2,077.65	1,848.60
23.	अलवर	2,268.89	4,424.60
24.	खेड़ली	74,958.77	1,12,387.69
25.	कठूमर	49,292.25	78,277.20
26.	किशनगढ़	46,595.39	30,400.96
27.	टोडारायसिंह	77,699.18	75,886.08
28.	भीलवाड़ा	56,000.00	3,21,576.92
29.	जोधपुर	56,001.40	60,437.61
30.	मथानियां	58,573.18	88,047.82
31.	निमाज	86,849.84	1,33,799.33
32.	सोजतरोड	33,827.11	67,183.04
33.	केकड़ी	3,58,532.63	4,20,176.06
34.	कंथून	नया आगार	65,993.95
35.	सीसवाली	नया आगार	47,822.43
36.	घाटगेट (जयपुर)	——	——
	कुल योग	26,50,322.24	43,77,281.20

ह./—

योजना अधिकारी

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 655 की सूचियां

राजस्थान वित्त निगम

सूची "अ"

वर्ष 1983-84 (फरवरी, 84 तक) जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर द्वारा स्वीकृत ऋणों की सूची

क्र. सं. 1	स्वीकृत इकाई का नाम 2	स्वीकृत ऋण राशि 3
1.	मैसर्स लक्ष्मी विजय सा मिल, मलिकपुर	15,000
2.	,, लक्ष्मी नारायण फ्लोर मिल, भेजपुरा	12,250
3.	,, सामरिया सा एण्ड फ्लोर मिल, कोटवाड़ा	25,000
4.	,, सोनी आटा फ्लोर मिल, कोरालाद खनी	9,000
5.	,, मीणा फ्लोर मिल, चतराला	9,100
6.	,, जय शंकर इंडस्ट्रीज, सांवरिया	25,000
7.	,, अरूण उद्योग, जयपुर	20,200
8.	,, जांगिड़ आरा मशीन एण्ड फ्लोर मिल, चान्धड़ी	11,200
9.	,, मधु उद्योग, जयपुर	25,000
10.	,, शारदा एग्रीकल्चर सर्विस, जयपुर	20,000
11.	,, भवानी उद्योग, कोटला दखनी	25,000
12.	,, साबू फ्लोर मिल, जयपुर	8,000
13.	,, गोटरवाल टैक्सटाइल, बगरू	13,550
14.	,, हनुमान इंडस्ट्रीज, भांकरोटा	23,000
15.	,, नागर फ्लोर मिल, जयपुर	9,000
16.	,, नवाब इन्जीनिरिंग वर्क्स, बांसखो	22,600
17.	,, गोविन्द फ्लोर मिल, जयपुर	8,000
18.	,, कुमाल कैमिकल्स, जयपुर	25,000
19.	,, पंवर फ्लोर एंड कान्टन उद्योग, जयपुर	13,000

1	2	3
20.	मै. हिम्मत फ्लोर मिल, खोराशामदास	22,800
21.	,, काठोड एन्टरप्राइजेज, जयपुर	7,200
22.	,, नरेन्द्र पापड़ उद्योग, जयपुर	21,450
23.	,, दीनबन्धु पट्रो कैमिकल्स, जयपुर	25,000
24.	,, राजू स्टील फैब्रिकेटर्स, नांगल बोहरा	24,000
25.	,, फरजाना प्रिंटिंग वर्क्स, सांगानेर	13,500
26.	,, कमल सोप फैक्ट्री, फागी	11,500
27.	,, विश्वकर्मा फ्लोर मिल, हापावास	8,000
28.	,, ज्योति एन्टरप्राइजेज, जयपुर	12,625
29.	,, जगदम्बा आयल मिल, कोरालादखनी	20,700
30.	,, योगी फ्लोर मिल, रामपुरा ऊटी	8,000
31.	,, प्रहलाद इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	9,500
32.	,, जगदम्बा फ्लोर एण्ड आरा वर्क्स, बसवा	25,000
33.	,, शिव कृषि यन्त्र उद्योग, मांडीडीन्ढा	22,200
34.	,, विश्वकर्मा आरा मशीन एण्ड फ्लोर मिल	18,000
35.	,, मंगल फ्लोर मिल, जयपुर	8,000
36.	,, जगदीश बुक बाइन्डर्स वर्क्स, जयपुर	13,800
37.	,, शीतल आइस फैक्ट्री, बसवा	25,000
38.	,, जांगिड़ इंजीनियरिंग वर्क्स, चारनाड़ी	24,000
39.	,, सूआलाल फ्लोर मिल, नांगल बोहरा	12,250
40.	,, समता प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर	25,000
41.	,, सूर्य इंजीनियरिंग वर्क्स, बगरू	24,950
42.	,, ज्योति सोप इन्डस्ट्रीज, बगरू	11,500
43.	,, मरुधर रेडीमेड गारमेन्ट्स व	11,200
44.	,, विश्वकर्मा इंजीनियर्स, सुन्दरियावास	25,000
45.	,, राव इंजीनियरिंग वर्क्स, बगरू	22,500
46.	,, नागौरवाल फ्लोर मिल, भोजपुरा	9,000

1	2	3
47.	मै. यशमीन कारपेट्स इंडस्ट्रीज, जयपुर	15,000
48.	,, सोभाग इंडस्ट्रीज, वागवास	23,850
49.	,, शर्मा फ्लोर मिल, गोविन्दगढ़	8,000
50.	,, शिवशक्ति सोप फैक्ट्री, मानपुरा	18,000
51.	,, रायल क्राफ्ट, सांगानेर	18,750
52.	,, जे. के. होम प्रोडक्ट्स, सांगानेर	19,900
53.	,, श्रीनाथ प्लास्टिक एण्ड रबर स्टेम्पस, जयपुर	12,000
54.	,, अशोका इंडस्ट्रीज, जयपुर	17,000
55.	,, कल्याण साइकिल एण्ड आटो वर्क्स, जयपुर	22,500
56.	,, महेन्द्र सा एण्ड फ्लोर मिल, छतरपुरा	22,350
57.	,, जोशी बाइंडिंग सेन्टर, जयपुर	16,875
58.	,, अग्रवाल इंजीनियरिंग वर्क्स, कानोता	17,600
59.	,, सोहराब फ्लोर मिल, जयपुर	8,000
60.	,, अंगिरा कृषि यंत्र उद्योग, जयपुर	23,400
61.	,, राधा स्वामी इंडस्ट्रीज, जयपुर	25,000
62.	,, रोशन इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	25,000
63.	,, शान्ति एन्टरप्राइजेज, जयपुर	12,850
64.	,, नटराज मसाला उद्योग, बगरू	24,200
65.	,, भैरूराम ब्ल्यू आर्ट पोटरीज, महला	25,000
66.	,, ममता उद्योग, जयपुर	25,000
67.	,, पारस इंडस्ट्रीज सांकोतरा	14,600
68.	,, प्रोसेस इंजीनियरिंग, जयपुर	25,000
69.	,, नटवर फ्लोर मिल, भैरूंकेसरा	7,500
70.	,, त्रिपति क्राफ्ट्स, बगरू	17,975
71.	,, शक्ति इंडस्ट्रीज, सांगानेर	18,575
72.	,, झाड़वाल फ्लोर मिल	9,000

1	2	3
73.	मै. अग्रवाल आइल एण्ड फ्लोर मिल, भांकरी	18,400
74.	,, पूरण मसाला भण्डार, जयपुर	25,000
75.	,, श्री अग्रवाल केमिकल्स, जयपुर	9,000
76.	,, गंगा मसाला उद्योग, जयपुर	14,000
77.	,, मंलग वलन कारपेट, जयपुर	22,000
78.	,, खांगरिया फ्लोर मिल, बस्सी	8,260
79.	,, शाकम्बर मसाला उद्योग, जयपुर	12,300
80.	,, प्रेस्टिज इंडिया, झोटवाड़ा	25,000
81.	,, राजस्थान स्कूटर पेन्टिंग, जयपुर	19,300
82.	,, शर्मा एसोसिएट्स, रैनवाल	14,000
83.	,, लक्ष्मी फ्लोर एण्ड आयल मिल, लालसोट	11,305
84.	,, खनका बुक बाइन्डर एण्ड स्टेशनर्स जयपुर	7,000
85.	,, लक्ष्मी फ्लोर मिल, जयपुर	9,000
86.	,, मोर्थ चिराई उद्योग, सांगानेर	22,500
87.	,, रैनबो प्रिन्टर्स, जयपुर	8,000
88.	,, हरिओम इंडस्ट्रीज,	23,700
89.	" नारानिया उद्योग, सांगानेर	21,000
90.	" सत्य नारायण आरा मशीन, चौमू	16,800
91.	" राम लकड़ी उद्योग, जयपुर	18,900
92.	" राज इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	21,000
93.	" रुक्मणी प्रिन्टर्स,	24,000
94.	" फुलवारिया फ्लोर मिल, सेवासा	16,800
95.	" विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	19,400
96.	" सैन इंजीनियरिंग वर्क्स, बागावास	21,000
97.	" महेश इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	20,000
98.	" जयश्री इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	19,000

1	2	3
99.	मै. मीना रांगा पिसाई उद्योग, रोपाड़ा	20,600
100.	" कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, सांगानेर	23,600
101.	" जांगिड़ इंडस्ट्रीज, मनगालियावास	25,000
102.	" घनश्याम एण्ड ब्रादर्स	10,000
103.	" श्रीराम आइरन उद्योग, जयपुर	12,700
104.	" भूपेन्द्र इंजीनियरिंग वर्क्स,	18,000
105.	" कैलाश इंजीनियरिंग, बांसखो	19,000
106.	" शर्मा फोटो स्टेट, कोटपूतली	14,000
107.	" नरसिंह उद्योग, झोटवाड़ा	21,000
108.	" राम सा एण्ड फ्लोर मिल	22,200
109.	" नीलम फर्नीचर, फागी	25,000
110.	" कीर्ति होजरीज, जयपुर	24,000
111.	" खालसा इंजीनियरिंग वर्क्स, झोटवाड़ा	8,100
112.	" श्रीराम लघु उद्योग, पुनहाना	8,550
113.	" ओमप्रकाश फ्लोर मिल, खांगरियान	9,000
114.	" ओम चिराई उद्योग,	21,400
115.	" बजरंग बुक बाइन्डर्स	17,000
116.	" परवश्य इंजीनियरिंग वर्क्स, हसनपुरा	18,500
117.	" काजोर खां मिस्त्री, बांसखो	15,000
118.	" साहनी एन्टरप्राइजेज	23,000
119.	" जांगिड़ आरा मशीन	18,000
120.	" जांगिड़ इंडस्ट्रीज, हरोरा	20,600
121.	" जैन लघु उद्योग, निरझाना	14,800
122.	" सीताराम चर्म उद्योग	20,000
123.	" सुन्दर हैन्डीक्राफ्टस, जयपुर	15,000
124.	" कान्ता इंजीनियरिंग वर्क्स,	25,000

1	2	3
125.	मै. राज एन्टरप्राइजेज, जयपुर	19,200
126.	" शिप्रा ट्रेडर्स, जयपुर	18,500
127.	" शर्मा फ्लोर मिल, मोजमाबाद	8,000
128.	" हनी उद्योग, जयपुर	12,500
129.	" शर्मा फ्लोर मिल, चौमू	8,000
130.	" गिर्राज फ्लोर मिल, निन्दर	8,000
131.	" अमर उद्योग, बागावास	25,000
132.	" प्रकाश स्टील फैब्रिकेटर्स, जयपुर	9,000
133.	" राधेश्याम बाडी बिल्डर्स, जयपुर	13,500
134.	" अनिता प्रिन्टर्स, जयपुर	18,750
135.	" एल. के. इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	24,000
136.	" बाकीवाला स्टोनिंग वर्क्स, जयपुर	24,000
137.	" यूनिक्यू इंजीनियरिंग वर्क्स, नवलपुरा	22,500
138.	" बाबू आयरन वर्क्स, बांसखो	13,000
139.	" विश्वकर्मा इंजीनियर्स, गोविन्दगढ़	24,750
140.	" सैनी फ्लोर मिल,	8,000
141.	" कालू रघुनाथ रैगर, बांसखो	20,000
142.	" नाथूराम रैगर, गर्जसिंहपुरा	20,000
143.	" रामचन्द्र चर्म उद्योग, बोलोंची	20,000
144.	" रामस्वरूप चर्म उद्योग, बिन्दायका	20,000
145.	" किशनलाल चर्म उद्योग, गर्जसिंहपुरा	20,000
146.	" श्रवण रामसुख रैगर, बांसखो	20,000
147.	" रामचन्द्र महादेव रैगर, बांसखो	20,000
148.	" पूरणमल चर्म उद्योग, बोलोंची	20,000
149.	" रामचन्द्र चर्म उद्योग, गर्जसिंहपुरा	20,000
150.	" प्रभात जोधा रैगर, बांसखो	20,000

1	2	3
151.	मै. सुखदेव चर्म उद्योग, विन्दायका	20,000
152.	" नारायन फ्लोर मिल, बनाड़	8,400
153.	" संदीप मूर्ति कला केन्द्र, जयपुर	12,400
154.	" शेरा फ्लोर मिल, कोटपूतली	16,100
155.	" गोपाल फ्लोर एण्ड आरा उद्योग, देवता	9,000
156.	" दुर्गा आयरन वर्क्स, जयपुर	14,400
157.	" बजरंग फ्लोर मिल, खारना	9,000
158.	" चौधरी फ्लोर मिल, सिवाड़	8,000
159.	" दास टेग मैन्यूफैक्चरिंग कं.	25,000
160.	" श्री जगदम्बा प्रिन्टर्स, झोटवाड़ा	18,750
161.	" सैनी इंजिनियरिंग वर्क्स, पावटा	19,200
162.	" राजस्थान डीजल सर्विस, कोटपूतली	24,900
163.	" ग्रामीण मसाला उद्योग, जयचन्द्रपुरा	9,500
164.	" विश्वकर्मा मसाला उद्योग, जयपुर	8,500
165.	" श्री दादूजी वल्ब कैप्स इंडस्ट्रीज, जयपुर	25,000
166.	" श्रीराम इंडस्ट्रीज, बगरू	24,300
167.	" कुन्दारा फ्लोर मिल, कुटी	8,000
168.	" नारी आइल मिल, तूंगा	12,900
169.	" जय भवानी एन्टरप्राइजेज, जयपुर	25,000
170.	" ज्योति प्रिन्टर्स, जयपुर	16,200
171.	" रितू मैन्यूफैक्चरिंग कं., जयपुर	14,250
172.	" इरफान इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	11,000
173.	" राजेश इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	25,000
174.	" लक्की वूल एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर	24,000
175.	" एस. के. प्रिन्टर्स, जयपुर	25,000
176.	" अवराने हिन्दुस्तान, जयपुर	25,000

1	2	3
177.	मै, श्याम प्रिन्टर्स, कोटपूतली	23,200
178.	,, पटेल चिराई उद्योग, हीरापुरा	25,000
179.	,, चिरंजीलाल पुत्र श्री कांतीलाल, मोहनपुरा	19,000
180.	,, मीणा आरा उद्योग, गोविन्दपुरा	25,000
181.	,, जय नारायण रांगा उद्योग, हीरापुरा	20,500
182.	,, शिव इलेक्ट्रोनिक्स, जयपुर	20,000
183.	,, भारत लघु उद्योग, फुलेरा	9,300
184.	,, आसाम उद्योग, जयपुर	18,000
185.	,, श्रीराम इंजीनियरिंग वर्क्स, चम्पापुरा	25,000
186.	,, पालीवाल आयरन वर्क्स, जयपुर	14,000
187.	,, हीरा आयल मिल्स, पावटा	14,000
188.	,, भागचन्द फ्लोर मिल, गीजगढ़	20,000
189.	,, सविता इंडस्ट्रीज, जयपुर	22,000
190.	,, सोनी लघु उद्योग, मंडावरी	18,000
191.	,, गणेश इंडस्ट्रीज, बोराज	14,700
192.	,, देवा जेला रैगर, बसवा	20,000
193.	,, हिन्दुस्तान मजदूर बेकरी	19,600
194.	,, हरिओम टायर ट्यूब रिपेयर, पावटा	7,000
195.	,, विश्वकर्मा प्लास्टिक, हरमाड़ा	25,000
196.	,, अशोक इंडस्ट्रीज, केसरगंज	20,000
197.	,, राज प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, ब्रह्मपुरी	17,250
198.	,, चौधरी सीमेन्ट वर्क्स, खोरालादखनी	25,000
199.	,, मधु आयल एण्ड फ्लोर मिल, भाखरी	9,800
200.	,, पुरोहित आयल मिल, सांगटेडा	21,000
201.	,, मदनलाल नमदा उद्योग, जोबनेर	14,575
202.	,, नाथूराम चर्म उद्योग, जोबनेर	20,000

1	2	3
203.	मै. मोतीराम चर्म उद्योग, जोबनेर	20,000
204.	,, न्यू राजस्थान इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	23,000
205.	,, गोपी इंडस्ट्रीज, बोराज	22,000
206.	,, शर्मा फ्लोर मिल, झोटवाड़ा	10,000
207.	,, दीप कलर लैब, जयपुर	25,000
208.	,, सोयल फ्लोर मिल, जयपुर	25,000
209.	,, कुमावत फ्लोर मिल, डीण्ढा	12,500
210.	,, भंवर प्रिन्टर्स, जयपुर	23,000
211.	,, दिव्य प्रिन्टर्स, जयपुर	23,4[illegible]0
212.	,, विश्वकर्मा फर्नीचर, सामरेड कलां	18,000
213.	,, लीला इंजिनियरिंग वर्क्स, रामचन्द्रपुरा	24,000
214.	,, विष्णु इंजिनियरिंग वर्क्स, फागी	20,200
215.	,, जी. एन. इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	14,500
216.	,, अशोक फ्लोर मिल, जयपुर	11,800
217.	,, चौधरी फ्लोर मिल, देवला	8,000
218.	,, रावत आरा एण्ड फ्लोर मिल, कोटपूतली	25,000
219.	,, भरगढ़ फ्लोर मिल, ढाणी नोनावाली	8,000
220.	,, श्री बाबा उद्योग, जयपुर	25,000
221.	,, राजोरिया इंजिनियरिंग वर्क्स, चितरोली	24,200
222.	,, विजयवर्गीय उद्योग, जयपुर	25,000
223.	,, सुन्दर हैन्डीक्राफ्ट्स, जयपुर	10,000
224.	,, निधि उद्योग, जयपुर	16,500
225.	,, मनोहर मसाला उद्योग, मनोहरपुरा	8,000
226.	,, स्टार प्रिन्टर्स, जयपुर	25,500
227.	,, कमल कुमार सेठी, जयपुर	18,600
228.	,, किरोड़ीवाल प्रिन्टर्स, हसनपुरा	22,500

1	2	3
229.	मै. सांखला फ्लोर मिल, जयपुर	9,000
230.	,, एग्रो सर्विस सेन्टर, परागपुरा	22,000
231.	,, कुमार प्रिन्टर्स, जयपुर	25,000
232.	,, भंवर फ्लोर एण्ड सा मिल्स, जयपुर	25,000
233.	,, डी.एम. प्रिन्टर्स, जयपुर	25,000
234.	,, लक्ष्मी फ्लोर मिल्स, जयपुर	13,600
235.	,, हिन्दुस्तान टायर रिट्रेडिंग वर्क्स, जयपुर	22,500
236.	,, गजानन्द फ्लोर मिल्स, करीरी	12,250
237.	,, श्याम फ्लोर मिल्स, जयपुर	8,000
238.	,, श्रीराम उद्योग, नांगलहेडा	19,400
239.	,, न्यू विष्णु प्रिन्टर्स, जयपुर	25,000
240.	,, अग्रवाल ब्रास मेड	18,600
241.	,, चित्तौड़ा इन्डस्ट्रीज, जयपुर	22,200
242.	,, मीणा फ्लोर मिल्स, श्रीराम की नांगल	9,000
243.	,, अग्रवाल फैब्रिकेटर्स एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	14,500
244.	,, नागर इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	25,000
245.	,, बोबी इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	19,200
246.	,, ग्रामीण तकनीक शिक्षा केन्द्र, मेहदीपुरा	15,900
247.	,, पवन इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	12,300
248.	,, आसलीवाल इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	20,300
249.	,, रतन चिराई उद्योग, रामजीपुरा	25,000
250.	,, राजसा मिल्स, रघुनाथपुरा	23,900
251.	,, जांगिड़ चिराई उद्योग, कल्याणपुरा	25,000
252.	,, सूजा देवी फ्लोर मिल, डूंगर झालाना	11,000
253.	,, गौड़ आयल एण्ड फ्लोर मिल, पावटा	8,000

1	2	3
254.	मै. सुरेला फ्लोर मिल्स, नांगल पुरोहित	24,000
255.	,, अंगिरा कृषि उद्योग, लोवणिया	12,200
266.	,, हनुमान लघु उद्योग, विचपड़ी	15,700
257.	,, विमल एन्टरप्राइजेज, जयपुर	25,000
258.	,, विजय इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	11,600
259.	,, कुमावत मुकेश स्टील फर्नीचर इण्डस्ट्रीज	19,500
260	,, श्री गोविन्द चर्म रंगाई उद्योग, सरजोली	20,000
261.	,, नारायण पुत्र काना रेगर चर्म उद्योग, उदयपुरिया	20,000
262.	,, ईसर पुत्र काना रेगर चर्म उद्योग, उदयपुरिया	20,000
263.	,, गोरधन चर्म उद्योग, उदयपुरिया	20,000
264.	,, बंसीधर चर्म उद्योग, सरजोली	20,000
265.	,, छीतरमल चर्म उद्योग, सरजोली	20,000
266.	,, भौंरीलाल चर्म उद्योग, सरजोली	20,000
267.	,, कालूराम चर्म उद्योग, सरजोली	20,000
268.	,, महादेव चर्म रंगाई उद्योग, सरजोली	20,000
269.	,, नारायन चर्म रंगाई उद्योग, सरजोली	20,000
270.	" नाथू चर्म रंगाई उद्योग, सरजोली	20,000
271.	" पूरण चर्म रंगाई उद्योग, सरजोली	20,000
272.	" हनुमान पुत्र नाथू चर्म उद्योग, उदयपुरिया	20,000
273.	" रामेश्वर पुत्र गोविन्द रेगर चर्म उद्योग. उदयपुरिया	20,000
274.	,, गिरधारी पुत्र मोती रेगर चर्म उद्योग, उदयपुरिया	20,000
275.	,, छीतर पुत्र घासी रेगर चर्म रंगाई उद्योग	20,000
276.	,, महादेव पत्र गंगाराम रेगर, चैनपरा	20,000
277.	,, नरसी पुत्र भागीरथ चर्म रंगाई उद्योग. चैनपरा	20,000
278.	,, छगनलाल पुत्र भौंरीलाल चर्म उद्योग, चैनपरा	20,000

1	2	3
279.	मै. गोपी पुत्र घन्ना रंगर चर्म रंगाई उद्योग. चैनपुरा	20,000
280.	,, चन्दराम चर्म रंगाई उद्योग, बगराना	20,000
281.	,, बालूराम चर्म रंगाई उद्योग, बगराना	20,000
282.	,, भोमाराम चर्म रंगाई उद्योग, बगराना	20,000
283.	,, गोपाल चर्म रंगाई उद्योग, बगराना	20,000
284.	,, प्रभू चर्म रंगाई उद्योग, बगराना	20,000
285.	,, काना चर्म रंगाई उद्योग, बगराना	20,000
286.	,, रामनारायन चर्म उद्योग, जोबनेर	20,000
287.	,, मीणा इन्जीनियरिंग वर्क्स, चारानहीं	15,950
288.	,, हनुमान चिराई उद्योग, महला	25,000
289.	,, जगदीश फ्लोर मिल्स, झोटवाड़ा	8,000
290.	,, केशव रोलिंग एण्ड बाइण्डिंग वर्क्स,	19,200
291.	,, महेश प्रिन्टर्स, जयपुर	21,300
292.	,, सोनी इन्जीनियरिंग एण्ड फैब्रिकेटर्स, जयपुर	16,900
293.	,, हनुमान सहाय मदन लाल फ्लोर मिल्स	8,000
294.	,, के. एम. लाइम इन्डस्ट्रीज, कीलगढ़	16,800
295.	,, गणेश फ्लोर मसाला उद्योग, जयपुर	9,000
296.	,, महेश इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	11,200
297.	,, सरिता प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स	21,200
298.	,, बजरंग इन्जीनियरिंग वर्क्स, नांगल बोहरा	17,400
299.	,, कृष्ण इन्जीनियरिंग वर्क्स, कोटपूतली	21,000
300.	,, असलम ट्रेडिंग कारपोरेशन, जयपुर	24,300
301.	,, जनता इन्जीनियरिंग वर्कशाप, हस्तेड़ा	15,200
302.	,, किसान केमिकल इण्डस्ट्रीज, रोजड़ी	11,300
303.	,, विश्वकर्मा लघु उद्योग, सावरदा	19,500
304.	,, आलोरिया आरा मशीन उद्योग, लूनियावास	20,200

1	2	3
305.	मै. महावर फ्लोर मिल्स- नांगल	12,100
306.	,, अमर प्रिन्टर्स, जयपुर	16,500
307.	,, जांगिड़ मशीनरी वर्क्स, बगरू	18,900
308.	,, लक्ष्मी चूना उद्योग, भांडारेज	16,800
309.	,, शकर आयल मिल्स, चावण्डोया	17,400
310.	,, श्रीराम आरा उद्योग, वस्सी	18,300
311.	,, मोहन आयल एण्ड फ्लोर मिल	16,650
312.	,, रूचिका सर्विस सेन्टर, बगरू	25,000
313.	,, विश्वकर्मा कृषि यन्त्र उद्योग, रायथल	16,500
314.	,, विश्वकर्मा इन्जीनियरिंग वर्क्स, बीनोता	19,850
315.	,, दिनेश कारपेट्स, सांगानेर	12,000
316.	,, शर्मा उद्योग,उदयपुरिया	8,000
317.	,, वायट लकड़ी चिराई उद्योग, चौप	23,500
318.	,, बी. आर. एण्ड कं. जयपुर	23,000
319.	,, वर्मा कारपेट्स, जयपुर	13,200
320	,, गोल्ड एज स्टील मैन्यू. जयपुर	18,000
321.	,, लक्ष्मी सोप फैक्ट्री, गोविन्दगढ़	20,000
322.	,, शान्ति फ्लोर एण्ड सा व आयल मिल	25,000
323.	,, श्री हनुमान आरा एण्ड फ्लोर मिल, चितगरी	22,000
324.	,, शर्मा आयल इण्डस्ट्रीज, भवानी	18,600
325.	,, मदीना आयरन वर्क्स, फागी	23,200
326.	,, जयपुर आयल एण्ड फ्लोर मिल, जयपुर	17,000
327.	,, सुभाष इन्जीनियरिंग वर्क्स, सामोद	21,000
328.	,, शोभा निटिंग सेन्टर, जयपुर	25,000
329.	,, चन्द्र कला इण्डस्ट्रीज, जयपुर	15,000
330.	,, शान्ति इण्डस्ट्रीज वर्क्स, जयपुर	14,750

1	2	3
331.	मै. बजरंग इलेक्ट्रिकल्स इन्ड. बस्सी	15,700
332.	,, जय बजरंग फ्लोर एण्ड मशीनरी वर्क्स, दान्ती	14,400
333.	,, वर्धमान स्टील फर्नीचर वर्क्स, जयपुर	20,700
334.	,, आर्य फ्लोर मिल, चारण्डीया	12,700
335.	,, विजय फ्लोर मिल, दहमीकला	9,000
336.	,, ज्ञान मसाला उद्योग, जयपुर	17,500
337.	,, वोहरा फ्लोर मिल, निन्दड़	8,000
338.	,, ज्योति आइल मिल, जयपुर	24,000
339.	,, मांगूराम नमदा उद्योग, जोबनेर	18,000
340.	,, उपकार इन्जीनियर वर्क्स, शाहपुरा	17,200
341.	,, शुभा कम्पोजिंग सेन्टर, श्यामपुरी	17,400
342.	,, शर्मा फ्लोर मिल, रामपुरा	8,000
	योग :—	61,06,140

सूची "ब"

राजस्थान वित्त निगम

जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर शाखा द्वारा वर्ष 1983-84 (फरवरी, 84 तक) लेथ मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन आरा मशीन, हैंड प्रेस, वर्कशाप तथा चक्की उद्योग को स्वीकृत एवं वितरित ऋण राशि

क्र. सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	वितरित ऋण राशि
1	2	3	4
	आरा मशीन इकाइयां :		
1.	मैसर्स बजरंग सॉ मिल्स, प्रागपुरा	23,000	1,600
2.	,, सुभाष आरा मशीन, जयपुर	25,000	21,300

1	2	3	4
3.	मैसर्स सारिया आरा उद्योग	16,500	11,200
4.	,, विश्वकर्मा लकड़ी उद्योग, हिंगोटा	22,000	4,000
5.	,, जयदयाल पांचूराम बलाई, किशनपुरा	22,400	20,000
6.	,, शेख फ्लोर एण्ड आरा मशीन	23,000	2,500
7.	,, राज उद्योग, बस्सी	22,000	3,100
8.	,, सुशील इंडस्ट्रीज, चौमूं	18,000	10,900
9.	,, मेहरड़ा सॉ एण्ड फ्लोर मिल्स, चतरपुरा	22,350	22,350
10.	,, लक्ष्मी विजय सॉ मिल, मलिकपुर	15,000	14,000
11.	,, जांगिड़ आरा मशीन एण्ड फ्लोर मिल	11,200	10,200
12.	,, सामरिया सॉ एण्ड फ्लोर मिल, झोटवाड़ा	25,000	23,600
13.	,, पटेल चिराई उद्योग, लूनियावास	25,000	25,000
14.	,, जयनारायण रंगा पिसाई उद्योग, लूनियावास	20,600	18,600
15.	,, जगदम्बा फ्लोर एण्ड आरा वर्क्स	25,000	15,600
16.	,, मीना आरा उद्योग, लूनियावास	25,000	19,400
17.	,, मीना रंगाई पिसाई उद्योग, लूनियावास	20,600	15,300
18.	,, शर्मा आरा उद्योग, देवाता	21,900	20,300
19.	,, नीलम फर्नीचर्स, फागी	25,000	24,000
20.	,, सत्य नारायण आरा मशीन, चौमूं	16,800	12,500
21.	,, ओम चिराई उद्योग, जाहोता	21,400	14,150
22.	,, जांगिड़ इंडस्ट्रीज, मांगलवाड़ा	25,000	21,800
23.	,, मोर्य चिराई उद्योग, लूनियावास	22,500	18,300
24.	,, सुरेला फ्लोर एण्ड सॉ मिल, नांगलपुरोहित	24,000	19,000
25.	,, जांगिड़ चिराई उद्योग, कल्याणपुरा	25,000	24,300
26.	,, सुआलाल आरा उद्योग, सांगानेर	25,000	4,200
	योग	5,68,250	3,97,200

1	2	3	4
	वर्कशाप इकाइयां :		
1.	मैसर्स अभिषेक एन्टरप्राइजेज, जयपुर	13,000	6,100
2.	" डायमंड इंजि० वर्क्स, जयपुर	18,000	4,800
3.	" ए० वन० इंजि० वर्क्स, जयपुर	25,000	22,550
4.	" आदर्श एग्रोकल्चर इम्प्लीमेन्टस, जयपुर	25,000	23,500
5.	" अनिल मैटल्स, जयपुर	25,000	3,200
6.	" वेस्टर्न इंडियन आटो केयर कं. जयपुर	18,000	8,400
7.	" प्रहलाद इंजि वर्क्स,	9,500	9,000
8.	" शारदा एग्रीकल्चर सर्विस, जयपुर	20,000	18,200
9.	" कल्याण साइकिल आटो केयर्स	22,500	22,100
10.	" हनुमान इंडस्ट्रीज, भांकरोटा	23,000	22,000
11.	" चौधरी आइरन वर्क्स	25,000	21,700
12.	" भगवती उद्योग	25,000	21,600
13.	" नवाब इंजि. वर्क्स, बांसखो	22,600	21,300
14.	" रितू मैन्यू० वर्क्स, जयपुर	14,250	8,400
15.	" राजू स्टील फैब्रीकेटर्स, जयपुर	24,000	14,900
16.	" शिव कृषि यन्त्र उद्योग, माडा भिन्डा	22,200	18,800
17.	" गिन्नी इंजि. वर्क्स	25,000	7,200
18.	" शान्ति एन्टरप्राइजेज, जयपुर	12,850	8,000
19.	" एक्सपोर्ट फैब्रीकेटर्स	23,000	13,800
20.	" अशोका इंडस्ट्रीज, जयपुर	12,000	10,400
21.	" प्रकाश स्टील फैब्रीकेटर्स	9,000	8,400
22.	" ऋषभ इंजि. वर्क्स	25,000	22,700
23.	" अंगिरा कृषि यंत्र उद्योग	23,400	18,400
24.	" राजस्थान स्कूटर पेन्टिंग सेन्टर, जयपुर	19,300	18,600
25.	" सैन इंजि. वर्क्स, बाधावास	20,900	17,100

1	2	3	4
26.	मैसर्स दुर्गा आयरन वर्क्स	14,400	1,500
27.	" एग्रो सर्विस सेन्टर, प्रागपुरा	22,000	18,000
28.	" श्रीराम आयरन उद्योग	10,200	4,600
	योग :	5,49,050	3,95,250

लेथ मशीन इकाइयां :

1.	मैसर्स राम इंजि. वर्क्स	19,500	19,500
2.	" राजस्थान इंजि. वर्क्स	24,000	3,500
3.	" शर्मा उद्योग	25,000	25,000
4.	" ग्यारसी लाल इंजिनियरिंग वर्क्स, भैसावा	25,000	3,000
5.	" गिरधारी इंजिनियरिंग वर्क्स	20,000	20,000
6.	" बालाजी इंजिनियरिंग वर्क्स	22,500	22,500
7.	" रत्ना मशीन टूल्स	25,000	2,500
8.	" भगवती इंजिनियरिंग वर्क्स	24,000	21,600
9.	" जांगिड़ इंजिनियरिंग वर्क्स	24,000	22,000
10.	" राव इंजिनियरिंग वर्क्स	22,500	20,600
11.	" विश्वकर्मा इंजिनियरिंग वर्क्स	25,000	25,000
12.	" सूर्या इंजिनियरिंग वर्क्स	24,000	24,000
13.	" जितेन्द्र एन्टरप्राइजेज	25,000	14,600
14.	" सौभाग इंडस्ट्रीज	23,850	21,700
15.	" यूनिक इंजिनियरिंग वर्क्स, नवलपुरा	20,000	19,200
16	" एल. के. इंजिनियरिंग वर्क्स	24,000	22,000
17	" प्रोसेस इंजिनियरिंग वर्क्स	25,000	22,000
18	" शक्ति इंडस्ट्रीज, सांगानेर	18,575	16,300

1	2	3	4
19.	मैसर्स इरफान इंजिनियरिंग वर्क्स	•11,000	9,700
20.	" विश्वकर्मा इंजिनियर्स, गोविन्दगढ़	24,750	21,200
21.	" राजेश इंजिनियरिंग वर्क्स	25,000	22,500
22.	" राजस्थान एन्टरप्राईजेज	19,200	14,100
23.	" जय भवानी एन्टरप्राईजेज	25,000	22,500
24.	" इन्द्रा इंजिनियरिंग वर्क्स, बालावाला	25,000	2,500
25.	" दुर्गा आयरन वर्क्स	14,400	11,400
26.	" श्रीराम इंडस्ट्रीज	24,300	20,800
27.	" अमर उद्योग	25,000	18,600
28.	" कान्ता इंजिनियरिंग इंडस्ट्रीज	25,000	23,800
29.	" सैनी इंजिनियरिंग वर्क्स, अचरोल	19,200	12,700
30.	" कृष्णा इंजिनियरिंग वर्क्स, सांगानेर	23,600	21,600
31.	" नरसिंग उद्योग, जयपुर	21,000	15,300
32.	" विश्वरूप इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	19,400	17,800
33.	" महेश इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	20,000	16,300
34.	" विष्णु इंजिनियरिंग वर्क्स	20,200	14,400
35.	" न्यू राजस्थान इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	23,000	22,000
36.	" हरिओम इंडस्ट्रीज, कालवाड़ रोड	23,400	20,000
37.	" जी. एन. इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	14,500	9,300
38.	" अशोका इंडस्ट्रीज, कानोता	20,000	9,100
39.	" राजोरिया इंजिनियरिंग वर्क्स, छितरोली	24,000	22,000
40.	" बाबी इंजिनियरिंग वर्क्स, वी. के. आई. एरिया	19,200	16,500
41.	" प्रेस्टीज इन्डस्ट्रीज, जयपुर	25,000	23,500
42.	" असीवाल इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	20,300	12,800
43.	" लीला इंजिनियरिंग वर्क्स, रामचंद्रपुरा	24,000	11,900

1	2	3	4
44.	मैसर्स नागर इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	25,000	24,000
45.	" राज इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	21,000	17,900
	योग :	9;98,375	7,79,200

इलेक्ट्रिकल मशीन आदि से सम्बन्धित इकाइयां :

1.	मैसर्स शिव वायर सर्विसेज, जयपुर	21,000	400
2.	" बाकीवाल स्टोविंग वर्क्स	25,000	[illegible]3,800
	योग :	46,000	24,200

चक्की इकाइयां :

1.	मैसर्स शर्मा फ्लोर मिल	8,000	6,100
2.	" विश्वकर्मा मसाला उद्योग	8,500	8,500
3.	" अग्रवाल फ्लोर मिल, जयपुर	8,500	8,000
4.	" मुकेश फ्लोर मिल, छापरो	10,125	5,600
5.	" पवार फ्लोर एण्ड कॉटन उद्योग	13,000	13,000
6.	" कुन्डारा फ्लोर मिल, बांदीकुई	8,000	7,500
7.	" शर्मा आइल एण्ड फ्लोर मिल, देवाता	15,800	4,800
8.	" शाकम्बर मसाला उद्योग, जयपुर	12,300	11,300
9.	" गंगा मसाला उद्योग, जयपुर	14,000	14,000
10.	" बजरंग फ्लोर मिल, खराना	9,000	6,900
11.	" चौधरी फ्लोर मिल, सिवाड़	8,000	6,500
12.	" मीणा फ्लोर मिल, चतराला	9,100	3,200
13.	" सोयल फ्लोर मिल, जयपुर	25,000	13,600

1	2	3	4
14.	मैसर्स खंगारिया फ्लोर मिल, बस्सी	8,260	7,000
15.	" मातवान फ्लोर मिल, आमेर	7,500	6,300
16.	" अग्रवाल आयल एण्ड फ्लोर मिल, झांखरी	18,400	5,200
17.	" हरियाणा फ्लोर एण्ड सॉ वर्क्स, नायला	8,700	1,700
18.	" भरगढ़ फ्लोर मिल, नानावाली	8,000	4,800
19.	" गजानन्द फ्लोर मिल, करीरी	12,250	2,000
20.	" पूरन मसाला भण्डार, जयपुर	25,000	20,300
21.	" नारायण फ्लोर मिल, बनार	8,400	6,300
22.	" गोपाल फ्लोर एण्ड आरा उद्योग	9,000	5,000
23.	" सूजा देवी फ्लोर मिल, डूंगर	11,000	9,200
24.	" चौधरी फ्लोर मिल, देकाता	8,000	6,900
25.	" कुमावत फ्लोर मिल, दूदू	12,500	9,100
26.	" फुलवारिया फ्लोर मिल	16,800	4,400
27.	" श्याम उद्योग, बगरू	9,000	7,800
28.	" लक्ष्मी उद्योग	9,000	8,500
29.	" शर्मा फ्लोर एण्ड तेल घाणी उद्योग	10,500	1,400
30.	" महेश फ्लोर मिल	8,500	7,500
31.	" मीना फ्लोर मिल	8,600	8,200
32.	" गुप्ता फ्लोर मिल	8,000	8,000
33.	" सुरेन्द्र फ्लोर मिल, तीतरिया	10,000	1,000
34.	" हरचन्दा ग्यारसी लाल, बड़वा	8,000	8,000
35.	" प्रकाश फ्लोर मिल, मनीपुरा	9,000	4,200
36.	" शर्मा फ्लोर मिल	12,000	3,000
37.	" यादव फ्लोर एण्ड इंजि० वर्क्स, प्रागपुरा	13,500	12,000
38.	" जय बजरंग आटा चक्की उद्योग, बैराठ	6,400	6,400

1	2	3	4
39.	मैसर्स मीना फ्लोर मिल, जटवाड़ा	25,000	24,000
40.	" निहाल फ्लोर मिल	8,000	8,000
41.	" यादव ग्रायल एण्ड फ्लोर मिल	18,000	10,100
42.	" सुनीता फ्लोर एण्ड मसाला उद्योग	11,000	1,000
43.	" सात्रू फ्लोर मिल, जयपुर	8,000	8,000
44.	" सुग्रा लाल फ्लोर मिल, नांगल बैहरदा	12,250	11,400
45.	" बंसल ग्रायल एण्ड फ्लोर मिल	21,400	700
46.	" पारीक फ्लोर मिल	16,000	10,000
47.	" सुनील फ्लोर मिल	9,000	2,800
48.	" लक्ष्मी नारायण फ्लोर मिल, भोजपुरा	12,250	3,000
49.	" हिम्मत फ्लोर मिल, खोरा श्यामदास	22,800	22,800
50.	" योगी फ्लोर मिल	8,000	8,000
51.	" नागर फ्लोर मिल	9,000	9,000
52.	" महेश फ्लोर मिल	11,200	11,200
53.	" राजेन्द्र फ्लोर मिल, पानेड़ा	7,500	1,000
54.	" शेखावत फ्लोर मिल	9,000	6,750
55.	" जे० के० होम प्रोडक्ट्स	19,000	17,600
56.	" सोनी ग्राटा फ्लोर मिल	9,000	7,500
57.	" कृष्णा फ्लोर मिल	10,000	1,000
58.	" नटराज मसाला उद्योग	18,000	13,200
	योग :	6,80,935	4,52,250

सूची "स"

राजस्थान वित्त निगम

पाली शाखा द्वारा वर्ष 1983–84 (फरवरी, 84 तक) में स्वीकृत एवं वितरित ऋणों की सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम व जगह	ऋण स्वीकृत राशि	कुल (ऋण) वितरित राशि
1	2	3	4
1.	मैसर्स यादव एन्टरप्राइजेज, पाली	25,000	20,000
2.	" विजय आयरन इंडस्ट्रीज, पाली	23,000	15,000
3.	" युसुफ जी गबरू अली, पाली	16,500	15,700
4.	" आशापुरी इंडस्ट्रीज, सुमेरपुर	22,500	22,000
5.	" बाबा रामदेव फ्लोर मिल, केसूल	8,000	7,000
6.	" मंगाराम खंगार जी	10,000	9,700
7.	" आर्य फ्लोर मिल्स, पाली	12,000	9,600
8.	" मो. रमजान फ्लोर मिल, पाली	9,000	8,000
9.	" बुधराम चिमना जी मारवाड़ जंक्शन	24,000	11,000
10.	" शमा स्क्रीन आर्ट, पाली	20,000	16,500
11.	" जय महा दुर्गा फ्लोर मिल, पाली	15,000	15,000
12.	" मोहन फ्लोर मिल, पाली	9,000	6,000
13.	" श्री अम्बे इंजिनियरिंग वर्क्स, सोजतगढ़	18,750	12,000
14.	" शेशाराम गिरधारी लाल	18,000	7,200
15.	" सोहन लाल चुन्नी लाल, सोजत सिटी	13,000	10,000
16.	" कोहिनूर इंडस्ट्रीज, पाली	23,000	21,400
17.	" मनीचन्द इंडस्ट्रीज, सोजत सिटी	15,000	12,500
18.	" भारत इंडस्ट्रीज, पाली	22,000	20,000
19.	" चारभुजा फ्लोर मिल्स, सादड़ी	7,000	—

1	2	3	4
20.	मैसर्स नेकलेग फ्लोर मिल्स, बाली	10,000	—
21.	" मो० हरून पुत्र मुल्तान सिलावट, फालना	8,200	—
22.	" प्राची देवी फ्लोर मिल्स, निमाज	12,000	—
23.	" महबूब इंडस्ट्रीज, पाली	16,500	—
24.	" मोर्निंग आर्ट हाउस	20,000	—
25.	" श्रीराम इंडस्ट्रीज; पाली	25,000	—
26.	" जनता इंडस्ट्रीज, पाली	25,000	—
27.	" जगदीश उद्योग, जैतारण	12,000	—
28.	" जगदम्बा इंजिनियरिंग वर्क्स	25,000	—
29.	" एम० एफ० आर्ट एन्ग्रोव्स	25,000	—
30.	" रामदेव फ्लोर मिल्स, देसूरी	11,000	—
31.	" गौरव फ्लोर मिल्स, फालना	11,000	—
32.	" कमलेश वैल्डिंग वर्क्स, पाली	10,000	—
33.	" जनता स्क्रीन आर्ट, पाली	20,000	—
34.	" पंवार फ्लोर मिल्स, पाली	9,000	—
35.	" श्री नाकोड़ा स्क्रीन आर्ट, पाली	25,000	—
36.	" गणेश फ्लोर एण्ड वुड वर्क्स	21,000	—
37.	" हनुमान फ्लोर मिल्स, पाली	9,000	—
38.	" फूली देवी फ्लोर मिल्स, राहेट	9,000	—
39.	" भाटी फ्लोर मिल्स, रूपावास	9,000	—
40.	" बाबा रामदेव फ्लोर मिल्स, सादड़ी	11,000	—
41.	" मीना स्क्रीन आर्ट, पाली	23,000	—
42.	" योगेश फ्लोर मिल्स, पाली	11,000	—
43.	" रामदेव फ्लोर मिल्स, रूपावास	11,000	—
44.	" जय नाकोड़ा स्क्रीन आर्ट, पाली	25,000	—

1	2	3	4
45.	मैसर्स जल तरंग स्क्रीन आर्ट, पाली	—	12,000
46.	" हिम्मताराम डूडा जी, भीटवाड़ा	—	9,000
47.	" चारभुजा इंडस्ट्रीज, सुमेरपुर	—	11,000
48.	" पूनम प्रिन्टर्स, बाली	—	22,000
49.	" हनुमान इंजिनियरिंग वर्क्स, काल्,	—	17,000
50.	" दोलाराम पुत्र गोगाजी, सादड़ी	—	21,000
51.	" श्याम फर्नीचर, सोजत सिटी	—	15,500
52.	" परमशक्ति आयरन वर्क्स, सांडेराव	—	14,500
53.	" जय बजरंग फ्लोर मिल्स, पाली	—	6,000
54.	" निर्मला फ्रेमिंग स्क्रीन वर्क्स	—	9,500
55.	" आनन्द उद्योग, सोजत सिटी	—	16,000
56.	" रामजीराम गेवरराम, पाली	—	7,500
57.	" शिव फ्लोर मिल्स, बेड़कलां	—	6,000
58.	" बजरंग होजरी उद्योग, पाली	—	18,000
59.	" जांगिड़ काष्ठ कला केन्द्र, फालका (जैतारण)	—	18,500
60.	" अशोका इंडस्ट्रीज, धुन्धाला	—	13,000
61.	" मंगाराम रूपा जी, बुधवाड़ा	—	11,500
62.	" बोराना फ्लोर मिल्स	—	4,500
63.	" राजहंस आयल मिल, पाली	—	16,400
64.	" नागोरा स्टील फर्नीचर, पाली	—	23,000
65.	" चारभुजा एम्ब्रायडरी, दादाई	—	4,000
66.	" मोहनलाल कन्हैयालाल आइस फैक्ट्री, पाली	—	16,000
67.	" सालगराम हीराजी धाकड़ी	—	9,000
68.	" जलतरंग स्क्रीन आर्ट, पाली	—	18,000
69.	" मालवीया वेल्डिंग वर्क्स, पाली	—	4,500

1	2	3	4
70.	मैसर्स भगवती गृह उद्योग, सियाठ	—	15,000
71.	" हनुमान इंजिनियरिंग वर्क्स, कालू	—	20,000
72.	" जगदम्बा फ्लोर एण्ड तेल उद्योग, जैतारण	—	13,000
73.	" नेशनल स्क्रीन आर्ट, पाली	—	3,000
74.	" भंवर लाल हजारी, पाली	—	10,000
75.	" मिलन आर्ट इंडस्ट्रीज, पाली	—	14,000
76.	" विजय लक्ष्मी जनरल वर्क्स, आऊवा	—	25,000
77.	" जांगिड़ काष्ठ कला केन्द्र, फालना (जैतारण)	—	23,000
78.	" अशोका इंडस्ट्रीज, धुन्धाला	—	15,000
79.	" नागौरा स्टील फर्नीचर, पाली	—	25,000
80.	" नीता कशीदा केन्द्र, जैतारण	—	8,000
	कुल योग :	7,04,450	7,33,000

सूची "द"

राजस्थान वित्त निगम

पाली शाखा द्वारा जनवरी, 1982 से फरवरी, 1984 तक 25000/- रुपये तक के ऋणों में मशीनों के सप्लायर्स सम्बन्धी सूचना

क्र. सं. 1	इकाई का नाम व जगह 2	मशीनों का नाम 3	मशीनों के मुख्य सप्लायर्स का नाम 4
1.	मैसर्स सालागराम हीराजी, धाकड़ी	आटा चक्की, इलेक्ट्रिक मोटर 10 एच. पी	मै० लक्ष्मी स्टोर न्यू निर्माण भण्डार, सोजत रोड
2.	,, जलतरंग स्क्रीन आर्ट, पाली	वेल्डिग टैंक	मै० भैरूंनाथ फर्नीचर इड. पाली
		कैमरा	मै. विष्णु इजि. कं. अहमदाबाद
		ड्रिल, हैक्सा, वेल्डिग सेट, ग्राइन्डर।	योगेश इलेक्ट्रिक एण्ड मशीनरी स्टोर, दिल्ली
		स्विच, वायर आदि	जगदीश इलेक्ट्रिक स्टोर, पाली
3.	,, मालवीय वेल्डिग वर्क्स, पाली	हाइड्रोलिक प्रेस, वेल्डिग मशीन, ड्रिल मशीन, स्टैन्ड ग्राइन्डर हैक्सा	मै. ए. आर. खिलजी एण्ड सन्स, जोधपुर
4.	,, भगवती गृह उद्योग, सियाट	चक्की	मै. सांखला इलेक्ट्रिक व जनरल स्टोर।

1	2	3	4
	तहसील सोजत सिटी	आरा मशीन	मै. एशियन फाउन्ड्री इंजि. वर्क्स बटाला।
		ग्राइन्डर हैक्सा.	प्रकाश इलेक्ट्रिकस कार्पोरेशन दिल्ली।
5.	,, चारभुजा इंडस्ट्रीज, सुमेरपुर	रोलर मशीन, जैलिंग, गोल आंकड़ा, अलमारी, मोल्डिंग ड्रिल	मै. भोलाराम आयरन फैक्ट्री, नाडोल
		ड्रिल मशीन एवं बाक्स मोल्डिंग मशीन	शिव फांउड्री मशीन,
6.	,, पूनम प्रिन्टर्स, पाली	प्रिन्टिंग मशीन, पेपर कटिंग मशीन, डब प्रेस, इलेक्ट्रिक मोटर, लीडकटर, परफोरेटिंग मशीन, तम्बरिंग मशीन	मै. हिन्दुस्तान फाउन्ड्री एंड आयरन वर्क्स अमृतसर
7.	,, हिमताराम वडढाजी, भिटवाड़ा लाइडी	15 एच. पी. मोटर एक्स चेकर 6 बेल्ट, चक्की–18 इंच	मै. सुरेन्द्र इलेक्ट्रिक स्टोर, पालना
8.	,, श्याम फर्नीचर, सोजत सिटी	प्रेस प्लेटर मशीन, थिकनेस प्लेट मशीन, ग्राइन्डर मशीन सरकुलर कटर मशीन	मै. जय अम्बे मशीनरी आर्ट, अहमदबाद।
9.	,, मै. परमशक्ति आइरन वर्क्स, सांडेराव	वैल्डिंग मशीन	मै. शाह अमृतलाल भीखा भाई, अहमदाबाद।
		जैलिंग मशीन	राजकमल मशीनरी मार्ट, सूरत।
10.	,, यादव एन्टरप्राइजेज, पाली	एम्ब्रोडरी मशीन, ओवर लोक मशीन अम्ब्रेला मशीन	मै. श्री गायत्री मशीन सैन्टर, जयपुर। विश्वकर्मा सिलाई मशीन वर्क्स।

1	2	3	4
11. मैसर्स	हनुमान इंजिनियरिंग वर्क्स, कालू–आनन्दपुर	कम्प्रेशर मशीन गैस वैल्डिग ड्रिल चक	मै. एम ओरामान एण्ड सन्स, जोधपुर। मै. गैस सेन्टर, जोधपुर मै. टौंक मशीनरी स्टोर्स, जैतारण
12. ,,	जगदम्बा फ्लोर एण्ड आयल उद्योग, जैतारण	ड्रिल मशीन, वैल्डिंग	मैं. ए. आर. खिलजी एण्ड सन्स, जोधपुर
13. ,,	नेशनल स्क्रीन आर्ट, पाली	स्क्रीन कैमरा, स्क्रीन कैमरा आर्डिनरी, कन्टिराज मशीन व टेबिलें	मै. मरुधर एजेन्सीज, पाली
14. ,,	जय बजरंग फ्लोर मिल, पाली	आटा चक्की, इलेक्ट्रिक मोटर 10 एच. पी.	मै. मोहन मशीन स्टोर, पाली
15. ,,	मिलन आर्ट इंड, पाली	एक्सपोजिंग मशीन, फिनिसिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, फ्रेम फिटिंग मशीन, कैमरा फोटोग्राफर	मै. गुजरात आइरन वर्क्स, अहमदाबाद।
16. ,,	आनन्द उद्योग, सोजत सिटी	ड्रिल मशीन, सिलेंडर 1 एच. पी. लेथ मशीन	मै. संजय ट्रेडिंग कार्पो. बटाला मै. कालसी मशीन टूल्स, बटाला
17. ,,	विजय आइरन इंड, पाली	वैल्डिग मशीन, गैस वैल्डिग मशीन टूल्स, किट कम्प्लीट	मै. संजय मशीनरी स्टोर्स, पाली

1	2	3	4
18.	मैसर्स युसुफ अली, गवरू अली, पाली	डेटनटर्स, ए. डी. डाईस गैस वैल्डिग मशीन	मै. जे. एन. कं., पाली
19.	,, शिव फ्लोर मिल, मेवीकली	इलेक्ट्रिक मोटर व चक्की पुली	मै. अम्बिका मशीनरी स्टोर, फालना
20.	,, मोहम्मद रमजान फ्लोर मिल, पाली	इलेक्ट्रिक मोटर व चक्की	मै. जायनी इंडस्ट्रियल एजेन्सीज, जयपुर
21.	,, श्री अम्बे इंजिनियरिंग वर्क्स, सोजतरोड	लेथ मशीन, ड्रिल मशीन	एस. डी. नन्दा एण्ड सन्स, दिल्ली
22.	,, जय महादुर्गा फ्लोर मिल्स, पाली	इलेक्ट्रिक मोटर व चक्की पुली	संजय मशीनरी स्टोर्स, पाली
23.	,, सेसाराम गिरधारी लाल, गागूड़ा	मोटर काम्पटूज, चक्की पुली	मै. सांखला इलेक्ट्रिकल्स, सोजतसिटी
24.	,, मंगाराम खंगारजी, पाली	आटे की चक्की व मोटर	संजय मशीनरी स्टोर, पाली
25.	,, आर्य फ्लोर मिल्स, पाली	आटे की चक्की	मोहन मशीनरी स्टोर, पाली
26.	,, नीता कशीदा केन्द्र, जैतारण	मोटर व एम्ब्रोडरी मशीन	राजस्थान सेल्स कार्पो. जोधपुर
27.	,, जांगिड़ काष्ठकला केन्द्र, फालना,	ग्राइन्डर इलेक्ट्रिक मोटर	जांगिड़ इलेक्ट्रिकल्स, चौमू रोड, जयपुर

398

1	2	3	4
28.	मैसर्स बजरंग हौजरी उद्योग, पाली	ओवरलोक मशीन व सिलाई मशीन इलेक्ट्रिक मोटर	मै. पारस स्पैशीयल मशीन कं, पंजाब मै. जगदीश इलेक्ट्रिक स्टोर, पाली
29.	,, मंगाराम रूपाराम मेघवाल,	आटे की चक्की व मोटर इत्यादि	मै. ओम मशीनरी स्टोर, पाली।
30.	,, दोलाराम गोमानी, सादड़ी	तेल एक्सपेलर एवं साफ्ट इत्यादि	मै. कुलान स्टोर्स, सादड़ी
31.	,, नागौर स्टील फर्नीचर, पाली।	गैस वैल्डिंग सैट, आइरन प्रेस इत्यादि	गुरुदेव सिंह एण्ड सन्स, नई दिल्ली
32.	,, कोहिनूर इंडस्ट्रीज, पाली	इलेक्ट्रिक कैमरा व स्क्रीन कैमरा	मै० मीनाक्षी इंडस्ट्रीज, पाली
33.	,, बुधाराम चिमनाजी, बौपारी	आटे की चक्की एवं मोटर इत्यादि	चौधरी चण्ड क., सोजतरोड
34.	,, अशोका इंडस्ट्रीज, धुन्धाला	आटे की चक्की, मोटर इत्यादि	बजरंग मशीनरी स्टोर, सिरियारी, पाली
35.	,, शर्मा स्क्रीन आर्ट, पाली	स्वचालित कैमरा, एनोमिल मशीन	मोडर्न एजेन्सीज, पाली
36.	,, बाबा रामदेव फ्लोर मिल्स, कोसूली, पाली	आटे की चक्की व मोटर पुली	सुपर सेवा इलेक्ट्रिक स्टोर, रानी
37.	,, आशापुरी इंडस्ट्रीज, सुमेरपुर	हैंडप्रेस, जेलिंग मशीन, मार्किंग प्रेस व रोलन मशीन	फालना एजेन्सी, फालना
38.	,, चार भुजा एम्ब्रोडरी आर्ट, दादाई	इम्ब्रोडरी व सिलाई मशीन	कुमार सिलाई मशीन कं., अहमदाबाद

1	2	3	4
39. मैसर्स	निर्मला फ्रेमिंग स्क्रीन वर्क्स, पाली	प्लेनर, कटर व मोटर	मरुधर एजेन्सीज, पाली
40. ,,	राजहंस आइल मिल्स, पाली	आयल कोल्हू	मै० भगवती स्टोर्स, जोधपुर
41. ,,	भंवरलाल पुत्र हजारी, पाली	आटे की चक्की, इत्यादि	मै० नवल इलेक्ट्रिक कं., अजमेर
42. ,,	सोहनलाल चुन्नी लाल, सोजतरोड	प्लेनर एवं ग्राइन्डर मशीन इत्यादि	मै० भगवती इंजि. वर्क्स, गुजरात।
43. ,,	मनीभद्र इंड.; सोजतसिटी	रेटर मशीन, रोकर राउडिंग मशीन	मै० अचल फाउन्ड्री, सुमेरपुर
44. ,,	रामजीराम गेपर राम, पाली	आटे की चक्की व पुली	मै० कुलान ब्रादर्स, पाली
45. ,,	मन्जू बुक बाइंडिंग वर्क्स, पाली	पेपर कटिंग मशीन व स्टीचिंग मशीन इत्यादि	मै० प्रिन्वस मशीन टूल्स, अमृतसर
46. ,,	पुष्पा आइल इंडस्ट्रीज, सुमेरपुर	एक्सपीलर एवं मोटर काप्टर इत्यादि	मै० मित्तल ब्रदर्स, अजमेर
47. ,,	विश्वकर्मा वुड वर्क्स, वलूंदा	आइल इंजिन व टिकनेस लिनर, सरफेस प्लेनर ग्राइंडर	मै० घनश्याम इंजि., बिलाड़ा गजानन्द मशीनरी एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, बिलाड़ा

1	2	3	4
48.	मैसर्स दिनेश स्टील फर्नीचर वर्क्स, फालना	गैस वैल्डिंग सैट, पाइप बाइंडिंग स्टैंड	मैo शिव आइरन फाउन्ड्री, फालना
49.	,, नाकोड़ा मैटल्स, बरतह–रामपुर	इलेक्ट्रिक मोटर	मैo आई. एम. सी. इलेक्ट्रिक मशीन स्टोर, दिल्ली
		लेथ मशीन	श्याम इंजि. वर्क्स, रेवाड़ी
50.	,, आर्य लघु उद्योग, सोजतसिटी	सिलाई मशीन, स्टेंडर्ड इलेक्ट्रिक मोटर	मै० ईश्वर सेल्स कार्पो., अजमेर
51.	,, प्रकाश प्रिंटर्स, पाली	प्रिन्टिंग व कटिंग मशीन, कारपोरेटिंग मशीन	मै. डाइमन्ड इंडस्ट्रियल कार्पो०, अमृतसर
52.	,, छीपा गफर अलारख जी, पाली	अडान डीजल इंजिन	मै. बुलान ब्रदर्स, पाली पूनम सेल्स, पाली
53.	,, शशिकला केन्द्र, जैतपुर, पो. गड़वाड़ा	इलेक्ट्रिक मोटर, ड्रिल, ग्राइंडर मशीन	बमरा इंडस्ट्रियल कार्पो., अमृतसर।
54.	,, श्रीपाल प्लास्टिक, फालना	प्लास्टिक्स इंजेक्शन मशीन डाइज मशीन	मै. सोलंकी इंजि. कं., फालना मै. पंवार मैकेनिकल वर्क्स, बम्बई।
55.	,, गुप्ता आर्ट प्रिन्टर्स, पाली	प्रिंन्टिग मशीन व कटिंग प्रूफ मशीन	मै. न्यू भुलन्डर कटिंग मशीन इंड., अमृतसर।

1	2	3	4
56.	मैसर्स श्याम फ्लोर मिल, पाली	आटे की चक्की व मोटर	ओम मशीनरी स्टोर, पाली
57.	,, भारत आटोमोबाइल्स, वेड़ा	लेथ मशीन ग्राइंडर इत्यादि	मै. खतार हरदेव मैन्यू. एण्ड मशीनरी स्टोर, दिल्ली
58.	,, ओम इंडस्ट्रियल कार्पो., सोजतसिटी	लेथ व ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर व चाक	मै. दौलतराम नाथूराम एण्ड कं., बटाला
59.	,, गुलाव फ्लोर मिल, खैरवा	आटे की चक्की व मोटर पुली इत्यादि	मै. मोहन मशीनरी स्टोर, पाली
60.	,, शालीमार कुन्दी वर्क्स, पाली	हीटर, कुन्डो, हैवी मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर आदि	मै० भारत इंड., अहमदाबाद
61.	,, रामाराम गलाजी फ्लोर मिल्स, सादड़ी	आटे की चक्की व इलेक्ट्रिक मोटर	मै० विशाल इलेक्ट्रिक स्टोर, फालना
62.	,, वी. आर. वोराना इंजि. वर्क्स, सोजतरोड	लेथ मशीन, चाक	मै० एस. डी. नन्दा एण्ड सन्स, दिल्ली
63.	,, कृष्णा गृह उद्योग	हाइड्रोलिक प्रेस, ग्राइंडर	मै० यूनाइटेड इंजि. वर्क्स, दिल्ली
64.	,, पारस आइस कैन्डी, रोहट	कम्प्रेशर, इलेक्ट्रिक मोटर एयरकूल्ड कन्डेन्सर	मै० तारा एन्टरप्राइजेज, जोधपुर
65.	,, जी. सी. प्लास्टिक पीपलियाकलां	प्लास्टिक की मोल्डिंग मशीन, रेग्यूलेटर, डाइज	मै० गोल्डन इंड., दिल्ली

1	2	3	4
66. मैसर्स	विश्वकर्मा इंजि. इंड रोड़ट	लेथ ग्राइंडर-मशीन	मैं० मशीनरी एन्ड टूल्स सेन्टर, अहमदाबाद
67. ,,	मयूर फोटो कापियर्स, पाली	फोटो स्टेट मशीन	पंजाब एन्टरप्राइजेज, दिल्ली
68. ,,	भण्डारी ब्रदर्स, पाली	कटिंग, पंचिग, इन्फोलिंग, इवोंजिग मशीन	मै० सुशील एण्ड कं.
69. ,,	एस. एम. टैक्सटाइल्स, पाली	स्क्रीन फ्रेम पखे एम. एस. टैंक, सिलीकेट टैंक, जयपुर	मै० मदन स्क्रीन आर्ट, पाली मै० श्रीपति डिस्ट्रीब्यूटर्स मै० मेजखपुर आइरन वर्क्स
70. ,,	मै०. बाराना फ्लोर मिल, पाली	चक्की, मोटर, बिजली का सामान	मै० संजय मशीनरी एवं सेनेटरी स्टोर, पाली
71. ,,	मोहनलाल कन्हैयालाल आइस फैक्ट्री, पाली	आइस केन्डी टैंक वुडन आइस केन्डी टैंक कम्प्रेसर, कोपर पाइप, मोटर व अन्य बिजली का सामान	मै० कुम्भावत आइरन इंड, पाली नेशनल रेफ्रीजरेशन वर्क्स, दिल्ली अशोक इलेक्ट्रिक जनरल स्टोर, पाली।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 656 का विवरण

राजस्थान सरकार

जिला उद्योग केन्द्र, पाली (राज०)

जिला उद्योग केन्द्र, पाली में राजकीय अनुदान हेतु प्राप्त इकाइयों के आवेदन पत्रों की सूची :—

क. सं.	नाम इकाई जिसका आवेदन पत्र प्राप्त हुआ	स्वीकृत राशि	भुगतान की तिथि	अस्वीकृति का अथवा भुगतान न होने का कारण
1	2	3	4	5
		वर्ष 1978–79		
1.	मैसर्स क्वालिटी मिनरल्स, देवरिया माता बर	7157.00	31-3-79	—
2.	,, पारसराम टैक्स., पाली	20907.00	23-1-80	—
3.	,, दीपक पोल्स एण्ड पाईप्स, बर	80810.00	5-2-80	—
4.	,, बोहरा फैब्रिक्स, पाली	90973.00	30.3.80	—
5.	,, छाजेड टेक्स० मिल्स, पाली	39627.00	30-3-81	—

1	2	3	4	5
		वर्ष 1979-80		
6.	मैसर्स हस्तीमल बाबूलाल, पाली	19061.00	31-3-81	—
7.	,, राजस्थान इण्डस्ट्रीज, पाली	120595.00	30-3-81	—
		वर्ष 1980-81		
8.	,, उषा प्रोसेसर्स, पाली	8803.00	16-9-81	—
9.	,, छोगालाल भैरूलाल, पाली	21260.00	16-9-81	—
10.	,, कमल टेक्स. इण्ड., पाली	—	—	इकाई बन्द हो जाने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया।
11.	,, गोपाल आयल मिल्स, जैतारण	—	—	कृषि भूमि पर स्थापित होने के कारण अनुदान योग्य नहीं है।
12.	,, श्री टेक्सटाइल मिल, पाली	—	—	अनुदान योग्य नहीं होने के कारण पत्रावली बन्द की गई।
13.	,, शिव टेक्सटाइल्स, पाली	21700.00	31-3-81	—

1	2	3	4	5
14.	मैसर्स देवा गलू. फालना	—	—	विनियोजन सत्यापन हेतु पत्रावली दिनांक 31-7-81 को लौटाई गई जो अभी तक वापिस प्राप्त नहीं हुई।
15.	,, महावीर मिनरल्स, पिपलियाकलां	10500.00	31-3-81	—
16.	,, बोहरा सीमेन्ट प्रा. लि. भूंठा	37169.00	19-6-82	—
17.	,, जे. के. टेक्स. इण्ड, पाली	24000.00	31-3-81	—
18.	,, कोठारी इण्ड, देवरिया माता, बर	7700.00	31-3-81	—
19.	,, उम्मेद सीमेन्ट उद्योग, निमाज	97955.00	,,	—
20.	,, जवाई फोटो कॉपीयर्स, सुमेरपुर	—	—	अनुदान योग्य नहीं होने से
21.	,, राजस्थान फोटो कॉपी सेन्टर, पाली	—	—	,, ,,
22.	मै. जसवन्त ट्रेडिंग कं., पाली	—	—	आवश्यक औपचारिकता पूर्ण न हो पाने के कारण लौटाया गया।
23.	सुधा इण्ड. कार्पो., पाली	9898.00	7-10-82	—

1.	2	3	4	5
24.	मै. के. के. बिड़ला टैक्स. पाली	—	—	आक्षेप पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदन पत्र लौटाया गया।
25.	" संतोष टैक्स. एन्ग्रेवर्स, पाली	42856.00	18-1-82	—
26.	" शान्ति विजय टैक्स. मिल्स, पाली	—	—	इकाई द्वारा हाल ही में रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है अतः अग्रिम कार्यवाही चालू है।
27.	" माल टैक्स. इण्ड. पाली	17680.00	—	जल प्रदूषण मंडल के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में भुगतान नहीं किया गया।
28.	" अमोलक टैक्स. मिल्स, पाली	24450.00	4-6-82	—
29.	किरण प्रोसेसिंग सेन्टर, पाली	33420.00	18-10-82	—
30.	" जगदीश डाइंग, पाली	28925.00	28-12-81	—
31.	" जैन केबल्स प्रा. लि., झूठा	185623.00	20-12-82	—
32.	" जैन ट्यूब्स कारपो., फालना	15900.00	31-3-81	—
33.	" आर. के. इंजीनियरिंग, फालना	5730.00	31-8-81	—

1	2	3	4	5
34.	मै. स्वास्तिक ट्रेडर्स, सोजत सिटी	—	—	आक्षेप पूर्ति हेतु इकाई को पत्रावली दि. 13-7-81 को लौटादी गई।
35.	" धर्मचन्द रंजीतकुमार, रानी	—	—	पत्रावली
36.	" विजय टैक्स. इण्ड., पाली	24600.00	—	—
37.	" सारडा गम्स एण्ड केमिकल्स, पाली	—	—	अनुदान योग्य नहीं होने के कारण पत्रावली दिनांक 7-9-81 को लौटादी गई।
38.	" मोती आयल मिल्स, रानी	23810.00	9-83	—
39.	" सर्वोदय ट्रेडिंग कं., रानी	11100.00	27-1-83	—
40.	" वाली केबल्स प्रा. लि., झूठा	134215.00	20-11-82	—
41.	" मेहता उद्योग, पाली	—	—	पत्रावली खादी अनुभाग को लौटादी गई।
42.	" नोहटा टैक्स. इण्ड., पाली	110853.00	—	जल प्रदूषण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में भुगतान रोका गया है।

1	2	3	4	5
43.	मै. वन्दना प्रिन्टर्स, पाली	—	—	जल प्रदूषण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में मामला विचाराधीन है।
44.	" छोगालाल भैरूंलाल, पाली	—	—	राज्य स्तरीय अनुदान समिति के विचारार्थ प्रेषित है।
45.	" चेतराज भैरूंलाल, पाली	—	—	" "
46.	" जैन प्रोसेसिंग मिल्स, पाली	24440.00	18-1:83	—
47.	" मेहता जसराज हुकमाचंद, पाली	32375.00	12-12-83	—
48.	" शमसेरसिंह फ्लोर मिल, खारड़ा	918.00	27-5-83	—
49.	" खीवराज अमरचन्द, पाली	16788.00	11-12-83	—
50.	" मोहम्मद इस्माइल, बर	—	—	राज्य स्तरीय अनुदान समिति के विचारार्थ प्रेषित है।
51	" आर. के. इण्डस्ट्रीज, पाली	—	—	आक्षेप पूर्ति हेतु पत्रावली विचारार्थ है।

1	2	3	4	5
52.	मै. गणेश टैक्स. इण्ड., पाली	—	—	आक्षेप पूर्ति हेतु इकाई को लौटादी गई।
53.	" सोजत एसवेस्टोज सीमेन्ट पाइप फैक्ट्री, सोजत रोड	14390.00	9-83	—
54.	" गांधी टैक्स. मिल्स, पाली	85254.	3-2-83	—
		वर्ष 1982–83		
55.	,, मेघवाल केशारामल छाजी, बागोल	—	—	राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रेषित है।
56.	,, बजरंग फ्लोर एण्ड शॉ मिल, नारलाई	—	—	आक्षेप पूर्ति हेतु पुनः इकाई को लिखा गया है।
57.	,, विश्वकर्मा फ्लोर मिल, जाटों का गुडा	—	—	मौका सत्यापन के हो जाने के कारण विचाराधीन है।
58.	,, कानराज केवलचन्द, पाली	—	—	राज्य स्तरीय अनुदान समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया।

1	2	3	4	5
59.	मैं. विजय केमिकल इण्ड. पाली	—	—	इकाई द्वारा आक्षेप पूर्ति बाद हालही में प्राप्त हुआ है अतः अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
60.	,, चोपड़ा स्टील प्रा. लि. पाली	—	—	विस्तार योजना के अन्तर्गत पंजीयन के अभाव में विचाराधीन है।
61.	,, महावीर मेटल मैन्यू. कं. फालना	—	—	,, ,,
62.	,, सूरज किरण फैब्रिक्स पाली	—	—	सत्यापन के अभाव में विचाराधीन है।
63.	,, धारीवाल डाइंग इण्ड. पाली	5400.00	—	बाण्ड निष्पादन न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ।
64.	,, मालवीया वुड वर्क्स रानी	1990.00	—	—
65.	,, प्रीति केमिकल्स प्रा. लि. सोजत	—	—	राज्य स्तरीय अनुदान समिति के विचाराधीन है।
66.	,, कमल इंजिनियरिंग वर्क्स रानी	—	—	,, ,,
67.	,, राजलक्ष्मी फ्लोर मिल मालपुरिया खुर्द	—	—	,, ,,

1	2	3	4	5
68.	मै. मेहता उद्योग, पाली	—	—	राज्य स्तरीय अनुदान समिति के विचाराधीन है।
69.	,, सांखला वैन्ट, पाली	—	—	,, ,,
70.	,, चतुर्भुज पोकरराम इण्ड., पाली	—	—	,, ,,
71.	" शिव स्टील फर्नीचर, वागोल	1510.00	—	बाण्ड निष्पादन न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ।
72.	" रघुनाथराम भैराजी गांव ढारिया	1500.00	—	बाण्ड निष्पादन के अभाव में भुगतान नहीं हुआ।
73.	" जैन प्रोसेसिंग मिल्स, पाली	—	—	जल प्रदूषण मंडल से अनापत्ति पत्र के अभाव में विचाराधीन है।
		वर्ष 1983–84		
74.	" झंकारमल झूमरमल, पाली	—	—	राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रेषित है।

1	2	3	4	5
75.	मै. रतनलाल डूंगाराम फ्लोर मिल निमाज रोड, जैतारण	1815.00	—	बाण्ड निष्पादन के अभाव में भुगतान नहीं हुआ।
76.	" शौकतअली कुरेशी, जैतारण	—	—	राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रेषित है।
77.	" शिवराम केमिकल्स, सोजत	—	—	आक्षेप पूर्ति हेतु पत्रावली इकाई को लौटायी गई है।
78.	" धारीवाल प्रिन्टिंग वर्क्स, पाली	—	—	जिला स्तरीय अनुदान समिति के विचारार्थ प्रेषित है।
79.	" बोथरा टैक्स मिल्स, पाली	—	—	सत्यापन हेतु विचाराधीन है।
80.	" राजकमल फैल्ट फिनिशिंग वर्क्स, पाली	17800.00	—	बाण्ड निष्पादन के अभाव में भुगतान नहीं हुआ।
81.	" निर्मल फैल्ट फिनिशिंग वर्क्स, पाली	16930.00	—	" "
82.	" जय भारत फैल्ट फिनिशिंग वर्क्स, पाली	6650.00	—	" "
83.	" रॉयल फिनिशिंग वर्क्स, पाली	—	—	जिला स्तरीय समिति में विचारार्थ प्रेषित है।

1	2	3	4	5
84.	मै. कमला टैक्स. मिल्स, पाली	—	—	विस्तार पंजीयन नहीं कराने के कारण विचाराधीन है।
85.	" महालक्ष्मी टायर सर्विस, सुमेरपुर	—	—	राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रेषित है।
86.	" भोलाराम आइरन फैक्ट्री, नाडोल	—	—	विस्तार पंजीयन के अभाव में विचाराधीन है।
87.	" गणेशसिंह भंवरसिंह पुरोहित गवाडा, देसूरी	—	—	मौका निरीक्षण के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
88.	" कांकरिया फिनिशिंग, पाली	—	—	सत्यापन के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
89.	" शीतल फैल्ट, पाली	—	—	" "

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 660 का विवरण

जिलेवार फरार बन्दियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	कारागृह, उप कारागृह का नाम जहां से बन्दी फरार हुए	फरार होने का वर्ष	फरार हुए बन्दियों की संख्या
1.	जिला कारागृह, गंगापुर सिटी	1980	3 बन्दी
2.	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	1980	2 बन्दी
3.	जिला कारागृह, कोटा	1981	1 बन्दी
4.	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	1981	1 बन्दी
5.	बन्दी खुला शिविर, सांगानेर	1981	1 बन्दी
6.	उप कारागृह, कुशलगढ़	1981	1 बन्दी
7.	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	1982	1 बन्दी
8.	उप कारागृह, माण्डलगढ़	1982	1 बन्दी
9.	उप कारागृह, पोकरण	1983	1 बन्दी
10.	*केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	1983	1 बन्दी
11.	उप कारागृह, भादरा	1983	1 बन्दी
		योग	14 बन्दी

* बन्दी बैंड पार्टी से लौटते समय फरार हुआ है।

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 661 की सूचना

तुलनात्मक विवरण :— चोरी पुलिस थाना फागी, जिला जयपुर

वर्ष	रिपोर्ट	बरामदगी/चालान	माल मसरुका	माल बाजयाफ्ता
1981	31	7	44343-00	28400-00
1982	41	18	48960-00	39600-00
1983	25	10	74400-00	66100-00

(416)

परिशिष्ट 1

अतारांकित प्रश्न संख्या 662 की जांच रिपोर्ट प्रति

रिपोर्ट आखिरी

रिपोर्ट आखिरी (हस्ब दफा 73 जा. फो.) 67

(नियम 321)

जिला अजमेर   रिपोर्ट आखिरी नं 8/83   तारीख 4-4-83

थाना—ब्यावर सिटी   रिपोर्ट इत्तला अव्वल 175/82   ता. 7-11-82

1.	नाम व पता मुस्तगीस या इत्तला कुनिन्दा :	श्री जगपालसिंह ए.एस आई. थाना—ब्यावर सिटी
2.		मु.नं. 175/82 धारा 302/380, आई. पी. सी.
3.	कीमत व किस्म माल मसरुका :	4000/– रुपये
4.	नाम व पता मुलजिमान :	—
5.	अगर गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो, तो तारीख व वक्त गिरफ्तारी :	—
6.	तारीख व वक्त रिहाई आया जमानत पर या मुचलका पर :	—
7.	तपसील माल दस्तयाबशुदा मय कैफियत इस अमर के कि कब और किसी मार्फत दस्तयाब हुआ और माल कहां रवाना हुआ :	—
8.	मुख्तसिर हालात मुकदमा व वजुआत इस अमर के कि अजीम तपतीश क्यों नहीं की गई :	पुश्त पर दर्ज है।

दिन को..................दर्ज..........

रवाना किया गया.........तारीख.........

को...............बजे..................

ह०/–

(भंवर सिंह)

पुलिस उप अधी० केकड़ी,

जिला-अजमेर (राज.)

श्रीमान्जी,

संक्षिप्त में वाकियात मुकदमा हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 7-11-82 को श्री जगपालसिंह ए. एस. आई. थाना ब्यावर सिटी ने एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 5-11-82 को एफ.आई.आर. पंचायतनामा नं. 22।82 मुत्सवंफिया घीसीबाई का वास्ते कार्यवाही धारा 174 सी.आर पी सी मिलने पर कार्यवाही पंचायत नामा अमल में लाई गई। दौराने पंचायत नामा मु. घीसीबाई पत्नी श्री लादूराम माली, उम्र 51 साल, निवासी–छावनी ब्यावर सिटी की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। जांच पंचायतनामा की गई। मु. घीसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मु. घीसी की मौत गला घोटने के कारण दम घुटने से हुई है, लिखा है। जांच पंचायत नामा व रिपोर्ट पोस्टमार्टम से मु. घीसी का कत्ल करना पाया जाने पर अभियोग सं. 175।82 धारा 382 आई पी सी दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई। दौराने तफतीश कागजात जांच पंचायतनामा शामिल फाइल किये गये। व निरीक्षण घटना स्थल किया गया। व कु. सुचित्रा तोमर, चैनाराम, किशनलाल अहीर, मोहनलाल मूणोत, अनीता सक्सेना, घीसी टाइटरा, जगमालसिंह वगैरा से तफतीश की गई। व तालुका पार्चेजात मु. घीसी जप्त किये गये व तफतीश से मृतिका के बदन पर गले में सोने के मादलिये तथा कानों में सोने की टोटिया भी चोरी गई होना पाया गया। जिस पर धारा 380 आई पी सी और एड की गई व पतारसी मुलजिमान आरम्भ की गई। दौराने पतारसी दिनांक 21-11-82 को रेडक्रास शाला के कक्षा 3 के क्लास रूम का घटनास्थल का निरीक्षण करते वक्त क्लास में एक कूपन अश्विनी क्लीनिक ब्यावर का, कूपन सं. 8029 दि. 4-11-82 मिलने पर इस कूपन संबधी जांच की गई। तो यह कूपन 15 वर्षीय बालिका लीला का होना, क्लीनिक के रिकार्ड से पाया गया। जिस पर लीला का पता लगाया तो दिनांक 23-11-82 को पता लगा कि लीला नाम की बालिका का छोटा भाई रेडक्रास स्कूल में पढ़ता है। जिसके साथ उक्त कूपन क्लास में आना पाया गया। इसके अलावा रेडक्रास स्कूल की सफाई करने वाली महिला कर्मचारी श्रीमती मैना पर इस वारदात संबंधी सदेह प्रकट होना पाया जाने पर मैना की हरकतों पर पूर्ण निगरानी खुफिया तौर पर रखवाई गई। तथा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी था कि घटनास्थल पर एक दांत टूटा हुआ मिला था व एक मुश्तवा चरित्र की स्त्री मैना का भी दांत ताजा टूटा हुआ प्रतीत हुआ। जिस पर दन्त विशेषज्ञ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, के पास श्रीमती मैना को मय दांत के भेजकर राय ली तो उन्होंने घटना स्थल पर मिला दांत श्रीमती मैना का नहीं होना बताया। इस तथ्य से भी कोई मदद नहीं मिली। तथा मुलजिमान की पतारसी जरिये मुखबिर खास की जाती रही। मगर बावजूद भरसक प्रयास के कोई विशेष सूत्र नहीं चल पाया। मु. नं. 5।83 धारा 456 आई पी सी दिनांक 18-1-83 थाना ब्यावर सिटी ने गिरफ्तार अभियुक्ता श्रीमती राजगिरी पुत्री सिद्धागुरु चौकी सेवागिरी, साकिन मांडल

418

की वकूगत तस्दीक एस.एम.डी. ब्यावर सिटी द्वारा करायी गयी तो तस्दीक चाल चलन नहीं हो पाया और नाम पता भी गलत बताया। जिसके लिये थाना सिविल लाइन से मालूमात कराई गयी तो पता चला कि दिनांक 1-2-83 को 10 योम की सजा होने पर जेल से सजा काट कर चली गयी है। इस वजह से श्रीमती राजगिरी से तफतीश नहीं हो सकी। तत्पश्चात श्रीमती राजगिरी की तलाश कराई गयी लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इसके अलावा मुखबिर की इतला से यह ज्ञात होने पर कि कुछ ही दिन पूर्व एक वृद्धा महाजन जाति की किसी ने गला घोट कर पांदू जिला नागौर थाने के क्षेत्र में कत्ल कर माल ले गये हैं। इस पर स्पेशल मैसेंजर पी. एस. पांदूकला व मेड़ता सिटी भेजकर तफतीश कराई गयी तो पाया कि 18-2-83 की रात को पांदूकला में श्रीमती चूंकि देवी महाजन को गला घोट कर कत्ल कर जेवरात कोई अज्ञात उतार कर ले गया। इस पर मु. नं. 13।83 धारा 380, 457, 302 आई पी सी थाना पांदूकला जिला नागौर दर्ज होकर जेर तफतीश है। मगर इस मुकदमा हाजा की वारदात से अब तक कोई लिंक नहीं जुड़ पाया है। तफतीश से जितने भी संभावित तथ्य मुश्तबा हालात के पाये उन सब की खोज की गई। इस घटना के अभियुक्त का पता लगाने की काफी चेष्टा की गयी परन्तु कोई सुराग आज तक अभियुक्त का पता नहीं चला है। और ना ही सरेदस्त पता चलने की कोई उम्मीद ही नजर आती है। मु. करीब 5 माह से अन्वेषणाधीन है। फिलहाल कोई पता लगने की उम्मीद नजर नहीं आने से अभियोग में एफ.आर. न. 8।83 बलिगे अदमपता माल व मुलाजिमान दी जाती है। पता चलने पर दुबारा तफतीश खोली जावेगी। मुस्तगीस को जरिये कार्ड सूचित किया जावेगा।

ह०
(भंवर सिंह)
4-4-83
पुलिस उप अधीक्षक
केकड़ी जि अजमेर (राजस्थान)

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 663 की सूची

औरतों को बेचने बाबत प्रकरण की सूची माह जनवरी, 1980 से जनवरी, 1984 तक

क्रम सं. 1	जिले का नाम 2	अपराध संख्या व नाम थाना 3	बेची गई औरत का नाम 4	कार्यवाही 5
1.	भरतपुर	61/81 धारा 363, 366, 376 भा. द. स. थाना रूपवास	कुमारी प्रतिभा उर्फ प्रेमवती निवासी पंजाबी कॉलोनी नारायण नगर मैनपुरी (उ० प्र०)	चालान दिनांक 11-4-82
2.	भरतपुर	80/81 धारा 366, 372, 376 भा. द. स. थाना रूपवास	चम्पा बाई पुत्री श्री प्रताप सिंह बढ़ई निवासी पचोरा तालाब (मध्य प्रदेश)	चालान दिनांक 30-11-81
3.	भरतपुर	126/81 धारा 376, 368, 379 366, 342 भा. द. स. थाना रूपवास	रम्बावती धर्म पत्नी श्री कोमल सिंह जाट निवासी मिठाकुर (उ० प्र०)	चालान दिनांक 30-11-81
4.	भरतपुर	105/82 धारा 366, 368, 376 भा. द. स. थाना रूपवास	जलसो पुत्री वीरा मेव निवासी बैनाड़ा जिला जयपुर।	चालान दिनांक 17-12-82
5.	भरतपुर	9/11-1-84 धारा 366, 372, 373, 323 भा. द. स. थाना सेवर	मुन्नी धर्म पत्नी फकरुद्दीन मुसलमान निवासी सखान मौहल्ला पुलिस मोहम्मद गंज जिला पटना (बिहार)	गैर तफतीश है

420

1	2	3	4	5
6.	उदयपुर	14/83 धारा 363, 366 भा. द. स. थाना घण्टाघर	(1) सुन्दो मीरका पुत्री नात्रा	चालान दिनांक 30-6-83 जैर ट्रायल
			(2) नोलकी पुत्री मनला गमेती निवासी उंदरी	चालान दिनांक 30-6-83 जैर ट्रायल
7.	कोटा	27/82 धारा 363 भा. द. स. थाना छबड़ा	गुड्डी उम्र 8 वर्ष पुत्री नर्बदा पत्नी चन्दलाल सांसी निवासी लक्ष्मीपुरा	चालान पेश किया गया चार्ज शीट नं. 51 दिनांक 8-8-82 दी गई । जे. एम. कोर्ट छबड़ा में जैर ट्रायल है।
8.	धौलपुर	50/82 धारा 366, 368, 372, 376 भा. द. स. थाना समा	जावित्री उर्फ गायत्री उर्फ गुड्डी	कोर्ट में चालान पेश कर दिया जो जैर ट्रायल है।
9.	धौलपुर	67/82 धारा 363, 366, 372 भा. द. स. कोतवाली धौलपुर	राम बेती	कोर्ट में चालान पेश कर दिया जो जैर ट्रायल है।
10.	धौलपुर	68/82 धारा 363, 366ए, 368, 372, 376 भा. द. स. कोतवाली धौलपुर	आशा मण्डल	कोर्ट में चालान पेश कर दिया जो जैर ट्रायल है।
11.	धौलपुर	14/83 धारा 366, 372, 368 भा. द. स. थाना भनिया	मुन्नी उर्फ गुड्डी	कोर्ट में चालान पेश कर दिया जो जैर ट्रायल है।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 664 की तालिका

अलवर जिले में घटित डकैतियों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	नाम स्थान जहां डकैती हुई	नाम जिसके यहां डकैती हुई	डकैती में लूटी गई सम्पत्ति	बरामद की गई सम्पत्ति	डकैती में मारे गये व्यक्तियों की संख्या	चालान या अदमपता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1982	नाहर खेड़ा	नेमीचन्द पुत्र भौरेलाल सैनी	5,000	—	—	एफ. आर. अदमपता
2.	,,	कालवाड़ी	कन्हैया पुत्र केशव जाटव	8,000	—	—	एफ. आर. अदमपता
3.	,,	सालवाड़ी	जगदीश पुत्र रघुनाथ	9,000	—	—	चालान
4.	,,	जखोपुर	श्री कपूरा पुत्र मामला मेव	40,000	—	—	चालान
5.	,,	मुनपुर करवला मूरूवास	श्री मोरमल पुत्र जगदेव मेव	50,000	—	—	चालान
6.	,,	दला का बास	मल्ला पुत्र सुक्खा मेव	20,000	7000	—	जैर तफतीश
7.	,,	शिकारी का बास	हरजी पुत्र हुकमा सैनी	14,000	—	—	एफ. आर. अदमपता
8.	,,	शेखपुर पुलिया	मोहनलाल पुत्र फतहचन्द खत्री स्कीम नं. 2, अलवर।	1,78,200	1,77,400	—	चालान

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	1982	भ्रमारपुर	श्री भीमसिंह पुत्र बिहारीलाल, बहरोड़	3,000	3,000	—	चालान
10.	,,	बहरोड़	त्रिलोक चन्द्र पुत्र मूलचन्द खत्री जे. ई. एन. आर. एस. ई. बी., बहरोड़	—	—	—	—
11.	1983	अलाबाड़ा	रामजीलाल पुत्र सेडूराम ब्राह्मण	20,000	5,000	—	जेर तफतीश
12.	,;	दोगोड़ी	समशुद्दीन पुत्र बुद्धीसिंह मेव	90	—	—	चालान
13.	,,	कूटीली अडावास	आसुखां पुत्र नजीर खां मेव	10,000	2,500	—	चालान
14.	,;	भवर	कैलाशचन्द पुत्र जगनप्रसाद महाजन	10,000	10,000	—	चालान
15.	,,	सोसर	ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल महाजन	5,000	—	—	जेर तफतीश
16.	,,	कठूमर	गोपालसिंह पुत्र प्यारेलाल जाट	12,000	7,000	—	चालान
17.	,,	कानेटी	रामगोपाल पुत्र घासीराम महाजन	13,500	5,400	—	जेर तफतीश
18.	1984	बास कुम्हारान मसलाबाद	अनू पुत्र हरचन्द कुम्हार	30,000	—	—	जेर तफतीश
19.	1984	तितरका	शिवचरण पुत्र रामप्रसाद महाजन	40,000	3,265	—	जेर तफतीश

423

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 667 की सूची

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर

दिनांक 17-8-82 के पश्चात् संघ में नियुक्त किये गये च. श्रे. कर्मचारी/हेल्पर कर्मचारियों की सूची

क. सं.	नाम कर्मचारी	पद	दिनांक से	दिनांक तक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लक्ष्मण सांखला	च. श्रे. कर्म.	17-8-82	31-12-82	व्यापार के संचालन हेतु नियुक्ति की गई
2.	श्री मोतीलाल लालावत	च. श्रे. कर्म.	2-9-82	22-11-82	,,
			13-12-82	8-8-83	,,
			1-9-83	31-3-84	,,
3.	श्री मुंशी राम गुजर	च. श्रे. कर्म.	4-9-82	6-11-82	,,
4.	श्री बनवारी लाल	च. श्रे. कर्म.	6-9-82	5-10-82	,,
5.	श्री मान सिंह	च. श्रे. कर्म.	16-9-82	9-4-83	,,
6.	श्री मोहन लाल सिरवी	हेल्पर	20-9-82	8-4-83	,,
			11-4-83	5-10-83	,,
			6-10-83	कार्यरत	,,

424

1	2	3	4	5	6
7.	श्री महेश	च. श्रे. कर्म.	21-9-83	15-12-83	व्यापार के संचालन हेतु नियुक्ति की गई
			9-1-84	12-2-84	,,
8.	श्री विनोद प्रतिहस्थ	च. श्रे. कर्म.	5-10-82	4-12-82	,,
			15-12-82	15-2-83	,,
9.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	च. श्रे. कर्म.	7-10-82	28-1-83	,,
10.	श्री विष्णु कुमार सिंह	च. श्रे. कर्म.	24-11-82	30-6-83	,,
11.	श्री विपिन बिहारी पाण्डे	च. श्रे. कर्म.	1-4-83	30-4-83	,,
12.	श्री साधु वेदन यादव	च. श्रे. कर्म.	10-12-82	28-2-83	,,
13.	श्री दशरथ सिंह	लेबर	13-1-83	13-5-83	,,
			1-6-83	25-8-83	,,
14.	श्री शक्तिदान	च. श्रे. कर्म.	15-3-83	15-11-83	,,
15.	श्री तारा चन्द	च. श्रे. कर्म.	30-3-83	31-5-83	,,
			1-6-83	30-6-83	,,
			1-8-83	28-2-84	,,
16.	श्री कल्याण सहाय सैनी	हेल्पर	23-3-83	8-11-83	,,
17.	श्री किशन लाल सैनी	चौकीदार	9-9-83	कार्यरत	,,

1	2	3	4	5	6
18.	श्री विनोद कुमार	च. श्रे. कर्म.	2-7-83	कार्यरत	व्यापार के संचालन हेतु नियुक्त की गई
19.	श्री हनुमान सिंह	लेबर	7-7-83	10-1-84	,,
20.	श्री जगदीश	च. श्रे. कर्म.	11-7-83	11-8-83	,,
21.	श्री ओम प्रकाश कुमावत	हेल्पर	23-9-83	3-1-84	,,
22.	श्री माल सिंह	हेल्पर	14-11-83	कार्यरत	,,
23.	श्री कन्हैया लाल	च. श्रे. कर्म.	27-1-84	कार्यरत	,,
24.	श्री पुरुषोतम	च. श्रे. कर्म.	1-2-84	कार्यरत	,,
25.	श्री सीताराम कोठियारी	च. श्रे. कर्म.	1-2-84	15-3-84	,,
26.	श्री राजकुमार	हेल्पर	1-2-84	कार्यरत	,,
27.	श्री मदन लाल	हेल्पर	1-2-84	कार्यरत	,,
28.	श्री गंगाधर सैन	च. श्रे. कर्म.	10-2-84	कार्यरत	,,
29.	श्री हरीश	च. श्रे. कर्म.	20-2-84	31-3-84	,,

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 671 का

वारन्ट आफ प्रीसिडेन्स की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

GENERAL ADMINISTRATION (A) DEPARTMENT

No. F. 16 (9) GA/A/58 Dated the 18th October, 1968.

ORDER

A Notification has been issued by the Secretary to the President No. 11-Pres/68 dated the 28th February, 1968, regarding the rank and precedence of the persons named therein. But all the officers of the State Government have not been included in that Warrant of Precedence. The question of issuing such a Warrant limited in its application to the functions of the State Government has been under consideration for along time. The State Government has now approved the Warrant of Precedence indicated in the Annexure to this order.

Only important posts under the State Government and under the Central Government with headquarters in Rajasthan have been included in the Warrant of Precedence. Serial numbers have been assigned to the Articles in this Warrant to facilitate their incorporation at proper places in the Warrant of Precedence issued by the President's Secretariat.

By Order,

Sd/-

(Y. Singh)

Deputy Secretary to Government.

NOTE

1. Order in this table of precedence is meant for State ceremonial occasions and may not be strictly followed on more informal occasions.

2. The order in which the posts are mentioned in any Article is not the basis in determining the interse seniority. Officers in the table of precedence will take rank in order of the numbers of the entries; those included in one number will take precedence interse according to the date of entry into that number.

3. This table will not effect the precedence enjoyed by Rulers, etc. within former Indian States by virtue of local usuage & customs; nor will it beffect the local precedence interse of Rulers as in force immediately before 15th of August, 1947.

4. Rulers with a higher gun salute will take precedence over Rulers with a lower gun salute. Rulers with the same salute will take precedence interse according to date of succession.

5. Except in case of ladies who hold posts mentioned in the warrant of precedence, all ladies will take their place along with her husbands in their respective warrant of precedence.

6. The following Members of the State Legislative Assembly would take precedence over other members :—

   I. Leader of Opposition.

   II. Leader of Parties.

   III. Ex-Speakers.

   IV. Ex. Ministers.

   V. Government Whip.

7. All I. A. S. Officers, not otherwise ranked elsewhere having 9 years of service and above, whether they are Heads of Departments or hold other posts, will maintain their respective service seniorities in the I. A. S.

8. Collectors outside their charges will be ranked according to the length of service in the same manner as other I. A. S. Officers.

9. Pramukhs of Zila Parishads, Chairman of Municipal Councils and Municipal Boards and Pradhans of Panchayat Samities, within their respective jurisdiction, will rank below the MLAs. In case the Pramukh and the Pradhan are both within their respective jurisdictions, the Pramukh will take precedence. If any of these office bearers happens to be MPs, or MLAs. also, they will naturally take their precedence in that capacity. Outside their jurisdictions the Zila Pramukhs & Chairman, Municipal Councils would be placed in Art. 40.

10. Vice Chancellors not being Government Servants have not been included in the warrant of precedence. However, on occasions of State ceremonies they should be ranked in Art. 32 with Advocate General.

11. Where an officers, by virtue of his personal standing and seniority is entitled to a rank higher than that allowed to his post in the Warrant of Precedence, the officer will be given that higher rank. Notwithstanding the precedence allotted in the table of officers belonging to given service will, as between themselves in the same Article take their place according to their relative seniority in the respective cadres irrespective of the post they hold.

12. Government Officers who have been re-employed after retirement, should be assigned positions generally, appropriate to the last posts hold by them before retirement or the rank of the post to which they are re-appointed whichever is higher.

ANNEXURE TO THE WARRANT OF PRECEDENCE

4. Governor.

11. Rulers of Indian State with a salute of 17 guns and above within their States prior to merger.

14. Rulers of Indian State with a salute of 17 guns and above outside their State.

15. Chief Minister.

17. Rulers of Indian State with a salute of 15 guns or 18 guns within their States prior to merger.

21. Chief Justice of Rajasthan High Court.
    Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly.

22. Cabinet Ministers.

24. Rulers of Indian States with a salute of 11 or 9 guns within their States prior to merger.

25. Minister of State
    Deputy Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, Puisne Judges of the Rajasthan High Court.

25-A. Vigilance Commissioner.

26. Deputy Ministers.

26-A. Parliamentary Secretaries.

27. Members of the Parliament.

27-A. Members of the Rajasthan Legislative Assembly.

30. Chief Secretary to the Government of Rajasthan.

31. Chairman, Rajasthan Public Service Commission.
    Chairman, Board of Revenue.

31-A. Chairman of the Rajasthan Panchayat Samities & Zila Parishad Service Selection Committee (if held by a non official).

32. I. A. S. Officers in the Super Time Scale.
    Inspector General of Police.

(430)

Director of National Police Academy, Mt. Abu.

Officers of the rank of Major General or equivalent rank of Navy and Air Force.

Chairman of the Rajasthan Canal Board.

Members of the Rajasthan State Electricity Board.

Members of the Rajasthan Public Service Commission.

Advocate General.

Accountant General.

33. Postmaster General.

Income Tax Commissioners.

Secretaries to the Government (including Special Secretaries to the Government).

I. A. S. Officers in Selection Grade.

Secretary to Governor.

Secretary to Chief Minister.

Collectors within their respective charges.

Chairman, Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishad Service Selection Commission (if held by an official).

34. Additional Inspector General of Police.

Chief Engineers.

Chief Town Planner.

RJHS Officers in the Selection Grade.

Chief Conservator of Forests.

I. A. S. Officers 9 years service or above.

Director of Mines & Geology.

Director of Medical & Health Services.

35. Deputy Inspector General of Police within their charges

District and Sessions Judges within their respective charges.

Brigadiers and Officers of equivalent rank in Navy and Air Force.

36. Other Deputy Inspector General of Police.

I. P. S. Officers in Selection Grade.

Registrar, Rajasthan High Court.

I. A. S. Officers in the Senior Scale.

Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and other Officers of the Rajasthan Higher Judicial Service having rank of District and Sessions Judges.

37. Divisional Superintendents of Railway within their Jurisdiction.

Director of Archaeology.

Director of Education.

Additional Chief Engineer.

Director of Animal Husbandry.

Engineer-in-charge, Under Ground Water Board.

38. Additional Director of Medical and Health Services.

Principals of Medical Colleges.

Officers of the rank of full colonel and equivalent.

Officers of Navy and Air Force.

Director of Posts and Telegraphs.

Indian Forest Service Officers working as Conservator of Forests.

Senior Town Planner.

Electrical Inspectors.

Professors of Medical Colleges.

Joint Directors of Medical & Health Services.

Superintending Engineers.

State Radio Officers.

Superintendents of Police within their charges.

Deputy Director of Medical & Health Services.

Joint Director Agriculture.

Joint Director Technical Education.

General Superintendent Sodium Sulphate.

Chief Inspector, Rajasthan Inspector of Factories and Boilers Service.

40. I. P. S. Officers in Senior Scale.

Indian Forest Service Officers in Senior Scale.

Examiner of Local Funds.

Chief Accounts Officer.

Officers in the Selection Grade of RAS.

Conservator of Forests.

Class I Heads of Departments not otherwise specified above.

Assistant Commissioner Income Tax.

Deputy Collector Customs.

Officers of All India Services in Senior Scale.

Pramukhs and Chairman, Municipal Councils when outside their jurisdiction.

Deputy Secretaries to the Government (other than those specified above).

Officers of R. P. S. in Selection Grade.

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 672 की सूची

स्थानान्तरण के कारण राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में ठहरने वाले अधिकारियों की सूची

क्र. सं. 1	अधिकारी का नाम व पद 2	आने का दिनांक 3	जाने का दिनांक 4	कुल दिनों की स. 5
1.	श्री वी० एस० मिन्हास उप सचिव, शिपिंग एवं ट्रान्सपोर्ट।	14-9-81	1-1-82	108
2.	श्री अनिल वैश्य सचिव, टेक्सटाइल कमेटी, बम्बई।	14-11-81	31-1-82	80
3.	श्री वी० एल० शर्मा जनरल मैनेजर, ट्रेड फेयर अथारिटी इण्डिया, नई दिल्ली।	24-2-81	11-1-81	321
4.	श्री वी० सी० पाण्डे	10-4-82	1-8-82	113
5.	श्री एम० एल० शर्मा	4-6-82	6-8-82	63
6.	श्री एल० एन० गुप्ता जोइन्ट सैक्रेटरी	6-7-82	11-9-82	66
7.	श्री असीम चटर्जी जोइन्ट सैक्रेटरी	4-7-82	4-10-82	92
8.	श्री जस्टीस पी० डी० कुदाल	4-7-82	4-8-82	30
9.	श्री पी० के० शर्मा आर. ए. एस.	28-8-82	15-9-82	19
10.	श्री विजय वर्मा डायरेक्टर जनरल, जनगणना।	5-12-83 2-1-84	25-12-83 19-1-84	20 17

1	2	3	4	5
11.	श्री शंकर शरण डी. आई. जी. पुलिस	13-2-84	आज तक	
12.	श्री एम० एम० के० वली गृह सचिव ।	21-2-84	2-4-84	41
13.	श्री एस० वी० गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।	14-10-83	28-2-84	137
14.	श्री एन० के० सेठी सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कैम्प राजस्थान हाउस)	8-5-83	31-5-83	23

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 674 की सूची

तहसील बेगूं में पेयजल की दृष्टि से घोषित पेयजल से समस्यायुक्त गांवों की सूची :—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	हैण्ड पम्प खोदने का विवरण सफल	असफल	योग	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आकोड़िया	15	2	1	3	2	
2.	आनन्दपुरा	92	2	—	2	2	
3.	बामनखेड़ा	213	2	1	3	3	
4.	चावण्डिया	82	2	—	2	2	
5.	चोसला	7	2	—	2	2	
6.	खातीखेड़ा	382	6	—	6	5	
7.	कुआ खेड़ा	449	—	—	—	—	
8.	नरसिंह पुरा	74	2	—	2	2	
9.	पाछुन्डा	117	2	—	2	2	
10.	डोरकीया	193	5	—	5	5	
11.	रतनपुरा	309	1	—	1	1	
12.	रूपपुरा	462	1	—	1	1	
13.	विजयपुर	383	2	—	2	2	
14.	आवलखेड़ा	157	4	—	5	4	
15.	बालापुर	274	2	—	2	1	
16.	बम्बोरीखुर्द	376	2	—	2	2	
17.	बानोड़ा	75	2	—	2	2	
18.	बडोडीया	332	टी. एस. एस. के अन्तर्गत कमीशन्ड				

436

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	भवानीपुरा	76	2	—	2	2	
20.	भमपुरा	371	1	—	1	1	
21.	चेंची	222	7	—	7	7	
22.	चैनपुरा	344	2	—	2	2	
23.	चौमू	11	2	—	2	2	
24.	दीपपुरा	323	1	1	2	1	
25.	धागड़मउखुर्द	307	2	—	2	2	
26.	धुलखेड़ा	153	1	—	1	—	नल योजना बेगू के अन्तर्गत
27.	गोपालपुरा	177	2	—	2	2	
28.	जालखेड़ा	375	2	—	2	2	
29.	जावदा	420	5	—	5	5	
30.	जवराकलां	275	2	—	2	2	
31.	जावराखुर्द	276	2	—	2	2	
32.	झरझनी	325	टी. एस. एस. के अन्तर्गत कमीशन्ड				
33.	जोधपुरिया	36	2	1	3	2	
34.	कल्याणपुरा	209	2	—	2	2	
35.	खासाकाखेड़ा	151	1	1	2	1	
36.	कितीयास	8	2	—	2	2	
37.	कुलटीथानाई	234	3	—	3	3	
38.	लाडपुरा	192	2	—	2	2	
39.	लक्ष्मीपुरा	55	2	—	2	2	
40.	लोहारीया	311	2	2	4	2	
41.	लोठीयाना	291	2	—	2	2	
42.	माधोपुर	175	2	—	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	माधोपुर	73	2	—	2	2	
44.	मकनपुरा	21	2	—	2	2	
45.	मालीखेड़ा	6	2	—	2	2	
46.	मालपुरा	329	2	—	2	2	
47.	मडावदा	156	3	1	4	3	
48.	मोतीपुरा	5	3	—	3	3	
49.	नीमकाखेड़ा	278	2	—	2	2	
50.	राजगढ़	29	टी.एस.एस. योजना के अन्तर्गत कमीशन्ड				
51.	रामनगर	90	2	—	2	2	
52.	रतनपुरा	30	2	—	2	2	
53.	रावरदा	163	5	—	5	5	
54.	रावतभाटा	315	सिचाई विभाग द्वारा संधारित				
55.	रायती	169	3	—	3	3	
56.	रूपपुरा	17	2	—	2	2	
57.	रघुनाथपुरा	18	2	—	2	2	
58.	सोमजीकाखेड़ा	9	2	—	2	2	
59.	सुलीमपुरा	174	3	2	5	3	
60.	ठुकराई	114	टी.एस.एस. योजना के अन्तर्गत कमीशन्ड				
61.	तुरकड़ी	215	3	—	3	3	
62.	उदपुरिया	402	2	—	2	2	
63.	अमरपुरा	51	2	—	2	2	
64.	बड़ीकाखेड़ा	103	2	—	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	फतेहपुर	140	—	—	—	—	जिला परिषद् द्वारा उक्त गांव की जगह ग्राम बांधपुरा कोड नं. 194 जिससे 2 स्वीकृत हैण्ड पम्प के विपरीत एक सफल दो असफल नलकूप खोदे गये व सफल नलकूप पर हैण्ड पम्प स्थापित कर दिया गया।
66.	आम्बा	185	—	—	—	—	जिला परिषद् द्वारा गांव पिपलीखेड़ा बदला गया व इसमें स्वीकृत दो हैण्ड पम्प के विपरीत दो सफल एक असफल नलकूप खोदे गये एवं सफल नलकूप पर हैण्ड पम्प स्थापित किये गये।
67.	गुलाना	170	—	—	—	—	जिला परिषद् द्वारा उक्त गांव की जगह गांव मनकेश्वर कोड नं. 181 को बदला गया जिसमें स्वीकृत दो हैण्ड पम्प के विपरीत दो सफल एक असफल नलकूप खोदे गये सफल नलकूप पर हैण्ड पम्प स्थापित किया गया।
68.	हनुतिया	220	—	—	—	—	जिला परिषद् द्वारा उक्त गांव की जगह गांव गोपालपुरा कोड नं. 41 को बदला गया जिसमें दो स्वीकृत हैण्ड पम्प के विपरीत दो सफल नलकूप खोदे गये व दोनों पर हैण्ड पम्प स्थापित कर दिये गये हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	जैसीहीपुरा	214	—	—	—	—	जिला परिषद् द्वारा उक्त गांव के जगह गांव मण्डावरी कोड सं. 126 को बदला गया जिसमें सात स्वीकृत हैण्ड पम्प के विपरीत 6 सफल हैण्ड पम्प खोदे गये। उन पर हैण्ड पम्प स्थापित कर दिये गये।
70.	घाटी	245	—	1	1	—	जिला परिषद् की बैठक दि. 13-2-84 में उक्त गांव की जगह मेघनिवास कोड सं. 255 बदला गया जिसे कमीशन करना शेष है।
71.	बालकुण्डी कला	429	—	2	2	—	जिला परिषद् की बैठक 13-2-84 में उक्त गांव की जगह नया गांव देवपुरा कोड सं. 435 बदला गया उसको कमीशन करना शेष है।
72.	शम्भुपुरा	303	—	2	2	—	जिला परिषद् की बैठक दि. 13-2-84 में उक्त गांव की जगह श्रीपुरा कोड सं. 290 बदला गया कमीशन करना शेष है।

नोट :–1. क्र. सं. 70, 71, 72 वाले गांव जिनमें हैण्प पम्प हेतु नलकूप असफल रहे है को जिला परिषद् द्वारा बदले जाने के कारण समस्यारहित गांवों की श्रेणी में आते हैं।

2. क्र. सं. 7 एवं 70, 71, 72 के नये गांव अब कमीशन होना शेष हैं।

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 682 की सूची

कार्यालय नगर परिषद्, उदयपुर (राज०)

एफ 15 (बजट) स्थानीय (निकाय) (81-82) 1722 दिनांक 5-3-82 जन स्वास्थ्य अभि० विभाग द्वारा 32 हैण्ड पम्प खुदवाने हेतु 4,57,600.00 81–82 के बजट से व्यय की स्वीकृति जिसके अनुसार निम्न हैण्ड पम्प जन स्वा० अभि० विभाग द्वारा दिनांक 24-11-81 को खुदवाये गये हैं।

1. शास्त्री सर्कल,गुरु नानक स्कूल के पास,
2. सिख कालोनी गुरुद्वारा के पीछे
3. अशोका नगर नव भारत स्कूल के पास,
4. अशोक नगर पुलिस स्टेशन के पास,
5. अशोक नगर गो शाला के पास,
6. अशोक नगर रोड नं० 10 मकान नं० 20 के
7. भुपालपुरा मठ के पास,
8. भुपालपुरा स्कूल के पास,
9. खेमपुरा पब्लिक हाइडेन्ट के पास,
10. भुपालपुरा के पीछे लालसिंह के मकान के पास,
11. रविन्द्र नगर दुध डेयरी बूथ के पास,
12. प्रताप मन्दिर के पास,
13. डेवर कालोनी पब्लिक हाइडेन्ट के पास,
14. डेवर कालोनी हरीजन बस्ती के पास,
15. नाइयों की तलाई,
16. अन्य विद्यालय अम्बामाता,
17. पहाड़ा में हनुमान चौक के पास,
18. खटीक वाड़ा हाथी पोल सब्जी मार्केट के पास,
19. घोली बावड़ी मण्डी जाने वाले रास्ते के पास,
20. शिवाजी नगर के पास,

21. खटीक वाड़ा डा० बख्तावर लालजी के पास,
22. नागा नगरी भाण्डर की खेली के पास,
23. ईमली घाट पब्लिक हाइडेन्ट के पास,
24. बलपोल पीपली चौक के पास,
25. प्रताप नगर विधवा आश्रम के पास,
26. अशोक नगर शोपिंग सेन्टर के पास,
27. सूरजपोल जोगीवाड़ा कुमावतपुरा के पास,
28. हेली की गवाड़ी कानजी का हाटा,
29. शक्ति नगर हरीजन बस्ती के पास,
30. फतेहपुरा चौराहा के पास,
31. पुराना स्टेशन के पास,
32. फारवाड़ी के पास टरवेड़ा,

कार्यालय नगर परिषद्, उदयपुर (राज०)

फा. 15 (बजट) स्था. नि. (81–82) 2564 दिनांक 18-4-82 द्वारा 28 हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति 4 लाख रुपये, परन्तु कार्य 50 हैण्ड पम्प द्वारा खुदवाये गये हैं फा. 13 (81–82) नि. 82–83 दिनांक 29-4-82 द्वारा मैं० ड्रिल वैल शक्ति नगर, उदयपुर एवं मै० क्वालिटी ट्यूब वैल, सिख कालोनी, उदयपुर को दिनांक 29-4-82 को वर्क आर्डर दिया गया जो निम्न स्थानों पर हैण्ड पम्प खोदे गये।

1. डेबर कालोनी हरिजन बस्ती,
2. आयड़ सुथारों का मोहल्ला,
3. जाटवाड़ी ट्रान्सफारमर के पास,
4. नाड़ा खाड़ा हरीजन बस्ती,
5. किशनपोल हरीजन बस्ती,
6. ढक्कर बाबा कालोनी,
7. केलवा का बाड़ा,
8. गरीब नगर,
9. प्रताप नगर सी. क्लास,

10. पुरोहितों की मादड़ी,
11. सविना खेड़ा चुंगी नाका,
12. सविना गांव,
13. सविना गांव,
14. उमरड़ा चुंगी नाका,
15. किशनपोल मेघवालों की बस्ती,
16. किशनपोल मस्जिद के पास,
17. प्रताप नगर चुंगी नाका,
18. भाईवाड़ा, मौहरबावड़ी के कोने पर,
19. बड़ीपोल,
20. गणघोर घाट चौराहा,
21. सुथारवाड़ा,
22. अमल का कांटा,
23. मामाजी मानसिंहजी की हवेली,
24. चुड़ीघरों की मस्जिद-इमली वाला चौक,
25. खेरादी वाड़ा का चौक,
26. जगदीश चौक सार्वजनिक नल के पास,
27. देवगढ़ का बाड़ा लक्ष्मीजी के मन्दिर के पास,
28. शाहजी का बाड़ा श्री अक्षयसिंहजी देवपुरा के मकान के प्याऊ के पास,
29. रावजी का कांटा, सतूम्बर की हवेली के सामने,
30. रावजी का कांटा गोपाल भवन सार्व. नल के पास
31. पायड़ प्रणिस्तान ईदगाह मस्जिद के पास,
32. सिलावट बाड़ी मोदी कुण्ड के पास,
33. रजिडेन्सी रोड पिछे की तरफ,
34. खैरादी बाड़ा,
35. ढगड़बाड़ा चौखन्ना बाजार,
36. शबरी कालोनी मिल बस्ती,
37. शबरी कालोनी लोहार बस्ती,

38. आयड़ दक्षिण तरफ कलाल बस्ती के पास,
39. बारी घाट चांदपोल बस्ती,
40. बोहरवाड़ी पोस्ट आफिस के पास,
41. शितला माता मार्ग,
42. पंचदेवरी मार्ग बड़ा रामदेवरा के पास,
43. सहजो का चौक सांजीपिर,
44. देवाली कच्ची बस्ती,
45. पीली बावड़ी चौक,
46. रेहमान कालोनी,
47. धान मण्डी नमक वाला चौक,
48. झिणीरेत का चौक,
49. चमनपुरा कब्रस्तान के पास,
50. राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन ठीकर तांगा स्टेण्ड,

अधिशाषी अभियन्ता,
नगर परिषद्, उदयपुर (राज०)

कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर, (राज०)

वर्क आर्डर संख्या 134 (82-83) दिनांक 18-3-83 द्वारा में ज्योति इन्टरप्राइजेज उदयपुर को 30 हैण्ड पम्प लगाने को दिया गया। जिसके अनुसार निम्न हैण्ड पम्प दिनांक-7-10-83 को खुदवाये गये हैं।

1. धान मण्डी हनुमानजी का चौक मन्दिर के पास,
2. शास्त्री सर्कल,
3. देहली गेट हनुमान देवरी के पास,
4. सेठजी की हवेली,
5. पाण्डुवाड़ी,
6. लखारा का चौक,
7. धान मण्डी स्कूल के पास,

(445)

8. भटियानी चौहटा आशापाला के पास,
9. बदुजी का दरवाजा,
10. हाथीपोल पुलिस चौकी,
11, भट्टजी की बाड़ी,
12. आयड़,
13. चम्पालाल धर्मशाला के पास,
14. रेगर कालोनी,
15. कुम्हार बाड़ा,
16. बोहर बाड़ी कुतुबपुरा,
17. बस्तीरामजी की बाड़ी,
18. स्टेडियम
19. भिखारी नाथजी का मढ़
20. अलीपुरा मस्जिद के पास,
21. गाछीबाड़ा देहली काड़ा गेट अन्दर,
22. कुम्हारबाड़ा दाता के चौक,
23. लवकुश स्टेडियम,
24. शाहपुरा सब्जी मार्केट के पास,
25. जिलाधीश कार्यालय,
26. मोड़वाड़ा,
27. कंवरपदा स्कूल के पास,
28. मेहताजी की खिड़की,
29. गुन्दिया मं. नं. 25 का चौक,
30. कोलपोल

अधिशासी अभियन्ता,
नगर परिषद्, उदयपुर (राज.)

परिशिष्ट–6 अप्रैल, 1984–परिशिष्ट

कार्यालय नगर परिषद्, उदयपुर (राज०)

वर्क आर्डर संख्या 66 (83-84 का. 53) 83–84 दिनांक 2-6-83 द्वारा मैं यशोदा ड्रिलिंग भीलवाड़ा को 10 हैण्ड पम्प लगाने का दिया गया। जिसके अनुसार निम्न हैण्ड पम्प 30-11-83 को खुदवाये गये हैं।

1. गुन्दिया में. मं. नं. 25 का चौक,
2. नानीमाता मोचीवाड़ा के पीछे,
3. गांगागली राठी भवन का चौक,
4. कसारों की थोल,
5. नागा नगरी भीण्डर की हवेली के सामने,
6. सिरोहीवाड़ा, पुरोहितजी की हवेली के कोने पर,
7. रामद्वारा चांदपोल बाहर,
8. नागरबाड़ी हरकेश्वर महादेवजी के सामने,
9. गणेशघाटी नीचे उतार ने,
10. महावतबाड़ी चौक (मस्जिद के सामने)।

अधिशासी अभियन्ता,
नगर परिषद, उदयपुर (राज.)

(446)

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 686 के आदेश की प्रति

Government of Rajasthan
Finance (Gr. 2) Department

No. F. 1 (6) FD (Gr. 2)/78 Dated Jaipur, the 16 3-1983

Sub :-- **Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme.**

The Governor has been pleased to make the following emendments in the Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, namely—

In the said Scheme—

1. The existing para 5 shall be substituted by the following namely—

"5. **Rate of subscription to the Fund**—

(i) With a view to provide free supply of medicines to the state pensioners who are treated as outdoor and indoor patients at a Government Hospital/Clinic/Dispensary/Sanitorium etc., a 'Rajasthan Pensioners Medical Fund' has been constituted into which subscription shall be paid by the serving Government servants at the following rates :—

Category of Government servants.	Contribution per month
i) Employees drawing pay below Rs. 500/-	Rs. 1.00
ii) Employees drawing pay Rs. 550/- and above but below Rs, 1250/-	Rs. 2.00
iii) Employees drawing pay Rs 1250/- and above but below Rs. 1800/-	Rs. 3.00
iv) Employees drawing pay Rs. 1800/- and above	Rs. 5.00

(ii) All existing Government servants whether temporary or permanent and Government servants appointed on or after 1st March, 1983 shall pay subscription at the rates mentioned in para 5(i) above with effect from 1st March, 1983 i.e. from the pay bill for the month of March payable in April."

2. The existing para 11 shall be substituted by the following namely :-

"11. **Procedure for obtaining medicines from authorised medical shops free of charge by the pensioners.**

(i) (a) Every pensioner will have a medical card which shall contain his particulars and joint photograph of himself and his wife in Form PMF. 2A. The photo on the medical cards will be attested by the Head of Office or Department in which he was last working or Collector of the district or any other Judicial or Executive Magistrate/ Treasury Officer/Sub Treasury Officer/Pension Payment Officer, Jaipur/Officer of the authorised public sector bank in Rajasthan for payment of pension to state pensioners under his official seal. This can be done by the aforesaid authorities on the basis of copy of Pension Payment order issued by the Accountant General/Chief Pension Officer for payment of pension.

(b) Pensioners who already possess an Identity card in form PMF-2 will also obtain medical card in form PMF-2A from the Treasury Officer on payment. In their case no separate joint photo will be required to be affixed to the medical card, and they will be required to produce the identity card as well as the medical can before the authorised medical attendent when they appear before him for treatment.

(ii) The authorised medical attendent shall, after identification of the pensioner on the basis of identity card and/ or medical card (Form PMF 2A) as the case may be record prescription in the medical card of the pensioner

(448)

itself and ensure that he prescribes only those medicines for pensioners which have been incorporated in the positive list of the medicines to be supplied to the pensioners free of cost. The list of positive medicines for supply to pensioners shall be issued by the Director of Medical & Health Services from time to time. The prescription recorded by the authorised medical attendent in the medical card shall bear number and date of the concerned dispensary or hospital and also full signature of authorised medical attandent with his official seal. The official seal in rubber stamp also indicate the name of the authorised medical attendent.

(iii) A separate outdoor register for such pensioners shall be maintained in each hospital and dispensary.

(iv) The pensioner will present the medical card to the authorised medical shop-keeper who shall supply medicines free of cost. The authorised shop keeper shall be required to record legibly the names of the medicines supplied to the pensioners againest the prescription of the authorised medical attendant and that he shall record the bill number and date and the amount of the bill in the relevant column of the card. The authorised shop-keeper shall issue bill in respect of medicines sold to the pensioner on the basis of the prescription of the authorised medical attendent. He may require the pensioner to produce medical card at the time of purchase. If the pensioner himself is unable to visit the shop for purchase of medicines, it can be purchased through his representative from the authorised shop and the recipient shall be required to sign the bill legibly.

(v) The authorised shop-keeper shall issue bill in triplicate in the prescribed Form PMF-4. The signatures of the pensioner in full shall be taken on the bill. The original copy of the bill shall be given to the pensioner, and second copy shall be sent to the Administrator of the Trust i.e. Collector alongwith the statement of claims in

Form PMF-5. The third copy will be retained by the shop-keeper for his record.

(vi) The authorised shop-keeper shall send a statement of claim in respect of medicines supplied to the pensioner in Form PMF 5 accompanied by the second copy of the bill to the collector of the District for getting payment."

3. The existing item (6) of sub-para (ii) of para 4 shall be substituted by the following namely—

"(6) The supply of the alopathic drugs, medicines, vaccines, sera or other therapautic substances not ordinarily available in Government Hospitals free of charge from medical shop/store recognised for the scheme in case of outdoor treatment."

4. After existing item (6) of sub-para (ii) of para 4 the following new item may be added, namely :—

"(7) Supply of allopathic drugs, medicines, vaccines, sera 'or other therapeutic substances not ordinarily available in Government Hospitals free of charge to indoor patients, shall be arranged by the Head of the Government Hospital out of the Government funds."

5. The existing para 9 shall be substituted by the following namely :-

"9 **Interest of fund**—simple interest at the rate of 8% per annum on the balance in the fund of 31st March each year, shall be paid by the Treasury Officer and it shall be credited to the personal Deposit Accounts of the fund. The intimation for the credit shall be sent by every Treasury officer to the Director, Medical & Health services. The expenditure will be debitable to the minor head concerned below the major head '249—Interest Payments, Director Medical & Health Services will propose estimates of expenditure on interest payment under head '249—Interest payments and send the same to the Govt. at the proper time."

6. A new form PMF-2A shall be added to the scheme.

7. The existing Form PMF-3 appended to the scheme shall be deleted.

8. The existing Form PMF-4 appended to the scheme shall be substituted by the Form appended to the Order.

By Order of Governor,

Sd/—

(M. L. Gaur)

Deputy Secretary to the Govt.

MNR. Nair/10—2

Copy forwarded to :—

1. All Secretaries to Government.
2. All Private Secretaries to Ministers/ State Ministers/Deputy Ministers.
3. All Sections of the Secretariat.
4. All Heads of Departments
5. All Treasury Officers:
6. Codification Section (O & M) with 7 copies.

पी.एम.एफ.–2ए

मेडिकल कार्ड

(राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सालय रियायत योजना के अन्तर्गत)

संख्या कोष/..................दिनांक..................

1. पी.पी.ओ/सी.पी.एफ.संख्या..................
2. (अ) पेंशनर्स का नाम..................
   (ब) पत्नी/पति का नाम..................
3. गत पद जिससे सेवा निवृत..................
   उसका नाम व विभाग..................

संयुक्त फोटो

4. नमूने के हस्ताक्षर
   (1) (2)
5. पूरा पता..................

कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी
के हस्ताक्षर मय सील

अस्पताल/चिकित्सालय..................

रोगी का नाम..................

आउटडोर नं व तारीख..................

निर्धारित दवाइयों का विवरण

1.
2.
3.
4.
5.

अधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर
मय पद एवं मोहर

दुकानदार का नाम..................

दवाइयों का नाम मात्रा

1.
2.
3.
4.
5.

बिल नं...........दिनांक..................

रकम..................प्रगति जोड़..................

सेल्स मेन के हस्ताक्षर
दुकान की सील

452

पी.एम.एफ.-2ए

राजस्थान राज्य पेन्शनर्स चिकित्सा रियायत योजना

संख्या

पेन्शनर्स मेडिकल डायरी

आवश्यक निर्देश :—

1. पेन्शनर्स को परिचय पत्र के साथ मेडिकल डायरी प्रस्तुत करने पर ही पेन्शनर्स चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

2. वर्ष में 500/– रु. तक दवाइयां साधारणतया मिलेंगी 500/– रु. से अधिक दवाइयों की रकम होने पर मेडिकल विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने के बाद ही सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मेडिकल कालेज के लिये विशेषज्ञ की परिभाषा में प्रोफेसर और रीडर ही माने जायेंगे। डिस्पेन्सरी के लिए विशेषज्ञ की परिभाषा में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ/मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे।

3. इनडोर रोगी की दशा से पेन्शनर्स को निःशुल्क दवाइयां अस्पताल/डिस्पेन्सरी से मेडिकल विभाग के खर्चे पर उपलब्ध होगी जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी।

4. अधिकृत चिकित्सक पेन्शनर्स को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पोजेटिव लिस्ट के अनुसार निर्धारित करेंगे।

5. अधिकृत दुकानदार पोजेटिव लिस्ट के अनुसार दवाइयां स्टाक में रखेगा तथा उसी के अनुसार पेन्शनर्स को उपलब्ध करायेगा।

6. अधिकृत चिकित्सक पेन्शनर्स को भी दवाइयां निर्धारित करेगा वह पेन्शनर्स मेडिकल डायरी में ही लिखेगा।

7. मेडिकल स्टोर के सेल्स मैन द्वारा पेन्शनर्स को दी गई दवाइयों का ब्यौरा मेडिकल डायरी में अंकित तथा पिछली दवाइयों का जोड़ अगले बिल में जोड़कर दर्शायेगा।

8. पेन्शनर्स जो भी दवाइयां प्राप्त करेगा उसके वाउचर पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा।

परिशिष्ठ 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 689 आय का ब्यौरा, खर्च का बिवरण एवं बजट की प्रतियां

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

सूची 'क'

न्यास बैठक दिनांक 21-3-81 द्वारा पारित वजट वित्तीय वर्ष 1981-82 का स्वीकृत तथा संशोधित एवं 1982-83 का प्रस्तावित बजट आय

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत 81-82	संशोधित 81-82	प्रस्तावित 82-83
1	2	3	4	5
1.	भूखण्डों की बिक्री से आय	40,70,000.00	42,91,226.00	75,14,036.00
2.	किराया व किराया क्रय किश्त	3,77,000.00	1,90,635.00	1,85,000.00
3.	पड़त भूमि से आय	4,000.00	5,950.00	4,000.00
4.	अन्य आय	84,700.00	1,56,565.00	4,11,300.00
5.	रोड रोलर से आय	40,000.00	42,590.00	40,000.00
6.	ब्याज	1,20,000.00	75,907.00	1,45,000.00
7.	बाढ़ सहायता ऋण की वसूली	40,000.00	31,248.00	40,000.00

453

1	2	3	4	5
8.	भण्डार सामग्री की बिक्री	3,10,000.00	59,583.00	3,05,000.00
9.	अस्थाई अग्रिम	1,00,000.00	38,089.00	1,00,000.00
10.	अमानत राशि	2,25,000.00	4,12,856.00	4,00,000.00
11.	जमा के तहत कार्य	1,00,000.00	—	1,00,000.00
12.	राज्य सरकार से ऋण	3,00,000.00	—	—
13.	वातावरण सुधार योजना	6,00,000.00	—	12,00,000.00
	योग	63,70,700.00	53,04,649.00	1,04,44,336.00

सचिव,

नगर सुधार न्यास, अजमेर।

सूची 'ख'

कार्यालय नगर सुधार न्यास अजमेर

न्यास बैठक दिनांक 24-4-82 द्वारा पारित बजट के वित्तीय वर्ष 1982-83 का स्वीकृत तथा संशोधित एवं वर्ष 1983-84 का प्रस्तावित बजट आय

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत 82-83	संशोधित 82-83	प्रस्तावित 83-84
1	2	3	4	5
1.	भू-खण्ड विक्रय से आय	75,14,034.00	34,89,473.00	1,34,55,192.00
2.	किराया व किराया क्रय किश्त	1,85,000.00	3,08,471.00	1,85,000.00
3.	पड़त भूमि से आय	4,000.00	2,200.00	4,000.00
4.	अन्य आय	4,11,300.00	3,53,048.00	3,16,200.00
5.	रोड रोलर से आय	40,000.00	41,140.00	40,000.00
6.	ब्याज	1,45,000.00	1,56,913.00	1,40,000.00
7.	बाढ़ सहायता ऋण की वसूली	40,000.00	36,450.00	40,000.00
8.	भण्डार सामग्री की बिक्री से आय	3,05,000.00	2,08,512.00	3,05,000.00
9.	अस्थाई अग्रिम	1,00,000.00	91,185.00	2,00,000.00

(455)

456

1	2	3	4	5
10.	धरोहर एवं अमानत राशियां	4,00,000.00	7,92,726.00	4,47,000.00
11.	जमा के तहत कार्य	1,00,000.00	—	1,00,000.00
12.	राज्य सरकार से ऋण	—	—	—
13.	हुड़को से ऋण ज्वाला प्रसाद नगर योजना प्रथम चरण	—	—	27,93,000.00
14.	ज्वाला प्रसाद नगर द्वितीय चरण	—	—	27,70,000.00
15.	वातावरण सुधार योजना	12,00,000.00	12,00,000.00	—
	योग	1,04,44,336.00	67,80,118.00	2,07,95,392.00

सचिव,

नगर सुधार न्यास, अजमेर

सूची 'ग'

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

न्यास बैठक दिनांक 25-5-84 द्वारा प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 1983-84 एवं आय माह जनवरी 1984 तक

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित 83-84	कुल आय माह जनवरी 84 तक
1	2	3	4
1.	भू-खण्डों की बिक्री से आय	1,34,55,192.00	47,96,097.75
2.	किराया व किराया क्रय पद्धति	1,85,000.00	2,67,571.34
3.	पड़त भूमि से आय	4,000.00	7,500.00
4.	अन्य आय	3,16,200.00	9,80,882.18
5.	रोड रोलर से आय	40,000.00	15,855.55
6.	ब्याज	1,40,000.00	2,69,613.42
7.	बाढ़ सहायता ऋण की वसूली	40,000.00	55,016.10
8.	भण्डार सामग्री की बिक्री	3,05,000.00	5,21,113.75
9.	अस्थाई अग्रिम	2,00,000.00	8,13,388.42

1	2	3	4
10.	अमानत राशि	4,47,000.00	14,64,994.36
11.	जमा के तहत कार्य	1,00,000.00	—
12.	राज्य सरकार और हुड़को से ऋण ज्वाला प्रसाद नगर प्रथम चरण	27,93,000.00	—
13.	ज्वाला प्रसाद नगर द्वितीय चरण	27,70,000.00	41,41,000.00
14.	वातावरण सुधार योजना	—	—
15.	शहरी जमा बन्दी	—	73,166.75
16.	अनुदान	—	1,00,000.00
	योग	2,07,95,392.00	1,35,07,199.80

सचिव,

नगर सुधार न्यास, अजमेर

सूची 'घ'

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

न्यास बैठक दिनांक 21-3-81 द्वारा पारित बजट वित्तीय वर्ष 1981-82 का स्वीकृत तथा संशोधित एवं वर्ष 1982-83 का प्रस्तावित बजट व्यय

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत 81-82	संशोधित 81-82	प्रस्तावित 82-83
1	2	3	4	5
1.	सामान्य प्रशासन	5,34,000.00	5,28,745.00	7,06,000.00
2.	विविध योजनायें	24,65,000.00	7,66,856.00	34,45,000.00
3.	वातावरण सुधार योजना	5,00,000.00	98,293.00	13,50,000.00
4.	भूमि अवाप्ती	7,22,000.00	1,34,045.00	10,00,000.00
5.	कार्यालय भवन व रहवासी बंगला पर मरम्मत व विकास कार्य	40.000.00	16,854.00	2,50,000.00
6.	सर्वेक्षण	15,000.00	23,370.00	30,000.00
7.	जमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य	50,000.00	43,198.00	2,00,000.00

459

460

1	2	3	4	5
8.	कार्यालय खर्च	1,35,200.00	1,57,652.00	1,84,103.00
9.	ऋण का पुनः भुगतान	4,00,000.00	3,67,067.00	4,50,000.00
10.	भण्डार सामग्री की खरीद	2,00.000.00	5,64.292.00	7,00,000.00
11.	अस्थाई अग्रिम राशि	4,75,000.00	4,88.132,00	11,58,500.00
12.	जमा की वापसी	2,25,000.00	4,89,395.00	2,45,000.00
13.	औजार व मशीनरी की खरीद	10,000.00	8,710.00	10,000.00
14.	न्यास कर्मचारियों का अग्रिम	—	—	86,500.00
	योग	58,71,200.00	36,86,619.00	98 15,103.00

सचिव,
नगर सुधार न्यास, अजमेर

सूची 'इ'

कार्यालय नगर न्यास, अजमेर

न्यास दिनांक 24-4-82 द्वारा पारित बजट के वित्तीय वर्ष 1982-83 का स्वीकृत तथा संशोधित एवं वर्ष 1983-84 का प्रस्तावित बजट व्यय

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत 82-83	संशोधित 82-83	प्रस्तावित 83-84
1	2	3	4	5
1.	सामान्य प्रशासन	7,06,000.00	6,64,486,00	8,06,500.00
2.	विविध योजनाओं में खर्च	34,45,000.00	18,32,690.00	1,00,15,000.00
3.	कच्ची बस्ती सुधार योजना	—	—	20,00,000.00
4.	वातावरण सुधार योजना	13,50,000.00	8,26,153.00	2,00,000.00
5.	भूमि अवाप्ति	10,00,000.00	22,725 00	30,00,000.00
6.	कार्यालय भवन व रहवासीय बंगलों पर मरम्मत व विकास	2,50,000.00	60,003.00	2,50,000.00
7.	सर्वेक्षण कार्य	30,000.00	25,390.00	50,000.00
8.	जमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य	2,00,000.00	74,00.00	97,000.00

(46)

1	2	3	4	5
9.	कार्यालय व्यय	1,84,103.00	3,42.184.00	3,42,184.00
10.	ऋण का पुन: भुगतान	4,50,000.00	3,30,945.00	3,75,000.00
11.	भण्डार सामग्री क्रय	7.00.000.00	6.96,037.00	8,00,000.00
12.	अस्थाई अग्रिम राशि	11.58.500.00	3,76,109.00	19,56,200.00
13.	जमा की वापसी	2,45,000.00	4,17,853.00	3,20,000.00
14.	औजार एवं मशीनरी क्रय	10,000.00	14,885.00	1,07,000.00
15.	न्यास कर्मचारियों को भवन निर्माण व वाहन अग्रिम	85,500.00	1,32,790.00	1,11,000.00
16.	अनुदान हेतु प्रावधान	—	—	2,00,000.00
	योग	98,15,103.00	57,57,100.00	2,05,87,700.00

सचिव

नगर सुधार न्यास, अजमेर।

सूची 'च'

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

न्यास बैठक दिनांक 25–5–83 द्वारा प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 1983–84 एवं व्यय माह जनवरी 1984 तक

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तावित 83–84	कुल व्यय माह जनवरी 84 तक
1	2	3	4
1.	सामान्य प्रशासन	8,06,500.00	6,78,672.83
2.	विविध स्कीम	1,08,15,000.00	22,48,828.39
	हुडको स्कीम	—	42,88,621.86
3.	भूमि अवाप्ति	30,00,000.00	8,92,003,00
4.	कच्ची बस्ती	22,00,000.00	10,01,094.48
5.	कार्यालय भवन व बंगले	2,50,000.00	1,13,021,18
6.	जमा के अन्तर्गत विकास	97,000.00	27,426.38
7.	कार्यालय खर्च	3,00.000.00	4,73,733,67
8.	ऋण का पुन: भुगतान	3,75,000,00	1.68,061.78
9.	भण्डार सामग्री	8.00.000.00	9,30,387.11

1	2	3	4
10.	अग्रिम	19,56,200.00	16,76,588.60
11.	जमा की वापसी	3,20,000.00	6,36,944.88
12.	औजार व मशीनरी	1,07,000.00	1,14,360.55
13.	कर्मचारियों का अग्रिम	1,11,000.00	85,770.00
14.	सर्वेक्षण	50,000.00	15,322.50
15.	अनुदान	2,00,000.00	2,09,753.64
	योग	2,05,87,700.00	1,35,60,590.95

सचिव,
नगर सुधार न्यास, अजमेर

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 692 का विवरण

क्र. सं.	माह	सोना, पन्ना, माणक, मोती, नीलम, मूंगा, बहुमूल्य पत्थर, आभूषण व बहुमूल्य बर्तनों पर प्राप्त चुंगी राशि	सोना	चांदी	प्लेटीनम	वि. वि.
1.	अप्रैल-83	2422-49	—	—	—	—
2.	मई-83	549-85	—	—	—	—
3.	जून-83	2867-83	—	—	—	—
4.	जुलाई-83	3616-60	—	—	—	—
5.	अगस्त-83	433-45	—	—	—	—
6.	सितम्बर-83	2857-25	—	—	—	—
7.	अक्टूबर-83	4349-80	—	—	—	—
8.	नवम्बर-83	772-30	—	—	—	—
9.	दिसम्बर-83	2014-35	—	—	—	—
10.	जनवरी-84	484-50	—	—	—	—
11.	फरवरी-84	225-85	—	—	—	—
	योग	20594-27				

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न 697 की सूची

अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची जिन्हें माउण्ट आबू जाने के आदेश प्रचलित किये गये थे

1. श्री राम अवतार गुप्ता, क्षेत्रीय
2. श्री बी. आर. मौर्या, सहायक कृषि अभियन्ता
3. श्री गिरधर गोपाल, वनपाल
4. श्री ताराचन्द्र हाडा, उप-क्षेत्रीय
5. श्री नारायण दास कलवानी, सर्वेयर
6. श्री रोहिणी रमण साद, अवलोकन

उपरोक्त में से श्री गिरधर गोपाल वनपाल तथा श्री ताराचन्द हाडा, उप-क्षेत्रीय के आदेश प्लान्टेशन की निगरानी की महत्ता देखते हुए निरस्त कर दिये गये। अन्य कर्मचारी/अधिकारी माह दिसम्बर, 1983 के अन्त तक आबू रोड पहुँच गये।

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 702 की सूचियां

परिशिष्ट 1

जिला बांसवाड़ा में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची (10-3-1984 तक की स्थिति)

क्र. सं.	नाम स्थान
1.	चिड़ियावासा
2.	छोटी बदसेल
3.	तलवाड़ा
4.	नया गांव
5.	सुरपुरा
6.	सामरिया
7.	तेजपुर
8.	गामड़ी
9.	नया तालाब
10.	कूपड़ा
11.	सुन्दनपुरा
12.	करजी
13.	कंलिजरा
14.	बोडीगामा
15.	बुड़वा
16.	गांगडतलाई
17.	नौगामा
18.	सल्लोपाट
19.	शेरगढ़
20.	मोटी टिम्बी

468

1	2
21.	चान्दवाड़ा (चांदरवाड़ा)
22.	फलवा
23.	भुखिया
24.	छाजा
25.	अरथूना
26.	पादरड़ी
27.	गोपीनाथ का गढ़ा
28.	बस्सी बड़ी
29.	कुवालिया
30.	रंय्याना
31.	आसोड़ा
32.	आन्जना
33.	आसन
34.	खोड़न
35.	खेड़ा
36.	बोरी
37.	डडूका
38.	भीमपुर
39.	लोहारिया
40.	सरेड़ी बड़ी
41.	रोहिण्डा
42.	खमेरा
43.	चन्दुजी का गढ़ा
44.	जगपुरा
45.	दुवका
46.	नरवाली
47.	पण्डोली राठौड़

1	2
48.	वामनपारड़ा
49.	भुंनड़ा
50.	मुन्डा सेल
51.	गोटी गांव
52.	सेनावासा
53.	देलवाड़ा
54.	भुवासा
55.	मोहकामपुरा
56.	लोहारिया
57.	कलिजरा
58.	बडवास छोटी
59.	रामगढ़
60.	पाटन
61.	कसारवाड़ी
62.	डूंगराकलां
63.	तामसरा
64.	सज्जनगढ़
65.	बीलड़ी
66.	पीपलखूंठ
67.	डूंगलावानी
68.	सेमलिया
69.	लाम्बा डाबरा
70.	तेजपुर छोटी
71.	सरवन छोटी
72.	दानपुर

1	2
73.	अमरसिंह का गढ़ा (वर्ष 1984 में ननीन स्वीकृत औषधालय)
74.	पाटियाबलिया ,, ,,
75.	साकरिया ,, ,,
76.	कुशलगढ़ शहर ,, ,,
77.	बांसवाड़ा "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय

इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्थानों पर उनके सम्मुख अंकित चिकित्सा पद्धति के औषधालय भी संचालित हैं :—

क्र. सं.	नाम स्थान का	चिकित्सा पद्धति
1.	डूंगरिया	यूनानी
2.	खैरवा	होम्योपैथिक
3.	बांसवाड़ा शहर	होम्योपैथिक (वर्ष 1984 में नवीन स्वीकृत)

परिशिष्ट 2

जिला बांसवाड़ा अन्तर्गत संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्यों के रिक्त पदों का विवरण :—

क्रम संख्या	नाम स्थान
1.	चांदरवाड़ा
2.	मुंडासेल
3.	पादरडी
4.	जगपुरा

1	2
5.	डूंगलावानी
6.	तामेसरा
7.	चन्द्रजी का गुढ़ा
8.	शेरगढ़
9.	डूंगरकलां
10.	घोडी तेजपुर
11.	नया तालाब
12.	देलवाड़ा
13.	साभरिया
14.	भुवासा
15.	मोटी टिम्बी
16.	दानपुर
17.	छोटी सरवन
18.	लुहारिया
19.	ताम्बा डाबरा
20.	दुदका
21.	आसोड़ा
22.	अमरसिंह का गढ़ा
23.	पांडियागलियां
24.	साकरिया
25.	कुशलगढ़ शहर

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 710 की सूची

पाली जिले में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों की सूची

क्र. सं.	नाम कृषि कार्यकर्ता	पद स्थापित स्थान	दि० कब से पद स्थापित है	स्थाई निवास स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री सलीम खां	कोट	11-7-83	बाली
2.	श्री लखाराम	भीमाणी	23-1-82	पाचलवाडा (रानी)
3.	श्री गोपाराम	मिगेसर	13-10-79	जोधपुर (देवातडा)
4.	मौज मोहम्मद	नाणा	1-9-81	रानी
5.	श्री दूदाराम	आना	1-10-79	सादडी
6.	श्री विजयन्द्र सिंह	दादाई	27-12-78	पदमपुरा
7.	श्री अनाथ सिंह	भिटवाडा	24-1-80	सरयूरा (बाली)
8.	श्री रमेश चन्द्र	खाड	28-4-80	जोधपुर
9.	श्री पुरुषोतम दास	जवाई बांध	21-11-78	(गलथनी (सुमेरपुर)
10.	श्री भंवरलाल आर्य	कारोलाव	10-1-80	जोधपुर
11.	श्री रतनाराम	शिवतलाव	15-10-79	शेरगढ़
12.	श्री दोलतपुरी	गागरा	12-10-79	वाली (बाली)
13.	श्री सुगन सिंह	परेवा	11-3-80	श्रीसला (बाली)
14.	श्री तुलसीराम	भारून्दा	5-10-81	खारचीया
15.	श्री भीखसिंह		16-10-82	लोरेटा
16.	श्री गणपतलाल	वीजावा	16-10-81	भदूरा
17.	श्री चन्द्रशेखर	बिसलपुर	29-1-80	बाली
18.	श्री नाथू सिंह	सिन्दरली	1-3-83	कोटबालीया

परिशिष्ट-6 अप्रैल, 1984-परिशिष्ट

2	3	4	5
19. श्री शैतान सिंह	पनोता	18-7-83	मांसरी
20. श्री ईश्वर सिंह	मादा	27-2-83	खांड
21. श्री अजयपाल सिंह	खिवाडा	12-7-83	बाड़ी
22. श्री भंवरलाल	निपल	19-10-79	बूसी
23. श्री मांगीलाल	जवाजी	18-4-83	देवली
24. श्री गजेन्द्र सिंह	दुजाना	5-1-79	आकदडा
25. श्री मादूलाल	कांकराड़ी	9-1-82	भाक
26. श्री किशन सिंह	वैडा	15-7-83	वैडा
27. श्री चैनसिंह	सादडी	1-3-78	मादा
28. श्री छोगाराम	बडोद	1-3-78	बडोद
29. श्री भोलाराम	डायलाना	1-3-78	डायलाना
30. श्री बाबूलाल	बिरानी	1-3-78	बिरानी
31. श्री केसाराम	पिलावनी	1-3-78	पिलावनी
32. श्री नाथूराम	नेतरा	1-3-78	खारडा
33. श्री घनश्याम	खारडा	1-3-78	खारडा
34. श्री उम्मेद सिंह	मांचलवाडा	8-7-83	सरथुर
35. श्री सलीम खां	सेवाडी	11-7-83	बाली
36. श्री दिलीप सिंह	बीजापुर	8-7-83	कालारी
37. श्री हरदेवपुरी	देसूरी	23-12-78	देसूरी
38. श्री रघुराज सिंह	घूणी	11-7-83	खीमेल
39. श्री विरेन्द्र सिंह	लुणावा	13-2-83	मिगेसर
40. श्री शिवराज	घाणीराव	11-7-83	विजावा
41. श्री कपूरचन्द	सुमेर	11-7-83	सादडी
42. श्री मालमसिंह	चामुन्डरी	30-3-78	खुडी का गुड़ा
43. श्री लुण करण सिंह	सुमेरपुर	17-11-81	नांसरा

(474)

1	2	3	4	5
44.	श्री भंवर सिंह	बलुपुरा	11-7-83	खिबान्दडी
45.	श्री भगवान सिंह	बाकली	11-7-83	दुजाना
46.	श्री भगाराम	पादरली	13-10-80	पनाडिया
47.	श्री कल्याण सिंह	मुन्डारा	5-1-78	पांचलवाड़
48.	श्री गुमान सिंह	मगरतलाव	29-3-78	गुडाआसकरण
49.	श्री पीरसिंह	दूदनी	23-2-79	सेना
50.	श्री दारूसिंह	कोटार	29-3-78	बेंडा
51.	श्री मनोहर सिंह	सादडी	23-2-78	बीटवाड़ा
52.	श्री छैलसिंह	कैसूली	29-3-78	गुड़ा आसकरण
53.	श्री मोहम्मद करीम	गुडाला	22-12-78	बाली
54.	श्री महेन्द्र सिंह	कोटसलिकीया	11-7-78	फालना
55.	श्री डूंगर सिंह	लाटावा	27-2-78	सादड़ी
56.	श्री आरीफ अली	बारचा	2-1-79	बाली
57.	श्री दिनेश कुमार	भन्दर	5-1-79	गूंज अजमेर
58.	श्री रूपाराम	आमलिया	16-11-81	सांमेसर
59.	श्री सुजान सिंह	खिमेल	10-10-79	मूगड़ा
60.	श्री शेषकरण त्रिवेदी	सैणी	23-10-79	भाटून्द
61.	श्री नरेन्द्र सिंह	नाडांल	24-1-80	गुड़ा दुर्जद
62.	श्री भीकमचन्द	ढालोप	1-4-78	घीणीराव
63.	श्री सुमेर सिंह	बाली	23-1-80	सवालनाड़ा
64.	श्री मोहन सिंह	ढांला	24-1-80	बेंड़ा
65.	श्री हरदयाल सिंह	मगरतलाव	25-1-80	मालारी
66.	श्री बालूराम	भाटून्द	17-10-79	बाली
67.	श्री विजय कुमार	काटडी	28-4-80	बौंरून्दा
68.	श्री प्रतापराम	नाडोल	16-11-81	गीराली

1	2	3	4	5
69.	श्री भंवर सिंह	राजपुरा	20-11-78	मानपुरा
70.	श्री मनावर सिंह	खीवान्दी	1-10-79	वाकली
71.	श्री मोहन सिंह	ढोला	24-1-80	वेड़ा
72.	श्री किशोर सिंह	चाणद	26-12-78	सादड़ी
73.	श्री विजयप्रता सिंह	बुसी	22-12-78	सतराई (उ. प्र.)
74.	श्री छतर सिंह	बालराई	1-1-79	केनपुरा
75.	श्री सतीशचन्द्र	पालड़ी	26-9-81	सरादना (अजमेर)
76.	श्री प्रकाश मल	साण्डेरवा	22-12-81	वाली
77.	श्री भंवर आर्य	वसंत	9-4-83	जोधपुर
78.	श्री रामलाल	नाडी	15-8-80	धुन्दाड़ा
79.	श्री आमाराम	धनेड़ी	22-2-83	देवली
80.	श्री भंवर लाल सोनल	सांवतला	17-10-79	सेवाड़ा
81.	श्री वैद्य प्रकाश	कोरटा	29-7-83	पाली
82.	श्री जबर सिंह	पावा	11-7-74	सवावा (उदयपुर)
83.	श्री भंवर सिंह	किशनपुरा	30-6-79	उमेदसिंह
84.	श्री मोहन लाल	सिन्दरू	11-7-83	सुमेरपुर
85.	श्री जबर सिंह	खिवाड़ा	11-10-79	खेतरावा
86.	श्री करण सिंह	तखतगढ़	30-1-80	करड़ा
87.	श्री महेन्द्र कुमार	गोरिया	23-11-81	जोधपुर
88.	श्री बद्रीनारायण	खीमसर	23-11-81	चौमू
89.	श्री सुबोध पंवार	पोमावा	23-11-79	सेवाड़ी
90.	श्री श्रवण सिंह	साण्डेराव II	27-1-81	सेला
91.	श्री पार्वूसिंह	अनोपपुरा	12-11-81	दुनी का गुढ़ा
92.	श्री रताराम	रानी	1-4-66	सरथ
93.	श्री उमाशंकर वोहरा	नाडोल	1-11-72	सादड़ी

1	2	3	4	5
94.	श्री भगवतसिंह	बींजापुर	15-5-78	सेवाड़ी·
95.	श्री छैल सिंह	सुमेरपुर	4-11-78	गलथनी
96.	श्री मानसिंह	बाली	1-12-66	पांचलवाड़ा
97.	श्री नाथू सिंह	सुमेरपुर	11-11-80	अणगोर
98.	श्री मालमसिंह	सादड़ा	23-5-76	बढोद
99.	श्री पृथ्वी सिंह	सुमेरपुर	7-1-81	मालारी
100.	श्री भंवर सिंह	देसूरी	21-2-81	मालारी
101.	श्री छगनलाल	सिवाड़ा	27-2-78	गांवी (देसूरी)
102.	श्री ढगलदास	सोजत	7-67	दादाथी
103.	श्री अमरलाल सांवलोत	सोजत	7-78	सवराड़
104.	श्री मन सिंह	सोजत	4-81	सवराड़ (सोजत)
105.	श्री मूल चन्द	सोजत	3-76	जोधपुर
106.	श्री मातादीन	कुशालपुरा	5-72	पीनासनी
107.	श्री पन्नालाल	रायपुरा	6-81	लीलावास
108.	श्री सत्यनारायण	ग्रा. कालू	9-80	बोरून्दा
109.	श्री नारायणलाल	जैतारण	6-78	बांजाकुडी
110.	श्री जगदीश प्रसाद	धाकड़ी	9-78	बीलावास
111.	श्री पीराराम	सुरायता	7-80	बाड़ा
112.	श्री अर्जुनसिंह	बीलावास	2-81	कवलीया
113.	श्री किशोर सिंह	खारियानीव	10-79	बालेसर
114.	श्री चन्द सिंह	सरदारसमन्द	4-83	बागड़वास
115.	श्री रामरतन भंवरिया	चोपडा	4-83	बारून्दा
116.	श्री शंकर राम	रेपड़ावास	7-83	हरियाढाणी
117.	श्री राकेश कुमार	सोजत	7-83	अजमेर
118.	श्री माधो सिंह	बगड़ी	2-78	हरियाढाणी

1	2	3	4	5
119.	श्री नरपत सिंह	अटपड़ा	5-82	हरियाढाणी
120.	श्री किशन सिंह	खोखरा	7-83	इन्दसुंका
121.	श्री भंवरलाल जोशी	सोजतरोड़	10-79	जैतारण
122.	श्री भंवर लाल माली	बड़ा गुढ़ा	7-83	जैतारण
123.	श्री पेमाराम मेघवाल	हरियामाली	10-79	शेरगढ़
124.	श्री इन्दरचन्द माली	बींजागुडा	7-83	ग्रा. कालू
125.	श्री शम्भू सिंह	रायपुर	1-79	सरादना (अजमेर)
126.	श्री श्याम सिंह	सबलपुरा	7-83	जैतारण
127.	श्री रामरतन सिंह	कलालीया	7-83	कालसर
128.	श्री गजराज वैष्णव	कालवकलां	8-83	सरादना
129.	श्री प्रवीण कुमार	लीलाम्बा	11-82	हर० राजपुर
130.	श्री गजेन्द्रसिंह	कुशालपुरा	4-83	बावरला
131.	श्री चुन्दीलाल	निम्बाज	10-80	बलाड़ा
132.	श्री मांगीलाल	चण्डवल	4-83	बोरून्दा
133.	श्री किशनसिंह	देवली	2-83	मालपुरा
134.	श्री रणजीतसिंह	कुठा	7-83	मांगलियावास
135.	श्री प्रहलादसिंह	निम्बेड़ा	7-83	सबलपुरा
136.	श्री भीमाराम	नानणा	2-78	हरियाढाणी
137.	श्री सुजानसिंह	चांग	3-78	मसूदा
138.	श्री हजारीलाल	सन्देड़ा	4-82	मसूदा
139.	श्री सुरेन्द्र सिंह	गिरी	5-80	निम्बेड़ा खुर्द
140.	श्री दरीयावसिंह	बावरा	9-81	मसूदा
141.	श्री राम सिंह	सुमेल	7-83	मसूदा
142.	श्री पुनाराम देवासी	रास	2-83	खराड़ी
143.	श्री कल्याण सिंह	आसरलाई	2-78	किरढ

1	2	3	4	5
144.	श्री दाराराम	निम्बाल	11-81	खराड़ी
145.	श्री अर्जुन सिंह	वेड़	3-80	पिटवा
146.	श्री हनुमान लाल	बांजा कुड़ी	10-79	बलाडा
147.	श्री हिम्मताराम	पृथ्वीपुरा	12-82	बोरून्दा
148.	श्री मोहम्मद हारून	देवरिया	8-81	पीसागन
149.	श्री भंवर सिंह	बीरोल	4-83	बोरून्दा
150.	श्री लालपनी	जैतारण	7-83	मीरजापुर (उ. प्र.)
151.	श्री सैयद जाहिद अली	लाम्बिया	1-78	शाहपुरा
152.	श्री छीतरमल गेना	भुमलिया	1-82	अजमेर
153.	श्री गोविन्द राम	कुड़की	9-78	हरियाढाणी
154.	श्री रणजीत सिंह	सेवरिया	3-83	डरी
155.	श्री मोहन लाल	फालवाड़	7-83	चान्दण
156.	श्री माधो सिंह	बलाड़ा	4-83	कवलिया
157.	श्री देवी लाल	काटांकराणी	12-83	मसूदा
158.	श्री कान्तीप्रकाश माथुर	पाली	8-83	जोधपुर
159.	श्री भंवर लाल	भागसर	7-83	बाघनवाड़ा
160.	श्री गोविन्द सिंह	मण्डली	7-83	पाली
161.	श्री दलवीर सिंह	रूपावास	5-83	अजमेर
162.	श्री गजेन्द्र कुमार	गिरादड़ा	3-78	पीसागन
163.	श्री नरपतसिंह	भावरी	5-83	खारीवेरी
164.	श्री देवाराम	नीम्बलीऊरा	2-81	खारड़ा
165.	श्री देवीलाल नेरात	खारडी	10-82	वीबगढ़ (मसूदा)
166.	श्री लक्ष्मीनारायण	गुस्दोज	7-83	जैतारण
167.	श्री रणजीत सिंह	डेन्डा	1-79	अजमेर
168.	श्री बाबूलाल	कुरणा	7-83	पाली

1	2	3	4	5
169.	श्री अशोक कुमार	डिगाई	1-79	बांसवाड़ा
170.	श्री देवा राम	दयालपुरा	7-83	साण्डराव
171.	श्री जबर सिंह	मनिहारी	6-83	मलीयावास
172.	श्री अर्जुन सिंह	डरी	11-82	मलीयावास
173.	श्री नारायण लाल	गुडाएन्दला	7-83	सुमेरपुर
174.	श्री सूर्यप्रकाश शर्मा	खैरवा	5-83	समदड़ी
175.	श्री विजय सिंह	लाम्बिया	7-83	जैठाणा
176.	श्री रमेश चन्द्र	बोमादड़ा	7-83	पिसागण
177.	श्री लक्ष्मण सिंह	टेवाली	3-78	टेवाली
178.	श्री भवर लाल	सोनाई माजी	8-83	पाली
179.	श्री मालमसिंह	हेमावास	2-78	वनारड़
180.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	दामली	7-83	अजमेर
181.	श्री शंकर लाल	साडावास	6-81	मालीयावास
182.	श्री बाबूराम	रोहट	7-83	शेरगढ़
183.	श्री जसवन्त सिंह	भाकरीवाला	7-83	मगरतलाव
184.	श्री सुमेरसिंह	फितड़ा	2-78	बुजावड़
185.	श्री देवी लाल	बिठू	1-79	लाम्बा
186.	श्री कैलाश चन्द्र	ढावर	7-83	सरादना
187.	श्री वीर सिंह	कलाली	12-78	बाकलीया
188.	श्री सरूपसिंह	सालवता	1-82	जोधपुर
189.	श्री लवराजसिंह	वायद	7-83	सतावड़ीया
190.	श्री गणपतसिंह	गण्वाढा	7-83	मगरतलाव
191.	श्री शैतान सिंह	चण्डा	7-83	जोधपुर
192.	श्री विशनसिंह	कुलथाना	8-82	जोलीयारी
193.	श्री ओम प्रकाश	राणर	12-81	जोधपुर

1	2	3	4	5
194.	श्री पुकराज	माण्डावास	11-81	चांच
195.	श्री अश्वेन्द्र सिंह	खाण्डी	12-82	उत्तर प्रदेश
196.	श्री कुलदीप कुमार	मारवाड़ जं.	7-83	केकड़ी
197.	श्री हीर सिंह	आऊवा	7-83	टेवाड़ी
198.	श्री आवरदान	दूदोड़	6-80	खारची
199.	श्री अरुण कुमार	बातां	6-82	जोधपुर
200.	श्री चम्पालाल	खारची	7-83	सरादना
201.	श्री तेजदान बारठ	सिन्दला	10-79	शेरगढ़
202.	श्री रमेश चन्द	बाडसा	1-79	मांगलियावास
203.	श्री अशोक कुमार	राणावास	7-83	सरादना
204.	श्री नरपत सिंह	रड़ावास	9-83	पाली
205.	श्री नवरतन सिंह	जोजावर	7-83	पाली
206.	श्री लालदास	धनला	11-83	पाली
207.	श्री दशरथ सिंह	गुडारामसिंह	3-78	धनला
208.	श्री पर्वत सिंह	चेलावा	8-80	सांसरी
209.	श्री दीनदयाल	भगोड़ा	6-83	चेलावास
210.	श्री दुर्गाराम	जाणुदा	7-83	जयपुर
211.	श्री वेदप्रकाश सिंह	भाण्डा	12-82	जोधपुर
212.	श्री छैलसिंह	सारण	7-83	पनोता
213.	श्री श्रीनाथ पटेल	सिरीयारी	3-78	मारवाड़ जं.
214.	श्री छोटूलाल	दुन्दला	7-83	मांगीलियावास
215.	श्री महेशचन्द्र	सवराड़	7-83	जोधपुर
216.	श्री पृथ्वीराज गेना	कंटालिया	7-83	तबीजी
217.	श्री हुकमाराम	वोपारी	2-82	रोहट
218.	श्री मोती सिंह	पाली	8-82	दुदीया
219.	श्री केसाराम	मारवाड़ जं.	7-67	मारवाड़ जं.

1	2	3	4	5
220.	श्री पूनमचन्द	राणवास	6-82	गु. दुर्गा
221.	श्री भगवानसिंह	पाली	8-83	वीरून्दा
222.	श्री राकेश कुमार	सोजत	8-83	अजमेर
223.	श्री प्रहलाद सिंह	रानी	2-84	रानी
224.	श्री नारायण लाल	पाली	11-81	पाली
225.	श्री सोहन लाल	पाली	11-81	पाली
226.	श्री मोहन लाल	पाली	6-80	पाली
227.	श्री लूण सिंह	पाली	5-80	दूदिया
228.	श्री देवी सिंह	पाली	4-80	वसी
229.	श्री भैरू लाल	पाली	11-79	मसूदा
230.	श्री रसीद अहमद गौरी	पाली	11-79	अजमेर
231.	श्री रघुवीर सिंह	पाली	6-60	सुवावा (चितौड़)
	शेष पद रिक्त हैं।			